वार्षिक रिपोर्ट | 2020–21

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS
QUALITY, TECHNOLOGY, INNOVATION

और भी विस्तारण करते हुए

विषय-सूची

पृष्ठ 02 कार्पोरेट का सामान्य विवरण

02 विगत दशक
03 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड - संक्षिप्त परिचय
04 वित्तीय झलकियां (वित्तीय वर्ष 2020-21)
05 वित्तीय झलकियां (पिछले 5 वर्ष)
06 अध्यक्ष का संदेश
10 वर्ष की झलकियां
12 नई कारोबारी पहल
14 समुदायों का पोषण करते हुए, जीवन सशक्त बनाते हुए
17 पुरस्कार
18 निदेशक मंडल
20 वरिष्ठ प्रबंधन
23 दौरे

24

पृष्ठ 25 सांविधिक रिपोर्ट

25 मंडल की रिपोर्ट
42 अनुलग्नक-1 फार्म सं. एओसी-II
43 अनुलग्नक-2 कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट
52 अनुलग्नक-3 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की सचिवालयीन लेखा-परीक्षा रिपोर्ट
56 अनुलग्नक-4 प्रबंधन के विचार-विमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट
75 अनुलग्नक-5 कार्पोरेट अभिशासन का प्रतिवेदन
97 अनुलग्नक-6 संधारणीयता रिपोर्ट
100 अनुलग्नक-7 कारोबारी दायित्व रिपोर्ट (बीआरआर)

110

पृष्ठ 111 वित्तीय विवरण

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण
111 स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन
124 सी एंड एजी की अभ्युक्तियां
126 तुलन-पत्र
128 लाभ व हानि का विवरण
129 इक्विटी में परिवर्तन का विवरण
131 नकदी प्राप्ति विवरण
133 लेखों की टिप्पणियां
194 भारतीय लेखा मानक

समेकित वित्तीय विवरण
204 स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन
212 सी एंड एजी की अभ्युक्तियां
214 समेकित तुलन-पत्र
216 लाभ व हानि का समेकित विवरण
218 इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण
220 समेकित नकदी प्राप्ति विवरण
222 लेखों की टिप्पणियां
287 भारतीय लेखा मानक
298 फार्म एओसी-I

299

अधिक जानकारी के लिए www.bel-india.in देखें

हमारी वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 डाउनलोड करने के लिए क्यू.आर. कोड स्कैन करें

विगत दशक

(रु. लाख में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
विक्रय व सेवाएं	570363	601190	617423	669457	754117	882470	1008484	1178922	1260776	1381816
उत्पादन का मूल्य	579358	628991	612690	665854	777537	924383	966956	1192142	1234833	1394749
अन्य आय	70312	60993	42847	47795	53708	47101	20038	16954	10194	12610
सामग्रियां	366903	408463	358356	374453	406077	483222	510350	607993	684573	795715
कर्मचारी अनुलाभ व्यय	108123	111079	103043	126345	125726	154831	177233	187905	205749	194068
मूल्यह्रास / परिशोधन	12080	13071	14210	15396	17221	19152	25100	31622	34964	36633
ब्याज / वित्त लागत	60	78	340	138	451	1178	127	1221	326	608
अन्य व्यय	55019	57174	77439	67360	123978	141733	110977	139574	102833	111421
कर पूर्व लाभ	107485	111459	117474	146669	173212	202942	194784	270319	247917	293481
कर का प्रावधान	24495	22476	24312	29945	42476	48180	54855	77590	68534	86939
कर पश्चात् लाभ	82990	88983	93162	116724	130736	154762	139929	192729	179383	206542
लाभांश (राशि)	16640	17840	18640	23360	40800	50257	49058	82844	68224	97464
लाभांश (%)	208	223	233	292	170	225	200	340	280	400
इक्विटी शेयर पूंजी	8000	8000	8000	8000	24000	22336	24366	24366	24366	24366
अन्य इक्विटी	554221	622369	693724	780503	874360	728518	751735	877525	960928	1056423
ऋण निधियां	10	1	-	-	-	5000	6666	3334	833	-
सकल ब्लॉक	190158	207323	222667	248515	114689	161699	221984	301320	379483	411759
संचयी मूल्यह्रास / परिशोधन	139142	149778	157572	171405	17029	36168	61275	92880	127514	163756
वस्तुसूची	279182	327108	337014	342688	417747	490501	473912	445479	396275	495467
व्यापार प्राप्य	268686	333467	412854	378614	371193	435488	504950	536921	673291	655154
कार्यशील पूंजी	478994	544494	607714	690982	737289	530455	436595	537631	581656	681189
नियोजित पूंजी	530010	602039	672809	768092	834949	655986	597304	746071	833625	929192
निवल मालियत	562221	630369	701724	788503	898360	750854	776101	901891	985294	1080789
प्रति शेयर अर्जन (रुपए में)	3.15	3.37	3.53	4.42	4.95	6.03	5.70	7.91	7.36	8.48
प्रति शेयर पुस्त मूल्य (रुपए में)	23.43	26.27	29.24	32.85	37.43	33.62	31.85	37.01	40.44	44.36
कर्मचारियों की सं.	10791	10305	9952	9703	9848	9716	9726	9612	9279	9172

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड - संक्षिप्त परिचय

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक नवरत्न पीएसयू है जो सरकार और नागरी ग्राहकों को उन्नत उत्पाद और प्रणालियां प्रदान करती है। मुख्यत: भारतीय रक्षा बलों की इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की विशेष ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित बीईएल की अब नागरी बाज़ार में भी महत्वपूर्ण मौजूदगी है।

दृष्टि

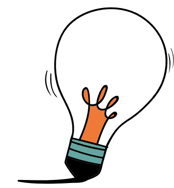

पेशेवर इलेक्ट्रॉनिकी में विश्व-स्तरीय उद्यम बनना ।

ध्येय

रक्षा इलेक्ट्रॉनिकी और पेशेवर इलेक्ट्रॉनिकी के अन्य चुने हुए क्षेत्रों में गुणता, प्रौद्योगिकी और नवीनता के जरिए ग्राहक-केन्द्रित, वैश्विक प्रतिस्पर्धी कंपनी बनना ।

मूल्य

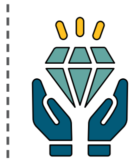

- झग्राहक को सर्वोपरि रखना।
- पारदर्शिता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से कार्य करना ।
- व्यक्तियों पर विश्वास करना और उनका सम्मान करना ।
- टीम भावना को पोषित करना।
- अत्यधिक कर्मचारी- संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करना ।
- लोचता और नवीनता को प्रोत्साहित करना ।
- अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयत्न करना।
- संगठन का हिस्सा होने पर गर्व होना ।

उद्देश्य

- गुणता, सुपुर्दगी और सेवा की मांगों को पूरा करते हुए अत्याधुनिक उत्पादों व समाधानों को प्रतिस्पर्धी कीमतों में प्रदान करते हुए ग्राहक-केन्द्रित कंपनी बनना ।
- लाभप्रद विकास हेतु आंतरिक संसाधनों को सृजित करना ।
- संस्थागत अनुसंधान व विकास, रक्षा / अनुसंधान प्रयोगशालाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी के जरिए रक्षा इलेक्ट्रॉनिकी में प्रौद्योगिकीय नेतृत्व हासिल करना ।
- निर्यात पर जोर देना ।
- लोगों के लिए सतत् शिक्षण व टीम-कार्य के जरिए उनकी पूरी क्षमता को प्राप्त कराने हेतु सुविधापूर्ण परिवेश सृजित करना ।
- ग्राहकों को उनके धन का पूरा प्रतिफल प्रदान करना और शेयरधारकों हेतु संपदा सृजित करना।
- कंपनी के निष्पादन को अंतर्राष्ट्रीय रूप से सर्वोत्कृष्ट श्रेणी के साथ सतत् रूप से निर्देश-चिह्नित करना ।
- विपणन क्षमताओं को वैश्विक मानकों तक बढ़ाना ।
- स्वदेशीकरण के माध्यम से आत्म-निर्भरता का प्रयत्न करना ।

वित्तीय झलकियां (वित्तीय वर्ष 2020–21)

(रु. करोड़ में)

कुल कारोबार
13,818

उत्पादन का मूल्य
13,947

प्रचालनीय लाभ
2,815

प्रति कर्मचारी कुल कारोबार
1.51

निवल मालियत
10,808

आर एंड डी निवेश
873

आदेश बही
53,434

कर पश्चात् लाभ
2,065

वित्तीय झलकियां (पिछले 5 वर्ष)

कुल कारोबार (रु. करोड़ में)

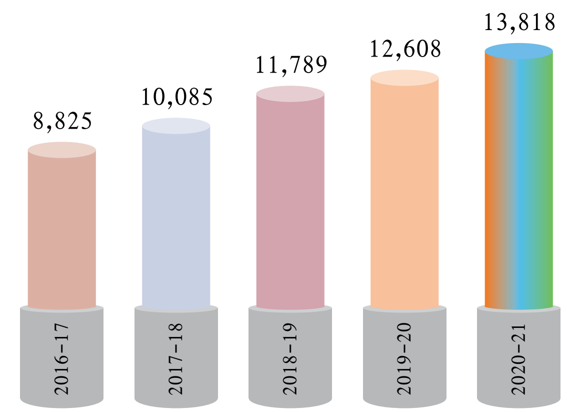

आदेश बही (रु. करोड़ में)

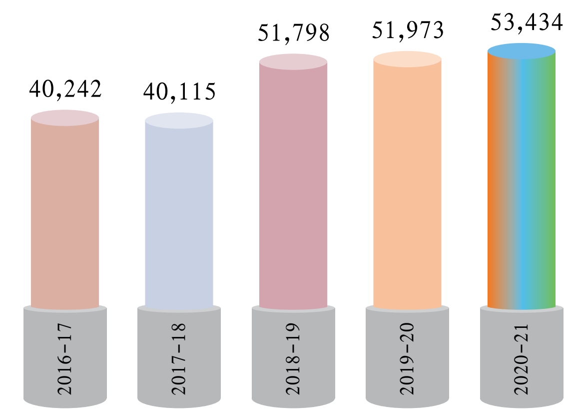

कर पश्चात लाभ (रु. करोड़ में)

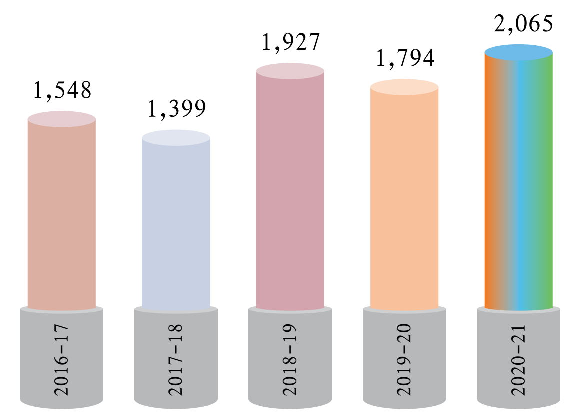

आर एंड डी निवेश (रु. करोड़ में)

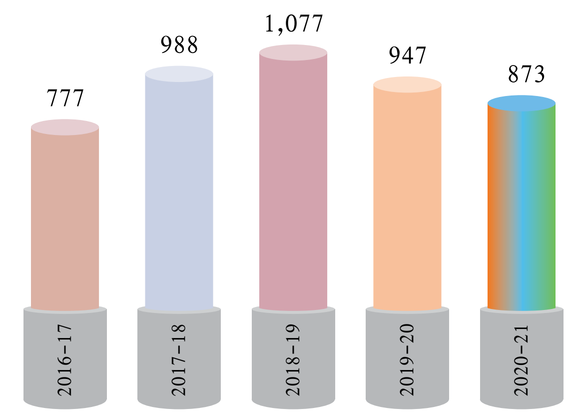

प्रति शेयर अर्जन (रु. में)

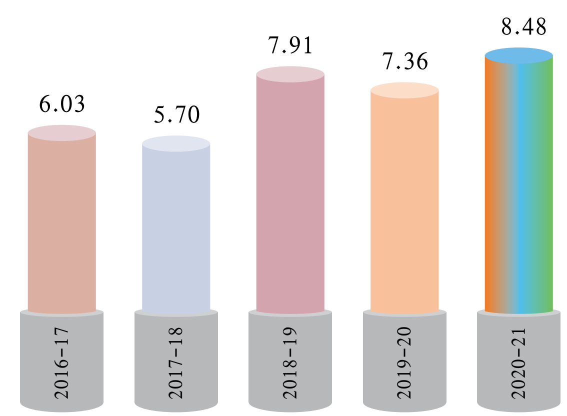

लाभांश वितरण (रु. करोड़ में)

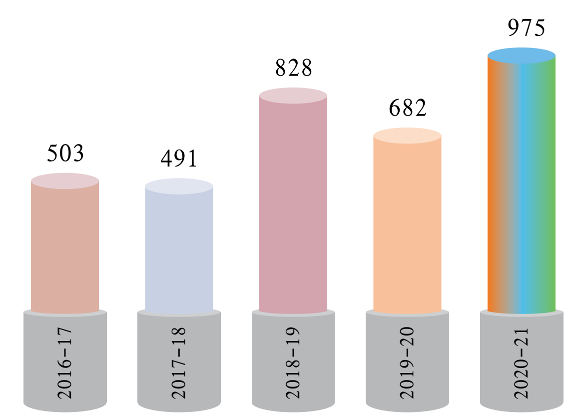

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारक,

वर्ष 2020-21 हमारे लिए कई तरह से उथल-पुथल वाला और चुनौतीपूर्ण रहा। घातक महामारी ने घरेलू अर्थव्यवस्था सहित पूरा मानव जाति को और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया। इस बदले हुए परिदृश्य में, मैं पिछले वर्ष के दौरान आपकी कंपनी की उपलब्धियों और वित्त संबंधी प्रमुख बातें आपके साझा करना चाहूंगी।

बीईएल अपने अनेक उत्पादों और नवोन्मेषी समाधान से राष्ट्र की सेवा करने में हमेशा अग्रणी रही है। रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स की अपनी प्रमुख शक्ति और विशेषज्ञता का लाभ लेते हुए बीईएल रक्षा और गैर-रक्षा, दोनों क्षेत्रों में नए परिदृश्यों और चुनौतियों का निरंतर पता लगाते रहती है। कोविड-19 के संकट के दौरान देश को आपात चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति की आवश्यकता पड़ने पर बीईएल आगे आई और कम समय में बीईएल ने भारत सरकार के लिए 30,000 आईसीयू श्रेणी के वेन्टीलेटरों का निर्माण कर आपूर्ति की। हमारे कार्यबल के समर्पण और हितधारकों के समर्थन से, हम इन चुनौतियों से निपटने में पहले से अधिक सशक्त बनकर सामने आए।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, हम जिस परिवर्तनशील परिवेश में कारोबार करते हैं, उसमें महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद, आपकी कंपनी ने आर एंड डी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और अवसंरचना के लगातार आधुनिकीकरण पर अधिक ज़ोर देते हुए राजस्व में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की।

आपकी कंपनी रक्षा बलों को उपकरणों / प्रणालियों की आपूर्ति करने में अपने अग्रणी स्थान को बनाए रखा है और प्रगति के पथ पर स्थिरता से आगे बढ़ रही है। मैं इस अवसर पर आपको पिछले वर्ष के दौरान कंपनी के कार्य-निष्पादन की झलकियां और भावी दृष्टि के बारे में बताना चाहती हूं।

वर्ष की झलकियां

आपकी कंपनी ने वर्ष 2019-20 में रु. 12,60,776 लाख के समक्ष वर्ष 2020-21 के दौरान रु. 13,81,816 लाख का कुल कारोबार किया और इस तरह 9.60% की प्रगति दर्ज की । बीईएल ने वर्ष के दौरान 51.93 मिलियन यूएसडी की निर्यात बिक्री की। जिन देशों को आपकी कंपनी के उत्पाद निर्यात किए गए उनमें शामिल हैं यूएसए, फ्रांस, इज़राइल, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, चीन, अर्मेनिया गणतंत्र, मालदीव, इंडोनेशिया, श्रीलंका, तुर्की, भूटान और एसईज़ेड। वर्ष के दौरान निर्यात किए गए प्रमुख उत्पाद / प्रणालियों में हैं - तटीय चौकसी प्रणाली, डेटा लिंक II, ईओएस कम्पास, आईएफएफ-I मार्क-XI, रेडार फिंगर प्रिंटिंग सिस्टम, संचार उपकरण, टीआर मॉड्यूल, वैक्यूम इंटरप्टर, यांत्रिक पुर्जे, केबल लूम, रेडार के सहायक उपकरण, रेडार और ई.डबल्यू. प्रणालियों की उप-असेंबली, मिसाइल प्रणालियों की असेंबली और उप-असेंबली, शेल्टर के सहायक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़ आदि।

कुल कारोबार में
9.60%
की प्रगति

कुल कारोबार का
6.32%
निवेश आर एंड डी में

कंपनी की सभी नौ निर्माणी यूनिटों ने अच्छा कार्य-निष्पादन किया। 2019-20 में रु. 1,79,383 लाख के कर पश्चात् लाभ की तुलना में 2020-21 का कर पश्चात् लाभ रु. 2,06,542 लाख रहा और 15.14% की प्रगति दर्ज की गई। कंपनी की निवल मालियत 2019-20 में रु. 9,85,294 लाख से बढ़कर 2020-21 में रु. 10,80,789 लाख हुई। प्रति कर्मचारी आवर्त 2019-20 में रु. 135.87 लाख से बढ़कर 2020-21 में रु. 150.66 लाख हुआ। रु. 53,43,300 लाख की आदेश बही (1 अप्रैल 2021 को) में लगातार वृद्धि हो रही है और अगले 2-3 वर्षों में अच्छे आदेश प्राप्त होने की आशा है।

आर एंड डी पर आपकी कंपनी प्रमुखता से ध्यान देती आ रही है जिससे स्वदेशीकरण की मात्रा बढ़ेगी और हमारे उत्पादों / सिस्टम का मूल्य वर्धन होगा। वर्ष के दौरान कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में आर एंड डी में कुल निवेश 6.32% था। स्वदेशी विकास के लिए यह हमारे निरंतर प्रयासों का परिणाम है कि हम स्वदेशी उत्पादों से अपने कुल कारोबार का 79% हासिल कर सके। विदेशी ओ.ई.एम. से टी.ओ.टी. के माध्यम से निर्मित उत्पादों से हमारा 21% राजस्व सृजित हुआ। कंपनी का मुख्य कारोबार रक्षा क्षेत्र होने के कारण इसने 2019-20 में 82% के समक्ष 2020-21 में 78% का योगदान दिया और शेष 22% गैर-रक्षा क्षेत्र से जनित हुआ।

आपकी कंपनी अपने ग्राहकों के लिए लगातार नवोन्मेषी और गुणतायुक्त उत्पादों का विकास करने में हमेशा अग्रणी रही है। 2020-21 के दौरान प्रस्तुत कुछ प्रमुख उत्पाद / सिस्टम में शामिल हैं - लिनक्स यू2 के लिए कॉम्पैक्ट ट्रैकिंग रेडार (सीटीआर), गन फायर कंट्रोल सिस्टम (जीएफसीएस), साफ्टवेयर निर्देशित रेडियो के परिवर्त, युद्धक्षेत्र चौकसी रेडार (बीएफएसआर) के अपग्रेड, कंपोज़िट संचार सिस्टम (सीसीएस) मार्क-II, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मीज़र (ईसीएम) जैमर मार्क-III, काउंटर रेडियो कंट्रोल्ड इम्प्रूवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आरसीआईईडी) उपकरण, सम्युक्ता इलेक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति गैर-संचार स्वत्व, एकीकृत वायु कमान व कंट्रोल सिस्टम (आईएसीसीएस) बैच 2, वैमानिकी के लिए पैनोरमिक नाइट वीज़न गॉग्गल (एनवीजी), तोपखाना समाघात कमान व कंट्रोल सिस्टम चरण III, विमानपत्तन चौकसी रेडार के लिए डिज़िटल बीम फार्मर, तटीय चौकसी प्रणाली (सीएसएस) चरण 2, परिवर्तनशील परिवेश के लिए एनक्रिप्टर, लिंक एनक्रिप्टर (लाइव) मार्क-II और सेक्योर मल्टी इंटरफेस लिंक एनक्रिप्टर (स्माइल) मार्क-II, स्मार्ट सिटी के लिए एडाप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम (एटीसीएस), कवचित लड़ाकू गाड़ियों (एएफवी) के लिए इलेक्ट्रॉनिक गन एवं टरेट ड्राइव सिस्टम, दो/तीन-पहिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों (ईवी) के लिए लियान बैटरियां, मुंबई मोनोरेल के लिए ट्रेन सिम्यूलेटर, बस के लिए मोशन आधारित वाहन ड्राइविंग सिम्यूलेटर, स्वदेशी विमानपत्तन चौकसी रेडार (एएसआर) और मोनो-पल्स सेकंडरी चौकसी रेडार (एमएसएसआर), री-इंजीनियर्ड आरएडबल्यूएल-02-मार्क-II-ए रेडार, आईएफएफ मार्क-XI (S) इंटरोगेटर, विभिन्न अनप्रयोगों के लिए ए.आई. सक्षम समाधान जैसे चौकसी अनुप्रयोगों के लिए जेस्चर रिकॉग्नीशन, स्वचालित सूचना प्राप्ति व संश्लेषण, ट्रैफिक एनालिटिक्स, वायु प्रचालनों के लिए टेम्पलेटिंग का उपयोग करते हुए दुश्मन के टार्गेट के लिए एक्टिविटी इंटरफेस (सी4आई) आदि।

मुख्य कारोबार
रक्षा क्षेत्र में
78%

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान लगभग रु. 15,27,800 लाख के आदेश प्राप्त किए। प्राप्त प्रमुख आदेशों में हैं - एएफनेट पर्फार्मेंस एवं सुरक्षा वर्धन तथा सैटकॉम नेटवर्क, सर्विस सहित वेन्टीलेटर, नौसैनिक फायर कंट्रोल सिस्टम, साफ्टवेयर निर्देशित रेडियो, उन्नत टारपीडो डिफेंस सिस्टम, डिज़िटल मोबाइल रेडियो रिले आदि।

आपकी कंपनी को 2020-21 में तीन (3) पेटेंट प्रदान किए गए हैं, इस प्रकार, अब तक प्रदान किए गए पेटेंटों की कुल संख्या तेरह (13) हो गई है। बीईएल के वैज्ञानिकों और आर एंड डी इंजीनियरों द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों / संगोष्ठियों / सम्मेलनों में 97 तकनीकी पत्र प्रकाशित किए गए हैं। 2020-21 के दौरान आपकी कंपनी ने 162 आई.पी.आर. (84 पेटेंट सहित) दाखिल किए हैं।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के प्रमुख कार्य-निष्पादन इस प्रकार हैं -

- उन्नत टारपीडो डिकॉय सिस्टम (एटीडीएस) मारीच की एकीकरण सुविधा, बेंगलूरु में स्थापित।
- निर्यात विनिर्माण एसबीयू ने आईसीयू वेन्टीलेटर के लिए आईएसओ 13485 मेडिकल डिवाइस क्यूएमएस प्रमाण-पत्र प्राप्त किया।
- साफ्टवेयर एज़ ए सर्विस के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों का लाभ लेने के लिए नई एसबीयू का गठन।
- बीईएल ने एम्बेडेड सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, साफ्टवेयर, संचार, रेडार, नेटवर्क एवं संचार आदि के क्षेत्रों में 162 बौद्धिक संपदा अधिकार (आई.पी.आर.) दाखिल किए।
- बीईएल ने सहयोगात्मक आर एंड डी के लिए 279 साझेदारों का पैनल तैयार किया जिसमें 31 सहयोगात्मक आर एंड डी साझेदार, 178 डिज़ाइन सर्विस प्रदाता, 37 सलाहकार और 39 उत्पादन सेवा प्रदाता शामिल हैं।

- साफ्टवेयर एसबीयू को आईटीएसएमएस आईएसओ/आईईसी 20000-1 प्रमाणीकरण प्राप्त किया।
- बीईएल ने 41 उत्पादों के लिए 12 ग्रीन चैनल प्रमाण-पत्र प्राप्त किए जिसमें बीईएल की 10 यूनिटें / एसबीयू शामिल हैं।

आपको जानकर खुशी होगी कि आपकी कंपनी को वर्ष के दौरान अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए जिनमें से कुछ उल्लेखनीय पुरस्कार इस प्रकार हैं -

- टाइम्स एसेंट का सीईओ विद एच.आर. ओरिएंटेशन अवार्ड
- इंटरनेशनल एरोस्पेस अवार्ड
- पीएसई एक्सीलेंस अवार्ड
- दि पालिसी टाइम्स एप्रीसिएशन अवार्ड

आई.पी.आर. के
162
आवेदन दाखिल

भावी दृष्टि

वैश्विक कारोबारी परिवेश में मौजूदा अस्थिरता कारोबार को प्रभावित कर रही है और प्रगति के लिए बड़ा जोखिम बनी हुई है। इससे संबंधित जोखिम से निपटने के लिए आपकी कंपनी नए कारोबारी क्षेत्रों में प्रवेश करने का प्रयास कर रही है और अपनी प्रचालनीय दक्षता को बढ़ाने के साथ-साथ, तेजी से बदलते प्रौद्योगिकीय उन्नत कार्यों के साथ गति बनाए रखने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा, रक्षा क्षेत्र में सरकार के 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पर ज़ोर देने से, आपकी कंपनी को स्वदेशीकरण के प्रयास बढ़ाने और भारतीय रक्षा क्षेत्र में उभरते अवसरों का लाभ लेने के अनेक अवसर उपलब्ध हुए हैं।

बीईएल ने 2021-22 के दौरान 12-15% के बेहतर विकास दर का लक्ष्य रखा है। रेडार और मिसाइल सिस्टम, संचार एवं नेटवर्क केंद्रित सिस्टम, पनडुब्बी-रोधी युद्धपद्धति एवं सोनार सिस्टम, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स, गन के अपग्रेड, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति एवं वैमानिकी सिस्टम जैसे कारोबारी खंड आगामी वर्षों में कंपनी की विकास दर को बनाए रखेंगे। इसके अलावा, होमलैंड सेक्योरिटी, स्मार्ट सिटी, ईवीएम तथा अन्य विविधीकरण के क्षेत्रों में गैर-रक्षा खंड के कारोबार भी कंपनी के विकास में योगदान देंगे।

रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक में अपने नेतृत्व की स्थिति बनाए रखने के लिए, आपकी कंपनी ने विभिन्न रणनीतियां बनाई है और प्रतिस्पर्धा में आगे बने रहने तथा प्रौद्योगिकी में अग्रणी अवस्था बनाए रखने की योजना तैयार की है। आपकी कंपनी सिस्टम और सेवाओं के स्वदेशी विकास पर हमेशा अधिक ज़ोर देती आई है। इस संबंध में आपकी कंपनी एमएसएमई के क्षेत्रों में अधिक बल देते हुए भारतीय उद्योगों को आर एंड डी, परीक्षण व उत्पादन, कौशल विकास तथा बाह्यस्रोतण प्रदान करने के लिए स्वदेशीकरण, विविधीकरण, सतत् आधुनिकीकरण, अनेक विश्व-स्तरीय सुविधाएं सृजित करते हुए सक्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर निरंतर ध्यान दे रही है। गैर-रक्षा खंड में, आपकी कंपनी होमलैंड सेक्योरिटी समाधान, स्मार्ट सिटी, इलेक्ट्रिक वाहन (लियॉन एवं फ्यूल सेल, चार्जिंग स्टेशन आदि), अंतरिक्ष श्रेणी के सोलर सेल, सोलर कारोबार, अंतरिक्ष / उपग्रह इलेक्ट्रॉनिक्स, अंतरिक्ष लांच वाहन, उपग्रह संचार सेवाएं, उपग्रह असेंबली और एकीकरण, नेटवर्क और सायबर सुरक्षा, रेलवे और मेट्रो समाधान, ड्रोण-रोधी सिस्टम, साफ्टवेयर एज़ ए सर्विस, स्मार्ट मीटर, वायुमंडलीय वाटर जनरेटर, अनेक प्रकार के मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हेल्थकेयर समाधान, दूरसंचार के उत्पाद, पीएनवीडी, कंपोज़िट आदि के क्षेत्र में उभरते कारोबार का अनुसरण कर रही है।

आपकी कंपनी का भविष्य आशाजनक होने के साथ-साथ चुनौतीपूर्ण दिखता है। रक्षा खरीद नीति के लागू किए जाने से रक्षा क्षेत्र को निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता के लिए खोला जा रहा है। ऐसे बदलते कारोबार परिवेश में, आपकी कंपनी विभिन्न स्तरों पर अंतर्क्रिया बढ़ा रही है और एक भरोसेमंद और प्रतिबद्ध साझेदार के रूप में भारतीय रक्षा उद्योग में अपने ग्राहकों, उभरते रणनीतिक साझेदारों और अन्य प्रमुख भागीदारों के साथ दीर्घकालीन संबंध बना रही है। आपकी कंपनी ने कंपनी के कार्य-निष्पादन पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के अनेक प्रशमन उपाय किए हैं।

आत्म-निर्भरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 (डीओपी 2020) अनेक सुधार के साथ जारी कर दी गई है जिसमें मेक, डिज़ाइन और विकास की प्रक्रियाओं तथा रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से स्वदेशीकरण और नवोन्मेष सक्षम बनाया गया है। आपकी कंपनी ग्राहकों को स्वदेशी समाधान प्रदान करने पर हमेशा कार्य करती आई है। इससे आयात प्रतिस्थापन करने का अवसर मिलता है और रक्षा उपकरणों के नवोन्मेषी समाधान को संवर्धित करने में मदद मिलती है। आपकी कंपनी ने 'मेक-II' परियोजनाओं को भी प्रोत्साहित किया है जो बीईएल के कारोबार के अनुरूप है।

हम अपने सभी कारोबारी खंडों में संधारणीय विकास द्वारा उत्कृष्टता सृजित करने पर ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए, बीईएल के लिए यह आवश्यक है कि वह नई प्रौद्योगिकी के साथ गति बनाए रखे और नए उत्पाद विकसित करे, ग्राहकों की अपेक्षाओं को नियमित रूप से पूरा करे और किफायती और नवोन्मेषी समाधान प्रस्तुत करे। भावी उत्पादों के लिए तैयार की गई रूपरेखा, प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों, बौद्धिक संपदा सृजन, प्रमुख प्रौद्योगिकी के अर्जन तथा पेटेंट दाखिल करते हुए कंपनी भर में आर एंड डी पर ज़ोर दिया जाना जारी रखा जाएगा। आपकी कंपनी नए उत्पादों और सिस्टमों का विकास करने के लिए डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थानों तथा शिक्षा संस्थानों और उच्च प्रौद्योगिकी कंपनियों और सलाहकारों के साथ मिलकर कार्य परने पर भी बहुत ज़ोर दे रही है। आपकी कंपनी शिक्षा जगत् और स्टार्ट अप के साथ आर एंड डी सहयोग करते हुए कृत्रिम बुद्धि, बिग डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5जी बेतार संचार, रोबोटिक्स एवं कंप्यूटर वीज़न, आवर्धित एवं आभासी यथार्थता, क्वांटन क्रिप्टोग्राफी आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर काम कर रही है।

2021-22 के दौरान निष्पादन के लिए योजित कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं - लंबी दूरी की सतह से वायु मिसाइल सिस्टम (एलआरसैम), एकीकृत वायु कमान व कंट्रोल सिस्टम (आईएसीसीएस), तटीय चौकसी प्रणाली (सीएसएस)-चरण II, केरल फायबर ऑप्टिक नेटवर्क (के-फॉन), वेपन लोकेटिंग रेडार, इंटीग्रेटेड पेरीमीटर सेक्योरिटी सिस्टम (आईपीएसएस), सम्युक्ता ई.डबल्यू. अपग्रेड सिस्टम, सागर III सिस्टम, एसीसीएस, हम्सा यूजी सिस्टम, लिनक्स यू1 मॉड, शक्ति चरण-III, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनें (ईवीएम) आदि।

निर्यात के क्षेत्र में, 1 अप्रैल 2021 की आदेश बही यूएस $ 125.93 मिलियन थी जिसमें ऑफसेट आदेश यूएस $ 46.35 मिलियन के थे। निर्यात पर अधिक ज़ोर देने के लिए, आपकी कंपनी ने ओमान, न्यूयॉर्क, सिंगापूर, वियतनाम और श्रीलंका में विपणन कार्यालय खोले हैं और अन्य देशों में ऐसे कार्यालय खोलने की योजना है। आपकी कंपनी ग्राहकों को निरंतर नियोजित करते हुए दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, मध्य पूर्व के देशों, अफ्रीका और उत्तर अमेरिका में कारोबारी अवसर बढ़ाने के भी प्रयास कर रही है और अपनी भू-रणनीतिक पहुँच बढ़ाने और अपनी वैश्विक मौजूदगी बढ़ाने के लिए इन देशों में अन्य भारतीय कंपनियों तथा स्थानीय साझेदारों के साथ भी मिलकर काम कर रही है।

सीएसआर पहल

आपकी कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अनुसूची VII तखख और उनमें किए गए संशोधनों के अनुरूप, कंपनी की कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अनुसार सीएसआर संबंधी विभिन्न प्रोग्राम / पहल / परियोजनाओं कार्यान्वित करती है। आपकी कंपनी ने स्वास्थ्य की देखभाल, पोषण, शिक्षा और व्यावसायिक कौशल विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रु. 2,279 लाख खर्च किए हैं। आपकी कंपनी कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई में पूरी कर्मठता के साथ सहयोग दे रही है और भारत सरकार के कोविड-19 टीकाकरण प्रोग्राम के लिए कोल्ड चेन उपकरण की आपूर्ति करने में लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा चुने गुए सीपीएसई में शामिल है।

2279.18
सीएसआर गतिविधियों पर खर्च किया (रु. लाख में)

गवर्नेंस और संधारणीयता

आपकी कंपनी सर्वोच्च स्तर के मूल्य और सिद्धांतों को निरंतर अपनाने और उन्हें बनाए रखने में गौरव अनुभव करती है। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और सीपीएसई के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में की गई अपेक्षानुसार, कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन पर विस्तृत रिपोर्ट मंडल की रिपोर्ट में दी गई है।

आपकी कंपनी को वर्ष 2020-21 के लिए सी एंड एजी से 'शून्य' अभ्युक्ति का प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है।

बीईएल का कार्पोरेट कार्य-निष्पादन जिसे आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक परिमापियों के परिप्रेक्ष्य में आंका जाता है, बीईएल की सामाजिक रूप से उत्तरदायी कार्पोरेट के रूप में बीईएल की छवि को पुनर्बलित करने का संकेत देता है। बीईएल में संधारणीयता के प्रयास नैतिक रूप से व्यवहार करने और इसके कर्मचारियों, उनके परिवारों और स्थानीय समुदाय और समग्र रूप से समाज के जीवन की गुणता में सुधार लाते हुए आर्थिक विकास के लिए इसकी प्रतिबद्धता में समाविष्ट हैं। हरित भविष्य सृजित करने के लिए पुन:चक्रण, पुन:उपयोग और कटौती का सिद्धांत लगातार कार्यान्वित किया जाएगा।

आभार

मैं निदेशक मंडल और प्रबंध समिति के सदस्यों के अथक समर्थन और मार्गदर्शन के लिए उनकी आभारी हूं। रक्षा मंत्रालय और रक्षा सेवाएं हमें अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन लगातार देते आ रहे हैं और हम पर अपना विश्वास बनाए रखे हैं। मैं अपने शेयरधारकों, सम्माननीय ग्राहकों और कारोबारी सहयोगियों को उनका विश्वास प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए अपना आभार व्यक्त करती हूं।

सभी स्तरों के हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों के समर्पण, समझदारी और प्रतिबद्धता आपकी कंपनी की प्रमुख शक्ति बनी हुई है जिसके कारण हम अपने ग्राहकों की अपेक्षाओं को लगातार पूरा करने के समाधान प्रदान करते आ रहे हैं। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और आगामी वर्षों में लाभप्रद विकास बनाए रखने के लिए हम नई पहल करने और इन शक्तियों को बढ़ाने के निरंतर प्रयास करते रहेंगे।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को निरंतर समर्थन प्रदान करने के लिए धन्यवाद।

शुभकामनाओं सहित,

भवदीया,

श्रीमती आनंदी रामलिंगम

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

बेंगलूरु,
31 अगस्त 2021

वर्ष की झलकियां

बीईएल ने 30,000 सीवी 200 आईसीयू वेन्टीलेटरों की आपूर्ति रिकार्ड समय में की

आईएमसीएस परियोजना के लिए ईएल4 प्रमाणीकरण

माननीय रक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह ने एटीडीएस मारीच की कोटि उन्नत विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया

भारत की सभी रक्षा छावनियों को जोड़ने वाले "ई-छावनी" ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ

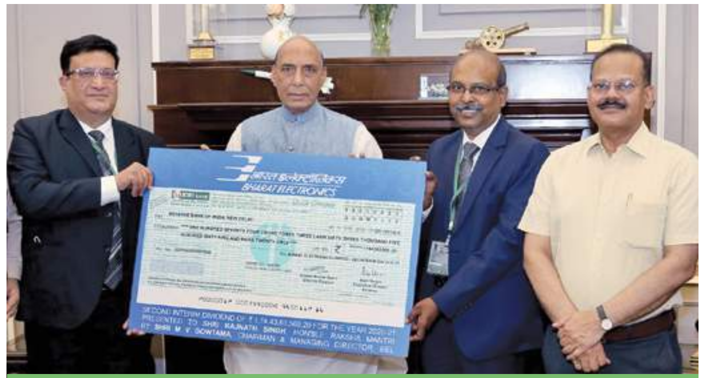

बीईएल ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 682.24 करोड़ रु. (280%) का अंतरिम लाभांश अदा किया

बीईएल को 41 उत्पादों के लिए 12 ग्रीन चैनल प्रमाण-पत्र मिले

आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत बीईएल द्वारा विकसित नए उत्पाद, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर और 1 कि.वॉ. ट्रांसमीटर एरियल स्विचिंग रैक का शुभारंभ

बीईएल के रणनीतिक उत्पाद जिनके स्वदेशीकरण के लिए ईओआई की घोषणा की गई

नई कारोबारी पहल

विमानपत्तन कारोबार में उपलब्ध वैश्विक अवसरों का लाभ लेने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बीईएल के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए

रक्षा में विकासशील घरेलू और निर्यात बाज़ार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बीईएल और एल एंड टी के बीच एमओयू

बीईएल और रोसोबोरोनएक्सपोर्ट, रूस के बीच इन्वेस्ट इन काइंड के तहत ऑफसेट संविदा

रु. 1,000 करोड़ मूल्य के सामरिक साफ्टवेयर निर्देशित रेडियो की खरीद के लिए बीईएल और रक्षा मंत्रालय के बीच संविदा

पारस्परिक हित की परियोजानाओं में सहयोग करने तथा स्टार्ट–अप और इन्नोवेटरों द्वारा बाज़ार–तैयार उत्पाद निर्मित करने में सहयोग करने के लिए बीईएल और रक्षा अध्ययन व अनुसंधान संस्थान (आईडीएसआर), अहमदाबाद के बीच एम.ओ.यू.

देश को किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए बीईएल और बीपीएल मेडिकल टेक्नालाजीस प्रा. लि. के बीच एमओयू

भारतीय थलसेना की भू प्रणालियों के ओवरहाल के लिए जीओसीओ मॉडल कार्यान्वयन के तहत उपलब्ध अवसरों का पता लगाने के लिए बीईएल और टेक्समैको के बीच रणनीतिक एमओयू

डीआरडीओ से निम्न स्तरीय ट्रांसपोर्टेबल रेडार अश्विनी के लिए एल.ए. टी.ओ.टी. प्राप्त करते हुए बीईएल।

समुदायों का पोषण करते हुए, जीवन सशक्त बनाते हुए

कारोबारी सफलता का हमारा प्रयास स्वयं को एक जिम्मेदार कंपनी के रूप में स्थापित करने की हमारी सुदृढ़ आकांक्षा से प्रभावित है। इसलिए, हम ऐसे सार्थक योगदान से परिवर्तन की पहल करने का प्रयास करते हैं जो लोगों और समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

स्वास्थ्य की देखभाल और पोषण

भारत सरकार के कोविड टीकाकरण प्रोग्राम का समर्थन करने के लिए, बीईएल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा निदेशालय, कर्नाटक सरकार को वॉक-इन-फ्रीज़र और **97 डीप फ्रीज़र** का दान किया। इस कोल्ड चेन उपकरण का उपयोग कर्नाटक के सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन को भंडारित करने में किया जाएगा।

कोविड संबंधी चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित सरकारी अस्पताल जिनसे लगभग 9.33 **लाख ग्रामीण लोग** लाभान्वित हुए

कोल्ड चेन उपकरण - वॉक-इन चेम्बर और डीप फ्रीज़र की सुपुर्दगी

सरकारी अस्पतालों को कोविड संबंधी चिकित्सा उपकरण और प्रवासी मजदूरों को राशन किट का वितरण

रु.15.45 करोड़ की सीएसआर निधि पीएम केयर्स निधि में दी गई

कंपनी ने लगभग **रु.16.50 करोड़** विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के लिए आवंटित किया

आकांक्षी जिलों बेंगलूरु और रायचूर में प्रवासी मजदूरों को 3300 **राशन किट** का वितरण

शिक्षा

वीआईटीएम, बेंगलूरु में रु. 200 लाख की लागत से "बीईएल हॉल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स" का नवीकरण करने के लिए बीईएल और एनसीएसएम के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए

आकांक्षी जिलों रायचूर और बेंगलूरु के 135 **सरकारी स्कूलों** के लिए **स्मार्ट कक्षाओं** का निर्माण

समाज के **आर्थिक रूप** से कमज़ोर वर्ग के 40,000 **ग्रामीण विद्यार्थी** लाभान्वित

सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाना जिसमें स्कूल की नई इमारत, कक्षाओं के लिए फर्नीचर, किचन, पेयजल और सफाई सुविधाएं शामिल

भारत भर में अपनाए गए सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाना

ग्रामीण विकास

बीईएल ने **एच डी कोटे,** मैसूर जिला, कर्नाटक के दोबारा बसाए गए **जनजातीय परिवारों** के हितार्थ **सर्वसमावेशी और संधारणीय** विकास कार्य किए।

एच डी कोटे में विकास कार्य – सार्वजनिक शौचालय, ओवरहेड पानी की टंकी, बोरवेल, पेयजल, पाइपलाइन, सड़कें बिछाना, कक्षाओं का निर्माण और फर्नीचर का प्रावधान

पर्यावरण संधारणीयता

बीईएल ने दोड्डबोम्मसंद्रा झील के पुनर्युवनीकरण के लिए **10 एमएलडी सीवन उपचार संयंत्र** स्थापित किया है ताकि झील की जैव-विविधता और सामाजिक-पारिस्थितिकीय संतुलन बना रह सके और **भूजल टेबल का भराव** हो सके।

दोड्डबोम्मसंद्रा झील जिसका पुनर्नवीकरण बीईएल द्वारा किया गया का दौरा श्री टी एम विजय शंकर, तत्कालीन मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार ने किया

पुरस्कार

'एरोस्पेस उद्योग के लिए उत्कृष्ट योगदान' के लिए अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस और डिफेंस पुरस्कार

बीईएल के सीएमडी श्री एम वी गौतमा को दि पालिसी टाइम्स का 'अनलीशिंग इंडिया' नेशनल रीइनकार्नेशन वेब समिट सर्टिफिकेट ऑफ एप्रीसिएशन

कार्पोरेट गवर्नेंस के लिए इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) का पीएसई एक्सीलेंस अवार्ड 2019 (ऑनलाइन प्रदत्त)

बीईएल के सीएमडी श्री गौतमा एम वी को 'सीईओ विद एच आर ओरिएंटेशन' पुरस्कार

निदेशक मंडल
(1 सितंबर 2021 को)

पूर्णकालिक निदेशक

श्रीमती आनंदी रामलिंगम
निदेशक (विपणन)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
निदेशक (अन्य यूनिटें) (अतिरिक्त प्रभार)

श्री विनय कुमार कत्याल
निदेशक (बेंगलूरु कॉम्प्लेक्स),
निदेशक (मानव संसाधन) (अतिरिक्त प्रभार)

श्री दिनेश कुमार बत्रा
निदेशक (वित्त) एवं सी.एफ.ओ.

श्री एम वी राजशेखर
निदेशक (अनुसंधान व विकास)

सरकार द्वारा नामित निदेशक

सुश्री मंजुला जे
डी.एस. एवं डी.जी. (ई.सी.एस.),
डी.आर.डी.ओ.

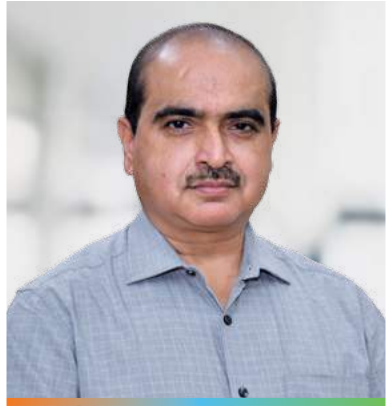

श्री अनुराग बाजपेई
जे.एस. (पी एंड सी), रक्षा मंत्रालय

स्वतंत्र निदेशक

श्री सुनील कुमार कोहली
पूर्व एफ.ए.डी.एस. - रक्षा मंत्रालय

कंपनी सचिव

श्री एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

वरिष्ठ प्रबंधन

(यथा 1 सितंबर, 2021)

श्री श्रीकांत वलगड, भाप्रसे
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री मनोज कुमार
ई.डी. एन.एम. – दिल्ली

श्री जयदीप मजूमदार
ई.डी. एन.सी.एस. एवं यू.एच. – गा.बाद

श्री श्रीनिवासन आर
ई.डी. (एम.एस.) – बी.जी.

श्रीमती हेमलता के
ई.डी. (एस.पी.) – सी.ओ.

श्री नंद कुमार वी
सी.एस.-सी.आर.एल. – बी.जी.

श्री जगदीश चंद
महाप्रबंधक (रेडार) – गा.बाद

श्री भानु प्रकाश श्रीवास्तव
महाप्रबंधक (ए.डी.एस.एन.) – बी.जी.

श्री विक्रमन एन
महाप्रबंधक (मानव संसाधन) – सी.ओ.

श्री मनोज जैन
महाप्रबंधक (ई.डबल्यू. एंड ए.) – बी.जी.

श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह
सी.टी.ओ. (ई.ओ. एंड लेज़र) – सी.ओ.

वरिष्ठ प्रबंधन

(यथा 1 सितंबर, 2021)

श्रीमती पद्मिनी बालचंद्रा
सी.टी.ओ. (आर. एंड डबल्यू.एस.) – सी.ओ.

श्री शेखर आर एल
महाप्रबंधक (एस.सी. एंड यू.एस.) – बी.जी.

श्री अनिल पंत
महाप्रबंधक (आई.एम.) – सी.ओ.

श्रीमती दुर्गा जी के
महाप्रबंधक (साफ्टवेयर) – बी.जी.

श्री शंकरसुब्रमणियन आर
महाप्रबंधक (गुणता) – सी.ओ.

श्री पुगझेन्ति आर
महाप्रबंधक (एचएलएस एंड एससीबी) – बी.जी.

श्री लोयोला पेड्रो विएनी
महाप्रबंधक – चेन्नै

श्री राजेन्द्रा के
महाप्रबंधक – पुणे

श्री सुरेश कुमार के वी
महाप्रबंधक (पीडी एंड आईसी)

श्रीमती प्रभा गोयल
महाप्रबंधक – पंचकूला

श्री मुरली वी
महाप्रबंधक (वित्त) – बी.जी.

श्री प्रभाकर राव बी
महाप्रबंधक – मचिलिपट्टणम

श्री रुधिरमूर्ति ए
महाप्रबंधक – कोटद्वार

श्रीमती एन्जी जेम्स
महाप्रबंधक (ई.एम.) – बी.जी.

श्री अनूप कुमार रॉय
सी.एस. (सीआरएल) – गा.बाद

श्री उमेश के एस
महाप्रबंधक (एनएस / आर एंड एफसीएस) – बी.जी.

वरिष्ठ प्रबंधन

(यथा 1 सितंबर, 2021)

श्री नरेश कुमार एस
महाप्रबंधक (कंपोनेंट) - बी.जी.

श्री रामन आर
महाप्रबंधक (आई.ए.) - सी.ओ.

श्री संपतकुमार पी
सी.टी.ओ. (संचार) - सी.ओ.

श्री मोहन आर पी
महाप्रबंधक (मानव संसाधन) - बी.जी.

श्री पाहूजा बी पी
महाप्रबंधक (ई.एस.) - बी.जी.

श्री रामकृष्णन एल
महाप्रबंधक (एम.आर) - बी.जी.

श्रीमती रश्मि कथूरिया
महाप्रबंधक (एस.सी.सी.एस.) - गा.बाद

श्री सूर्यनारायण मूर्ति जी
महाप्रबंधक (सी.एम.) - दिल्ली

श्री विश्वेश्वर पुच्चा
महाप्रबंधक - नवी मुंबई

श्री नंद कुमार टी डी
महाप्रबंधक (एनएस/एस एंड सीएस) - बी.जी.

श्री श्रीनिवास के
महाप्रबंधक - है.बाद

श्री दामोदर भट्टड एस
महाप्रबंधक (वित्त) - सी.ओ.

लेखा परीक्षक

सांविधिक लेखा परीक्षक	शाखा लेखा परीक्षक	सचिवीय लेखा परीक्षक	लागत लेखा परीक्षक
मे. सूरी एंड कंपनी बेंगलूरु	मे. ताम्बी एंड जयपुरकर, पुणे मे. जे पी कपूर एंड उबेराय, नई दिल्ली मे. पिरामना एंड एसोसिएट्स, विजयवाड़ा	मे. तिरुपाल गोरिगे एंड एसोसिएट्स एलएलपी बेंगलूरु	मे. मूर्ति एंड कं. एलएलपी, बेंगलूरु

दौरे

एयर मार्शल विभास पांडे और भावासे के वरिष्ठ अधिकारियों की उनकी टीम

सुश्री गुंजन कृष्णा, भाप्रसे, आयुक्त - औद्योगिक विकास एवं निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, कर्नाटक सरकार

दौरे

▸ ले. जन अनिल कुमार

▸ मेजर जनरल एस मोहन

▸ रियर एडमिरल गुनिंदर सिंह जवांडा

▸ एयर मार्शल शशिकर चौधरी

मंडल की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी रिपोर्ट और लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम और कार्य-निष्पादन विशिष्टताएं

कंपनी के वित्तीय परिणाम और कार्य-निष्पादन विशिष्टताएं इस प्रकार हैं –

(रु. लाख में)

विवरण	2020–21	2019–20
उत्पादन का मूल्य	13,94,749	12,34,833
कारोबार	13,81,816	12,60,776
मूल्यह्रास, ब्याज और कर पूर्व लाभ	3,30,722	2,83,207
वित्त लागत	608	326
मूल्यह्रास और परिशोधन	36,633	34,964
कर पूर्व लाभ	2,93,481	2,47,917
कर के लिए प्रावधान	86,939	68,534
कर पश्चात लाभ	2,06,542	1,79,383
अन्य समग्र आय/(हानि)	(8,709)	(3,814)
कुल समग्र आय	1,97,833	1,75,569
लाभांश का भुगतान	1,02,337	75,534
लाभांश पर कर	-	15,439
सामान्य आरक्षण निधि में अंतरण	40,000	40,000
अन्य इक्विटी (आरक्षित और अधिशेष सहित)	10,56,423	9,60,928
कुल मालियत	10,80,789	9,85,294
प्रति शेयर अर्जन (रु. में)	8.48	7.36
प्रति शेयर पुस्त मूल्य (रु. में)	44.36	40.44

2020-21 के लिए उत्पादन के मूल्य का वितरण नीचे दिया गया है –

(रु. लाख में)

विवरण	राशि	प्रतिशत
सामग्री	7,95,715	57.05%
कर्मचारी लागत	1,94,068	13.91%
अन्य व्यय (निवल)	74,852	5.37%
मूल्यह्रास और परिशोधन	36,633	2.63%
कर के लिए प्रावधान	86,939	6.23%
कर पश्चात लाभ	2,06,542	14.81%
कुल	**13,94,749**	**100.00%**

कंपनी का कुल कारोबार 2019-20 में 12,60,776 लाख रु. से बढ़कर वर्ष 2020-21 के लिए 13,81,816 लाख रु. हो गया जिसमें 9.6% की वृद्धि दर्ज हुई है। पिछले वर्ष के 1,79,383 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ (पी.ए.टी.) 2,06,542 लाख रु. है। स्वदेशी रूप से विकसित उत्पादों का कारोबार 79% था। रक्षा आपूर्ति के लिए योगदान पिछले वर्ष के 82% की तुलना में 2020-21 में कारोबार का 78% था।

लाभांश

सेबी (एलओडीआर)विनियम, 2015 के विनियम 43क के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मंडल ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, सेबी, डीपीई, दीपम, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और कंपनी के लिए लागू सीमा तक अन्य दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लाभांश वितरण नीति तैयार की है। यह नीति (पॉलिसी) कंपनी की वेबसाइट https-//www.belindia.in/ContentPage.aspx?MId=17CId=527LId=1link=527 पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल ने वर्ष 2020-21 के लिए 1.20 रु. प्रति इक्विटी शेयर (120%) के लिए अंतिम लाभांश की राशि 29,239.12 लाख रु. की सिफारिश की है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए शेयरधारकों को पहला अंतरिम लाभांश 1.40 रु. प्रति इक्विटी शेयर (140%) और दूसरा अंतरिम लाभांश 1.40 रु. प्रति इक्विटी शेयर (140%) का भुगतान किया गया है। इस प्रकार, वर्ष 2020-21 के लिए कुल लाभांश 4.00 रु. प्रति इक्विटी शेयर (400%) है, जो 97,463.72 लाख रु. है।

आरक्षित निधि में अंतरण

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सामान्य आरक्षण निधि में 40,000 लाख रु. की राशि अंतरित की गई है।

शेयर पूंजी

31 मार्च 2021 को कंपनी की अधिकृत पूंजी 25,000 लाख रु. (1 रु. प्रत्येक के 250,00,00,000 इक्विटी शेयर) और चुकता शेयर पूंजी 24,366 लाख रु. थी। वर्ष के दौरान कंपनी की अधिकृत/चुकता शेयर पूंजी में कोई बदलाव नहीं हुआ।

निष्पादित प्रमुख आदेश

वर्ष के दौरान निष्पादित प्रमुख रक्षा और गैर-रक्षा परियोजनाओं में लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एलआरसैम) प्रणाली की आंशिक आपूर्ति, आईसीयू वेंटिलेटर, एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली (आईएसीसीएस), आकाश मिसाइल प्रणाली, टैंकों के लिए थर्मल इमेजर, वाहन आधारित आश्रय नेटवर्क (सम्युक्ता), विभिन्न रेडार, एएफनेट निष्पादन और सुरक्षा वृद्धि और सैटकॉम नेटवर्क, स्मार्ट सिटी परियोजना, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क (K-FON), संचार प्रणाली का उन्नयन (शक्ति चरण III), तटीय निगरानी प्रणाली (सीएसएस) फेज II) और नेवल एयरफील्ड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम (एनएआईएसएस) शामिल हैं।

निर्यात

आपकी कंपनी असैनिक बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए गृह भूमि सुरक्षा समाधान, सीमा सुरक्षा प्रणाली और अत्याधुनिक सिस्टम और समाधान और पेशेवर इलेक्ट्रॉनिक्स सहित रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों और प्रणालियों की निर्यात क्षमता का दोहन करने की दिशा में तेजी से ध्यान केंद्रित कर रही है, जो इसका मूल कारोबार क्षेत्र है।

बीईएल विदेशों और वैश्विक ओईएम को विभिन्न उत्पादों और प्रणालियों का निर्यात करता रही है। अपने वर्तमान और संभावित ग्राहकों के साथ स्वस्थ संबंध स्थापित करने और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर बीईएल नियमित रूप से विभिन्न उत्पादों और प्रणालियों की आपूर्ति के लिए विदेश मंत्रालय (एम.ई.ए.) और रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के साथ विचार-विमर्श कर रही है।

बीईएल विकसित, विकासशील और तीसरी दुनिया के देशों में नागरिक और चिकित्सा उपकरण बाजार की तलाश कर रही है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित समाधान, विभिन्न नागरिक परियोजनाओं के लिए सॉफ्टवेयर विकास, आईओटी सेंसर, सेंसर फ्यूजन और प्रबंधन प्रणाली, एकीकृत डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म सिस्टम, स्मार्ट हब, वीवीआईपी क्षेत्रों के लिए सुरक्षा पैकेज, स्मार्ट सिटी, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा विकास, सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजनाएं आदि जैसे उत्पाद और समाधान शामिल हैं।

बीईएल रक्षा खरीद प्रक्रिया में शामिल ऑफसेट नीति के कारण रक्षा मंत्रालय के विभिन्न प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आर.एफ.पी.) में ओईएम को ऑफसेट दायित्वों को पूरा करने में मदद करने के क्षेत्र में अवसरों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके लिए कंपनी विभिन्न प्रमुख विदेशी एयरोस्पेस और रक्षा कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है और साझेदारी कर रही है। बीईएल ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिद्ध उत्पादों और प्रणालियों की पेशकश भी कर रहा है। बीईएल ने उभरते निर्यात अवसरों के नए क्षेत्रों के रूप में अनुबंध निर्माण (बिल्ड टू प्रिंट और बिल्ड टू स्पेक) और नवीनतम प्रणालियों और समाधान के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की पहचान की है। इसके अलावा, वैश्विक खिलाड़ियों के साथ दीर्घकालिक आपूर्ति शृंखला कनेक्ट स्थापित करने के प्रयास जारी हैं।

बीईएल मुख्य रूप से विभिन्न 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसने प्रमुख प्लेटफॉर्म ओईएम और उनके टियर ख आपूर्तिकर्ताओं को अपने विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की पेशकश की है। इससे बीईएल को न केवल भारतीय कार्यक्रमों के लिए बल्कि वैश्विक आवश्यकताओं के लिए भी बीईएल में उत्पादों के निर्माण और बीईएल की सेवाओं के उपयोग के लिए विभिन्न ओईएम के साथ सह-विकास, सह-उत्पादन और इसी तरह की व्यवस्था के लिए साझेदारी का लाभ उठाने में मदद मिली है।

दुनिया भर में कोविड -19 महामारी के बावजूद, कंपनी ने 2020-21 के दौरान विभिन्न वैश्विक ग्राहकों जैसे अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इज़राइल, स्वीडन, म्यांमार, मॉरीशस, थाईलैंड और श्रीलंका से यू.एस. $ 56.61 मिलियन का निर्यात आदेश हासिल किया। इसके साथ, 1 अप्रैल 2021 को इसके पास यू.एस. $ 125 मिलियन से अधिक के निर्यात आदेश थे।

कंपनी ने 2020-21 के दौरान विभिन्न देशों जैसे स्विट्जरलैंड, अमेरिका, फ्रांस, इज़राइल, स्वीडन, सेशेल्स, मालदीव, श्रीलंका, एशियाई देशों और विभिन्न एस.ई.ज़ेड को 51.93 मिलियन अमेरिकी डॉलर की निर्यात बिक्री हासिल की। निर्यात किए गए प्रमुख उत्पादों/प्रणालियों में तटीय निगरानी प्रणाली रेडार, रेडार और ई.डबल्यू. सिस्टम की उप प्रणालियां, डेटा लिंक II, केबल लूम्स, यांत्रिक पुर्जे, संचार उपकरण, आई.एफ.एफ. -इंटरोगेटर, रेडार फिंगर प्रिंटिंग सिस्टम, ई.ओ.एस. पावर स्रोत, रेडार स्पेयर्स आदि शामिल थे।

निर्यात बिक्री में वृद्धि मुख्य रूप से कंपनी द्वारा किए गए केंद्रित प्रयासों और विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय और ग्राहकों के साथ निरंतर और केंद्रित चर्चा जैसे नई निर्यात पहलों, नई और पूर्ण प्रणाली और प्रक्रियाओं की पेशकश करने ग्राहकों के साथ सक्रिय दृष्टिकोण, ग्राहक आधार में वृद्धि करने, नई, अनुकूलित और महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू करने और ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें समय पर पूरा करने के कारण हुई। अनुकूलित समाधान और भावी खतरों और अवसरों को विकसित करने के लिए ग्राहकों को प्रदान की गई सहायता/सेवाओं में अधिक प्रयास किए गए।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान उत्पादों और सेवाओं के लिए नए बाजारों के विकास द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए की गई पहल –

❖ **2020–21 में की गई प्रमुख पहल**

- एक्जिम/क्रेता ऋण परियोजना – विभिन्न देशों के लिए बाजार में बढ़त के प्रयास।
- कीन्या, चिली, सूरीनाम, मलेशिया, नेपाल, बांग्लादेश में नए स्थानीय भागीदारों के साथ सहयोग।
- विभिन्न पड़ोसी देशों में जी2जी अवसरों की तलाश।
- ओईएम के साथ वैश्विक आपूर्ति शृंखला भागीदार के रूप में बीईएल के पैनल में वृद्धि करके अनुबंध निर्माण पोर्टफोलियो में वृद्धि।
- सुरक्षित वातावरण के तहत अपनी सॉफ्टवेयर क्षमताओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर टर्नकी समाधान के क्षेत्र में कारोबार का पता लगाया।
- भारतीय प्लेटफॉर्म निर्माताओं के साथ रणनीतिक गठबंधन और देश के भीतर मजबूत समर्थन बनाने के लिए प्रमुख भारतीय प्लेटफॉर्म निर्माताओं के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए चर्चा और प्रक्रियाएं शुरू करना।
- सर्वोत्तम मूल्य प्रस्ताव पेश करके वैश्विक बाजारों में जगह बनाने के लिए विदेशी ओईएम के साथ प्रस्तावित रणनीतिक गठबंधन।
- विदेशों में सरकारी निविदाओं में भागीदारी बढ़ाने की दिशा में प्रयास।

बीईएल नियमित रूप से भारत के मित्र देशों को क्रेडिट लाइन (एलओसी)/अनुदान के तहत उत्पादों/प्रणालियों की आपूर्ति के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय उच्चायोग, रक्षा अटैची और एमओडी, भारत के साथ विचार-विमर्श करती है।

❖ **विदेशों/ग्राहकों को पेश किए जाने वाले निम्नलिखित उत्पादों और प्रणालियों के लिए अपेक्षित प्रमुख–**

- तटीय निगरानी प्रणाली
- नौसेना प्रणाली और समाधान
- रेडार सिस्टम और समाधान
- नौसेना रेडार और सोनार का उन्नयन
- अनुबंध विनिर्माण
- संचार उपकरण
- इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एवियोनिक्स
- सौर ऊर्जा संयंत्र और उपकरण
- नागरिक और सॉफ्टवेयर समाधान

❖ **2020–21 के दौरान ऑफसेट कारोबार निम्नलिखित रहा –**

- डेटा लिंक II
- आईएफएफ – इंटरोगेटर
- रेडार फिंगर प्रिंटिंग सिस्टम
- ईओएस कम्पास
- थालेस, फ्रांस के लिए ई.डबल्यू. और रेडार सब-असेम्बली
- मिसाइल प्रणाली और समाधान
- केबल लूम्स

सरकार के साथ समझौता ज्ञापन

आपकी कंपनी हर वर्ष रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर करती आ रही है। सरकार द्वारा 2019-20 और 2020-21 के लिए एम.ओ.यू. रेटिंग समीक्षाधीन है।

आदेश बही की स्थिति

कंपनी की आदेश बही 1 अप्रैल 2021 को लगभग 53,434 करोड़ रु. है। आदेश बही में लंबी दूरी की सतह से हवाई मिसाइल सिस्टम (एलआरसैम), आकाश मिसाइल सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, बैटल फील्ड सर्विलांस सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, कोस्टल सर्विलांस सिस्टम, एडवांस कम्पोजिट कम्युनिकेशन सिस्टम, नेवल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट आदि जैसे प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं।

वित्त

इस वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के 280% की तुलना में 400% का लाभांश घोषित किया है। वर्ष 2019-20 के लिए 34,112 लाख रु. (140%) के अंतिम लाभांश के अलावा, जिसका भुगतान 2020-21 में किया गया था, वर्ष 2020-21 के दौरान 68,225 लाख रु. (280%) की राशि के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया है।

आने वाले वर्षों में अनुमानित वृद्धि प्राप्त करने के लिए, आपकी कंपनी द्वारा कुछ प्रमुख परियोजनाओं को शुरू करने के लिए केंद्रित पहल की जाती है, जो अच्छी तरह से प्रगति कर रही हैं और इन परियोजनाओं के परिणाम से कंपनी को कारोबार और विकास के नियोजित उच्च प्रक्षेपवक्र को प्राप्त कर सकेगी। ग्राहकों को कुछ बजटीय बाधाओं का सामना करने के बावजूद, आपकी कंपनी आंतरिक उपार्जन के माध्यम से सभी वृद्धिशील चल पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम रही है। इसने छोटी अवधि और लंबी अवधि के उधार दोनों के लिए आईसीआरए द्वारा उच्चतम रेटिंग बरकरार रखी है।

31 मार्च 2020 को कंपनी की इन्वेंट्री स्थिति (निवल) 3,96,275 लाख रु. की तुलना में 31 मार्च 2021 को 4,95,467 लाख रु. थी। यह पिछले

वर्षों में 117 दिन के मुकाबले 31 मार्च 2021 को उत्पादन मूल्य के 130 दिन होते हैं।

31 मार्च 2020 को व्यापार प्राप्य (निवल) की स्थिति 6,73,291 लाख रु. की तुलना में 31 मार्च 2021 को 6,55,154 लाख थी। यह कारोबार पिछले वर्ष के दौरान हासिल किये 195 दिनों के मुकाबले 31 मार्च 2021 को 173 दिनों का कारोबार होता है। व्यापार प्राप्तियों में कमी मुख्य रूप से वर्ष के दौरान देनदारों के संग्रह के लिए किए गए विशेष प्रयासों के कारण थी।

जमा

कंपनी के पास वर्तमान में कोई सार्वजनिक जमा योजना नहीं है। हालांकि, 31 मार्च 2021 को कंपनी के पास परिपक्व सार्वजनिक जमा राशि (फरवरी 2006 से पहले एकत्रित) 36.95 लाख रु. थी। इसमें से 36.50 लाख रु. की राशि की 34 जमाओं का दावा नहीं किया गया है या इन खातों का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि कर्नाटक लोकायुक्त की सलाह पर इन खातों पर रोक लगा दी गई थी। जमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अपर्याप्त दस्तावेजों/अभिलेखों के कारण 31 मार्च, 2021 को 0.45 लाख रु. की शेष परिपक्व जमाराशियां का भुगतान नहीं किया गया है।

अनुसंधान एवं विकास

कंपनी का अनुसंधान एवं विकास दर्शन अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) के माध्यम से रक्षा और पेशेवर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उत्पादों/सेवाओं में अपनी श्रेष्ठता को बढ़ाना है। कंपनी का आर एंड डी विंग अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मॉड्यूल के साथ निर्मित नए उत्पादों के विकास के लिए प्रयास करता है। ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, कंपनी द्वारा विकसित उत्पाद अत्याधुनिक और उच्चतम स्तर की गुणवत्ता के साथ प्रतिस्पर्धी भी हैं।

अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) बीईएल की मुख्य ताकत रहा है, जबकि आंतरिक और सहयोगी आर एंड डी मोड के माध्यम से आर एंड डी की दक्षता और प्रासंगिकता को बढ़ाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। बीईएल के विभिन्न प्रभाग सामरिक घटकों, प्रौद्योगिकी मॉड्यूल, उप-प्रणालियों, उत्पादों, प्रणालियों और प्रणालियों की प्रणालियों के विकास में शामिल हैं।

बीईएल के पास त्रि-स्तरीय आर एंड डी संरचना है, अर्थात्, केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (सीआरएल), उत्पाद विकास और नवाचार केंद्र (पीडी एंड आईसी) और रणनीतिक व्यापार यूनिटें (एसबीयू)/यूनिटों से जुड़े विकास और इंजीनियरिंग (डी एंड ई) समूह। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) द्वारा प्रमाणित बीईएल के सभी अनुसंधान एवं विकास केंद्र पूरे भारत में स्थित हैं; प्रत्येक एसबीयू और यूनिटों में डी एंड ई बेंगलूरु, चेन्नै, गाज़ियाबाद, हैदराबाद, कोटद्वार, मछलीपट्टनम, नवी मुंबई, पंचकूला और पुणे, बेंगलूरु में पीडी एंड आईसी और बेंगलूरु और गाज़ियाबाद में सीआरएल हैं। आर एंड डी प्रयोगशालाएं (सीआरएल/पीडी एंड आईसी/डी एंड ई) तीन साल की आर एंड डी योजनाओं के आधार पर और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा बजट/समय के उचित अनुमोदन के बाद, पहचाने गए प्रौद्योगिकी और उत्पाद क्षेत्रों में काम करती हैं।

आंतरिक प्रयासों के अलावा, बीईएल के आर एंड डी इंजीनियर डीआरडीओ, इसरो, सीएसआईआर, अन्य अनुसंधान प्रयोगशालाओं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों, ओईएम/उद्योग, विशेषज्ञों/सलाहकारों, एमएसएमई और स्टार्ट-अप के साथ विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में आर एंड डी सहयोग के द्वारा सहयोग कर रहे हैं। बीईएल ने कई व्यावसायिक क्षेत्रों में उत्पादों/समाधानों का सह-निर्माण करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है।

एसबीयू/यूनिटों में डी एंड ई समूह अंतिम उपयोगकर्ताओं को सिस्टम और सिस्टम समाधान प्रदान करते हैं। इस दिशा में, वे सीआरएल, पीडी एंड आईसी और सहयोगी आर एंड डी भागीदारों के माध्यम से विकसित आवश्यक प्रौद्योगिकी मॉड्यूल और सबसिस्टम प्राप्त करते हैं। वे इन प्रणालियों को सेवा में शामिल करने की प्रक्रिया में आवश्यक सभी मूल्यांकन और परीक्षण करते हैं। वे पूरे उत्पाद जीवन-चक्र के दौरान तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैं और अप्रचलन प्रबंधन का भी ध्यान रखते हैं।

2020-21 के दौरान शुरू की गई डी एंड ई परियोजनाएं - वर्ष 2020-21 के दौरान आंतरिक विकास और सहयोगात्मक प्रयासों (मुख्य रूप से डीआरडीओ के साथ) दोनों के माध्यम से कई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं। 2020-21 में शुरू की कई प्रमुख परियोजनाएं परियोजना हिमस्रावन के लिए संचार ईएसएम, परियोजना शत्रुघात और समाघात (एस एंड एस) की यूनिटें, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल (वीएलएसआरसैम), सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो (एसडीआर-डी, वी/यूएचएफ मैनपैक) के लिए मल्टी-फंक्शन रेडार हैं। मैनपैक), एसएसपीए आधारित एक्स-बैंड डॉपलर मौसमी रेडार, हेलीकॉप्टर से हल्के वजन वाले टॉरपीडो की फायरिंग के लिए हथियार प्रणाली और एयरबोर्न फायर कंट्रोल सिस्टम।

2020-21 के दौरान कार्यान्वित डी एंड ई परियोजनाएं - वर्ष 2020-21 के दौरान कार्यान्वित/पूरी की गई कुछ प्रमुख परियोजनाएं आकाश-एनजी के लिए सिस्टम, लिनक्स यू2 गन फायर कंट्रोल सिस्टम के लिए कॉम्पैक्ट ट्रैकिंग रेडार, मल्टी टारगेट ट्रैकिंग रेडार के लिए प्रौद्योगिकी मॉड्यूल, एकीकृत वायु कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम (आईएसीसीएस) बैच 2, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के वेरिएंट, लो प्रोफाइल Ku बैंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑन मूव (एसओटीएम) मोबाइल टर्मिनल, P-15B क्लास के जहाजों के लिए कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर (ईसीएम) जैमर मार्क-III और 3डी ई/एफ बैंड एयरपोर्ट निगरानी रेडार (एएसआर) के लिए डिजिटल बीम फॉर्मर।

वर्ष के दौरान प्राप्त महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं विकास पुरस्कार/मान्यताएं इस प्रकार हैं - प्रौद्योगिकी नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास की श्रेणियों में वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए सोडेट का पुरस्कार और डिजिटल इंडिया में उत्कृष्टता/'बीईएल ई-सम्मेलन टूल (बेस्ट)' के लिए आईसीटी के उपयोग के लिए 'स्कॉच अवार्ड 2020'।

बीईएल ने निम्नलिखित को समय पर पूरा करके आर एंड डी के संबंध में सभी समझौता ज्ञापन मानकों को पूरा किया है –

1. लिनक्स यू2 फायर कंट्रोल सिस्टम के लिए कॉम्पैक्ट ट्रैकिंग रेडार
2. मुंबई मोनोरेल के लिए ट्रेन सिम्युलेटर
3. स्निपर राइफल के लिए अन-कूल्ड थर्मल इमेजर (यूटीआई)
4. चार ए.आई. सक्षम परियोजनाएं-
   - क. निगरानी अनुप्रयोगों के लिए ए.आई. सक्षम संकेत पहचान
   - ख. ए.आई. सक्षम स्वचालित सूचना प्राप्ति और संश्लेषण
   - ग. ए.आई. आधारित ट्रैफिक एनालिटिक्स मॉड्यूल
   - घ. वायु संचालन के लिए टेम्प्लेटिंग का उपयोग करके दुश्मन के लक्ष्य के लिए ए.आई. सक्षम गतिविधि अनुमान (C4I)

कोच्चि में बीईएल आर एंड डी प्रकोष्ठ ने सोनार और सिमुलेटर के लिए मुख्य प्रौद्योगिकी मॉड्यूल को हासिल किया है। आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क में बीईएल आर एंड डी सेल 5G संचार प्रणालियों के लिए मुख्य प्रौद्योगिकी मॉड्यूल विकसित कर रही है।

वर्ष 2020-21 के दौरान आंतरिक/सहयोगी विकास प्रयासों के माध्यम से विकसित नए उत्पाद इस प्रकार हैं-

1. **लो प्रोफाइल Ku बैंड एसओटीएम-** उपग्रह संचार एक चल मोबाइल टर्मिनल है जो उपग्रह आधारित संचार प्रदान करने में सक्षम है जो लिंक को बनाए रखने के लिए चलते-फिरते ट्रैकिंग में सहायता और निर्बाध संचार प्रदान करता है।

2. **इंस्टेंट फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम (आईएफडीएसएस)-** आईएफडीएसएस आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल (एएफवी) के लिए डीआरडीओ के साथ संयुक्त रूप से विकसित एक डिजिटल सिस्टम है, जो आईआर डिटेक्टरों का उपयोग करके क्रू कंपार्टमेंट में हाइड्रोकार्बन ईंधन की आग का पता लगाने के लिए, रैखिक थर्मल डिटेक्टर का उपयोग करके इंजन कंपार्टमेंट और आग के स्वचालित शमन का उपयोग करता है।

3. **स्वदेशी एएसआर-एमएसएसआर-** हवाईअड्डा निगरानी रेडार (एएसआर) मोनो-पल्स सेकेंडरी सर्विलांस रेडार (एमएसएसआर) के साथ सह-माउंटेड है जो निगरानी क्षेत्र के भीतर पता लगाए गए लक्ष्यों के स्थान और वांछित मौसम के साथ निर्बाध हवाई यातायात नियंत्रण एप्लिकेशन के लिए निगरानी डेटा प्रदान करता है।

4. **बैटल फील्ड सर्विलांस रेडार (अपग्रेड)-** बीएफएसआर हल्का, मैन-पोर्टेबल और रेंगने वाले व्यक्ति, अकेले व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह और छोटे, मध्यम और बड़े वाहनों का पता लगाने और ट्रैकिंग के लिए प्रभावी है, जिसे विस्तारित रेंज, थर्मल इमेजिंग कैमरा इंटीग्रेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लक्ष्यों का स्वचालित वर्गीकरण के लिए अपग्रेड किया गया।

5. **लिनक्स यू2 जीएफसीएस के लिए कॉम्पैक्ट ट्रैकिंग रेडार (सीटीआर)-** सीटीआर लिनक्स यू2 गन फायर कंट्रोल सिस्टम के लिए स्वायत्त खोज और सतह लक्ष्य ट्रैकिंग के साथ स्वदेशी ट्रैकिंग X-बैंड रेडार है।

6. **पी-15बी श्रेणी के जहाजों के लिए लड़ाकू प्रबंधन प्रणाली-** सीएमएस प्रणाली ने नौवहन और निगरानी के साथ आम परिचालन और सामरिक तस्वीर प्रदान करने, भूतल युद्ध, विमान/हेलीकाप्टर नियंत्रण, पनडुब्बी रोधी युद्ध, वायु युद्ध रोधी, इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध और डेटा लिंक कार्यों के लिए जहाज पर सेंसर और हथियार प्रणालियों (पी15बी क्लास) को जोड़ने के लिए सुविधाओं और क्षमताओं को बढ़ाया है।

7. **सीएमएस-17 के लिए एंटी-सबमरीन वारफेयर (एएसडबल्यू) फ्लीट कार्यात्मकता-** सीएमएस-17 कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एंटी-सबमरीन वारफेयर (एएसडबल्यू) फ्लीट कार्यात्मकता को वेपन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स इंजीनियरिंग एस्टैब्लिशमेंट (वीसी) के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया और सीएमएस एएसडबल्यू बेड़े के साथ अन्य जहाजों के साथ अंतर-संचालित किया गया। ।

8. **पी-17A के लिए उन्नत समग्र संचार प्रणाली (एसीसीएस)-** एसीसीएस एक आईपी आधारित अत्यधिक लचीली एकीकृत संचार प्रणाली है जो जहाज से जहाज, जहाज से किनारे और जहाज से हवा में संचार की सुविधा प्रदान करने के लिए वीएलएफ/एमएफ/एचएफ/यूएचएफ और सैटकॉम बैंड ऑनबोर्ड शिप (पी17ए श्रेणी) पर त्वरित और विश्वसनीय संचार प्रदान करती है।

9. **कंपोज़िट संचार प्रणाली (सीसीएस) मार्क-II-** पनडुब्बी के लिए सीसीएस मार्क-II प्रणाली सामरिक आदेशों को संप्रेषित करने, सामरिक सर्किट के संचालन, पर्यवेक्षी, नैदानिक और अन्य विविध सेवाएं के संबंध में बोर्ड पनडुब्बियों पर प्राथमिक बाहरी संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियंत्रण और निगरानी उपप्रणाली और संबद्ध उपकरण प्रदान करती है।

10. **इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर (ईसीएम) जैमर मार्क-III-** काउंटर रेडियो कंट्रोल्ड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस (आरसीआईईडी) उपकरण में वीआईपी /सेना के काफिले की सुरक्षा के लिए स्मार्ट सेल फोन जैमिंग तकनीक है।

11. **3डी एएसआर के लिए डिजिटल बीम फॉर्मर-** 3डी एयरपोर्ट सर्विलांस रेडार (ई/एफ बैंड) के लिए प्रोग्रामेबल डिजिटल बीम फॉर्मर में ऊंचाई पर लक्ष्य का पता लगाने के लिए मल्टी-चैनल प्रोसेसिंग है।

12. **सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के वेरिएंट–** सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो एसडीआर–नेवल कॉम्बैट, एसडीआर–मैनपैक, एसडीआर–हैंड हेल्ड, एयरबोर्न एसडीआर–एआर, कम तीव्रता वाले संघर्ष की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के लिए एचएफ/वीएचएफ 100डबल्यू रेडियो, जहाज, तट और हवाई तैनाती के लिए अभीष्ट जैसे विभिन्न वेरिएंट के साथ नेटवर्क–केंद्रित युद्ध संचालन की संचार जरूरतों को पूरा करने के लिए आवाज और डेटा संचालन दोनों की सहायता करते हैं, जिसे डीआरडीओ के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

13. **संयुक्ता इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर गैर–** संचार एन्टिटी- डीआरडीओ के साथ संयुक्त रूप से विकसित खोज, निगरानी, विश्लेषण, दिशा खोज, स्थान निर्धारण और जैमिंग कार्यात्मक संचालन करने के लिए मोबाइल एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम।

14. **पुनःइंजीनियरीकृत आरएडबल्यूएल–02–मार्क–II–ए रेडार–** पुनः इंजीनियरीकृत सिस्टम आरएडबल्यूएल –02–मार्क–IIए रेडार के लिए कॉम्पैक्ट चिलर और बेहतर रेडार कंट्रोलर के साथ आरएफ डिजिटल हाइब्रिड रिसीवर, कॉम्पैक्ट डेटा और प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोफाइल आधारित रेडार ऑपरेशन हैं।

15. **आईएफएफ मार्क–XII(S) इंटरोगेटर–** मित्र या शत्रु की पहचान के लिए इंटरोगेटर हथियार प्रणाली के लिए मार्क–XII(S) हासिल किया गया है।

16. **इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम (आईएसीसीएस)–** इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम (आईएसीसीएस) बैच 2, मेन नोड, वॉर गेमिंग जैसी कार्यात्मकता और सिमुलेटर की विफलता के मामले में स्टैंडबाय नोड से सब–नोड तक अतिरिक्त स्तर की अतिरेकता प्रदान करता है।

17. **पैनोरमिक नाइट विजन गॉगल्स (एनवीजी)–** निगरानी एप्लिकेशन के लिए हल्के वजन वाले एविएशन गॉगल्स को बिना सिर हिलाए परिदृश्य के पूर्ण दृश्य को दिखाने और असाधारण गहन धारणा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

18. **आर्टिलरी कॉम्बैट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम (शक्ति) चरण III–** एसीसीसीएस सिस्टम सभी आर्टिलरी परिचालन कार्यों को स्वचालित और एकीकृत करता है और संचार के लिए आर्टिलरी कमांड के सभी स्तरों पर कमांड डाउन से बैटरी/गन तक एक नेटवर्क वातावरण में इनबिल्ट ग्रेडेड गोपनीयता के साथ निर्णय सहायता प्रदान करता है।

19. **तटीय निगरानी प्रणाली (सीएसएस) चरण 2–** रेडार स्टेशनों, मोबाइल स्टेशनों और डेटा केंद्रों के लिए सीएसएस सबसिस्टम, भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के लिए निर्णय सहायता और रिकॉर्ड–रीप्ले जैसी सुविधाओं को शामिल किया गया है।

20. **एनक्रिप्टर–** लिंक एनक्रिप्टर फॉर वर्सेटाइल एनवायरनमेंट (लाइव) मार्क–II और सिक्योर मल्टी इंटरफेस लिंक एनक्रिप्टर (स्माइल) मार्क–II को हाई–स्पीड लिंक्स पर संप्रेषित संवेदनशील डेटा को सुरक्षित करने के लिए विकसित किया गया है।

21. **अनुकूली यातायात नियंत्रण प्रणाली (एटीसीएस)–** एक केंद्रीय स्थान से वास्तविक समय यातायात की स्थिति के आधार पर, शहर भर में स्थापित स्मार्ट शहरों में अनुकूली यातायात नियंत्रण का उपयोग करके सिग्नल समय में सुधार के लिए वास्तविक समय यातायात की स्थिति की निगरानी के लिए विकसित प्रणाली निर्बाध आवागमन के लिए ग्रीन कॉरिडोर सिंक्रनाइज़ेशन, एम्बुलेंस/वीआईपी प्रदान करती है।

22. **इलेक्ट्रिक गन और टरेट ड्राइव सिस्टम–** ब्रशलेस ड्राइव और गन स्थिरीकरण पर आधारित ट्रैवर्स एक्सिस और एलिवेशन एक्सिस में आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स (एएफवी) के लिए इलेक्ट्रिक गन और टरेट ड्राइव सिस्टम को हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम को बदलने के लिए विकसित किया गया है।

23. **कंटेनरीकृत मोबाइल जल शोधन प्रणाली–** अत्यधिक गंदगी, पूर्णतः घुले ठोस पदार्थों, बैक्टीरिया, वायरस और लौह मात्रा वाले पानी को बीआईएस मानकों के अनुरूप पेयजल में शुद्ध करने के लिए परिवहन योग्य कंटेनरीकृत प्रणाली।

24. **बैटरी–** दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और ई–साइकिलों के लिए लियॉन बैटरी हासिल की गई हैं।

25. **हथियार प्रणाली के लिए सिम्युलेटर–** हथियार प्रणाली ऑपरेटरों को प्रशिक्षित करने के लिए कक्षा–आधारित सिम्युलेटर के साथ ऑपरेटर प्रशिक्षण प्रणाली।

26. **मुंबई मोनोरेल के लिए ट्रेन सिम्युलेटर–** 3डी टेरेन के लिए विजुअल डिस्प्ले सिस्टम, 3डी विज़ुअलाइज़ेशन और वास्तविक नियंत्रण और संकेतक के साथ डैशबोर्ड वाले ड्राइवर कम्पार्टमेंट के पूर्ण मॉक–अप वाले, इंस्ट्रक्टर स्टेशन, प्रशिक्षुओं के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए डेटा और अभ्यास का रिकॉर्ड रिप्ले के साथ मुंबई मोनोरेल के लिए ट्रेन ड्राइविंग सिम्युलेटर।

27. **मोशन–आधारित वाहन (बस) ड्राइविंग सिम्युलेटर–** बेंगलूरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (बीएमटीसी) के लिए मोशन प्लेटफॉर्म के साथ बस ड्राइविंग सिम्युलेटर जिसमें 6 डोओएफ मोशन प्लेटफॉर्म पर लगे नियंत्रणों वाला बस ड्राइवर केबिन का पूर्ण मॉक–अप, 3डी टेरेन और 3डी विज़ुअलाइज़ेशन में सहायक, इंस्ट्रक्टर स्टेशन, प्रशिक्षुओं के निष्पादन मूल्यांकन के लिए डेटा और अभ्यासों का रिकॉर्ड रीप्ले लगा है।

भावी कार्य योजना– विकास और परिवर्तन के उद्देश्य के साथ तालमेल बिठाने के लिए संगठन में नवीन उत्पादों/सेवाओं के लिए अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाने की योजना है। आर एंड डी, डी एंड ई, पीडी एंड आईसी और सीआरएल के सभी स्तर विकास के नए क्षेत्रों की पहचान करने और आंतरिक विकास के माध्यम से आवश्यकताओं को पूरा करने में एक दूसरे के पूरक के रूप में सहयोग करना जारी रखेंगे। बीईएल ने अपने ग्राहकों की लगातार उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ विविधीकरण के लिए अनुसंधान एवं विकास में निवेश जारी रखने की योजना बनाई है। जबकि आंतरिक विकास पर अत्यधिक जोर दिया जाएगा, फिर भी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों, उद्योग और एमएसएमई के साथ सहयोग को भी मजबूत करना जारी रहेगा। हथियारों और गोला-बारूद, मानव रहित प्रणालियों, चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स, मेट्रो रेलवे, GaN उपकरणों आदि के विविध क्षेत्रों में संकेद्रित प्रौद्योगिकी/उत्पाद विकास के प्रयास शुरू किए गए हैं। ए.आई. पर विशेष जोर दिया जा रहा है और हर साल विशिष्ट परियोजनाओं को निर्धारित और पूरा किया जा रहा है।

स्थापित नई सुविधाएं

वैश्विक अवसरों के लिए उन्नत बने रहने और व्यवसाय में सर्वश्रेष्ठ बने रहने के लिए बुनियादी ढांचे में वृद्धि कंपनी के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने संयंत्र और मशीनरी के आधुनिकीकरण, परीक्षण उपकरणों, अनुसंधान एवं विकास निवेश, बुनियादी ढांचे के उन्नयन आदि की दिशा में अपने पूंजीगत व्यय के हिस्से के रूप में लगभग 48,000 लाख रुपये खर्च किए।

2020-21 के दौरान स्थापित कुछ प्रमुख सुविधाएं इस प्रकार हैं-

- एडवांस टॉरपीडो डिकॉय सिस्टम (ATDS) मारीच इंटीग्रेशन फैसिलिटी, बेंगलूरु
- उत्पाद विकास एवं नवाचार केंद्र (PDIC), बेंगलूरु का उन्नयन।

सूचना प्रौद्योगिकी (IT) पहल–

सैप में स्वचालन और डिजिटलीकरण के लिए विभिन्न नई प्रक्रियाएं शुरू की गई हैं। सैप FLM का उपयोग सभी दूरस्थ कार्यालयों में उपलब्ध नहीं था। CRM फ़ाइल प्रबंधन प्रणाली इंटरनेट सिस्टम का उपयोग करके फ़ाइलें बनाने और स्वीकृत करने के लिए एक सरलीकृत प्रणाली है। दूरस्थ कार्यालयों के लिए कर्मचारी स्वयं सेवा (ESS) के लिए पहुँच प्रदान की जाती है।

मौजूदा परिसंपत्तियों के साथ-साथ नई परिसंपत्तियों पर नज़र रखने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक के माध्यम से एसेट ट्रैकिंग को शुरू किया गया है। इस प्रक्रिया को सैप के साथ एकीकृत किया गया है। RFID टैग उत्पन्न के जाते हैं और सभी संपत्तियों पर वास्तविक रूप से चिपकाए जाते हैं।

बीईएल परिसर के बाहर से लॉग इन करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट ईमेल के लिए बेतरतीब ढंग से उत्पन्न ग्रिड पिन का उपयोग करके दो-कारक प्रमाणीकरण जैसे विभिन्न साइबर सुरक्षा पहल की गई हैं। यह पारगमन के दौरान पासवर्ड की हैकिंग और डेटा लीकेज से सुरक्षा प्रदान करता है। इंट्रानेट और इंटरनेट डेटा केंद्रों दोनों के लिए VAPT पूरा कर लिया गया है। ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम के लिए SRM के लिए Far-DR स्थापित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 से सीधे सैप से वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किया जा रहा है।

गुणवत्ता

गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, नवाचार बीईएल की व्यावसायिक पहल के तीन मार्गदर्शक स्तंभ हैं। कंपनी विश्व स्तरीय गुणवत्ता प्रणालियों के अनुरूप एक प्रक्रिया दृष्टिकोण के माध्यम से निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। सभी यूनिटें/रणनीतिक व्यावसायिक यूनिटें (एसबीयू)/सामान्य सेवा समूह (CSG) आईएसओ 9001 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (QMS) से मान्यता प्राप्त हैं। कंपनी की सोलह यूनिटों/एसबीयू ने अपने QMS को एयरोस्पेस स्टैंडर्ड, AS9100D में अपग्रेड किया है। कंपनी की सभी यूनिटें आईएसओ 14001 प्रमाणन के माध्यम से पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध हैं। गाज़ियाबाद इकाई ने अपने OHSAS को आईएसओ 18001 से आईएसओ 45001 में अपग्रेड किया है।

कंपनी की नौ यूनिटें/एसबीयू/डिवीजन सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली ISMS आईएसओ 27001 के लिए प्रमाणित हैं। उत्पाद विकास और नवाचार केंद्र (पीडी एंड आईसी) AS9100D के लिए प्रमाणित है और पहली बार सेंटर फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट (CLD) आईएसओ 9001-2015 के लिए प्रमाणित है। वर्ष के दौरान SC और US एसबीयू को आईएसओ 9001 से AS9100D में अपग्रेड किया गया था, और पीडी एंड आईसी को पहला ISMS आईएसओ 27001 प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ था। निर्यात विनिर्माण (EM) EM ने आईसीयू वेंटिलेटर के लिए आईएसओ 13485 चिकित्सा उपकरण QMS प्रमाण-पत्र प्राप्त किया और गाज़ियाबाद इकाई ने अपने QMS प्रमाण-पत्र को आईएसओ 18001 से आईएसओ 45001 में अपग्रेड किया है। बेंगलूरु कॉम्प्लेक्स (परिसर), गाज़ियाबाद, पंचकूला और नवी मुंबई यूनिटों के परीक्षण उपकरण अंशांकन और रखरखाव विभाग आईएसओ/IEC 17025 मानकों के अनुसार NABL द्वारा प्रमाणित हैं। सॉफ्टवेयर एसबीयू CMMi स्तर 5 और ITSMS आईएसओ 20000-1 के लिए भी प्रमाणित है। गाज़ियाबाद, सीआरएल - गाज़ियाबाद, चेन्नै, हैदराबाद यूनिटों के NCS और DCCS एसबीयू CMMi स्तर 3 के लिए प्रमाणित हैं।

इस वर्ष कंपनी की उल्लेखनीय उपलब्धि 1 एसबीयू, 1 उत्पाद ग्रीन चैनल प्रमाण-पत्र से 41 उत्पाद, 10 यूनिटों/एसबीयू को कवर करने वाले 12 प्रमाणपत्रों की ओर बढ़ रही है। बीईएल में 2002 से बिजनेस एक्सीलेंस के लिए यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट (EFQM) मॉडल का पालन किया जा रहा है। बीईएल ने नए EFQM मॉडल 2019 के गहन अभियान के लिए एक रोडमैप तैयार किया है और चुनौतीपूर्ण CII एक्जिम अवार्ड के लिए यूनिटों की पहचान की है।

वर्ष के दौरान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, बेंगलूरु द्वारा विभिन्न यूनिटों के 20 वरिष्ठ अधिकारियों को 'सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट' के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 535 सिक्स सिग्मा परियोजनाएं पूरी की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को 176 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत हुई है। क्षेत्रीय/राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए नामांकित 30 सिक्स सिग्मा परियोजनाओं में से 15 को क्षेत्रीय स्तर के पुरस्कार और 15 परियोजनाओं को राष्ट्रीय स्तर के चैंपियनशिप पुरस्कार प्राप्त हुए।

कंपनी ने गुणवत्ता नियंत्रण सर्किलों (क्यूसीसी) के माध्यम से गुणवत्ता अभियान में गैर-कार्यकारियों की भागीदारी की सुविधा प्रदान की है। वर्ष 2020-21 के दौरान, विभिन्न क्यूसीसी टीमों द्वारा 781 क्यूसीसी प्रस्तुतियाँ दी गई हैं। कई क्यूसीसी टीमों को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए नामांकित किया जाता है और सभी को विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए चुना जाता है। बेंगलूरु कॉम्प्लेक्स के मिलकॉम एसबीयू से एक क्यूसीसी टीम करंजा ने ढाका, बांग्लादेश में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आईयूक्यूसीसी 2020 में बीईएल का वर्चुअल रूप से प्रतिनिधित्व किया और 'प्लैटिनम पुरस्कार' जीता। वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 4464 सुझावों को पुरस्कृत किया गया है। चयनित कर्मचारियों ने भारतीय राष्ट्रीय सुझाव योजना संघ (INSSAN) द्वारा आयोजित 31वें राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

वर्ष के दौरान, इन्सान (INSSAN) द्वारा आयोजित 'सुझाव योजना प्रतियोगिता 2019-20 में उत्कृष्टता' में इंजीनियरिंग उद्योग श्रेणी के तहत बेंगलूरु कॉम्प्लेक्स को प्रथम पुरस्कार मिला।

कंपनी ने अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी (ASQ) द्वारा विश्वसनीयता 'प्रमाणित विश्वसनीयता इंजीनियर (CRE)' प्रमाणीकरण पर वैश्विक प्रमाणन के लिए डी एंड ई इंजीनियरों को नामित किया है। वर्ष के दौरान, 45 डी एंड ई और परीक्षण इंजीनियरों को CRE के रूप में प्रमाणित किया गया है। कंपनी को भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट (DFSS-GB) प्रमाणन के लिए डिजाइन के लिए डी एंड ई इंजीनियर्स भी नामित किया गया है। वर्ष के दौरान 69 डी एंड ई इंजीनियरों को 'DFSS ग्रीन बेल्ट' के रूप में प्रमाणित किया गया। वर्ष के दौरान, 24 मध्य-स्तर और वरिष्ठ अधिकारियों को भारतीय सांख्यिकी संस्थान, बेंगलूरु द्वारा 'बिजनेस एनालिटिक्स एंड डेटा मैनेजमेंट' पर प्रशिक्षित किया गया।

कंपनी ने ASQ द्वारा संचालित 'प्रमाणित सॉफ्टवेयर गुणवत्ता इंजीनियर (CSQE)' पर वैश्विक प्रमाणन के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर नामित किया है, और वर्ष के दौरान, 18 इंजीनियरों को CSQE के रूप में प्रमाणित किया गया था। वर्ष के दौरान, 39 ऑपरेटिंग स्तर के गुणवत्ता इंजीनियरों को ASQ द्वारा 'प्रमाणित गुणवत्ता इंजीनियर्स (CQE)' के रूप में प्रमाणित किया गया था।

कंपनी ने ASQ द्वारा "प्रमाणित आपूर्तिकर्ता गुणवत्ता पेशेवर (CSQP)" पर वैश्विक प्रमाणन के लिए खरीद, उप-संविदा, उत्पादन नियंत्रण जैसे आपूर्ति श्रृंखला क्षेत्रों में काम करने वाले कार्यकारी अधिकारियों को भी नामित किया है, और वर्ष के दौरान, 8 कार्यकारी अधिकारियों को CSQP के रूप में प्रमाणित किया गया है। वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए ASQ द्वारा गुणवत्ता और संगठन उत्कृष्टता (CMQOE) के लिए प्रमाणित प्रबंधक भी वर्ष के दौरान आयोजित किया गया है और 13 वरिष्ठ अधिकारियों को CMQOE के रूप में प्रमाणित किया गया है।

आंतरिक गुणवत्ता मान्यता पुरस्कार (QRA) 2020 में बेंगलूरु कॉम्प्लेक्स के एमआर-एसबीयू ने प्रथम पुरस्कार जीता, कोटद्वार और पंचकूला यूनिटों ने क्रमशः दूसरा और तीसरा पुरस्कार जीता।

परियोजना प्रबंधन की संस्कृति विकसित करने के लिए परियोजना प्रबंधन पेशेवरों (PMP) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वर्ष के दौरान 99 PMP परियोजना प्रबंधन संस्थान (PMI) द्वारा प्रमाणित किए गए हैं।

इस वर्ष कंपनी ने एकीकृत ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित किया है और आदेश के चरण से लेकर निष्पादन और PDCA दृष्टिकोण के साथ अंतिम उपयोगकर्ता चरण के माध्यम से बाहरी ग्राहकों की समग्र धारणाओं को प्राप्त किया है। तीन चरणों के लिए प्रश्नावली विकसित और वितरित की जाती है और विभिन्न विश्लेषणात्मक तकनीकों का उपयोग कर बाहरी सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा ग्राहक प्रतिक्रिया प्राप्त और विश्लेषण किया जाता है। कंपनी ने 51.98 के शुद्ध प्रमोटर स्कोर के साथ 82.66% का उत्कृष्टता ग्राहक संतुष्टि सूचकांक प्राप्त किया, जो बेंचमार्क कंपनियों की तुलना में सराहनीय है।

मानव संसाधन

आपकी कंपनी के पास 31 मार्च 2021 को 9,172 कर्मचारी थे, जबकि 31 मार्च 2020 को 9,279 कर्मचारी थे। इन कर्मचारियों में से 4,841 इंजीनियर/वैज्ञानिक थे और 2,001 महिला कर्मचारी थीं। वर्ष के दौरान कुल 245 कर्मचारियों को भर्ती किया गया। वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति (SC) के 38 कर्मचारी, अनुसूचित जनजाति (ST) के 22 कर्मचारी, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के 67 कर्मचारी और अल्पसंख्यक समुदाय के 21 कर्मचारियों की भर्ती की गई।

आपकी कंपनी आरक्षण पर सरकार के निर्देशों का पालन कर रही है। 31 मार्च 2021 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों का विवरण इस प्रकार है-

कर्मचारियों की श्रेणी	**कार्यपालक**		**गैर-कार्यपालक**	
	ग्रुप 'क'	**ग्रुप 'ख'**	**ग्रुप 'ग'**	**ग्रुप 'घ'**
अनुसूचित जाति	1,060	30	538	25
अनुसूचित जनजाति	368	11	130	17
OBC	1343	39	765	30
भूतपूर्व सैनिक	84	-	271	26
विकलांग (दिव्यांग)	93	5	110	2

तकनीकी, कार्यात्मक, प्रबंधकीय और नेतृत्व क्षेत्रों में दक्षता बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न ग्रेड में पदोन्नत होने वाले कार्यकारी अधिकारियों की विकसित प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रमुख संस्थानों के साथ संरचित कार्यकारी विकास कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए गए थे। प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में वर्ष के दौरान मानव संसाधन पहल पर एक विस्तृत विवरण अलग से प्रदान किया गया है, जो इस रिपोर्ट का एक हिस्सा है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण

कंपनी समान अवसर प्रदान करने वाली नियोक्ता है और सचेत रूप से ऐसी कार्य संस्कृति का निर्माण करने का प्रयास करती है जो सभी कर्मचारियों की गरिमा को बढ़ावा दे। कार्यस्थल पर महिला का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत, कंपनी ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण पर नीति लागू की है। जिसे कंपनी के इंट्रानेट पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। सेवा प्रदाताओं सहित सभी महिलाएं, स्थायी, अस्थायी या संविदात्मक, पॉलिसी के अंतर्गत आती हैं।

कॉर्पोरेट कार्यालय सहित सभी नौ घटक यूनिटों में यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने और कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों की गरिमा को बनाए रखने के लिए, विशेष रूप से यौन उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न से संबंधित दर्ज, निपटाए गए और लंबित शिकायतों का विवरण व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का एक हिस्सा है।

पुरस्कार और सम्मान

आपकी कंपनी उपभोक्ता अंतर्दृष्टि पर विचार करके और उपभोक्ताओं तक पहुंचकर अपने सभी उत्पादों में उच्चतम स्तर की गुणवत्ता प्राप्त करने का प्रयास करती है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी को निम्नलिखित विभिन्न पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं-

- HR ओरिएंटेशन के साथ टाइम्स एसेंट का CEO पुरस्कार
- अंतरराष्ट्रीय एयरोस्पेस पुरस्कार
- PSE उत्कृष्टता पुरस्कार
- द पॉलिसी टाइम्स प्रशंसा पुरस्कार
- ई-सम्मेलन टूल के लिए SKOCH पुरस्कार
- स्वदेशीकरण के लिए SKOCH पुरस्कार

वर्ष के दौरान अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां-

- कोविड-19 महामारी के कारण चल रहे संकट के बावजूद वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बीईएल ने अब तक का सर्वाधिक 13,500 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।
- बीईएल ने पिछले वर्ष के कारोबार की तुलना में 9.6% की वृद्धि दर्ज की।
- बीईएल ने यूएस $ 51.93 मिलियन का निर्यात कारोबार हासिल किया है (प्रमुख आइटम- तटीय निगरानी प्रणाली, संचार उपकरण, डेटा लिंक, IFF -इंटरोगेटर, रेडार फिंगर प्रिंटिंग सिस्टम, TR मॉड्यूल, लो बैंड रिसीवर LRUs आदि)
- 15,000 करोड़ रु. मूल्य के आदेश प्राप्त हुए (प्रमुख आदेशों में AFNET निष्पादन और सुरक्षा वृद्धि और सैटकॉम नेटवर्क, सेवाओं सहित वेंटिलेटर, नौसेना अग्नि नियंत्रण प्रणाली, सॉफ्टवेयर डिफाइन्ड रेडियो, एडवांस टॉरपीडो रक्षा प्रणाली, डिजिटल मोबाइल रेडियो रिले आदि शामिल हैं)
- व्यापार के नए अवसरों का दोहन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में बेरेटा इटली, अटलांटिस दक्षिण अफ्रीका, रोसनबोरोन एक्सपोर्ट, रूस और ओकाया पॉवरटेक जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए।
- DMRCL, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, टेक्समाको, BPL, IIT धारवाड़, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड (TEL) और भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल से उत्पन्न घरेलू सेगमेंट में उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक अवसरों का लाभ लेने के लिए विभिन्न तकनीकों/उत्पादों के विकास की दिशा में कई स्टार्ट-अप के साथ रणनीतिक साझेदारी की है।
- बीईएल हॉल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विश्वेश्वरैया औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय, कस्तूरबा रोड, बेंगलूरु में स्थापित किया गया था। बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, रक्षा में इलेक्ट्रॉनिक्स, इमेजिंग प्रौद्योगिकी और टेलीमेडिसिन, आभासी वास्तविकता, इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक्स में मील के पत्थर पर छात्र समुदाय और समाज के बीच जागरूकता बढ़ाने के एक भाग के रूप में प्रदर्शनियां बनाई गईं। उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकियों और इंजीनियरिंग को प्रदर्शित करने वाले प्रदर्शनों के लिए संग्रहालय में मौजूदा बुनियादी ढांचे को सीएसआर गतिविधि के रूप में उन्नत किया जा रहा है।

सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनी

बीईएल ऑप्ट्रोनिक डिवाइसेज लिमिटेड (बेलॉप) बीईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब बनाती है। आपकी कंपनी ने बेलॉप द्वारा प्रस्तावित राइट इश्यू लेकर वर्ष के दौरान बेलॉप के इक्विटी शेयरों में 156.58 लाख रु. (100 रु. प्रत्येक के 64,438 इक्विटी शेयर 143/- प्रति शेयर के प्रीमियम पर) का और निवेश किया है। बेलॉप ने पिछले वर्ष के 3,721 लाख रु. की तुलना में वर्ष के लिए 4,075 लाख रु. का कारोबार किया। पिछले वर्ष के 301 लाख रु. की तुलना में वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ (पीएटी) 490 लाख रु. था।

सहायक कंपनी बीईएल–थालेस सिस्टम्स लिमिटेड (बीटीएसएल) का गठन भारतीय और वैश्विक बाजारों के लिए नागरिक और चुनिंदा रक्षा रेडार के डिजाइन, विकास, विपणन, आपूर्ति और सहयोग के लिए किया गया था। आपकी कंपनी की बीटीएसएल में इक्विटी पूंजी का 74% हिस्सा है। वर्ष के दौरान बीटीएसएल ने पिछले वर्ष के 4,056 लाख रु. की तुलना में 3,538 लाख रु. का कारोबार किया। पिछले वर्ष के 334 लाख रु. की तुलना में वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ (पीएटी) 315 लाख रु. था।

एसोसिएट कंपनी, जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड [बीईएल द्वारा 26% शेयरहोल्डिंग] का निष्पादन अच्छा बना हुआ है। यह CT Max और एक्स–रे ट्यूब के अन्य नवीनतम संस्करण बनाती है। जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड ने पिछले वर्ष के 1,17,685 लाख रु. की तुलना में वर्ष के लिए 1,22,850 लाख रु. का कारोबार किया। पिछले वर्ष के 12,369 लाख रु. की तुलना में वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ (पीएटी) 11,673 लाख रु. था।

रक्षा नवाचार संगठन (DIO) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा – 8 के प्रावधानों के अनुसार 1 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ 'लाभार्जन के लिए नहीं' कंपनी है। बीईएल से 50% और एचएएल से 50% की इक्विटी भागीदारी के साथ, कंपनी का गठन रक्षा क्षेत्र में नवाचार के वित्तपोषण के उद्देश्य से किया गया था।

कंपनी अधिनियम की धारा 129(3) के प्रावधानों, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 5 के साथ पठित, के अनुसार एक अलग विवरण जिसमें सहायक कंपनियों/एसोसिएट/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं शामिल हैं प्रपत्र AOC–1 में वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न है।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 136 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय स्थिति संबंधित दस्तावेजों के साथ समेकित वित्तीय विवरण और सहायक कंपनियों के संबंध में अलग–अलग लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर उपलब्ध हैं।

समेकित वित्तीय विवरण

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम की धारा 129(3) और लागू भारतीय लेखा मानकों के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं और इस रिपोर्ट का एक हिस्सा हैं।

सतर्कता

कंपनी के सतर्कता संगठन का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) कर रहे हैं, जो हरियाणा कैडर के भाप्रसे अधिकारी (1991 बैच) हैं। प्रत्येक इकाई और एसबीयू में स्थायी सतर्कता अधिकारी तैनात हैं। यूनिटों और एसबीयू में सतर्कता प्रशासन की देखरेख के लिए सतर्कता समितियों का गठन किया जाता है। यूनिट/एसबीयू प्रमुखों को सतर्कता समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा, कॉर्पोरेट में भी एक सतर्कता समिति होती है, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक करते हैं और सीवीओ सदस्य सचिव होते हैं। सतर्कता विभाग का प्रमुख क्षेत्र निवारक सतर्कता रहा है और चालू वर्ष के दौरान इस पर विशेष ध्यान दिया गया। सतर्कता विभाग खरीद और प्रक्रियाओं की निरंतर जांच करता है, नियमित और औचक निरीक्षण करता है और इसे भेजे गए संदिग्ध लेनदेन वाले मामलों की जांच करता है। कोई कर्मचारी या तीसरा पक्ष किसी भी संदिग्ध लेनदेन को जांच के लिए सीवीओ को भेज सकता है, जिसकी जांच कंपनी की शिकायत प्रबंधन नीति के अनुसार की जाती है। ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू कर दी गई है और बीईएल वेबसाइट पर सतर्कता पोर्टल के माध्यम से शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।

वर्ष के दौरान, 1779 उच्च मूल्य खरीद वाले आदेशों/अनुबंधों की समीक्षा की गई है। ग्यारह गहन परीक्षण टीमों के गठन के साथ एक सीटीई प्रकार की गहन परीक्षण का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष 2020–21 के दौरान 61 उच्च मूल्य खरीद अनुबंधों का सीटीई प्रकार का गहन परीक्षण किया गया। क्षेत्र के सतर्कता अधिकारियों द्वारा नियमित और औचक निरीक्षण भी किया गया है। वर्ष के दौरान, सीवीसी/एमओडी/सीबीआई द्वारा भेजी गई शिकायतों सहित 26 शिकायतें प्राप्त हुईं। सीवीसी/एमओडी/सीबीआई द्वारा भेजी गई 5 शिकायतों सहित कुल 35 शिकायतों का निपटारा किया गया। कुछ मामलों में जहां खामियां पाई गईं, वहां अनुशासनात्मक कार्रवाई और प्रणाली/प्रक्रिया में सुधार की सिफारिश की गई है। पहले भेजी गई एक शिकायत विस्तृत जांच के लिए सीबीआई, बेंगलूरु के पास लंबित है।

वर्ष के दौरान, 850 कार्यपालकों और 82 गैर–कार्यपालकों के लिए सतर्कता पर बुनियादी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। 3 साल से अधिक समय से संवेदनशील क्षेत्रों में काम कर रहे 166 कार्यपालकों और 37 गैर–कार्यपालकों का ज़ॉब रोटेशन किया गया और प्रतिशत कवरेज 92.3% है।

बीईएल के सतर्कता कार्य के लिए सतर्कता विभाग को आईएसओ 9001/2015 प्रमाणन के लिए प्रमाणित किया जाना जारी है। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सीवीसी के दिशा–निर्देशों के अनुरूप, निम्नलिखित कार्यों को सैप और कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से चालू किया गया है–

- ई–प्रोक्योरमेंट – टीओटी खरीद, दीर्घकालिक दर अनुबंध और आदेश दोहराने को छोड़कर लगभग 96.06% खरीद ई–प्रोक्योरमेंट मोड के अंतर्गत आती हैं।
- विक्रेताओं का ऑनलाइन पंजीकरण।

- विक्रेता भुगतान सूचना प्रणाली।
- विक्रेताओं को भुगतान का ई-भुगतान/बैंक अंतरण।
- कार्य अनुबंधों, सेवा अनुबंधों, पूंजीगत वस्तुओं और गैर-उत्पादन मदों के संबंध में 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के प्रदान किए गए अनुबंधों/खरीद आदेशों, का विवरण वेबसाइट पर पोस्ट किए जाते हैं।
- नामांकन/एकल निविदा आधार पर 5 लाख रुपये से अधिक मूल्य के जारी किए गए अनुबंधों/खरीद आदेशों का विवरण वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है।
- खरीद और निर्माण अनुबंध नियमावली को संशोधित किया जाता है और बीईएल वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है।
- शिकायत निवारण नीति और व्हिसल ब्लोअर नीति वेबसाइट पर पोस्ट की जाती है।
- भ्रष्टाचार जोखिम प्रबंधन नीति पूरी कंपनी में तैयार और कार्यान्वित की जाती है। वही वेब साइट पर पोस्ट किया गया है।
- विक्रेता निर्देशिका कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की जाती है।
- फाइल लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सिस्टम (FLM) पूरी कंपनी में लागू है।
- सभी कार्यपालकों के लिए सैप में APR की ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा है और सैप में कार्यपालक APR दाखिल करते रहे हैं।
- सतर्कता मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट सैप के माध्यम से तैयार की जाती है
- सैप में समर्पित सतर्कता पोर्टल के माध्यम से सतर्कता मंजूरी प्रदान की जाती है।

बीईएल में सतर्कता सेटअप जागरूकता अभियानों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रणाली और प्रक्रियाओं पर जागरूकता की भावना पैदा करके कंपनी के सभी लेनदेन और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और समानता लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। वर्ष के दौरान की गई कुछ प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं–

क) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) ने 27 अक्टूबर 2020 से 2 नवंबर 2020 तक देश भर में अपने कार्यालयों को कोविड –19 के प्रसार को रोकने के लिए सभी एहतियाती उपायों का पालन करते हुए 'सतर्क भारत, समृद्ध भारत' विषय के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। वर्तमान स्थिति में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने की भावना को बनाए रखने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम और गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

महामारी के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन व्याख्यान कार्यक्रम, ऑनलाइन प्रतियोगिताएं और अन्य गतिविधियां आयोजित की गईं।

ई–प्रतिज्ञा को बीईएल इंट्रानेट के माध्यम से सुगम बनाया गया, जिससे कर्मचारियों को ई–प्रतिज्ञा लेने में मदद मिली। सीवीओ/बीईएल द्वारा जारी प्रशंसा और प्रतिबद्धता का प्रमाण पत्र उन कर्मचारियों द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है जिन्होंने बीईएल इंट्रानेट के माध्यम से ई–प्रतिज्ञा ली है। 1940 कर्मचारियों ने ई–प्रतिज्ञा ली है।

सभी यूनिटों में लगभग 8000 कर्मचारियों को उनके संबंधित कार्यस्थलों में सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा दिलाई गई।

इसके अलावा कर्मचारियों को सीवीसी की वेबसाइट से ई–प्रतिज्ञा लेने के लिए सीवीसी की वेबसाइट का लिंक प्रदान किया गया। सप्ताह के दौरान बीईएल के 14367 सक्रिय विक्रेताओं को सतर्कता जागरूकता पर SMS भेजा गया।

ख) 22.12.2020 को बीईएल के बीएई उत्कृष्टता अकादमी में कैरियर के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में निवारक सतर्कता पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। श्री संजय सहाय, भापुसे ने 'निवारक सतर्कता' पर व्याख्यान दिया और विभिन्न यूनिटों/एसबीयू के 63 अधिकारियों ने भाग लिया।

निष्ठा संधि

खरीद गतिविधि में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की एक पहल सरकारी संगठनों के साथ बड़े मूल्य के अनुबंधों में निष्ठा संधि की शुरूआत है। रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुरूप, आपकी कंपनी ने सभी विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/सेवा प्रदाताओं के साथ 300 लाख रु. और उससे अधिक मूल्य के सभी आदेशों/अनुबंधों के लिए सत्यनिष्ठा समझौता अपनाया है। निष्ठा संधि अनिवार्य रूप से संभावित विक्रेताओं/बोलीदाताओं और प्रमुख (बीईएल) के बीच ऐसे समझौते की परिकल्पना करता है, जो दोनों पक्षों के व्यक्तियों/अधिकारियों को अनुबंध के किसी भी पहलू/चरण में किसी भी भ्रष्ट व्यवहार का सहारा नहीं लेने के लिए प्रतिबद्ध करता है। जो विक्रेता/बोलीदाता प्रमुख (प्रिंसिपल) के साथ इस तरह के समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं, उन्हें ही बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्षम माना जाएगा। किसी विशेष अनुबंध के संबंध में निष्ठा संधि, निविदा आमंत्रण के चरण से अनुबंध के अंतिम पूरा होने तक लागू रहेगा। इसका कोई भी उल्लंघन बोलीदाताओं को अयोग्य ठहराएगा और भावी व्यापारिक सौदों से बहिष्कृत हो जाएगा।

सीवीसी की सिफारिश के अनुसार, कंपनी ने कंपनी में सत्यनिष्ठा समझौते की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए श्री गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, भाप्रसे (सेवानिवृत्त) और डॉ. परवेज हयात, भाप्रसे (सेवानिवृत्त) को नियुक्त किया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर्स (IEM) ने 199 अनुबंधों की समीक्षा की और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ तीन संरचित बैठकें कीं।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से खरीद

आपकी कंपनी सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से खरीद बढ़ाने पर अधिक जोर दे रही है और एमएसई मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों/अधिसूचना के अनुसार एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति को लागू कर रही है। 2020–21 के दौरान, बीईएल ने एमएसई के लिए सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के आदेश का अनुपालन किया।

बीईएल सरकार के दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए TReDS प्लेटफॉर्म, GeM, एमएसएमई संबंध और एमएसएमई समाधान पोर्टल पर शामिल हो गया है। कंपनी ने देश भर में आयोजित विभिन्न विक्रेता विकास कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया। बीईएल ने रक्षा मंत्रालय के सृजन पोर्टल पर एमएसई सहित घरेलू विक्रेताओं के लिए स्वदेशीकरण के लिए विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शन किया है।

एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार 25% के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले एमएसई से बीईएल की खरीद 2020–21 के दौरान कुल घरेलू खरीद का 35% रहा है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी भारत सरकार की राजभाषा नीति का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी ने कोविड–19 महामारी के दौरान उत्पन्न चुनौतियों में भी सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त किया । राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में किए गए विभिन्न प्रयास इस प्रकार हैं –

राजभाषाई निरीक्षण – संसदीय राजभाषा समिति ने दिनांक 04.09.2020 को क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली और दिनांक 14.10.2020 को सी.आर.एल.–गाज़ियाबाद का राजभाषाई निरीक्षण किया। कार्पोरेट राजभाषा अंकेक्षण टीम द्वारा 05 यूनिटों/कार्यालयों का राजभाषाई निरीक्षण किया गया।

द्विभाषीकरण – कार्पोरेट कार्यालय सहित कंपनी की सभी यूनिटों और कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं। पत्राचार और कंप्यूटरों पर हिंदी का प्रयोग बढ़ाने को प्रोत्साहित किया जाता है। सीएमडी द्वारा राजभाषा नियम 10 (4) के तहत हिंदी में प्रवीणता रखे वाले अधिकारियों / कर्मचारियों को अपना शत–प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए व्यक्तिश: आदेश जारी किए गए । इसके अलावा, नियम 12 (1) के अनुसार जाँच बिंदु का परिपत्र भी जारी किया गया।

कंप्यूटरीकरण और वेबसाइट – कार्पोरेट कार्यालय द्वारा तैयार किए गए राजभाषा पोर्टल 'गरिमा' में राजभाषा संबंधी सभी अद्यतन सूचनाओं का प्रसार किया जाता है । यूनिटों / कार्यालयों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट एसएपी में ऑनलाइन प्राप्त की जा रही है। फाइल लाइफ़साइकिल मैनेजमेंट (एफ.एल.एम.) में हिंदी टिप्पणियाँ लिखी जा रही हैं। कंपनी की वेबसाइट हिंदी में भी उपलब्ध है ।

प्रशिक्षण व रिपोर्टिंग – हिंदी भाषा प्रशिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए रोस्टर बनाया गया है जिसे समय–समय पर अद्यनत किया जाता है। इस रोस्टर के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, हिंदी शिक्षण योजना, नराकास को नियत समय पर तिमाही / अर्धवार्षिक रिपोर्ट भेजी गई।

हिंदी माह समारोह – कंपनी की सभी यूनिटों और कार्यालयों में सितंबर माह के दौरान हिंदी माह और हिंदी दिवस ऑनलाइन माध्यम से मनाया गया।

बैठकें / कार्यशालाएँ – कंपनी की सभी यूनिटों / कार्यालयों में राभाकास बैठकें, कार्यशालाएँ और तकनीकी व्याख्यान ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किए गए ।

प्रोत्साहन व पुरस्कार – विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का प्रचार–प्रसार किया गया और कार्यपालकों/गैर–कार्यपालकों ने इन योजनाओं में भाग लिया और नकद पुरस्कार प्राप्त किए । नराकास की प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों ने भाग लिया और पुरस्कार प्राप्त किए ।

कंपनी को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019–20 के लिए 'राजभाषा कीर्ति' (द्वितीय) और वर्ष 2018–19 के लिए 'राजभाषा गौरव' पुरस्कार (द्वितीय) के लिए चुना गया। सचिव (राजभाषा) द्वारा अखिल भारतीय ऑनलाइन अनुवाद प्रतियोगिता 'कंठस्थ' में प्रतिभागिता के लिए प्रशस्ति–पत्र प्रदान किया गया।

प्रकाशन – कंपनी की यूनिटों / कार्पोरेट कार्यालय में राजभाषा हिंदी का प्रचार–प्रसार करने के लिए ई–पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया।

नई पहल – वेबसाइट में राजभाषा का एक अलग खंड तैयार किया गया।

कंपनी भर में राजभाषा का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के प्रयास जारी हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुरूप, अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए आपकी कंपनी के पास एक स्पष्ट तंत्र है। आपकी कंपनी के पास कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित महाप्रबंधक स्तर का अधिकारी है। प्राप्त अनुरोधों को 15 वरिष्ठ कर्मियों द्वारा कार्रवाई की जाती है, जिन्हें केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया जाता है, जिसमें कॉर्पोरेट कार्यालय में एक और यूनिटों/क्षे.का. में एक–एक शामिल है। आपकी कंपनी के पास अधिनियम के तहत दायर प्रथम अपीलों के निपटान के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित महाप्रबंधक स्तर का अधिकारी है। सरकार के निर्देशों के अनुपालन में, आपकी कंपनी अधिनियम के तहत आवेदनों को सफलतापूर्वक ऑनलाइन कार्रवाई कर रही है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (ल) के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी को कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर पोस्ट कर दिया गया है।

FAA, CPIO और अन्य आंतरिक हितधारकों को प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से अधिनियम के तहत उनके दायित्वों के बारे में जागरूक किया जाता है।

आपकी कंपनी को अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान 313 आवेदन (अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा बीईएल को अंतरित किए गए 71 सहित) प्राप्त हुए, और वर्ष 2019-20 के बचे हुए 10 आरटीआई आवेदनों को भी शामिल किया गया। कुल 323 आवेदनों में से 290 आवेदनों का जवाब दिया गया था और 41 आवेदनों को खारिज कर दिया गया था। आपकी कंपनी को इस अवधि के दौरान 92 प्रथम अपीलें प्राप्त हुईं, जिनमें से 88 का निपटारा कर दिया गया। सभी चार (4) तिमाहियों के लिए त्रैमासिक आरटीआई रिटर्न केंद्रीय सूचना आयोग को भेज दी गई थी।

बोर्ड और समिति की बैठकें

वर्ष के दौरान, बोर्ड की नौ बैठकें आयोजित की गईं और किन्हीं दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं था। 2020-21 के दौरान आयोजित बोर्ड और समिति (समितियों) की बैठकों का विवरण कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का एक हिस्सा है।

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और उनकी शेयरधारिता

वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के निदेशालय और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में निम्नलिखित परिवर्तन हुए-

क्रमांक	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति तिथि	समाप्ति तिथि
1	श्री कोशी अलेक्जेंडर	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	लागू नहीं	31.07.2020
2	श्री दिनेश कुमार बत्रा	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	01.08.2020	लागू नहीं
3	श्री महेश वी.	निदेशक (आर एंड डी)	लागू नहीं	31.08.2020
4	श्री राजशेखर एम वी	निदेशक (आर एंड डी)	01.09.2020	लागू नहीं
5	श्री मुक्खा हरीश बाबू	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	10.09.2020
6	श्री सुरेंद्र एस. सिरोही	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	10.09.2020
7	डॉ. विजय एस. मदान	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	10.09.2020
8	डॉ. अमित सहाय	सरकार नामित निदेशक	लागू नहीं	29.10.2020
9	श्री अनुराग बाजपेई	सरकार नामित निदेशक	29.10.2020	लागू नहीं

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) के तहत यथा परिभाषित, 31 मार्च 2021 को श्री एम वी गौतमा, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, श्री दिनेश कुमार बत्रा, निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी तथा श्री एस श्रीनिवास, कंपनी सचिव के.एम.पी. हैं।

श्री अनुराग बाजपेयी, सरकार नामित निदेशक को डॉ. अमित सहाय के स्थान पर 29 अक्टूबर 2020 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो 29 अक्टूबर 2020 से सरकार नामित निदेशक नहीं रहे। श्री अनुराग बाजपेयी, अतिरिक्त निदेशक को 67वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित शर्तों पर निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

श्री विनय कुमार कत्याल, निदेशक (बेंगलूरु कॉम्प्लेक्स), आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने के कारण खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश करते हैं।

श्रीमती शिखा गुप्ता, निदेशक (अन्य यूनिटें) दिनांक 7 मई 2021 से निदेशक नहीं रहीं। श्री एम वी गौतमा, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक दिनांक 30 जून 2021 को अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्त हुए।

भारत सरकार ने अपने पत्र सं. डीडीपी-ई0032/2/2020-डी(बीईएल) दिनांक 9 जून 2021 और पत्र सं. डीडीपी-ई0032/4/2020-डी(बीईएल) दिनांक 11 जून 2021 द्वारा क्रमश: अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पद और निदेशक (अन्य यूनिटें) के पद का अतिरिक्त प्रभार श्रीमती आनंदी रामलिंगम, निदेशक (विपणन) को दिनांक 1 जुलाई 2021 से समनुदेशित किया।

31 मार्च 2021 को कंपनी में शेयर रखने वाले निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) का विवरण नीचे दिया गया है-

क्रमांक	नाम	पदनाम	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या
1	श्री एम.वी. गौतमा	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	1,263
2	श्रीमती आनंदी रामलिंगम	निदेशक (विपणन)	1,263

क्रमांक	नाम	पदनाम	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या
3	श्री विनय कुमार कत्याल	निदेशक (बेंगलूरु कॉम्प्लेक्स)	1,263
4	श्री शिवकुमारन के.एम.	निदेशक (एच आर)	1,263
5	श्री दिनेश कुमार बत्रा	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	1,263
6	श्री एम.वी. राजशेखर	निदेशक (आर एंड डी)	1,263
7	श्री एस. श्रीनिवास	कंपनी सचिव	1,263

कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई परिवर्तनीय प्रतिभूतियां जारी नहीं की हैं।

निदेशकों का उत्तरदायित्व वक्तव्य

अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास और प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आपके निदेशकों का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(c) और 134(5) के अनुसार कहना है कि-

क) वार्षिक खातों को तैयार करने में, तथ्यात्मक विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया था और निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च 2021 को कंपनी के मामलों की स्थिति और 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ के बारे में सही और निष्पक्ष विवरण दिया जा सके;

ग) निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है;

घ) निदेशकों ने चालू संस्था के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं;

ङ) उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद थे और ऐसे वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे; तथा

च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और वे पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक आदेश

नियामकों या अदालतों या ट्रिब्यूनलों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक आदेश पारित नहीं किये गये हैं जो भविष्य में कंपनी के संचालन की स्थिति और कंपनी के परिचालनों को प्रभावित करता है।

वित्तीय विवरणों की तिथि के बाद के घटनाक्रम

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं जो 31 मार्च 2021 और इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख के बीच हुई हों।

संबंधित पक्षकारों के लेनदेन

कंपनी के प्रमोटरों, निदेशकों, प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं था, जिससे कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता था। वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन स्वतंत्र आधार पर थे और व्यवसाय के सामान्य क्रम में थे। संबंधित पार्टियों के साथ कोई भी लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के दायरे में नहीं आता है। सभी संबंधित पार्टी लेनदेन को ऑडिट कमेटी के समक्ष और बोर्ड के अनुमोदन के लिए, यदि आवश्यक हो, तो प्रस्तुत किया जाता है। सदस्य संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण के लिए खातों की टिप्पणियों को देख सकते हैं। संबंधित पार्टी लेनदेन की नीति कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर अपलोड कर दी गई है। कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(h) के अनुसार जानकारी इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक-1 में संलग्न है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा जारी विभिन्न स्पष्टीकरणों, संशोधनों के साथ कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति तैयार की है। सीएसआर कार्यक्रमों/पहलों/परियोजनाओं को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अनुरूप किया जाता है, जिसे कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति में विधिवत शामिल किया गया है और हमारे सभी कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। बीईएल की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर पोस्ट की गई है। सीएसआर समिति के बारे में अन्य विवरणों के लिए, इसकी संरचना सहित, कृपया कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट देखें, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

सीएसआर का उद्देश्य पिछड़े और वंचित वर्गों/समुदायों के क्षमता निर्माण उपायों, सशक्तिकरण के माध्यम से समावेशी विकास, निरंतर और समान विकास की दिशा में योगदान करना है। स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और व्यावसायिक कौशल विकास के क्षेत्रों में केंद्रित हस्तक्षेप किए जाते हैं।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान सीएसआर व्यय के लिए डीपीई दिशानिर्देश नीति आयोग द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता के साथ स्वास्थ्य और पोषण के सामान्य विषय पर केंद्रित सीएसआर हस्तक्षेप करने के लिए सीपीएसई को प्रेरित करना है। तदनुसार, सीएसआर बजट को विषयगत सीएसआर कार्यक्रमों के लिए आवंटित किया गया है – उन पहलों पर जोर दिया जा रहा है जो कोविड –19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में सरकार के ठोस प्रयासों का समर्थन करती हैं। इसके अलावा, सीएसआर परियोजनाएं जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ग्रामीण युवाओं को तकनीकी और रोजगार योग्यता कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती हैं, उन्हें स्किल इंडिया के तहत लागू किया जा रहा है।

कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के तहत आवश्यकता के अनुसार, वित्त वर्ष 2020–21 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर एक रिपोर्ट **अनुलग्नक–2** में संलग्न है।

सांविधिक लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) के अनुसार, वित्त वर्ष 2020–21 के लिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने मैसर्स सूरी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, बेंगलूरु को बेंगलूरु कॉम्प्लेक्स, हैदराबाद इकाई, चेन्नै इकाई और कॉर्पोरेट कार्यालय के खातों की लेखापरीक्षा के लिए कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया था। मैसर्स तांबी और जयपुरकर, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, पुणे को पुणे और नवी मुंबई यूनिटों का शाखा लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था। मैसर्स जे.पी. कपूर और उबेराय, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को गाज़ियाबाद, पंचकूला और कोटद्वार यूनिटों का शाखा लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था। मैसर्स पिरामना एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, विजयवाड़ा को मछलीपट्टनम इकाई के लिए शाखा लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था।

वित्त वर्ष 2020–21 के वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और समेकित वित्तीय विवरण सहित वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की 'कुछ नहीं' टिप्पणी, वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

लागत लेखा परीक्षक और लागत रिकॉर्ड का रखरखाव

आपकी कंपनी ने कंपनी के लागत रिकॉर्ड के ऑडिट के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए मैसर्स मूर्ति एंड कंपनी LLP, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, बेंगलूरु को कंपनी का कॉस्ट ऑडिटर नियुक्त किया था। कंपनी अपनी निर्माण गतिविधियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड रखती है।

सचिवीय लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए मैसर्स तिरुपाल गोरिगे एंड एसोसिएट्स LLP, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया है। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक–3** में संलग्न है।

सचिवीय लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि कंपनी को सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करना बाकी है और लेखा परीक्षा समिति की संरचना, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम क्रमशः 18, 19 और 20 के अनुरूप नहीं है (सेबी (एलओडीआर) विनिय, 2015 के विनियम 20 के अनुसार, हितधारक संबंध समिति का पुनर्गठन 31 मार्च 2021 को किया गया)। यह सूचित किया जाता है कि निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है और उक्त स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियों को भरना भी नियुक्ति प्राधिकारी, अर्थात् भारत सरकार के पास लंबित है।

लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

वर्ष के दौरान, न तो सांविधिक लेखा परीक्षक और न ही सचिवीय लेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(2) के तहत लेखा परीक्षा समिति को सूचित किया है कि कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी की कोई घटना हुई है, जिसके विवरण का उल्लेख बोर्ड की रिपोर्ट में करने की जरूरत हो।

वार्षिक विवरणी

अधिनियम की धारा 134(3)(a) के साथ पठित धारा 92(3) के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट https://www.bel-india.in/ContentPage.aspx?MId=17CId=427LId=1link=427 पर उपलब्ध है।

जोखिम प्रबंधन

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 21 के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। समिति का विवरण और इसके विचारणीय विषय, जोखिम प्रबंधन नीति आदि कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में निर्धारित किए गए हैं और प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में जोखिम प्रबंधन पर एक विस्तृत नोट प्रदान किया गया है, जो इस रिपोर्ट का एक हिस्सा है।

निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और मंडल के मूल्यांकन पर कंपनी की नीति

मंडल ने नामांकन व पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, निदेशकों, वरिष्ठ प्रबंधन और उनके पारिश्रमिक, मंडल के मूल्यांकन आदि के लिए नीति तैयार की है। इसके विवरण कार्पोरेट अभिशासन की रिपोर्ट में दिए गए हैं जो इस रिपोर्ट का भाग है।

सतर्कता तंत्र/ सचेतक नीति

किसी भी धोखाधड़ी, कुप्रबंधन और अनैतिक व्यवहार, यदि कोई हो, से निपटने के लिए कंपनी के पास सचेतक नीति नामक सतर्कता तंत्र है। नीति का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया किया गया है।

स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) से घोषणा

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 16(1)(b) के तहत कंपनी के स्वतंत्र निदेशक (कों) से आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई है कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में निर्धारित उनकी स्वतंत्रता के मानदंड को पूरा करते हैं।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के तहत और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सरकार (डीपीई) दिशा-निर्देशों के तहत आवश्यक प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक-4** में संलग्न है।

ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या GSR 463(E) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, रक्षा उत्पादन में लगी सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 से छूट प्राप्त है।

कर्मचारियों का विवरण और संबंधित खुलासे

भारत सरकार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारी जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या GSR 463 (E) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान और निर्दिष्ट सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के विवरण के संबंध में संबंधित नियमों को सरकारी कंपनी के लिए छूट दी गई है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं। आंतरिक वित्तीय विवरणों पर एक विस्तृत टिप्पणी प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, जो इस रिपोर्ट का भाग है, में दी गई है।

लेखा परीक्षा समिति

31 मार्च 2021 को लेखा परीक्षा समिति में श्री सुनील कुमार कोहली, समिति के अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक, सुश्री मंजुला जे और श्री अनुराग बाजपेयी सदस्य के रूप में शामिल हैं। वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

कॉर्पोरेट गवर्नेन्स रिपोर्ट

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 34 डीपीई डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी अनुपालन प्रमाण-पत्र के साथ कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर एक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक-5** में संलग्न है।

संधारणीयता रिपोर्ट

संधारणीय विकास पर आपकी कंपनी के प्रयासों पर एक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-6** में दी गई है।

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 ने बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट (BRR) को शामिल करना अनिवार्य कर दिया। लिस्टिंग विनियमों के विनियम 34(2)(f) के अनुसार, वर्ष 2020-21 के लिए एक BRR पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेन्स के परिप्रेक्ष्य में कंपनी द्वारा की गई पहलों का वर्णन करते हुए सेबी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रारूप में इस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक-7** में संलग्न है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

आपकी कंपनी, रक्षा सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते, कंपनी नियम 8(3) के साथ पठित धारा 134(3)(m) के प्रावधानों के तहत ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा आय और व्यय के संबंध में सूचना का प्रकटीकरण (लेखा) नियम, 2014 (यथा संशोधित) की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अधिसूचना GSR No.680 (E) दिनांक 4 सितंबर 2015 के तहत रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को छूट प्रदान की है।

सचिवीय मानकों का अनुपालन

कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सभी लागू अनिवार्य सचिवीय मानकों का अनुपालन करती है।

आभार

आपके निदेशक सभी ग्राहकों, विशेष रूप से रक्षा सेवाओं और अर्धसैनिक बलों से प्राप्त बहुमूल्य समर्थन के लिए अपनी प्रशंसा और आभार व्यक्त करते हैं और भविष्य में उनके निरंतर समर्थन और सहयोग की आशा करते हैं। आपके निदेशक भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेष रूप से रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग से प्राप्त समर्थन के लिए भी अपना आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और डीआरडीओ के तहत विभिन्न अनुसंधान प्रयोगशालाओं, विशेष रूप से संयुक्त विकास कार्यक्रमों और नए उत्पादों के लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, शाखा लेखा परीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों, कंपनी के बैंकरों, सहयोगियों और विक्रेताओं के प्रति अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आपके निदेशक सभी स्तरों पर कर्मचारियों के ईमानदार प्रयासों की सराहना करते हैं, जिससे कंपनी को वर्ष के दौरान अच्छा निष्पादन हासिल करने में मदद मिली। आपके निदेशक कंपनी में दिखाए गए विश्वास और विश्वास के लिए सभी शेयरधारकों/निवेशकों की सराहना और आभार व्यक्त करते हैं और आने वाले वर्षों में कंपनी के विकास को बनाए रखने में उनके निरंतर समर्थन और भागीदारी की आशा करते हैं।

बोर्ड के लिए व उसकी ओर से

बेंगलूरु
31 अगस्त 2021

आनंदी रामलिंगम
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

अनुलग्नक –1

फार्म सं. एओसी–II

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (एच)
तथा कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुवर्तन में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1), में संदर्भित संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/करार संबंधी विवरण जिसमें, तृतीय प्रावधान के तहत कुछेक स्वतंत्र संव्यवहार शामिल है, के प्रकटण का प्रारूप–

1. ऐसी संविदाओं या करार अथवा संव्यवहार के विवरण जो के स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर नहीं किए गए हैं

   क. संबद्ध पक्षकार के नाम तथा संबंध की प्रकृति – लागू नहीं

   ख. संविदा/करार/संव्यवहार की प्रकृति – लागू नहीं

   ग. संविदा/करार/संव्यवहार की अवधि – लागू नहीं

   घ. मूल्य सहित संविदा या करार अथवा संव्यवहार की महत्वपूर्ण शर्तें, यदि कोई हो – लागू नहीं

   ङ. इस प्रकार की संविदा या करार अथवा संव्यवहार प्रारंभ करने का औचित्य – लागू नहीं

   च. मंडल के अनुमोदन की तारीख – लागू नहीं

   छ. अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो – लागू नहीं

   ज. धारा 188 के प्रथम प्रावधान के अधीन अपेक्षित सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प की तारीख –लागू नहीं

2. स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर की गई महत्वपूर्ण संविदाओं या करार या संव्यवहारों के विवरण

   क. संबद्ध पक्षकार के नाम तथा संबंध की प्रकृति – लागू नहीं

   ख. संविदा/ करार/ संव्यवहार की प्रकृति – लागू नहीं

   ग. संविदा/करार/संव्यवहार की अवधि – लागू नहीं

   घ. मूल्य सहित संविदा या करार अथवा संव्यवहार की महत्वपूर्ण शर्तें, यदि कोई हो – लागू नहीं

   ङ. मंडल के अनुमोदन की तारीख – लागू नहीं

   च. अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो – लागू नहीं

बोर्ड के लिए व उसकी ओर से

बेंगलूरु
31 अगस्त 2021

आनंदी रामलिंगम
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

अनुलग्नक –2

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा–

बीईएल की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है और यह कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अनुरूप है। इसका उद्देश्य समाज में क्षमता निर्माण उपायों के माध्यम से पिछड़े और वंचित वर्गों/समुदायों के सशक्तिकरण के माध्यम से समावेशी विकास, निरंतर और समान विकास में योगदान करना है।

2. सीएसआर समिति की संरचना– (वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान)

क्रमांक	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की कितनी बैठकों में भाग लिया
1	श्री एम वी गौतमा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / अध्यक्ष	3	3
2	श्री कोशी अलेक्जेंडर (31.07.2020 से सदस्य नहीं रहे)	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ / सदस्य	3	1
3	श्री सुरेंद्र सिंह सिरोही (10.09.2020 से सदस्य नहीं रहे)	स्वतंत्र निदेशक / सदस्य	3	1
4	श्री मुक्का हरीश बाबू (10.09.2020 से सदस्य नहीं रहे)	स्वतंत्र निदेशक / सदस्य	3	1
5	श्री शिवकुमारन के.एम.	निदेशक (मानव संसाधन) / सदस्य	3	3
6	श्रीमती शिखा गुप्ता	निदेशक (अन्य यूनिटें) / सदस्य	3	3
7	श्री दिनेश कुमार बत्रा (01.08.2020 से सदस्य के रूप में नियुक्त)	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ / सदस्य	3	3
8	श्री सुनील कुमार कोहली (07.01.2021 से सदस्य के रूप में नियुक्त)	स्वतंत्र निदेशक / सदस्य	3	2

3. वह वेब–लिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइटों पर सीएसआर समिति, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं की संरचना को दर्शाया गया है–

सीएसआर समिति का संघटन हमारी वेबसाइट https://www.bel-india.in/ContentPage.aspx?MId=17CId=531LId=1link=531 पर उपलब्ध है।

कंपनी की सीएसआर नीति हमारी वेबसाइट https://www.bel-india.in/'ocumentviews.aspx?fileName=CSR-Policy-31-03-2021.pdf पर उपलब्ध है।

सीएसआर परियोजनाओं के ब्यौरे हमारी वेबसाइट https://www.bel-india.in/ContentPage.aspx?MId=17CId=427LId=1link=427 पर उपलब्ध है।

4. कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में संचालित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)–

बीईएल अपने रणनीतिक सीएसआर कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए आंतरिक प्रभाव आकलन करती रही है। कंपनी वित्त वर्ष 2021–22 से अनुपालन के लिए कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) का संज्ञान लेती है।

5. कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में समंजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्त वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो– कुछ नहीं

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ– 2,32,390.59 लाख रु.

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत– 4647.81 लाख रु.

(ख) पिछले वित्त वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से बचा अधिशेष– शून्य

(ग) इस वित्त वर्ष के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो– शून्य–

(घ) इस वित्त वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख –7ग)–4647.81 लाख रु.

8. (क) वित्त वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशि–

वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रु. में)	अव्ययित राशि (रु. में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची तखख के तहत किसी निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरित राशि		
	राशि	हस्तांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि
22,79,18,848.67	24,09,27,914.33	30.04.2021	ला.न.	शून्य	ला.न.

(ख) वित्त वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के सामने खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण–

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्रमांक	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रु. में)	चालू वित्त वर्ष में खर्च की गई राशि(रु. में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाता को हस्तांतरित राशि (रु में)	कार्यान्वयन का तरीका – सीधे (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	कोल्ड–चेन उपकरण अर्थात, भारत सरकार के COVID–19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए डीप फ्रीजर (छोटा) और वॉक–इन फ्रीजर का प्रावधान	मद (i) – स्वास्थ्य सेवा	हाँ	कर्नाटक	बेंगलुरु	2 वर्ष	111,00,000.00	90,71,545.00	20,28,455.00	हाँ	ला.न.	ला.न.
2	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), ऋषिकेश को मल्टीपैरा आईसीयू मॉनिटर प्रदान करना	मद (i) – स्वास्थ्य सेवा	नहीं	उत्तराखंड	देहरादून	2 वर्ष	100,00,000.00	91,80,000.00	8,20,000.00	हाँ	ला.न.	ला.न.
3	सरकारी सिविल अस्पताल को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना	मद (i) – स्वास्थ्य सेवा	हाँ	हरियाणा	पंचकुला	2 वर्ष	58,34,000.00	38,22,794.00	20,11,206.00	हाँ	ला.न.	ला.न.
4	जिला प्रशासन को 2 सैनिटरी नैपकिन बनाने वाली मशीनें प्रदान करना	मद (i) – स्वास्थ्य सेवा	हाँ	हरियाणा	पंचकुला	2 वर्ष	12,00,000.00	11,18,240.00	81,760.00	हाँ	ला.न.	ला.न.

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्रमांक	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रु. में)	चालू वित्त वर्ष में खर्च की गई राशि(रु. में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाता को हस्तांतरित राशि (रु में)	कार्यान्वयन का तरीका – सीधे (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
5	पुलिस कल्याण अस्पताल, मछलीपट्टनम को चिकित्सा उपकरणों का प्रावधान	मद (i) – स्वास्थ्य सेवा	हाँ	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	2 वर्ष	10,00,000.00	8,59,800.49	1,40,199.51	हाँ	ला.न.	ला.न.
6	सरकारी संस्थान, बेंगलुरु प्रशासनिक खर्चों के लिए बुनियादी ढांचे और सहयोग का विस्तार	मद (ii) – शिक्षा	हाँ	कर्नाटक	बेंगलुरु	3 वर्ष	339,78,000.00	280,35,000.00	59,43,000.00	हाँ	ला.न.	ला.न.
7	एलए सरकारी महिला जूनियर कॉलेज, मछलीपट्टनम के लिए यूपीएस का प्रावधान	मद (ii) – शिक्षा	हाँ	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	2 वर्ष	3,75,000.00	1,41,600.00	2,33,400.00	हाँ	ला.न.	ला.न.
8	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर में योगदान – मेकर विलेज, किनफ्रा हाई-टेक पार्क, कोच्चि	मद (ix) – प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर में योगदान	नहीं	केरल	एर्नाकुलम	3 वर्ष	40,00,000.00	20,00,000.00	20,00,000.00	हाँ	ला.न.	ला.न.
9	दत्तक सरकारी आईटीआई, नोएडा के लिए औजारों और उपकरण की खरीद	मद (ii) – व्यावसायिक कौशल विकास	हाँ	उत्तर प्रदेश	गौतम बौद्ध नगर	3 वर्ष	36,70,000.00	14,87,694.96	21,82,305.04	हाँ	ला.न.	ला.न.
10	सरकारी जिला अस्पताल, मछलीपट्टनम को आईसीयू बैड और मेडिकल पीपीई किट का प्रावधान।	मद (i) – स्वास्थ्य सेवा	हाँ	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	2 वर्ष	3,00,000.00	2,50,880.22	49,119.78	हाँ	ला.न.	ला.न.
11	लखनऊ जिला प्रशासन को मोबाइल कैंसर जांच इकाई	मद (i) – स्वास्थ्य सेवा	नहीं	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	4 वर्ष	250,00,000.00	0.00	250,00,000.00	हाँ	ला.न.	ला.न.
12	सरकारी गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बम्बोलिम को मोबाइल कैंसर जांच इकाई	मद (i) – स्वास्थ्य सेवा	नहीं	गोवा	उत्तर गोवा	4 वर्ष	250,00,000.00	0.00	250,00,000.00	हाँ	ला.न.	ला.न.
13	सरकारी जिला अस्पताल, मछलीपट्टनम के लिए सीटी स्कैनर का प्रावधान	मद (i) – स्वास्थ्य सेवा	हाँ	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	2 वर्ष	250,00,000.00	0.00	250,00,000.00	हाँ	ला.न.	ला.न.
14	बडवेल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में डायलिसिस यूनिट का निर्माण	मद (i) – स्वास्थ्य सेवा	नहीं	आंध्र प्रदेश	वाईएसआर जिला	4 वर्ष	199,20,000.00	0.00	199,20,000.00	हाँ	ला.न.	ला.न.
15	जिला सामान्य अस्पताल, तालुक सामान्य अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और आकांक्षी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को चिकित्सा उपकरण प्रदान करना	मद (i) – स्वास्थ्य सेवा	नहीं	कर्नाटक	यादगीर	3 वर्ष	151,00,000.00	0.00	151,00,000.00	हाँ	ला.न.	ला.न.
16	डोड्डाबोम्मासांद्रा झील में शौचालय ब्लॉक और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बेंगलुरु का संचालन और रखरखाव का प्रावधान	मद (i) – स्वास्थ्य सेवा	हाँ	कर्नाटक	बेंगलुरु	3 वर्ष	39,87,000.00	0.00	39,87,000.00	हाँ	ला.न.	ला.न.
17	सरकारी जिला अस्पताल को हेमोडायलिसिस मशीन प्रदान करना	मद (i) – स्वास्थ्य सेवा	नहीं	मणिपुर	तामेंगलोंग	3 वर्ष	15,00,000.00	0.00	15,00,000.00	हाँ	ला.न.	ला.न.
18	निम्मुलुरु गांव, मछलीपट्टनम के पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा उपकरणों का प्रावधान	मद (i) – स्वास्थ्य सेवा	हाँ	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	3 वर्ष	38,69,000.00	0.00	38,69,000.00	हाँ	ला.न.	ला.न.

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्रमांक	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रु. में)	चालू वित्त वर्ष में खर्च की गई राशि(रु. में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाता को हस्तांतरित राशि (रु में)	कार्यान्वयन का तरीका – सीधे (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
19	सरकारी जिला अस्पताल, मछलीपट्टनम को रक्त भंडारण रेफ्रिजरेटर, डोनर काउच आदि का प्रावधान	मद (i) – स्वास्थ्य सेवा	हाँ	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	2 वर्ष	12,00,000.00	0.00	12,00,000.00	हाँ	ला.न.	ला.न.
20	आकांक्षी जिलों के 135 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम	मद (ii) – शिक्षा	नहीं	कर्नाटक	रायचूर	4 वर्ष	419,39,000.00	0.00	419,39,000.00	हाँ	ला.न.	ला.न.
21	विश्वेश्वरैया औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय (वीआइटीएम) में ङ्खबीईएल इलेक्ट्रॉनिक्स गैलरीङ्खङ्ख का उन्नयन	मद (ii) – शिक्षा	हाँ	कर्नाटक	बेंगलुरु	4 वर्ष	200,00,000.00	0.00	200,00,000.00	हाँ	ला.न.	ला.न.
22	श्री सरस्वती विद्यापीठम में कौशल विकास केंद्र की स्थापना मद	मद (ii) – शिक्षा	नहीं	तेलंगाना	आरआर जिला	4 वर्ष	140,00,000.00	0.00	140,00,000.00	हाँ	ला.न.	ला.न.
23	सीजीएससीआई के सहयोग से पीयू/ आईटीआई/डिप्लोमा छात्रों के लिए बीईएल-बीजी में व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण	मद (ii) – व्यावसायिक कौशल विकास	हाँ	कर्नाटक	बेंगलुरु	3 वर्ष	49,00,000.00	0.00	49,00,000.00	हाँ	ला.न.	ला.न.
24	ईएसएससीआई के सहयोग से पीयू/ आईटीआई/डिप्लोमा छात्रों के लिए बीईएल-बीजी में व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण	मद (ii) – व्यावसायिक कौशल विकास	हाँ	कर्नाटक	बेंगलुरु	3 वर्ष	39,00,000.00	0.00	39,00,000.00	हाँ	ला.न.	ला.न.
25	एम एम हिल्स वन्यजीव अभयारण्य में चेक डैम का निर्माण, बोरवेल का प्रावधान, सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम, सोलर लाइट और अन्य कार्य	मद (iv) – पर्यावरणीय चिरंतनता	नहीं	कर्नाटक	चामराजनगर	4 वर्ष	168,39,000.00	0.00	168,39,000.00	हाँ	ला.न.	ला.न.
26	सरकारी प्राथमिक विद्यालय में फर्नीचर और सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय, महाराजपुर का नवीनीकरण का प्रावधान	मद (x) – ग्रामीण विकास	हाँ	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	3 वर्ष	11,16,000.00	0.00	11,16,000.00	हाँ	ला.न.	ला.न.
कुल (रु. में)							**29,47,27,000.00**	**5,59,67,554.67**	**23,87,59,445.33**		**ला.न.**	**ला.न.**

(ग) वित्त वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य के सामने खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण–

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्रमांक	**परियोजना का नाम**	**अधिनियम के लिए तखख अनुसूची में गतिविधियों की सूची से मद**	**स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)**	**परियोजना का स्थान**		**परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (रु. में)**	**कार्यान्वयन का तरीका – सीधे (हां/नहीं)**	**कार्यान्वयन मोड – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से**	
				राज्य	**जिला**			**नाम**	**सीएसआर पंजीकरण संख्या**
1	बेंगलुरु सिटी पुलिस के माध्यम से बेंगलुरु में प्रवासी मजदूरों को 1300 सूखा राशन किट प्रदान करना	मद (i) – स्वास्थ्य सेवा	हां	कर्नाटक	बेंगलुरु	23,03,971.00	हां	ला.न.	ला.न.
2	पंचकूला जिले, हरियाणा की आम जनता को 3000 फेस मास्क का वितरण	मद (i) – स्वास्थ्य सेवा	हां	हरियाणा	पंचकूला	45,000.00	हां	ला.न.	ला.न.

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्रमांक	परियोजना का नाम	अधिनियम के लिए तखख अनुसूची में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (रु. में)	कार्यान्वयन का तरीका – सीधे (हां/नहीं)	कार्यान्वयन मोड – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
3	रायचूर आकांक्षी जिला, कर्नाटक के कोविड-19 क्वारंटाइन सेंटर के सहवासियों को 2000 राशन किट का प्रावधान	मद (i) – स्वास्थ्य सेवा	हां	कर्नाटक	रायचूर	19,83,540.00	हां	ला.न.	ला.न.
4	डीआरडीओ द्वारा स्थापित सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल, दिल्ली कैंट, में योगदान	मद (i) – स्वास्थ्य सेवा	हां	दिल्ली	दिल्ली	100,00,000.00	हां	ला.न.	ला.न.
5	आकांक्षी जिलों में कोविड से संबंधित सामाजिक व्यवहार मानदंडों पर जागरूकता	मद (i) – स्वास्थ्य सेवा	हां	कर्नाटक	रायचूर और यादगीर	18,32,060.00	हां	ला.न.	ला.न.
6	कोहिमा नगर परिषद, कोहिमा, नागालैंड के लिए क्वाट्रो ट्रेनट मशीन का प्रावधान	मद (i) – स्वास्थ्य सेवा	हां	नागालैंड	कोहिमा	15,48,960.00	हां	ला.न.	ला.न.
7	स्किल इंडिया के तहत प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण	आइटम (ii) – व्यावसायिक कौशल विकास	हां	कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड	बेंगलुरु, चेन्नई, कृष्णा, मेडचल मलकाजगिरी, पुणे, रायगढ़, गाज़ियाबाद, पंचकुला, कोटद्वार	13,21,05,326.00	हां	ला.न.	ला.न.
कुल (रु. में)						14,98,18,857.00		ला.न.	ला.न.

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि– रु. 2,21,32,437.00

(ङ) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो– शून्य

(च) इस वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ)– रु. 22,79,18,848.67

(छ) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो– शून्य

9. (क) पिछले तीन वित्त वर्षों के लिए खर्च न की गई सीएसआर राशि का विवरण–

क्रमांक	पूर्ववर्ती वित्त वर्ष	धारा 135 (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रु. में)	वित्त वर्ष में खर्च की गई राशि (रु. में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत (रु. में) निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो।			अनुवर्ती वित्त वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (रु. में)
				निधि का नाम	राशि (रु. में)	हस्तांतरण तिथि	
1	2019-20	7,90,34,548.28	4,03,05,022.72	-	-	-	7,90,34,548.28
2	2018-19	7,59,00,834.24	4,49,87,266.76	-	-	-	7,59,00,834.24

क्रमांक	पूर्ववर्ती वित्त वर्ष	धारा 135 (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रु. में)	वित्त वर्ष में खर्च की गई राशि (रु. में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत (रु. में) निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो।			अनुवर्ती वित्त वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (रु. में)
				निधि का नाम	राशि (रु. में)	हस्तांतरण तिथि	
3	2017-18	-	4,88,74,730.97	पीएम केयर्स फंड	5,45,20,557.03	30.04.2021	0.00
4	2016-17	-	49,25,674.00	-	-	-	0.00
	कुल	15,49,35,382.52	13,90,92,694.45	-	5,45,20,557.03	-	15,49,35,382.52

(ल) पिछले वित्त वर्ष (वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए इस वित्त वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्रमांक	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	परियोजना किस वित्त वर्ष में शुरू की गई थी	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए कुल आवंटित राशि (रु. में)	रिपोर्टिंग वित्त वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रु. में)	रिपोर्टिंग वित्त वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रु. में)	परियोजना की स्थिति – पूर्ण / जारी
1	BGENV161701	डोड्डाबोम्मासांद्रा झील, बेंगलुरु (चरण- I) में 10 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और संचालन	2016-17	5 वर्ष	12,03,77,813.39	37,01,347.23	12,03,77,813.39	पूर्ण
2	GDADI161701	स्किल इंडिया इनिशिएटिव - दत्तक सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे का उन्नयन	2016-17	5 वर्ष	5,94,40,000.00	12,24,326.77	4,34,32,927.74	पूर्ण
3	BGSBA171801	एच डी कोटे, मैसूर जिला, कर्नाटक में जनजातीय कॉलोनियों के लिए विकास कार्य	2017-18	4 वर्ष	1,56,88,721.62	48,39,852.32	1,56,88,721.62	पूर्ण
4	BGEDU171803	सरकारी पीयू कॉलेज, मथिगट्टा, तुमकुर जिला, कर्नाटक में बुनियादी ढांचे का विस्तार	2017-18	4 वर्ष	1,53,00,000.00	9,09,070.00	1,40,84,177.00	पूर्ण
5	BGEDU171804	सरकारी पीयू कॉलेज (हाई स्कूल सेक्शन), तुरुवेकेरे, तुमकुर जिला, कर्नाटक में बुनियादी ढांचे का विस्तार	2017-18	4 वर्ष	1,65,00,000.00	10,05,607.90	1,40,35,148.40	पूर्ण
6	BGEDU171805	सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय, कारवार, उत्तर कन्नड़ जिला, कर्नाटक में बुनियादी ढांचे का विस्तार	2017-18	4 वर्ष	1,25,33,978.00	1,05,36,499.00	1,25,33,978.00	पूर्ण
7	BGEDU171801	सरकारी शैक्षणिक संस्थान, बेंगलुरु में बुनियादी ढांचे का विस्तार और सुविधा रखरखाव	2017-18	4 वर्ष	4,24,95,000.00	4,77,314.00	4,13,01,105.00	पूर्ण
8	BGSBA171803	सरकारी मॉडल प्राथमिक विद्यालय और सरकारी हाई स्कूल, हेब्बल, बेंगलुरु, कर्नाटक में वाटर प्यूरीफायर का प्रावधान,शौचालय, हैंडवाश आदि का निर्माण	2017-18	4 वर्ष	47,00,000.00	2,67,712.06	41,34,310.88	पूर्ण
9	GDSAN171801	नगर निगम गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के लिए सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण	2017-18	4 वर्ष	47,00,000.00	2,17,162.56	12,43,482.36	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्रमांक	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	परियोजना किस वित्त वर्ष में शुरू की गई थी	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए कुल आवंटित राशि (रु. में)	रिपोर्टिंग वित्त वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रु. में)	रिपोर्टिंग वित्त वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रु. में)	परियोजना की स्थिति – पूर्ण / जारी
10	GDSBA171801	दत्तक ग्राम महाराजपुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में विकास कार्य	2017-18	4 वर्ष	1,47,73,675.12	1,47,73,675.12	1,47,73,675.12	पूर्ण
11	KTSAN171801	ग्रास्तान गंज गांव में सिद्धबली मंदिर, कोटद्वार, उत्तराखंड के पास शौचालय परिसर का निर्माण	2017-18	4 वर्ष	25,00,000.00	73,537.00	24,04,982.04	पूर्ण
12	KTSBA171801	पुचिंग (खेबुचिंग) गांव, तामेंगलोंग जिला, मणिपुर (चरण- ख) का समावेशी और सतत विकास	2017-18	4 वर्ष	1,10,67,000.00	66,70,703.84	1,10,67,000.00	पूर्ण
13	MCADI171801	दत्तक सरकारी आईटीआई, नुजविद, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश में बुनियादी ढांचे का उन्नयन	2017-18	4 वर्ष	25,00,000.00	16,57,212.91	22,82,086.87	पूर्ण
14	MCRDE171801	एनएच 65 से निम्मलुरु गांव तक डामर रोड का निर्माण, मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश	2017-18	4 वर्ष	1,65,00,000.00	17,50,735.09	1,51,23,938.48	पूर्ण
15	PKSBA171801	दत्तक ग्राम मंधाना, पंचकुला, हरियाणा में विकास कार्य	2017-18	4 वर्ष	54,00,000.00	6,090.00	52,48,724.22	पूर्ण
16	PNADI171801	दत्तक सरकारी आईटीआई, मुलशी, पुणे जिला, महाराष्ट्र में विकास कार्य	2017-18	4 वर्ष	52,00,000.00	4,69,261.23	23,95,898.79	पूर्ण
17	PNSBA171801	दत्तक गांवों मखुबी और करंजलेफ, पुणे जिला, महाराष्ट्र में विकास कार्य	2017-18	4 वर्ष	1,87,00,000.00	52,20,297.94	87,31,553.09	पूर्ण
18	COTIC181902	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर में योगदान, I-TIC फाउंडेशन, IIT-हैदराबाद	2018-19	3 वर्ष	10,00,000.00	10,00,000.00	10,00,000.00	पूर्ण
19	KTSBA181901	पुचिंग (खेबुचिंग) गांव, तामेंगलोंग जिला, मणिपुर (चरण- II) का समावेशी और सतत विकास	2018-19	4 वर्ष	29,18,600.00	12,82,044.16	12,82,044.16	जारी
20	BGENV181901	शैक्षिक संस्थानों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर स्ट्रीट लाइट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सौर मॉड्यूल प्रदान करना	2018-19	4 वर्ष	133,00,000.00	4,35,497.00	101,27,273.00	जारी
21	BGSDP181901	इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (ईएसएससीआइ) के साथ साझेदारी में सीएलडी/बीसी में व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण	2018-19	4 वर्ष	39,00,000.00	11,95,608.00	35,91,968.00	जारी
22	BGEDU181902	यादगीर आकांक्षी जिला, कर्नाटक के 122 सरकारी प्राथमिक विद्यालय में सौर-आधारित स्मार्ट क्लास सुविधा और 100 सरकारी स्कूलों में हाई स्कूल और हैंडवाश की सुविधा प्रदान करना	2018-19	4 वर्ष	560,00,000.00	402,95,179.00	403,78,795.00	जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्रमांक	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	परियोजना किस वित्त वर्ष में शुरू की गई थी	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए कुल आवंटित राशि (रु. में)	रिपोर्टिंग वित्त वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रु. में)	रिपोर्टिंग वित्त वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रु. में)	परियोजना की स्थिति – पूर्ण / जारी
23	BGHLC181902	रायचूर आकांक्षी जिला, कर्नाटक में 4 तालुक सामान्य अस्पतालों और 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए चिकित्सा उपकरणों का प्रावधान	2018-19	4 वर्ष	556,58,000.00	7,78,939.00	7,78,939.00	जारी
24	BGENV161701	डोड्डाबोम्मासांद्रा झील, बेंगलुरु (चरण- II) में 10 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और संचालन	2019-20	4 वर्ष	98,89,000.00	112,57,174.78	112,57,174.78	जारी
25	NMSBA192001	धुले जिले, महाराष्ट्र के पांच गांवों में बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण	2019-20	3 वर्ष	60,00,000.00	54,73,392.24	54,73,392.24	पूर्ण
26	MCHLC192001	मलयप्पनपेट, मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में ड्रेनेज का निर्माण	2019-20	3 वर्ष	32,71,000.00	30,83,582.31	30,83,582.31	पूर्ण
27	KTEDU192001	कोटद्वार, उत्तराखंड के सात सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे का विस्तार	2019-20	3 वर्ष	13,00,000.00	3,46,645.41	12,29,521.55	जारी
28	BGEDU192002	बीईईआइ, बेंगलुरु के प्रशासनिक खर्चों के लिए उडठ सहयोग	2019-20	3 वर्ष	388,11,000.00	112,67,754.00	3,82,67,754.00	जारी
29	BGEDU192003	सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय, मुधोल तालुक, बागलकोट जिला, कर्नाटक के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार	2019-20	4 वर्ष	188,00,000.00	9,01,701.00	9,01,701.00	जारी
30	KTHLC192001	सियाहा जिला, मिजोरम के लिए समावेशी और सतत विकास हस्तक्षेप	2019-20	4 वर्ष	66,00,000.00	22,50,555.64	22,50,555.64	जारी
31	PKEDU192001	वृंदावन, उत्तर प्रदेश में सरकारी विद्यालयों को मध्याह्न भोजन वितरण के लिए वाहनों का प्रावधान	2019-20	3 वर्ष	55,00,000.00	24,85,713.00	54,76,408.00	पूर्ण
32	BGEDU192001	सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय, निसरानी, शिमोगा जिला, कर्नाटक के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार	2019-20	4 वर्ष	84,00,000.00	15,34,740.00	15,34,740.00	जारी
33	CHEDU192001	तमिलनाडु के सरकारी विद्यालयों में बुनियादी ढांचे का विस्तार	2019-20	4 वर्ष	43,91,000.00	17,03,764.34	17,03,764.34	जारी
कुल (रु. में)					**60,41,14,788.13**	**13,90,92,694.85**	**45,71,97,136.02**	

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्त वर्ष में सीएसआर फंड के माध्यम से निर्मित या अर्जित परिसंपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (परिसंपत्ति–वार विवरण)– लागू नहीं

(क) पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि

(ख) पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि

(ग) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता इत्यादि।

(घ) निर्मित या अधिग्रहीत पूंजीगत परिसंपत्ति (पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें।

11. यदि धारा 135(5) के अनुसार कंपनी औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही हो, तो कारण निर्दिष्ट करें

सीएसआर के माध्यम से दीर्घकालिक सामाजिक प्रभाव के लिए, कंपनी ने एक वर्ष से अधिक की परियोजना अवधि के साथ परियोजना मोड में कई पहल की हैं, जिसमें कार्य प्रगति आधारित भुगतान एक से अधिक वित्त वर्ष में फैले हुए हैं। यह कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 और उसके संशोधनों के अनुरूप भी है।

बोर्ड के लिए व उसकी ओर से

बेंगलूरु
31 अगस्त 2021

आनंदी रामलिंगम
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

अनुलग्नक -3

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की सचिवालयीन लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) तथा कंपनी (प्रबंध कार्मिकों की नियुक्ति व पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 का नियम सं. 9 के अनुवर्तन में

सेवा में,
सदस्य,
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,
आउटर रिंग रोड,
नागवारा, बेंगलूरु - 560045, कर्नाटक

हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीआईएन-L32309KA1954GOI000787) (जिसे यहाँ इसके बाद 'कंपनी' कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा उत्तम कार्पोरेट पद्धतियों का पालन करने के संबंध में सचिवालयीन लेखा-परीक्षा की है। सचिवालयीन लेखा-परीक्षा इस प्रकार की गई है कि कार्पोरेट व्यवहार/ सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपने विचार व्यक्त करने का औचित्यपूर्ण आधार मिले ।

कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, कागज़ात, कार्यवृत्त पुस्तिकाएँ, प्रारूप एवं फाइल की गई विवरणियाँ व अन्य अभिलेखों और साथ ही सचिवालयीन लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं व प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई जानकारी के सत्यापन के आधार पर, हम एतद्वारा यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान यहाँ सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यहाँ इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अनुसार और उसके अधीन, उसके पास समुचित बोर्ड-प्रक्रियाएँ व अनुपालन की कार्यप्रणाली उपलब्ध है।

हमने निम्न प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, कागज़ात, कार्यवृत्त पुस्तिकाएँ, प्रारूप एवं फाइल की गई विवरणियाँ व अन्य अभिलेखों का निरीक्षण किया है -

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) व उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और कंपनी अधिनियम, 1956 के संबंधित प्रावधान;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') व उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 व उसके अंतर्गत बनाए गए उप-नियम;

(iv) विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 तथा उसके अधीन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपार प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए बनाए गए नियम व विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम,1992 ("सेबी अधिनियम") के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियम व दिशा-निर्देश-

क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का सारभूत अभिग्रहण व अधिग्रहण) विनियम, 2011;

ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार प्रतिषेध) विनियम, 2015;

ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी निर्गम व प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ) विनियम, 2018;

घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी अनुलाभ) विनियम, 2014; **(लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)**;

ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम व सूचीकरण) विनियम, 2008; **(लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)**;

च) कंपनी अधिनियम व ग्राहक लेनदेन से संबंधित भारतीय सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का निर्गम व अंतरण अभिकर्ताओं के पंजीयक) विनियम, 1993;

छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना) विनियम, 2009; (लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं) तथा

ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998 (लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है –

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयीन मानक ।

(ii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण की बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ) विनियम, 2015

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्न को छोड़कर, ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमावली, विनियमों, दिशा–निर्देशों एवं मानकों आदि का अनुपालन किया है–

i) समाप्त वित्तीय वर्ष तक मंडल में कुल दस (10) निदेशक हैं, जिसके एक अध्यक्ष हैं जो नियमित कार्यकारी निदेशक (प्रबंध निदेशक) है, अन्य छः (6) कार्यकारी निदेशक, दो (2) गैर–कार्यकारी और गैर–स्वतंत्र निदेशक और एक (1) स्वतंत्र निदेशक है । सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(बी) के अनुसार, जहां सूचीबद्ध स्वत्व के पास कोई नियमित गैर–कार्यकारी निदेशक नहीं हैं, वहां कम से कम आधे निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। कंपनी को और आठ (8) स्वतंत्र निदेशकों नियुक्त करने हैं।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) (बी) के अनुसार, कंपनी में 1 अप्रैल 2019 तक कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक होनी चाहिए । स्वतंत्र महिला निदेशक का पद 22 दिसंबर 2019 से रिक्त है । तब से उक्त पद रिक्त है। तदनुसार, कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 के प्रावधानों का पालन नहीं किया है।

इसके अलावा, कंपनी ने अभी तक स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियों के कारण लेखा परीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना का पुनर्गठन नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप क्रमशः विनियम 18(1)(बी) और विनियम 19(1)(सी) का अनुपालन नहीं हुआ।

वर्ष के दौरान, हितधारकों की समिति की संरचना विनियम 20(2ए) के अनुपालन में नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप विनियम 20(2ए) का अनुपालन नहीं हुआ और बाद में नियम 20(2ए) का अनुपालन करने के लिए समिति का पुनर्गठन किया गया।

उपर्युक्त गैर–अनुपालन के लिए, स्टॉक एक्सचेंजों ने कंपनी पर समय–समय पर जुर्माना अधिरोपित किया है। यह सूचित किया गया है कि उक्त स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियाँ भरने का कार्य नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी यानी भारत सरकार के पास लंबित है। उक्त की सूचना देते हुए, कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों बीएसई और एनएसई को कोई जुर्माना अदा नहीं किया गया है। स्टॉक एक्सचेंजों के निर्देशानुसार जुर्माने का भुगतान न करने के मामले को बोर्ड के सामने रखा गया था और इसे स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया गया। एनएसई ने अपने पत्र सं. एनएसई/लिस्ट/एसओपी/0449 दिनांक 22 जून 2020 द्वारा कंपनी पर 31 दिसंबर 2019 तक के लिए लगाए गए जुर्माने को माफ कर दिया और बीएसई ने अपने ई–मेल दिनांक 12 अप्रैल 2021 द्वारा 31 दिसंबर 2020 तक कंपनी पर लगाए गए जुर्माने को माफ कर दिया।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी में उपलब्ध अनुपालन प्रणाली के संबंध में तथा उसके अनुवर्तन में संगत दस्तावेजों और अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, नमूने की जाँच के आधार पर, कंपनी ने निम्नलिखित नियमों/ दिशा–निर्देशों/ नियमावली का अनुपालन किया है जो विशेषकर कंपनी पर लागू होते हैं –

(i) लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश;

(ii) रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देश;

(iii) भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/विनियम;

(iv) ई–वेस्ट (प्रबंधन व संचालन) नियमावली,2016;

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि–

मंडल के संगठन में उपर्युक्त योग्यता के अधीन, कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठित है। निदेशक मंडल की संगठन में परिवर्तन जो समीक्षाधीन अवधि के दौरान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किए गए थे।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया गया, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी 7 अगस्त 2020 और 7 सितंबर 2020 को आयोजित मंडल की 2 बैठकों को छोड़कर कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, जो अल्पावधि की नोटिस देते हुए आयोजित किए गए थे, और बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागीदारी की कार्यप्रणाली मौजूद है।

सदस्यों के विचारों में मतभेद, यदि कोई हो, प्राप्त और दर्ज किया जाता है और कार्यवृत्त के भाग के रूप में बहुमत से निर्णय लिया गया ।

हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि लागू विधि, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों की निगरानी करने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और कामकाज के अनुरूप, कंपनी में समुचित प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।

हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित घटनाएँ/कार्य देखने को मिले जिनका ऊपर संदर्भित विधि, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों के तारतम्य में कंपनी के कामकाज पर प्रभाव पड़ा है – कुछ नहीं।

कृते **तिरुपाल गोरिगे एंड एसोसिएट्स एलएलपी**
पेशेवर कंपनी सचिव

सी.एस. तिरुपाल गोरिगे
पदनामित साझेदार
एफ.सी.एस. नं. 6680; सी.पी. नं. 6424
यूडीआईएन- F006680C000500811

स्थान- बेंगलूरु
दिनांक- 23 जून 2021

टिप्पणी - इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक पत्र जो **अनुलग्नक–क** में दिया गया है और इस इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है, के साथ पढ़ा जाए।

अनुलग्नक–क

सेवा में,
सदस्य,
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,
आउटर रिंग रोड,
नागवारा, बेंगलूरु - 560045, कर्नाटक

इस पत्र के साथ हमारी समसंख्यक रिपोर्ट पढ़ी जाए ।

(1) सचिवालयीन अभिलेख के अनुरक्षण का दायित्व कंपनी के प्रबंधन पर है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन सचिवालयीन अभिलेखों पर अपना विचार प्रकट करना है।

(2) हमने सचिवालयीन अभिलेखों की विषय-वस्तु की यथार्थता के बारे में औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए आवश्यक, लेखा-परीक्षा पद्धतियों व प्रक्रियाओं को अपनाया है। यह सत्यापन जाँच आधार पर किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सचिवालयीन अभिलेखों में सही तथ्य दिए गए हैं। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा अनुसरित प्रक्रियाएँ व पद्धतियाँ हमारे विचार का औचित्यपूर्ण आधार प्रदान करते हैं।

(3) हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की शुद्धता व समुचितता का सत्यापन नहीं किया है।

(4) जहाँ आवश्यक हो, हमने विधि, नियमावली, नियमों व विनियमों तथा घटनाक्रम आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

(5) निगमित व अन्य लागू विधि, नियमावली, नियमों व विनियमों, मानकों आदि के प्रावधानों के अनुपालन का दायित्व कंपनी के प्रबंधन पर है। हमारा परीक्षण जाँच आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित था।

(6) सचिवालयीन लेखा-परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही कंपनी के प्रबंधन द्वारा संचालित कार्यों की सक्षमता या प्रभावात्मकता समर्थन है।

कृते तिरुपाल गोरिगे एंड एसोसिएट्स एलएलपी
पेशेवर कंपनी सचिव

सी.एस. तिरुपाल गोरिगे
पदनामित साझेदार
एफ.सी.एस. नं. 6680; सी.पी. नं. 6424
यूडीआईएन- F006680C000500811

स्थान- बेंगलूरु
दिनांक- 23 जून 2021

अनुलग्नक –4

प्रबंधन के विचार–विमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट

(क) उद्योग संरचना तथा विकास कार्य, शक्तियाँ, कमजोरियाँ, अवसर तथा जोखिम, निर्वहनीय कार्य–निष्पादन तथा प्रगति सुनिश्चित करने हेतु की गई और योजित महत्वपूर्ण पहल

(क) अर्थ–व्यवस्था का सामान्य दृष्टिकोण, उद्योग जिसमें कंपनी प्रचालित होती है, सरकारी बजट, विशेषकर रक्षा बजट, बाजार की परिस्थितियाँ तथा कंपनी पर इनका प्रभाव, कंपनी के हितों की रक्षा के लिए उठाए गए कदम/ कार्य योजना;

सन् 1930 की महामंदी के बाद से कोविड-2019 ने 2020 में वैश्विक मंदी का सबसे बुरे दौर की शुरूवात की । इसके परिणामस्वरूप वैश्विक व्यापार में भारी गिरावट, उपयोगी वस्तुओं की कीमतों में कमी और विभिन्न देशों के चालू खाता शेष और मुद्राओं के लिए अलग अलग निहितार्थ के साथ अपेक्षाकृत अधिक कठोर वित्तपोषण की स्थितियां उत्पन्न हुई ।

सन् 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने कोविड –2019 के रूप में बहुत बड़े संकट का सामना किया, जिसने सरकार को तालाबंदी का सहारा लेने के लिए विवश किया और इस प्रकार देश में विभिन्न आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों को प्रभावित किया । इस व्यवधान के कारण अर्थव्यवस्था में संकुचन हुआ और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की पहली तिमाही में महत्वपूर्ण संकुचन देखा गया ।

इस महा आपदा के कारण बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन कार्यक्रम की अति आवश्यकता थी जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 13% था । 2020–21 में राजकोषीय घाटा (एफ डी) भी में जीडीपी के 3.5% से बढ़कर 9.5% हो गया ।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के अनुसार, भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2019–20 में 4.2% की वृद्धि विकास दर की तुलना में 2020–21 में 7.7% तक संकुचित होने का अनुमान है । वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए किए गए अग्रिम अनुमानों से 2020–21 में एक आघात – सह वी- आकार का सुधार होने की उम्मीद है । 2020–21 में महामारी के कारण अनुमानित 7.7% के संकुचन के बाद, भारत की वास्तविक जीडीपी में 2021–22 में 11.0% की वृद्धि और नाममात्र जीडीपी में 15.4% की वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है। हालांकि अर्थव्यवस्था पर कोविड –2019 की दूसरी लहर के प्रभाव का निकट भविष्य में आकलन किए जाने की आवश्यकता है ।

भारत ने वित्तीय वर्ष 2020–21 की पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद का 3.1% का चालू खाता अधिशेष दर्ज किया जिसका मुख्य कारण सेवा निर्यात है हालांकि, बाहरी मांग सामान्य होने की संभावना वैश्विक कोविड दृष्टिकोण पर ही आश्रित है ।

रक्षा

अप्रैल 2021 में जारी एसआईपीआई रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक रक्षा खर्च 2020 में अमेरिका में 1981 बिलियन तक पहुंच गया, 2019 की तुलना में वास्तविक रूप से 2.6% वार्षिक उत्थान 1988 के बाद का उच्चतम स्तर घरेलू विकास उत्पाद के अनुपात के रूप में, वैश्विक खर्च में तेजी से वृद्धि हुई 2019 में 2.2% से 2020 में 2.4% तक,विश्व के अधिकांश देशों में कोविड –19 के कारण गंभीर आर्थिक संकुचन का अनुभव होने के बाद भी वृद्धि देखी गई ।

संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में सैन्य पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है बना हुआ है, जिसके बाद चीन, भारत, रूस और यूनाइटेड किंग्डम शामिल हैं, भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है ।

सबसे अधिक खर्च करने वाले देशों में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 2020 में सैन्य खर्च ओमान (11%), सऊदी अरब (8.4%), अल्जीरिया (6.7%), कुवैत (6.5%), इजराइल (5.6%), रूस और मोरक्को (4.3%), यूक्रेन (4.1%),पाकिस्तान (4%), संयुक्त राज्य अमेरिका (3.7%), कोलंबिया (3.4%), सिंगापुर (3.2%), भारत 2.9%), दक्षिण कोरिया (2.8%) आदि ।

गंभीर आर्थिक तनाव, कर राजस्व में गिरावट और उच्च राजकोषीय घाटे के संदर्भ में रक्षा के क्षेत्र में भारतीय बजट में वृद्धि ठीक नहीं थी । देश के लिए वास्तविक और कथित खतरे पैदा करने वाले क्षेत्रीय संघर्ष और तनाव लगातार बढ़ रहा है । इसके अलावा, लद्दाख और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में भू–राजनीतिक स्थितियों में रक्षा उपकरणों के तत्काल आधुनिकीकरण की अत्यंत आवश्यकता है इन खतरों का मुकाबला करने के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र में और अधिक रक्षा उत्पादों को खरीदने की संभावना है ।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए बजट में रक्षा आवंटन को बढ़ाकर 4,78,196 करोड़ रु. कर दिया गया है जो कि 6,818 करोड़ रु. की वृद्धि या बजट में 1.4% की वृद्धि है । पूंजीगत खर्च के तहत आबंटन, जो सहस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है, उल्लेखनीय वृद्धि की गई है । वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 1,35,061 करोड़ रु. का पूंजी आवंटन वित्तीय वर्ष 2020–21 की तुलना में 18.75% की वृद्धि इंगित करता है । यह रक्षा के लिए पूंजीगत परिव्यय में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है। वायु सेना को आंबटित पूंजीगत खर्च 53,215 करोड़, सेना के लिए 36,552 करोड़ और नौसेना के लिए 33,254 करोड़ रु. था ।

नीतिगत पहल के रूप में सितम्बर 2020 मे स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गयी थी । सरकार की मंजूरी के बाद 74% से अधिक प्रत्यक्ष विदेश निवेश की अनुमति है जो आधुनिक तकनीक तक पहुंच के लिए प्रदत्त की जाती है । घरेलू कंपनियों को पूंजी और अत्याधुनिक तकनीक की बढ़ी हुई पहुंच से लाभ हो सकता है । इस बदलाव की घोषणा आत्मनिर्भर अभियान के हिस्से के रूप में की गई थी

रक्षा–इतर –

बीईएल के प्रमुख कारोबार रक्षा के अलावा, बीईएल ने गृह भूमि सुरक्षा, स्मार्ट सिटी, ऊर्जा भंडारण उत्पाद, स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क और साइबर सुरक्षा, रेलवे एवं मेट्रो समाधान, कंपोजिट, चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वास्थ्य समाधान तथा सॉफ्टवेयर आदि जैसे विभिन्न रक्षा–इतर क्षेत्रों में प्रवेश किया है।

गृह भूमि सुरक्षा

भारत में गृह भूमि सुरक्षा का बाज़ार केंद्र / राज्य सरकारों, पीएसयू सहित सरकारी संस्थानों और निजी क्षेत्र के संगठन तक फैला हुआ है । पुलिस के आधुनिकीकरण, महत्वपूर्ण अवसरंचना का संरक्षण, सीमा प्रबंधन, आतंकवाद–रोधी कार्यकलाप, शहरी क्षेत्र की सुरक्षा, भू परिवहन, पत्तन और समुद्री सुरक्षा आदि में इस बाज़ार के उल्लेखनीय अवसर मौजूद हैं । आतंकवादी कार्यकलापों और अपराध के कारण मौजूद आंतरिक सुरक्षा की समस्याएँ, डाटा की चोरी, केंद्रीकृत कमान और नियंत्रण की सुदूर निगरानी की ज़रूरत, परिसंपत्तियों का संरक्षण और विपदा प्रबंधन, सार्वजनिक अवसंरचना में वृद्धि, आई.टी. क्षेत्र में अधिक खर्च, विभिन्न सरकारी पहलों तथा सुरक्षा खर्च में बढ़ोत्तरी के कारण भारत में गृह भूमि सुरक्षा के बाज़ार की मांग बहुत बढ़ी है।

गृह मंत्रालय को 2021–22 के केन्द्रीय बजट में 1.66 लाख करोड़ रु. से अधिक का आवंटन किया गया है, जो पिछले बजट में 1.67 लाख करोड़ रु. के आवंटन से थोडा कम है ।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के लिए पुलिस बलों जिसमें केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल और दिल्ली पुलिस बल भी शामिल है, के लिए 2021–22 के लिए कुल बजट आवंटन 2020–21 में 1,05,244 करोड़ रूपये के मुकाबले 1,03,802 करोड़ रूपये है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा कम है । पिछले बजट तक इसमें 9,715 करोड़ रूपये पूंजीगत खर्च के लिए आवंटित किए गए है । सीएपीएफ, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और असम राइफल्स जैसे बल शामिल है, को लगभग पिछले बजट के समान ही 77,838 करोड़ रूपये आंवटित किए गए हैं । आसूचना ब्यूरो को 2,839 करोड़ रूपये आंबटित किए गए है ।

केंद्रीय पुलिस संगठनों जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अन्य राष्ट्रीय जांच एजेंसी को 1,000 करोड़ रूपये आबंटित किए गए हैं । पुलिस के बुनियादी ढांचे पर खर्च पिछले बजट के 4,134 करोड़ से घट कर इस बजट में 3,612 करोड़ रूपये रह गया है ।

स्मार्ट सिटी –

जून 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, 100 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया है और सभी 100 शहरों में विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी), सिटी लेवल एडवाइजरी फॉर्म्स (सीएलएएफ) शामिल किए गए हैं तथा परियोजनाओं के अनुमोदन, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए सभी और परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) की नियुक्ति की गई । विभिन्न स्मार्ट सिटी परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है । स्मार्ट सिटी मिशन को 2020–21 के संशोधित प्राक्कलन में रु. 3,400 करोड़ के समक्ष 2021–22 में रु. 6,450 करोड़ दिया गया।

नई रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित 100 स्मार्ट सिटी में से, 53 नगरों में एकीकृत कमान व कंट्रोल केंद्र कार्यशील हैं और अनेक नगर नागरी सेवाओं में सुधार लाने, अपराध कम करने और जीवन का समग्र स्तर, विशेष रूप से इस महामारी के दौरान सुधारने में प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे हैं।

रणनीतिक कारोबार यूनिट जिसे विशेष रूप से स्मार्ट सिटी और होम लैंड सेक्योरिटी कारोबारी के लिए स्थापित किया गया, ने होमलैंड सेक्योरिटी और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के अनेक आदेश प्राप्त करने में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के अधीन है।

ऊर्जा भंडारण उत्पाद

अत्यधिक ऊर्जा, रक्षा और रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए रख–रखाव मुक्त बैटरियों की भारी आवश्यकता और भारत सरकार द्वारा ई–वाहनों (ईवी) के लिए नीतिगत हस्तक्षेपों के कारण आने वाले वर्षों में वैकल्पिक बिजली भंडारण खंड में व्यापार के पर्याप्त अवसर हैं ।

भारत में विद्युत वाहन बाजार ने कई नीतिगत पहलों के बाद यह स्थिति प्राप्त की है जैसे ट्रांसफॅमेटिव मोबिलिटी और बैटरी भंडारण पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना,विद्युत वाहनों के तेजी से अपनाने और विनिर्माण विद्युत वाहनों (एफएएमई – II) के परिव्यय के साथ 10,000 करोड़ रूपये, एक ही शुरूआत संपूर्ण विद्युत वाहनों मूल्य श्रृंखला आदि में उत्पादन को स्थानीयकृत करने के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम । बैटरी बिक्री वर्तमान में विद्युत वाहन की लागत का लगभग 35% है । नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए एक प्रस्ताव के अनुसार भारत ने उन्नत बैटरी निर्माण सुविधाओं की स्थापना करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन में $ 4.6 बिलियन की पेशकश करने की योजना बनाई है क्योंकि यह विद्युत वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना और तेल पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है ।

परिपक्व भंडारण प्रौद्योगिकी में, लिथियम आयन (ली– आयन) बैटरी सबसे बहुमुखी और कुशल भंडारण उपकरण है । लिथियम आयन अवसरों के अलावा, ईंधन सेल प्रोद्योगिकी आधारित ऊर्जा भंडारण उत्पादों को भी वैश्विक स्तर पर और साथ ही भारत में भविष्य के ऊर्जा भंडारण बाजारों पर हावी होने का अनुमान है ।

ली- आयन सेल और ईंधन सेल के लिए उभरते बाजार के अवसर को देखते हुए, बीईएल ने फोकस क्षेत्रों में से एक के रूप में ली आयन सेल बैटरी और ईंधन सेल की पहचान की ओर एक केंद्रित तरीके से व्यवसाय करने और अपनी उपस्थिति का और विस्तार करने के लिए एक समर्पित माइक्रो एसबीयू बनाया । ली-आयन सेल के निर्माण द्वारा ऊर्जा भंडारण उत्पाद खंड में और ईंधन सेल का विकास निर्माण बीईएल इस क्षेत्र में विभिन्न सार्वजनिक निजी संगठनों के साथ सहयोग कर रहा है और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और विद्युत वाहनों में सहयोग के लिए मे. ट्राइटन विद्युत वाहन एलएलसी अमेरिका के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ।

सोलर – नवीनीकरण ऊर्जा –

सरकार ने 2030 तक 450 जी.डबल्यू. अक्षय ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है । इसमें सोलर ऊर्जा से 100 जी.डबल्यू. के लक्ष्य के साथ 2022 तक 175 जी.डबल्यू. अक्षय ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य भी शामिल किया गया है । हालांकि भारत सरकार का 2022 तक 225 जी डब्लयू अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का विश्वास है जो 175 जीडब्लयू के निर्धारित लक्ष्य से कम है । वर्ष 2021-22 के बजट में भारतीय सोलर ऊर्जा निगम एसईसीआई के लिए 1000 करोड़ रूपये निर्धारित किए गए हैं, जो एसईसीआई को वार्षिक आधार पर 15,000 मेगावाट की निविदाएं जारी करने में सक्षम बनाएगा ।

बीईएल ने इंजीनियरिंग उपलब्धि निर्माण (ईपीसी) / डेवलपर मोड के तहत सोलर ऊर्जा संयंत्र परियोजनाओं के निष्पादन के लिए सेल/मॉडयूल निर्माण से अपने कार्यो को बढाया है। बीईएल ने सोलर व्यवसाय की आवश्यकताओं को लक्षित करने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण के लिए एक नया माइक्रो एसबीयू बनाया है जिससे निकट भविष्य में निरंतर आधार पर बीईएल के व्यवसाय में योगदान करने की पूरी संभावना है ।

अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए मल्टी जंक्शन सोलर सेल के निर्माण के लिए इसरो द्वारा बीईएल को भी चुना गया है जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 60,000 मल्टी जंक्शन सेल की क्षमता वाला संयंत्र इसरो द्वारा स्थापित किया जाएगा और बीईएल को इसके पूर्ण विनिर्माण कार्यों की देखरेख करनी होगी ।

अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स –

इसरो ने भारतीय उद्योग के लिए पोलर स्पेस लांच विहीकल (पीएसएलवी) और लघु को सूक्ष्म उपग्रहों के निर्माण के अवसर खोल दिए है। लघु उपग्रहों के लिए वैश्विक आवश्यकता प्रति वर्ष लगभग 500 के आकड़े को छूने की उम्मीद है । इसरो की वर्ष 2023 -24 से प्रति वर्ष औसतन लगभग 18 उपग्रहों के प्रक्षेपण की संख्या बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजना है । इसरो की योजनाओं के अनुरूप अंतरिक्ष विभाग को वर्ष 2021 -22 के लिए 13,949 करोड़ रु. का बजट आवंटित किया गया है जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट से 33% की वृद्धि है । इसमें से 8,228 करोड़ रूपये पूंजीगत खर्च के लिए निर्धारित किए गए है जो स्पष्ट तौर से अंतरिक्ष में बढ़ते निवेश और अपने अंतरिक्ष कार्यकम के विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है । इसके अलावा इसरो को अगले तीन वर्षो में 30 पीएसएलवी और 10 जियो सिंक्रोनस सैटलाइट लॉंच व्हीकल (जीएसएलवी) लांच करने की भी मंजूरी है।

बीईएल सैटेलाइट संचार के जमीन सेगमेंट में प्रमुख कंपनियों में से एक है और भारतीय निजी उद्योग के साथ संयुक्त रूप से अंतरिक्ष विद्युत प्रणाली, लघु और सूक्ष्म उपग्रह, उपग्रह सेवाओं के निर्माण और लॉन्च वाहन खंड में प्रवेश करना चाहती है । बीईएल की अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों और नीति भार में प्रमुख संस्थान बनने का दीर्घकालिक उद्देश्य है। वर्ष 2020-21 के दौरान बीईएल ने उद्योग की कंपनियों के बीच पीएसएलवी उत्पादन के लिए आरएफआई को कंसोर्टियम भागीदारों के साथ प्रमुख बोलीदाता के रूप प्रतिक्रिया दी है और आरएफपी में भागीदारी के लिए चुना गया है। बीईएल ने इसरो के लिए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) के उत्पादन में भागीदारी के लिए अपनी रूचि व्यक्त की ।

बीईएल ने उपग्रहों में संयोजन, एकीकरण और परीक्षण के लिए इसरो के उद्योग भागीदार के रूप में अर्हता प्राप्त की है । इसने इसरो में तीन आरआईसैट उपग्रहों का उपग्रह एआईटी पूरा कर लिया है । बीईएल ने इसरो के साथ सहयोग किया है और पोजिशनिंग और नेविगेशन के लिए अगली पीढ़ी के स्वदेशी रिसीवर (आईआरएनएसएस), सैटकाम टर्मिनल, एलटीसीसी-आधारित सबस्ट्रैटस और उच्च शक्ति वाले टीडब्लयू यूटी जैसे नए उत्पादों पेश किया है जिनका उपयोग रक्षा, सरकारी सेवाओं और अर्धसैनिक अनुप्रयोगों में होता है । इसरो के सहयोग से बीईएल उपग्रह संचार अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न प्रकार के उपग्रह नेटवर्क और हब की आपूर्ति और चालू करने के लिए इसरो के साथ संयुक्त रूप से काम कर रहा है।

नेटवर्क और साइबर सुरक्षा –

लगभग सभी क्षेत्रों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों की प्रगति और उनके उपयोग के साथ ई-गवर्नेस, रक्षा, बैंकिंग आदि जैसे व्यवसाय साइबर हमलों से असुरक्षित हो गए हैं । उपरोक्त मुददों को हल करने के लिए, साइबर सुरक्षा समाधान आवश्यकताओं की सीमा साइबर युद्ध, जासूसी, राष्ट्रीय रक्षा, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा, कर्मचारी के लिए डाटा सुरक्षा, ग्राहक /व्यक्तिगत जानकारी विकसित की जा रही है ।

वैश्विक साइबर सुरक्षा बाजार वर्ष 2025 तक लगभग $ 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है और भारत में साइबर सुरक्षा बाजार अगले तीन वर्षों के लिए लगभग 20,000 करोड़ रू. होने का अनुमान है ।

बीईएल का नेटवर्क और साइबर सुरक्षा प्रभाग नेटवर्क तत्वों और सुरक्षा कंप्यूटिंग तत्वों, सुरक्षा प्रबंधन, डाटा विश्लेषण साइबर फोरेंसिक, सुरक्षा सेवाओं आदि के क्षेत्र में काम कर रहा है ।

नेटवर्क और साइबर सुरक्षा प्रभाग ने वर्ष के दौरान प्रमुख केन्द्रीय सरकार / पीएसयू संगठनों के लिए सुरक्षा विश्लेषण केन्द्र (एसएसी), रक्षा के लिए डाटा-डायोड समाधान, पीकेआई, सुरक्षित टोकन और जैसे संबद्ध साइबर सुरक्षा व्यवसाय को बड़े पैमाने पर लागू करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है । भारतीय वायुसेना के लिए सेवाएं रेडियो के लिए पद्धति को सख्त करना, सोनार और रेडियो के लिए सुरक्षित कंप्यूटिंग समाधान, समय को प्रदर्शित सर्वर/ प्रणाली के लिए नौसेना और रक्षा, नौसेना और डीआरडीओ के लिए एआई और डाटा विश्लेषण और बेंकिंग सरकारी एजेसियों के लिए सुरक्षा सेवाएं दी है ।

अपनी स्थापना के बाद से, वर्टिकल ने स्टार्ट अप्स, ओईएम, चैनल पार्टनर्स और शिक्षा जगत् के साथ विभिन्न टाई-अप, भागीदारी और कंसोर्टियम द्वारा इसे विविधतापूर्ण और मजबूत किया है । सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए बीईएल को सीईआरटी इनके द्वारा सूचीबद्ध किया गया है । बीईएल नेटवर्क और साइबर सुरक्षा आईएसओ 27001 सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित प्रभाग है । सीईएच, जीएसईसी, आईएसओ 27001 सूचना सुरक्षा प्रबंधन लीड लेखा-परीक्षा इत्यादि सहित इस समूह द्वारा विभिन्न साइबर सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त किए गए है। घरेलू और वैश्विक निविदाओं में अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रमाणित सूचना प्रणाली सुरक्षा पेशेवर (सीआईएसएसपी) प्रमाणन भी प्राप्त कर रही है ।

रेलवे तथा मेट्रो –

भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है । मेक इन इंडिया पहल को सक्षम करने के लिए, भारतीय उद्योगों के लिए रसद लागत को कम करते हुए 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली बनाने की योजना है ।

रेलवे द्वारा 2021-22 के लिए कुल पूंजीगत खर्च 2,15,058 करोड़ रूपये होने का अनुमान है जो 2019-20 की तुलना में 21% अधिक है ।

भारत में रेल ओर मेट्रो व्यवसायों में व्यापार के पर्याप्त अवसर है। रिपोर्टो के अनुसार भारत के विभिन्न हिस्सों में नौ नई स्वीकृत परियोजनाओं सहित लगभग 34 मेट्रो रेल परियोजनाएं निर्माण के चरण में हैं ।

आधुनिकीकरण और नई परियोजनाएं जैसे नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) अनुपालन स्वचालित किराया संग्रह (एएफसी) मेट्रो के लिए गेटिंग प्रणाली, भारतीय कंप्यूटर आधारित ट्रेन नियंत्रण /स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण (एटीएस), भारतीय रेलवे के लिए यथार्थ समय सूचना प्रणाली (आरटीआईएस), पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण (एससीएडीए), सीसीटीवी रेडियो, रेलवे के लिए एलटीई आधारित मिशन महत्वपूर्ण संचार नेटवर्क, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग प्रणाली, रेल और मेट्रो के लिए समग्र पैनल आदि कुछ प्रमुख क्षेत्र है जिनका बीईएल द्वारा अनुसरण किया जा रहा है ।

बीईएल एटीएस प्रणाली, मिशन क्रॉटिक संचार प्रणाली, कम्पोजिट पैनल इत्यादि के क्षेत्र में विभिन्न सार्वजनिक निजी संगठनों के साथ सहयोग कर रहा है। बीईएल द्वारा निष्पादित एनसीएमसी, अनुपालन एएफसी गेंटिंग प्रणाली परिवहन के सभी साधनों यानी मेट्रो ट्रेनों या बसों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा ।

कंपोज़िट –

कंपोजिट का उपयोग एयरोस्पेस और रक्षा, पवन ऊर्जा, परिवहन, समुद्री अनुप्रयोगों आदि में विभिन्न उत्पादों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है । वैश्विक कंपोजिट बाजार का आकार 2020 में यू.एस.$, 74.0 बिलियन से बढ़कर 2025 तक यू.एस.$ 112.8 बिलियन 8.8% सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है। इसके उच्च प्रदर्शन संक्षारण प्रतिरोध लंबे जीवन की मांग कुछ प्रमुख कारक है जो समग्र व्यवसाय के विकास को प्रभावित कर रहे हैं ।

बीईएल शिपयार्ड पनडुब्बियों, हवाई संरचनाओं, रेलवे और मेट्रो भूमि उपकरण दबावयुक्त मिसाइल कंटेनर, अधिक तुंगता वाले बाडों आदि की समय संरचना आवश्यकताओं को पूरा करने की योजना बना रही है ।

बीईएल में रेजिन फिल्म इन्फयूजन और बैक्यूम असिस्टेड रेजिन ट्रांसफर मोल्डिंग प्रक्रिया के लिए सेटअप आदि की सुविधाएं है । बीईएल ने कंसल्टेसी और कंपोजिट स्ट्रक्चर के विकास के लिए सीएसआईआर प्रयोगशाला एकेडेमिया के साथ करार किया है। शिपयार्ड और रेलवे की आवश्यकता के अनुसार विकास के लिए समय पैनलों की योजना बनाई जा रही है

सॉफ्टवेयर –

रक्षा तकनीक प्लेटफार्म केंद्रित युद्ध से नेटवर्क केंद्रित में स्थानांतरित हो रही है। इस संक्रमण के बीच आधुनिक रक्षा प्रणाली में सॉफ्टवेयर एक महत्वूपर्ण हथियार बनाते आ रहा है। उन्नत सॉफ्टवेयर सिस्टम और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी आधुनिक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उत्पाद की पेशकश के हर पहलू को बदल रही है ।

भारत विश्व में अग्रणी सॉफ्टवेयर विकास केन्द्रों में से एक है और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग 10,71% की सीएजीआर से बढ़ रहा है। रिपोर्टों के अनुसार भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जिसमें सॉफ्टवेयर उत्पाद सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं इंजीनिरियंग और आरएंड सेवाएं आई टीईएस बीपीओ हार्डवेयर और ई- कॉमर्स भी शामिल है । 2025 तक अमेरिका यू.एस.$, 350 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है अधिकाश सेवाएं राजस्व सॉफ्टवेयर के निर्यात से आती है।

बीईएल मौजूदा रक्षा ग्राहकों के अलावा संभावित गाहको जैसे अर्धसैनिक बलों विशेष बलों राज्य सरकारी अन्य गैर– रक्षा ग्राहकों आदि के साथ भारतीय और निर्यात बाजार दोनों में व्यापार के अवसरों का अनुसरण कर रही है । केंद्रित तरीके से सॉफ्टवेयर व्यवसाय के अवसर प्राप्त करने के लिए एक समर्पित महाप्रबंधक की नियुक्ति की गई है ।

कोर रक्षा सेगमेंट के अलावा गृहभूमि सुरक्षा ई गवर्नेस परियाजना स्मार्ट सिटी डिजिटल ट्रांसफोमेशन परियोजना स्थास्थ्य देखभाल सॉफ्टवेयर सिमुलेटर परीक्षणों के लिए पोर्टल सॉफ्टवेयर एशोरेंस सेवाओं के संबंध मे अवसरों पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वास्थ्य देखभाल समाधान–

चिकित्सा उपकरण स्थिति विकास के लिए तैयार है वैश्विक वार्षिक बिक्री में प्रति वर्ष 5%से अधिक की वृद्धि और 2030 तक लगभग यू.एस.$ 800 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। बीईएल महामारी के मुद्दों को दूर करने के लिए 30,000 आईसीयू वेंटिलेटर का सफलतापूर्वक निर्माण करने के बाद चिकित्सा विद्युत और स्वास्थ्य देखभाल खंड में विविधता लाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं । आपकी कंपनी ने इस खंड में व्यवसाय करने के लिए एक व्यवसाय वर्टिकल चिकित्सा विद्युत प्रभाग बनाया है। आपकी कंपनी का एक उद्देश्य इस खंड में बाजार में प्रवेश करना और भारत में शहरी और ग्रामीण आबादी के लिए किफायती स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद समाधान पेश करना और स्वास्थ्य देखभाल खंड में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। इस वर्ष के दौरान बीईएल चिकित्सा विद्युत प्रभाग आईएसओ 13485 प्रमाणित है ।

इस खंड में तेजी से बढ़ने के लिए भारतीय कंपनियों द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए कुछ विशिष्ट उत्पादों की पहचान की गई है जिन्हें टीओटी प्रक्रिया के माध्यम से बीईएल में निर्मित किया जा सकता है । साथ ही इस खंड में आगे बढ़ने के लिए आपकी कंपनी भविष्य के बाजारों के लिए या तो संस्थागत प्रयासों से या सहयोगी आर एंड डी दृष्टिकोण के माध्यम से अपने उत्पादों के साथ आने की योजना बना रही है । उपरोक्त दृष्टिकोणों के आधार पर आपकी कंपनी ने डायलिसिस मशीन पोर्टेबल रिमोट रोगी स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली आईसीयू के लिए रोगी निगरानी प्रणाली सी आर्म एक्स रे मशीन, ऑक्सीजन सांद्रता टरबाइन आधारित वेंटिलेटर एमआरआई आदि का उत्पादन करने की योजना बनाई है

रक्षा में नए क्षेत्रों के लिए केंद्रित दृष्टिकोण

रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण के लिए बीईएल ने मानव रहित प्रणाली आरएफ और आईआर सीकर्स, मिसाइल, रॉकेट, ग्लाइड बम और गोला बारूद में उद्यम किया है।

मानव रहित प्रणाली

मिशन की गंभीरता अंतराष्ट्रीय मानदंडो से जुडे जोखिम से बचने और मानव जीवन मूल्य के लिए सैन्य अनुप्रयोग जैसे टोही खुफिया जानकारी एकत्र करना खतरों का पता लगाना आदि मानवयुक्त प्रणालियों से मानव रहित प्रणालियों की ओर पलायन कर रहे हैं ।

भारतीय यूएवी खंड 2027 तक समाप्त होने वाली एलटीआईपीपी योजना अवधि के दौरान लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समय अवसर प्रदान करता है जिसमें मानव रहित प्रणालियों में अवसरो में मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) प्रणली, मानव रहित जमीनी वाहन (यूजीवी) और मानव रहित अंतर्जलीय वाहन (यूयूवी) और मानव रहित भूतल वाहन (यूएसवी) प्रणाली शामिल हैं।

बीईएल डीआरडीओ विदेशी ओईएम अकादमिक स्टार्ट–अप आदि के साथ साझेदारी करके भारतीय रक्षा / गैर रक्षा खंडों की यूएवी/यूजीवी/यूयूवी/यूएसवी आवश्यकताओं को संबोधित कर रहा है । बीईएल पेलोड (जैसे ईओ, संचार, ईएसएम आदि) पर काम कर रहा है और यूएवी के जमीनी नियंत्रण स्टेशन की आवश्यताएं हैं । बीईएल ने ड्रोन गार्ड प्रणाली भी विकसित की है ।

समर्पित संसाधनों के साथ एक केंद्रित तरीके से मानव रहित प्रणाली व्यवसाय को संबोधित करने के लिएबीईएल बेंगलूरु में एक अलग व्यवसाय वर्टिकल बनाया गया है ।

आरएफ और आईआर सीकर

बीईएल घरेलू निर्माण के लिए वर्गीकृत विभिन्न स्वदेशी मिसाइलों के लिए आरएफ और आईआर सीकर्स के आगे इंजीनियरिंग और उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के समवर्ती अवशोषण के लिए डीआरडीओ के साथ शामिल है और ये सीकर विभिन्न आरएफ और आईआर स्पेक्ट्रम बैड में है ।

बीईएल आरएफ और आईआर की मांग के लिए स्वदेशी निर्माण के लिए आधुनिक विनिर्माण सुविधाओं के निर्माण के लिए निवेश कर रही है। आर एफ सीकर्स के लिए उत्पादन लाइन का निर्माण पूरा कर लिया गया है और इन लाइनों में निर्मित सीकर ने वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण कर लिया है।

आरएफ और आई आर की मांग की आवश्यकताएं अगली पीढ़ी की विभिन्न मिसाइलों की खरीद से उत्पन्न होने वाली मांगे हैं इनमें से कुछ मिसाइलें रक्षा मंत्रालय (एमओडी) द्वारा आयात की पहली नकारात्मक सूची में भी शामिल है ।

रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक रॉकेट और मिसाइल बाजार 2027 तक 71.79 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है जो पूर्वानुमान अवधि (2020–2027) के दौरान 4.52% की सीएजीआर प्रदर्शित करता है ।

चूंकि बीईएल भारत में मिसाइल प्रणालियों की अग्रणी निर्माता है, जिसके पास आवश्यक बुनियादी ढांचे और क्षमता है और ऐसी प्रणालियों के प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और निर्माण के समवर्ती अवशोषण के लिए डीआरडी ओ के साथ दीर्घकालिक सहयोग है यह उम्मीद की जाती है कि आरएफ और आईआर सीर्कस शीर्ष नई प्रौद्योगिकी उत्पादों में शामिल होगें जो निकट भविष्य में बीईएल के राजस्व में योगदान देगें ।

मिसाइल हथियार और गोलाबारूद

देश में भू– राजनीतिक स्थिति के कारण इस खंड में हमेशा उत्पादों की पर्याप्त आवश्यकता रही है और मांग को मुख्य रूप से इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से स्थापित समर्पित सरकारी विनिर्माण द्वारा पूरा किया जाता है । शेष मांग को विभिन्न आईएम आदि से आयात के साथ पूरा किया जाता है। सैन्य हार्डवेयर की इस महत्वपूर्ण श्रेणी के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने और घरेलू विनिर्माण और आपूर्ति में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार ने भारतीय उद्योग के लिए हथियारों और गोलाबारूद के निर्माण को खोल दिया है। स्वदेशी निर्माताओं को आवश्यक बुनियादी ढांचे प्रौद्योगिकी निर्माण व्यवस्था आदि की योजना बनाने के लिए आगे आश्वस्त करने और सक्षम करने के लिए भरत सरकार ने अगस्त 2020 के दौरान जारी पहली नकारात्मक आयात सूची में इस श्रेणी के पर्याप्त उत्पादों को शामिल किया है।

इस श्रेणी के तहत उत्पादों की नकारात्मक सूची में शामिल है, शिप बोर्न क्रूज मिसाइल, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टूएयर मिसाइल (बीवीआरएएएम), राकेट (आर्टिलरी और एंटी सबमरीन), असॉल्ट एंव स्निपर राइफल्स बहुउपयोगी ग्रेनेड, 40एमएम यूबीजीएल (अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर), आर्टिलरी और एडीगन के लिए मध्यम और उच्च कैलिबर गोला बारूद (120 मिमी एफएसपीएडीएस मार्क ।। 125 मिमी एफएसपीएडीएस नई पीढी के गोला बारूद, 30 मिमी इन्फेटरी, 155 मिमी आर्टिलरी गोलाबारूद, 30 मिमी एचईआई/एचईटी 23 मिमी ज़ेडयू गोला बारूद वि–माडुलर चार्ज प्रणाली (बीएमसीएस) आर्टिलरी गोला बारूद के लिए विद्युत फ्यूज आदि ।

इन मदों की खरीद मेक –।। प्रक्रियाओं सहित विभिन्न पूंजी राजस्व मार्गो के तहत शुरू की गई है। यह उम्मीद की जाती है कि इन महत्वपूर्ण सैन हार्डवेयर के स्वदेशी निर्माण पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो प्रकृति में उपभोज्य है । इस उत्पाद खंड के लिए पर्याप्त निकट दीर्घकालिक बाजार मांग पैदा होंगे । इस खंड में निर्यात बाजार की भी अच्छी संभावनाएं है और वैश्विक शस्त्र और गोलाबारूद का बाजार 2027 तक 4.8% CAGR के साथ 36.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है ।

इस क्षेत्र में, बीईएल पहले से ही मिसाइल विद्युत और भागों गोला बारूद फ्यूज, ग्लाइड बम आदि के विकास और निर्माण में लगी हुई है । बीईएल स्मार्ट गोला बारूद सहित अगली पीढी की मिसाइलों (डीआरडीओ,डीसीपीपी आदि के माध्यम से) और गोला बारूद और छोटे हथियार के अवसरों का सक्रिय रूप से अनुसरण कर रही है । बीईएल आवश्यक हथियारों और गोला बारूद के स्वदेशी निर्माण के इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी भागीदारी शिक्षाविदों, अनुसंधान एवं विकास संस्थान, स्टाटअप आदि के साथ भी साझेदारी कर रही है।

आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के संबंध में बीईएल मिसाइलों ग्लाइड रॉकेटो और इसके संबंधित भागों के निर्माण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आवश्यक निवेश कर रही है, इस संबंध में पिछले कुछ वर्षो के दौरान पर्याप्त प्रगति हुई है ।

(ब) उद्योग संरचना और विकास –मेक्रो दृष्टिकोण

वर्तमान में भारत रक्षा उपकरणों का दूसरा सबसे बडा आयातक है जिसकी अधिकांश रक्षा जरूरतों को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। भारत सरकार का लक्ष्य रक्षा क्षेत्र में एक मजबूत आत्मनिर्भर घरेलू उद्योग विकसित करना है जिसमें निजी क्षेत्र की पर्याप्त भागीदारी हो, जिसमें एमएसएमई और स्टार्ट– अप शामिल है ताकि आयात की प्रवृत्ति को कम किया जा सके ।

इस संबंध में भारत सरकार ने मेक इन इंडिया पहले एमएसएमई/स्टार्ट–अप आदि द्वारा नवाचार के माध्यम से प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक परिथितियों की तंत्र का निर्माण जैसी पहल की है । सरकार के समर्थन से भारतीय उद्योग मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने और रक्षा बलों को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों, प्रणालियों और सेवाओं को प्रदान करने के लिए सरकार का आश्वासन मिला है। रक्षा उत्पादन नीति का मसौदा जारी किया, जिसका उद्देश्य 2025 तक रक्षा उत्पादन को बढ़ाकर 1,70,000 करोड़ रूपये करना है ।

रक्षा मंत्रालय ने डीपीपी 2016 के अंतर्गत भारतीय निजी क्षेत्र के लिए रणनीतिक साझेदारी मॉडल (एसपी) पेश की है । इस मॉडल का उद्देश्य जटिल हथियार प्रणालियों और प्लेटफार्म के डिजाइन विकास और निर्माण के लिए निजी क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं का उत्तरोत्तर निर्माण करना है।

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 (डीएपी 2020) को आत्मनिर्भता पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई सुधारों के साथ जारी किया गया है जिसमें स्वदेशीकरण और नवाचार को मेक डिजाइन और विकास और रणनीतिक साझेदारी की प्रक्रियाओं के माध्यम से सक्षम किया है । घरेलू उद्योग एमएसएमई की मदद से जीवनचक्र लागत को कम करने ओर मजबूत परितंत्र के निर्माण के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आयात प्रतिस्थापन की सुविधा प्रदान की है।

स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने औद्योगिक लाइसंसिंग के उदारीकरण, रक्षा गलियारों के विकास आईडीएक्स/डीईओ के माध्यम से रक्षा ओर एयेरो स्पेस में नवाचार के लिए वित्त पोषण डीपीपी के निरंतर अद्यतन निर्यात पर जोर आदि जैसी पहल की है। रक्षा मंत्रालय ने इसे जारी किया है आयात प्रतिस्थापन में मदद करने और नवोनमेषी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए सरलीकृत मेक –।। प्रक्रिया मेक ।। श्रेणी के तहत स्वत: प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को स्वचालित मार्ग के माध्यम से 74% तक और सरकारी मार्ग के तहत 74% से अधिक की अनुमति है जहां भी इसे आधुनिक तकनीक पहुंचने की जरूरत है ।

डीआरडीओ द्वारा विकासित प्रौद्योगिकियां अब टीओटी और रॉयल्टी शुल्क के भुगतान के लिए निजी क्षेत्र सहित भारतीय उद्योग के लिए गैर अनन्य आधार पर उपलब्ध भी कराई गई है । साथ ही डीआरडीओ उद्योग को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए एक संशोधित नीति और प्रक्रियाओं के साथ सामने आया है।

सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो रक्षा औद्योगिक कॉरीडोर स्थापित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश रक्षा कारीडोर में आगरा, अलीगढ, चित्रकुट, झांसी,कानपूर और लखनऊ में छह नोड होगें । तमिलनाडु रक्षा कॉरिडोर में चैन्नै, कोयंबतूर, होसुर, सेलम और त्रिची में पांच नोड होगें। निर्माण कारखानों, डीपीएसयू और निजी कंपनियों द्वारा तमिलनाडु और उ.प्र. कॉरिडोर के लिए लगभग 3,100 करोड़ रूपये और 3,700 करोड़ रूपये की निवेश योजना की घोषणा की गई है ।

"मेक – ।" की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और सरकार द्वारा एक नया मेक – ।। कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है जिससे एमएसएमई और स्टार्ट-अप को मदद मिलने की संभावना है । कंपनियों को रक्षा उत्पादन में एकीकृत करने के लिए बीईएल रक्षा सेवाओं के कई मेक – ।। कार्यक्रमों में भी भाग ले रही है।

आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए रक्षा मंत्रालय को आगे बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने अगस्त 2020 में रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए दी गई समय सीमा से परे 101 सामग्रियों पर आयात प्रतिबंध लगा दिया है। बीईएल के उत्पाद प्रणालियों रक्षा की इस नकारात्मक सूची का लगभग 35% पूरा कर सकती है ।

इन बदलते कारोबारी परिदृश्यों के तहत बीईएल अपने संपर्क स्तरों को बढ़ाने और भारतीय रक्षा उद्योग में उभरते हुए सामाजिक भागीदारी उपयोगकर्ताओं और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

(ग) एसडबल्यूओटी विश्लेषण– अंतर्दृष्टि

शक्तियां

- भारत में स्थापित रक्षा विद्युत यंत्र एक अच्छी छवि प्रतिष्ठा ।
- कार्य नैतिकता संस्कृति के साथ रक्षा सार्वजनिक उपक्रम ।
- प्रौद्योगिकी और नए उत्पाद विकास के लिए मजबूत बहुस्तरीय आंतरिक अनुसंधान एवं विकास ।
- अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और विनिर्माण सुविधाओं और गुणवत्ता आश्वासन के साथ प्रतिबद्ध कार्यबल ।
- कंपनी व्यापी ईआरपी प्रणाली सहित अच्छी तरह से स्थापित प्रणाली और प्रक्रियाएं ।
- दशकों के अनुभव के परिणामस्वरूप रक्षा विद्युत में उत्कृष्ट प्रक्षेत्र ज्ञान और मुख्य दक्षताएं ।
- पूरे भारत में मजबूत उत्पाद समर्थन नेटवर्क के साथ विस्तृत उत्पाद श्रृंखला ।
- सशस्त्र बलों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और सरकारी एजेंसियों के साथ मजबूत संबंध
- निष्ठावान ग्राहक आधार
- विविधीकरण की पहल में चपलता
- सहयोगियों से सक्रिय सीख
- बडी और जटिल प्रणाली एकीकरण परियोजनाओं ओर टर्नकी समाधानों को क्रियान्वित करने में विशेषज्ञता और अनुभव।
- लगातार लाभ कमाना ।
- ग्राहकों के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता ।

कमजोरियाँ

- कुछ महत्वूपर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अंतराल ।
- रक्षा बाजार पर निर्भरता।
- बाजार का समय–उच्च ।
- कुछ परियोजनाओं में कम मूल्यावर्धन ।
- कुछ क्षेत्रों में प्रौदयौगिकी के लिए डीआरडीओ पर निर्भरता।

- कतिपय महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के लिए विदेशी ओईएम पर निर्भरता ।

अवसर –

- रक्षा और सुरक्षा की बढ़ती जरूरत
- रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत सरकार का जोर
- आधुनिकीकरण उन्नयन कार्यक्रमों और रख–रखाव की मरम्मत और ओवरहाल के लिए रक्षा बजट में वृद्धि करना ।
- केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों के आधुनिकीकरण पर जोर देना
- विनिर्माण आधार के रूप में चीन से ओईएम वापसी
- भारत सरकार वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों सोलर विद्युत वाहन पर जोर दे रही है ।
- अंतरिक्ष खंड को उद्योगों के लिए खोलना
- सीपीएमएफ पुलिस रेलवे हवाई हडडे का नवीनीकरण
- गृहभूमि सुरक्षा स्मार्ट सिटी ऊर्जा भंडारण उत्पाद नेटवर्क और साइबर सुरक्षा समग्र सोलर आधारित विद्युत संयत्र रेलवे आदि जैसे संबद्ध गैर रक्षा क्षेत्रों के लिए बढ़ता वाजार आदि ।

कुछ चिंतनीय विषय

- रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव
- कुछ महत्वपूर्ण और अस्वीकृत प्रौद्योगिकी की स्त्रोत में कठिनाई
- निजी क्षेत्र के पक्ष में नीतिगत हस्तक्षेप
- रक्षा क्षेत्र में उनके संयुक्त उद्यम सहित भारतीय निजी उद्योग और विदेशी ओईएम से प्रतिस्पर्धा में कई गुना बढ़ोतरी।
- सामरिक भागीदारी मॉडल के तहत विद्युत प्रणालियों की खरीद ।
- कोविड जैसी महामारी के कारण प्रभाव
- भारत सरकार द्वारा विनिवेश भारत की और घटती नकदी ।
- भारत सरकार द्वारा सीपीएसई पूंजी पुनर्गठन ।

(घ) कंपनी के निरंतर कार्य–निष्पादन और विकास को सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष प्रबंधन द्वारा निर्धारित रणनीति, लक्ष्यों सहित प्रमुख पहल / योजना – प्राथमिक स्तंभ

कंपनी का निरंतर प्रदर्शन और विकास को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने निम्नलिखित कदम उठाएं है –

(i) सह विकास सह– उत्पादन और विनिर्माण टीओटी के माध्यम से उभरते व्यवसायों में रणनीतिक गठजोड–

कंपनी राष्ट्रीय महत्व के कई रणनीतिक और अन्य क्षेत्रों जैसे हथियार प्रणाली निगरानी ट्रैकिंग और बहुक्रिया एईएसए आधारित में काम कर रही है । रेडार नौसेना और हवाई अनुप्रयोग अगली पीढी के विद्युत वारफेयर सूट और काउंटर मेजर प्रणाली वायु रक्षा प्रणाली जिसमें सीकर और मिसाइल शामिल हैं, भूमि वायु सतह और पानी के नीचे अनुप्रयोगों के लिए मानवरहित प्रणाली पनडुब्बीरोधी युद्ध प्रणाली सामरिक अनुप्रयोगों के लिए सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो सी41 प्रणाली नाइट विजन डिवाइस मल्टी सेंसर स्थिरीकरण प्रणाली हथियार और गोलाबारूद, रेलवे और मेट्रो के लिए परिवहन समाधान भूमि के लिए समग्र उत्पाद समुद्री और एवियोनिक्स खंड कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स अंतरिक्ष विद्युत और लाँच वाहन सोलर चिकित्सा उपकरण और संबंधित समाधान ऊर्जा भंडारण उत्पाद इत्यादि ।

उभरते रक्षा और गैर– रक्षा व्यवसायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रक्षा प्रयोगशालाओं, आयुध निर्माणी बोर्ड डीपीएसयू,अकादमिक स्टार्टअप तथा प्रौद्योगिकी कंपनियों और प्रतिष्ठित वैश्विक ओईएम भारतीय कंपनियों एजेंसियो के साथ कई रणनीतिक गठबंधन किए गए हैं और अन्य चुनिंदा भागीदारी की ओर निर्यात के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं ।

सह –विकास, सह –उत्पादन और विनिर्माण टीओटी और जीवनचक्र समर्थन के लिए गठजोड के लिए पहचाने और खोजे जा रहे हैं, कुछ उत्पादों और प्रणालियों में सतह से हवा में मिसाइल प्रणाली आरएएफ/आईआईआर सीकर वायु रक्षा रेडार भूमि और नौसेना आधारित, नेविगेशन काम्पलेक्स प्रणाली, सोनार प्रणाली अगली पीढ़ी नाइट विजन डिवाइस, गन अपग्रेड, नए गन कार्यक्रम डिफेस के लिए छोटे आर्म्स एक्सप्लोसिव्स, सम्यूनिशन्स इनर्शिल नेविगेशन प्रणाली हाई पावर लेर्जस टिथर्ड अनमैंडुएरियल वाहन और झुंड यूपीवी दूर से संचालित वाहन आरओवी काउंटर मेजर प्रणाली फ्यूचरिस्टिक एएफवी प्लेटफार्मस एफआईसीवी आदि के लिए विद्युत प्रणाली, सैटकाम टर्मिलन, नेविगेशन रिसीवर समग्र उत्पाद रेल और मेट्रो समाधान ली आयन सेल, चिकित्सा उपकरण और समाधान आदि ।

(ii) संयुक्त उद्यम (मौजूदा / उभरते व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए) –

बीईएल प्रौद्योगिकी की कमी की दूर करने और मौजूदा क्षेत्रों को बढ़ाने के साथ-साथ उभरते व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए पूरक प्रौद्योगिकी शक्ति के क्षेत्रों में प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम विशेष प्रयोजन वाहन स्थापित करने के अवसरों की लगातार खोज कर रही है ।

संयुक्त उद्यम बीईएल-थालेस प्रणाली लिमिटेड (बीटीएसएल) का गठन बीईएल और थालेस फ्रांस के बीच भारतीय और वैश्विक बाजारों के लिए नागरिक और चुनिंदा रक्षा रेडारों के डिजाइन विकास, विपणन, आपूर्ति और समर्थन में संलग्न होने के उद्देश्य से किया जाता है । मूल कंपनियों की कार्य संस्कृति और प्रौद्योगिकी की निर्माण समर्थन के संगम का लाभ उठाते हुए जी.वी. ने दोनों मूल संगठनों की सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात किया है और उत्पादों के विकास विकास और अनुकूलन के लिए एक केन्द्र के रूप में विकसित हो रहा है और एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में विकसित हो रहा है । बीटीएसएल वर्तमान में भारतीय हथियार प्रणाली परियोजनाओं के साथ साथ वैश्विक स्तर पर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए थालेस नीदरलैंड के साथ एक बहू लक्ष्य ट्रेकिंग रेडार के सह विकास में लगा हुआ है । बीटीएसएल ने बेंगलूरू में एक एफएम आधारित पैसिव रेडार डिमान्ट्रेटर को सफलतार्पूवक अनुकूलित और तैनात किया है । रक्षा बाजार में ऑफसेट स्रोत के लिए हाई एंड एवियानिक्स प्रणाली सेटअप के लिए एक अच्छी तरह से सुसज्जित एकीकरण और सत्यापन सुविधा तैयार की गई है । कंपनी हवाई यातायात प्रबंधन रेडार के लिए तकनीकी और उत्पाद सहायता प्रदान करने में भी शामिल है ।

बीईएल वायु रक्षा हथियार प्रणाली कार्यक्रमों के लिए उत्पाद जीवन चक्र सहायता प्रदान करने के लिए एक नई सयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए एक इजरायली ओईएम के साथ अग्रिम चर्चा कर रही है ।

प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास चुनौतियां –

अत्याधुनिक उत्पादों और समाधानों को विकसित करने के लिए आवश्यक मुख्य प्रौद्योगिकी के अवसर आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं । प्रमुख प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान एव विकास को प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ समाधानों को साकार करने के लिए निरंतर उन्नयन की आवश्कता है जबकि मालिकाना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना अनिवार्य है प्रौद्योगिकी समाधानों के लिए एक ही स्त्रोत में बंद होना एक बड़ी चुनौती है ।

आकार, वजन, शक्ति और गुणवत्ता की आवश्यकताओं की मांग हमेशा अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों को आगे बढाती है । घटक स्तर पर, अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को एसओसी, एमएमआईसी, अत्यधिक एकीकृत प्रोसेसर आईसी माइक्रोवेव सुपर घटकों आदि की नई आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में आगे बढाया जाता है । उत्पाद स्तर पर आर एंड डी प्रयास माडयूलर विन्यास योग्य बहुक्रिया और दोष सहिष्णु उत्पादों को बनाने की दिशा में है । सिस्टम ऑफ सिस्टम को साकार करने के लिए सिस्टम इंटीग्रेशन विशेषज्ञता के साथ सिस्टम इंजीनिरियंग परियोजना प्रबंधन में विशेषज्ञता की आवश्यकता है महत्वपूर्ण घटकों का अप्रचलन ओईएम पर निरतर निर्भरता और संपूर्ण उत्पाद जीवनचक्र का समर्थन करने की आवश्यकता अन्य महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं ।

उपाय –

बीईएल में सभी उत्पादों और समाधानों के लिए अंतर्निहित कोर प्रौद्योगिकी के निरंतर उन्नयन की चुनौती को दूर करने के लिए एक 3 स्तरीय आर एंड डी संरचना स्थापित की गई है । सबसे ऊपरी स्तर पर केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं (सीआरएल) बेंगलूरु और गाजियाबाद में स्थित है । संचार सी 4 । बिग डाटा नेटवर्क सेंट्रिक सॉफ्टवेयर, विद्युत वारफेयर रेडियो फ्राक्वेंसी माइक्रोवेव, पावर एम्पलीफायर, एंटेना, रेडार सिग्नल और डाटा प्रोसिंग इमेज प्रोसिंग इलेक्ट्रो के मुख्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों मे ब्लू स्काई अनुसंधान और अनुपयुक्त अनुसंधान में लगे हुए है। ऑटिप्क्स और लेजर एसओसी एम्बेडेड स्मार्ट कंम्यूटिंग सेसर नेटवर्किंग नेविगेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर सुरक्षा क्लाउड और डाटा एनालिटिक्स मशीन इंटेलिजेंस रोबाटिक्स मानव रहितवाहन एनएमएस डीएसएस मल्टी सेंसर ट्रेकिग और डैटा फयूजन इत्यादि ।

दूसरे स्तर पर बेंगलूरू में स्थित एक केंद्रीकृत उत्पाद विकास और नवाचार केंद्र (पीडी एंड आईसी) उत्पादों प्रणालियों में मुख्य प्रौद्योगिकी माड्यूल की इंजीनियरिंग पर केंद्रित है। मुख्य क्षेत्र स्वायत्त प्रणाली संचार प्रणाली क्रिस्टो सिस्टम, एम्बेडड सिस्टम इलेक्ट्रो आप्टिक्स और लेजर ऊर्जा प्रणाली इंजिनियरिंग समाधान, रेडार सिस्टम आरएएफ और माइक्रोवेव एमएमआईसी सोनार सिस्टम सुपर घटक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर नेविगेशन और स्थिरीकरण हथियार प्रणाली आदि ।

तीसरे स्तर पर विकास इंजीनियरिंग (डी एंड ई) डिवीजन सभी सामरिक व्यापार यूनिटों यानी एसबीयू में काम कर रहे हैं और अंतिम ग्राहकों के साथ उनकी आवश्यकताओं को समझने के लिए यूनिट के संपर्क में है जो तकनीकी विशिष्टताओं के लिए उनका मानचित्रण करते हैं और उत्पादों समाधानों को विकसित करते हैं जिसमें मुख्य प्रौदयौगिकी माडयूल शामिल है उच्च स्तर यानी सीआरएल एवं पीडी एंड आईसी भी हैं ।

सॉफ्टवेयर एसबीयू का डी एंड ई है (पूर्व में बीईएल सॉफ्टवेयर टेक्नालाजी सेंटर – बीएसटीसी) सॉफ्टवेयर मॉडयूल से संबंधित सभी आवश्यकताओं को सीधे ग्राहको को या एसबीयू यूनिटों के संबंधित डी एंड ई के माध्यम से संबोधित करता है।

बीईएल में नियोजित अनुसंधान एवं विकास पहल सिस्टम इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास जनशक्ति के लिए प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण प्रणाली संचालित अप्रचलन प्रबंधन और उपयुक्त सहयोगी अनुसंधान एवं विकास भागीदारी के माध्यम से विशेषज्ञता का लाभ उठाकर चुनौतियों का समाधान किया जा रहा है ।

मालिकाना प्रौद्योगिकियों में लॉक इन चुनौती को दूर करने के लिए व्यवहार्य क्षेत्रों में कंपनी मानक प्रोटोकाल के आधार पर और मॉडयूलर डिजाइन के साथ प्रौद्योगिकी मॉडयूल समाधान विकसित करती है, जिसका मूल्यांकन मानक परीक्षण और माप उपकरणों का उपयोग कर किया जाता है यहां तक कि जब किसी दिए गए प्रौद्योगिकी मॉडयूल उत्पाद समाधान को विनिर्देश रक्षा बलों के लिए तैयार किया गया है तो उन्हें मानक इंटरफेस साथ विकसित किया जाता है ताकि उन्हें बड़ी प्रणाली में प्लग एंज प्ले मॉडयूल के रूप में उपयोग किया जा सके ताकि माड्यूलरिटी और स्केलेबिलिटी सुनिश्चित हो सके । यह लॉक इन स्थिति के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है और सुनिश्चित करता है कि विकसित प्रणाली आसानी से बनाए रखने के काबिल है ।

इसके अलावा जहां कहीं भी एक उपप्रणाली या एक घटक की खरीद की जाती है कंपनी को लॉकइन होने से बचाने के लिए इस उपप्रणाली घटक के लिए कई स्त्रात बनाए जाते हैं । कम आकार वजन विद्युत की लगातार बढती आवश्यकता को एक श्रंखला के विकास के माध्यम से पूरा किया जाता है। मानक संचालित दृटिकोण के साथ प्रसंस्करण प्रदर्शन पैकेजिंग और थर्मल प्रबंधन को अनुकूलित कर छोटे प्लेटफार्म उत्पाद समाधान अप्रचलन प्रबंधन योजना के माध्यम से वैकल्पिक स्त्रोत और स्वदेशीकरण बनाकर अप्रचलन को दूर किया जा रहा है।

अनुसंधान एवं विकास पहल और उपलब्धियां –

वर्ष 2020–21 के दौरान अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी विकास क्षेत्रों में बीईएल द्वारा की गई कुछ नई पहल नीचे दी गयी हैं –

- उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में की गई पहलों में क्वांटम क्रिप्टोग्राफी फोटोनिक्स आधारित रेडार और ईएससम उच्च शक्ति वाले लेजर स्थानिक विश्लेषिकी एलआईडीएआरएस का उपयोग कर छवि प्रौफाइलिंग 5 जी संचार और ओएफसी आधारित पीआईडीएस द्रोण का उपयोग कर 3डी इंमेजिंग 400जी ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट बिग डाटा, एनालिटिक्स इंटेलिजेट प्रोसेस ऑटोमशन आर्टिफिशियल इंटेलिजंस आधारित डिटेक्शन एवं नेविगेशन आदि शामिल है ।
- बीईएल ने कई कृत्तिम बुद्धिमत्ता आधारित उत्पादों का विकास शुरू किया था जिनमें से कुछ निगरानी अनुप्रयोगों के लिए जेस्चर रिकर्निशन स्वचालित सूचना निष्कर्षण और संश्लेषण ट्रैफिक एनालिटिकस मॉडयूल और एयर ऑरेशंस के लिए टेम्प्लेटिग का उपयोग करके दुश्मन के लक्ष्य के लिए गतिविधि अनुमान (सी 4 I) हैं ।
- प्रमुख शिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग बढ़ाने और चुनिंदा संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास नवाचार प्रकोष्ठों की स्थापना के प्रयास जारी है। कोच्चि में कंपनी के आर एंड डी सेल ने सोनार और सिमुलेटर के लिए मुख्य प्रौदयौगिकी मॉडयूल का उत्पादन किया है। आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क में कंपनी का आर एंड डी सेल 5जी संचार प्रणालियों के लिए कोर टेक्नालाजी मॉडयूल विकसित कर रही है और अन्य परिसरों में ऐसे अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठो की स्थापना की संभावना तलाशी जा रही है।
- कंपनी आईपीआर से संबंधित गतिविधियों को सख्ती से आगे बढा रही है, संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप 2020–21के दौरान निम्नलिखित तीन पेटेंट प्रदान किए गए है।
  - स्वचालित लक्ष्य पहचान के लिए डॉपलर आधारित क्लासिफायर
  - आनुपातिक या अनुपात मीट्रिक विन्यास योग्य रैखिक चर विभेदक ट्रासफार्मर (एलवीडीटी) चालक सह सिग्नल डिमोडुलेटर अनुप्रयोग विशिष्ट एकीकृत सर्किट (एएसआईसी) ।
  - थिन फिन हीट सिंक के निर्माण की विधि ।
- 31.3.2021 को कंपनी को 13 संचयी पेटेंट प्रदान किए गए थे । वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल 162 नए आईपीआर आवेदन दाखिल किए गए पेटेंट 84, कॉपीराइट 68, औद्योगिक डिजाइन: 7, एसआईसीएलडी 3) । अनुसंधान एवं विकास इंजीनियरों ने प्रतिष्ठित सम्मेलनों संगोष्ठियों, पत्रिकाओं में 97 पत्र प्रस्तुत और प्रकाशित किए है ।
- बीईएल ने वित्तीय वर्ष 2020–21 में 16 नए सहयोगी अनुसंधान एवं विकास भागीदारी को सूचीबद्ध किया है। 31/3/2021 को पैनल में शामिल सच्चे सहयोगी अनुसंधान एवं विकास भागीदार 279 (136 एमएसएमई सहित) भागीदारों को आर एंड डी समाधान प्रदाताओं के तहत वर्गीकृत किया गया है । 31, डिजाइन सेवा प्रदाता 179, सलाहकार:36 और उत्पादन सेवा प्रदाता 39, जिनमें से छह को दो श्रेणियों के तहत सूचीबद्ध किया गया है ।

- केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला बेंगलूरू में तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन ऑनलाइन किया गया ।

शिक्षा जगत के सहयोग से कंपनी द्वारा की गई नई पहल है–

- एल बैंड (1.2 गिगाहेड्स) और केए बैंड (30 गिगाहेड्स) दोनों के लिए डीआईआरसीएम केटरिंग के लिए डुअल बैंड एंटीना ।

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम फेक न्यूज डिटेक्शन

विशिष्ट क्षेत्र जिनमें अनुसंधान एवं विकास किया गया और गतिविधियों के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ –

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, बीईएल द्वारा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर कार्य किया गया और विशिष्ट कारोबारी खंडों / क्षेत्रो में कई परियोजनाओं को पूरा किया गया । इनमें मिसाइल प्रणाली, रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, एवियोनिक्स, मिलिटरी संचार, नौसेना प्रणाली, सोनार, सी 41 प्रणाली, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स और लेजर, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स, गन उन्नयन, सिविलियन इक्विपमेंट, गृहभूमि सुरक्षा, चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स और कंपोनेंट्स जैसे प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं शामिल है ।

उपरोक्त व्यावसायिक क्षेत्रों में व्युत्पन्न लाभ कंपनी द्वारा उत्पन्न राजस्व के एक बड़े हिस्से के रूप में है । कई प्रौद्योगिकी मॉडयूल विकसित किए गए है जिनमें से कुछ के परिणास्वरूप आयात प्रतिस्थापन हुआ है । बीईएल के कुछ समाधानों के परिणामस्वरूप कंपनी को निर्यात आदेश प्राप्त हुए है ।

उपकरण और घटकों के क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियों का विवरण –

- अनुसंधान एवं विकास टीमों ने बहुत ही कम समय में बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण मॉडयूल उप प्रणालियों और प्रणाली सॉटवेयर के स्वदेशीकरण और आंतरिक विकास के अलावा सीवी200 वेंटिलेटरों के कार्य-निष्पादन में सुधार फीचर इन्हासमेंट को लागू करने में महत्वपूर्ण निभाई है ।

- स्वदेशी - मेट्रो रेल (डीएमआरसी) की संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण (सीबीटीसी) सिग्नलिंग प्रणाली के स्वदेशी एवं स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण (आई-एटीएस) उप प्रणाली का उत्पादन किया गया ।

- मल्टी-टेनेंसी केंद्रीय मंच के माध्यम से 62 छावनी बोर्डों में 20 लाख से अधिक नागरिकों को नगरपालिका सेवाएं प्रदान करने के लिए 'ई- छावनी' ऑनलाइन पोर्टल लॉंच किया गया ।

- आत्मनिर्भर भारत के तहत निम्नलिखित उपकरण और घटक लॉंच किए गए–

  - लीनियर वेरिएबल डिफैशियल ट्रांसड्यूसर (एलवीडीटी) मोशन सेंसिंग और फीडबैक कंट्रोल डिवाइस कार्यातक मापदंडो की उच्च सटीकता के कारण एयेरोस्पेस, मिसाइल, सोलर, विमान इंजन, पवन ऊर्जा और नौसेना प्रणालियो, और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में कार्य करता है ।

  - भारतीय नौसेना के जहाज पर उन्नत समग्र संचार प्रणाली (एसीसीएस) के लिए है । किलोवाट ट्रांसमीटर एरियल स्विचिंग रैंक (एसएआर) किसी भी सेयोजन मे एंटीना ट्यूनिंग (एटीयू) के साथ चार उच्च आवृत्ति (एचएफ) ट्रासंमीटरों को चार एचएफ एंटीना में स्विच करने की अनुमति देता है।

- विकास एवं अभियांत्रिकी परियोजनाएं जिन्होंने कंपनी (रक्षा और गैर रक्षा दोनों खंडो के लिए काफी राजस्व प्राप्त किया है उनमें एसीसीएस (शक्ति) चरण-।।।, एसडीआर-नौसेना कॉम्बेट, 1 किलोवाट एचएफ रेडियो, एसआरई फेस 1 अपग्रेड, री-इंजीनियर आरएडबल्यूएल -02, एमके-।। ए रेडार, आएसीसीएस बैच 2, तटीय चौकसी प्रणाली फेस 2 (आईसीजी), सीएमएस -17 के लिए पनडुब्बी रोधी युद्ध बेडे, आईएफएफ मार्क- XII(एस) इंटरोगेटर, हथियार प्रणाली के ऑपरेटरों का प्रशिक्षण के लिए सिम्यूलेटर, एमआरसैम, पैनोरमिक नाइट विजन गूगल्स (ऐविएशन), अनकूल्ड टीआई साइटस, इस्टंट फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, एलआईवीई मार्क II एनक्रिप्टर्स, एसएमआईएलई मार्क II एनक्रिप्टर्स, टू व्हील इलेकिट्रक व्हीकल के लिए बैटरी और मुंबई मोनोरेल के लिए ट्रेन सिम्यूलटर शामिल हैं ।

- स्वदेशी रूप से विकसित कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकी मॉड्यूल उपप्रणाली, जिसके परिणामस्वरूप आयात प्रतिस्थापन हुआ है एलआरएसएएम के लिए इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम (ईपीएस)रिसीवर मल्टि-कप्लर, लिक्स यू 2 अग्नि नियंत्रण प्रणाली के लिए कॉम्पेक्ट ट्रेकिंग रेडार एक्स बैंड, हथियार प्रणाली कम्प्यूटर, डायरेक्टिंग गियर, वीओआईपी आधारित वीएचएफ रेडियो संचार प्रणाली और तटीय निगरानी प्रणाली के लिए वीएचएफ मरीन रेडियो, आरएडबल्यूएल-02 एमके-II को फिर से इंजीनियर करने के लिए उपप्रणाली, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के अनुरूप इलेक्ट्रानिक टिकट जारी केरने वाली मंशीने और ऑन-बस फिक्स्ड वैलिडेटर, गोनियोमीटर इंटिग्रेटड ऑब्सर्वेशन उपकरण और वीयूएचएफ सीओएमआईएनटी रिसीवर ।

- बीईएल द्वारा शुरू की गई अनुसंधान एव विकास, जो म्यांमार नौसेना और सेशेल्स चरण 2 को तटीय निगरानी प्रणाली को निर्यात किया है ।

(ङ) विविधीकरण / विस्तार योजनाएं –नई सीमाएं

एक विविधिकरण रणनीति के रूप में, कंपनी रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में हासिल की गई अपनी ताकत और क्षमताओं का लाभ उठाते हुए, विकास क लिए संबद्ध रक्षा और गैर रक्षा क्षेत्रों में अवसरों की खोजकर रही है। पिछले 4-5 वर्षो में, कंपनी के कारोबार में गैर रक्षा भाग, औसतन (2018-19 में ईवीएम-वीवीपैट के कारण अपवाद) कुल कारोबार का लगभग 15-20% है । इस वर्ष, कंपनी का कुल कारोबार का लगभग 22% गैर रक्षा खंड से है । कंपनी का लक्ष्य आने वाले वर्षोंमें गैर रक्षा व्यवसाय से अपने कारोबार का लगभग 20-25% राजस्व प्राप्त करना ओर बनाए रखना है।

कंपनी सतत विकास के लिए नए बाजारों में अपने कारोबार का और विस्तार करने के लिए रक्षा और गैर -रक्षा दोनों क्षेत्रों में कई नए क्षेत्रों में प्रवेश करने और संबोधित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है ।

रक्षा क्षेत्र में ध्यान केंद्रित किए जानेवाला क्षेत्र इस प्रकार है- अगली पीढ़ी के स्वदेशी एसएएम प्रणाली, एयरबोर्न रेडार, हथियार और गोला बारूद और विस्फोटक, आरएफ सीकर्स, इमेंजिंग इन्फ्रा-रेड(आईआईआर) सीकर्स, मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, मानव रहित प्रणाली, नाइट विजन के लिए थर्मल इमेंजिंग डिटेक्टर, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली (आईआरएनएसएस) आधारित जडत्वीय नेविगेशन प्रणाली (आईएनएस) और समाधान, लेजर-आधारित निदेशित ऊर्जा हथियार, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले प्रणाली (एचएमडीएस) विमानों ओर हेलीकाप्टरों के लिए प्रत्यक्ष इन्फ्रारेड काउंटर उपाय, एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर नेटवर्क और साइबर सुरक्षा, कंपोसिट्स आदि ।

गैर-रक्षा क्षेत्र में ध्यान केंद्रित किए जानेवाला क्षेत्र इस प्रकार है- हवाई यातायात नियंत्रक रेडार सहित एंटी ड्रोन प्रणाली, अंतरिक्ष उपग्रह इलेक्ट्रॉनिक्स, अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहन, उपग्रह संचार सेवाएं, अंतरिक्ष ग्रेड सोलर सेल, उपग्रह संयोजन और एकीकरण, सोलर व्यवसाय, रेलवे और मेट्रो समाधान, सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिक वाहन (ली- आयन और इंधन सेल, चार्जिंग स्टेशन आदि), गृहभूमि सुरक्षा ओर स्मार्ट सिटी कारोबार, स्मार्ट मीटर, वायुमंडलीय जल जनरेटर, चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वास्थ्य देखभाल की एक श्रृंखला समाधान (आईसीयू वेंटिलेटर, डायलिसिस मशीन, रोगी निगरानी प्रणाली, यूवी सैनिटाइजर, टेली मेडिसन, मेडिकल सिम्यूलेटर, पोर्टबल सीटी स्केन, मेडिकल डिस्पले, सी-आर्म एक्स-रे, अल्ट्रा सांउड और एमआरआई) आदि ।

बीईएल ने इलेक्ट्रॉनिक्स गोला बारूद फ्यूज, मिसाइल सीकर्स, लाइट वेट कंपोसिट शेल्टर्स एंड मास्ट, गृहभूमि सुरक्षा एवं स्मार्ट सिटी नेटवर्क और साइबर सुरक्षा, रेल एवं मेट्रो समाधान (मेट्रो रेल के लिए रियल टाइम ट्रेन इंफामेशन प्रणाली, स्वचालित फेयर कलेक्शन और गेटिंग प्रणाली में सफलतापूर्वक विवधिता लाई है) इंटेलिजेंट ट्रैफिक मेनेजमेंट प्रणाली, ऊर्जा भंडारण उत्पाद, सोलर ऊर्जा संयत्र, सेल और मॉड्यूल, उपग्रह संयोजन और एकीकरण आदि ।

बीईएल अपने सिद्ध उत्पादों प्रणालियों और समाधानों के लिए मौजूदा भौगोलिक बाजारों के साथ- साथ नए भौगोलिक क्षेत्रों में नए ग्राहकों को शामिल कर अपने व्यवसाय का विस्तार करने का निरंतर प्रयास करती है। बीईएल ने नए व्यवसाय जेसे सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी संचालित (गोको), ओपेक्स मॉडल आदि (जैसे क्लास रूम जैमर, एक्स-रे बैगेज इस्पेक्शन मशीन आदि) में उद्यम किया है ताकि नए ग्राहक खंडों पर कब्जा करके उपने व्यवसाय का विस्तार किया जा सके । बीईएल बाजार के विस्तार के साथ-साथ नए ग्राहक क्षेत्रों भौगोलिक क्षेत्रों विशेष रूप से निर्यात बाजारों में अपने उत्पादों समाधानों के अनुकूलन के लिए अपनी दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकीयों (जैसे एसडीआर, सोलर सेल आदि) का दोहन करने का प्रयास कर रही है।

बीईएल अपने उत्पादों और सेवाओं की पहुंच को नए बाजारों तक बढ़ाने और ऑफसेट अवसरों का पता लगाने के लिए अपने नए अंतर्राष्ट्रीय विपणन कार्यालयों का लाभ उठा रही है । बीईएल संसाधन साझा करने के माध्यम से भू- स्थानिक पंहुच का तेजी से विस्तार करने के लिए अन्य पीएसयू / उद्योग के विशेषज्ञों के साथ साझेदारी भी कर रही है ।

(च) जोखिम प्रबंधन लागत में कमी और स्वदेशीकरण पर विशिष्ट उपाय –

1) जोखिम प्रबंधन

व्यवसाय भू- राजनीतिक और बाहरी वातावरण में निरंतर परिवर्तन के कारण कंपनी विभिन्न प्रकार के जोखिमों के संपर्क में है जो प्रकृति में गतिशील है।

इन जोखिमों को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए बीईएल के पास कंपनी भर में एक स्थापित उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचा है । ईआरएम की तैनाती कंपनी की जोखिम प्रबंधन (आरएम) नीति पर आधारित है । बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समित (आरएमसी) की सिफारिश के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी की जोखिम प्रबंधन की समीक्षा की गई और लिस्टिंग विनियमों की आवश्यकताओं और कारोबारी माहौल में बदलाव को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया है । संशोधित आरएम नीति बोर्ड के उचित अनुमोदन के साथ जारीकी जाती है ।

जोखिम प्रबंधन नीति जोखिम प्रबंधन संरचना, कार्यक्षेत्र और उद्देश्य, जोखिम के क्षेत्र, विभिन्न स्तरों पर जोखिम प्रबंधन समितियों की भूमिका और जिम्मेदारी, जोखिम चैंपियन और कंपनी में अन्य संबंधित कर्मियों की रूपरेखा तैयार करती है । प्रौद्योगिकी बाजार उत्पाद साइबर सुरक्षा संचालन वित्त मानव संसाधनआदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुडे हुए विभिन्न जोखिमों की जोखिम पहचान मूल्यांकन प्राथमिकता और शमन के लिए एक व्यापक रूपरेखा को भी नीति में परिभाषित किया गया है । उपरोक्त प्रत्येक क्षेत्र में जोखिमों के प्रमुख प्रेरकों का भी स्पष्टीकरण किया गया है ।

बीईएल के जोखिम प्रबंधन ढांचे में शीर्ष स्तर पर निदेशक मंडल (बीओडी) (बोर्ड के आरएमसी द्वारा प्रतिनिधित्व और शीर्ष स्तर पर कार्पोरेट जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) और एसबीयू/यूनिट/आर एंड डी केंद्र स्तर पर यूनिट जोखिम प्रबंधन समिति (यूआरएमसी) की तीन–स्तरीय समिति है ।

उपरोक्त ढांचे में कंपनी की सभी यूनिट/एसबीयू, अनुसंधान एवं विकास केंद्र और कार्यात्मक क्षेत्र भी शामिल किए गए हैं ।

कंपनी स्तर के जोखिमों की निगरानी सीआरएमसी द्वारा की जाती है जिसके प्रमुख एक कार्यात्मक निदेशक होते हैं और महाप्रबंधक स्तर पर कॉपरिट के वरिष्ठ प्रबंधन इसके सदस्य होते है । जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रत्येक यूनिट एसबीयू /आर एंड डी केंद्रों में यूआरएमसी का गठन किया गया है यूआरएमसी का नेतृत्व एसबीयू/यूनिट /आरएमडी केंद्रों के संबंधित प्रमुखों द्वारा किया जाता है और संबंधित यूनिट आर एंड डी केनद्र जोखिम चैंपियंस द्वारा समन्वित किया जाता है। यूआरएमसी अपने संचालन के क्षेत्र के लिए विशिष्ट जोखिमों पर ध्यान केदित करते हैं और प्रत्येक तिमाहीमें एक चालू गतिविधि के रूप में अपने संबंधित परिचालन क्षेत्रों में जोखिम मूल्यांकन करते हैं और जोखिमों की औपचारिक समीक्षा करते हैं और श्मन उपायों का सुझाव देते हैं । यूआरएमसी द्वारा शमन उपायों का अनुमोदनप्राप्त किया गया है । प्रबंधन /बोर्ड जैसा लागू हो यूआरएमसी आगें संभाव्यत: और प्रभावी के संदर्भ में अपने मूल्यांकन के अनुसार अपने जोखिमों को प्राथमिकता और ग्रेड भी देते हैं । यूआरएमसी के तहत सीआरएमसी को प्रत्येक तिमाही में शीर्ष जोखिमों की सूचना दी जाती है सीआरएमसी यूआरएमसी से प्राप्त जोखिम रजिस्टर और कंपनी स्तर के जोखिमों का भी विश्लेषण करती है।

कंपनी–भर प्रभाव करने वाले जोखिम, जिनकी समीक्षा और सलाह की आवश्कता होती है को आरएमसी के समक्ष रखा जाता है ।

आरएमसी द्वारा समीक्षा और सिफारिश और बोर्ड द्वारा अनुमोदन (जैसा लागू), के बाद इन जोखिमों को उचित शमन उपायों के साथ संबोधित किया जाता है । यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त परिवर्तन या नीतियाँ और प्रक्रियाएं पेश की जाती हैं ।

अनुपालन के लिए आरएमसी द्वारा शमन उपयों के कार्यान्वयन की ओर समीक्षा की जाती है और बोर्ड को इसके कार्यान्वयन के स्थिति से अवगत कराया जाता है ।

जोखिम, जिसका प्रमुख परियोजनाएं, निवेश प्रस्तावों आदि पर प्रभाव की उच्च संभावना हो सकती है को समीक्षा और शमन उपायों की सिफारिश के लिए सीआरएमसी को भेजा जाता है। प्रमुख परियोजना प्रस्तावों और रणनीतिक महत्व वाले लोगों को अनुमोदन प्राधिकारी से अनुमोदन की मांग करते समय उनके प्रस्तावों के हिस्से के रूप में जोखिम विश्लेषण रिपोर्ट अनिवार्य रूप से शामिल होती है । यह अनुमोदन प्राधिकारी को उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए है ।

बीईएल में लागू किए गए कुछ जोखिम शमन उपायों में विविधीकरण (गैर–रक्षा व्यवसाय, उत्पाद और बाज़ार विविधिकरण में बढ़ोत्तरी) प्रमुख प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्टता के केंद्रों के लिए निर्माण के माध्यम से आंतरिक प्रौद्योगिकियों का विकास, सह विकास के लिए भागीदारी सह उत्पादन शामिल है । और नए व्यापार के अवसरों का लाभ लेना जिसमें रक्षा मंत्रालय की नकारात्मकसुची से उत्पन्न होने वाले, एमएसएमई / स्टार्ट–अप और बीईएल – मेक – II नीति के साथ साझेदारी के माध्यम से स्वदेशीकरण व्यापक विक्रेता विकास समर्थन और मूल्यांकन प्रक्रिया आदि शामिल है ।

कंपनी में ईआरएम की एक समान समझ रखने के लिए कंपनी में संबंधित जोखिम समिति के सदस्यों और अन्य हितधारकों के लिए कॉपरिट मानव संसाधन विभाग द्वारा निरंतर गतिविधि के रूप में ईआरएम प्रशिक्षण कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं ।

2 **लागत में कमी –**

सिविल और रक्षा दोनों क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धा माहौल को ध्यान में रखते हुए, बीईएल ने लागत में कमी की रणनीति को एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में अपनाया है । क्रॉस फंक्शनल क्षेत्रों के सदस्यों के साथ सभी यूनिटों एसबीयू में लागत में कमी टास्क फोर्स की स्थापना की जाती है । कार्य बल परियोजनाओं की पहचान करते हैं और उन्हें लेते हैं और लागत में कमी प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं । लागत में कमी की गतिविधियाँ विनिर्माण और गैर–विनिर्माण दोनों क्षेत्रों पर केंद्रित है और व्यवसाय के सभी पहलुओं को शामिल करती है ।

3. **स्वदेशीकरण**

बीईएल हमेशा घरेलू अनुसंधान एवं विकास और स्वदेशीकरण, भारतीय उद्योगों से बाहरी स्रोत, सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने, संयुक्त उद्यम क्षमता का विस्तारण, बुनियादी ढांचे के विकास/आधुनिकीकरण आदि पर जोर देकर स्वदेशीकरण प्रयासों के माध्यम से आत्मनिर्भता प्राप्त करने का प्रयास कर रही है । स्वदेशीकरण के लिए अभिचिह्नित 100 मदों की सूची बीईएल वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है । उच्च आयात मूल्य की लगभग 231 वस्तुओं का विवरण स्वदेशीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय के स्वदेशीकरण पोर्टल (सृजन) पर सूचीबद्ध है । जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद बढ़ाने के लिए कई श्रेणियों की वस्तुओं को केवल जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए निर्धारित किया गया है । निजी विक्रेताओं को भी नाममात्र दरों पर बीईएल की परीक्षण सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ।

एसबीयू / यूनिट के डी एंड ई में प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास और रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भता प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं । स्वदेशीकरण पर और जोर देने के लिए कंपनी ने बेंगलूरू में एक एकीकृत अत्याधुनिक उत्पाद विकास और नवाचार केंद्र (पीडी एंड आईसी) स्थापित किया है । स्वदेशीकरण के लिए प्रयासो में न केवल संस्थागत आर एंड डी के माध्यम से पहल शामिल है बल्कि सहयोग अनुसंधान एवं विकास और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं शैक्षिणिक संस्थान, अनुसंधान संस्थान, उद्योग और एमएसएई के साथ संयुक्त विकास के माध्यम में भी शामिल है । भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष और आतमनिर्भर भारत के उपलक्ष्य में बीईएल ने 24 मार्च, 2021 को 'स्वदेशीकरण –India@75' नामक एक इंटरेक्टिव वेबिनार का आयोजन किया ।

(ख) आतंरिक नियंत्रण प्रणाली और इसकी पर्याप्तता –

बीईएल में आंतरिक नियंत्रण की एक मजबूत प्रणाली मौजूद है । इसने सभी वित्तीय और परिचालन कार्यों को शामिल करते हुए खरीद, उप-ठेका, कार्य अनुबंध, लेखा, मानव संसाधन, सूचना और प्रौद्योगिकी की सुरक्षा, शक्तियों के उप प्रत्यायोजन आदि पर नीतियों और प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण और बदलते समय के अनुरूप संशोधित किया है । इन नियंत्रणों को वित्तीय रिपोटिंग की विश्वसनीयता, संचालन की निगरानी, और अनधिकृत उपयोग या हानि से संपत्ति की रक्षा विनियमों के अनुपालन आदि के लिए उचित लेखांकन नियंत्रण बनाए रखने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है । बीईएल ने ऑनलाइन प्रसंस्करण और खरीद और अन्य प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए फाइल लाइफ साइकिल मैनेजमेंट (एफएलएम) लागू किया है, जो सूचना / फाइलों की पूर्ण पारदर्शिता, जवाबदेही, संरक्षा और सुरक्षा की सुविधा प्रदान करती है । भारतीय लेखा मानक (भारतीय एएस) और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुपालन के लिए खातों को तैयार करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देशों का लगातार पालन किया जाता है ।

बीईएल ने केंद्रीकृत तैनाती के साथ कंपनी व्यापी ईआरपी प्रणाली (एएसपी) लागू किया है । एक शासन जोखिम और अनुपालन (जीआरसी) अभिगम नियंत्रण मॉडयूल किया गया है । व्यावसायिक लेनदेन के लिए प्राधिकरण प्रदान करते समय निवारक नियम आधारित जांचों को एम्बेड करके उपयोगकर्ता पहुंच जोखिमों को संबोधित करने के प्राथमिक साधन के रूप में लागू किया गया है ।

उपयोगकर्ता को प्राधिकरण कर्तव्यों और कम से कम विशेषाधिकार के पृथक्करण के सिद्धातों के आधार दिए गए है । वित्त, भुगतान करने हेतु खरीद, नकदी का आदेश, सामग्री प्रबंधन, एचआर और वेतनपट्टी जैसी कई व्यावसायिक प्रकियाओं में प्रणाली में जोखिम नियमों को कॉफिन्गर किया गया है । यह सुनिश्चित करने केलिए कि प्रकियाएं नियंत्रण में है जोखिम विश्लेषण रिपोर्ट नियमित रूप से चलाई जाती है । महत्वपूर्ण लेनदेन के लिए बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट प्रमाणीकरण के रूप में अतिरिक्त नियंत्रण भी मौजूद है भूमिकाओ और प्राधिकरणों में सभी परिवर्तनों के लिए लेखा परीक्षा लॉग रखा जाता है।

बीईएल का अपना आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है जो इसके संचालन के आकार के अनुरूप है पेशेवर रूप से योग्य कर्मियों की टीमों के साथ,जो यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित ओर व्यापक आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित करते हैं कि सभी जांच और अतिरिक्त नियंत्रण प्रणाली मौजूद है। बाहरी पेशेवर लेखा परीक्षा फर्मो का उपयोग 2020-21 के दौरान सात यूनिटों में विक्रेता भुगतान (यात्रा / चिकित्सा दावों / प्रतिपूर्ति सहित) की 100% वाउचिंग करने क लिए किया जा रहा है और इसकी योजना बीजी कॉम्पेक्स और गाजियाबाद में भुगतान के 100% वाउचिंग को कवर करने की है वह भी 2021-22 के दौरान ही है । कंपनी के पास बोर्ड की एक उपसमिति है आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए लेखा परीक्षा समिति (एसी) साथ ही एक सरकारी कंपनी होने के नाते बीईएल भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा लेखा परीक्षा के अधीन है ।

बीईएल की आंतरिक लेखा परीक्षा दल प्रमुख विनिर्माण यूनिटों और कंपनी के कारपोरेट कार्यालय में स्थित है जो बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित जोखिम आधारित वार्षिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार लेखा परीक्षा करता है । कुछ क्षेत्रों में लेनदेन की बढी हुई मात्रा पूरी करने के लिए एक नए केंद्र की भी योजना बनाई जा रही है सभी आंतरिक लेखा परीक्षा दल अपनी टीम के नेताओं को लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करते है और लेखापरीक्षितियों के उत्तरों /कार्रवाई की गई रिपोटों पर विचार करने के बाद टीम के नेता समय समय पर आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख को लेखा परीक्षा के दौरान देखे गए महत्वपूर्ण मुददों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते है । आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख सुधारात्मक कार्यो के लिए विभिन्न स्तरों पर कंपनी के प्रबंधन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और अंत में बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करते है जो कंपनी की अच्छी तरह से स्थापित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और योजना के अनुपालन की स्थिति का संकेत देते हैं । कंपनी की प्रमुख गतिविधियों से जुडे प्रमुख जोखिमों को कम करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आउटलेर्स की पहचान के लिए डाटा की निगरानी के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली में एक आधुनिक डाटा एनालिटिकल उपकरण यदि हो तो उसे शामिल किया गया है ।

बीईएल की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नियमित लेखा परीक्षा, सिस्टम की समीक्षा,प्रक्रिया की समीक्षा, डाटा विश्लेषण आदि के माध्यम से आंतरिक लेखा परीक्षा के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के कामकाज की बोर्ड स्तर पर समय समय पर समीक्षा की जाती है । मंडल स्तरीय लेखा परीक्षा समिति द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है । समय समय पर लेखा परीक्षा योजनाएं महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और लेंखाकन मानकों और नीतियों के अनुपालन की नियमित रूप से समीक्षा करती है और आंतरिक नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए अनुपालन के लिए निर्देश जारी करती है ।

कंपनी के गतिशील परिचालन वातावरण को ध्यान में रखते हुए, कंपनी अपनी सभी प्रक्रियाओं और नियंत्रनों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने के अपने प्रयासों को जारी रखती है ताकि उच्चतम स्तर के कॉर्पोरेट प्रशासन को सुनिश्चित किया जा सके ।

(ग) वित्तीय / प्रचालनीय कार्य-निष्पादन-

1. **रणनीति और उद्देश्य –** आपकी कंपनी की वित्तीय रणनीति का मुख्य उद्देश्य लाभदायक विकास के लिए पर्याप्त आंतरिक संसाधन उत्पन्न करना पैसे के लिए मूल्य देना और शेयरधारकों के लिए धन अर्जित करना उच्चतम क्रेडिट रेटिंग बनाए रखना और जोखिम शमन रणनीतियों को निर्मित करना वित्तीय जोखिमों के जोखिम को व्यावसायिक प्रक्रिया को कम करने के लिए जारी रखना है।

2. **निष्पादन की प्रमुख झलकियाँ –**

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष**
प्रचालन से राजस्व	14,06,383	12,92,111
ब्याज, कर, मूल्यह्रास तथा परिशोधन (ई.बी.आई.टी.डी.ए.) से पहले अर्जन	3,18,112	2,73,013
ई.बी.आई.टी.डी.ए. मार्जिन (प्रचालनों से ई.बी.आई.टी.एस.ए. / राजस्व निवल)	22.62%	21.13%
कर पश्चात् लाभ	2,06,542	1,79,383
वस्तुसूची के दिनों की सं./उत्पादन का मूल्य	130	117
कारोबार से प्राप्तियों के दिनों की सं./विक्रयावर्त	173	195
चालू अनुपात	1.41	1.45
ऋण इक्विटी अनुपात	-	0.001

3. **वर्ष 2020-21 के वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण –**

- कुल कारोबार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु.12,60,776 लाख से लगभग 9.6% की वृद्धि दर्ज की जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु.13,81,816 लाख हो गई ।
- उत्पादन का मूल्य वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु.12,34,833 लाख से बढ़कर 2020-21 में रु.13,94,749 लाख हो गया यानी लगभग 12.95% की बढ़ोतरी पायी गयी है ।
- प्रति कर्मचारी कुल कारोबार वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु.135.87 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु.150.66 लाख हो गई ।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के 14.23% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में पीएटी-से-विक्रयावर्त अनुपात 14.95% है।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में निवल मूल्य रु.9,85,294 लाख से बढकर वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु.10,80,789 लाख हो गई ।
- पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निवल संपत्ति पर प्रतिफल 18.21% से बढ़कर 19.11% हो गई । इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण उत्पादन के मूल्य में 12.95% की बढ़ोतरी थी ।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु.7.36 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रति शेयर आय रु.8.48 थी ।
- वित्तीय वर्ष 2020-21में बुक वैल्यू प्रति शेयर रु.44.36 है जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में यह रु.40.44 है ।

(घ) मानव संसाधन में विकास

बीईएल विभिन्न मानव संसाधन विकास पहलों के माध्यम से व्यक्तिगत और टीम दोनों स्तरों पर अपने कर्मचारियों के सतत विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है । सीखने और संगठन के विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए, विभिन्न प्रबंधन विकास कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी-विशिष्ट कार्यक्रम और गुणवत्ता से संबंधित कार्यक्रम आंतरिक रूप से और सभी ग्रेड के अधिकारियों के लिए प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों क माध्यम से आयोजित किए जा रहे है । वर्ष के दौरान शुरू की गई कुछ सीखने और विकास पहल इस प्रकार है-

क्रम सं	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम के बारे में	लक्षित दर्शक	कवरेज
1	रणनीति निर्माण और प्रतिस्पर्धात्मक आसूचना (एसबीसीआई)	वरिष्ठ अधिकारियों के लिए रणनीति बनाना एक महत्वपूर्ण घटक है और व्यासायिक विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए रणनीतिक कौशल आवश्क है । कार्यक्रम का आयोजन आईआईएम के संकाय सदस्य द्वारा किया गया था ।	डीजीएम और उससे ऊपर की श्रेणी के कार्यपालक	कार्यक्रम में 29 वरिष्ठ कार्यपालकों ने भाग लिया
2	उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम)	संभावित व्यावसायिक जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए एक वैचारिक ढांचा प्रदान करने के लिए उद्यम जोखिम प्रबंधन पर दो दिवसीय कार्यकम आयोजत किया गया था	प्रबंधक और उससे ऊपर की श्रेणी के कार्यपालक	कार्यक्रम में 28 कार्यपालकों ने भाग लिया
3	आपूति श्रृंखला प्रबंधन	कंपनी की लाभप्रदता में प्रमुख योगदानकर्ता होने के अलावा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन व्यवसाय की सफलता के लिए बहुत महत्वूपर्ण है । आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर एक कार्यक्रम आइआईएम के संकाय सदस्य द्वारा आयोजित किया गया था	सामग्री प्रबंधन, उत्पादन नियंत्रण, उप अनुबंध, वित्त और अन्य संबंद्ध क्षेत्रों में कार्यरत कार्यपालक	कार्यक्रम में संबंधित क्षेत्रों के 30 कार्यपालकों ने भाग लिया
4	वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए उन्नत कार्यक्रम (एपेक्स)	वरिष्ठ अधिकारियों के लिए उन्नत कार्यक्रम (एपेक्स) प्रबंधन अवधारणाओं और तकनीकों में अंतदृष्टि प्रदान करने रणनीति को तैयार करने और कार्यान्वित करने और अपर महाप्रबंधकों के लिए बेहतर निर्णय लेने के एक समग्र परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के उदेश्य से आयोजित किया गया है । कार्यक्रम का आयोजन आईआईएम के संकाय सदस्य द्वारा किया गया था ।	अपर महाप्रबंधक	कार्यक्रम में 26 एजीएम ने भाग लिया ।
5	युवा महिला नेता कार्यक्रम (दीपशिखा)	एक्सएलआरआई संकाय के माध्यम से आयोजित महिला अधिकरियों के लिए नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए एक विशेष महिला नेता कार्यक्रम	ई-II से ई-V तक की महिला कार्यपालक	कार्यक्रम में 45 कार्यपालकों ने भाग लिया
6	कोचिंग अनिवार्यता पर जागरूकता कार्यक्रम(पीएसीई)	कोंचिंग में अवधारणाएं, कार्यप्रणाली और प्रथाओं को समझने में कार्यपालकों की मदद करने के लिए दो कार्यक्रम आयोजित किए गए ।	प्रबंधक और उससे ऊपर की श्रेणी के कार्यपालक	कार्यक्रम में 52 कार्यपालकों ने भाग लिया
7	योग्यता आधारित साक्षात्कार कौशल	हमारे वरिष्ठ कार्यपालकों, जो पहले से ही नए प्रवेशकों की चयन प्रक्रिया में शामिल हैं और साथ ही योग्यता आधारित व्यवहार का उपयोग करके एक प्रभावी साक्षात्कार आयोजित करने के लिए ऐसी भूमिका निभाने की तैयारी कर रहे हैं, का समर्थन करने के लिए योग्यता आधारित साक्षात्कार कौशल कार्यशाला दो बैचों में आयोजित की गई थी ।	कार्यपालक, जो यूनिटों/ कार्यालयों में चयन समितियों के सदस्य हैं	कार्यक्रम में 63 कार्यपालकों ने भाग लिया ।
8	मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल प्रोफेशनल	मेंकिग ऑफ ए ग्लोबल प्रोफेशनल एक अनूठा पाठ्यक्रम है, जिसका उद्देश्य कार्यपालकों को प्रामाणिक गतिशील और चरित्र आधारित नेताओं के रूप में विकसित करना है ।	ई-IV और ई-V श्रेणी के कार्यपालक	कार्यक्रम में 43 कार्यपालकों ने भाग लिया ।
9	बिसिनेस स्टॉरी टेल्लिंग	प्रतिभागियों को संप्रेषण कला के रूप में कहानी कहने पर अंतदृष्टि देने के लिए व्यावसायिक उददेश्यों लक्ष्य या वांछित परिणाम को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम डिजाइन किया गया है ।	सभी यूनिट / कार्यालयों के ई-V ई-VII तक के वरिष्ठ कार्यपालक	कार्यक्रम में 47 कार्यपालकों ने भआग लिया

क्रम सं	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम के बारे में	लक्षित दर्शक	कवरेज
10	वित्त अधिकारियों के लिए योग्यता वृद्धि कार्यक्रम	हमारे वित्त कार्यपालकों के बीच में वित्त विनियमन पर ज्ञान बढ़ाने के लिए जीएसटी, कानूनी और वाणिज्यिक अनुबंध की शर्तों, आईएनडी-एएस और आयकर और अंतराष्ट्रीय कराधान जैसे विषयों को शामिल करते हुए विशेष पुनश्चर्या कार्यक्रम 15 घंटे की अवधि के लिए आयोजित किया गया ।	सभी यूनिटों के वित्त विभाग के सभी कार्यपालक	कार्यक्रम में 253 कार्यपालकों ने भाग लिया
11	सार्वजनिक खरीद आदेश और खरीद प्रक्रिया कार्यक्रम	सार्वजनिक कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए आवश्यक वस्तुओं, कार्यो और सेवाओं की खरीद के लिए सार्वजनिक खरीद आदेश एक महत्वपूर्ण प्रणाली है । कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को सार्वजनिक खरीद के प्रक्रम/ प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करना था	सामग्री प्रबंधन, बिक्री, विपणन और वित्त के कार्यपालक	कार्यक्रम में 360 कार्यपालकों ने भाग लिया
12	निवारक सर्तकता पर कार्यक्रम	सरकार एवं सतर्कता विभाग के निदेशानुसार, सतर्कता गतिविधियों को बेहतर ढंग से समझने के उद्देश्य से निवारक सतर्कता पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया	सभी श्रेणी के कार्यपालक	कार्यक्रम में 19 कार्यपालकों ने भाग लिया
13	योग्यता विकास कार्यक्रम (सीओडीई)	बीईएल बिहेवियरल कंपनी मॉडल के आधार पर दक्षताओं में अंतराल की पहचान करने के लिए ई -IV और ई-V ग्रेड में अधिकरियों के लिए ऑनलाइन विकास केंद्र (ओडीसी) आयोजित किए गए है । व्यक्तिगत और संगठनात्मक उत्कृष्टता के लिए विशिष्ट दक्षताओं को बढ़ाने के लिए समूह रिपोटो का विश्लेषण करते हुए पहचान की गई व्यावहरिक दक्षताओं को सक्षमता विकास कार्यक्रम (सीओडीई) में केंद्रित किया गया है	ई-IV और ई-V श्रेणी के कार्यपालक	280 कार्यपालक
14	श्रम कानून और घरेलू जांच प्रक्रिया कार्यक्रम	कानूनी व्यवस्था और श्रम कानूनों का औद्योगिक प्रतिष्ठानो के कामकाज पर काफी प्रभाव पडता है यह कार्यक्रम हमारे कार्यकारी अधिकारियो के विवेकपूर्ण होने और प्रचलित कानूनी प्रक्रियाओं के साथ संरेखित होने के लिए आयोजित किया गया है क्योंकि इसका कानूनी प्रभाव है	विभिन्न श्रेणी के कार्यपालक	60 कार्यपालक
15	योग्यता वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीओएमईटी)	बीईएल बिहेवियरल कंपनी मॉडल के आधार पर ई-I से ई-III ग्रेड में दक्षताओं का मानचित्रण करने के बाद, समूह रिपोर्टों का विश्लेषण, व्यवहारिक दक्षताओं की पहचान करने के बाद कार्यकारी अधिकारियों के लिए विशिष्ट दक्षताओं को बढ़ाने के लिए योग्यता वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीओएमईटी) आयोजित किया गया था।	ई-I से ई-III श्रेणी के कार्यपालक	281 कार्यपालक
16	एच.आर. एनालिटिक्स में प्रमाण पत्र कार्यक्रम (सीएचआरए)	किसी संगठन में मानव पूंजी में महत्वपूर्ण निर्णय अब साक्ष्य आधारित होते हैं और इसलिए प्रभावी निर्णय लेने के लिए मानव संसाधन विश्लेषण आवश्यक है। यह कार्यक्रम एचआर पेशेवरों के लिए रणनीतिक संरेखण के लिए एचआर एनालिटिक्स के उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके संगठन की नीतियों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं के विस्तृत विश्लेषण को सक्षम करने के लिए आयोजित किया गया था।	विभिन्न श्रेणी के मानव संसाधन के कार्यपालक	35 कार्यपालक

क्रम सं	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम के बारे में	लक्षित दर्शक	कवरेज
17	उन्नत नेतृत्व कार्यक्रम (एएलपी)	वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए बीईएल व्यवहार योग्यता माडल के आधार पर उनकी व्यवहार क्षमता का आकलन करने के लिए मूल्यांकन केंद्र संचालित किए जा रहे है । समूह रिपोर्टों के आधार व्यतिगत विकास और संगठनात्मक उत्कृष्ठता के लिए इन दक्षताओं के निर्माण के लिए उन्नत नेतृत्व कार्यक्रम में पहचान की गई व्यावहारिक दक्षताओं को संबोधित किए गया ।	ई –VI, ई–VIए और ई–VII श्रेणी के कार्यपालक	53 कार्यपालक
18	हाई इम्पैक्ट ट्रेनर (ट्रेन द ट्रेनर) (एचआईटी) कार्यक्रम	विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक उपयुक्त दक्षताओं वाले आंतरिक प्रशिक्षकों का एक पूल विकसित करने के लिए उच्च प्रभाव प्रशिक्षक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है ।	ई–IV और उससे ऊपर की श्रेणी के कार्यपालक	55 कार्यपालक
19	मूल्याकंन और विकास केंद्र प्रमाणन कार्यक्रम (एडीसीसी) (बैच–1 और बैच–2)	हमारे कार्यपालकों के नेतृत्व क्षमता के स्तर का आकलन करने के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन और विकास केंद्र कार्यकम आयोजित किए जा रहे है यह कार्यक्रम आंतरिक क्षमता निर्माण के लिए हमारे अधिकारियों के ज्ञान को बढाता है और योग्यता आधारित विकास पहल के साथ संरेखित करने के लिए भी काम करता है ।	ई–V और उससे ऊपर की श्रेणी के कार्यपालक	33 कार्यपालक

उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2021– के दौरान निम्नलिखित पहल भी की गई –

क्रमांक	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण	लक्षित दर्शक	कवरेज
1	वियतनामी भाषा कार्यक्रम	यह कार्यक्रम उन कार्यपालकों के लिए आयोजित किया जाता है जिन्हें क्षेत्रीय कार्यालय वियतनाम में तैनात किया जाना हे कार्यक्रम प्रतिभागियों को स्थानीय भाषा से परिचित होने पर ग्राहको के साथ अच्छी तरह से जुडने और उपलब्ध व्यावसायिक अवसरों को समझने में मदद करते हैं यह प्रतिभागियों को वियतनामी भाषा पढ़ने लिखने ओर बोलने में भी मदद करता है	क्षेत्रीय कार्यालय–वियतनाम में तैनात होने के लिए चयनित कार्यपालक	2 अधिकरियों ने भाग लिया ।
2	लोगों की क्षमता और परिपक्कवता मॉडल	बीईएल कारपोरेट कार्यालय और बेंगलूरू परिसर को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ एचआर में 13 प्रमुख प्रक्रियाओं के खिलाफ मूल्यांकन और बैंचमार्क किया गया है और लोगों की क्षमता मॉडल पीसीएए स्तर 3 प्रमाणन के लिए प्रमाणित किया गया है	बीजी परिसर और कारपोरेट कार्यालय के कार्यपालक	सभी कार्यपालक
3	योग्यता आधारित प्रश्नावली और ऑनलाइन विकास केंद्र	जिसमें 9 व्यावहारिक दक्षताएं शामिल है जिन्हें हम अपने कार्यकारी अधिकरियों के बीच बढ़ावा देना चाहते हैं कार्यकारी अधिकारियों के बीच इन 9 दक्षताओं के मौजूदा स्तरों को मापने और अंतराल की पहचान करने और व्यक्तिगत विकास योजना के साथ आने के लिए ई–I ग्रेड कार्यपालकों के लिए योग्यता आधारित प्रश्नावली और ई–II और ई–III ग्रेड के कार्यपालकों के लिए ऑनलाइन विकास केंद्र आयोजित किया गया था	सीबीक्यू के लिए ई–I के कार्यपालक ओडीसी के लिए ई–II से ई–III तक के कार्यपालक	ई–I से ई–III तक के 2344 कार्यपालक

क्रमांक	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण	लक्षित दर्शक	कवरेज
4	कर्मचारी एनगेजमेंट और संतुष्टि सर्वेक्षण	वित्तीय वर्ष 2020-21 में कंपनी व्यापी कर्मचारी जुड़ाव और संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित किया गया था जिसमें कंपनी के 96% कर्मचारियों को शामिल किया गया। कुछ क्षेत्रों में सुधार की दृष्टि से केंद्रित समूह चर्चा और कार्य योजना कार्यशालाएं निर्धारित की गई।	कंपनी भर के सभी कर्मचारी	सर्वेक्षण में सभी यूनिटों के 8645 कर्मचारियों ने भाग लिया

विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में हमारे इंजिनियरों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी कार्यक्रम आयोजित किए गए और कार्यपालकों को बाहरी प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के लिए भी नामित किया गया। कुछ कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं –

क) आईआईटी मद्रास में एम टेक माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स 'कुल 3 एम टेक'

ख) प्रबंधन में पी जी प्रमाण पत्र आई आई एम कोझीकोड से पीजीसीएम (एक वर्ष)

ग) एनपीटीईएल, एएसएचआरएई, आईसीएआई से 31 प्रमाणन कार्यक्रम

घ) निर्यात आयात प्रबंधन में प्रमाणन कार्यक्रम

ङ) पीएमआई, यूएसए और एएसक्यू के 7 वैश्विक प्रमाणन कार्यक्रम

च) अनुकूलित नेतृत्व कार्यक्रम

छ) 55+ अद्वितीय प्रौद्योगिकी कार्यक्रम

प्रौद्योगिकी कौशल को बढ़ाने और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में आंतरिक प्रतिभा विकसित करने के लिए बीईएल इंजीनियरों को डीआईएटी, पूणे में एम-टेक कार्यक्रम के लिए नामित किया गया है।

उत्कृष्टता के लिए बीईएल अकादमी में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं-

क) संचार और सिग्नल प्रोसेसिंग पर आईआईटी मद्रास से वेब आधारित एम टेक

ख) आर्टिफिशियल इंटिलिजेस पर बिट्स पिलानी से वेब आधारित एम टेक

ग) "वीएचडीएल-एफपीजीए डिजाइन" पर डीआईएटी, पुणे से वेब आधारित और अनुकूलित प्रमाणन कार्यक्रम (4 महीने की अवधि)

मंडल के लिए और उसकी ओर से

बेंगलूरू
31 अगस्त 2021

आनंदी रामलिंगम
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

अनुलग्नक –5

कार्पोरेट अभिशासन का प्रतिवेदन

अभिशासन का सिद्धांत और संहिता

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (कंपनी/बीईएल) का कार्पोरेट अभिशासन का सिद्धांत ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, समुचित प्रकटीकरण, न्यायिक अनुपालन, पारदर्शी निर्णय तथा हित के लिए संघर्षों के निवारण पर आधारित है । कंपनी, निगमित मूल्य व उद्देश्यों का पालन तथा एक निगमित नागरिक के रूप में सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वाह को महत्ता देती हैं तथा सभी स्तरों पर निरंतर नैतिक व उत्तरदायी नेतृत्व सुनिश्चित करती है। कंपनी ग्राहक संतुष्टि, वित्तीय दूरदर्शिता और मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर विश्वास करती है। हमारी निगमित संरचना, व्यापार तथा प्रकटीकरण पद्धतियाँ कार्पो रेट अभिशासन के सिद्धांत के अनुरूप सरेखित हैं।

कंपनी अपने सभी शेयरधारकों के लिए मूल्य संवर्धन की ओर सतत् रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए कार्पोरेट अभिशासन की मूल अपेक्षाओं से भी अधिक आगे बढ़ने का प्रयास करती है ।

निदेशक मंडल

संघटन

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक ङ्ग सरकारी कंपनीफ है यथा 31 मार्च 2021 को इसकी कुल चुकता शेयर पूँजी का 51.14% हिस्सा भारत के राष्ट्रपति धारित किया गया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 17 (जिसे यहां इसके बाद 'सूचीकरण विनियम' कहा गया है) के प्रावधान तथा लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर जारी दिशा-निर्देशों (डीपीई के दिशा-निर्देश) के अनुसार, मंडल की स्वतंत्रता बनाए रखने तथा प्रबंधन एवं नियंत्रण के मंडल के कार्यों को पृथक करने के लिए, बीईएल के निदेशक मंडल के संघटन में कार्यकारी निदेशकों का उचित मिश्रण है जिसका प्रतिनिधित्व सीएमडी सहित कार्यकारी निदेशक तथा गैर-कार्यकारी निदेशक जिनका प्रतिनिधित्व सरकारी नामिती निदेशक एवं स्वतंत्र निदेशक करते हैं । चूँकि अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक होते हैं, मंडल की कुल संख्या में से आधे स्वतंत्र निदेशक हैं ।

31 मार्च, 2021 को बीईएल के निदेशक मंडल में सीएमडी सहित सात पूर्णकालिक कार्यकारी (प्रकार्यात्मक) निदेशक, दो अंशकालिक सरकारी (गैर-कार्यकारी) निदेशक तथा एक अंशकालिक स्वतंत्र (गैर-कार्यकारी) निदेशक सम्मिलित हैं।

31 मार्च 2021 को एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की आठ रिक्तियाँ हैं। इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार को अधिसूचना समय पर भेजी गई है और इस मामला रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन है।

बैठकें तथा मंडल की बैठकों की उपस्थिति

31 मार्च 2021, को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान मंडल की नौ बैठकें आयोजित की गई और ऐसी किन्हीं दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं था । मंडल की बैठकें दिनांक 29 मई 2020, 29 जून 2020, 27 जुलाई 2020, 7 अगस्त 2020,7 सितंबर, 2020, 6 नवंबर 2020, 25 नवंबर 2020, 28 जनवरी 2021 और 16 मार्च 2021 को आयोजित हुईं । यथा 31 मार्च 2021 को मंडल की बैठकों, वार्षिक सामान्य बैठक में निदेशकों की उपस्थिति तथा अन्य संस्थानों/ समितियों में उनके द्वारा निदेशक का पद धारित करने की संख्या के विवरण नीचे दिए गए हैं –

क्रम. सं.	निदेशकगण के नाम	निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों की संख्या जिसमें सम्मिलित हुए	30 सितं. 2020 को आयोजित अंतिम एजीएम में उपस्थिति	निदेशकों के रूप में पदधारित बैठकों की सं.*	सभी कंपनियों में समिति सदस्यता की संख्या		अन्य सूचीबद्ध स्वत्वों में निदेशक के रूप में पदधारण (निदेशक के रूप में पदधारण का वर्ग)
						सदस्य के रूप में	अध्यक्ष के रूप में	
पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक (कार्यकारी) निदेशक								
1	श्री एम वी गौतमा	09	09	जी हाँ	02	शून्य	शून्य	शून्य
2	श्रीमती आनंदी रामलिंगम	09	09	जी हाँ	03	02	शून्य	शून्य
3	श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर (31.07.2020 को निदेशक पद से निर्गमित)	03	03	ला.न.	-	-	-	-

क्रम. सं.	निदेशकगण के नाम	निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों की संख्या जिसमें सम्मिलित हुए	30 सितं. 2020 को आयोजित अंतिम एजीएम में उपस्थिति	निदेशकों के रूप में पदधारित बैठकों की सं.*	सभी कंपनियों में समिति सदस्यता की संख्या		अन्य सूचीबद्ध स्वत्वों में निदेशक के रूप में पदधारण (निदेशक के रूप में पदधारण का वर्ग)
						सदस्य के रूप में	अध्यक्ष के रूप में	
4	श्री महेश वी (31.08.2020 को निदेशक पद से निर्गमित)	04	04	ला.न.	-	-	-	-
5	श्री विनय कुमार कत्याल	09	09	जी हाँ	02	01	शून्य	शून्य
6	श्री शिवकुमारन के एम	09	09	जी हाँ	02	02	शून्य	शून्य
7	श्रीमती शिखा गुप्ता	09	09	जी हाँ	01	01	शून्य	शून्य
8	श्री दिनेश कुमार बत्रा (01.08.2020 से निदेशक के रूप में नियुक्त)	06	06	जी हाँ	03	01	02	शून्य
9	श्री राजशेखर एम वी (01.09.2020 से निदेशक के रूप में नियुक्त)	05	05	जी हाँ	01	शून्य	शून्य	शून्य
अंशकालिक सरकारी (गैर–कार्यकारी) निदेशक								
10	डॉ. अमित सहाय (29.10.2020 को निदेशक पद से निर्गमित)	05	02	जी नहीं	-	-	-	-
11	सुश्री जे मंजुला	09	08	जी हाँ	02	01	01	शून्य
12	श्री अनुराग बाजपेई (29.10.2020 से निदेशक के रूप में नियुक्त)	04	01	ला.न.	02	01	शून्य	मिश्र धातु निगम लि.– नामांकित निदेशक
अंशकालिक स्वतंत्र (गैर–कार्यकारी) निदेशक								
13	श्री मुक्का हरीश बाबू (10.09.2020 को निदेशक पद से निर्गमित)	05	05	ला.न.	-	-	-	-
14	श्री सुरेन्द्र सिंह सिरोही (10.09.2020 को निदेशक पद से निर्गमित)	05	05	ला.न.	-	-	-	-
15	डॉ. विजय शंकर मदान (10.09.2020 को निदेशक पद से निर्गमित)	05	05	ला.न.	-	-	-	-
16	श्री सुनील कुमार कोहली	09	09	जी हाँ	01	01	01	शून्य

गैर–कार्यकारी निदेशकों में से किसी ने वर्ष 2020–21 के दौरान कोई इक्विटी शेयर या परिवर्तनीय उपकरण धारित नहीं किए हैं और परस्पर निदेशकों में से किसी का कोई संबंध नहीं रहा।

टिप्पणी– * प्राइवेट कंपनियाँ, विदेशी कंपनियाँ तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन आने वाली कंपनियों में निदेशक के पद को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन पंजीकृत कंपनियों में निदेशक के पद।

सूचीकरण विनियम के विनियम 26 के अनुसार, सरकारी लिमिटेड कंपनियों की लेखा परीक्षा समिति तथा पणधारक संबंध समिति की अध्यक्षता / सदस्यता पर विचार किया जाता है।

ऊपर उल्लिखित निदेशक पदों तथा समितियों में धारित पदों की संख्या निदेशकों द्वारा यथा अधिसूचित हैं तथा यह संपुष्ट किया जाता है कि कोई भी निदेशक दस से अधिक समितियों के सदस्य नहीं हैं अथवा जिन कंपनियों में वे निदेशक पद पर कार्यरत हैं, उनमें उन्होंने पांच से अधिक समितियों के अध्यक्ष रूप में कार्य नहीं किया है । कंपनी के कोई भी निदेशक दस से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक के रूप में और कोई भी स्वतंत्र निदेशक सात से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में कार्य नहीं करते हैं । कंपनी के कोई भी पूर्णकालिक निदेशक/ प्रबंध निदेश तीन से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक का पद धारित नहीं करते हैं ।

कंपनी में कंपनी पर लागू सभी नियमों, जैसा कि कंपनी द्वारा तैयार किया गया है, के अनुपालन रिपोर्ट की आवधिक समीक्षा करने में बोर्ड को सक्षम बनाने और अनुपालन न करने के मामलों को सुधारने के लिए कंपनी द्वारा किए गए जाने वाले उपायों की उचित प्रणाली है। बोर्ड ने कंपनी द्वारा तैयार की गई अनुपालन रिपोर्ट की अर्ध-वार्षिक आधार पर समीक्षा की है।

स्वतंत्र निदेशकों से प्राप्त घोषणाओं के आधार पर, निदेशक मंडल यह संपुष्ट करता है कि स्वतंत्र निदेशक सूचीकरण विनियमों में निर्दिष्ट स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं और वे प्रबंधन के निरपेक्ष हैं और किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने अपने कार्यकाल की समापन से पहले इस्तीफा नहीं दिया है।

निदेशक मंडल का कौशल / विशेषज्ञताएँ / सक्षमताएँ

चूँकि बीईएल एक सरकारी कंपनी है और इसके मंडल के सभी निदेशकों यानी कार्यकारी निदेशक, सरकार नामित निदेशक और स्वतंत्र निदेशक प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कंपनी से संबंधित कारोबार और कार्य-क्षेत्र में यथा अपेक्षित कौशल / विशेषज्ञताएँ / सक्षमताएँ भारत सरकार द्वारा अभिचिह्नित की जाती हैं और तदनुसार, कंपनी के मंडल में निदेशकों का चयन सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाता है।

पदाधिकारियों की वांछनीय योग्यता और अनुभव, कार्यात्मक क्षेत्रों यानी वित्त, प्रचालन, तकनीकी, मानव संसाधन और विपणन की आवश्यकता के अनुसार है। कार्यात्मक निदेशकों की भर्ती के समय, अभ्यर्थियों की रिक्ति और भर्ती की घोषणा प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से अभ्यर्थियों के कार्य विवरण, वांछनीय योग्यता और अनुभव सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड को भेजे जाते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों के लिए अभिज्ञता कार्यक्रम

नए स्वतंत्र निदेशक के प्रवेश के समय, कंपनी अधिनियम, 2013, सूचीकरण के विनियमों तथा अन्य लागू विनियमों के तहत उनके द्वारा किए जाने वाले अनुपालनों के अतिरिक्त, एक निदेशक के रूप में करने हेतु अपेक्षित कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के विवरओं के साथ-साथ, उन्हें संबोधित एक स्वागत पत्र भेजा जाता है। निदेशकों से संबंधित प्रकटण लिए जाते हैं और कंपनी का प्रबंधन नए निदेशकों को कंपनी, उसके कामकाज, कंपनी की विभिन्न नीतियों और प्रक्रियाओं, कंपनी के विभिन्न प्रभागों और उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों, अभिशासन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं तथा कंपनी से संबंधित अन्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों से परिचित कराता है। निदेशकों को विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा संचालित मंडल संबंधी पद्धतियों एवं अभिमुखीकरण कार्यकर्मों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित और प्रायोजित भी किया जाता है। निदेशकों को दिए गए प्रशिक्षण के विवरण कंपनी की वेबसाइट के इस वेबलिंक पर प्रकट किए गए हैं – वेबलिंक- http://www.bel-india.in/ContentPage.aspx?MId=17CId=2505LId=1link=2505

पेशेवर कंपनी सचिव से प्रमाणीकरण

यथा 31 मार्च 2021 को मेसर्स तिरुपाल गोरिगे एंड एसोसिएट्स एलएलपी, पेशेवर कंपनी सचिव ने सूचीकरण के विनियमों के तहत यथा अपेक्षित एक प्रमाण-पत्र जारी किया है जिसमें यह संपुष्ट किया गया है कि कंपनी के मंडल के कोई भी निदेशक सेबी/ कार्पोरेट कार्य मंत्रालय या किसी अन्य संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने/ निदेशक के पद पर बने रहने से निष्कासित या अयोग्य घोषित नहीं किए गए हैं। यह प्रमाण-पत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

बोर्ड की अनिवार्य समितियाँ

लेखा परीक्षा समिति

31 मार्च 2021 को लेखा परीक्षा समिति की संरचना कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 177, सूचीकरण विनियमों के विनियम 18 और डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है। मंडल में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण, कंपनी की लेखा परीक्षा समिति में एक (1) स्वतंत्र निदेशक और सरकार द्वारा नामित दो (2) गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों, निदेशक (वित्त), निदेशक (बेंगलूरु कॉम्प्लेक्स), निदेशक (अन्य यूनिटें) और आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख को भी लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता है। लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होते हैं। लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष का पद 30 सितंबर 2020 को आयोजित

कंपनी की 66वीं वार्षिक आम बैठक की तारीख पर रिक्त था। लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, अनुसूची खख भाग–ग के साथ पठित सूचीकरण विनियमों के विनियम 18 में और डीपीई के दिशा–निर्देशों (सरकारी कंपनियों को दी गई छूट की सीमा तक छोड़कर) में निर्दिष्ट हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की सात (7) बैठकें हुईं और किन्हीं दो बैठकों के बीच का अंतर 120 दिनों से अधिक नहीं था। लेखा परीक्षा समिति की सभी सिफारिशों को निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार किया गया।

लेखा परीक्षा समिति द्वारा निष्पादित कुछ महत्वपूर्ण प्रकार्य निम्नलिखित हैं –

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया तथा वित्तीय सूचना के प्रकटीकरण की निगरानी करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण सही, समुचित और विश्वसनीय हैं;
- कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक एवं शर्तों की सिफारिश करना;
- सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदत्त किसी अन्य सेवा के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के भुगतान का अनुमोदन करना;
- सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के भाग–सी(ए) (4) की अनुसूची खख में बताए गए अनुसार उसके विशेष संदर्भ के साथ तिमाही लेखा अपरीक्षित विवरणों तथा उन पर लेखा परीक्षकों की सीमित समीक्षा रिपोर्ट / मंडल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा प्रबंधन के साथ करना;
- लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता, कार्य–निष्पादन तथा लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा एवं निगरानी करना;
- संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी के लेनदेनों का अनुमोदन या अनुवर्ती संशोधन करना;
- अंतर–निगमित ऋण व निवेश की संवीक्षा करना;
- जहां आवश्यक हो, कंपनी की वचनबद्धता या परिसंपत्तियों का आंकलन करना;
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन प्रणाली का आंकलन करना;
- सांविधिक तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों के कार्य–निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण पर्याप्तता का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना;
- आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के कामकाज की समुचितता की समीक्षा करना जिसमें आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग, उसके कर्मचारियों और विभाग प्रमुख की वरिष्ठता, आंतरिक लेखा परीक्षा की रिपोर्टिंग की संरचना और आवृत्ति भी शामिल है;
- किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष के बारे में आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना और उस पर आगे की कार्रवाई करना;
- ऐसे मामलों में आंतरिक लेख परीक्षकों द्वारा की गई आंतरिक जाँच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहाँ महत्वपूर्ण प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या विफलता हो और ऐसे मामले के रिपोर्ट मंडल को करना;
- लेखा परीक्षा की प्रकृति और किसी चिंताग्रस्त क्षेत्र को अभिनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा के बाद की चर्चा के बारे में, लेखा परीक्षा शुरु होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा;
- शेयरधारकों और लेनदारों को भुगतान में सारभूत चूक के कारणों पर ध्यान देना (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में);
- सचेतक प्रणाली के कामकाज की समीक्षा करना;
- भेदिया व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता की समीक्षा करना;
- प्रबंधन के विश्लेषण की समीक्षा और वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के परिणामों का विश्लेलषण करना;
- प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार के लेनदेनों (लेखा परीक्षा समिति द्वारा परिभाषित) के विवरण की समीक्षा करना;
- सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी किए गए आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के प्रबंधन पत्र / पत्रों की समीक्षा करना;
- आंतरिक नियंत्रण की कमियों से संबंधित आंतरिक लेखा–परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा करना;
- सी एंड एजी की लेखा परीक्षा के प्रेक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा
- मंडल द्वारा समिति को भेजे गए किसी अन्य प्रकार्य को करना ।

वर्ष 2020–21 के दौरान लेखा परीक्षा समिति के संघटन तथा उक्त समिति की बैठकों में सदस्यों की भागीदारी के विवरण नीचे दिए गए हैं –

सदस्यों के नाम	श्रेणी	31 मार्च 2021 को धारित पद	लेखा परीक्षा समिति की आयोजित बैठकों में उपस्थिति –						
			23 अप्रैल 2020	29 जून 2020	27 जुलाई 2020	03 सितंबर 2020	06 नवंबर 2020	13 जनवरी 2021	28 जनवरी 2021
श्री सुनील कुमार कोहली (31.12.2019 सदस्य के रूप में और 20.10.2020 से निदेशक के रूप में नियुक्त)	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
सुश्री जे मंजुला (20.10.2020 से सदस्य के रूप में नियुक्त)	गैर–कार्यकारी नामित निदेशक	सदस्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	✓	✓	✓
श्री अनुराग बाजपेई (29.10.2020 से सदस्य के रूप में नियुक्त)	गैर–कार्यकारी नामित निदेशक	सदस्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	✓	✓	छुट्टी के कारण अनुपस्थित
श्री मुक्का हरीश बाबू (10.09.2020 को निदेशक से निर्गमित)	स्वतंत्र निदेशक	-	✓	✓	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री सुरेन्द्र सिंह सिरोही (10.09.2020 को सदस्यता से निर्गमित)	स्वतंत्र निदेशक	-	✓	✓	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

स्वतंत्र निदेशक   गैर–कार्यकारी नामित निदेशक   अध्यक्ष   सदस्य

✓ शामिल हुए   लागू नहीं   छअ छुट्टी के कारण अनुपस्थित

नामांकन और पारिश्रमिक समिति –

31 मार्च 2021 को नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में अनुपलब्धता के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और सूचीकरण विनियमों के विनियम 19 के अनुरूप नहीं है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178, अनुसूची II भाग–घ के साथ पठित सूचीकरण विनियमों के विनियम 19 में और डीपीई के दिशा–निर्देशों (सरकारी कंपनियों को दी गई छूट की सीमा तक छोड़कर) में निर्दिष्ट हैं। नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल हैं –

- कंपनी अधिनियम, 2013, डीपीई के दिशा–निर्देशों तथा राष्ट्रपति के निर्देशों / भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार बोर्ड को नीति की सिफारिश करना;
- कंपनी के कर्मचारियों के लिए कार्य–निष्पादन संबंधी वेतन का अनुमोदन करना;
- बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यकारी निदेशकों यानी कार्यकारी निदेशक (ई.डी.) / महाप्रबंधकों (जी.एम.) का चयन करना।

वर्ष 2020–21 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की नौ (9) बैठकें हुई। वर्ष 2020–21 के दौरान समिति की संरचना और उक्त समिति की बैठकों में सदस्यों की भागीदारी का विवरण निम्नानुसार है –

सदस्यों के नाम	श्रेणी	31 मार्च 2021 को धारित पद	इन तारीखों को आयोजित नामांकन व पारिश्रमिक समिति की बैठकों में उपस्थिति								
			27 मई 2020	03 जून 2020	22 और 23 जून 2020	25 जुलाई 2020	27 अगस्त 2020	05 सितंबर 2020	22 और 23 जनवरी 2021	05 मार्च 2021	15 मार्च 2021
श्री सुनील कुमार कोहली (07.01.2021 से अध्यक्ष नियुक्त)	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	✓	✓	✓
सुश्री जे मंजुला (07.01.2021 से सदस्य नियुक्त)	गैर–कार्यकारी नामित निदेशक	सदस्य	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	✓	✓	✓
श्री अनुराग बाजपेई (07.01.2021 से सदस्य नियुक्त)	गैर–कार्यकारी नामित निदेशक	सदस्य	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	LA	✓	LA
श्री एम वी गौतमा	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री सुरेन्द्र एस सिरोही (10.09.2020 से अध्यक्ष के कार्यभार से मुक्त)	स्वतंत्र निदेशक	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ला.न.	ला.न.	ला.न.
श्री मुक्का हरीश बाबू (10.09.2020 से सदस्य के कार्यभार से मुक्त)	स्वतंत्र निदेशक	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ला.न.	ला.न.	ला.न.
डॉ विजय शंकर मदान (10.09.2020 से सदस्य के कार्यभार से मुक्त)	स्वतंत्र निदेशक	-	✓	✓	LA	✓	✓	✓	ला.न.	ला.न.	ला.न.

स्वतंत्र निदेशक · गैर–कार्यकारी नामित निदेशक · अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक · अध्यक्ष · सदस्य

✓ शामिल हुए · ला.न. लागू नहीं · LA छुट्टी के कारण अनुपस्थित

निदेशकों के पारिश्रमित कार्य–निष्पादन मूल्यांकन

बीईएल, केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने के कारण के निदेशकों (सीएमडी सहित कार्यशील निदेशक) की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) / खोज समिति द्वारा भारत सरकार द्वारा तय किए जाते हैं जिसमें नियुक्ति की अवधि, मूल वेतन, महंगाई भत्ता, आवास की हकदारिता आदि सहित वेतन मान के साथ–साथ नियुक्ति के निबंधन व शर्तें दर्शाई जाती हैं जो कंपनी के संबंधित नियमों के अधीन होते हैं। सीएमडी सहित कार्यशील निदेशकों के वेतनमान रक्षा मंत्रालय से प्राप्त राष्ट्रपति के निर्देशों द्वारा नियंत्रित होते हैं।

सरकार द्वारा नामित निदेशकों की नियुक्ति (पदेन निदेशक के रूप में) रक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है और वे किसी पारिश्रमिक/ बैठक शुल्क के हकदार नहीं होते हैं।

गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है और वे सरकारी निदेशों/ सांविधिक नियमों एवं विनियमों का पालन करते हुए बोर्ड द्वारा निर्धारित मंडल/समिति की बैठकों के लिए बैठक शुल्क के हकदार होते हैं।

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति/ पारिश्रमिक तथा अन्य मामले बीईएल के भर्ती नियमों तथा प्रक्रियाएँ द्वारा नियंत्रित होते हैं और वे समय–समय पर निदेशक मंडल तथा/ या सीएमडी द्वारा जारी किए जाने वाली नीतियों तथा निर्देशों के अधीन होते हैं। के.एम.पी. तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के वेतनमान रक्षा मंत्रालय से प्राप्त राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार नियंत्रित होते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2021 को आयोजित स्वतंत्र निदेशकों की विशेष बैठक में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, प्रकार्यात्मक पूर्णकालिक निदेशक, गैर स्वतंत्र निदेशकों तथा समग्र रूप से बोर्ड के कार्य–निष्पादन की समीक्षा स्वतंत्र की गई। नियोजन और योगदान का स्तर, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति, विभिन्न भागीदारों की हित सुरक्षा आदि जैसी कुछेक महत्वपूर्ण परिमापियों के आधार पर सीएमडी सहित सभी निदेशकों के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रयोग किया गया। स्वतंत्र निदेशकों के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन संपूर्ण बोर्ड द्वारा किया गया।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक

(राशि रु. में)

निदेशकों के नाम	पदनाम	वेतन और भत्ते	कार्य–निष्पादन से संबंधित प्रोत्साहन	अन्य सुविधाएं और अनुलब्धियां	कुल
श्री एम वी गौतमा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	47,73,584	7,77,805	10,89,572	66,40,961
श्रीमती आनंदी रामलिंगम	निदेशक (विपणन)	38,89,392	6,10,267	18,53,551	63,53,210
श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर (31.07.2020 को निदेशक पद से निर्गमित)	निदेशक (वित्त) एंड सीएफओ	24,15,802	–	(9,32,944)	14,82,858
श्री महेश वी (31.08.2020 को निदेशक पद से निर्गमित)	निदेशक (आर एंड डी)	22,93,878	–	(5,04,731)	17,89,147
श्री विनय कुमार कत्याल	निदेशक (बेंगलूर कॉम्पलेक्स)	34,60,278	5,51,843	15,45,152	55,57,273
श्री शिवकुमारन के एम	निदेशक (एचआर)	39,42,394	5,01,505	9,58,510	54,02,409
श्रीमती शिखा गुप्ता	निदेशक (अन्य यूनिटें)	38,88,082	3,95,113	9,38,780	52,21,975
श्री दिनेश कुमार बत्रा (01.08.2020 से निदेशक के रूप में नियुक्त)	निदेशक (वित्त) एंड सीएफओ	22,66,324	3,28,294	12,15,641	38,10,259
श्री राज शेखरन एम.वी (01.09.2020 से निदेशक के रूप में नियुक्त)	निदेशक (आर एंड डी)	22,51,327	3,26,017	7,27,094	33,04,438

अंशकालिक आधिकारिक (सरकारी /गैर–कार्यकारी) निदेशकों को मंडल/ समिति की बैठकों में उपस्थिति के लिए पारिश्रमिक या बैठक शुल्क नहीं दिया जाता । अंशकालिक स्वतंत्र (गैर–कार्यकारी) निदेशकों को मंडल/समिति की समिति की प्रति बैठक के लिए रु. 20,000 का बैठक शुल्क दिया जाता है। वर्ष 2020–21 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की प्रदत्त उपस्थिति शुल्क का विवरण दिया गया है:–

स्वतंत्र निदेशकों के नाम	राशि (रु.)
श्री मुक्का हरीश बाबू	3,20,000
श्री सुरेन्द्र सिंह सिरोही	3,20,000
डॉ. विजय शंकर मदान	2,80,000
श्री सुनील कुमार कोहली	6,80,000
कुल	16,00,000

कंपनी अपने निदेशकों को कोई कमीशन नहीं देती है। कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई स्टॉक विकल्प नहीं दिया है। बैठक शुल्क तथा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति के अलावा, वर्ष 2020-21 के दौरान किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं था।

पणधारकों की संबंध समिति

यथा 31 मार्च 2021 को पणधारकों की संबंध समिति का संघटन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 तथा सूचीबद्ध विनिमय के विनियम 20 के अनुसार है। हितधारक संबंध समिति के विचारार्थ विषय अधिनियम की धारा 178 और सूचीकरण विनियमों के भाग-घ, अनुसूची II के साथ पठित विनियम 20 में निर्दिष्ट हैं।

हितधारक संबंध समिति द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्य इस प्रकार हैं -

- कंपनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के समाधान में शेयरों के अंतरण/पारेषण,वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने,घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए/डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने,आम बैठक आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।
- शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना।
- पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध संस्थान द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा करना।
- दावा न किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने के लिए सूचीबद्ध संस्थान द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा करना और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/सांविधिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करना।

वर्ष 2020-21 के दौरान हितधारकों संबंध समिति की संरचना और उक्त समिति की बैठक में सदस्यों की भागीदारी का विवरण इस प्रकार है -

सदस्यों के नाम	श्रेणी	31 मार्च 2021 को धारित पद	13 जुलाई 2020 को आयोजित पणधारकों की संबंध समिति की बैठक में उपस्थिति
श्री विजय शंकर मदान (10.09.2020 को सदस्यता से निर्गमित)	स्वतंत्र निदेशक	-	शामिल हुए
श्री शिवकुमारन के एम	निदेशक	सदस्य	शामिल हुए
श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर (31.07.2020 को सदस्यता से निर्गमित)	निदेशक	-	शामिल हुए
श्रीमती शिखा गुप्ता	निदेशक	सदस्य	शामिल हुए
श्री दिनेश कुमार बत्रा (01.08.2020 को सदस्य के रूप में नियुक्त)	निदेशक	सदस्य	ला.न.
श्री सुनील कुमार कोहली (31.03.2021 से सदस्य और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त)	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	ला.न.
सुश्री मंजुला जे (31.03.2021 से सदस्य और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त)	गैर-कार्यपालक नामित निदेशक	अध्यक्ष	ला.न.

स्वतंत्र निदेशक | निदेशक | गैर-कार्यपालक नामित निदेशक | अध्यक्ष | सदस्य
शामिल हुए | ला.न. लागू नहीं

शेयरधारकों से शिकायतें प्राप्त होते ही उन पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतें, जो मुख्य रूप से लाभांश के भुगतान तथा वार्षिक प्रतिवेदन से संबंधित थीं, वर्ष के दौरान निपटाई गई। 31 मार्च 2021 को कोई शिकायत लंबित नहीं थी। 2020-21 (सेबी स्कोर) के दौरान निवेशकों की शिकायतों के ब्यौरे इस प्रकार हैं -

प्राप्त शिकायतों की सं.	निपटाई गई शिकायतों की सं.	लंबित शिकायतों की सं.
02	02	शून्य

अनुपालन अधिकारी

श्री एस.श्रीनिवास, कंपनी सचिव अनुपालन अधिकारी हैं । उनका संपर्क विवरण इस प्रकार हैं –

श्री एस.श्रीनिवास
कंपनी सचिव
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,
पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय, आउटर रिंग रोड,
नागवारा, बेंगलूरु – 560045
दूरभाष: 080–25039266, टेली फ़ैक्स: 080 – 25039266,
ईमेल : secretary@bel.co.in

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 (यथा संशोधित) की धारा 135 के प्रावधानों तथा डीपीई दिशा–निदेशों के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति गठित की गई है । सीएसआर समिति के विचारार्थ विषय में वर्तमान सीएसआर और निर्वहनीय नीति की समीक्षा करना और इसे अधिक व्यापक बनाना शामिल है ताकि कंपनी द्वारा किए जाने वाले कार्यकलाप कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII तथा समय–समय पर जारी किए जाने वाले डीपीई के दिशा–निदेशों में निर्दिष्टानुसार हों। समिति के कुछ महत्वपूर्ण विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं –

- कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति और कंपनी द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों की रूपरेखा तैयार करना और बोर्ड को इनकी सिफारिश करना;
- परियोजनाएं, कार्यक्रम और किए गए कार्यों पर होने वाले खर्च की राशि संस्तुत करना;
- कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के क्षेत्र में कंपनी के कार्य–निष्पादन की समीक्षा करना;
- समय–समय पर कंपनी की कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति की निगरानी करना।

वर्ष 2020–21 को सीएसआर समिति का संघटन तथा उक्त समिति की बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों के विवरण नीचे दिया गया है –

सदस्यों के नाम	श्रेणी	31 मार्च 2021 को धारित पद	इन तारीखों को आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों में उपस्थिति		
			14 जुलाई 2020	19 जनवरी 2021	25 फरवरी 2021
श्री एम वी गौतमा	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	शामिल हुए	शामिल हुए	शामिल हुए
श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर (31.07.2020 को सदस्यता से निर्गमित)	गैर–कार्यपालक नामित निदेशक	–	शामिल हुए	ला.न.	ला.न.
श्री सुरेन्द्र सिंह सिरोही (10.09.2020 को सदस्यता से निर्गमित)	स्वतंत्र निदेशक	–	शामिल हुए	ला.न.	ला.न.
श्री मुक्का हरीश बाबू (10.09.2020 को सदस्यता से निर्गमित)	स्वतंत्र निदेशक	–	शामिल हुए	ला.न.	ला.न.
श्री शिवकुमारन के एम	गैर–कार्यपालक नामित निदेशक	सदस्य	शामिल हुए	शामिल हुए	शामिल हुए
श्रीमती शिखा गुप्ता	गैर–कार्यपालक नामित निदेशक	सदस्य	शामिल हुए	शामिल हुए	शामिल हुए
श्री दिनेश कुमार बत्रा (01.08.2020 से सदस्य के रूप में नियुक्त)	गैर–कार्यपालक नामित निदेशक	सदस्य	ला.न.	शामिल हुए	शामिल हुए
श्री सुनील कुमार कोहली (07.01.2021 से सदस्य के रूप में नियुक्त)	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	ला.न.	शामिल हुए	शामिल हुए

स्वतंत्र निदेशक | गैर–कार्यपालक नामित निदेशक | अध्यक्ष | सदस्य
शामिल हुए | ला.न. लागू नहीं

जोखिम प्रबंध समिति

सूचीकरण विनियम 2015 के विनिमय 21 की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए, निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल के अधिकांश सदस्यों के बहुमत से जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है । बोर्ड मजोखिम प्रबंध समितिफ द्वारा जोखिम प्रबंध की स्थिति की समीक्षा और निगरानी करते हैं, जिसमें आंतरिक निगमित जोखिम प्रबंध समिति द्वारा अभिचिह्वित जोखिमों का परीक्षण किया जाता है, कंपनी में जोखिम प्रबंध की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है और जोखिम को कम करने के उपायों के कार्यान्वयन एवं उसकी प्रभावशीलता की मानीटरी और समीक्षाएँ की जाती हैं। जोखिम प्रबंध नीति कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.com में डाली गई है। जोखिम प्रबंधन विश्लेषण रिपोर्ट के भाग के रूप में जोखिम प्रबंध प्रक्रिया पर एक आलेख प्रकाशित किया गया है।

वर्ष 2020-21 के दौरान जोखिम प्रबंध समिति का संघटन और उक्त समिति की बैठकों में सदस्यों की सहभागिता के विवरण इस प्रकार हैं –

सदस्यों के नाम	श्रेणी	31 मार्च 2021 को धारित पद	12 जनवरी 2021 को आयोजित आर.एम.सी. की बैठक में उपस्थिति
श्रीमती आनंदी रामलिंगम	गैर-कार्यपालक नामित निदेशक	अध्यक्ष	शामिल हुए
श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर (31.07.2020 को सदस्यता से निर्गमित)	गैर-कार्यपालक नामित निदेशक	-	लागू नहीं
श्री विनय कुमार कत्याल	गैर-कार्यपालक नामित निदेशक	सदस्य	शामिल हुए
श्रीमती शिखा गुप्ता	गैर-कार्यपालक नामित निदेशक	सदस्य	शामिल हुए
श्री दिनेश कुमार बत्रा (01.08.2020 को सदस्य के रूप में नियुक्त)	गैर-कार्यपालक नामित निदेशक	सदस्य	शामिल हुए
श्रीमती हेमलता के	जीएम (रणनीति योजना)	सदस्य	शामिल हुए

गैर-कार्यपालक नामित निदेशक   जीएम   अध्यक्ष   सदस्य
शामिल हुए   ला.न. लागू नहीं

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

वर्ष 2020-21 के दौरान, 21 जनवरी 2021 को अन्य बातों के साथ निम्न बातों पर विचार करने हेतु स्वतंत्र निदेशकों की बैठक हुई-

i. गैर-स्वतंत्र निदेशकों तथा समग्र रूप से मंडल के कार्य-निष्पादन की समीक्षा ;

ii. कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों की राय लेते हुए, कंपनी के अध्यक्ष का कार्य-निष्पादन की समीक्षा;

iii. कंपनी के प्रबंधन तथा मंडल के बीच सूचना के प्रवाह की गुणता, सामग्री और समय-सीमाएं, जो मंडल को अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्रभावी और औचित्यपूर्ण ढंग से करने के लिए आवश्यक हो।

मंडल की अन्य गैर- आज्ञापक समितियाँ

मंडल की निम्नलिखित गैर-आज्ञापक समितियां गठित की गई –

अनुसंधान व विकास समिति

महत्व पूर्ण अनुसंधान, विकास एवं इंजीनियरिंग के प्रस्तावों पर विचार करने और उन्हें अनुमोदित करने के लिए अनु. व वि. समिति गठित की गई है जिसमें अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एक स्वतंत्र निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (अनु. व वि.) शामिल हैं ।

पूँजी निवेश समिति

महत्वपूर्ण पूँजी निवेश के प्रस्तावों पर विचार करने तथा उन्हें अनुमोदित करने हेतु पूँजी निवेश समिति गठित की गई है जिसमें दो स्वतंत्र निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (बेंगलूर कॉम्पलेक्स) और निदेशक (अन्य यूनिटें) शामिल हैं।

शेयर अंतरण समिति

शेयर अंतरण, पारेषण, अनुलिपि प्रमाण-पत्र आदि पर विचार करने तथा उन्हें अनुमोदित करने हेतु अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (अन्य यूनिटें) को शामिल करते हुए शेयर अंतरण समिति गठित की गई है ।

कंपनी सचिव ऊपर उल्लिखित मंडल की सभी समितियों के सचिव हैं।

आचार संहिता

कंपनी के निदेशक मंडल ने सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के 17(5) के विनिमय तथा डीपीई दिशा-निदेशों के अधीन सभी बोर्ड सदस्यों, केएमपी तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबारी आचार संहिता निर्धारित की है । यह कारोबारी आचार संहिता कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.com में अपलोड की गई है । 31 मार्च 2020 को मंडल के सभी सदस्य, केएमपी तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने इस कारोबारी आचार संहिता के अनुपालन की संपुष्टि की है । इस रिपोर्ट के साथ अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा के साथ संलग्न है ।

भेदिया व्यापार की रोकथाम तथा उचित प्रकटण की संहिता

सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 (यथा संशोधित), कंपनी में भेदिया व्यापार के विनियम, निगरानी तथा रिपोर्टिंग की संशोधित आचार संहिता और निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित अप्रकाशित कीमत संवेदन सूचना के उचित प्रकटण की प्रक्रिया (जिसे यहाँ इसके बाद संहिता कहा गया है) विद्यमान है । यह संहिता सभी पदनामित व्यक्तियों जिनमें उनके नसदीकी रिश्तेदार भी सामिल है, जिन्हें कीमत संवेदन सूचना प्राप्त हो सकती है और सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 में यथा उल्लिखित अन्य व्यक्तियों पर लागू होती है । कंपनी सचिव इस संहिता के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं । इस संहिता को कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in में डाला गया है ।

सहायक कंपनियाँ

यथा 31 मार्च 2021 को कंपनी की कोई महत्वपूर्ण असूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनी नहीं है। कंपनी की लेखा-परीक्षा समिति, कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के साथ सहायक कंपनियों के लेखा-परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करती है, जिसमें सहायक कंपनियों द्वारा किए गए निवेश भी शामिल होते हैं। कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष मंडल की बैठक का कार्यवृत, कंपनी की असूचीबद्ध सहायक कंपनियों के महत्वपूर्ण लेन-देन और व्यवस्थाओं की रिपोर्ट रखी जाती है। महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों पर नीति तैयार की गई है और इसे कंपनी की वेबसाइट– http://www.bel-india.in/ContentPage.aspx?MId=17CId=527LId=1link=527 पर उपलब्ध कराया गया है।

सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

सूचीबद्ध विनियम और डीपीई दिशा-निर्देशों के तहत आवश्यकतानुसार, इस रिपोर्ट में सीईओ और सीएफओ प्रमाण-पत्र उपलब्ध किए गए हैं।

राष्ट्रपति के निदेश एवं दिशा–निर्देश

कंपनी भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गमित दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुसरण करते आ रही है । कार्यपालकों तथा गैर-यूनियनकृत पर्यवेक्षक स्टाफ़ का वेतन पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2017 से देय था। लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने अपने का.ज्ञा. दिनांक 03.08.2017, 04.08.2017 और 07.09.2017 द्वारा मंडल स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों तथा गैर-यूनियनकृत पर्यवेक्षकों के वेतन पुनरीक्षण पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

तदुपरांत, बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों तथा गैर-यूनियनकृत पर्यवेक्षकों के लिए नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा मंडल से दिनांक 01.01.2017 से लागू होने वाले वेतन पुनरीक्षण का अनुमोदन मांगा गया। बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त होने पर, डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रपति के निर्देश जारी करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया। तदनुसार, मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 10.11.2017 से लागू करते हुए राष्ट्रपति के निर्देश जारी किए। राष्टपति के निर्देश जारी करने के परिणामस्वरूप, दिनांक 01.01.2017 से लागू करते हुए वेतन पुनरीक्षण कार्यान्वित किया गया।

शेयर पूंजी की लेखा परीक्षा का समाधान

सेबी (निक्षेपागार एवं सहभागी) विनियम, 2018 के विनियम 76 के तारतम्य में, कंपनी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) और कुल स्वीकृत पूँजी के साथ वास्तविक रूप से धारित तथा कुल जारी व सूचीबद्ध पूँजी के समाधान हेतु कंपनी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ कुल निर्धारित पूंजी के समाधान के लिए प्रत्येक तिमाही में एक पेशेवर कंपनी सचिव से शेयर पूंजी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन(आरएससीएआर) का समाधान प्राप्त करती है। आरएससीएआर में यह संपुष्टि की जाती है कि कुल जारी/ प्रदत्त पूँजी पूंजी वास्तविक रूप में कुल शेयरों की संख्या और एनएसडीएल और सीडीएसएल में धारित डीमैटरियलीकृत शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप है। आरएससीएआर स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई व एनएसई) को अग्रेषित की जाती है ।

डीपीई श्रेणीकरण

सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर दिया जाने वाला डीपीई दिशा-निर्देश बताया गया है कि सीपीएसई को दिशा-निर्देशों के अनुपालन के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। डीपीई ने बीईएल को वर्ष 2020-21 के लिए 'उत्कृष्ट' के रूप में वर्गीकृत किया है।

निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि खाते को अंतरण

निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियम, 2016 (संशोधित) के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 124 और 125 के अनुसार, लाभांश, यदि कंपनी के अदत्त लाभांश खाते को अंतरित करने की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए दावा नहीं किया गया है, को कंपनी के निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित किया जाता है। इसके अलावा, सभी शेयर जिनके संबंध में लाभांश अदत्त लाभांश खाते में स्थानांतरण की तारीख से लगातार सात वर्षों या उससे अधिक के लिए दावा नहीं किया गया है, उन्हें भी आईईपीएफ प्राधिकरण को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यह आवश्यकता ऐसे शेयरों पर लागू नहीं होती है जिनके संबंध में शेयरों के अंतरण को निषिद्ध करते हुए न्यायालय,न्यायाधिकरण या सांविधिक प्राधिकरण का कोई विशिष्ट आदेश हो।

वर्ष 2020-21 के दौरान,कंपनी ने 2012-13 के अंतरिम लाभांश की दावा न की गई / अदत्त राशि, 2012-13 के अंतिम लाभांश, 2013-14 के अंतरिम लाभांश को आईईपीएफ को अंतरित किया और दो शेयरधारकों की दावा न की गई / अदत्त लाभांश राशि को लंबित रखा। वर्ष 2013-14 के लिए दावा न किए गए/अदत्त अंतिम लाभांश और वर्ष 2014-15 का अंतरिम लाभांश 2021-22 के दौरान आईईपीएफ को हस्तांतरण किया जाना है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.bel-india.in में एक पृथक पृष्ठ में निवेशक - लाभांश शीर्ष के अधीन लाभांश भुगतान तथा अदत्त लाभांश के दावा करने संबंधी मार्गदर्शी सूचना के विवरण दिए हैं । शेयरधारकों से निवेदन है कि वे अदत्त/ अदावी लाभांश का दावा करने के लिए इसमें दिए गए दावा प्रारूप का उपयोग करें। आईईपीएफ को अंतरित शेयरों के विवरण कंपनी की वेबसाइट के साथ-साथ आईईपीएफ की वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए हैं।

आईईपीएफ को अंतरित किए गए लाभांश/शेयरों के संबंध में, शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम, 2016 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आईईपीएफ प्राधिकरण से इसका दावा कर सकते हैं।

सामान्य निकाय की बैठकें

क) स्थान और समय, जहां पिछले तीन एजीएम आयोजित किए गए थे- अंतिम तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के विवरण इस प्रकार है-:

वर्ष	स्थान	तारीख और समय
2017-18	दि कलिंगा हॉल, होटल ललित अशोक, कुमार कृपा हाई ग्राउंड्स, बेंगलूर - 560001	25 सितंबर 2018 दोपहर 03:30 बजे
2018-19	दि कलिंगा हॉल, होटल ललित अशोक, कुमार कृपा हाई ग्राउंड्स, बेंगलूर - 560001	16 सितंबर 2019 दोपहर 03:30 बजे
2019-20	वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से (वीसी)/ अन्य श्रव्य दृश्य माध्यम (ओएवीएम)	30 सितंबर 2020 पूर्वाह्न 10:00 बजे

ख) पिछले तीन एजीएम में कोई पारित विशेष संकल्प - 25 सितंबर 2018 को आयोजित 64वीं वार्षिक आम बैठक और 16 सितंबर 2019 को आयोजित 65वीं वार्षिक आम बैठक में संस्था के बहिर्नियम में उद्देश्य खंड के परिवर्तन के लिए विशेष संकल्प पारित किया गया।

ग) डाक मतपत्र के माध्यम से पिछले वर्ष पारित विशेष संकल्प - मतदान पद्धति का विवरण - वर्ष 2020-21 के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया ।

घ) डाक मतपत्र का संचालन करने वाला व्यक्ति - लागू नहीं ।

ङ) डाक मत पत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प संचालित करने का प्रस्ताव है- वर्तमान में, डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित करने का प्रस्ताव नहीं है।

च) डाकमत पत्र की प्रक्रिया- लागू नहीं।

संप्रेषण के माध्यम

सूचीकरण के विनियमों के तहत यथा आवश्यक,कंपनी स्टॉक एक्सचेंजों को मंडल की बैठकों के लिए अग्रिम रूप से एक नोटिस जारी करती है,जिसमें लेखा अपरीक्षित / लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाता है। कंपनी की त्रैमासिक (लेखा अपरीक्षित) और वार्षिक (लेखा परीक्षित) वित्तीय परिणामों को सूचीकरण विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार एनएसई इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (एनईएपीएस) और बीएसई सूचीबद्ध केन्द्र पर अपलोड किए गए है। अनुमोदित वित्तीय परिणाम मंडल की बैठक के समापन के 48 घंटों के भीतर पूरे या काफी हद तक पूरे भारत में प्रसारित होने वाले कम से कम एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में और क्षेत्रीय भाषा (कन्नड़) में प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाते हैं,जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है और कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर भी अपलोड किया जाता है।

कंपनी विनियम 30 जिसे सेबी के विनियमों की अनुसूची III के भाग-क के साथ पढ़ा जाना है और जिसमें कंपनी के कार्य-निष्पादन/ कामकाज पर या अन्य कीमत संवेदन सूचना पर प्रभाव डालने वाली महत्वपूर्ण सूचना भी शामिल है, के तहत प्रकट करने के लिए आवश्यक सभी सूचनाएँ स्टॉक एक्सचेंज को प्रकट करती है। अधिकारिक मीडिया विज्ञप्तियाँ तथा संस्थागत निवेशकों/ विश्लेषकों को किए गए प्रस्तुतीकरण कंपनी की वेबसाइट पर डाले गए हैं।

सूचीकरण विनियमों के विनियम 46 के अनुपालन में, कंपनी अपनी वेबसाइट पर सूचना प्रसारित करती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों के निदेशक मंडल की संरचना,आचार संहिता,आरपीटी से निपटने की नीति, निवेशकों की शिकायतों तथा अन्य संगत सूचना आदि की सहायता और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार कंपनी के नामित अधिकारियों की संपर्क जानकारी शामिल होती है।

शेयरधारकों के लिए सामान्य जानकारी

वार्षिक सामान्य बैठक

तारीख - 28 सितंबर 2021

समय - सुबह 10.00 बजे (आईएसटी)

स्थान - 67वीं वार्षिक सानान्य बैठक एमसीए परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05 मई 2020 और सेबी परिपत्र सं सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक मई 12, 2020 के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक आयोजित कर रही है और इस प्रकार एजीएम के लिए स्थान की आवश्यकता नहीं है। अधिक जानकारी के लिए कंपनी की 67वीं एजीएम की सूचना देखें।

वित्तीय कैलेन्डर 2021-22

वित्तीय वर्ष	:	1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022
पहली तिमाही के परिणाम	:	अगस्त 2021 के पहले सप्ताह अंत तक
दूसरी तिमाही के परिणाम	:	अक्तूबर 2021 के अंत तक
तीसरी तिमाही के परिणाम	:	जनवरी 2022 के अंत तक
वार्षिक लेखा परीक्षित परिणाम	:	मई 2022 के अंत तक
वार्षिक सामान्य बैठक	:	अगस्त/सितंबर 2022

पुस्त बंदी

16 सितंबर 2021 से 19 सितंबर 2021 तक (दोनों दिन सहित) ।

लाभांश भुगतान की तारीख

घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

स्टॉक एक्सचेंज का सूचीकरण

बीईएल के शेयर वर्तमान में निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं-

(1) बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
फीरोज जीजीबॉय टॉवर्स,
दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001

(2) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नंबर सी/1, जी ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला कॉमप्लेक्स, बांद्रा (पू)
मुंबई – 400 051

कंपनी ने दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया है।

संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा कंपनी के इक्विटी शेयरों को दिया गया स्टॉक कोड और कंपनी के इक्विटी शेयरों के डीमैट लेन-देन के लिए निक्षेपागारों द्वारा निर्दिष्ट आईएसआईएन नंबर नीचे दिए गए हैं:-

स्टॉक एक्सचेंज		स्टॉक कोड
बीएसई लि.	-	500049
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	-	बीईएल
आईएसआईएन	-	INE263A01024
सीआईएन	-	L32309KA1954GOI000787

निक्षेपागारों को अभिरक्षा शुल्क

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए दोनों निक्षेपागारों नामत: नेशनल सेक्यूरिटीस डिपोसिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपोसिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को वार्षिक अभिरक्षा का भुगतान किया है ।

पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट

इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि., बेंगलूर जो सेबी में पंजीकृत श्रेणी-ख पंजीयक तथा शेयर अंतरण एजेंट हैं, कंपनी के पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट (आर.टी.ए.) सेबी पंजी सं. INR000000544 हैं। सभी शेयर अंतरण/ प्रेषण/ विभाजन / समेकन/ प्रतिलिपि शेयरों के निर्गमीकरण/ अनुलिपि प्रमाण-पत्र/ पता-परिवर्तन के अनुरोध के साथ डीमटेरियल/ रीमटेरियल करने के अनुरोध तथा शेयर से संबंधित मामले तथा लाभांश संबंधी सभी प्रश्नों, शिकायतों को अग्रेषित करने के लिए आरटीए का पता नीचे दिया गया है -

कंपनी की आरटीए की पता एवं संपर्क विवरण- इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, नं. 30, रमणा रेसिडेंसी, 4था क्रॉस, सम्पिगे रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलूरु-560 003 टेलीफोन- 080-23460815/16/17/18 फैक्स- 080 23460819, ई-मेल irg@integratedindia.in

शेयर अंतरण प्रणाली

यथा संशोधित, सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 40(1) के संदर्भ में, 01 अप्रैल 2019 के प्रभाव से, प्रतिभूतियों के पारेषण या अंतरण के लिए प्राप्त अनुरोध के मामले को छोड़कर प्रतिभूतियों को केवल डीमैटरियलीकृत रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके अलावा, सेबी ने 31 मार्च, 2021 को हस्तांतरण विलेखों के पुन: दर्ज करने के लिए कट-ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया है और हस्तांतरण के लिए फिर से दर्ज किए गए शेयरों को केवल डीमैट मोड में जारी किया जाएगा।

बहरहाल, शेयरधारकों को शेयर वास्तविक रूप में धारित करने से वंचित नहीं किया जाता है। वास्तविक रूप में शेयरों को धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने धारिता को डीमैटरियलीकृत रूप में बदलने पर विचार करें। इलेक्ट्रॉनिक रूप में इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण कंपनी की भागीदारी के बिना डिपॉजिटरी के माध्यम से किया जाता

शेयरों का डिमटिरीयलीकरण और चलनिधि

बीएसई लिमिटेड़ (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) पर कंपनी के शेयरों का अनिवार्य रूप से डिमटिरीयली रूप में लेन-देन किया जाता हैं । यथा 31 मार्च 2021 तक, कंपनी के कुल इक्विटी शेयर के 99.99% निवेशकों द्वारा एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ डिमटिरीयलीकृत रूप में धारित किए गए हैं। निक्षेपागार प्रणाली के तहत, कंपनी शेयरों को आवंटित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (ISIN) INE263A01024 है।

कंपनी के शेयर अति चलनिधि हैं और बीएसई और एनएसई में सक्रियता के साथ लेन-देन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विक्रयावर्त के आंकड़े नीचे दिए गए हैं-

विवरण	बीएसई	एनएसई	कुल
लेन-देन किए गए शेयरों की सं.	225896255	3738846869	3964743124
मूल्य (लाख रु. में)	243086	3892887	4135973

बाजार कीमत संबंधी आंकड़े

बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) में कंपनी के शेयरों के उच्च/ निम्न बाजार मूल्यों के विवरण निम्नानुसार है।

अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक बीएसई की तुलना में बीएसई सेंसेक्स पर बीईएल शेयर मूल्य ।

माह	बीएसई सेंसेक्स समापन	बीईएल शेयर मूल्य			लेनदेन किए गए शेयरों की सं.	विक्रयावर्त (₹ लाख में)
		उच्च (₹ में)	निम्न (₹ में)	समापन (₹ में)		
अप्रैल 2020	33718	79.10	65.15	72.15	9746813	7086.37
मई 2020	32424	71.50	57.75	69.25	17059446	11080.08
जून 2020	34916	94.20	67.80	88.65	25631270	20305.91
जुलाई 2020	37607	105.40	87.30	95.85	22490201	22029.66
अगस्त 2020	38628	118.45	95.00	106.25	26280465	28801.41
सितंबर 2020	38068	110.25	89.65	95.75	7892610	8015.53
अक्तूबर 2020	39614	97.60	86.35	87.05	5973875	5500.89
नवंबर 2020	44150	113.75	87.20	111.15	15551292	15922.71
दिसंबर 2020	47751	123.20	106.40	120.00	23666240	27582.84
जनवरी 2021	46286	141.00	120.20	130.30	29447018	39038.42
फरवरी 2021	49100	143.95	125.65	137.20	21546853	29684.35
मार्च 2021	49509	154.95	115.90	125.10	20610172	28037.54

वर्ष 2020-21 के दौरान बीएसई सेंसेक्स की समापन स्थिति के साथ बीएसई पर कंपनी के शेयर मूल्य के समापन कोटेशन की तुलना निम्नलिखित ग्राफ द्वारा प्रस्तुत किया गया है –

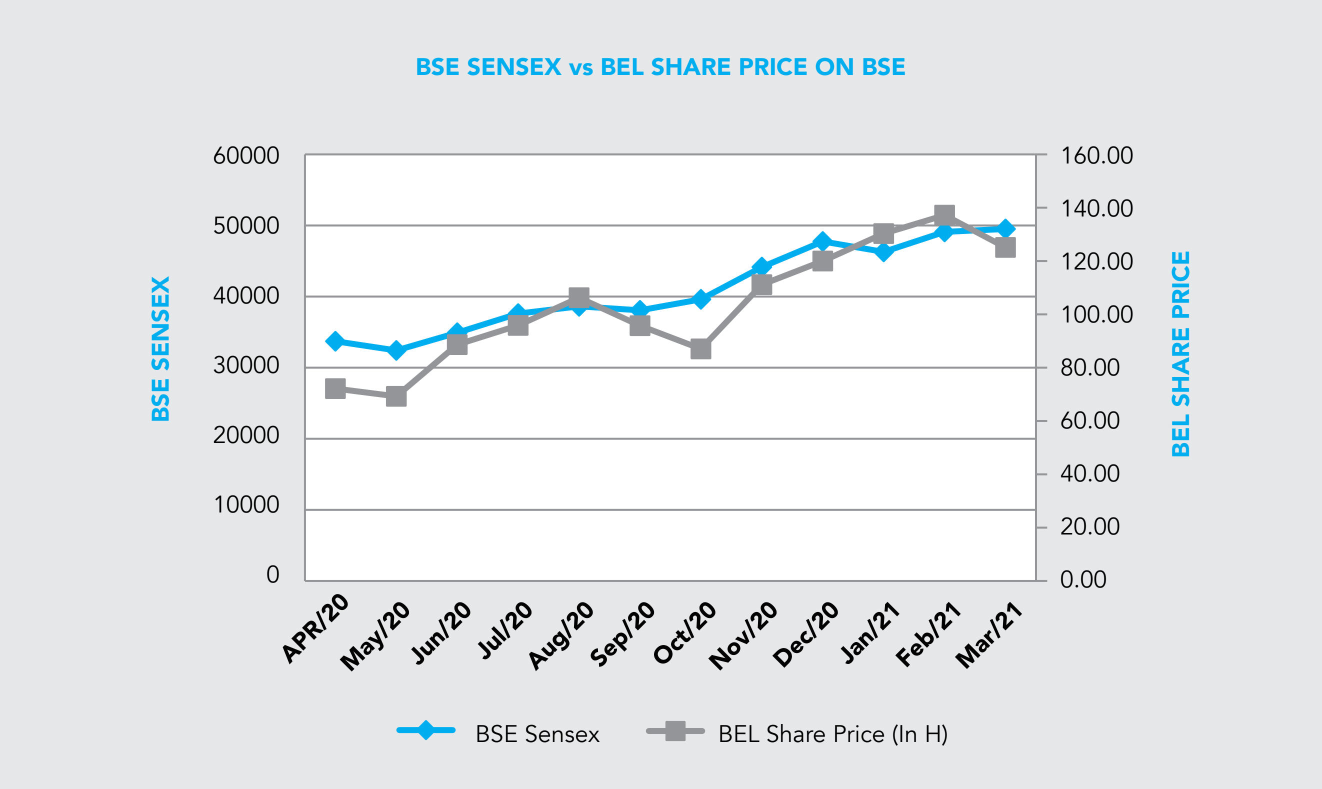

अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक बीएसई की तुलना में एनएसई निफ्टी पर बीईएल शेयर मूल्य ।

माह	बीएसई सेंसेक्स समापन	बीईएल शेयर मूल्य			लेनदेन किए गए शेयरों की सं.	विक्रयावर्त (₹ लाख में)
		उच्च (₹ में)	निम्न (₹ में)	समापन (₹ में)		
अप्रैल 2020	9860	79.10	65.10	72.10	265052432	193452.00
मई 2020	9580	71.80	57.75	69.20	329967321	214996.17
जून 2020	10302	94.20	67.40	88.65	411510187	326539.04
जुलाई 2020	11073	105.40	87.55	95.85	438545562	430786.69
अगस्त 2020	11388	118.45	95.05	106.10	386283232	424182.25
सितंबर 2020	11248	110.35	89.65	95.75	208920954	210703.13
अक्तूबर 2020	11642	97.60	86.35	87.00	128523087	117790.55
नवंबर 2020	12969	113.80	87.25	111.10	225025179	229279.34
दिसंबर 2020	13982	123.20	106.35	119.95	391449238	456409.49
जनवरी 2021	13635	141.00	120.60	130.05	396712687	525134.26
फरवरी 2021	14529	143.90	125.60	137.10	265700845	365445.63
मार्च 2021	14691	154.95	115.85	125.10	291156145	398168.50

वर्ष 2020–21 के दौरान एनएसई की समापन स्थिति के साथ एनएसई निफ्टी पर कंपनी के शेयर मूल्य के समापन कोटेशन की तुलना निम्नलिखित ग्राफ द्वारा प्रस्तुत है –

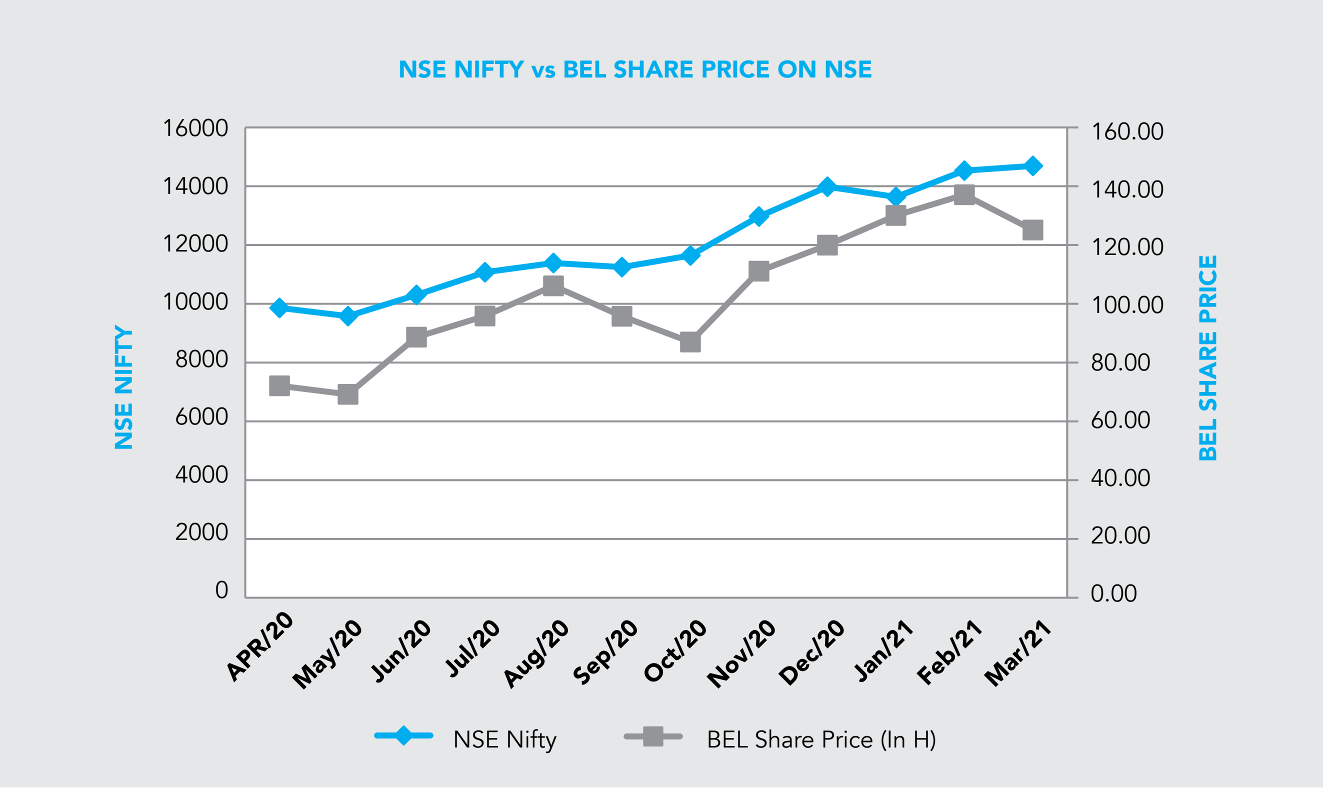

यथा 31 मार्च 2021 को श्रेणी– वार शेयरधारण की प्रविधि

क्रम. सं.	श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	धारिता का %
1	केन्द्रीय सरकार	1	1245973978	51.14
2	म्यूच्युअल फ़ंड / यू टी आई	150	624563302	25.63
3	वित्तीय संस्थाएँ / बैंक	5	9479449	0.39
4	वैकल्पिक निवेश फंड	9	639163	0.03
5	बीमा कंपनियाँ	36	91931695	3.77
6	विदेशी संस्थागत निवेशक	232	282090974	11.58
7	भविष्य निधि / पेंशन निधि	16	9587263	0.39
8	कार्पोरेट निकाय	1096	17970118	0.74
9	व्यक्ति	365611	138846782	5.70
10	न्यास	32	1452684	0.06
11	एनआरआई	6321	7883627	0.32
12	विदेशी	1	506	0.00
13	निकासी सदस्य	382	6150882	0.25
14	निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय	1	22520	0.00
	कुल	**373893**	**2436592943**	**100.00**

यथा 31 मार्च 2021 (पैन के आधार पर) को 10 सर्वोच्च शेयरधारक (प्रवर्तकों के अलावा)

क्रम. सं.	शेयरधारकों का नाम	शेयरों की संख्या	धारिता का %
1	सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम (सीपीएसई ईटीएफ)	119198287	4.89
2	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लि. – एकाउंट एचडीएफसी मिड – कैपअपार्च्युनीटीज़ फंड	118441457	4.86
3	कोटक फ्लेक्सीकैप फंड	79737270	3.27
4	मीरे असेट लार्ज कैप फंड	79318234	3.26
5	एसबीआई ब्लू चिप फंड	63996584	2.63
6	भारतीय जीवन बीमा निगम लि.	54950589	2.26
7	फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड	44347127	1.82
8	आईटीपीएल – इनवेस्को इंडिया कांट्रा फंड	35239315	1.45
9	आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	23223665	0.95
10	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एस एंड पी बीएसई 500 ईटीएफ	21007208	0.86

यथा 31 मार्च, 2021 को शेयरधारिता का संवितरण

धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
500 तक	323304	86.47	36405367	1.49
501 - 1000	25346	6.78	19759455	0.81
1001 - 2000	14651	3.92	21129286	0.87
2001 - 3000	3613	0.97	9126079	0.37

धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
3001 - 4000	2001	0.54	6995654	0.29
4001 - 5000	1213	0.32	5707393	0.23
5001 - 10,000	2048	0.55	14779373	0.61
10001 तथा उससे ऊपर	1717	0.46	2322690336	95.33
कुल	**373893**	**100.00**	**2436592943**	**100.00**

बकाया जीडीआर/ एडीआर/ वारंट या कोई परिवर्तनीय उपकरण, रूपांतरण की तारीख और इक्विटी पर संभावित प्रभाव–

कंपनी ने गत वर्षों में कोई जीडीआर/ एडीआर/ वारंट या कोई परिवर्तनीय विलेख जारी नहीं किए हैं अत: यथा 31 मार्च, 2021 को कंपनी के पास कोई बकाया जीडीआर/ एडीआर/ वारंट या कोई परिवर्तनीय विलेख नहीं है।

वस्तु कीमत जोखिम या विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम तथा बचाव गतिविधियां – वार्षिक रिपोर्ट में लेखा के नोट नं. 34 में विवरणों का प्रकटण किया गया है।

संयंत्र स्थल –

1. जालहल्ली पोस्ट, बेंगलूर –560013 (कर्नाटक)
2. साइट IV, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, भारत नगर पोस्ट, गाजियाबाद – 201010 (उत्तर प्रदेश)
3. प्लाट नं.405, औद्योगिक क्षेत्र, फेस III, पंचकूला – 134113 (हरियाणा)
4. बलभद्रपुर, जिला पौड़ी गढ़वाल, कोटद्वार – 246149, (उत्तराखंड)
5. प्लाट नं.एल –1, एम. आई. डी. सी. औद्योगिक क्षेत्र, नवी मुंबई – 410208
6. एन डी ए रोड, पाषाण, पुणे – 411021 (महाराष्ट्र)
7. औद्योगिक क्षेत्र, नाचारम, हैदराबाद – 500076 (तेलंगाना)
8. पोस्ट बाक्स नं.26, रवीन्द्रनाथ टैगोर मार्ग, मचिलिपट्टणम –521001 (आंध्र प्रदेश)
9. पोस्ट बाक्स नं. 981, नंदम्बाक्कम, चेन्नै – 600 089 (तमिलनाडु)

पत्राचार का पता

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय एवं कार्पोरेट कार्यालय
– आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूर – 560 045
फोन – (080) 25039300 फ़ैक्स – (080) 25039233
ई–मेल : secretary@bel.co.in
वेबसाइट : www.bel-india.in

क्रेडिट श्रेणीकरण

आईसीआरए (क्रेडिट श्रेणीकरण एजेंसी) ने 2021-22 के लिए कंपनी की निम्नलिखित क्रेडिट श्रेणीकरण को पुन:संपुष्ट किया है –

(i) रु.500 करोड़ की निधि आधारित क्रेडिट सीमा और रु.300 करोड़ (अनाबंटित) की निधि आधारित सीमा के लिए आईसीआरए एएए (जिसे आईसीआरए ट्रिपल ए कहा जाता है) का दीर्घकालीन श्रेणीकरण।

(ii) रु.3,500 करोड़ की गैर-निधि आधारित बैंक सीमा क्रेडिट के लिए आईसीआरए ए1+ (जिसे आईसीआरए ए-वन प्लस कहा जाता है) का अल्पकालीन श्रेणीकरण ।

दीर्घकालीन श्रेणीकरण का दृष्टिकोण मस्थिरफहै । ये श्रेणीकरण दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन में उच्चतम क्रेडिट गुणता दर्शाते हैं । इन वर्गों में श्रेणीकृत विलेखों में दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन में निम्नतम क्रेडिट जोखिम होता है । ये श्रेणीकरण 12 फरवरी, 2022 तक वैध हैं ।

अन्य प्रकटण –

क) कंपनी ने वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण ऐसा कोई संबंधित पक्षकार का लेनदेन नहीं किया है जिसका समग्र रूप से कंपनी के हितों पर कोई संभावित संघर्ष होता हो। वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए लेनदेन कारोबारी के सामान्य कामकाज के दौरान और द्विपक्षी लाभ आधार पर किए गए जिन्हें लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। तथापि संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए लेनदेनों को वार्षिक प्रतिवेदन में लेखों की टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 31 में प्रकट किया गया है। संबंधित पक्षकारों के लेनदेनों के लिए मंडल द्वारा अनुमोदित नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है जिसे http://www.bel-india.in/ContentPage.aspx?MId=17CId=527LId=1link=527 में देखा जा सकता है।

ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा गैर-अनुपालनात्मक, जुर्माना, स्टॉक एक्सचेंज या मंडल या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर अधिरोपित प्रतिषेधों अथवा पूँजी बाज़ार से संबंधित अन्य मामले;

एनएसई और बीएसई ने विनियमन 17 (1) – एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, 18(1) – लेखा परीक्षा समिति की संरचना, 19(1)/(2) – नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना और 20(2)/(2ए)- हितधारकों

संबंध समिति की संरचना के प्रावधान का अनुपालन न करने के लिए जुर्माना लगाया है । मंडल ने सुझाव दिया कि एनएसई और बीएसई को डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार बीईएल द्वारा अनुसरित निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाए कि एक सरकारी कंपनी होने के नाते बीईएल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। इसलिए, एनएसई और बीएसई द्वारा बीईएल पर लगाए गए जुर्माने से छूट प्रदान की जाए। तदुनसार, बीएसई और एनएसई को उत्तर भेजा गया और कोई जुर्माने की राशि अदा नहीं की गई।

ख) कंपनी ने सतर्कता प्रणाली स्थापित की है और अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की कारोबारी आचार संहिता और नैतिकता नीति के उल्लंघन के बारे में निदेशकों और कर्मचारियों को रिपोर्ट करने हेतु सचेतक नीति को अपनाया है। सचेतक व्यवस्था द्वारा अपने सरोकार को बताने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाता है और किसी भी कर्मचारी को लेखा परीक्षा समिति की कार्यवाही के बारे में सूचना प्रदान करने से मना नहीं किया जाता है। यह सचेतक नीति कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर उपलब्ध है।

ग) वर्ष 2020-21 के दौरान, निदेशक मंडल ने इसकी समितियों द्वारा की गई सभी सिफारिशें, जो आज्ञापक रूप से अपेक्षित थीं, को स्वीकार किया।

ग) कंपनी ने सूचीकरण विनियमों के विनियम 32 (7ए) में विनिर्दिष्टानुसार, अधिमान आबंटन या अर्हताप्राप्त संस्थानों के प्लेसमेंट द्वारा कोई निधि नहीं जुटाया है।

घ) सांविधिक लेखा परीक्षकों को तथा इसके स्वत्व के नेटवर्क में आने वाले सभी फर्मों/नेटवर्क स्वत्वों, जिसमें सांविधिक लेखा परीक्षक वर्ष 2020-21 के दौरान भाग बने थे, को कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा समेकन आधार पर, प्रदत्त सभी सेवाओं के लिए अदा किए गए कुल शुल्क के विवरण नीचे दिए गए हैं –

विवरण	राशि (रु. लाख में)
लेखा परीक्षा शुल्क	24
कर लेखा परीक्षा शुल्क	06
अन्य सेवाएँ	10
व्ययों की प्रतिपूर्ति	6
कुल	46

ङ) वित्तीय वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न से संबंधित दाखिल की गई शिकायतों, निपटाई गई शिकायतों तथा लंबित शिकायतों के विवरण मंडल के प्रतिवेदन के अनुलग्नक कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट में दिए गए हैं।

च) ऐसे खर्च जो इसके प्रत्यक्ष कारोबार या कारोबार के लिए आकस्मिक थे, इसके कर्मचारियों/पूर्व-कर्मचारियों के कल्याण के लिए खर्च किए गए, इसके कार्पोरेट सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए किए गए, को छोड़कर खर्च की ऐसी कोई मद नहीं थी जिसे लेखा बहियों नामें किया ।

छ) निदेशक मंडल तथा सर्वोच्च प्रबंधन के लिए किए गए खर्च कंपनी के नियमों के तहत यथा स्वीकार्य, वेतन, भत्ते, अनुलब्धि, अनुलाभ तथा बैठक शुल्क की प्रकृति के हैं। कोई अन्य खर्च जो निजी प्रकृति के हैं, निदेशक मंडल तथा सर्वोच्च प्रबंधन के लिए उपगत नहीं किए गए।

ज) कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक एवं कार्यालयीन खर्च और उसमें वृद्धि का कारण, यदि कोई हो –

प्रशासनिक एवं कार्यालयीन खर्च पिछले वर्ष के 2.11% के समक्ष वर्ष 2020-21 में कुल खर्च का 3.07% रहा ।

गैर-अनुपालन का विवरण

कंपनी का निदेशक मंडल कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों तथा स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ विधिवत् गठित है। कंपनी अधिनियम, 2013 और सूचीकरण विनियम की अपेक्षाओं के अनुसार एक स्वतंत्र निदेशक सहित पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जानी है। इसके अलावा, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन व पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति की संरचना सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम क्रमश: 18, 19 और 20 के अनुरूप नहीं है (हितधारक संबंध समिति सेबी (एलओडीआर) विनियम, के विनियम 20 के अनुसार 31 मार्च 2021 को पुनर्गठित की गई) । इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि इन रिक्तियों को भरने के लिए भारत सरकार को सूचना दी गई है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, बीईएल के सभी निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है और चयन प्रक्रिया एवं नियुक्ति जिसमें विभिन्न मंत्रालय शामिल होते हैं और ए.सी.सी. द्वारा अनुमोदित होते हैं, में समय लगता है जो कंपनी के नियंत्रण से परे है।

विवेकाधीन गैर-आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन

सूचीबद्ध विनियमों की गैर-अनिवार्य संस्तुति के अनुपालन की स्थिति नीचे दी गई है –

- कंपनी में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (कार्यकारी) का पद है तथा कोई गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है ।

- शेयरधारकों के साथ संप्रेषण करने की प्रक्रिया अधिक सशक्त है तथा इसका विवरण संप्रेषण के माध्यम के तहत दिया गया है।
- कंपनी के वित्तीय विवरण असंशोधित लेखा परीक्षा मत के साथ प्रकट किए जाते हैं।
- आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को सीधे रिपोर्ट करते हैं तथा लेखा परीक्षा समिति की बैठक में आमंत्रित सदस्य हैं।

अनुपालन

कंपनी ने मंडल के निदेशकों, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, पणधारक संबंध समिति (जिसे 31 मार्च 2021 को पुनर्गठित किया गया) के गठन को छोड़कर सूचीकरण विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों के विनियमन 46 के उप–विनियम (2) के विनियम 17 और 27 में तथा सीपीएसई के लिए कार्पोरेट अभिशासन की डीपीई दिशा–निर्देशों के सभी अनिवार्य अपेक्षाओं की निर्दिष्ट आवश्यकताओं (बी) से (आई) का विधिवत अनुपालन किया है। कंपनी स्टॉक एक्सचेंजों और सरकार को कार्पोरेट गवर्नेंस पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर रही है। स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के अंतर्गत अपेक्षानुसार, कंपनी द्वारा कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण–पत्र संलग्न है।

मंडल के लिए और उसकी ओर से

बेंगलूरू
31 अगस्त 2021

आनंदी रामलिंगम
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

निदेशकों की गैर–अनर्हता का प्रमाण–पत्र

सेबी (सूचीकरण की देयताएं और प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3)
और अनुसूची V पैरा–ग खंड 10 (i) के तारतम्य में

प्रतिष्ठा में
सदस्य
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
आउटर रिंग रोड, नागवारा
बेंगलूरु - 560045, कर्नाटक

भारतीय प्रतिभूति एक्सचेंज बोर्ड सूचीकरण की देयताएं और प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) जिसे अनुसूची V पैरा–ग के उप–खंड 10 (i) के साथ पढ़ा जाना है, के तारतम्य में हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसका सीआईएन L32309KA1954GOI000787 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूरु – 560045, कर्नाटक (जिसे यहां इसके बाद 'कंपनी' कहा गया है), के निदेशकों से प्राप्त संबंधित पंजियों, अभिलेखों, प्रपत्रों, विवरणियों और प्रकटणों का परीक्षण किया है जिन्हें कंपनी द्वारा यह प्रमाण–पत्र जारी करने के प्रयोजनार्थ हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया।

कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रकटणों / घोषणाओं के आधार पर और आवश्यक माने गए सत्यापनों (पोर्टल www.mca.gov.in में डायरेक्टर मास्टर डेटा और डीआईएन की स्थिति देखने सहित) के अनुसार तथा जहां तक हमारी जानकारी है, हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उल्लिखितानुसार कंपनी के मंडल के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति एक्सचेंज बोर्ड, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या निदेशक के पद पर बने रहने से विवर्जित या अनर्ह नहीं किया गया है।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	पदनाम	कंपनी में नियुक्ति की तारीख
1	श्री एम वी गौतमा	07628039	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	08/11/2016
2	श्रीमती आनंदी रामलिंगम	07616518	पूर्णकालिक निदेशक	16/09/2016
3	श्री विनय कुमार कत्याल	08281078	पूर्णकालिक निदेशक	27/11/2018
4	श्री शिवकुमारन के एम	08473589	पूर्णकालिक निदेशक	11/06/2019
5	श्रीमती शिखा गुप्ता	08597649	पूर्णकालिक निदेशक	01/12/2019
6	श्री दिनेश कुमार बत्रा	08773363	पूर्णकालिक निदेशक	01/08/2020
7	श्री एम वी राजशेखर	08850171	पूर्णकालिक निदेशक	01/09/2020
8	सुश्री जे मंजुला	07684528	नामिती निदेशक	23/04/2018
9	श्री अनुराग बाजपेई	08948155	नामिती निदेशक	29/10/2020
10	श्री सुनील कुमार कोहली	05321549	स्वतंत्र निदेशक	**18/07/2019**

कृते तिरुपाल गोरिगे एंड एसोसिएट्स एलएलपी
पेशेवर कंपनी सचिव

सी.एस. तिरुपाल गोरिगे
पदनामित साझेदार
एफसीएस नं. 6680; **सीपी नं.**6424
यूडीआईएन – F006680C000500844

स्थान – बेंगलूरु
दिनांक – 23 जून, 2021

कारोबारी आचार संहिता एवं नैतिकता के अनुपालन संबंधी घोषणा

सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 अधीन संगत प्रावधान तथा केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा-निदेशों के अनुवर्तन में, कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बोर्ड के सदस्यों, केएमपी तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचार संहिता व आचार नीति के अनुपालन को संपुष्ट किया है ।

मंडल के लिए और उसकी ओर से

बेंगलूरू
31 अगस्त 2021

आनंदी रामलिंगम
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

सीईओ और सीएफओ द्वारा प्रमाणीकरण

कार्पोरेट अभिशासन पर सेबी (सूचीकरण की देयताएं एवं प्रकटण की आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के प्रयोजन व डीपीई के दिशा–निदेशों के तहत यथा अपेक्षित

प्रतिष्ठा में,
निदेशक मंडल,
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
आउटर रिंग रोग, नागवारा
बेंगलूरु – 560045, कर्नाटक

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि –

क) हमने 31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और जहाँ तक हमारा विश्वास और जानकारी है –

(i) इन परिणामों में कोई महत्वपूर्ण असत्य विवरण शामिल नहीं है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को विलोपित नहीं किया गया है या ऐसा कोई कथन शामिल नहीं है जो भ्रामक हो।

(ii) ये परिणाम समग्र रूप से कंपनी के कामकाज की सही और उचित स्थिति दर्शाते हैं और विद्यमान भारतीय लेखांकन मानक, लागू नियमों और विनियमों के अनुपालन में हैं ।

(ख) जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास है, वर्ष के दौरान कंपनी ने ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है जो कपटपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचरण संहिता के उल्लंघन करता हो।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण के संस्थापन व अनुरक्षण का दायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और ऐसे आंतरिक नियंत्रण के प्रचालन एवं अभिकल्प की त्रुटियों की सूचना लेखा परीक्षकों तथा प्रबंधन को दी है और उक्त त्रुटियों को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाया है या उसके लिए प्रस्ताव रखा है।

(घ) हमने लेखा परीक्षकों तथा प्रबंधन को निम्न सूचनाएँ दी हैं–

(i) अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

(ii) अवधि के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन; तथा

(iii) धोखाधड़ी, यदि कोई हो, की कोई महत्वपूर्ण घटना जिसके बारे में तथा जिसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में उल्लेखनीय भूमिका है, के शामिल होने की हमे जानकारी है।.

बेंगलूरु
22 जून, 2021

दिनेश कुमार बत्रा
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

एम वी गौतमा
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

कार्पोरेट अभिशासन पर लेखा परीक्षक का प्रमाण–पत्र

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सदस्य,

हमने भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (सूचीकरण के दायित्व एवं प्रकटण की आवश्यकताएँ) विनिमय, 2015 (सूचीकरण विनियम) के विनियम 17 से 27, विनियम 46(2) के खंड (बी) से (आई) और अनुसूची V के अनुच्छेद ग और घ तथा केंद्र सरकार के उद्यमों के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड('कंपनी') द्वारा कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है ।

प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व में सूचीकरण विनियम में निर्दिष्ट कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तथा प्रक्रियाओं का अभिकल्प, समाविष्टि और अनुरक्षण शामिल होती है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन का परीक्षण करने तक सीमित है। यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा, न उन पर विचार की अभिव्यक्ति है।

हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा विशेष प्रयोजन की रिपोर्टों या प्रमाण–पत्रों पर जारी मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुसार, कंपनी के संबंधित अभिलेखों का परीक्षण किया है। इस मार्गदर्शी टिप्पणी में यह आवश्यकता होती है कि हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता की नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें। हमने ऐसी फर्मों के गुणता नियंत्रण के मानकों की लागू संबंधित आवश्यकताओं का पालन किया है जो लेखा परीक्षा करती हैं और ऐतिहासिक वित्तीय सूचना तथा अन्य आश्वासनों तथा संबंधित सेवा नियोजनों की समीक्षा करती हैं।

विचार

हमारे विचार से तथा जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने यथा लागू सूचीकरण विनियमों के विनियम 17 से 27, विनियम 46(2) के खंड (बी) से (आई) में निर्दिष्ट कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों तथा अनुसूची V के अनुच्छेद ग तथा घ की शर्तों का पालन किया है। बहरहाल, कंपनी को सूचीकरण विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों को पर्याप्त संख्या में नियुक्त करना है जो कार्यकारी एवं गैर–कार्यकारी निदेशकों के इष्टतम संयोजन के प्रति विनियम 17(1)(बी) के अनुपालन में नहीं है और हालांकि,कंपनी ने एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित अभी तक पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है,जिसके परिणामस्वरूप क्रमशः विनियम 17(1)(बी) और नियम 17(1)(ए) के प्रावधान का अनुपालन नहीं होता है। इसके अलावा,कंपनी ने अभी तक स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियों के कारण लेखा परीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना का पुनर्गठन नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप क्रमशः विनियम 18(1)(बी)और विनियम 19(1)(सी)का अनुपालन नहीं हुआ है।

सूचना दी गई है कि निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार करती है और उक्त निदेशकों की रिक्तियों का भरा जाना भी नियुक्तकर्ता प्राधिकारी यानी भारत सरकार के पास लंबित है।

वर्ष के दौरान, हितधारक समिति का संघटन विनियम 20(2ए) के अनुपालन में नहीं था और बाद में विनियम 20(2ए) का अनुपालन करने के लिए समिति का पुनर्गठन किया गया।

हमारा विचार है कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यावहारिकता का आश्वासन है और न ही ऐसी दक्षता या प्रभावशीलता है जिससे प्रबंधन कंपनी का कामकाज संचालित करता है।

प्रयोग पर प्रतिबंध

यह प्रमाण–पत्र उक्त विनियमों का पालन करने के एकमात्र प्रयोजन के लिए जारी किया जाता है, किसी अन्य प्रयोजनार्थ नहीं।

कृते **सूरी एंड कंपनी,**
सनदी लेखाकार
एफआरएन – 004283एस

नटराजन वी.
साझेदार
सदस्यता संख्या – 223118

बेंगलूरु
22 जून 2021

अनुलग्नक –6

संधारणीयता रिपोर्ट

आपकी कंपनी पर्यावरण प्रबंधन और सतत विकास कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से शुरू करके योजनाबद्ध तरीके से अपने विविध व्यावसायिक परिचालनों और गतिविधियों के माध्यम से सतत विकास के आर्थिक, पारिस्थितिक और सामाजिक जिम्मेदारी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसने पिछले कुछ वर्षों में जल प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि जैसी गैर-पारंपरिक ऊर्जा के उपयोग सहित संसाधन प्रबंधन और सतत विकास के क्षेत्रों में पर्याप्त आंतरिक विशेषज्ञता हासिल की है। कंपनी इस विशेषज्ञता पर विकास करने का प्रयास करती है और अपने व्यवसाय परिचालन और गतिविधियों में सतत विकास पहल को बढ़ावा देती है। इसने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सतत विकास की दिशा में एक नीति तैयार की है। बी ई एल की सतत विकास नीति इसकी वेबसाइट: www.bel-india.in पर पोस्ट की गई है।

कंपनी के पर्यावरण प्रबंधन और सतत विकास प्रयासों का सिंहावलोकन निम्नलिखित पैरा में दिया गया है।

पर्यावरण प्रबंधन

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने दीर्घकालिक स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल वातावरण के उद्देश्य से सर्वोत्तम पद्धतियों को विकसित करते हुए, अपने व्यवसाय संचालन में व्यवस्थित रूप से टिकाऊपन (संधारणीयता) को एकीकृत किया है। सभी बी ई एल इकाइयां पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और दृढ़ता से मानती हैं कि पर्यावरणीय संधारणीयता समावेशी विकास की ओर ले जाती है। बी ई एल सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी पी ई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करती है, डिजाइन से लेकर इसके निपटान तक उत्पादों के पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार के लिए अत्याधुनिक तकनीकों की शुरुआत करती है। सभी बी ई एल की यूनिटें वर्षा जल संचयन, ऊर्जा संरक्षण और अपशिष्ट में कमी जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सक्रिय रूप से शामिल हैं और पर्यावरणीय संधारणीयता की दिशा में काम कर रही हैं। बी ई एल पर्यावरणीय उत्कृष्टता की दिशा में बेहतर निष्पादन करने के लिए सामान्य तौर-तरीकों से आगे जाकर कार्य करती है।

स्वच्छतर प्रौद्योगिकी

प्रदूषण को रोकने के लिए विनिर्माण प्रक्रिया में स्वच्छ प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण प्रक्रियाओं में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की शुरूआत में निरंतर सुधार की खोज हमेशा जारी है। इन प्रयासों से काफी हद तक प्रदूषण में कमी आई है। हमारे अनुसंधान और विकास विभाग हमेशा पर्यावरण के अनुकूल घटकों और प्रक्रियाओं की तलाश में रहते हैं। कॉर्पोरेट मानक ने पर्यावरण के अनुकूल सामग्री, घटकों और निर्माण प्रक्रियाओं के लिए कई प्रक्रिया दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं जिन्हें कंपनी के सभी डिजाइनों में शामिल किया गया है। कॉर्पोरेट मानक नियमित रूप से यूरोपीय और अन्य अंतरराष्ट्रीय निर्देशों का पालन करने वाले कुछ खतरनाक पदार्थों (आर ओ एच एस) तत्वों के कई प्रतिबंधों की समीक्षा, मानकीकरण और कार्यान्वयन करते हैं। पिछले वर्ष के निरंतर प्रयासों में, 36 नए आर ओ एच एस-अनुपालन घटक शामिल किए गए हैं और 61 मानकों को संशोधित किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स / यांत्रिक घटकों और कच्चे माल जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक / विद्युत / यांत्रिक घटकों के क्षेत्र में, छह प्रक्रिया मानकों को संशोधित किया गया है और सुरक्षा और पर्यावरणीय पहलुओं पर दिशानिर्देशों वाले एक खंड के साथ प्रकाशित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक / विद्युत / यांत्रिक घटकों के क्षेत्रों के लिए कुल 642 आर ओ एच एस-अनुपालन मानक मौजूद हैं। इसके अलावा, हमारी डी एंड ई टीम ने एक परियोजना में एक उत्पाद में वेपन कंट्रोल कंप्यूटर और रेडार डेटा प्रोसेसर में वजन और बिजली की खपत में 30% की कमी पर काम किया।

बी ई एल समझती है कि प्रदूषण की रोकथाम स्रोत से शुरू होती है, तदनुसार मौजूदा प्रक्रियाओं में विभिन्न सुधार और संशोधन किए गए हैं। पी सी बी निर्माण और सतह के उपचार गतिविधि में कई आर ओ एच एस-संगत प्रक्रियाएं शुरू की गई हैं। इसमें क्रोम पर आधारित लो-स्मोक हैलोजन केबल, लो-वीओसी फिनिशिंग प्रोसेस (पॉलीयूरेथेन) और ट्रिवेलेंट क्रोमेट रूपांतरण कोटिंग्स शामिल हैं। फास्टनरों और स्क्रू के लिए आर ओ एच एस-संगत कैडमियम प्लेटिंग विकल्प पर एक तकनीकी शृंखला दस्तावेज़ जारी किया गया है। यह बी ई एल में विभिन्न डी एंड ई और गुणवत्ता इंजीनियरों के बीच आर ओ एच एस-अनुपालन विकल्पों पर जागरूकता फैलाने और पालन करने में सहायता करता है। इसके अलावा, कॉरपोरेट स्टैंडर्ड ने आइएसओ-प्रोपाइल अल्कोहल के उपयोग की जगह जलीय-आधारित क्लीनर का उपयोग करके प्रिंटेड वायरिंग असेंबली की पर्यावरण-अनुकूल स्वचालित सफाई प्रक्रिया के लिए नए मानकों की पहचान की है।

वायु में उत्सर्जन

उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण के माध्यम से वायु उत्सर्जन की निगरानी और नियंत्रण किया जाता है। इन प्रक्रियाओं से वायु उत्सर्जन निकालने के लिए पेंट बूथ और प्लेटिंग बाथ को एक मामूली निर्वात (निगेटिव) दाब के साथ संचालित किया जाता है और वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण में रोक लिया जाता है।

गीले स्क्रबर का उपयोग गैसीय प्रक्रिया उत्सर्जन जारी करने से पहले प्रक्रिया उत्सर्जन के उपचार के लिए किया जाता है। उत्सर्जन के परिणाम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्मुक्ति मानकों के भीतर हैं और इकाइयों में विभिन्न स्थानों पर मापी गई परिवेशी वायु गुणवत्ता द्वारा समर्थित हैं। प्लेटिंग बाथ के लिए लगाए गए वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण के अलावा सोल्डर धुएं को खींचने के लिए सक्शन फिल्टर भी कार्यस्थल पर उपलब्ध कराए जाते हैं। उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए परिचालन नियंत्रण भी स्थापित किए गए हैं।

जल प्रदूषण

निर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जल को स्रोत पर अलग किया जाता है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार उचित उपचार किया जाता है। कम रासायनिक खपत के साथ प्रभावी विषाक्तता दूर करना सुनिश्चित करने के लिए यह पृथक उपचार इस प्रकार के अपशिष्ट जल के लिए विशिष्ट है। बी ई एल ने पुन: प्रयोज्य मानकों को पूरा करने के लिए अपशिष्ट जल के उपचार में एक कदम आगे बढ़ाया है और इस प्रकार उत्पादन उद्देश्यों के लिए इसका पुनर्चक्रण किया है। इसी तरह, घरेलू अपशिष्ट जल का उपचार किया जाता है और बागवानी उद्देश्यों के लिए पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। डबल प्लंबिंग सिस्टम सभी नए भवनों के डिजाइन का एक हिस्सा है।

पांच सितारा गृहा रेटेड बी ई एल अकादमी फॉर एक्सीलेंस और सी–टाइप आवासीय क्षेत्र दोहरी पंपिंग प्रणाली से लैस हैं। बी ई एल बेंगलूरु कॉम्प्लेक्स ने 10 एम एल डी सीवेज के उपचार और स्थानीय बेंगलूरु झील को फिर से जीवंत करने के लिए अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (एस टी पी) की शुरुआत के साथ जल सकारात्मक स्थिति हासिल की है। इसमें से 2 एम एल डी का उपयोग बी ई एल के बागवानी और अन्य अनुप्रयोगों के लिए किया जाएगा जो प्राकृतिक संसाधनों और भूजल के अत्यधिक संरक्षण की ओर ले जाते हैं।

खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली

खतरनाक अपशिष्ट से निपटने के दौरान, कमी (रिडक्शन), पुन: उपयोग (रीयूज), पुनर्प्राप्ति (रिकवरी) और पुनर्चक्रण (रीसाइकल) के सिद्धांत का पालन किया जाता है। स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के उपयोग के अलावा, अपशिष्ट जल विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया में कम खतरनाक पंक पैदा करने वाले उपयुक्त रसायनों और प्रक्रियाओं को शुरू करके खतरनाक कचरे के उत्पादन को प्रक्रिया स्तर पर कम किया गया है। चूना, ब्लीच पाउडर और आयरन सल्फेट के स्थान पर सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइपोक्लोराइट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइट का उपयोग खतरनाक पंक की मात्रा को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा, साइनाइड मुक्त गैल्वनाइजिंग और कॉपर प्लेटिंग प्रक्रियाओं की शुरूआत ने खतरनाक कचरे के उत्पादन को कम करने में मदद की है। पिछले वर्ष में, बी ई एल ने सौर संयंत्र में क्रू ऑक्साइड एचिंग प्रक्रिया में आईपीए के उपयोग को समाप्त करके निरंतर सुधार हासिल किया। इन पहलों के परिणामस्वरूप खतरनाक अपशिष्ट कम उत्पन्न हुआ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने खतरनाक कचरे के सुरक्षित भंडारण के लिए एक विशेष, अच्छी तरह से संरक्षित जगह बनाकर खतरनाक कचरे के सुरक्षित प्रबंधन के लिए एक प्रणाली स्थापित की है।

बी ई एल ने ठोस खतरनाक कचरे के निपटान के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा ऑपरेटरों के साथ करार किया है, जिन्हें लैंडफिल में ले जाया जा सकेगा। वैज्ञानिक प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के लिए पुनर्चक्रण योग्य कचरे को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अधिकृत सुविधाओं को सौंप दिया जाता है। यह प्रणाली खतरनाक कचरे से होने वाले प्रदूषण को प्रभावी ढंग से रोकती है।

ई–अपशिष्ट प्रबंधन

उत्पादों के निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कचरे को वैज्ञानिक प्रसंस्करण, पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अधिकृत एजेंसियों को अलग करके, संग्रह करके सौंप दिया जाता है। कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं जैसे अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक कचरे को भी वैज्ञानिक प्रसंस्करण, पुन:प्राप्ति और रीसाइक्लिंग के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अधिकृत एजेंसियों को सौंप दिया जाता है। अनुपयोगी ई–अपशिष्ट उत्पादों जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी पहल के तहत वापस प्राप्त किया जाता है और वैज्ञानिक रूप से निपटाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के उपयोगकर्ता अनुपयोगी होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए हैंडलिंग और निपटान दिशानिर्देश प्राप्त करते हैं। अधिक से अधिक आर ओ एच एस अनुपालक घटकों को शामिल करके इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में खतरनाक घटक को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बायोमेडिकल वेस्ट (जैवचिकित्सा अपशिष्ट)

बी ई एल अस्पताल और चिकित्सा केंद्रों में उत्पन्न बायोमेडिकल अपशिष्ट को एकत्र किया जाता है और नियामक आवश्यकताओं के अनुसार वैज्ञानिक रूप से निपटाया जाता है

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

बी ई एल ने कचरे (अपशिष्ट) के उचित प्रबंधन के लिए एक स्रोत पृथक्करण प्रणाली स्थापित की है। बायोडिग्रेडेबल कचरे जैसे खाद्य अपशिष्ट और कॉलोनी के हरे कचरे को बायोमेथेनाइजेशन प्लांट और लीफ–श्रेडिंग मशीन के उपयोग के अलावा 1.0 टन कार्बनिक अपशिष्ट कनवर्टर के माध्यम से खाद बनाया जाता है। एनारोबिक बायोगैस संयंत्र 2.0 टन की क्षमता के साथ यू ए एस बी प्रौद्योगिकी पर आधारित है और खाना पकाने में प्रतिदिन लगभग 50 एससीएम पीएनजी की बचत करता है। लैंड–फिल कचरे को प्रसंस्करण के लिए बेंगलूरु में सुस्थापित ठोस अपशिष्ट उपचार सुविधा में भेजा जाता है।

जल प्रबंधन

जल ऑडिट के परिणाम के माध्यम से जल संरक्षण उपायों को हासिल किया जाता है। पानी बचाने के लिए कई जल संरक्षण परियोजनाएं चलाई गईं, जैसे पानी की आपूर्ति की आवश्यकता–आधारित स्वचालन, पानी की बौछार–वाले नल, और बोरवेल से पानी निकालने के लिए उपयोग–आधारित स्वचालन, पानी की टंकी के स्तर का नियंत्रण, कुशल डिशवाशिंग

प्रणाली और वायुदोलन के साथ स्वाइल जल का उपयोग, कूलिंग टॉवर के रिजेक्ट को कम करना। इन जल संरक्षण परियोजनाओं के कार्यान्वयन से साल दर साल पानी की खपत में लगातार कमी आई है। वर्षा जल का पुनर्भरण और बोरवेलों के नवीन पुनर्भरण उपाय, सतही अपवाह का सुगम पुनर्भरण, ये सभी भूजल में सुधार के प्रयास हैं। बेंगलूरु में व्यापक वर्षा जल संचयन जलाशय की क्षमता लगभग 234 मिलियन लीटर की अनुमानित वार्षिक प्राप्ति के साथ 170 मिलियन लीटर है। पिछले साल छत के वर्षा जल का उपयोग करते समय, 535 घन मीटर वर्षा जल एकत्र किया गया था और सीधे आरओ जल तैयार करने के लिए उपयोग किया गया था। सभी इकाइयों में वर्षा जल के संग्रह और पुन: उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन की सुविधा है।

साइट पर आपातकालीन योजना और सिस्टम

संयंत्र के स्तर और कार्यस्थल के स्तर पर आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजनाएं मौजूद हैं, जिन्हें जोखिम मूल्यांकन, जोखिम में कमी और आपातकालीन प्रतिक्रिया को कवर करते हुए एक बहु–आयामी कार्य दल के एकीकरण के साथ संस्थागत बनाया गया है।

अलग–अलग रणनीतिक व्यापार समूहों द्वारा समय–समय पर आपातकालीन योजना पर मॉक ड्रिल आयोजित किए जा रहे हैं जिनमें शामिल हैं –

1. टास्क फोर्स और मरम्मत दल।
2. अग्निशमन दल।
3. सुरक्षा दल।
4. परिवहन दल।
5. प्राथमिक चिकित्सा और चिकित्सा दल।

मॉक ड्रिल अभ्यास में सुधार के लिए घटनाओं का क्रम रिकॉर्ड किया जाता है जबकि योजना की निगरानी वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा की जाती है।

घटना नियंत्रक दुर्घटना स्थल पर जाते हैं और बचाव दल के साथ समन्वय करते हैं और यदि कोई घटना हो तो उसके बाद सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कदम उठाते हैं। स्टॉक–टेकिंग मीटिंग से मिली सीख को सुधार के लिए सुधारात्मक कार्रवाई उपायों के रूप में लागू किया जाता है।

सतत विकास पहल

बी ई एल ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण विकसित किया है। मुख्य फोकस बिजली, पानी की बचत और हरियाली को बेहतर करने पर है। इस संबंध में विभिन्न पहल की गई है। कर्नाटक में दावणगेरे और हासन में, सीमित खपत के लिए 13.9 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ–साथ 4901 kWp ग्रिड–कनेक्ट–सौर–पीवी बिजली संयंत्रों को विभिन्न बी ई एल इकाइयों की छतों पर लगाया गया है। सौर ऊर्जा संयंत्र ने सभी बी ई एल इकाइयों की ऊर्जा खपत में लगभग 7.7% का योगदान दिया। कुल मिलाकर, पूरी कंपनी में अक्षय ऊर्जा का योगदान लगभग 51.2% है। पवन और सूर्य के माध्यम से अक्षय ऊर्जा (हरित ऊर्जा) का उत्पादन वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की निर्मुक्ति को कम करता है।

2020–21 की अवधि में, सीमित खपत के लिए दावणगेरे और हासन में पवन ऊर्जा संयंत्रों से लगभग 216.51 लाख यूनिट विद्युत ऊर्जा का पहिया चलाया गया और 21626 मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जन से बचा गया। बी ई एल ने ऊर्जा कुशल रेट्रोफिटिंग– एल ई डी लाइट्स, डिजिटल एड्रेसेबल लाइटिंग इंटरफेस (डी ए एल आइ) लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम, डेलाइट हार्वेस्टिंग के लिए स्काई लाइट पाइप, कार्बन फुटप्रिंट और वाटर फुटप्रिंट को कम करने के क्षेत्रों में सतत विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। सभी नए भवनों में हरित भवन की अवधारणा पेश की गई है और भविष्य के सभी भवन जी आर आइ एच ए रेटिंग (एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग) के अनुसार होंगे।

पारिस्थितिक संधारणीयता

हम बी ई एल में पारिस्थितिक संधारणीयता और हरियाली की यात्रा शुरू करते हैं। हमारे परिसरों में लगभग 200 विभिन्न प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं और यह विभिन्न पक्षियों और अन्य जीवों का घर है। बेंगलूरु में हमारे 685 हेक्टेयर के हरित परिसर में, हम लगभग 4,90,000 वर्ग मीटर का लॉन और 25,100 मीटर की हेज के साथ–साथ 1,40,300 से अधिक पेड़ों का रखरखाव करते हैं।

ग्रीन कार्पेट धूल को रोकने में मदद करता है, गर्मी को अवशोषित करता है, कार्बन सिंक बनाता है और ताजा ऑक्सीजन छोड़ता है। कई हेक्टेयर भूमि पर हरे–भरे वृक्षारोपण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की वनीकरण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं।

बोर्ड के लिए व उसकी ओर से

बेंगलुरु
31 अगस्त 2021

आनंदी रामलिंगम
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

अनुलग्नक -7

कारोबारी दायित्व रिपोर्ट (बीआरआर)

खंड क - कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी-

1. कंपनी की कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	:	L32309KA1954GOI000787
2. कंपनी का नाम	:	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
3. पंजीकृत पता	:	आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूरु- 560045
4. वेबसाइट	:	www.bel-india.in
5. ई-मेल आई डी	:	secretary@bel.co.in
6. रिपोर्ट का वित्तीय वर्ष	:	2020-21
7. जिसमें कंपनी संचालित होती है (औद्योगिक क्रियाकलाप कोड-वार)	:	संचार एवं C4I प्रणालियाँ -26303 शस्त्र प्रणाली - 2927 इलेक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति एवं वैमानिकी - 2008

8. तीन मुख्य उत्पाद / सेवाएं जो कंपनी तैयार करती है / प्रदान करती है, की सूची दें (तुलन-पत्र के अनुसार)-

   i. संचार एवं C4I प्रणालियाँ

   ii. शस्त्र प्रणाली

   iii. इलेक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति एवं वैमानिकी

9. कुल स्थानों की संख्या जहां कंपनी के कारोबार कार्यकलाप होते है -

   i. अंतरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या (मुख्य 5 के विवरण दें) -

   समुद्रपार कार्यालय: 05 यानी न्यूयार्क (यूएसए), सिंगापूर, वियतनाम, म्यांमार, श्रीलंका एवं ओमान ।

   ii. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या -

   विनिर्माणी यूनिटें - 09 यानी बेंगलूरु (कर्नाटक), गाज़ियाबाद (उत्तर प्रदेश), पंचकूला (हरियाणा), कोटद्वार (उत्तराखंड), पुणे एवं नवी मुंबई (महाराष्ट्र), हैदराबाद (तेलंगाना) एवं मछिलीपट्टणम (आंध्र प्रदेश) एवं चेन्नै (तमिलनाडु) ।

   क्षेत्रीय / विपणन कार्यालय - नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं विशाखपट्टणम ।

10. कंपनी द्वारा सेवा प्रदत्त बाज़ार - स्थानीय/ राज्य / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय -

    राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय:

खंड ख- कंपनी के वित्तीय विवरण -

1.	प्रदत्त पूंजी	:	₹ 26366 लाख
2.	कुल विक्रयावर्त	:	₹ 13,81,816 लाख
3.	कर पश्चात् लाभ	:	₹ 2,06,542 लाख
4.	कर पश्चात लाभ के प्रतिशत (%) के रूप में कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय (अलग से रखी राशि सहित)	:	कंपनी द्वारा ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत निवल लाभों का 2% । सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट का अनुलग्नक-2 देखें।
5.	मद सं.4 से संबंधित व्यय की गतिविधियों की सूची	:	सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट का अनुलग्नक-2 देखें।

खंड ग- अन्य विवरण-

1. क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी / कंपनियां हैं?

   जी, हाँ

   I. बीईएल ऑप्ट्रोनिक डिवाइसेस लिमिटेड, पुणे ।

   II. बीईएल- थालेस सिस्टम लिमिटेड, बेंगलूर ।

2. क्या सहायक कंपनी / कंपनियां मूल कंपनी के बी.आर. पहलों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनी की संख्या उल्लिखित करें ।

   जी नहीं।

3. कोई अन्य स्वत्व/स्वत्वों (जैसे आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जिनके साथ कंपनी कारोबार करती है, क्या कंपनी की बी.आर. पहल में भाग लेते है? यदि हां, तो ऐसे स्वत्वों/ संस्थाओं का प्रतिशत सूचित करें? [30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक]

   कंपनी में आउटसोर्सिंग गतिविधि सुव्यवस्थित स्थापित प्रक्रिया द्वारा संचालित है। चूंकि गुणता, वितरण और लागत महत्वपूर्ण है, दोषपूर्ण मुक्त पूर्तिकर्ताओं के चयन और स्थापना के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जाती है। पूर्तिकर्ता मूल्यांकन समिति की गतिविधियों में क्षमताओं और बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन, गुणता मान्यता, पर्यावरण प्रमाणन, विक्रेताओं की ग्राहक सूची, बैंकरों के विवरण, विक्रेताओं के प्रमाण पत्र जैसे आईएसओ प्रमाणन और अन्य वैधानिक कर पंजीकरण आदि के साथ उनके पंजीकरण शामिल हैं। केवल वे पूर्तिकर्ता जो इन शर्तों को पूरा करते है, को कंपनी के अनुमोदित विक्रेता निर्देशिका (एवीडी) में शामिल किया जाएगा।

   इसके अलावा, क्रय आदेश के मानक निबंधन एवं शर्तों में संरक्षा और पर्यावरण का स्पष्ट रूप से समावेश हैं। कंपनी ने आगे पारदर्शिता और निष्पक्ष व्यापार प्रथाएं सुनिश्चित करने के लिए ई-खरीद, सत्यनिष्ठा संधि आदि शुरू की है। पूर्तिकर्ता रेटिंग प्रणाली के आधार पर गुणता, लागत, वितरण और निष्पादन के संबंध में आपूर्तिकर्ताओं को प्रतिक्रिया प्रदान की जाती है। संक्षेप में, एवीडी में उपलब्ध आपूर्तिकर्ताओं के बहुमत व्यावसायिक जिम्मेदारी के प्रमुख सिद्धांतों के अनुरूप हैं ।

   बीईएल की पर्यावरण नीतियाँ क्रय आदेश और कार्य आदेश द्वारा पूर्तिकर्ताओं तथा विक्रेताओं को सूचित की जाती हैं। पर्यावरण जागरूकता तथा नीति संबंधी आवश्यकताओं की सूचना अनुपालन हेतु वार्षिक पूर्तिकर्ता सम्मेलन में दी जाती है।.

खंड घ – बी.आर. सूचना

1. बी.आर. के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के विवरण–

क) बी.आर. नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों के विवरण

- डीआईएन : 08473589
- नाम : श्री शिवकुमारन के एम
- पदनाम : निदेशक (मानव संसाधन)

ख) बी.आर. प्रमुख के विवरण

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	डीआईएन (यदि लागू हो तो)	08473589
2.	नाम	श्री शिवकुमारन के एम
3.	पदनाम	निदेशक (मानव संसाधन)
4.	टेलिफोन नंबर	080-25039205
5.	ई-मेल आईडी	shivakumarankm@bel.co.in

2. सिद्धांत-वार (एनवीजीएस के अनुसार) बी.आर. नीति/नीतियां (हां/ नहीं में उत्तर दें) –

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	क्या आपके पास..... की नीति/नीतियां है	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	क्या नीतियां संबंधित पणधारकों के परामर्श से बनाई जाती है?	सभी कार्यात्मक क्षेत्रों को शामिल करते हुए, गहन आंतरिक परामर्श के बाद नीति सूचीबद्ध की गई।								
3	क्या नीति कोई राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप है? यदि हां तो विवरण दें?	नीति सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए ''बी.आर. रिपोर्ट'' और कारोबारी मामलों के सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक जिम्मेदारियों पर कार्पोरेट मामलों के राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा-निर्देश मंत्रालय के सेबी दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।								

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
4	क्या यह नीति मंडल द्वारा अनुमोदित है? यदि हां,तो क्या वह एमडी/स्वामी/सीईओ/ उचित बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है?	प्रबंधन द्वारा अनुमोदित नीति और कंपनी के सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा अनुपालन के लिए कार्यालय आदेश के रूप में जारी की गई। जी, हां। (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से फाइल अनुमोदन प्राप्त है)								
5	क्या नीति के कार्यान्वयन हेतु कंपनी में बोर्ड/निदेशक/अधिकारियों की निर्धारित समिति है?	मंडल अपनी विभिन्न समितियों द्वारा इन नीतियों के अनुपालन और कार्यान्वयन की देखरेख करती है, जैसा कि इस वार्षिक रिपोर्ट की भाग बनने वाली कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट में बताया गया है।								
6	नीति के ऑनलाइन प्रेक्षण का लिंक सूचित करें।	नीतियां कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है- http://www.belindia.in/ContentPage.aspx?MId=17CId=527LId=1link=527								
7	क्या सभी आंतरिक एवं बाह्य पणघारकों को नीति की अधिकारिक सूचना दी गई है?	जी, हाँ								
8	क्या कंपनी में नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत संरचना है?	जी, हाँ								
9	संबंधित नीति/नीतियों पर पणधारकों के शिकायतों के निवारण हेतु क्या कंपनी में शिकायत निवारण कार्यप्रणाली है?	जी, हाँ								
10	क्या इस नीति के कार्यान्वयन के लिए कंपनी ने किसी आंतरिक/बाह्य एजेंसी द्वारा स्वतंत्र अंकेक्षण/ मूल्यांकन कार्य किया है?	जी, हाँ								

2क. यदि क्रमांक 1 में किसी भी नीति के लिए उत्तर 'नहीं' है, तो कृपया कारण स्पष्ट करें। (दो विकल्प तक टिक करें)।

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	कंपनी ने नीतियों को समझा नहीं है	लागू नहीं								
2.	कंपनी ऐसी स्थिति में नहीं है जहाँ वह निर्धारित सिद्धांतों के लिए नीतियां बनाकर उन्हें कार्यान्वित कर सके									
3.	कंपनी में कार्य के लिए पर्याप्त वित्तीय या जनशक्ति संसाधन नहीं है।									
4.	इसे अगले 6 माह में पूरा करने की योजना बनाई गई है।									
5.	इसे अगले एक वर्ष में पूरा करने की योजना बनाई गई है।									
6.	कोई अन्य कारण (स्पष्ट करें)									

3. बी.आर. से संबंधित अभिशासन –

- सूचित करें कि किस अवधि में निदेशक मंडल, मंडल की समिति या सीईओ कंपनी के बी.आर. निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है। 3 माह के भीतर, 3-6 माह में, वार्षिक रूप में, एक वर्ष से अधिक?

मंडल के निदेशकों/ समितियों द्वारा सीएसआर और निर्वहनीयता नीति, निवारण नीति, निषेध और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण, सचेतक नीति, व्यापार आचरण संहिता और मंडल के सदस्यों के लिए नैतिकता, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और वरिष्ठ प्रबंधन, आचार संहिता तथा विनियमों का उचित प्रकटण, बीईएल प्रतिभूतियों की निगरानी,

रिपोर्टिंग और भेदिया व्यापार, संबंधित पक्षकार संव्यहार नीति, जोखिम प्रबंधन नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

- क्या कंपनी बी.आर. या निर्वहनीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपर लिंक क्या है? इसे कितनी बार प्रकाशित किया जाता है?

  जी, हाँ। कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में बी.आर. रिपोर्ट और निर्वहनीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है और इसे वेबसाइट https://www.bel-india.in/ContentPage.aspx?MId=17CId=427LId=1link=427 में पोस्ट करती है।

खंड ङ – सिद्धांत-वार निष्पादन

सिद्धांत 1

1. क्या नैतिक शास्त्र, रिश्वत एवं भ्रष्टाचार से संबंधित नीति में केवल कंपनी को शामिल किया गया है? हाँ/नहीं। क्या इसमें समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / एनजीओ / अन्य शामिल है?

   जी, हाँ, नीति में कंपनी को शामिल किया गया है । इसके अलावा, कंपनी ने रु. 300 लाख से अधिक के सभी आदेश/ ठेकों के लिए सभी पूर्तिकर्ता/ आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार/ सेवा प्रदाताओं के साथ सत्यनिष्ठा संधि करार अपनायी है । यह संधि मुख्यतः उत्तरव्यापी पूर्तिकर्ता/ बोलीदाताओं और प्रमुख (बीईएल) के बीच दोनों ओर के अधिकारियों/व्यक्तियों को ठेके के किसी भी पहलु/ किसी भी दशा में कोई भी भ्रष्ट आचरण का सहारा न लेने लिए वचनबद्ध करते हुए एक अनुबंध को परिकल्पित करता है। केवल वह विक्रेता/बोली लगाने वाले जो मूल कंपनी के साथ इस प्रकार के समझौते के लिए वचनबद्ध होते है को बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्षम माना जाएगा। किसी भी ठेके के लिए सत्यनिष्ठा संधि, यह बोलियों को आमंत्रित करने की दशा से ठेके की अंतिम समापन तक प्रचालन में होगा। इसके किसी भी प्रकार के उल्लंघन से बोलीदाताओं को अयोग्य ठहराया जा सकता है और भविष्य के कारोबार से वर्जित कर सकता है।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में पणधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत संतुष्टिपूर्वक हल किया गया है? यदि है, तो लगभग 50 शब्द तक विवरण प्रदान करें ।

   कंपनी में, ग्राहक संतुष्टि स्तर बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जाते हैं। तद्नुसार, उत्पाद समर्थन मुद्दों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के कई पहल किए गए हैं। सभी समर्थन संबंधित मुद्दों का निवारण करने के लिए उत्पाद समर्थन निगरानी समूहों की स्थापना कंपनी भर में की गई है। शिकायत निवारण पर प्रगति की निगरानी हेतु थल सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए अपर महाप्रबंधक/वरिष्ठ उप महाप्रबंधक स्तर पर समर्पित वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। कंपनी ने ग्राहक के शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए भारतीय वायुसेना और भारतीय थलसेना को समर्थन प्रदान करने के लिए 10 क्षेत्रीय उत्पाद सहायता केंद्र और भारतीय नौसेना को समर्थन प्रदान करने के लिए सात स्थानों पर वाटर फ्रन्ट सपोर्ट सेन्टर खोले हैं। ये सहायता केंद्र अपने संबंधित प्रचालनीय क्षेत्रों में ग्राहकों के संपर्क के एकल बिंदु हैं, जिससे ग्राहकों और कंपनी की विनिर्माणी यूनिटों के बीच बेहतर और शीघ्र समन्वय स्थापित होता है। ऑन-लाइन शिकायतों के निवारण के लिए बेंगलूर में ग्राहक समन्वय कक्ष स्थापित किया गया है। यह सुविधा इंटरनेट से जुड़े एसएपी के सीआरएम मॉड्यूल सहित टोल फ्री बीएसएनएल/ एमटीएनएल नंबर के साथ लैस है। हमारे ग्राहक ग्राहक समन्वय सेल में लॉग-इन करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही, सीआरएम मॉड्यूल पंजीकृत शिकायत के लिए विशिष्ट पहचान संख्या जनित करके ग्राहकों को ऑनलाइन शिकायत पर प्रगति को ट्रैक करने में मदद करता है। प्रकोष्ठ शीर्ष प्रबंधन के लिए शिकायतों के सारांश पर मासिक रिपोर्ट तैयार करता है। नीचे दी गई टेबल में निपटाई गई शिकायत आंकड़ों के विवरण दिए गए हैं–

   वित्तीय वर्ष 2020-21 के शिकायतों का सारांश

पंजीकृत शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या
13222	11799 (89.3%)	1423 (10.7%)

   वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी को सेबी (स्कोर्स) में शेयरधारकों से 02 शिकायतें प्राप्त हुई और सभी का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है।

सिद्धांत 2

1. अपने उत्पादों या सेवाओं में से ऐसे तीन तक सूचीबद्ध करें जिनके अभिकल्प में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिम और / या अवसर शामिल हैं।

   निम्न उत्पाद सामाजिक / पर्यावरण चिंताओं को दूर करने के लिए अभिकल्पित किए गए हैं –

   i. सीवी200 आईसीयू वेन्टीलेटर और हीमोटायलिसिस मशीन

   ii. उच्च आविलता, बैक्टीरिया, विषाणु और लौह अंश के साथ पानी को शुद्ध करने के लिए कंटेनरयुक्त मोबाइल प्रणाली

iii. मल्टी-टीनेन्सी सेंट्रल प्लेटफार्म द्वारा 62 छावनी बोर्ड में 20 लाख से अधिक नागरिकों को नगर पालिकी की सेवाएं प्रदान करने के लिए 'ई-छावनी' ऑनलाइन पोर्टल।

2. प्रत्येक ऐसे उत्पाद के लिए उपयोग किए गए संसाधन (ऊर्जा, पानी, कच्चे माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें, उत्पाद के प्रति इकाई (वैकल्पिक) -

i. संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में पिछले वर्ष के बाद से स्रोतण / उत्पादन / वितरण के दौरान कटौती?

ii. पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग के दौरान (ऊर्जा, पानी) हासिल की गई कटौती?

निर्माण प्रक्रिया स्थिर नहीं है और कई इलेक्ट्रॉनिक घटकों का एकीकरण होता है। उत्पादन में एकीकृत परिपथों के निर्माण से लेकर रेडार आदि तक शामिल हैं। इसलिए, उत्पाद-विशिष्ट जानकारी की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती है। हालांकि, कुल बिजली खपत की मात्रा निर्धारित की गई है।

3. क्या कंपनी के पास निर्वहनीय स्रोतण (परिवहन सहित) की प्रक्रियाएं हैं?

यदि हां, तो आपके निवेश का कितना प्रतिशत स्थायी रूप से स्रोत किया गया था? इसके अलावा, इसके बारे में 50 शब्द या उससे भी अधिक विवरण प्रदान करें।

हां। कंपनी ने स्थायी स्रोतण और दीर्घकालिक पारस्परिक अनुलाभ के लक्ष्य के साथ आपूर्तिकर्ता चयन और कंपनी की विक्रेता निर्देशिका में शामिल करने के लिए सख्त चयन तंत्र स्थापित किया है। कंपनी गुणवत्ता, लागत और वितरण सहित विभिन्न मापदंडों पर नियमित रूप से निगरानी करत हुए आपूर्तिकर्ताओं को प्रतिपुष्टि प्रदान करती है। कंपनी की छवि, नैतिक और पारदर्शी व्यावसायिक व्यवहार और आपूर्तिकर्ताओं के साथ अच्छे संबंध अधिकांश मदों के लिए टिकाऊ होना संभव बनाते हैं।

4. क्या कंपनी ने उनके आस-पास के समुदायों समेत स्थानीय और छोटे उत्पादकों से माल और सेवाओं को खरीदने के लिए कोई कदम उठाएं है?

जी हाँ, बीईएल का मुख्य कारोबार है रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों/ प्रणालियों के विनिर्माण और आपूर्ति, जो मुख्य रूप से रक्षा और चयनित गैर-रक्षा बाज़ारों की आवश्यकताओं के लिए है। कुल कारोबार का लगभग एक तिहाई स्वदेशी रूप से विकसित उत्पादों से सृजित होता है। स्थानीय पूर्तिकर्ताओं से खरीद बढ़ाने के लिए, भारत भर में बीईएल की विभिन्न यूनिटें संबंधित यूनिट के स्थलों के पूर्तिकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए निरंतर पूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रम में लगी हुई है।

इसके अलावा, बीईएल, बेंगलूरु, में स्थित बीईएल की औद्योगिक संपदा में छोटे उद्यमियों के स्वामित्व वाली 16 सहायक यूनिटें भी हैं। उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए इन यूनिटें स्थापित की गई। ये यूनिटें एमएसएमई द्वारा प्रमाणित हैं। सहायक यूनिटों द्वारा उत्पादित उत्पादों में कास्टिंग्स, यांत्रिक पुर्जे, असेंबली, कॉइल एंड ट्रांसफॉर्मर, रक्षा उत्पादों का स्वदेशीकरण, औद्योगिक टेलरिंग, ऊर्जा आपूर्ति और यूपीएस, रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद, शीट धातु उत्पाद, सोलर उत्पाद स्टेनलेस स्टील अनुकूलित उत्पाद और ट्राफिक सिग्नल सिस्टम शामिल हैं।

इन सेवाओं में उन्नत वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की असेंबली और परीक्षण, सीएनसी मशीनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रक्षा उत्पादों का स्वदेशीकरण, पेटिंग और कोटिंग, उत्पाद सुधार और शीट धातु निर्माण शामिल हैं। डिजाइन सेवाओं में शामिल हैं - संचार, उपकरण, कंपोजिट, इलेक्ट्रॉनिक्स, उपकरण, मशीन डिजाइन, रबर और प्लास्टिक उत्पाद, शीट धातु उत्पाद, सेल्टर और मैनपैक, सोलर उत्पाद, उपकरण और जिग्स आदि।

यदि हां, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और सामर्थ्य में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारत भर में मानक घटकों, सामग्रियों और उप-अनुबंध वस्तुओं के लिए कंपनी अद्यतन उत्पन्न करती है और एमएसई सहित स्वीकृत विक्रेता निर्देशिका (एवीडी) का अनुरक्षण भी करती है। यह छोटे और स्थानीय पूर्तिकर्ताओं के लिए कंपनी की आवश्यकताओं के अनुरूप होने की क्षमता और सामर्थ्य में सुधार करके कंपनी के अनुमोदित विक्रेता के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। संबंधित स्थानीय विक्रेताओं से वस्तुओं की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए एवीडी का सभी यूनिटों / एसबीयू द्वारा उपयोग किया जाता है।

पूर्तिकर्ताओं को उनकी क्षमता और सामर्थ्य बढ़ाने में मदद करने हेतु विक्रेता रेटिंग तंत्र के माध्यम से गुणता और सुपुर्दगी रेटिंग सहित उनका मूल्यांकन किया जाता है। इसके अलावा कंपनी मूल्यांकन के लिए क्षमता और सामर्थ्य सहित विभिन्न मानकों पर कड़े मानदंड अपनाती है। पारस्परिक लाभ के लिए उपरोक्त से उत्पन्न होने वाले विभिन्न मुद्दों को कंपनी की वार्षिक पूर्तिकर्ता बैठक के दौरान हल किया जाता है। बीईएल की परीक्षण सुविधाओं को विनिर्माण की सुविधा के लिए घरेलू विक्रेताओं के लिए मामूली दरों पर सुलभ बनाया गया है। बीईएल ने स्वदेशीकरण की दिशा में प्रौद्योगिकी भागीदारों के रूप में एमएसएमई सहित घरेलू विक्रेताओं को शामिल कर सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास प्रक्रिया स्थापित की है। इसके अलावा, कंपनी सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप स्टार्ट-अप को भी सहायता प्रदान करती है।

5. क्या कंपनी के पास उत्पादों और रद्दी को पुन:चक्रण करने के लिए तंत्र है? यदि हां, तो उत्पादों और रद्दी के पुन:चक्रण का प्रतिशत कितना है (अलग से 5%, 5-10%, 10%)। इसके अलावा, विवरण प्रदान करें ।

कंपनी उत्पादों का पुनर्चक्रण नहीं करती है क्योंकि अधिकांश उत्पादों का उपयोग रणनीतिक/राष्ट्रीय सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। ग्राहकों को दिए गए उत्पाद कंपनी को वापस नहीं किए जाते हैं। ग्राहकों को उनके 'एंड-ऑफ-लाइफ' उत्पादों के प्रबंधन और निपटान के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, उन ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की गई हैं जो वैज्ञानिक निपटान के लिए उत्पादों को वापस करने के इच्छुक हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित एजेंसियों के माध्यम से मएंड-ऑफ-लाइफफ उत्पादों को वैज्ञानिक रूप से संसाधित और पुनर्चक्रित किया जाता है।

कंपनी के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के माध्यम से अपने उत्पादों/उपकरणों की निर्माणी प्रक्रिया से अपशिष्ट वितरित करने के लिए एक संरचित तंत्र है। धातु अपशिष्ट, अपशिष्ट तेल,सॉल्वैंट्स और तांबा युक्त अपशिष्ट पदार्थों (100%) को पुनर्चक्रण और पुनर्प्राप्ति के लिए अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को भेजा जाता है । कागज और प्लास्टिक को पुनर्चक्रण करने वालों को सौंप दिया जाता है। इसके अलावा, बायो-मिथेनीकरण संयंत्र में बायोगैस उत्पादन के लिए खाद्य अपशिष्ट का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग हल्का भोजन पकाने के लिए भी किया जाता है।

निर्माणी प्रक्रियाओं से जनित अपशिष्ट जल का उपचार किया जाता है और उत्पादन तथा बागवानी के प्रयोजनों के लिए पूरी तरह पुन:चक्रित किया जाता है ।.

सिद्धांत 3

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या को सूचित करें : 9,172
2. कृपया संविदाधीन/ अस्थायी/ आकस्मिक आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या सूचित करें: 4,473
3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की कुल संख्या को सूचित करें: 2,001
4. कृपया स्थायी दिव्यांग कर्मचारियों की कुल संख्या को सूचित करें:210
5. क्या आपके पास प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ है?: जी, हाँ
6. कितने प्रतिशत के स्थायी कर्मचारी इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य है? : 89.79%

7. **कृपया विगत वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, बलात् श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन-उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की संख्या तथा वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या सूचित करें –**

क्र. सं.	श्रेणी	1 अप्रैल 2020 को लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष 2020-21 के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष 2020-21 के दौरान हल किए गए शिकायतों की संख्या	31 मार्च 2021 को लंबित शिकायतों की संख्या
1.	बाल श्रमिक/ बलात् श्रम/ अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	यौन उत्पीड़न	02	03	03	02
3.	भेदभावपूर्ण नियोजन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

8. **नीचे उल्लिखित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत कर्मचारियों को विगत वर्ष संरक्षा तथा कौशल-उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया?**

क्र. सं.	श्रेणी	संरक्षा संबंधी पहलुओं पर प्रशिक्षित व्यक्तियों का %	कौशल उन्नयन पर प्रशिक्षित व्यक्तियों का %
1.	स्थायी कर्मचारी	25%	92%
2.	स्थायी महिला कर्मचारी	23%	90%
3.	अनियत/अस्थायी/संविदाधीन कर्मचारी	62%	15%
4.	दिव्यांग कर्मचारी	18%	87%

सिद्धांत 4

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक एवं बाह्य पणधारकों को आकलन किया है?

   जी, हाँ

2. उपरोक्त में से क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और हाशिए वाले पणधारकों की पहचान की है?

   जी, हाँ

   i. अ.जा./ अ.ज.जा. कर्मचारी

   ii. दिव्यांग कर्मचारी

   iii. महिला कर्मचारी

3. क्या कंपनी द्वारा वंचित, कमजोर और हाशिए वाले पणधारकों से जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की गई है? यदि ऐसा है, तो इसके बारे में 50 शब्द या उससे भी अधिक विवरण प्रदान करें ।

   अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों और उनके बच्चों के लिए विशेष पहल – अनु.जा./ अनु.ज.जा. कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रबंधन ने स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर डिप्लोमा/ आईटीआई प्रमाणित पाठ्यक्रम सहित डिप्लोमा प्रमाणित पाठ्यक्रम से पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति की स्थापना की है ।

   अनु.जा./ अनु.ज.जा. कर्मचारियों के बच्चे जिनका माता-पिता द्वारा अपर्याप्त देखभाल हो और अपने घर में अध्ययन करने के लिए उचित सुविधाएं नहीं हो उनके लाभ के लिए एक अध्ययन सुविधा केंद्र शुरू किया गया। प्रबंधन द्वारा कक्षाओं, फर्नीचर, पुस्तकालय, आदि जैसी सुविधाओं के साथ एक नए भवन का निर्माण किया गया।

   इसके अलावा अनु.जा./ अनु.ज.जा. कर्मचारियों को उनके वार्ड समेत प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं, कंप्यूटर प्रशिक्षण आदि के लिए कोचिंग जैसी विभिन्न सुविधाएं प्रदान की गई हैं ।

   महिला कर्मचारियों के लिए विशेष पहल- बीईएल अपनी महिला कर्मचारियों को 'सार्वजनिक क्षेत्र में महिला' नामक मंच के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने, महिला कर्मचारियों के बीच बातचीत और विचारों और समस्याओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। यह मंच महिला कर्मचारियों के बीच जागरूकता लाने और संगठन के भीतर स्वस्थ कार्य परिवेश बनाने की दिशा में भी काम करता है।

   बीईएल महिला कर्मचारियों के बीच स्वास्थ्य जागरूकता लाने संबंधित कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। अन्य अस्पतालों के समन्वय से नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच आयोजित की जाती है। इसके अलावा, पोषण, आहार, जीवन शैली प्रबंधन इत्यादि पर जागरूकता बढ़ाने पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

   दिव्यांग कर्मचारियों के लिए विशेष पहल-

   बीईएल विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष भत्ता और सुविधाएं प्रदान करता है जिनमें मुफ्त परिवहन, कंपनी परिवहन का उपयोग न करने वालों के लिए वाहन भत्ता शामिल है, संचलन के लिए कारखाने के भीतर विशेष रैंप, जहां भी आवश्यक हो, विशेष शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं, उपस्थिति रिकॉर्ड करने के लिए अनुग्रह समय और काम की जगह तक वाहन लेने के लिए अनुमति दी गई है। अस्थि दिव्यांग, श्रवण और दृष्टिबाधित दिव्यांग के लिए श्रवण सहायक उपकरण, कैलिपर, एल्यूमीनियम फोल्डिंग स्टिक आदि उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं।.

सिद्धांत 5

1. क्या मानवाधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी को शामिल करती है या समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठन / अन्य को भी शामिल करती है?

   मानव अधिकारों को बीईएल में उपयोग की जाने वाली सभी नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं में निहित किया गया है। मानव अधिकार कंपनी के सभी नीतियां, परस्पर विचार विमर्श एवं आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/ गैर सरकारी संगठनों और अन्य लोगों के साथ वाणिज्यिक संबंध (समूह/ संयुक्त) की मौलिक प्राथमिकता है। इस प्रकार मानवाधिकारों का सम्मान करना बीईएल की सभी कारोबारी प्रक्रियाओं का एक अचूक पहलू है और इसमें बीईएल की कारोबारी गतिविधियों के पूरे क्षेत्र शामिल होते हैं।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने पणधारकों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक ढंग से कितने प्रतिशत को हल किया गया था?

   वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए शिकायतों का सार-:

पंजीकृत शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या
13222	11799 (89.3%)	1423 (10.7%)

   वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी को सेबी (स्कोर्स) के शेयरधारकों से 02 शिकायतें प्राप्त हुई और उन सभी को सफलतापूर्वक निपटा लिया गया है।

सिद्धांत 6

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को शामिल करती है या समूह/ संयुक्त उद्यम/ आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार / गैर सरकारी संगठन/ अन्य लोगों तक विस्तारित की गई है।

   यह केवल कंपनी को शामिल करती है। इसके अलावा, कंपनी के उत्पादों के उपयोग के दौरान पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण प्रबंधन में ग्राहक जागरूकता को बढ़ावा देती है। कंपनी अपने कारोबारी भागीदारों / पूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों को अभिकल्प से निपटान तक पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है।

2. क्या जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने के लिए कंपनी की रणनीति/ पहल हैं? हाँ/ नहीं।

   हां। कंपनी प्रभावी ऊर्जा प्रबंधन उपायों और अक्षय ऊर्जा स्रोतों को अपनाकर जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों का समाधान करती है। ऊर्जा-कुशल चिलर,प्रकाश प्रबंधन प्रणाली,भवन प्रबंधन प्रणाली और दिन के उजाले का संग्रहण जैसी ऊर्जा-बचत की पहल की जाती है। ऊर्जा उत्पादन और कैप्टिव खपत के लिए पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर ज़ोर दिया जा रहा है। कंपनी पूर्ण शून्य ग्रिड ऊर्जा के चरण को प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

3. क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करती है? हाँ/ नहीं।

   जी हाँ । यह ISO14001 मानकों के आधार पर पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के तहत सुव्यवस्थित रूप से स्थापित है। इसके कार्यान्वयन की प्रभावकारिता का सत्यापन के लिए नियमित तौर पर आंतरिक और बाह्य लेखा परीक्षा आयोजित की जाती है ।

4. क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें। इसके अलावा, यदि हाँ, तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की गई है?

   जी, हाँ। कर्नाटक राज्य के दावणगेरे में 2.5 मेगावाट और 8.4 मेगावाट और हसन में 3 मेगावाट क्षमता वाली पवन चक्की के माध्यम से वायु ऊर्जा (हरित ऊर्जा) का उत्पादन ।

   वर्ष 2020-21 के दौरान दावणगेरे और हसन, कार्बन क्रेडिट अर्जित आदि में पवन ऊर्जा संयंत्रों से प्राप्त विद्युत ऊर्जा का विवरण और इनके आरंभ से संचयी नीचे दिए गए हैं-

दावणगेरे 2.5 MW पवन ऊर्जा बिजली संयंत्र (0.5 MW X 5 नग)

क) 2020-21 के दौरान कुल उत्पादन	:	30,49,650 KW घंटे
ख) 2020-21 के दौरान कुल चक्की ऊर्जा	:	27,56,387 KW घंटे
ग) CO2 उत्सर्जन में कमी	:	CO2 समकक्ष के 2,765 टन
घ) कार्बन क्रेडिट	:	15,856 सीईआर
ङ) प्रारंभ से ऊर्जा संचयी	:	4,48,41,613 KW घंटे
च) संचयी CO2 उत्सर्जन में कमी	:	CO2 समकक्ष के 47,880 टन

हासन 3.0 MW पवन ऊर्जा बिजली संयंत्र (1.5 MW X 2 नग)

क) 2020-21 के दौरान कुल उत्पादन	:	33,03,300 KW घंटे
ख) 2020-21 के दौरान कुल चक्की ऊर्जा	:	31,00,000 KW घंटे
ग) CO2 उत्सर्जन में कमी	:	CO2 समकक्ष के 2,989 टन
घ) कार्बन क्रेडिट	:	यूएनएफसीसी के साथ पंजीकृत किया जाना है
ङ) प्रारंभ से ऊर्जा संचयी	:	6,10,58,528 KW घंटे
च) संचयी CO2 उत्सर्जन में कमी	:	CO2 समकक्ष के 70,280 टन

दावणगेरे 8.4 MW पवन ऊर्जा बिजली संयंत्र (2.1MW X 4 नग)

क) 2020-21 के दौरान कुल उत्पादन	:	1,73,40,600 KW घंटे
ख) 2020-21 के दौरान कुल चक्की ऊर्जा	:	1,57,95,000 KW घंटे
ग) CO2 उत्सर्जन में कमी	:	CO2 समकक्ष के 15,871 टन
घ) कार्बन क्रेडिट	:	यूएनएफसीसी के साथ पंजीकृत किया जाना है
ङ) प्रारंभ से ऊर्जा संचयी	:	8,21,57,755 KW हऔ
च) संचयी CO2 उत्सर्जन में कमी	:	CO2 समकक्ष के 87,286 टन

उपर्युक्त उल्लिखित परियोजना के लिए, आवधिक पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दायर करने की आवश्यकता नहीं है।

5. क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के लिए कोई पहल की है? हाँ / नहीं। यदि हाँ, तो कृपया संबंधित वेब पेज का हाइपरलिंक दें ।

हां। प्रदूषण को रोकने के लिए विनिर्माण प्रक्रिया में स्वच्छ प्रौद्योगिकी की अवधारणा का अभ्यास किया जाता है। बीईएल स्रोत पर ही प्रदूषण की रोकथाम करने का प्रयास करती है। इस दिशा में,मौजूदा प्रक्रियाओं में कई सुधार और संशोधन शामिल किए गए हैं। पीसीबी निर्माण और धातु परिष्करण प्रक्रियाओं में कुछ खतरनाक पदार्थ (आरओएचएस) अनुरूप प्रक्रियाओं के कई प्रतिबंध शुरु किए गए हैं। अतिरिक्त पर्यावरण-मैत्रीपूर्ण सामग्रियों का प्रयोग किया गया है, जैसे कम धुआं के हैलोजन केबल,कम वीओसी धातु सज्जा (पॉलीयूरेथेन),साइनाइड मुक्त चांदी,जस्ता और तांबा चढ़ान और त्रिकोणीय क्रोमियम-आधारित क्रोमेट रूपांतरण कोटिंग। फास्टनरों और स्क्रू के लिए ठेक्ह अनुरूप कैडमियम प्लेटिंग विकल्प पर तकनीकी श्रृंखला दस्तावेज़ प्रकाशित किया गया। यह बीईएल के विभिन्न डी एंड ई और गुणवत्ता इंजीनियरों के बीच आरओएचएस अनुपालन के विकल्पों के बारे में जागरूकता फैलाने और अनुपालन में मदद करता है। आईएसओ-प्रोपाइल अल्कोहल के उपयोग की जगह जलीय आधारित क्लीनर का उपयोग करते हुए मुद्रित वायरिंग असेंबली की पर्यावरण-मैत्रीपूर्ण स्वचालित सफाई प्रक्रिया के लिए एक नया मानक जारी किया गया है।

बीईएल ने 13.9-मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र और 4901-केडब्ल्यूपी ग्रिड इंटरएक्टिव रूफटॉप सोलर पीवी पावर संयंत्र स्थापित किया है। 2020-21 के दौरान पवन ऊर्जा संयंत्र से जनित कुल हरित ऊर्जा 216.51 लाख यूनिट है और 21626 एमटी सीओ2 उत्सर्जन से बचा गया । सौर ऊर्जा संयंत्र ने बीईएल की सभी यूनिटों में ऊर्जा की खपत का लगभग 7.7% योगदान दिया। कुल मिलाकर,पूरी कंपनी में अक्षय ऊर्जा का योगदान लगभग 51.2% है। इसके अलावा,निम्नलिखित ऊर्जा संरक्षण उपाय किए गए हैं - ऊर्जा कुशल रेट्रोफिटिंग-एलईडी लाइट्स, डिजिटल एड्रेसेबल लाइटिंग इंटरफेस (डीएएलआई) लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम, डेलाइट हार्वेस्टिंग के लिए स्काई लाइट पाइप, ऑक्यूपेंसी-आधारित लाइटिंग, बीएलडीसी पंखे,स्टार-रेटेड ऊर्जा कुशल ट्रांसफार्मर।

सभी नए भवनों में और भविष्य के सभी भवनों में ङ्गग्रीनफ बिल्डिंग की अवधारणा अपनाने से बीईएल को इंटीग्रेटेड हैबिटाट असेसमेंट (गृहा) श्रेणी के अनुपालन के लिए ग्रीन रेटिंग की अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

6. क्या कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन / अपशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी/ एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमत सीमा के भीतर हैं?

जी, हाँ। इसकी बारीकी से निगरानी और रिपोर्ट की जा रही है।

7. वित्तीय वर्ष के अंत तक सीपीसीबी / एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओं / कानूनी नोटिसों की संख्या लंबित है (अर्थात संतुष्टिपूर्वक समाधान नहीं किया गया है) -

शून्य, कंपनी के पर्यावरण प्रबंधन और अनुपाल का अच्छा रिकॉर्ड है।

सिद्धांत 7

1. क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चैंबर या संघ का सदस्य है? यदि हां, तो केवल प्रमुख का नाम दें-

क फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई)

ख भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)

ग भारत के वाणिज्य और उद्योग के एसोसिएटेड चैंबर (एसोचैम)

घ सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (एससीओपीई)

2. क्या आपने उपरोक्त संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक सुधार या प्रगति के लिए वकालत/ पक्ष-प्रचार की है? हाँ/नहीं; यदि हां, व्यापक क्षेत्रों को निर्दिष्ट करें (ड्रॉप बॉक्स- शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यापार सिद्धांत, अन्य)।

जी, हाँ । जब भी नीति दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं, तब सुझाव दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, नीतियों पर हमारे विचार को प्रकट करने के लिए संगोष्ठियों / कार्यशालाओं में भी भाग लिया जाता है।

सिद्धांत 8

1. क्या कंपनी ने सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कार्यक्रम / पहलों / परियोजनाओं को निर्दिष्ट किया है? यदि हाँ इसका विवरण दें।

जी,हाँ। कंपनी अपनी कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन के प्रयास के पोषित मूल्यों को आगे बढ़ा रही है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 को विभिन्न स्पष्टीकरणों, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी संशोधनों के साथ

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के रूप में तैयार किया है। सीएसआर कार्यक्रम/ पहल/ परियोजनाएं कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-सातवीं के अनुरूप की गई हैं, जो कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति में विधिवत शामिल है और हमारे सभी कार्यक्रमों के मार्गदर्शी सिद्धांत है ।

कंपनी द्वारा कार्यान्वित की जा रही सीएसआर पहल व्यापक रूप से निम्न क्षेत्रों में हैं-

- स्वास्थ्य देखभाल और निवारण स्वास्थ्य देखभाल
- शिक्षा
- व्यावसायिक कौशल विकास
- ग्रामीण विकास
- पर्यावरणीय निर्वहनीयता

सामुदायिक विकास के लिए केंद्रित सीएसआर कार्यक्रमों/ परियोजनाओं के रणनीतिक, योजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए एक द्विस्तरीय संगठनात्मक संरचना तैयार की गई है ।

2. फाउंडेशन/ बाहरी एनजीओ/ सरकारी संरचनाओं/ किसी अन्य संगठन?

कंपनी में सीएसआर पहल संस्थागत टीम द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

3. क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभावी मूल्यांकन किया है?

बीईएल की यूनिटों की संस्थागत टीमें सीएसआर परियोजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए समय-समय पर प्रभाव मूल्यांकन करती हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान,कंपनी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के तहत निर्मित शौचालयों का मूल्यांकन उनकी उपयोगिता और रखरखाव के लिए किया गया। इसके अलावा,बोर्ड की सीएसआर समिति कार्यान्वयन की प्रगति का निरीक्षण और समीक्षा करने के लिए समय-समय पर सीएसआर परियोजना स्थलों का दौरा करती है,बीईएल द्वारा कार्यान्वित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए संबंधित सभी हितधारकों के साथ बातचीत करती है।

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है- आईएनआर में राशि और परियोजनाओं के ब्योरे दें?

वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी द्वारा विभिन्न सीएसआर कार्यक्रमों / परियोजनाओं पर रु. 4688.46 लाख राशि आबंटित की गई थी। वर्ष के दौरान किए गए कुछ प्रमुख कार्यक्रम सीएसआर गतिविधियों पर रिपोर्ट यानी अनुलग्नक - 2 में दिए गए हैं।

5. क्या आपने इन समुदाय विकास पहलों को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गए हैं, सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं? कृपया बताएँ ।

   i. कंपनी ने सामुदायिक विकास की ओर केंद्रित सीएसआर परियोजनाओं / कार्यक्रमों की पहचान करने और उन्हें लागू करने के लिए एक व्यापक प्रक्रिया स्थापित की है। किसी भी प्रकार का सीएसआर मध्यवर्तन विभिन्न प्रकार्यों की संस्थागत टीम के मूल्यांकन की आवश्यकता के साथ शुरू किया जाता है। आवश्यकताओं को समुदाय के साथ विचार कर और स्थानीय प्रशासन के परामर्श से प्राथमिकता दी जाती है। अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान, समुदाय/ स्थानीय प्रशासन के विचार प्राप्त किए जाते हैं और सुधार पर विचार किया जाता है, इस प्रकार, समुदाय द्वारा सीएसआर परियोजना को सफलतापूर्वक अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया जाता है।

   ii. कंपनी कोविड-19 के खिलाफ देश की जंग में सहयोग देने का हर संभव प्रयास कर रही है। सीएसआर पहल जैसे प्रवासी मजदूरों / संगरोध केंद्र के लोगों को सूखा राशन किट का वितरण, देश भर के अस्पतालों में कोविड संबंधी चिकित्सा उपकरण प्रदान करना,कोविड-केयर अस्पतालों की स्थापना आदि का समर्थन करने के प्रयासों समुदाय को सीधे तौर पर प्रभावित किया है।

सिद्धांत 9

1. वित्तीय वर्ष के अंत तक ग्राहक शिकायतों / उपभोक्ता मामलों का कितना प्रतिशत लंबित है।

यथा 31 मार्च 2021 तक कुल 1423 शिकायतें लंबित हैं । यह पंजीकृत कुल शिकायतों का 10.7% प्रतिशत है। ग्राहक शिकायत का निपटान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कंपनी दोषों का निवारण इस प्रकार से करती है कि उपकरण का निष्क्रिय समय कम से कम हो । हमारी उत्पाद समर्थन टीम उत्पादों के स्थान के बहुत करीब स्थित हैं और कम समय में पहुंचने में सक्षम होंगे । 31 मार्च 2021 तक कोई कानूनी मामला लंबित नहीं है ।

1. क्या कंपनी उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य हद तक या उससे अधिक प्रदर्शित करती है? हां / नहीं / लागू नहीं / टिप्पणियां (अतिरिक्त जानकारी)

बीईएल रक्षा क्षेत्र का सार्वजनिक उपक्रम है, उत्पाद की जानकारी

संवेदनशील और वर्गीकृत है। इसलिए, कोई उत्पाद जानकारी प्रदर्शित नहीं की जाती है।

2. क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार प्रथाओं, गैर जिम्मेदार विज्ञापन और / या विरोधी प्रतिस्पर्धी व्यवहार के संबंध में कंपनी के खिलाफ किसी भी पणधारक द्वारा दायर कोई मामला दर्ज किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित है? यदि हां, तो विवरण प्रदान करें।

इस वित्तीय वर्ष यानी 2020–21 और पिछले पांच वर्षों से पणधारक द्वारा दायर कंपनी के खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है।

3. क्या आपकी कंपनी ने उपभोक्ता सर्वेक्षण / उपभोक्ता संतुष्टि की पहल की है?

जी, हाँ। समय–समय पर ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है और संतुष्टि स्तर में सुधार के लिए सर्वेक्षण के परिणाम का उपयोग किया जाएगा।

कृते मंडल की ओर से

बेंगलुरु
31 अगस्त 2021

आनंदी रामलिंगम
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए

हम यह संशोधित रिपोर्ट आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी रिपोर्ट के संबंध में भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए प्रेक्षणों के अनुपालन में जारी कर रहे हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2021 तक का तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्राप्ति का विवरण और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है जिनमें गाज़ियाबाद, पंचकूला, कोटद्वार, पुणे, नवी मुंबई और मछिलिपट्टण में स्थित कंपनी की शाखाओं के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित, उस तारीख को समाप्त वर्ष की विवरणियाँ शामिल हैं ।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2021 को कंपनी के कार्यकलापों और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन और उसकी नकदी प्राप्ति के संबंध में भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सच्ची और सही स्थिति दर्शाते हैं।

अभिमत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों (एस.ए.) के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के *स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों* खंड में अतिरिक्त रूप से बताया गया है। हम नैतिक अपेक्षाएँ जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ–साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, अत: हमने इन अपेक्षाओं तथा आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे अभिमत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं ।

लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले

लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले वे हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे । स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में इन मामलों पर संपूर्ण रूप से विचार किया गया और उन पर हमारी राय निर्धारित करने में, हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले लेखा–परीक्षा के प्रमुख मामलों के रूप में नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण किया है–

क्र. सं.	लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले	लेखा परीक्षक के उत्तर
1	भारतीय लेखा मानक 115 - ग्राहकों की संविदा से राजस्व के प्रति राजस्व तथा संबंधित शेषों का अभिचिह्नन, मापन, प्रस्तुति और प्रकटण की सटीकता । इस मानक के अनुप्रयोग में सुस्पष्ट कार्य–निष्पादन देयताओं की पहचान, प्रत्येक अभिचिह्नित कार्य–निष्पादन देयता के लिए लेनदेन कीमत का निर्धारण, समय के दौरान या किसी निश्चित समय ऐसी कार्य–निष्पादन देयताओं को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त निर्णयों का आंकलन शामिल है। इसके अतिरिक्त, इस मानक के अनुप्रयोग में संविदा को प्राप्त करने या उसे पूरा करने में उपगत लागत की राशि को अभिचिह्नित करने में प्रयुक्त निर्णय और वे अवधियाँ भी शामिल होती हैं जिनमें रिपोर्टिंग की तारीख के बाद कार्य–निष्पादन की देयताएँ पूरी की जाती हैं।	**लेखा परीक्षा की प्रमुख प्रक्रियाएँ** हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में आंतरिक नियंत्रणों तथा इस मानक के अनुप्रयोग के संबंध में उनकी प्रचालनीय प्रभावशीलता की पहचान शामिल है। हमने ऐसे लेनदेनों की सारभूत जाँच भी की है। (i) चालू संविदाओं और नए संविदाओं के नमूने का चयन किया और कार्य–निष्पादन देयताओं की पहचान की और उसकी तुलना कंपनी द्वारा अभिचिह्नित कार्य–निष्पादन देयता के साथ की । (ii) संविदा में विशिष्ट रूप से उल्लेख न किए जाने पर अभिचिह्नित कार्य–निष्पादन देयता हेतु लेनदेन कीमत के आबंटन के आधार का सत्यापन किया।

क्र. सं.	लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले	लेखा परीक्षक के उत्तर
	(स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 23 देखें और लेखा नीतियों का क्र.सं. 5 देखें)	(iii) कार्य-निष्पादन देयता पूरी करना निर्धारित करने के आधार की पहचान की गई और उसकी तुलना कंपनी द्वारा समय के दौरान या किसी निश्चित समय पर कार्य-निष्पादन देयता पूरी करना निर्धारित करने में प्रयुक्त निर्णयों के साथ की गई । (iv) वचनबद्ध माल या सेवाओं के लिए कार्य-निष्पादन देयता पूरी करना निर्धारित करने हेतु विचार किए गए उचित साक्ष्यों का सत्यापन किया गया। (v) ऐसी संविदाओं के संबंध में जहाँ कार्य-निष्पादन देयता पूरा करना समय पर निर्भर है, हमने राजस्व को अभिचिह्नित करने क लिए कंपनी द्वारा अभिचिह्नित विधि का सत्यापन किया और यह सुनिश्चित किया कि ऐसी विधियाँ कार्य-निष्पादन देयता की प्रकृति पर विचार करते हुए उपयुक्त हैं। (vi) ऐसी लागतों की पहचान करने के लिए कंपनी द्वारा प्रयुक्त निर्णयों का सत्यापन किया जो संविदा को प्राप्त करने या पूरा करने में उपगत हुईं और जिस अवधि में ऐसी लागतों को परिशोधित किया जाएगा। (vii)शेष कार्य-निष्पादन देयताओं को पूरा करने के लिए कंपनी के पास उपलब्ध योजना की समीक्षा की जिन्हें ऐसी अवधियों से संबंधित प्रकटण तैयार करने हेतु ग्राहक के आदेश में निर्धारित सुपुर्दगी शर्तों के आधार पर अभिचिह्नित किया गया जिनमें शेष पूरी न की गई या आंशिक रूप से पूरी की गई कार्य-निष्पादन देयताएँ रिपोर्टिंग तिथि के बाद पूरी की जानी हैं।
2	दुर्वह संविदाओं के संबंध में महत्वपूर्ण अनुमान। ऐसी संविदाएँ जो दुर्वह बन गई हैं, के संबंध में कार्य-निष्पादन देयताएँ पूरी करने हेतु अपरिहार्य लागतों का प्राक्कलन करना महत्वपूर्ण है। इस प्राक्कलन में कार्य-निष्पादन देयताओं को पूरा करने में अपरिहार्य लागतों का अनुमान लगाने की अंतर्निहित सीमा है। (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 21 और लेखा नीतियों का क्र.सं. 23 देखें)	**लेखा परीक्षा की प्रमुख प्रक्रियाएँ** हमने दुर्वह संविदाओं तथा ऐसी संविदाओं को पूरा करने की लागत की पहचान करने के लिए उपलब्ध आंतरिक नियंत्रणों के संबंध में कंपनी के प्रबंधन से पूछताछ की है । (i) चालू और मौजूदा संविदा के नमूने चुने और ऐसी संविदा को पूरा करने में उपगत लागत और प्राक्कलित लागतों के लिए नियंत्रणों की प्रभावशीलता की जाँच की। (ii) आंतरिक नियंत्रणों और दुर्वह संविदाओं के लिए साथ ही, अपरिहार्य लागतों के प्राक्कलन निर्धारित करने की समुचित प्रक्रियाओं की जाँच की। (iii) दुर्वह संविदाओं के संबंध में कार्य-निष्पादन देयताओं को पूरा करने के लिए अपरिहार्य लागतें तय करने के आधार का प्राक्कलन करने के लिए उपलब्ध आंतरित नियंत्रणों का सत्यापन किया और उन्हें समझा। (iv) कार्य-निष्पादन देयताओं को पूरा करने के लिए जारी क्रय आदेशों का सत्यापन किया और ऐसी शेष लागतों की पहचान की जिन्हें शेष कार्य-निष्पादन देयताओं को पूरा करने में उपगत किया जाना है।

क्र. सं.	लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले	लेखा परीक्षक के उत्तर
		(v) संबंधित संविदाओं पर उपगत लागतों की पहचान करने के लिए आंतरिक नियंत्रणों का सत्यापन किया और यह सुनिश्चित किया गया कि संविदा की संबंधित लागत ही दर्ज की जाती है। (vi) जुर्माने के संबंध में शेष कार्य–निष्पादन देयताओं के प्रति संविदा कीमत में संभावित कटौतियों का सत्यापन किया। (vii) उपगत लागत तथा उपगत किए जाने वाले अनुमानित लागत के औचित्य की विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं और जाँच पूरी की।
3	समय के दौरान कार्य–निष्पादन देयता को पूरा करने की अनुमानित लागत के संबंध में महत्वपूर्ण प्राक्कलन किए गए । इस प्राक्कलन में कार्य–निष्पादन देयताओं को पूरा करने की लागत का अनुमान लगाने की निश्चितता की अंतर्निहित सीमा है। (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 23 और लेखा नीतियों का क्र.सं. 5 देखें)	**लेखा परीक्षा की प्रमुख प्रक्रियाएँ** हमने ऐसी संविदाओं की पहचान करने के लिए उपलब्ध आंतरिक नियंत्रणों के संबंध में कंपनी के प्रबंधन से पूछताछ की है जहाँ समय के दौरान कार्य–निष्पादन देयताएँ पूरी की गई हैं । (i) चालू और मौजूदा संविदाओं के नमूने चुने और उपगत लागत तथा प्राक्कलित लागतों के लिए नियंत्रणों की प्रभावशीलता की जाँच की। (ii) आंतरिक नियंत्रणों और साथ ही संविदा को पूरा करने के लिए किए गए प्राक्कलन निर्धारित करने की समुचित प्रक्रियाओं की जाँच की। (iii) कार्य–निष्पादन देयताओं को पूरा करने के लिए जारी क्रय आदेशों का सत्यापन किया और ऐसी शेष लागतों की पहचान की जिन्हें शेष कार्य–निष्पादन देयताओं को पूरा करने में उपगत किया जाना है। (iv) संबंधित संविदाओं पर उपगत लागतों की पहचान करने के लिए आंतरिक नियंत्रणों का सत्यापन किया और यह सुनिश्चित किया गया कि संविदा की संबंधित लागत ही दर्ज की जाती है। (v) कंपनी के प्रबंधन के साथ चर्चा की और इस बात का विश्लेषण किया कि प्राक्कलित लागत ऐसे कार्यों के लिए है जो कार्य–निष्पादन देयताओं को पूरा करने के लिए लंबित हैं। (vi) उपगत लागत तथा उपगत किए जाने वाले अनुमानित लागत के औचित्य की विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं और जाँच पूरी की।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है । अन्य सूचना में बोर्ड की रिपोर्ट शामिल है जिसमें इसके अनुलग्नक, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और शेयरधारकों की सूचना शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उन पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारे लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना और ऐसा करते समय यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वास्तविक रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के असंगत है या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा वास्तविक रूप से गलत बताया गया है या नहीं।

यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसी अन्य जानकारी में वास्तविक रूप से गलत कथन दिए गए हैं तो हमें ऐसे तथ्य की रिपोर्ट करनी होगी। इस संबंध में हम कोई रिपोर्ट नहीं करते हैं ।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और गवर्नेंस का कार्य सौंपे गए लोगों का उत्तरदायित्व

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित, भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन, कुल व्यापक आय, स्टैंडअलोन इक्विटी में परिवर्तन तथा नकदी प्राप्तियों की सच्ची और सही स्थिति प्रदान करते हैं, तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है । इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए तथा धोखाधड़ीथा अन्य अनियमितताओं से रोकथाम करने और उनका पता लगाने; उचित लेखा नीतियों का चयन और लागू करने; उचित और दूरदर्शी निर्णय लेने और अनुमान लगाने; और समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करने, लागू करने और बनाए रखने जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, जो सच्ची और सही स्थिति दर्शाते हैं और महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों से मुक्त हैं, चाहे कपट या त्रुटि से क्यों न हों, जिसका उपयोग यथा उपरोक्त कंपनी के निदेशकों द्वारा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के प्रयोजन के लिए किया गया, को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित, लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित हो रहे थे, के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा अभिलेख रखना शामिल है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन सक्रिय व लाभप्रद कारोबार को जारी रखने में कंपनी की योग्यता का आंकलन करने, सक्रिय व लाभप्रद कारोबारी से संबंधित मामलों का यथा लागू प्रकटण करने और लेखों का सक्रिय व लाभप्रद कारोबार के आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है जब तक कि प्रबंधन का आशय कंपनी को परिसमाप्त करना न हो या कामकाज बंद करना न हो या ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न हो ।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए भी उत्तरदायी है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस संबंध में औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पूर्णत: महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे वे कपट या त्रुटि के कारण हों, और अपने विचार के समर्थन में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है ।

औचित्यपूर्ण आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है परंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा विद्यमान होने पर हमेशा किसी महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता लगाएगी। मिथ्याकथन कपट या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें वैयक्तिक रूप से या सकल रूप से महत्वपूर्ण माने जाने पर, वे इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को पर्याप्त रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

एस.ए. के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हमने पेशेवर निर्णय लिया है और संपूर्ण लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संशयवाद बनाए रखा है । हमने –

- कपट या त्रुटि, डिज़ाइन के कारण इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों के जोखिमों की पहचान भी की है और उनका आंकलन भी किया है और ऐसे जोखिमों को कम करने वाली लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ पूरी की है और हमारे विचार का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है। कपट के परिणामस्वरूप किसी महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले मिथ्याकथन से अधिक होता है क्योंकि कपटपूर्ण कार्य में मिली-भगत, धोखाधड़ी, जानबूझकर विलोपन, गलत-बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल होता है।
- परिस्थितियों के लिए उचित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के संगत आंतरिक नियंत्रण को भी समझा है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या ग्रूप और उसके संबद्ध में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखा प्राक्कलनों तथा संबंधित प्रकटणों की औचित्यता का भी मूल्यांकन किया है।

- लेखांकन के सक्रिय व लाभप्रद कारोबार आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्कतता का भी निष्कर्ष निकाला है और लेखा परीक्षा से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर, चाहे कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने की ग्रूप और उसके संबद्ध की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा करने वाली घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता हो या न हो । यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण निश्चितता है, तो हमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटणों के लिए अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकृष्ट करना होगा या यदि ऐसे प्रकटण समुचित नहीं हैं तो अपने विचार में संशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। बहरहाल, भावी घटनाएँ या परिस्थितियाँ ग्रूप और उसके संबद्ध को कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखना समाप्त कर सकती हैं।

- प्रकटण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना एवं सामग्री का मूल्यांकन भी किया है और इस बात का भी मूल्यांकन किया है कि क्या ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं को उस तरह से दर्शाते हैं कि उनका उचित प्रस्तुतीकरण किया जा सके।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में मिथ्याकथनों की मात्रा की महत्ता होती है जो वैयक्तिक रूप से या सकल रूप से इसकी संभावना बनाते हैं कि इन वित्तीय विवरणों का उचित ज्ञान रखने वाले प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हमने (i) अपनी लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी अभिचिह्नित मिथ्याकथन के प्रभाव का आंकलन करने में प्रमात्रात्मक महत्ता और गुणात्मक कारकों पर विचार किया है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पाई गई आंतरिक नियंत्रण की किसी उल्लेखनीय कमी सहित, लेखा परीक्षा और उल्लेखनीय लेखा परीक्षा के उल्लेखनीय परिणामों के योजित कार्यक्षेत्र और समय के संबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी, ऐसे अन्य संस्थान, जो इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल है और जिनके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, के ऐसे लोग जिन्हें गवर्नेंस का कार्य सौंपा गया है, से बातचीत की है ।

हमने गवर्नेंस का कार्य सौंपे गए लोगों को ऐसे विवरण भी प्रदान किए हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधी संगत नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है और उन्हें ऐसे सभी संबंधों तथा अन्य मामलों के बारे में बताया है जिन्हें हमारी स्वतंत्रता से उचित ढंग से संबद्ध माना जा सकता है और जहाँ लागू हो, संबंधित बचाव किए गए हैं।

गवर्नेंस का कार्य सौंपे गए लोगों को बताए गए मामलों में से, हमने ऐसे मामलों को लिया जो चालू अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे, इसलिए लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले हैं। इन मामलों का वर्णन हमने अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में किया है जब तक कि ऐसे मामले का प्रकटण कानून या विनियम द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह तय करते हैं कि मामले की सूचना हमारी रिपोर्ट में दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसी सूचना के लोक हित अनुलाभ से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरमों पर अपने विचार तय करने में शाखा लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित 6 शाखाओं की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।

अन्य मामले

हमने कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल छः शाखाओं के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2021 को रु. 5,90,774 लाख की कुल परिसंपत्तियाँ और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए रु. 4,30,633 लाख के कुल राजस्व को दर्शाते हैं जैसा कि इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है । इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकि रिपोर्ट हमें दी गई है और जहां तक हमारे विचार इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटणों से संबंधित हैं, पूरी तरह ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

उक्त मामले के संबंध में हमारा विचार संशोधित नहीं है ।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("ऑर्डर") में की गई अपेक्षा अनुसार, अनुलग्नक-क में हमने लागू सीमा तक उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण प्रस्तुत किया है।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) में बताई गई आवश्यकता अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि-

   क) हमने ऐसी सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त किया जो जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास है, हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

   ख) हमारे विचार से, जहाँ तक खाता बहियों के हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है, कंपनी ने कानून द्वारा यथा आवश्यक, उचित लेखा बहियाँ रखी हैं। बेंगलूरु कॉम्पलेक्स, हैदराबाद और चेन्नै यूनिटों तथा कार्पोरेट कार्यालय के खातों की लेखा परीक्षा हमारे द्वारा की गई जबकि गाज़ियाबाद, पंचकूला, कोटद्वार, पुणे, नवी मुंबई और मछिलिपट्टणम यूनिटों की लेखा परीक्षा संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई। हमने अपनी रिपोर्ट तैयार करते

समय इन शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार किया। न्यू यॉर्क, सिंगापुर और अन्य कार्यालयों के मामले में, जिनका दौरा हमने नहीं किया, उक्त कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ / अभिलेख का सत्यापन किया गया और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ उन्हें समुचित पाया गया।

ग) अधिनियम की धारा 143(8) के तहत शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित कंपनी के शाखा कार्यालयों के लेखों की रिपोर्ट (गाज़ियाबाद, पंचकूला, कोटद्वार, पुणे, नवी मुंबई और मछिलिपट्टणम यूनिटों के संबंध में) हमें भेजी गई और इस रिपोर्ट को तैयार करने में उस पर उचित रूप से विचार किया गया।

घ) इस रिपोर्ट में व्यवहरित तुलन पत्र, लाभ व हानि की विवरणी, अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी तथा नकदी प्राप्ति विवरणी कंपनी की लेखा बहियों और कार्यालय जिनका दौरा हमने नहीं किया, से प्राप्त विवरणियों के अनुरूप हैं ।

ङ) हमारे विचार से, उक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाना है, में निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का पालन करते हैं।

च) चूँकि कंपनी सरकारी कंपनी है, निदेशकों की अनर्हता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनीय प्रभावशीलता के संबंध में, अनुलग्नक–ख में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

ज) कंपनी अधिनियम, 2013, यथा संशोधित, की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में –

चूँकि कंपनी सरकारी कंपनी है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 जिसे अनुसूची त के साथ पढ़ा जाना है, द्वारा अनिवार्य बनाए गए अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

झ) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे विचार से तथा जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार –

i. कंपनी ने 31 मार्च 2021 के अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है – स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 30(8) देखें।

ii. कंपनी ने दीर्घकालीन संविदाओं पर महत्वपूर्ण पूर्वानुमान योग्य हानि, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या लेखा मानकों के तहत यथा अपेक्षित प्रावधान किए हैं – स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 21 देखें। कंपनी में कोई व्युत्पन्नी संविदा नहीं है – स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 30(15) देखें।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि को अंतरित की जाने वाली राशि में कोई विलंब नहीं किया गया।

3. अधिनियम की धारा 143(5) में की गई अपेक्षा अनुसार, हमने भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों, उन पर की गई कार्रवाई और "अनुलग्नक–ग" में कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर उनके प्रभाव पर विचार किया है।

कृते **सूरी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 004283S

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118
यू.डी.आई.एन.– 21223118AAAAEB5575

स्थान – बेंगलूरु
दिनांक–17.08.2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

(हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट में संदर्भित)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक के अनुसार, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि -

i) क) कंपनी ने अपनी अचल परिसंपत्तियों के प्रमात्रात्मक विवरण और परिस्थितियाँ सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए सामान्य रूप से उचित अभिलेख रखे हैं।

ख) हमें बताए गए अनुसार और अभिलेखों के हमारे परीक्षण के आधार पर, प्रबंधन ने सामान्य रूप से अपने वास्तविक सत्यापन के चरणबद्ध प्रोग्राम के अनुसार अचल परिसंपत्तियों के एक हिस्से का वास्तविक सत्यापन किया है जिसे कंपनी के आकार और उसकी अचल परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए समुचित माना गया है। इस प्रोग्राम के अनुसार, वर्ष के दौरान कुछेक अचल परिसंपत्तियों का सत्यापन किया गया और वर्ष के दौरान विसंगति, यदि कोई हो, ऐसे सत्यापन पर उचित ढंग से निपटा गया। हमें दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष के दौरान ऐसे सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं देखी गई।

ग) हमें बताए गए अनुसार और अभिलेखों के हमारे परीक्षण के आधार पर, अचल संपत्तियों के हक विलेख कंपनी के नाम पर है सिवाय उनके जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 1(xiv) (सी),(ई),(जी) और टिप्पणी सं. 3(xiii)(ए) में उल्लिखित हैं।

ii) कंपनी द्वारा उचित अंतराल पर वस्तुसूची (तृतीय पक्षकारों के पास मौजूद स्टॉक और मार्गस्थ सामग्री को छोड़कर) का वास्तविक सत्यापन किया गया है। हमें सूचित किया गया है कि ऐसे सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई। ऐसे सत्यापन पर देखी गई विसंगतियों के संबंध में लेखा बहियों में उचित प्रावधान किया गया है।

उप-ठेकेदारों के पास मौजूद सामग्री के संबंध में, सामान्य रूप से पुष्टिकरण प्राप्त किया जाता है और लेखा बहियों में उनका समाधान किया जाता है। बहरहाल, ऐसी मदों के मामले में जिनके लिए कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई और जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, कंपनी ने लेखा बहियों में उनका समुचित प्रावधान किया है।

iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 ("एक्ट") की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में दर्ज सहायक कंपनी को गैर-जमानती ऋण प्रदान किया है । कंपनी अधिनियम की धारा 189 में रखे गए रजिस्टर में शामिल फर्मों या अन्य पक्षकारों को कोई ऋण नहीं दिया है।

क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा पूरी की गई लेखा परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर, हमारा विचार है कि कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में दर्ज अपनी सहायक कंपनी को दिए गए ऋण के निबंधन व शर्तें, प्रथम दृष्ट्या, कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं हैं।

ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, मूलधन की चुकौती और ब्याज के भुगतान की अनुसूची वर्णित है और चुकौती नियमित है।

ग) अधिनियम की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में दर्ज सहायक कंपनी को दिए गए ऋण के संबंध में कोई अतिदेय राशि नहीं है।

iv) चूँकि कंपनी सरकारी कंपनी है, ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों तथा कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 या कोई अन्य संबंधित प्रावधान और उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी ने चालू वर्ष में सार्वजनिक से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है। हमें सूचित किया गया कि कंपनी विधि बोर्ड या राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी न्यायालय अथवा किसी अन्य ट्रिब्यूनल द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया ।

सभी जमा राशियाँ परिपक्व हो गई हैं उनका निपटान कर दिया गया है सिवाय रु. 36.95 लाख के, जिसमें से रु. 36.50 लाख को लोकायुक्त, बेंगलूरु के गारनिशी आदेश के अनुसार रोक रखा गया है और शेष रु. 0.45 लाख हालांकि परिपक्व हो गया है, कानूनी मामलों के कारण अदत्त है।

vi) हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) (डी) के तहत लागत अभिलेख रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्णित कंपनी (लागत अभिलेख व लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के तारतम्य में कंपनी द्वारा रखी गई लागत संबंधी सामग्री, श्रम व अन्य मदों से संबंधित लेखा बहियों की व्यापक समीक्षा की है और हमारा विचार है कि प्रथम दृष्ट्या, निर्धारित लागत लेखे और अभिलेख बनाए और रखे गए हैं। बहरहाल, वे सटीक या संपूर्ण हैं यह निर्धारित करने की दृष्टि से हमने लागत अभिलेखों का विस्तृत परीक्षण नहीं किया है।

vii) क) लेखा बहियों के हमारे परीक्षण और हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारे विचार से कंपनी भविष्य निधि, आय कर, माल व सेवा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क तथा उपयुक्त प्राधिकरणों पर लागू अन्य सांविधिक देय राशियों सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों को जमा करने में नियमित है। 31 मार्च 2021 को कोई अविवादित सांविधिक देय राशि उनके प्रदेय होने की तारीख से छः महीनों से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण और हमें दिए गए अभिलेखों के अनुसार, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर तथा अन्य कर जिन्हें विवाद के कारण 31 मार्च, 2021 को जमा नहीं किया गया, इस प्रकार हैं –

सांविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वित्तीय वर्ष जिससे राशि संबंधित है	राशि (रु. लाख में)	फोरम जहाँ विवाद लंबित है
आय कर अधिनियम, 1961	कर निर्धारण आदेशों के अनुसार अस्वीकृतियाँ	2008-09, 2009-10, 2011-12 से 2013-14, 2015-16 से 2017-18	2765.37	आय कर आयुक्त (अपील)
वित्त अधिनियम, 1994 का अध्याय V	सेवा कर	2005-06 से 2008-09, 2011-12, 2014-15 और 2015-16	1149.40	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी)
वित्त अधिनियम, 1994 का अध्याय V	सेवा कर	2010-11 से 2017-18	568.77	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी)
सीमा शुल्क अधिनियम	सीमा शुल्क	2015-16	427.80	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी)
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	मोडवैट क्रेडिट और उत्पाद शुल्क	1991-92	29.69	आयुक्त अपील
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	उत्पाद शुल्क पर ब्याज	2011-12 2012-13	243.87	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी)
सीमा शुल्क अधिनियम	सीमा शुल्क	2012-13	25.45	सीमा शुल्क आयुक्त
विक्रय कर अधिनियम, बिहार	बिहार विक्रय कर के तहत विवादित कर	1995-96 से 1997-98	66.44	वाणिज्यिक कर आयुक्त (अपील), चिरकुंडा, बिहार
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	30 जून, 2017 तक	60.93	अधीक्षक रेंज 34, संभाग तखख, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश
आंध्र प्रदेश राज्य वैट अधिनियम	विक्रय कर	2009-10	21.66	वाणिज्यिक कर अधिकारी, नामपल्ली, हैदराबाद
तमिल नाडु सामान्य विक्रय कर अधिनियम	विक्रय कर	2007-08 से 2009-10	48.00	तमिल नाडु विक्रय कर अपीलीय ट्रिब्यूनल
खाली भूमि कर	खाली भूमि	1998-99 से 2003-04	10.35	निदेशक, नगर पंचायत निदेशालय, चेन्नै
शहरी भूमि कर	शहरी भूमि कर	1984-85 से 2002-03	41.44	प्रधान आयुक्त एवं भूमि सुधार आयुक्त
ई.एस.आई. अधिनियम, 1948	ई.एस.आई. अंशदान, ब्याज तथा वसूली की लागत	1992-1993, 1998-2001	30.43	माननीय उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश
ई.एस.आई. अधिनियम,1948	विलंब जमा के लिए ब्याज और क्षतिपूर्ति	2000-01	3.52	माननीय उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़

सांविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वित्तीय वर्ष जिससे राशि संबंधित है	राशि (रु. लाख में)	फोरम जहाँ विवाद लंबित है
उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	व्यापार कर एवं ब्याज	2001-02	220.08	माननीय उच्च न्यायालय,, उत्तराखंड, नैनीताल
स्थानीय निकाय कर	स्थानीय निकाय कर	2016-17 तथा 2017-18	58.23	सहायक आयुक्त, पनवेल नगर पालिका निगम
विक्रय कर	विक्रय कर	2008-09	58.85	राजस्थान कर बोर्ड
केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956	केंद्रीय विक्रय कर	2014-15	8.64	अपर आयक्त, वाणिज्यिक कर, गाज़ियाबाद
वाणिज्यिक कर	वाणिज्यिक कर	2011-12 से 2013-14	31.83	वाणिज्यिक कर अधिकारी, राजस्थान
केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956	केंद्रीय विक्रय कर	2016-17	2728.91	संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील)
कर्नाटक मूल्य वर्धित कर, 2003	कर्नाटक मूल्य वर्धित कर	2016-17	291.93	संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील)
माल व सेवा कर अधिनियम, 2017	माल व सेवा कर	2020-21	8.45	आयुक्त अपील, राज्य कर के कार्यालय में दाखिल करने के लिए लंबित अपील, पटना
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948	कर्मचारी राज्य बीमा	2006-2011	45.73	माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटक
मध्य प्रदेश मूल्य वर्धित कर, 2002	मूल्य वर्धित कर तथा प्रवेश कर	2011-12	48.37	मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अपीलीय बोर्ड, भोपाल
पश्चिम बंगाल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	मूल्य वर्धित कर	2013-14	0.48	पश्चिम बंगाल कराधान ट्रिब्यूनल, कोलकाता
कुल विवादित राशि			**8,994.62**	
विरोध लंबित अंतिम आदेशों के तहत अदा की गई कुल राशि			**787.10**	

viii) लेखा बहियों के हमारे परीक्षण के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय संस्थान या बैंक या सरकार को देय राशि की चुकौती में कोई चूक नहीं की है। कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋणपत्र जारी नहीं किया है।

ix) जहाँ तक हमारी जानकारी है हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई मीयादी ऋण नहीं लिया है और कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक पब्लिक ऑफर या अतिरिक्त पब्लिक ऑफर (ऋण विलेख सहित) द्वारा कोई धनराशि नहीं जुटाया है।

x) लेखा बहियों और अभिलेखों के हमारे परीक्षण के दौरान तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर किसी महत्वपूर्ण धोखाधड़ी का मामला हमारे ध्यान में नहीं आया है या रिपोर्ट की गई है और न ही प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की सूचना हमें दी गई है।

xi) चूँकि कंपनी सरकारी कंपनी है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 जिसे अधिनियम की अनुसूची त के साथ पढ़ा जाना है, द्वारा अनिवार्य बनाए गए प्रबंधकीय पारिश्रमिक के वितरण संबंधी प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, उक्त आदेश का अनुच्छेद 3(xii) लागू नहीं होता है।

xiii) कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण और हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरणों के आधार पर, संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 188, जहाँ लागू हैं, के अनुसार हैं और ऐसे लेनदेनों के विवरण लागू भारतीय लेखा मानकों द्वारा यथा अपेक्षित, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं।

xiv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों के हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान शेयरों अथवा पूर्ण व आंशिक परिवर्तनीय ऋणपत्रों का कोई अधिमान आबंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है, इसलिए, उक्त आदेश का खंड 3 (xiv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों के हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबद्ध व्यक्तियों के साथ कोई नकद-इतर लेनदेन नहीं किया है, इसलिए, उक्त आदेश का खंड 3 (xv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xvi) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I- के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

कृते **सूरी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 004283S

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118
यू.डी.आई.एन.- 21223118AAAAEB5575

स्थान - बेंगलूरु
दिनांक-17.08.2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–ख

(हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("एक्ट") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में उक्त तारीख को **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड** ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रणों के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को संस्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में ऐसे समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो कंपनी के कारोबार को उचित और प्रभावी ढंग से करना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से किए जा रहे थे जिनमें कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों का निवारण और पता लगाना, लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित, विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर विचार व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी और आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है जिन्हें कंपनी अधिनियम की धारा 143(10) के तहत वर्णित माना जाता है, जो जहाँ तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लागू होते हैं। इन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी में यह आवश्यक बनाया गया है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और इस बात का औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएँ और निष्पादित करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संस्थापित किए गए हैं और रखे गए हैं और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग से प्रचालित हैं या नहीं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादित की जाने वाली प्रक्रियाएँ और उनकी प्रचालनीय दक्षता शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समय प्राप्त करना, इस बात के जोखिम का आंकलन करना कि महत्वपूर्ण कमी थी और आंकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिज़ाइन और प्रचालनीय प्रभावशीलता का जांच और मूल्यांकन करना शामिल है। लेखा परीक्षक के निर्णय के अनुसार चयनित प्रक्रियाएं जिनमें वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की जोखिम का आंकलन, चाहे धोखाधड़ी से हो या त्रुटि से हो, शामिल हैं।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा के साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में अपनी लेखा परीक्षा का विचार प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अभिकल्पित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो –

(1) ऐसे अभिलेखों के रख–रखाव से संबंधित है जो औचित्यपूर्ण विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और न्यायोचित ढंग से प्रतिबिंबित करते हैं;

(2) इस बात का उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेनदेन सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के नुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करना अनुमत करने हेतु यथा आवश्यक दर्ज किए जाते हैं और यह कि कंपनी की प्राप्तियाँ और खर्च कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं; तथा

(3) कंपनी की परिसंत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते थे।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन की अवहेलना की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हो सकते हैं जिनका पता नहीं चल सकता है। इसके अलावा, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के विकसित होने का पूर्वानुमान ऐसे जोखिम के अधीन होता है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर क्षीण हो सकता है।

विचार

हमारे विचार में, जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं से, वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2021 को प्रभावी रूप से प्रचालित थे।

कृते **सूरी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 004283S

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118
यू.डी.आई.एन.– 21223118AAAAEB5575

स्थान – बेंगलूरु
दिनांक–17.08.2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ग

(हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा जारी वर्ष 2020-21 के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जाँचे गए क्षेत्रों को दर्शाने वाले निर्देश ।

क्र. सं.	निर्देश / उप-निर्देश	की गई कार्रवाई	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1	क्या कंपनी में आई.टी. सिस्टम द्वारा सभी लेखांकन लेनदेनों की प्रक्रिया पूरी करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय विहितार्थ, के साथ-साथ लेखों की सत्यनिष्ठा पर आई. टी. सिस्टम से बाहर के लेखा लेनदेनों की प्रक्रिया करने के विहितार्थ, यदि कोई हो, बताएँ।	जी हाँ। कंपनी में आई.टी. सिस्टम द्वारा दैनंदिन आधार पर सभी लेखा लेनदेनों की प्रक्रिया पूरी की जाती है।	कुछ नहीं
2	क्या ऋण की चुकौती करने की कंपनी की अक्षमता के कारण किसी मौजूदा ऋण की पुनर्संरचना या कंपनी को ऋणदाता द्वारा कर्ज / ऋण / ब्याज आदि का अधित्याग किया गया / बट्टे खाते में डाला गया? यदि हाँ, तो उसका वित्तीय प्रभाव बताएँ। क्या ऐसे मामलों का उचित ढंग से लेखा किया गया?	अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, मौजूदा ऋण की कोई पुन:संरचना नहीं की गई (या) ऋण की चुकौती करने में कंपनी की अक्षमता के कारण ऋणदाता द्वारा कर्ज / ऋण / ब्याज आदि का अधित्याग नहीं किया गया / बट्टे खाते में नहीं डाला गया।	कुछ नहीं
3	क्या केंद्रीय /राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों की विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्य निधियों (अनुदान / सहायकी आदि) का लागू निबंधन व शर्तों के अनुसार उचित लेखांकन किया गया / उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची दें।	जी हाँ। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा अभिलेखों के हमारे सत्यापन के आधार पर, केंद्रीय / राज्य एजेंसियों की विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त निधियों (अनुदान / सहायकी आदि) का उचित लेखांकन किया गया और जिस प्रयोजन के लिए उन्हें प्राप्त किया गया, उनके लिए उनका उपयोग किया गया।	कुछ नहीं

स्पीड पोस्ट द्वारा नि./BEL Accs 20-21/2021-22/. 127

गोपनीय

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, बेंगलूर – 560 001.
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT and ex-Officio MEMBER, AUDIT BOARD, BENGALURU - 560 001.

दिनांक/ DATE. 19 August 2021

सेवा मे,
श्री गौतम, अध्यक्ष,
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,
बेंगलुरु – 560 045.

महोदय,

विषयः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

मै 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु के लेखाओ पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरिक्षंक का "शून्य टिपण्णी प्रमाण पत्र " अग्रेषित करता हूँ|

कृपया सुनिश्चित करे कि टिप्पणिया:

1. बिना कोई संशोधन किये पूर्ण रूप से छापी जाये|
2. सूचि में उचित संकेत के साथ कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आगे रखा जाये|
3. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत आवश्यकतानुसार वार्षिक आम बैठक में रखा जाये |

कृपया पत्र की पावती भेजें|

भवदीय,

(अरुण कुमार वी.एम.)
उप निदेशक (प्रशासन)

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
प्रथम तल, बसव भवन, श्री बसवेश्वर रोड, बेंगलूर – 560 001.
1st Floor, Basava Bhavan, Sri Basavesware Road, Bengaluru - 560 001.

दू.भा./Phone : 2226 7646 / 2226 1168
Email : mabbangalore@cag.gov.in
फैक्स /Fax : 080-2226 2491

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF BHARAT ELECTRONICS LIMITED, BENGALURU FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021

The preparation of financial statements of **BHARAT ELECTRONICS LIMITED, BENGALURU** for the year ended 31 March 2021 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Revised Audit Report dated 17 August 2021 which supersedes their earlier Audit Report dated 22 June 2021.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of **BHARAT ELECTRONICS LIMITED, BENGALURU** for the year ended 31 March 2021 under section 143(6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to inquiries of the statutory auditor and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

In view of the revisions made in the Statutory auditor's report, to give effect to some of my audit observations raised during supplementary audit, I have no further comments to offer upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6) (b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

19/08/2021

(Santosh Kumar)
Pr. Director of Commercial Audit

Place: Bengaluru
Date: 19 August 2021

तुलन–पत्र

(रु. लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
परिसंपत्तियाँ			
1 **गैर–चालू परिसंपत्तियाँ**			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	1	2,42,265	2,49,663
(ख) पूँजीगत चालू कार्य	2	35,069	19,944
(ग) निवेश संपत्ति	3	8	9
(घ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4	5,730	2,297
(ङ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	5	38,556	48,343
(च) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	6	1,33,119	1,16,167
(ii) व्यापार प्राप्य	7	–	–
(iii) ऋण	8	3,324	3,309
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	225	2,845
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	10	46,339	49,740
(ज) वस्तुसूचियाँ	11	3,938	5,255
(झ) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ	12	39,081	34,078
		5,47,654	5,31,650
2 **चालू परिसंपत्तियाँ**			
(क) वस्तुसूचियाँ	11	4,91,529	3,91,020
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) व्यापार प्राप्य	7	6,55,154	6,73,291
(ii) नकद और नकद समतुल्य	13	3,01,565	1,55,622
(iii) बैंक शेष उपर्युक्त (ii) के अलावा	14	1,99,256	148
(iv) ऋण	8	1,946	3,262
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	4,566	2,903
(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	15	12,998	27,989
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	12	6,90,647	6,05,224
		23,57,661	18,59,459
कुल परिसंपत्तियाँ		29,05,315	23,91,109
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूँजी	16	24,366	24,366
(ख) अन्य इक्विटी		10,56,423	9,60,928
		10,80,789	9,85,294
देयताएं			
1 **गैर–चालू देयताएँ**			
(क) आस्थगित आय	17	6,493	6,889
(ख) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	18	–	–
(ii) व्यापार प्रदेय	19		
– सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के कुल बकाया देय; तथा		–	–
– सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों को कुल बकाया देय		29	20
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	788	4,934
(ग) प्रावधान	21	1,40,744	1,16,057
(घ) अन्य गैर–चालू देयताएँ	22	–	112
		1,48,054	1,28,012

तुलन–पत्र

(रु. लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
2 चालू देयताएँ			
(क) आस्थगित आय	17	396	422
(ख) वित्तीय देयताएं			
(i) व्यापार प्रदेय	19		
– सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के कुल बकाया देय; तथा		15,204	6,478
– सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों को कुल बकाया देय		3,14,450	2,35,997
(ii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	95,679	83,195
(ग) अन्य चालू देयताएँ	22	12,16,497	9,20,175
(घ) प्रावधान	21	34,246	31,536
(ङ) चालू कर देयताएँ (निवल)	15	–	–
		16,76,472	**12,77,803**
कुल इक्विटी और देयताएं		29,05,315	**23,91,109**

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ एवं साथ में दी गई टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न समान दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार।

कृते सूरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 004283S

एम वी गौतमा
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनेश कुमार बत्रा
निदेशक (वित्त) व सीएफओ

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

स्थान- बेंगलूरु
दिनांक- 22 जून, 2021

लाभ व हानि का विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 201 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
I	प्रचालनों से राजस्व	23	14,06,383	12,92,111
II	अन्य आय	24	12,610	10,194
III	कुल आय (I + II)		14,18,993	13,02,305
IV	व्यय			
क	खपत सामग्री की लागत		6,68,520	5,86,825
ख	भंडार और खपत पुर्जों की लागत		3,874	2,651
ग	व्यापारगत स्टॉक की खपत		1,23,321	95,097
घ	तैयार माल, चालू कार्य और रद्दी की वस्तुसूचियाँ में परिवर्तन	25	(12,933)	25,943
ङ	कर्मचारी अनुलाभ व्यय	26	1,94,068	2,05,749
च	वित्त लागत	27	608	326
छ	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	28	36,633	34,964
ज	अन्य व्यय	29	1,11,421	1,02,833
	कुल व्यय क से ज		11,25,512	10,54,388
V	असाधारण मदों एवं कर पूर्व लाभ (III – IV)		2,93,481	2,47,917
VI	असाधारण मदें		–	–
VII	कर पूर्व लाभ (V – VI)		2,93,481	2,47,917
VIII	कर व्यय	10		
	– चालू कर		82,493	75,637
	– पूर्व के वर्षों का कर		(2,492)	(3,995)
	– आस्थगित कर		6,938	(3,108)
	कराधान का कुल प्रावधान		86,939	68,534
IX	वर्ष का लाभ (VII – VIII)		2,06,542	1,79,383
X	अन्य व्यापक आय/(हानि)			
	ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के बाद पुन:वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	– निवल निर्धारित अनुलाभ देयता / परिसंपत्ति का पुनर्मापन			
	– अन्य व्यापक आय द्वारा इक्विटी विलेख		(11,639)	(5,864)
	– इन मदों से संबंधित आय कर		1	2
	ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के बाद पुन:वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		2,929	2,048
	कुल अन्य व्यापक आय /(हानि) (निवल कर)		(8,709)	(3,814)
XI	वर्ष की कुल व्यापक आय (IX + X)		1,97,833	1,75,569
	जिसमें वर्ष का लाभ तथा अन्य व्यापक आय शामिल है			
XII	प्रति शेयर अर्जन (आईएनआर 1/- प्रत्येक का अंकित मूल्य)-	30(1)		
	(1) मूल आईएनआर में		8.48	7.36
	(2) परिवर्तित आईएनआर में		8.48	7.36

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ एवं साथ में दी गई टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न समान दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार।

कृते सूरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 004283S

एम वी गौतमा
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनेश कुमार बत्रा
निदेशक (वित्त) व सीएफओ

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

स्थान- बेंगलूरु
दिनांक- 22 जून, 2021

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(रु. लाख में)

क. इक्विटी शेयर पूँजी

विवरण	टिप्पणी सं.	राशि
यथा 1 अप्रैल 2019 को शेष		24,366
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन		
– शेयर जारी करना	16	–
– शेयरों की पुनर्खरीद		–
31 मार्च 2020 को शेष		**24,366**

विवरण	टिप्पणी सं.	राशि
यथा 1 अप्रैल 2020 को शेष		24,366
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन		
– शेयर जारी करना	16	–
– शेयरों की पुनर्खरीद		–
31 मार्च 20201 को शेष		24,366

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	टिप्पणी सं.	प्रारक्षण व अधिशेष				अन्य प्रारक्षण		कुल अन्य इक्विटी
		पूँजीगत प्रारक्षण *	पूँजी मोचन प्रारक्षण *	सामान्य प्रारक्षण	प्रतिधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी विलेख *	अन्य व्यापक आय *	
1 अप्रैल 2019 को शेष		4,669	1,868	3,19,546	5,66,739	5	(15,302)	8,77,525
वर्ष का लाभ		–	–	–	1,79,383	–	–	1,79,383
वर्ष के दौरान परिवर्धन		–	–	–	–	2	(3,816)	(3,814)
कुल		4,669	1,868	3,19,546	7,46,122	7	(19,118)	10,53,094
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)	30(16)	–	–	–	(1,193)	–	–	(1,193)
सामान्य प्रारक्षण को अंतरित राशि		–	–	40,000	(40,000)	–	–	–
स्वामी के ओहदे में स्वामियों के साथ लेनदेन								
लाभांश	16	–	–	–	(75,534)	–	–	(75,534)
लाभांश वितरण कर	16	–	–	–	(15,439)	–	–	(15,439)
शेयर जारी करना	16	–	–	–	–	–	–	–
शेयरों की पुनर्खरीद	16	–	–	–	–	–	–	–
31 मार्च 2020 को शेष		4,669	1,868	3,59,546	6,13,956	7	(19,118)	9,60,928

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(रु. लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	प्रारक्षण व अधिशेष				अन्य प्रारक्षण		कुल अन्य इक्विटी
		पूँजीगत प्रारक्षण *	पूँजी मोचन प्रारक्षण *	सामान्य प्रारक्षण	प्रतिधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी विलेख *	अन्य व्यापक आय *	
1 अप्रैल 2020 को शेष		4,669	1,868	3,59,546	6,13,956	7	(19,118)	9,60,928
वर्ष का लाभ		–	–	–	2,06,542	–	–	2,06,542
वर्ष के दौरान परिवर्धन		–	–	–		1	(8,710)	(8,709)
कुल		4,669	1,868	3,59,546	8,20,498	8	(27,828)	11,58,761
सामान्य प्रारक्षण को अंतरित राशि		–	–	40,000	(40,000)	–	–	–
स्वामी के ओहदे में स्वामियों के साथ लेनदेन								
लाभांश	16	–	–	–	(1,02,338)	–	–	(1,02,338)
शेयर जारी करना	16	–	–	–	–	–	–	–
शेयरों की पुनर्खरीद	16	–	–	–	–	–	–	–
31 मार्च 2021 को शेष		4,669	1,868	3,99,546	6,78,160	8	(27,828)	10,56,423

* टिप्पणी 16 (ख) देखें

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ एवं साथ में दी गई टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न समान दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार।

कृते **सूरी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 004283S

एम वी गौतमा
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनेश कुमार बत्रा
निदेशक (वित्त) व सीएफओ

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

स्थान– बेंगलूरु
दिनांक– 22 जून, 2021

नकदी प्राप्ति विवरण

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालनीय कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति–		
असाधारण मदों और कर से पहले लाभ	2,93,481	2,47,917
इनके लिए समायोजन –		
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	36,633	34,964
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों का प्रावधान	7,213	-
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ जिन्हें प्रभारित किया गया	75	-
प्रभारित चालूगत पूँजी कार्य	1,468	-
प्रभारित संविदा लागत	-	1,247
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व	4,688	3,117
सरकारी अनुदान से अंतरण	(422)	(660)
ब्याज की आय	(5,649)	(6,496)
लाभांश आय	(351)	(426)
पट्टे की देयता पर ब्याज	24	28
वित्त लागत	584	298
सहायक कंपनी को ऋण का उचित मूल्यांकन	(14)	(2)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	(121)	(21)
कार्यशील पूँजी में परिवर्तन से पहले प्रचालनीय लाभ	**3,37,609**	**2,79,966**
निम्नलिखित के कारण वृद्धि / (कमी) –		
व्यापार प्राप्य	18,137	(1,36,370)
ऋण	1,301	716
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	1,130	624
अन्य परिसंपत्तियाँ	(90,426)	(1,32,788)
वस्तुसूचियाँ	(99,192)	49,204
व्यापार देय	87,188	98,968
अय वित्तीय देयताएँ	8,248	(8,636)
अन्य देयताएँ	2,96,210	1,70,392
प्रावधान	15,759	3,768
चालू कर परिसंपत्तियाँ	(12,388)	(15,748)
प्रचालनों से जनित नकद	**5,63,576**	**3,10,096**
अदा किया गया आय कर (निवल)	(53,230)	(56,843)
असाधारण मदों से पहले नकदी प्राप्ति	**5,10,346**	**2,53,253**
असाधारण मदें	-	-
प्रचालनीय कार्यकलापों से / (में प्रयुक्त) निवल नकद	**5,10,346**	**2,53,253**
ख. निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति –		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों तथा अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद	(46,773)	(74,284)
घटाएँ – अनुदान की प्राप्ति	-	1,562
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों तथा अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद (निवल)	(46,773)	(72,722)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री से प्राप्ति	133	86
मियादी जमा तथा अन्य बैंक शेष से वृद्धि / (कमी)	(1,99,281)	16,057
सहायक कंपनियों और एसोसिएट में इक्विटी निवेश	(157)	(2,833)
अन्य में निवेश	(16,781)	(11,403)
प्राप्त ब्याज	5,649	6,496
प्राप्त लाभांश	351	426
निवेश संबंधी कार्यकलापों से / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(2,56,859)**	**(63,893)**

नकदी प्राप्ति विवरण

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
ग. वित्त संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति –		
उधार से प्राप्ति / चुकौती (निवल)	(833)	(2,501)
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) खर्च	(3,670)	(5,042)
अदा किया गया लाभांश (लाभांश कर सहित)	(1,02,274)	(97,930)
पट्टे की देयताओं का चुकौती	(159)	(132)
पट्टे की देयता पर ब्याज	(24)	(28)
वित्त लागत	(584)	(298)
वित्त संबंधी कार्यकलापों से / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	(1,07,544)	(1,05,931)
नकद और नकद समतुल्यों में निवल वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग)	1,45,943	83,429
वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य	1,55,622	72,193
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	3,01,565	1,55,622

वित्त संबंधी कार्यकलापों के कारण देयताओं के संबंध में निर्धारित नकद-इतर परिवर्तन कुछ नहीं (कुछ नहीं)

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ एवं साथ में दी गई टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न समान दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार।

कृते सूरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 004283S

एम वी गौतमा
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनेश कुमार बत्रा
निदेशक (वित्त) व सीएफओ

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

स्थान- बेंगलूरु
दिनांक- 22 जून, 2021

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

टिप्पणी 1
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

विवरण	सकल वहनीय राशि				मूल्यहास/परिशोधन				निवल वहनीय राशि	
	यथा 1 अप्रैल 2020	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 1 अप्रैल 2020 को संचित मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष का मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
स्वामित्व की परिसंपत्ति										
पूर्णस्वामित्व की भूमि	13,711	-	-	13,711	-	-	-	-	13,711	13,711
सड़क और पुलिया	2,191	25	-	2,216	281	115	-	396	1,820	1,910
इमारतें	76,125	6,212	-	82,337	8,849	3,132	-	11,981	70,356	67,276
संस्थापनाएँ	4,235	532	50	4,717	2,002	414	50	2,366	2,351	2,233
संयंत्र और मशीनरी	137,994	13,249	150	151,093	51,600	14,482	147	65,935	85,158	86,394
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	57,885	1,982	45	59,822	29,947	7,709	44	37,612	22,210	27,938
अनु. व वि. लैब के उपकरण	43,197	3,775	14	46,958	23,230	7,044	14	30,260	16,698	19,967
वाहन	713	173	11	875	421	125	6	540	335	292
कार्यालयीन उपकरण	10,504	1,660	32	12,132	6,135	1,637	29	7,743	4,389	4,369
फर्नीचर, फिक्सर तथा अन्य उपस्कर	8,716	664	32	9,348	4,065	939	32	4,972	4,376	4,651
प्रायोजित अनुसंधान के लिए अर्जित परिसंपत्तियाँ	65	-	-	65	65	-	-	65	-	-
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार										
पट्टाधारित भूमि	400	109	69	440	120	147	69	198	242	280
इमारतों का पट्टा	20,703	118	-	20,821	61	141	-	202	20,619	20,642
कुल	376,439	28,499	403	404,535	126,776	35,885	391	162,270	242,265	249,663

विवरण	सकल वहनीय राशि				मूल्यहास/परिशोधन				निवल वहनीय राशि	
	यथा 1 अप्रैल 2019	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 1 अप्रैल 2020 को संचित मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष का मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
स्वामित्व की परिसंपत्ति										
पूर्णस्वामित्व की भूमि	12,908	803	-	13,711	-	-	-	-	13,711	12,908
सड़क और पुलिया	1,750	441	-	2,191	174	107	-	281	1,910	1,576
इमारतें	56,500	19,632	7	76,125	6,216	2,637	4	8,849	67,276	50,284
संस्थापनाएँ	3,662	574	1	4,235	1,598	405	1	2,002	2,233	2,064
संयंत्र और मशीनरी	115,041	22,929	(24)	137,994	37,696	13,882	(22)	51,600	86,394	77,345
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	50,342	7,811	268	57,885	22,321	7,850	224	29,947	27,938	27,953
अनु. व वि. लैब के उपकरण	38,746	4,460	9	43,197	16,353	6,886	9	23,230	19,967	22,393
वाहन	671	97	55	713	341	124	44	421	292	330
कार्यालयीन उपकरण	9,595	945	36	10,504	4,601	1,565	31	6,135	4,369	5,062
फर्नीचर, फिक्सर तथा अन्य उपस्कर	7,935	791	10	8,716	3,121	951	7	4,065	4,651	4,814
प्रायोजित अनुसंधान के लिए अर्जित परिसंपत्तियाँ	65	-	-	65	56	9	-	65	-	9
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार										
पट्टाधारित भूमि	-	447	47	400	-	145	25	120	280	-
इमारतों का पट्टा*	1,275	20,204	776	20,703	29	39	7	61	20,642	1,246
कुल	298,490	79,134	1,185	376,439	92,506	34,600	330	126,776	249,663	205,984

* भवनों के पट्टों के परिवर्धन में दिनांक 01.04.2019 को भारतीय एएस अपनाने के फलस्वरूप रु. 365 शामिल है ।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

i. पूर्ण स्वामित्व की भूमि में 2,072.87 एकड़ (2,072.87 एकड़) और पट्टाधारित भूमि में 948.20 एकड़ (948.20 एकड़) शामिल हैं ।

ii. पूर्ण स्वामित्व की भूमि में 7. 21 एकड़ (7.21 एकड़) व्यावसायिक / धार्मिक संगठनों को पट्टाधारित एवं उनके कब्ज़े में शामिल है ।

iii. वर्ष के दौरान आर एंड डी परिसंपत्तियों से संबंधित परिवर्धन इसमें शामिल है

क. केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला / उत्पाद विकास एवं नवोन्मेष केंद्र की परिसंपत्तियों के संबंध में रु. 2,074 (रु. 1,019) नैसर्गिक कोड शीर्ष के तहत परिकलित किया गया है ।

ख. पुणे यूनिट की परिसंपत्तियो के संबंध में रु. 17 (रु. 14) नैसर्गिक कोड शीर्ष के तहत परिकलित किया गया है ।

iv. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मूल्य में रु. 1,026 (रु. 1,026) मूल्य की पीओएस मशीनें शामिल हैं जो हरियाणा सरकार (प्रचालित पट्टा) के नियंत्रण में हैं।

v. **स्थल पुन:स्थापन बाध्यता**

पवन चक्की और सौर शक्ति संयंत्रों के संबंध में स्थल पुन:स्थापन बाध्यता के लिए टिप्पणी 21 देखें ।

संयंत्र और मशीनरी के सकल ब्लॉक मूल्य में पवन चक्की और सौर शक्ति संयंत्रों से संबंधित रु. 2,105 (रु. 2,062) की स्थल पुन:स्थापन बाध्यता शामिल है ।

iv. **संविदाजन्य प्रतिबद्धताएं**

बकाया संविदाजन्य प्रतिबद्धताओं के लिए टिप्पणी 30(6) देखें।

v. **मानी गई लागत**

भारतीय ए.एस. (01.04.2015) अपनाने से, कंपनी ने यथा 1 अप्रैल 2015 को अपनी सभी संपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों के वहनीय मूल्य को जारी रखने का विकल्प लिया जिन्हें पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया और इसमें वहनीय मूल्य को संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की मानी गई लागत के रूप में प्रयोग किया जाता है ।

viii. **परिसंपत्तियाँ के उपयोगी जीवनकाल का प्राक्कलन**

प्रबंधन ने परिसंपत्तियों की अपेक्षित उपयोगिता, तकनीकी और वाणिज्यिक अप्रचलन के जोखिम आदि जैसे कारकों पर विचार करते हुए मूर्त परिसंपत्तियों (जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची खख में दर्शित उपयोगी जीवनकाल से अलग हैं) के विभिन्न वर्गों के उपयोगी जीवनकाल का प्राक्कलन किया है ।

मूर्त परिसंपत्तियों के विभिन्न वर्गों के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल इस प्रकार हैं –

परिसंपत्तियों का वर्ग	वर्ष
भवन	20-40
सड़क और पुलिया	20-40
संस्थापना	10
संयंत्र एवं मशीनरी	2-25
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	5-7
वाहन	4-5
कार्यालयीन उपकरण	5-7
फर्नीचर, जुड़नार और उपकरण	6-10
अनु. व वि. लैब के उपकरण	5

ix. **मूल्यह्रास / परिशोधन**

मूल्यह्रास की गणना परिसंपत्तियों के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा के आधार पर की जाती है।

पट्टे की परिसंपत्तियों को उनके प्राक्कलित जीवकाल या उनकी संबंधित पट्टा अवधि, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

x. **मूल्यह्रास के लेखांकन की विधि**

मूल्यह्रास/परिशोधन की गणना कंपनी की लेखा नीति संख्या 8 के अनुसार की गई है और इसे लाभ और हानि के विवरण में खर्च के रूप में निर्धारित किया गया है। अन्य परिसंपत्तियों के लागत के भाग के रूप में निर्धारित मूल्यह्रास राशि कुछ नहीं (कुछ नहीं) है ।

xi. **परिसंपत्तियों की ह्रास**

टिप्पणी 30 (4) देखें।

xii. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए भुगतान किए गए असमायोजित पूँजी अग्रिम के संबंध में टिप्पणी 12 देखें ।

xiii. कुछ यूनिटों में सरकार से निशुल्क अधिग्रहित भूमि का परिकलन भारतीय एएस 101 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है ।

xiv. पंजीकरण लंबित मुकदमेबाजी आदि का विवरण,

क. मल्लापुर, हैदराबाद में 5.60 एकड़ भूमि (5.60 एकड़) के अधिकार/ बिक्री विलेख का निष्पादन तथा इस संबंध में आंध्र प्रदेश औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन (एपीआईआईसी) द्वारा बीईएल की हैदराबाद यूनिट को आवंटित भूमि के वास्तविक अधिकार को सौंपे जाने का कार्य लंबित होने के कारण तथा यह मामला मुकदमेबाज़ी के तहत होने के कारण, लेखा पुस्तकों में पंजीकरण और अन्य लागत के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है । एपीआईआईसी को अदा की गई ₹ 65 (₹ 65) की राशि का भुगतान पूँजीगत अग्रिमों में शामिल किया गया है ।

ख. रक्षा अधिकारियों के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के आधार पर, बीईएल को आवंटित भूमि पर निर्मित संपत्तियां जो बीईएल के कब्जे में है, हैदराबाद यूनिट की स्थापना के संबंधित शीर्षों के तहत पूँजीकरण किया गया । उपयुक्त अधिकारियों द्वारा निबंधन व शर्तों को अंतिम रूप दिया जाना लंबित होने के कारण, 25.11 एकड़ (25.11 एकड़) की भूमि की लागत को लेखा बहियों में हिसाब में लिया गया है ।

ग. इब्राहिपटनम में एपीआईआईसी / टीएसआईआईसी द्वारा आवंटित 122.82 एकड़ (122.82 एकड़) भूमि जिसका कब्जा दिया गया है जिसका बिक्री विलेख लंबित है ।

घ. 22.375 एकड़ (22.375 एकड़) की भूमि जो ऊपर उल्लिखित पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि का भाग है, के लिए दिनांक 31.01.2015 को टीएसआईआईसी से अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के लिए नगर सिविल न्यायालय, हैदराबाद द्वारा की गई डिक्री की क्षतिपूर्ति राशि का 50% के रूप में रु.256 (रु. 256) की डिमांड प्राप्त हुई है। यह डिमांड विवाद के अधीन है, इसलिए, लेखा बहियों में इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

ङ. 1.22 एकड़ (1.22 एकड़) की पूर्ण स्वामित्व की भूमि जो 1.24 एकड़ (1.24 एकड़) भूमि सौंपने के एवज में सरकारी प्राधिकारियों द्वारा आबंटित की गई थी, मुकदमेबाज़ी के अधीन है ।

च. कंपनी ने तीन स्थलों में पवन चक्की जनरेटर स्थापित किए हैं । पवन चक्की जनरेटर-I को वर्ष 2006-07 में पट्टे की भूमि में पूँजीकृत किया गया। इस पट्टे का अग्रिम किराया कुछ नहीं है और भूमि के पट्टे के करार को अंतिम रूप दिया जाना लंबित है । पवन चक्की जनरेटर - II को रु. 36 के पट्टे का अग्रिम किराया अदा करते हुए पट्टाधारित भूमि पर वर्ष 2007-08 में पूँजीकृत किया गया । भूमि के पट्टे के करार को अंतिम रूप दिया जाना लंबित है।

छ. 0.30 एकड़ (0.30 एकड़) की भूमि से संबंधित अधिकार विलेख मुकदमेबाज़ी के अधीन है। इस संबंध में दो मामले लंबित हैं ।

ज. पठानकोठ में अधिग्रहित 8.93 एकड़ (8.93 एकड़) पट्टाधारित भूमि पंजीकरण के लिए लंबित है । लंबित पंजीकरण के लिए खाता बही में पंजीकरण और अन्य लागत के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

झ. वर्ष के दौरान भटिंडा में 6.20 एकड़ (6.20 एकड़) की भूमि पूर्ण स्वामित्व भूमि में परिवर्तित कर दिया गया । लंबित पंजीकरण के लिए खाता बही में पंजीकरण और अन्य लागत के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

ञ. अनंतपूर जिले, आंध्र प्रदेश में 913.99 एकड़ (913.99 एकड़) की भूमि की बिक्री विलेख को अंतिम रूप देना लंबित है ।

ट. वर्ष के दौरान बूटिबोरी, नागपुर में अधिग्रहित 197.68 एकड़ (197.68 एकड़) की पट्टाधारित भूमि पंजीकरण के लिए लंबित है । लंबित पंजीकरण के लिए खाता बही में पंजीकरण और अन्य लागत के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

xv. कंपनी ने ओ.एफ.बी. मेडक, इटारसी, बोलांगीर और एच.वी.एफ. आवड़ी, जीसीएफ जबलपुर, वीएफजे जबलपुर, हज़रतपुर, मुरादनगर, नलंदा में प्रत्येक संयंत्र के लिए वार्षिक पट्टा किराया के रूप में आई.ए.आर. 1 का नाममात्र मूल्य अदा करते हुए पट्टे की भूमि पर सौर शक्ति संयंत्र स्थापित किया है ।

xvi. भारतीय एएस 116 के परिवर्तन पर उपयोग का अधिकार के रूप में पूँजीकृत 3 मे.वा. हासन और 8.4 मे.वा. दावणगेरे पवन चक्की संयंत्रों के लिए पूर्वदत्त किराए का भुगतान किया ।

xvii. दावणगेरे, बेंगलूरु में स्थित 31.15 एकड़ (31.15 एकड़) की भूमि कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) से प्राप्त की गई और पंजीकरण की लागत के साथ भूमि की लागत जो 7,974 (रु. 7,856) है पूर्ण स्वामित्व की भूमि के तहत पूंजीकृत की गई। पट्टा करार की शर्तों के अनुसार, परियोजना को सफलतापूर्वक शुरु करने के लिए इसे पूर्णस्वामित्व में बदल दिया जाएगा ।

xviii. पूर्ण स्वामित्व भूमि में 2.2 एकड़ (2.2 एकड़) भूमि के अलावा, रक्षा उपकरणों का सुदूर संप्रेषण परीक्षण सुविधा के लिए गुडिबंदे तालूक, चिकबल्लापुर जिला, कर्नाटक में खरीदी गई भूमि शामिल है ।

xix. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा क्षेत्रीय उत्पाद समर्थन केंद्र का निर्माण के लिए जोधपुर में 5.94 एकड़ (5.94 एकड़) पट्टाधारित भूमि अधिग्रहित किया गया ।

xx. कार्मिक क्वार्टर के प्रति रु. 729 (रु. 484) (समायोजित ब्याज की आय) की उधार लागत पूँजीकृत किया है । पूँजीकरण दर प्रति वर्ष 6.47% (प्रति वर्ष 6.47%) है ।

xxi. **तृतीय पक्षकारों से हर्जाना –**

कंपनी ने आगजनी से परिसंपत्तियों की हानि के बीमा दावे द्वारा कुछ नहीं (रु. 109) की राशि प्राप्त की जिसका निवल पुस्त मूल्य कुछ नहीं (रु. 43) है।

xxii. पट्टाधारित भूमि में 9.62 एकड़ (कुछ नहीं) शामिल है जो सरकारी संगठन को पट्टाधृत है और उनके अधिकार में है।

टिप्पणी 2
पूँजीगत चालू कार्य

विवरण	यथा 31 मार्च 2021		यथा 31 मार्च 2020	
सिविल निर्माण कार्य	12,193		9,532	
संयंत्र एवं मशीनरी	16,687		4,170	
अन्य	4,489		3,550	
मार्गस्थ पूँजीगत मदें	1,824		2,816	
		35,193		20,068
घटाएँ – ह्रास का प्रावधान		(124)		(124)
		35,069		19,944

i. सिविल निर्माण में मुख्यत: उत्पादन संबंधी इमारत, अनु. व वि. इमारत और कर्मचारियों के क्वार्टर शामिल हैं।

ii. संविदाजन्य प्रतिबद्धताओं के संबंध में टिप्पणी 30 (6) देखें।

iii. संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के लिए अदा किए गए असमायोजित पूँजी अग्रिम के लिए टिप्पणी 12 देखें।

iv. निर्माणाधीन कर्मचारियों के क्वार्टर के संबंध में उधार की लागत रु. 254 (रु. 490) [ब्याज की निवल आय] को पूँजीगत चालू कार्य में शामिल किया गया है। पूँजीकरण की दर 6.74% प्रतिवर्ष (6.74% प्रतिवर्ष) है।

v. **परिसंपत्तियों की ह्रास–**
निर्माणीधीन भवन वहनीय मूल्य रु. 124 (रु. 124) का काम पिछले तीन वर्षों से रोक दिया गया है क्योंकि जिस ठेकेदार को यह काम सौंपा गया था, उसने यह काम बंद कर दिया है और उसके बाद से इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है । कंपनी ने ठेकेदार को अदा की गई राशि वसूल करने के लिए कानूनी दावा दाखिल किया है। इसलिए, रु. 124 (124) की राशि ह्रासमान दर्शाई गई है । टिप्पणी 30 (4) देखें।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

टिप्पणी 3
निवेश संपत्ति

विवरण	सकल वहनीय राशि				मूल्यह्रास				निवल वहनीय राशि	
	1 अप्रैल, 2020 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2021	1 अप्रैल, 2020 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
पूर्ण स्वामित्व की भूमि *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-
इमारतें	14	–	–	14	5	1	–	6	8	9
कुल	14	–	–	14	5	1	–	6	8	9

* पूर्ण स्वामित्व की भूमि में आईएनआर 3,830 (आईएनआर 3,830) समग्र अंक शामिल है जिसे पूर्णांकित किया गया है ।

विवरण	सकल वहनीय राशि				मूल्यह्रास				निवल वहनीय राशि	
	1 अप्रैल, 2019 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2020	1 अप्रैल, 2020 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
पूर्ण स्वामित्व की भूमि *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-
इमारतें	14	–	–	14	4	1	–	5	9	10
कुल	14	–	–	14	4	1	–	5	9	10

* पूर्ण स्वामित्व की भूमि में आईएनआर 3,830 (आईएनआर 3,925) समग्र अंक शामिल है जिसे पूर्णांकित किया गया है ।

i. **लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित राशि**

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
क. किराए की आय	193	186
ख. किराए की आय प्रदान करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालनीय व्यय (आर एंड एम सहित)	–	–
ग. उपर्युक्त को छोड़कर प्रत्यक्ष प्रचालनीय व्यय (आर एंड एम सहित)	–	–
घ. मूल्यह्रास	(1)	(1)
ङ. निवेश संपत्ति से लाभ	192	185

ii. संविदाजन्य प्रतिबद्धताओं के लिए टिप्पणी 30 (6) देखें।

iii. **निवेश संपत्तियों का अंकित मूल्य**

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
भूमि	2,255	2,256
इमारत	903	895

iv. भूमि जिसमें बेंगलूरु में 1.48 एकड़ (1.48 एकड़) की पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि शामिल है।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

v. **अंकित मूल्य का प्राक्कलन**

कंपनी ने निवेश संपत्ति के स्थान में समान संपत्तियों के सरकारी मार्गदर्शन मूल्य (नगरपालिका मूल्य) के आधार पर निवेश संपत्ति के अंकित मूल्य का प्राक्कलन किया है । निवेश संपत्तियों के सभी परिणामी अंकित मूल्य प्राक्कलन स्तर 2 में शामिल किए गए हैं ।

vi. **मानी गई लागत**

भारतीय ए.एस. (01.04.2015) अपनाने से, कंपनी ने यथा 1 अप्रैल 2015 को अपनी सभी संपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों के वहनीय मूल्य को जारी रखने का विकल्प लिया जिन्हें पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया और इसमें वहनीय मूल्य को संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की मानी गई लागत के रूप में प्रयोग किया जाता है।

vii. **परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल का प्राक्कलन**

प्रबंधन ने परिसंपत्तियों की अपेक्षित उपयोगिता, तकनीकी और वाणिज्यिक अप्रचलन के जोखिम आदि जैसे कारकों पर विचार करते हुए मूर्त परिसंपत्तियों (जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में दर्शित उपयोगी जीवनकाल से अलग हैं) के विभिन्न वर्गों के उपयोगी जीवनकाल का प्राक्कलन किया है।

मूर्त परिसंपत्तियों के विभिन्न वर्गों के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल इस प्रकार हैं –

परिसंपत्तियों का वर्ग	वर्ष
इमारत	40

viii. **मूल्यह्रास**

मूल्यह्रास की गणना परिसंपत्तियों के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा के आधार पर की जाती है। मूल्यह्रास की राशि को लाभ व हानि के विवरण में व्यय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

ix. **मूल्यह्रास के लेखांकन की विधि**

मूल्यह्रास की गणना कंपनी की लेखा नीति संख्या 8 के अनुसार की गई है और इसे लाभ और हानि के विवरण में खर्च के रूप में निर्धारित किया गया है।

x. **परिसंपत्तियों की ह्रास**

चूँकि निवेश संपत्ति का अंकित मूल्य उसके वहनीय मूल्य से अधिक है, ह्रास का कोई संकेत नहीं है।.

xi. **निवेश की गई संपत्ति से धनप्राप्ति पर प्रतिबंध**

भूमि भारत सरकार द्वारा आबंटित की गई है।

xii. **संबंधित पक्षकार के लेन–देन**

निवेश संपत्ति में सहायक कंपनी बीईएल थालेस सिस्टम लि. को निरस्त योग्य प्रचालनीय पट्टे के तहत दी गई 0.31 एकड़ (0.31 एकड़) की इमारत और भूमि शामिल है। कृपया टिप्पणी 31 देखें।

xiii. **पंजीकरण, लंबित मुकदमों आदि के विवरण**

कुछ नहीं (कुछ नहीं)

xiv. निवेश संपत्ति से आईएनआर कुछ नहीं (आईएनआर 95) [वास्तविक अंक दर्शाएं] को पूर्णस्वामित्व भूमि पर स्थानांतरित किया जाता है ।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

टिप्पणी 4
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ

विवरण	सकल वहनीय राशि				परिशोधन				निवल वहनीय राशि	
	यथा 1 अप्रैल 2020 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2021	संचित परिशोधन यथा 1 अप्रैल 2020	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
सॉफ्टवेयर लाइसेंस/ इंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ई.आर.पी.) का कार्यान्वयन	285	6	-	291	255	31	-	286	5	30
अन्य (विकास लागत)*	2,745	4,174	-	6,919	478	716	-	1,194	5,725	2,267
कुल	3,030	4,180	–	7,210	733	747	–	1,480	5,730	2,297

* अन्य विकास एजेंसियों को किए गए वित्त-पोषण सहित।

विवरण	सकल वहनीय राशि				परिशोधन				निवल वहनीय राशि	
	यथा 1 अप्रैल 2019 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2020	संचित परिशोधन यथा 1 अप्रैल 2019	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
सॉफ्टवेयर लाइसेंस/ इंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ई.आर.पी.) का कार्यान्वयन	285	-	-	285	210	45	-	255	30	75
अन्य (विकास लागत)	2,531	214	-	2,745	160	318	-	478	2,267	2,371
कुल	2,816	214	–	3,030	370	363	–	733	2,297	2,446

i. **मानी गई लागत**

भारतीय ए.एस. (01.04.2015) अपनाने से, कंपनी ने यथा 1 अप्रैल 2015 को अपनी सभी संपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों के वहनीय मूल्य को जारी रखने का विकल्प लिया जिन्हें पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया और इसमें वहनीय मूल्य को संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की मानी गई लागत के रूप में प्रयोग किया जाता है।

ii. **प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल**

अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल इस प्रकार है –

परिसंपत्तियों का वर्ग	वर्ष
साफ्टवेयर लाइसेंस / इंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ई.आर.पी.) का कार्यान्वयन	3
अन्य (विकास लागत)	3 – 15

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

iii. **परिशोधन**

परिशोधन की गणना परिसंपत्तियों के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा के आधार पर की जाती है। परिशोधन की राशि को लाभ व हानि के विवरण में व्यय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

iv. **परिशोधन के गणना की विधि**

परिशोधन की गणना कंपनी की लेखा नीति संख्या 8 के अनुसार की गई है और इसे लाभ और हानि के विवरण में खर्च के रूप में निर्धारित किया गया है।

v. संविदाजन्य प्रतिबद्धताओं के लिए टिप्पणी 30 (6) देखें।

vi. **परिसंपत्तियों की ह्रास**

टिप्पणी 30 (4) देखें।

vii. परिसंपत्तियों के अधिकार पर प्रतिबंध करार की शर्तें द्वारा नियंत्रित होता है।

viii. अवधि के दौरान व्यय माने गए अनुसंधान व विकास व्यय की कुल राशि के लिए टिप्पणी 30 (7) देखें।

टिप्पणी 5
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
आंतरिक रूप से विकसित *	45,769	48,343
घटाएँ – ह्रास का प्रावधान	(7,213)	–
	38,556	48,343

* अन्य विकास एजेंसियों को किए गए वित्त-पोषण सहित।

i. संविदाजन्य प्रतिबद्धताओं के लिए टिप्पणी 30 (6) देखें।

ii. **परिसंपत्तियों की ह्रास –**
चूँकि वर्तमान में विकास कार्य जारी नहीं है और साथ ही चूंकि कंपनी का आर्थिक अनुलाभ सृजित करने की संभाव्यता का आंकलन निश्चित नहीं है, रु. 7213 (कुछ नहीं) की राशि का प्रावधान ह्रास हानि के रूप में किया गया है (टिप्पणी 30(4) देखें)।

टिप्पणी 6
निवेश

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
सहायक कंपनी को दिए गए ऋण का उचित मूल्यांकन		
बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लि., पुणे	227	213
(I) इक्विटी विलेखों में निवेश (अनुद्धृत)		
(क) सहायक कंपनी (लागत पर)		
बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लि., पुणे*		
प्रत्येक आई.एन.आर.100 पूर्ण चुकता के 84,506,970 (83,862,590) इक्विटी शेयर	16,763	16,607
बीईएल – थालेस सिस्टम्स लिमिटेड,बेंगलूरु		
प्रत्येक आई.एन.आर.100 पूर्ण चुकता के 4,263,538 (4,263,538) इक्विटी शेयर	4,264	4,264

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
(ख) संबंद्ध कंपनी (लागत पर)		
जीई-बीई प्राइवेट लि., बेंगलूरु		
प्रत्येक आई.एन.आर.10 पूर्ण चुकता के 2,600,000 (2,600,000) इक्विटी शेयर	260	260
(ग) अन्य (एफवीओसीआई पर) (नीचे दी गई टिप्पणी iv देखें)		
मना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लि., हैदराबाद		
प्रत्येक ₹ 1000 पूर्ण चुकता के 500 (500) इक्विटी शेयर	12	11
डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन, बेंगलूरु		
प्रत्येक ₹ 1000 पूर्ण चुकता के 50 (कुछ नहीं) इक्विटी शेयर	1	1
(II) अन्य निवेश (अनुद्धृत)		
(क) कोऑपरेटिव सोसाइटियों में निवेश (लागत पर) **		
कफ़ परेड पर्सोपोलिस प्रिमाइसेस कोऑपरेटिव सोसाइटी, मुंबई		
आई.एन.आर. 50 प्रत्येक पूर्ण चुकता के 40 (40) शेयर	-	-
सुखसागर प्रिमाइसेस कोऑपरेटिव, सोसाइटी, मुंबई		
आई.एन.आर.50 प्रत्येक पूर्ण चुकता के 10 (10) शेयर	-	-
श्री सप्तरत्न कोऑप. सोसाइटी लि., मुंबई		
आई.एन.आर.50 प्रत्येक पूर्ण चुकता के 10 (10) शेयर	-	-
दालामल पार्क कोऑप. सोसाइटी लि., मुंबई		
आई.एन.आर. 50 प्रत्येक पूर्ण चुकता के 5 (5) शेयर	-	-
चंद्रलोक कोऑप. हाउसिंग सोसाइटी लि., पुणे		
आई.एन.आर. 50 प्रत्येक पूर्ण चुकता के 30 (30) शेयर	-	-
(ख) अन्य (एफवीटीपीएल पर)		
भारतीय जीवन बीमा निगम (टिप्पणी ii देखें)	111,592	94,811
	1,33,119	1,16,167

* मे. बीईएल ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लि. (पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी) ने अपने इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य का उप-विभाजन आईएनआर 100 प्रति इक्विटी शेयर से आईएनआर 10 प्रति इक्विटी शेयर किया है, तदनुसार इक्विटी शेयरों की संख्या को पुन:बताया गया है।

** आईएनआर 4,750 समग्र अंक (आईएनआर 4,750) समग्र अंक जिसे पूर्णांकित किया गया। यह हाउसिंग सोसाइटियों में उनके उप-नियमों के अनुसार अर्जित शेयर का मूल्य दर्शाते हैं।

i

विवरण	2020-21	2019-20
उद्धृत निवेशों का कुल मूल्य और उनका बाज़ार मूल्य	-	-
अनुद्धृत निवेशों का कुल मूल्य	133,119	116,167
निवेश के मूल्य में ह्रास की कुल राशि	-	-

ii. कंपनी ने अपने छुट्टी नकदीकरण और "बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना" (बीईआरईसीएचएस) देयताओं को क्रमश: एलआईसी की न्यू ग्रूप लीव एनकैशमेंट प्लान और न्यू ग्रूप सुपरएन्युएशन कैश एक्यूमिलेशन प्लान में निवेश किया है [टिप्पणी 21 देखें] ।

iii. वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

iv. क. कंपनी ने एफवीओसीआई में मना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लि. तथा डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन, बेंगलूरु के इक्विटी शेयरों में निवेश किया है क्योंकि ये इक्विटी शेयर ऐसे निवेश को दर्शाते हैं जो रणनीतिक प्रयोजन से लंबे समय तक धारित करने के लिए आशयित हैं। निवल परिसंपत्ति मूल्य विधि के आधार पर निवेश का अंकित मूल्य इस प्रकार है –

विवरण	31 मार्च 2021 को अंकित मूल्य	2020–2021 के दौरान निर्धारित लाभांश आय	31 मार्च 2020 को अंकित मूल्य	2019–2020 के दौरान निर्धारित लाभांश आय
मना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लि.में निवेश	12	–	11	–
डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन, बेंगलूरु में निवेश	1	–	1	–

ख. कंपनी ने इन निवेशों पर अब तक कोई लाभांश प्राप्त नहीं किया है।

ग. 2020–2021, के दौरान कोई रणनीतिक निवेश को निपटाया नहीं गया और इन निवेशों के संबंध में इक्विटी में कोई संचित लब्धि या हानि अंतरित नहीं की गई।.

vi. **संबंधित पक्षकारों के प्रकटण**

संबंधित पक्षकारों के प्रकटण के लिए टिप्पणी 31 देखें।

vi. मे. डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन (डी.आई.ओ.) में इक्विटी पूँजी के लिए आईएनआर 50,000 समग्र अंक की राशि का अंशदान दिया गया है। डी.आई.ओ. को रक्षा क्षेत्र में नवोन्मेष का वित्त–पोषण करने के उद्देश्य से रु. 100 (बीईएल : 50%; एचएएल : 50%) की प्राधिकृत शेयर पूँजी के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अनुसार 'लाभरहित' कंपनी के रूप में 10 अगस्त, 2017 को निगमित किया गया । इस कंपनी का पंजीकृत कार्यालय बेंगलूरु में बीईएल के परिसर में स्थित है ।

प्रारंभिक कॉर्पस निधि के लिए लेखा बहियों में रु. 5,000 की राशि का प्रावधान किया गया है, इसमें से रु. 4000 (4500) की राशि भुगतान के लिए लंबित है ।

टिप्पणी 7
व्यापार प्राप्य

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
गैर चालू		
अरक्षित, जिन्हें संदिग्ध माना गया		
व्यापार प्राप्य	143,587	134,855
घटाएँ – प्रावधान *	(143,587)	(134,855)
उप कुल (क)	–	–
चालू		
रक्षित, जिन्हें खरा माना गया	901	498
अरक्षित, जिन्हें खरा माना गया	654,253	672,793
उप कुल (ख)	655,154	673,291
कुल (क+ख)	655,154	673,291

* इसमें प्राप्य जो क्रेडिट ह्रासमान हैं, से संबंधित रु.339 (रु.339) शामिल है ।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

i. **भुगतान के निबंधन**

क. अधिकांश संविदाओं में, मदों की सुपुर्दगी पर भुगतान (प्राप्त अग्रिम, यदि कोई हो, का निवल) देय है। बहरहाल, कुछ संविदाओं में देयों का एक हिस्सा (सामान्यत: 5% से 10%) अतिरिक्त कार्य-निष्पादन देयता की संतुष्टि से जुड़ा है जैसे संस्थापना एवं कार्यारंभ संबंधी कार्यों को पूरा करना आदि। टर्नकी संविदाओं के संबंध में, भुगतान (निवल अग्रिम, यदि कोई हो) निर्दिष्ट उपलब्धियों को प्राप्त करने से जुड़ा होता है।

ख. ग्राहक से प्राप्त प्रगामी भुगतानों सहित अग्रिम को संविदा की देयता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और संबंधित कार्य-निष्पादन देयता के समापन पर समायोजित किया जाता है।

ग. संविदा में अन्य कार्य-निष्पादन देयताओं को पूरा करने के साथ भुगतान को जोड़ने के कारण पूरी की गई कार्य-निष्पादन देयता के संबंध में ग्राहकों द्वारा रोक रखी गई राशि को संविदा परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्राप्त शेष राशि को व्यापार प्राप्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

ii. **वित्तीय विलेख**

वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

iii. **वित्तीय परिसंपत्तियों की ह्रास**

ह्रास का प्रावधान कंपनी की लेखा नीति सं. 30 के अनुरुप किया गया है।

iv. **संबंधित पक्षकारों के प्रकटण**

संबंधित पक्षकारों के प्रकटण के लिए टिप्पणी 31 देखें।

v. **सुरक्षा, दृष्टिबंधन आदि**

टिप्पणी 35 देखें।

टिप्पणी 8
ऋण

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
गैर चालू		
अरक्षित, जिन्हें खरा माना गया		
सुरक्षा जमा	2,588	2,501
कर्मचारियों को ऋण	736	696
संबंधित पक्षकारों को ऋण*	–	112
	3,324	3,309
अरक्षित, जिन्हें संदिग्ध माना गया		
सुरक्षा जमा	104	81
घटाएँ – प्रावधान	(104)	(81)
	–	–
अन्य		
कर्मचारियों को ऋण	1	1
घटाएँ – प्रावधान	(1)	(1)
	–	–
अन्य को ऋण	132	132
घटाएँ –प्रावधान **	(132)	(132)
	–	–
उप कुल (क)	3,324	3,309

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
चालू		
अरक्षित, जिन्हें खरा माना गया		
सुरक्षा जमा	1,414	1,567
संबंधित पक्षकारों को ऋण ***	380	1,528
अन्य		
कर्मचारियों को ऋण	152	167
उप कुल (ख)	1,946	3,262
कुल (क+ख)	5,270	6,571

* वर्ष के दौरान किसी भी समय बकाया अधिकतम राशि रु. 1,640 (रु. 2,953).

** इसमें ऐसे ऋणों से संबंधित रु.132 (रु.132) शामिल है जो क्रेडिट ह्रासमान हैं।

*** उपचित ब्याज शामिल है ।

I. **वित्तीय विलेख**

वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

II. **वित्तीय परिसंपत्तियों की ह्रास**

ह्रास का प्रावधान कंपनी की लेखा नीति सं. 30 के अनुरुप किया गया है।

III. **संबंधित पक्षकारों के प्रकटण**

संबंधित पक्षकारों के प्रकटण के लिए टिप्पणी 31 देखें।

टिप्पणी 9
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
गैर चालू		
अरक्षित, जिन्हें खरा माना गया		
व्यापार प्राप्यों के अलावा प्राप्य	26	77
12 महीनों से अधिक परिपक्वता के साथ बैंक जमा	173	–
अन्य परिसंपत्तियाँ	26	2,768
	225	2,845
अरक्षित, जिन्हें संदिग्ध माना गया		
अन्य को दिए गए अग्रिम	12	12
घटाएँ – प्रावधान	(12)	(12)
	–	–
व्यापार प्राप्यों के अलावा प्राप्य	966	966
घटाएँ – प्रावधान *	(966)	(966)
	–	–
अन्य परिसंपत्तियाँ	74	74
घटाएँ – प्रावधान	(74)	(74)
	–	–
उप कुल (क)	225	2,845

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
चालू		
अरक्षित, जिन्हें खरा माना गया		
कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम	165	178
अन्य को दिए गए अग्रिम	5	2
प्रोद्भूत ब्याज परंतु मीयादी जमा पर देय नहीं	1,219	26
व्यापार प्राप्यों के अलावा प्राप्य	588	979
अन्य परिसंपत्तियाँ	2,589	1,718
उप कुल (ख)	4,566	2,903
कुल (क+ख)	4,791	5,748

* टिप्पणी 30(21) देखें

i. **वित्तीय विलेख**

वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

ii. **वित्तीय परिसंपत्तियों की ह्रास**

ह्रास का प्रावधान कंपनी की लेखा नीति सं. 30 के अनुरुप किया गया है।

iii. **संबंधित पक्षकारों के प्रकटण**

संबंधित पक्षकारों के प्रकटण के लिए टिप्पणी 31 देखें।

iv. कुछ नहीं (कुछ नहीं) की निवल वहनीय राशि को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण जो सक्रिय प्रयोग में नहीं हैं और निपटान के लिए लंबित हैं, के संबंध में अन्य परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।

टिप्पणी 10
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	69,264	84,685
आस्थगित कर देयताएँ	(22,925)	(34,945)
	46,339	49,740

i. **लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित आय**

क्र. सं.	विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
1	**आय कर के व्यय –**		
	– चालू अवधि	82,493	75,637
	– पूर्व के वर्षों से संबंधित प्राक्कलनों में परिवर्तन	(2,492)	(3,995)
2	**आस्थगित कर –**		
	– अस्थायी अंतरों का उद्गम और व्युत्क्रमण	6,938	(3,108)
3	**आस्थगित कर के कुल व्यय (अनुलाभ)**	6,938	(3,108)
4	**आय कर के व्यय**	86,939	68,534

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

ii. **अन्य व्यापक आय में निर्धारित आय कर**

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2021			यथा 31.03.2020		
		कर पूर्व	कर (व्यय)/ अनुलाभ	निवल कर	कर पूर्व	कर (व्यय)/ अनुलाभ	निवल कर
1	निवल निर्धारित अनुलाभ देयता/ (परिसंपत्ति) का पुन:मापन	(11,639)	2,930	(8,709)	(5,864)	(2,049)	(3,815)
2	अन्य द्वारा इक्विटी विलेख व्यापक आय	1	(1)	-	2	1	1
	कुल	(11,638)	2,929	(8,709)	**(5,862)**	**(2,048)**	**(3,814)**

iii. **इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित आय कर**

इक्विटी 31 मार्च 2021 को और 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से अभिचिह्नत कोई आय कर नहीं है।

iv. **प्रभावी कर दरों का समाधान**

विवरण	यथा 31.03.2021		यथा 31.03.2020	
	दर	राशि	दर	राशि
कर पूर्व लाभ		293,481		**247,917**
कंपनी की घरेलू कर दर का इस्तेमाल करते हुए कर	25.17%	73,863	34.94%	86,632
प्रभाव				
अनुसंधान एवं विकास व्ययों पर अतिरिक्त कटौती का प्रभाव	-	-	-5.72%	(14,181)
छूट प्राप्त आय	-	-	-0.06%	(149)
कर प्रोत्साहन	-	-	-0.37%	(914)
पिछले वर्षों से संबंधित प्राक्कलनों में परिवर्तन	-0.64%	(1,888)	-1.61%	(3,995)
गैर-कटौती योग्य व्यय	0.40%	1,166	0.41%	1,017
कर दर में परिवर्तन का प्रभाव	4.76%	13,993	-	-
अन्य	-0.08%	(195)	0.05%	124
प्रभावी कर दर	29.62%	86,939	**27.64%**	**68,534**

v. **आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ) और देयताएँ निम्नलिखित के कारण हैं –**

क्र. सं.	विवरण	आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ)		आस्थगित कर देयताएँ		निवल आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ)/ देयताएँ	
		यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
1	व्यापार प्राप्य	(10,154)	(14,528)	-	-	(10,154)	(14,528)
2	वस्तुसूची	(11,039)	(14,954)	-	-	(11,039)	(14,954)
3	प्रावधान अन्य	(14,687)	(17,908)	-	-	(14,687)	(17,908)
4	कर्मचारी अनुलाभ	(30,429)	(34,916)	-	699	(30,429)	(34,217)

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ)		आस्थगित कर देयताएँ		निवल आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ)/ देयताएँ	
		यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
5	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	–	–	442	166	442	166
6	आस्थगित राजस्व	(268)	(373)	–	–	(268)	(373)
7	अन्य परिसंपत्तियाँ	–	–	1	1	1	1
8	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	–	–	18,010	26,790	18,010	26,790
9	आईसीडीएस समायोजन	–	–	–	–	–	–
10	इक्विटी निवेश	–	–	3	2	3	2
11	अन्य वित्तीय देयताएँ	–	–	7	10	7	10
12	ह्रास का प्रावधान	(2,687)	(2,006)	–	–	(2,687)	(2,006)
13	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	–	–	4,463	7,277	4,463	7,277
14	कुल	(69,265)	(84,685)	22,926	34,945	(46,339)	(49,740)
15	(परिसंपत्ति)/ देयता का पृथक्करण	22,926	34,945	(22,926)	(34,945)	–	–
	निवल आस्थगित कर (परिसंपत्ति)/ देयता	(46,339)	(49,740)	–	–	(46,339)	(49,740)

vi. **आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ) एवं देयताओं का संचलन–**

क्र. सं.	विवरण	यथा 1 अप्रैल,2020 को शेष	2020–2021 के दौरान लाभ व हानि में निर्धारित	2020–2021 के दौरान ओसीआई में निर्धारित	यथा 31 मार्च 2021 को शेष
1	व्यापार प्राप्य	(14,528)	4,374	–	(10,154)
2	वस्तुसूची	(14,954)	3,915	–	(11,039)
3	अन्य प्रावधान	(17,908)	3,221	–	(14,687)
4	कर्मचारी अनुलाभ	(34,217)	7,325	(3,537)	(30,429)
5	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	166	276	–	442
6	आस्थगित राजस्व	(373)	105	–	(268)
7	अन्य परिसंपत्तियाँ	1	–	–	1
8	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	26,790	(8,780)	–	18,010
9	आईसीडीएस समायोजन	-	-	-	-
10	इक्विटी निवेश	2	–	1	3
11	अन्य वित्तीय देयताएँ	10	(3)	–	7
12	ह्रास का प्रावधान	(2,006)	(681)	–	(2,687)
13	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	7,277	(2,814)	–	4,463
	कुल	(49,740)	6,938	(3,536)	(46,339)

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	यथा 01.04.2019 को शेष	2019-20 के दौरान लाभ व हानि में निर्धारित	2019-20 के दौरान ओसीआई में निर्धारित	यथा 31.03.2020 को शेष
1	व्यापार प्राप्य	(13,627)	(901)	-	(14,528)
2	वस्तुसूची	(14,860)	(94)	-	(14,954)
3	अन्य प्रावधान	(21,429)	3,521	-	(17,908)
4	कर्मचारी अनुलाभ	(28,182)	(6,523)	488	(34,217)
5	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	136	30	-	166
6	आस्थगित राजस्व	(373)	-	-	(373)
7	अन्य परिसंपत्तियाँ	1	-	-	1
8	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	26,657	134	-	26,790
9	आईसीडीएस समायोजन	-	-	-	-
10	इक्विटी निवेश	1	-	1	2
11	अन्य वित्तीय देयताएँ	10	-	-	10
12	ह्रास का प्रावधान	(2,012)	6	-	(2,006)
13	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	6,558	719	-	7,277
	कुल	**(47,120)**	**(3,108)**	**489**	**(49,740)**

vii. **अनिर्धारित आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ) / देयताएँ –**

ऐसे कोई अस्थायी अंतर नहीं हैं जिनमें 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ) / देयताओं को निर्धारित किया गया।

vii. **आगे ले जाई गई कर की हानि –**

ऐसे कोई कर की हानि नहीं हैं जिसे 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ)/देयताओं को निर्धारित किया गया।

ix. समाधान के लिए प्रयुक्त कर की दर 25.168% (34.944%) की कार्पोरेट कर दर है जो आय कर अधिनियम, 1961 के तहत कर योग्य लाभों पर कार्पोरेट संस्थाओं द्वारा देय होती है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए जिसे कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा शामिल किया गया, के तहत निम्नतर कर का विकल्प लिया है।

टिप्पणी 11
वस्तुसूची

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
गैर चालू		
कच्चा माल और घटक	47,115	47,542
जोड़ें - मार्गस्थ कच्चा माल और घटक	91	108
घटाएँ - प्रावधान	(43,358)	(42,501)
	3,848	**5,149**
व्यापारगत स्टॉक	188	54
घटाएँ - प्रावधान	(188)	(54)
	-	-

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
भंडार व पुर्जे	257	264
घटाएँ – प्रावधान	(236)	(198)
	21	66
खुले औजार	147	119
घटाएँ – प्रावधान	(78)	(79)
	69	40
उप कुल (क)	3,938	5,255
चालू		
कच्चा माल और घटक	2,89,541	2,12,633
जोड़ें – मार्गस्थ कच्चा माल और घटक	29,168	22,771
	3,18,709	2,35,404
चालू कार्य	1,36,061	1,26,787
तैयार माल	17,874	21,632
जोड़ें – मार्गस्थ तैयार माल	9,801	2,514
	27,675	24,146
व्यापारगत स्टॉक	6,053	971
जोड़ें – मार्गस्थ व्यापारगत स्टॉक	–	38
	6,053	1,009
भंडार व पुर्जे	1,955	2,531
जोड़ें – मार्गस्थ भंडार व पुर्जे	6	69
	1,961	2,600
खुले औजार	747	880
जोड़ें – मार्गस्थ खुले औजार	–	1
	747	881
रद्दी का निपटान	323	193
उप कुल (ख)	4,91,529	3,91,020
कुल (क+ख)	4,95,467	3,96,275

i. कच्चे माल और घटकों में रु. 8,440 (रु. 9,643) शामिल हैं जो उप-ठेकेदारों के पास धारित माल है जिसमें रु. 694 (रु. 367) का माल पुष्टिकरण और समाधान के अधीन है । रु. 694 (रु. 367) के समक्ष, रु. 694 (रु. 366) की राशि का प्रावधान किया गया है

ii. **वर्ष की स्टॉक सत्यापन विसंगतियाँ इस प्रकार हैं –**

रु. 473 (रु. 1,294) की कमी और रु. 405 (रु. 412) का अधिशेष । समाधान के लंबित होने पर, रु. 68 (रु. 887) की राशि का प्रावधान किया गया है।

iii. वस्तुसूचियों का मूल्यांकन कंपनी की लेखा नीति सं. 18 के अनुसार किया गया है।

iv. क. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय ने 05.11.2007 से 31.03.2012 की सत्यापन अवधि के लिए 2.5 मे.वॉ. बीईएल ग्रिड कनेक्टेड पवन शक्ति परियोजना, दावणगेरे जिला, कर्नाटक के लिए, पूर्व के वर्षों के दौरान 15,856 (15,856) टन CO2ईक्यू कार्बन क्रेडिट मंजूर किया है। इन कार्बन क्रेडिट को रु.2 (रु. 2) के मूल्य पर तैयार माल के तहत शामिल किया जाता है। सी.ई.आर. को आईसीएआई द्वारा जारी सीईआर संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी द्वारा यथा अपेक्षित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है ।

ख. प्रमाणीकरण के तहत सीईआर – कुछ नहीं (कुछ नहीं)

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

ग. वर्ष के दौरान उत्सर्जन कम करने वाले उपकरणों का मूल्यह्रास और प्रचालन –

क्र. सं.	विवरण	2020–21	2019–20
i.	मूल्यह्रास	287	273
ii.	उत्सर्जन कम करने वाले उपकरणों की प्रचालनीय लागत	154	203
कुल		441	476

v. **सुरक्षा, दृष्टिबंधन आदि**

टिप्पणी 35 देखें।

v. **लाभ व हानि का विवरण में दर्शित राशि**

वस्तुसूचियों को निवल वसूली योग्य मूल्य में बट्टे खाते में डालने की राशि रु. 1,599 (रु. 5,067) है, को लाभ व हानि के विवरण में दर्शाया गया।

vi. वर्ष के दौरान वस्तुसूचियों को बट्टे खाते में डालने का रु. 1,985 (रु. 3,389) का व्युत्क्रमण किया गया जिन्हें पिछले वर्ष में व्यय के रूप में दर्शाया गया ।

vii. **परिसंपत्तियों की ह्रास**

वस्तुसूची का प्रावधान कंपनी की लेखा नीति सं. 18के अनुरूप किया गया है।

viii. रु. 4,370 (रु. 3,319) राशि की सामग्री को ग्राहक के परिसर में वास्तविक रूप से देखा गया ।

x. कंपनी ने संविदाजन्य शर्तों के अनुसार ग्राहकों की परिसंपत्तियों को प्राप्त किया / प्रतिधारित किया है जो वस्तुसूची का भाग नहीं है।

टिप्पणी 12
अन्य परिसंपत्तियाँ

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
गैर चालू		
पूँजीगत अग्रिम	1,366	620
	1,366	620
पूँजीगत अग्रिमों के अलावा अग्रिम		
क्रय के लिए अग्रिम	2,743	2,761
घटाएँ – प्रावधान	(2,743)	(2,761)
	–	–
संविदा परिसंपत्ति	13,363	10,226
घटाएँ – प्रावधान	(13,363)	(10,226)
	–	–
अन्य		
सीमा शुल्क, पत्तन न्यास तथा अन्य सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष	470	350
घटाएँ – प्रावधान	(397)	(277)
	73	73
पूर्वदत्त व्यय	64	81
प्राप्त दावे – क्रय	973	569
घटाएँ – प्रावधान	(973)	(569)
	–	–

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
संविदा की लागत	37,578	33,304
अन्य – परिसंपत्तियाँ	29	29
घटाएँ – प्रावधान	(29)	(29)
	–	–
उप कुल (क)	39,081	34,078
चालू		
पूँजीगत अग्रिमों के अलावा अग्रिम		
कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम	637	710
क्रय के लिए दिए गए अग्रिम	1,66,327	1,36,977
संविदा परिसंपत्ति	4,66,681	4,27,168
अन्य		
सीमा शुल्क, पत्तन न्यास तथा अन्य सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष *	28,472	26,451
पूर्वदत्त व्यय	5,642	3,876
पूर्वदत्त कर	6,037	6,761
प्राप्त दावे – क्रय	1,431	2,072
संविदा परिसंपत्ति	14,392	–
अन्य – परिसंपत्तियाँ	1,028	1,209
उप कुल (ख)	6,90,647	6,05,224
कुल (क+ख)	7,29,728	6,39,302

* माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास में निर्णय लंबित होने के कारण, ₹1,497 (1497) का जीएसटी संक्रमणकालीन क्रेडिट का उपयोग किया जाना लंबित है।

i. **परिसंपत्तियों की ह्रास**

गैर वित्तीय परिसंपत्तियों के ह्रास का प्रावधान कंपनी की लेखा नीति सं. 13 के अनुरूप किया गया है।

ii. **संबंधित पक्षकारों के प्रकटण**

संबंधित पक्षकारों के प्रकटण के लिए टिप्पणी 31 देखें।

iii. **संविदा परिसंपत्तियों की ह्रास**

संविदा परिसंपत्तियों की ह्रास रु. 3,210 (रु. 1,073).

iv. **उचित मूल्य का मापन**

विवरण	यथा 31 मार्च 2021			यथा 31 मार्च 2020		
	एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत
संविदा परिसंपत्ति	–	–	466,681	–	–	427,168

v. संविदा की लागत का अंतिम शेष ग्राहकों से रु. 6,329 (रु. 4,659) और की संविदा प्राप्त करने की लागत दर्शाता है तथा संविदा पूरा करने की लागत रु. 45,641 (रु. 28,645).

vi. **संविदा लागतों का परिशोधन और ह्रास**

संविदा लागतों के परिशोधन का निर्धारण जो संविदा लागत से अपेक्षित अनुलाभ की अवधि के आधार पर किया गया, रु. 7,527 (रु. 6,163) है। संविदा लागतों का ह्रास कुछ नहीं (कुछ नहीं) निर्धारित किया गया।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

टिप्पणी 13
नकद और नकद समतुल्य

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
बैंकों के पास शेष	51,049	35,620
हस्तस्थ नकद	1	2
मीयादी जमा	2,50,515	1,20,000
	3,01,565	1,55,622

i. नकद व नकद समतुल्य में तीन महीनों तक की परिपक्वता अवधि की मीयादी जमा शामिल हैं। तीन महीनों से अधिक और बारह महीनों तक की परिपक्वता अवधि की मीयादी जमा को बैंक शेष में शामिल किया गया है (टिप्पणी 14 देखें) और बाहर महीनों से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि की मीयादी जमा को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ में शामिल किया गया है (टिप्पणी 9 देखें)।

ii. वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

iii. **बैंक शेष में शामिल हैं –**

क. माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय से प्राप्त स्थगन आदेश के अनुसार, बैंक प्राधिकारियों ने वसूली अधिकारी - ईएसआई निगम द्वारा जारी गारनिशी आदेश के आधार पर रु. 46 (कुछ नहीं) रोक रखा है।

ख. मध्य प्रदेश वैट प्राधिकारी (जबलपुर) से प्राप्त आदेश के अनुसार बैंक प्राधिकारियों ने रु. 66 (कुछ नहीं) रोक रखा है।

iv. नकद व नकद समतुल्य के संबंध में कोई प्रत्यावर्ती प्रतिबंध नहीं है।

टिप्पणी 14
बैंक शेष [उपर्युक्त (ii) के अलावा]

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
मीयादी जमा	1,98,000	-
अदत्त लाभांश खाता *	1,256	148
	1,99,256	148

* इसमें लाभांश वितरण पर रोका गया रु. 1,045 का कर शामिल है।

i. वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

ii. कंपनी ने ऐसा कोई मीयादी जमा नहीं किया है जिसकी मूल परिपक्वता अवधि बाहर महीनों से अधिक है।

टिप्पणी 15
चालू कर संपत्तियाँ / देयता

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
चालू कर संपत्तियाँ (निवल)		
आय कर का अग्रिम भुगतान	12,998	27,989
	12,998	27,989
चालू कर देयता (निवल)		
कराधान का प्रावधान	-	-
	-	-

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

टिप्पणी 16

क. इक्विटी शेयर पूँजी

	विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
i.	**अधिकृत पूँजी**		
	आईएनआर 1 (आईएनआर 1) प्रत्येक के 250,00,00,000 (250,00,00,000) इक्विटी शेयर	25,000	25,000
ii.	**जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण चुकता पूँजी**		
	आईएनआर 1 (आईएनआर 1) प्रत्येक के 243,65,92,943 (243,65,92,943) इक्विटी शेयर	24,366	24,366

iii. **अवधि के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का समाधान**

विवरण	यथा 31 मार्च 2021		यथा 31 मार्च 2020	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में बकाया शेयर	2,436,592,943	24,366	2,436,592,943	24,366
जोड़ें – वर्ष के दौरान जारी शेयर	–	–	–	–
घटाएँ – वर्ष के दौरान पुन:खरीद किए गए शेयर	–	–	–	–
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयर	2,436,592,943	24,366	2,436,592,943	24,366

iv. **कंपनी में 5% से अधिक शेयर धारित करने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयर**

विवरण	यथा 31 मार्च 2021		यथा 31 मार्च 2020	
	शेयरों की सं.	शेयरधारण का %	शेयरों की सं.	शेयरधारण का %
भारत सरकार	124,59,73,978	51.14%	124,59,73,978	51.14%
सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम (सीपीएसईईटीएफ)	13,75,69,765	5.65%	–	–
एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लि. – खाता एचडीएफसी मिड-कैप अपार्च्युनिटी फंड	13,63,88,678	5.60%	–	–

v. **पिछले 5 वर्षों के दौरान बोनस शेयरों द्वारा पूर्ण चुकता के रूप में आबंटित शेयरों की कुल संख्या और वर्ग।**

बोनस शेयरों द्वारा पूर्ण चुकता के रूप में आबंटित इक्विटी शेयर –

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
शेयरों की संख्या	16,00,00,000	–	22,33,62,793	–	–

vi. **पिछले 5 वर्षों के दौरान पुन:खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या और वर्ग।**

पुन:खरीदे गए इक्विटी शेयर –

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
शेयरों की संख्या	–	16,637,207	20,397,780	–	–

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

vii. पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी ने संविदा के अनुसार नकद भुगतान प्राप्त किए बिना पूर्ण चुकता शेयर आबंटित नहीं किया है।

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
viii. विकल्प के तहत जारी करने के लिए आरक्षित शेयर तथा शेयर / विनिवेश की बिक्री की संविदाएँ/प्रतिबद्धताएँ	-	-
ix. अदत्त कॉल का कुल मूल्य (कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों सहित)	-	-
x. जब्त शेयर	-	-

xi. **प्रत्येक वर्ग के शेयर से संबद्ध निबंधन, अधिकार, अधिमानता और प्रतिबंध**

क. कंपनी में केवल एक वर्ग के शेयर नामत: इक्विटी शेयर हैं।

ख. इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक हाथ दिखाकर एक मत के हकदार होंगे और धारित शेयरों की संख्या के अनुपात में मतदान कर सकेंगे।

ग. प्रत्येक शेयरधारक को कंपनी द्वारा घोषित लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है।

घ. कंपनी के समापन पर, इक्विटी शेयरधारक नियमों के अनुसार सभी अधिमान राशियों के वितरण के बाद, कंपनी की शेष परिसंपत्तियाँ, यदि कोई हो, के वसूल किए जाने वाले मूल्य के हकदार होंगे। यह वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में किया जाएगा।

xii. **क. अंतरिम लाभांश और अंतिम लाभांश**

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय वर्ष 2019-2020 और वित्तीय वर्ष 2018-2019 के क्रमश: अंतिम लाभांश	34,112	41,422
वित्तीय वर्ष 2020-2021 और वित्तीय वर्ष 2019-2020 के क्रमश: अंतरिम लाभांश	68,225	34,112
लाभांश वितरण कर	-	15,439

ख. प्रारक्षणों की प्रकृति और उद्देश्य

क. पूँजीगत प्रारक्षण

पूँजी प्रारक्षण प्रतिधारित अर्जन से अंतरण करते हुए बनाया जाता है जो कंपनी द्वारा अर्जित पूँजीगत लाभ के समतुल्य राशि होती है। इस प्रारक्षण का पयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

ख. पूँजी मोचन प्रारक्षण

पूँजी मोचन प्रारक्षण सामान्य प्रारक्षण से अंतरण करते हुए बनाया जाता है जो पुन:खरीद किए गए शेयरों के अंकित मूल्य के समतुल्य राशि होती है। इस प्रारक्षण का पयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।.

ग. अन्य व्यापक आय (ओसीआई) द्वारा इक्विटी निवेश

कंपनी ने अन्य व्यापक आय में कुछेक इक्विटी निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को दर्शाने का विकल्प लिया है। उचित मूल्य में परिवर्तन इस प्रारक्षण में संचित होता है। जब कभी निवेश को न दर्शाने का विकल्प लिया जाता है, संचित राशि को प्रतिधारित अर्जन को अंतरित कर दिया जाता है।

घ. अन्य व्यापक आय (ओसीआई)

अन्य व्यापक आय ऐसी लब्धियाँ और हानियाँ होती हैं जिनकी वसूली अभी नहीं हुई है और जिन्हें लाभ व हानि के विवरण में शामिल नहीं किया गया है। इसमें मुख्य रूप से निवल निर्धारित अनुलाभ देयता / परिसंपत्ति (निवल कर) का पुनर्मापन शामिल किया जाता है।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

टिप्पणी 17
आस्थगित आय

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
गैर चालू		
सरकारी अनुदान - आस्थगित	6,493	6,889
उप कुल(क)	6,493	6,889
चालू		
सरकारी अनुदान - आस्थगित	396	422
उप कुल(ख)	396	422
कुल(क+ख)	6,889	7,311

i. प्रस्तुतीकरण की विधि के लिए लेखा नीति 16 देखें

ii. सरकारी अनुदान की उपयोगिता की प्रकृति		
क. राजस्व खर्च	–	–
ख. पूँजीगत खर्च		
i. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	6,889	7,311
iii. अन्य प्रकार की सरकारी सहायता जिससे कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिला है	–	–
iv. सरकारी अनुदान से संबद्ध पूरी न की गई शर्तों के विवरण	–	–
v. सरकारी अनुदान से संबद्ध आकस्मिकताएँ	–	–

vi. प्राप्त उक्त अनुदान सौर शक्ति संयंत्रो के लिए व्यवहार्यता कमी के वित्त-पोषण, रूफ़ टॉप सौर प्रणालियों तथा ज़ेडएनएस परियोजना के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-शिप) संशोधित सहायता को दर्शाते हैं।

टिप्पणी 18
उधार

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
गैर चालू		
रक्षित		
बैंकों से मीयादी ऋण	–	–
	–	–

i. **बैंकों से मीयादी ऋण**

विवरण	2020-21	2019-20
तुलन-पत्र की तारीख में कुल देयता	–	833
घटाएँ – दीर्घकालीन कर्ज की चालू परिपक्वता *	–	833
घटाएँ – मीयादी ऋण पर प्रोद्भूत और देय ब्याज	–	–
गैर चालू उधार	–	–

* टिप्पणी 20 में दर्शित

ii. **सुरक्षा की प्रकृति–**

टिप्पणी 35 देखें ।

iii. **चुकौती के निबंधन –**

जून 2017 से प्रारंभ होने वाली तिमाही और मार्च 2020 को समाप्त तिमाही तक 12 तिमाही किस्तों में चुकौती योग्य।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

iv. **ब्याज दर –**

आरबीआई / एसबीआई के दिशा निर्देशों और कंपनी की जोखिम श्रेणी के आधार पर और संशोधन के अधीन, 7.75% प्रति वर्ष ।

v. **तुलन–पत्र की तारीख में चूक की अवधि और राशि –**

कुछ नहीं

टिप्पणी 19
व्यापार देय

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
गैर चालू		
अन्य	29	20
उप कुल(क)	29	20
चालू		
– सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय	15,204	6,478
– अन्य	314,450	235,997
उप कुल(ख)	329,654	242,475
कुल(क+ख)	329,683	242,495

i. 31 मार्च, 2021 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के तहत यथा अपेक्षित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय संबंधी सूचना नीचे दी गई है –

विवरण	2020–21	2019–20
क. उस पर देय मूलधन और ब्याज जो 31 मार्च को अदत्त थे –		
मूलधन *	15,412	6,748
ब्याज	6	7
ख. एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के परिप्रेक्ष्य में कंपनी द्वारा अदा किया गया ब्याज और 31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान निर्धारित दिन के बाद किए गए भुगतान की राशि –		
मूलधन	–	–
ब्याज	5	1
ग. 31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्युत्क्रमित ब्याज	–	–
घ. विलंब की अवधि के लिए देय और प्रदेय ब्याज (जिसका भुगतान तो किया गया लेकिन वर्ष के दौरान निर्धारित दिन के बाद) परंतु अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।**	–	–
ङ. 31 मार्च को समाप्त वर्ष के अंत में प्रोद्भूत एवं अदत्त ब्याज	6	7
च. ब्याज जो बाद के वर्षों में भी देय और प्रदेय तब तक बना रहा जब तक उपरोक्तानुसार ब्याज की देय राशियाँ एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती करने योग्य खर्च के रूप में अस्वीकृत करने के प्रयोजनार्थ लघु उद्यम को वास्तविक रूप से अदा नहीं कर दी गई।	4	5

* इसमें टिप्पणी 20 में दर्शित राशि शामिल है ।

** इसमें आईएनआर 3,499 [परम अंक को दर्शाता है] शामिल है जिसे पूर्णांकित किया गया है।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

i. **वित्तीय विलेख**

वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

ii. **संबंधित पक्षकारों के प्रकटण**

संबंधित पक्षकारों के प्रकटण के लिए टिप्पणी 31 देखें।

iv. यह सूचना ऐसे आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में उस सीमा तक दी गई है जहां तक उन्हें कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है और लेखा परीक्षकों द्वारा इस पर विश्वास किया गया है।

v. व्यापार देय के संबंध में मुद्रा तथा चलनिधि के जोखिम के प्रति कंपनी का एक्सपोज़र टिप्पणी 34 में प्रकट किया गया है।

टिप्पणी 20
अन्य वित्तीय देयताएँ

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
गैर चालू		
सुरक्षा जमा	671	4,751
अन्य पट्टेदारी देयताएँ	117	183
उप कुल(क)	788	4,934
चालू		
सुरक्षा जमा	26,554	17,598
दीर्घकालीन उधार की चालू परिपक्व राशियाँ *	-	833
व्यापार देय पर प्रोद्भूत एवं देय ब्याज **	6	7
अन्य व्यापार देय	20,815	13,805
अदत्त परिपक्व जमा राशियाँ	37	37
अदत्त लाभांश	211	148
सूक्ष्म व लघु उद्यम को देय गैर-व्यापार देय	208	270
बकाया व्यय	46,551	49,443
अन्य पट्टाधारित देयताएँ	135	114
अन्य देयताएँ	1,162	940
उप कुल(ख)	95,679	83,195
कुल (क+ख)	96,467	88,129
तुलन-पत्र की तारीख को निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि को अंतरित की जाने वाली राशि	कुछ नहीं	कुछ नहीं

* (टिप्पणी 18 देखें)

** (टिप्पणी 19 देखें)

i. **वित्तीय विलेख**

वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

टिप्पणी 21

प्रावधान

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
गैर चालू		
कर्मचारी अनुलाभ		
दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियाँ	36,101	32,584
बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना (बीईआरईसीएचएस)	75,567	56,604
भविष्य निधि ब्याज देयता	-	603
अन्य		
दुर्वह संविदाओं का प्रावधान	573	109
कार्य-निष्पादन वारंटी का प्रावधान	26,345	24,043
स्थल पुन:स्थापन बाध्यता का प्रावधान	2,158	2,114
उप कुल(क)	1,40,744	1,16,057
चालू		
कर्मचारी अनुलाभ		
उपदान*	(1,501)	1,602
दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियाँ	3,713	3,115
बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना (बीईआरईसीएचएस)	6,940	4,301
भविष्य निधि ब्याज देयता	-	1,231
अन्य		
कार्य-निष्पादन वारंटी का प्रावधान	23,846	19,732
दुर्वह संविदाओं का प्रावधान	1,248	1,555
उप कुल(ख)	34,246	31,536
कुल(क+ख)	1,74,990	1,47,593

* बाध्यता पर योजित परिसंपत्ति का अतिरिक्त दर्शाता है।

i. **2020–21 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधानों का संचलन**

विवरण	कार्य–निष्पादन वारंटी	दुर्वह संविदा	स्थल पुन:स्थापन देयता
1 अप्रैल को	**43,775**	**1,664**	**2,114**
वर्ष के दौरान अभिचिह्नित अतिरिक्त प्रावधान	27,158	1,294	44
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि (नीचे की टिप्पणी v देखें)	-	-	-
वर्ष के दौरान व्युत्क्रमित राशि	20,742	1,137	-
31 मार्च को	50,191	1,821	2,158

2019–2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधानों का संचलन

विवरण	कार्य–निष्पादन वारंटी	दुर्वह संविदा	स्थल पुन:स्थापन देयता
1 अप्रैल को	**49,182**	**5,778**	**1,285**
वर्ष के दौरान अभिचिह्नित अतिरिक्त प्रावधान	23,612	4,176	829
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि(नीचे की टिप्पणी v देखें)	-	-	-
वर्ष के दौरान व्युत्क्रमित राशि	29,019	8,290	-
31 मार्च को	**43,775**	**1,664**	**2,114**

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

ii. **वारंटियों का प्रावधान – कंपनी की लेखा नीति 20 के अनुसार**

ऐसे उत्पादों के संबंध में वारंटियों का प्रावधान किया जाता है जिनकी सामान्य वारंटी अवधि बकाया होती है। चूँकि वारंटी प्रावधान की अवधि उत्पाद-दर-उत्पाद अलग भिन्न होती है, वारंटी अवधि की औसत अवधि के आधार पर रणनीतिक कारोबारी यूनिट (एसबीयू) स्तर पर प्रावधान किया जाता है। संभावित व्ययों की प्रवृत्ति आधारित प्राक्कलन के आधार पर प्रावधान किया जाता है। इस प्रावधान का मापन वारंटी की प्राक्कलित लागत के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है।

iii. **स्थल पुन:स्थापन का प्रावधान – कंपनी की लेखा नीति 23 के अनुसार**

पट्टादाता के साथ किए गए पट्टा करार के निबंधनों व शर्तों के अनुसार, कंपनी को भूमि उसकी मूल स्थिति में वापस करना है। तदनुसार, स्थल पुन:स्थापन देयता का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान की समीक्षा की जाती है और प्रत्येक वर्षांत में आवश्यक समायोजन किए जाते हैं।

इस प्रावधान का मापन पुन:स्थापन की लागत के सर्वोत्तम प्राक्कलन के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है।

iv. **दुर्वह संविदाओं का प्रावधान – कंपनी की लेखा नीति 23 के अनुसार**

कंपनी द्वारा की गई कुछेक संविदाओं के संबंध में, यह अपेक्षा की जाती है कि संविदा को पूरी करने की संभावित लागत संविदा के समक्ष प्राप्त / प्राप्य राजस्व से अधिक होगी। ऐसे मामलों में, संभावित हानियों का प्रावधान किया गया। इस प्रावधान की समीक्षा की जाती है और प्रत्येक वर्षांत में आवश्यक समायोजन किए जाते हैं। इस प्रावधान का मापन संभावित हानि की प्राक्कलित लागत के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है।

v. प्रारंभिक प्रावधान को नामे की गई राशि ।

vi. वारंटी की लागत के संबंध में नैसर्गिक कोड शीर्ष के समक्ष ₹ 7873(₹ 14156) की राशि नामें की गई ।

स्थल पुन:स्थापन की देयता के संबंध में नैसर्गिक कोड शीर्षक के समक्ष कुछ नहीं राशि कुछ नहीं (कुछ नहीं) नामे की गई ।

vii. ऐसी बिक्री के संबंध में कार्य-निष्पादन वारंटी देयता, जहाँ पूर्तिकर्ता की दुतरफा वारंटी उपलब्ध है, पूर्तिकर्ता द्वारा चूक करने की स्थिति में संभावित देयता यदि कोई हो, अभिनिश्चित नहीं की जाती और इसका महत्वपूर्ण होना अपेक्षित नहीं है ।

viii. वेंटीलेटर परियोजना के संबंध में कार्य-निष्पादन वारंटी प्रबंधन के सर्वोत्तम प्राक्कलन पर आधारित है चूंकि इसकी प्रवृत्ति को सामान्य क्रम में स्थापित नहीं किया जा सकता।

(क). नियोजन पश्चात् कर्मचारी अनुलाभ देयता

(i). उपदान –

कंपनी भारत में उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अनुसार कर्मचारियों को उपदान प्रदान करती है। कंपनी में अपने कर्मचारियों के लिए एक उपदान योजना है जो वित्त-पोषित योजना है। प्रत्येक वर्ष कंपनी निधि देयताओं पर परिसंपत्तियों की कमी की सीमा तक इस उपदान ट्रस्ट में निधि विप्रेषित करती है जो बीमांकक मूल्यांकन द्वारा तय की जाती है। इस उपदान योजना के अनुसार, कंपनी में कम से कम पाँच वर्षों की सतत् सेवा प्रदान करने के बाद सेवा समाप्ति पर कर्मचारी को देय होता है। सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या छ: महीनों की अवधि से अधिक भाग के लिए, कंपनी अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर पंद्रह दिन के वेतन की दर से कर्मचारी को उपदान का भुगतान करती है।

निम्नलिखित टेबल में लाभ व हानि की विवरणी में निर्धारित निवल अनुलाभ व्यय के घटक और तुलन-पत्र में निर्धारित राशियों का सार और बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार वर्षों के दौरान निवल निर्धारित अनुलाभ देयता का संचलन दिया गया है –

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

विवरण	2020–21	2019–20
i) देयताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन –		
वर्ष के प्रारंभ में देयताओं का वर्तमान मूल्य	71,304	63,187
चालू सेवा लागत	1,783	1,713
ब्याज की लागत	4,559	4,654
विगत सेवा लागत	–	–
अदा किए गए अनुलाभ	(5,490)	(4,870)
अन्य व्यापक आय में निर्धारित बीमांकिक (लब्धि) / हानि		
योजित देयता में वित्तीय मान्यताओं का परिवर्तन – हानि / (लब्धि)	(1,938)	5,957
योजित देयता में अनुभव समायोजन – हानि / (लब्धि)	(16)	663
अवधि के अंत में देयताओं का वर्तमान मूल्य	**70,202**	**71,304**
ii) योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन –		
वर्ष के प्रारंभ में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	69,702	64,322
योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति	4,532	4,970
अंशदान	2,400	6,000
अदा किए गए अनुलाभ	(5,490)	(4,870)
अन्य व्यापक आय में निर्धारित योजित परिसंपत्तियों पर बीमांकक लब्धि / (हानि)	559	(720)
अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**71,703**	**69,702**
निर्धारित अनुलाभ (परिसंपत्ति) / देयता	**(1,501)**	**1,602**
परिसंपत्ति की ऊपरी सीमा के प्रभाव – वर्ष के प्रारंभ में	**–**	**–**
परिसंपत्ति की ऊपरी सीमा के प्रभाव – वर्ष के अंत में	**–**	**–**
निवल निर्धारित अनुलाभ (परिसंपत्ति) / देयता	**(1,501)**	**1,602**
iii) लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित व्यय –		
चालू सेवा लागत	1,783	1,713
निवल निर्धारित अनुलाभ देयता पर निवल ब्याज	27	(317)
विगत सेवा लागत	–	–
लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित व्यय	1,810	1,396
iv) अन्य व्यापक आय के विवरण में निर्धारित राशियाँ (पुन:मापन) –		
योजित देयताओं पर बीमांकिक (लब्धि) / हानि	(1,954)	6,621
योजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्राप्ति और ब्याज की आय के बीच का अंतर – (लब्धि) / हानि	(559)	721
तुलन–पत्र की परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	–	(81)
अन्य व्यापक आय के विवरण में निर्धारित राशियाँ	(2,513)	7,261
v) तुलन–पत्र में निर्धारित राशियाँ –		
अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	70,202	71,304
अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	71,703	69,702
वित्त पोषण की स्थिति [(अधिशेष) / कमी]	**(1,501)**	**1,602**
परिसंपत्ति की सीमा के प्रभाव – वर्ष के प्रारंभ में	**–**	**–**
परिसंपत्ति की सीमा के प्रभाव – वर्ष के अंत में	**–**	**–**
तुलन–पत्र के अनुसार 31 मार्च को वर्ष की देयता / (परिसंपत्ति)	**(1,501)**	**1,602**

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

विवरण	2020–21	2019–20
vi) योजित परिसंपत्तियाँ		
योजित परिसंपत्तियों के वर्ग इस प्रकार हैं –		
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	0.11%	0.12%
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	1.18%	1.22%
उच्च गुणता के कार्पोरेट बांड	ड्ड	ड्ड
बीमाकर्ता के पास निवेश	98.70%	98.65%
अन्य (बैंक शेष)	0.01%	0.01%
vii) बीमांकक मान्यताएँ –		
बट्टे की दर	6.96%	6.65%
प्रतिपूरक स्तर में वृद्धि की दर	7.00%	7.00%
योजित परिसंपत्तियों पर प्राप्ति की अपेक्षित दर	6.96%	6.65%
अनुमानित औसत भावी कार्यशील जीवन	15.30	15.90
viii) अदा किए जाने वाले अंशदान का सर्वोत्तम प्राक्कलन –		
तुलन–पत्र के बाद शुरु होने वाली वार्षिक अवधि के दौरान उपदान के लिए अदा किए जाने वाले अंशदान का सर्वोत्तम प्राक्कलन कुछ नहीं (रु.1,602) है ।		
ix) संवेदनशीलता विश्लेषण –		
बट्टे की दर (0.50% संचलन) में वृद्धि	7.46%	7.15%
अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता में वृद्धि / (कमी)	(2,931)	(3,069)
बट्टे की दर (0.50% संचलन) में कमी	6.46%	6.15%
अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता में वृद्धि / (कमी)	3,176	3,329
वेतन वृद्धि दर (0.50% संचलन) में वृद्धि	7.50%	7.50%
अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता में वृद्धि / (कमी)	904	1,049
वेतन वृद्धि दर (0.50% संचलन) में कमी	6.50%	6.50%
अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता में वृद्धि / (कमी)	(960)	(1,133)

अतिरिक्त प्रकटण –

i. संवेदनशीलता विश्लेषण में अन्य मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए एक समय में एक प्रमुख बीमांकिक मान्यता का परिवर्तन शामिल है। संवेदनशील विश्लेषण 50 मूल अंकों तक जोड़ते या घटाते हुए परिवर्तित मान्यताओं के संपूर्ण मूल्यांकन मॉडल को दोबारा चलाते हुए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए किया गया है।

ii. पिछले वर्ष की तुलना में संवेदनशीलता विश्लेषण करने में प्रयुक्त विधियों और मान्यताओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

iii. उपदान निर्धारित अनुलाभ देयता का परिपक्वता प्रोफाइल नीचे दिए गया है –

वर्ष	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
वर्ष 1	3,774	3,091
वर्ष 2	9,324	9,288
वर्ष 3	7,180	6,450
वर्ष 4	8,270	7,031
वर्ष 5	7,967	8,038
अगले 5 वर्ष	30,750	33,363

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

(ii). **बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना (बीईआरईसीएचएस) –**

कंपनी में अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक अंशदायी स्वास्थ्य योजना "बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना" (बीईआरईसीएचएस) है जो गैर–वित्त पोषित योजना है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों या वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करना है। इस योजना के तहत अनुलाभ ऐसे कर्मचारियों को उपलब्ध होते हैं जो स्वयं और जिनकी पत्नी/पति मात्र इसके सदस्य बनते हैं। दिनांक 01.04.2021 से कंपनी ने सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए अंतःरोगी और बाह्यरोगी दोनों प्रकार के उपचार के लिए बीमा लिया है ।

निम्नलिखित टेबल में लाभ व हानि की विवरणी में निर्धारित निवल अनुलाभ व्यय के घटक और तुलन–पत्र में निर्धारित राशियों का सार और बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार वर्षों के दौरान निवल निर्धारित अनुलाभ देयता का संचलन दिया गया है –

	विवरण	2020–21	2019–20
i)	देयताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन –		
	वर्ष के प्रारंभ में देयताओं का वर्तमान मूल्य (पीवीओ)	60,905	55,625
	चालू सेवा लागत	3,185	2,909
	ब्याज की लागत	4,050	4,278
	अदा किए गए अनुलाभ	(18)	447
	अन्य व्यापक आय में निर्धारित बीमांकिक (लब्धि) / हानि		
	योजित देयता पर वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन – हानि / (लब्धि)	(1,104)	7,333
	योजित देयता पर अनुभव समायोजन – हानि / (लब्धि)	14,482	(9,687)
	योजित देयताओं पर जनसांख्यिकीय मान्यता में परिवर्तन पर प्रभाव, हानि / लब्धि	1,007	-
	अवधि के अंत में देयताओं का वर्तमान मूल्य	**82,507**	**60,905**
ii)	गैर–योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन (प्रतिपूर्ति के अधिकार) –		
	वर्ष के प्रारंभ में गैर–योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	59,839	55,908
	गैर–योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति	4,262	4,283
	प्रत्यक्ष अनुलाभ भुगतान करने के लिए प्रत्यक्ष अंशदान	4,280	3,836
	अदा किए गए अनुलाभ	(4,280)	(3,836)
	अन्य व्यापक आय में निर्धारित गैर–योजित परिसंपत्तियों पर बीमांकक लब्धि / (हानि)	(371)	(352)
	गैर–योजित परिसंपत्तियों में अंशदान	8,500	-
	अवधि के अंत में गैर–योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**72,230**	**59,839**
iii)	लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित व्यय –		
	प्रारंभिक निवल देयता	-	-
	चालू सेवा लागत	3,185	2,909
	निर्धारित अनुलाभ देयता पर ब्याज	4,050	4,278
	लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित निवल व्यय	**7,235**	**7,187**
	[व्यय – रु. 389 (कुछ नहीं), प्रावधान – रु. 6,846 (रु. 7,187)]		
iv)	अन्य व्यापक आय के विवरण में निर्धारित राशियाँ (पुन:मापन) –		
	गैर–योजित देयताओं पर बीमांकिक (लब्धि) / हानि	14,385	(2,353)
	गैर–योजित परिसंपत्तियों पर बीमांकिक (लब्धि) / हानि	371	352
	अन्य व्यापक आय के विवरण में निर्धारित राशियाँ	**14,756**	**(2,001)**

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

विवरण	2020–21	2019–20
v) तुलन–पत्र में निर्धारित राशियाँ –		
अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	82,507	60,905
अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–
वित्त–पोषण की स्थिति	(82,507)	(60,905)
तुलन–पत्र में निर्धारित देयता (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार)	**82,507**	**60,905**
अगले बारह महीनों में प्रदेय के लिए अपेक्षित	**6,940**	**4,301**
अगले बारह महीनों के बाद प्रदेय के लिए अपेक्षित	**75,567**	**56,604**
vi) बीमांकक मान्यताएँ –		
बट्टे की दर	6.96%	6.65%
चिकित्सा स्फीति दर	6.25%	6.00%
पलायन दर	1.00%	1.00%
vii) सेवा लागत और ब्याज की लागत तथा निर्धारित अनुलाभ देयता के योग पर मानी गई स्वास्थ्य सेवा लागत की प्रवृत्ति दरों में एक प्रतिशत बिंदु वृद्धि का प्रभाव –		
सेवा लागत और ब्याज की लागत के योग पर प्रभाव	1,442	1,098
निर्धारित अनुलाभ देयता पर प्रभाव	11,798	9,313
सेवा लागत और ब्याज की लागत तथा निर्धारित अनुलाभ देयता के योग पर मानी गई स्वास्थ्य सेवा लागत की प्रवृत्ति दरों में एक प्रतिशत बिंदु कमी –		
सेवा लागत और ब्याज की लागत के योग पर प्रभाव	(1,174)	(884)
निर्धारित अनुलाभ देयता पर प्रभाव	(9,600)	(7,423)
viii) संवेदनशीलता विश्लेषण –		
बट्टे की दर में (0.50% संचलन) वृद्धि	7.46%	7.15%
अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता में वृद्धि / (कमी)	(4,948)	(3,836)
बट्टे की दर में (0.50% संचलन) कमी	6.46%	6.15%
अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता में वृद्धि / (कमी)	5,524	4,304
चिकित्सा स्फीति दर में (0.50% संचलन) वृद्धि	6.75%	6.50%
अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता में वृद्धि / (कमी)	5,586	4,350
चिकित्सा स्फीति दर में (0.50% संचलन) कमी	5.75%	5.50%
अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता में वृद्धि / (कमी)	(5,039)	(4,579)

अतिरिक्त प्रकटण –

i. संवेदनशीलता विश्लेषण में अन्य मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए एक समय में एक प्रमुख बीमांकक मान्यता का परिवर्तन शामिल है। संवेदनशील विश्लेषण 50 मूल अंकों तक जोड़ते या घटाते हुए परिवर्तित मान्यताओं के संपूर्ण मूल्यांकन मॉडल को दोबारा चलाते हुए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए किया गया है।

ii. पिछले वर्ष की तुलना में संवेदनशीलता विश्लेषण करने में प्रयुक्त विधियों और मान्यताओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

iii. बीईआरईसीएचएस का परिपक्वता प्रोफाइल नीचे दिए गया है –

वर्ष	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
वर्ष 1	4,507	2,985
वर्ष 2	4,818	3,149
वर्ष 3	5,147	3,320
वर्ष 4	5,514	3,501
वर्ष 5	5,903	3,678
अगले 5 वर्ष	34,182	20,906

(iii) **कर्मचारी भविष्य निधि [ब्याज में कमी] –**

कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंध कंपनी के भविष्य निधि ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। कंपनी इस ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि के प्रति देय प्रबंधन का अंशदान देती है।

कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2021 के किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित किया है कि मूल्यांकन के तारीख पर ब्याज की कमी के कारण कोई देयता नहीं है (योजना की ऐसी शर्तों के संबंध में की ट्रस्ट की ओर से ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं होगी कि वह पीएफ शेषों पर अतिरिक्त ब्याज द्वारा अधिशेष के किसी भी भाग का वितरण करे) ।

विवरण	2020-21	2019-20
i) अनुलाभ देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन –		
वर्ष के प्रारंभ में देयता का वर्तमान मूल्य	3,00,068	2,66,296
चालू सेवा लागत	18,912	11,500
ब्याज की लागत	20,115	20,793
विगत सेवा लागत (अनिहित अनुलाभ)	-	-
विगत सेवा लागत (निहित अनुलाभ)	-	-
बीमांकिक (लब्धि) / हानि	9,171	1,335
अदा किए गए अनुलाभ	(58,897)	(29,210)
अंशदान	44,981	29,354
अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	**3,34,350**	**3,00,068**
ii) योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन –		
वर्ष के प्रारंभ में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2,99,644	2,69,156
योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति	20,087	21,012
अंशदान *	63,722	40,746
अदा किए गए अनुलाभ	(58,897)	(29,210)
योजित परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लब्धि / (हानि)	16,053	(2,060)
अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**3,40,609**	**2,99,644**
iii) लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित व्यय –		
प्रारंभिक निवल देयता	-	-
चालू सेवा लागत	18,912	11,500

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

	विवरण	2020–21	2019–20
	ब्याज की लागत	20,115	20,793
	योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति	(20,087)	(21,012)
	अवधि में निर्धारित निवल बीमांकिक (लब्धि) / हानि	-	-
	विगत सेवा लागत (अनिहित अनुलाभ)	-	-
	विगत सेवा लागत (निहित अनुलाभ)	-	-
	लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित व्यय	**18,940**	**11,281**
iv)	तुलन–पत्र में निर्धारित राशियाँ –		
	अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	3,34,350	3,00,068
	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3,40,609	2,99,644
	तुलन–पत्र की परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	6,259	179
	अंतर	**-**	**603**
	अनिर्धारित बीमांकिक (लब्धि) / हानि	-	-
	तुलन–पत्र में निर्धारित देयता	**-**	**603**
v)	चालू अवधि की राशि –		
	देयता का वर्तमान मूल्य	3,34,350	3,00,068
	योजित परिसंपत्तियाँ	3,40,609	2,99,644
	तुलन–पत्र की परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	6,259	179
	अधिशेष / (कमी)	-	(603)
	योजित परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन – (हानि) / लब्धि	(9,266)	(1,259)
	योजित परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन – (हानि) / लब्धि	16,053	(2,060)
vi)	अन्य व्यापक आय के विवरण में निर्धारित राशियाँ (पुन: मापन) –		
	योजित देयताओं पर बीमांकिक (लब्धि)/ हानि	9,171	1,335
	योजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्राप्ति और ब्याज की आय के बीच का अंतर – (लब्धि) / हानि	(16,053)	2,060
	तुलन–पत्र की परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	6,279	(2,792)
	अन्य व्यापक आय के विवरण में निर्धारित राशियाँ	(603)	603
vii)	यथा 31 मार्च को परिसंपत्तियों का वर्ग –		
	भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ और राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	53.72%/58.96%	44.68%/61.00%
	उच्च गुणता के कार्पोरेट बांड	33.93%/24.34%	36.72%/21.10%
	म्युच्युअल फंड	2.14%/1.47%	4.36%/1.50%

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

विवरण	2020-21	2019-20
अन्य		13.27%/12.00%
अरक्षित, उद्यम से वसूल किए गए अनुसार**	0.34%/3.84%	0.38%/4.30%
2019-20 के दौरान ट्रस्ट द्वारा उपगत निवल हानि समाप्त करने के लिए कार्पोरेट से वसूली योग्य राशि	-	0.59%/0.10%
कुल	**100%/100%**	**100%/100%**
vii) बीमांकिक मान्यताएँ -		
बट्टे की दर	6.96%	6.65%
वेतन वृद्धि दर	7.00%	7.00%
योजित परिसंपत्तियों पर प्राप्ति की अपेक्षित दर	8.27%/8.52%	8.80%/8.90%

* नोट - इसमें चालू वर्ष के लिए भविष्य निधि ट्रस्ट की ब्याज की कमी की ओर कुछ नहीं (रु. 1,231) शामिल है जिसका प्रावधान किया गया।

** नोट - निवेश का अरक्षित (मूलधन) हिस्सा जो रु. 5,740 (रु. 5,740) बनता है, को ट्रस्ट ने गैर-निष्पादनीय निवेश माना है और इस राशि को चूक की स्थिति में उद्यम से वसूल की जाने वाली राशि के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तदनुसार इसका प्रावधान किया गया है।

ख. दीर्घकालीन क्षतिपूरक अनुपस्थिति -

कंपनी में अपने कर्मचारियों के लिए दीर्घकालीन क्षतिपूरक अनुपस्थिति योजना है जो गैर वित्त-पोषित योजना है। कंपनी के कर्मचारी दी प्रकार की दीर्घकालीन क्षतिपूरक अनुपस्थितियाँ लेने के हकदार होते हैं - कार्यपालकों के लिए वार्षिक छुट्टी (ए.एल.) और आधे वेतन की छुट्टी (एच.एल.) और गैर-कार्यपालकों के लिए वार्षिक छुट्टी (ए.एल.) और बीमारी छुट्टी (एस.एल.)। इस योजना में अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने पर वीआरएस या मृत्यु के मामले में प्राप्त न की गई छुट्टी (कार्यपालकों के लिए ए.एल. और एच.एल. और गैर-कार्यपालकों के लिए ए.एल. और एस.एल.) के समक्ष कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान होता है। ए.एल. का नकदीकरण सेवाकाल के के दौरान और इस्तीफा देते समय भी किया जा सकता है।

निम्नलिखित टेबल में लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित निवल अनुलाभ व्यय के घटक और बीमांकक द्वारा दी गई प्रकटण रिपोर्ट में दिए गए अनुसार, योजना के लिए तुलन-पत्र में निर्धारित राशि के विवरण दिए गए हैं -

विवरण	2020-21	2019-20
i) लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित व्यय -		
लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित निवल व्यय [2020-21 नकदीकृत छुट्टी - रु. 1,437, प्रावधान - रु. 4,115] [2019-20 नकदीकृत छुट्टी - रु. 1,073, प्रावधान - रु. 8,552]	5,552	9,625
ii) तुलन-पत्र में निर्धारित की जाने वाली राशियाँ -		
तुलन-पत्र में निर्धारित देयता [बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार)]	39,814	35,699
iii) बीमांकिक मान्यताएँ -		
बट्टे की दर	6.96%	6.65%
क्षतिपूरण स्तर में वृद्धि की दर	7.00%	7.00%
iv) विगत अनुभव के आधार पर, कंपनी यह अपेक्षा नहीं करती है कि अगले 12 महीनों में सभी कर्मचारी प्रोद्भूत छुट्टी की पूर्ण राशि लेंगे या इसका भुगतान करने की आवश्यकता होगी। निम्नलिखित राशियाँ ऐसी छुट्टी को दर्शाते हैं जिसे अगले 12 महीनों के भीतर / 12 महीनों के बाद लिया जाएगा या भुगतान किया जाएगा।		
चालू छुट्टी की देयता अगले 12 महीनों में निपटाना अपेक्षित है	3,713	3,115
12 महीनों के बाद निपटाने के लिए अपेक्षि छुट्टी की देयता	36,101	32,584
कुल	**39,814**	**35,699**

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

ग. पेंशन योजना

कंपनी में अपने कर्मचारियों के लिए एक निर्धारित अंशदान पेंशन अनुलाभ योजना है जिसमें इस प्रयोजनार्थ स्थापित ट्रस्ट में वार्षिक आधार पर अंशदान दिया जाता है।

इस योजना के तहत अनुलाभ इस संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

i) **निर्धारित अनुलाभ योजना (यानी उपदान और बीईआरईसीएचएस) के कारण पैदा होने वाले विशिष्ट या असाधारण जोखिमों का व्याख्यात्मक वर्णन**

निर्धारित अनुलाभ योजनाओं से संबंधित विशिष्ट जोखिम इस प्रकार हैं -

दो रिपोर्टिंग अवधियों के बीच दीर्घकालीन सरकारी बांड दर में संचलन बट्टे की दर को प्रभावित करेगा और इसके परिणामस्वरूप देयताओं का वर्तमान मूल्य प्रभावित होगा।

वित्तीय वर्ष में वास्तविक अनुभव के समक्ष मूल्यांकन के लिए विचार किए गए उच्चतर / निम्नतर वेतन वृद्धि / अनुलाभ का जोखिम।

बहरहाल, दोनों प्रकार की जोखिमों को नियमित आधार यानी वार्षिक रूप से कम किया जाता है क्योंकि अद्यतन मान्यताओं के आधार पर ये मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष के बाद किए जाते हैं।

ii) **किसी परिसंपत्ति - देयता की मेल करने वाली रणनीति का व्याख्यात्मक वर्णन**

कंपनी की उपदान योजना वित्त-पोषित योजना है। इस योजना की समर्थक परिसंपत्तियाँ मुख्यत: बीमाकर्ता द्वारा व्यवस्थित निधियाँ होती हैं। इसलिए, इस योजना के लिए परिसंपत्ति-देयता का मेल करने वाली रणनीतियों को कार्यान्वित करने के परिप्रेक्ष्य में, कंपनी की सीमित लोचता होती है।

कंपनी की सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना गैर-वित्त पोषित योजना है। इसलिए, परिसंपत्ति-देयता का मेल करने वाली रणनीतियाँ इस योजना के लिए संगत नहीं हैं।

iii) **वित्त-पोषण की व्यवस्थाओं और वित्त-पोषण की नीति का वर्णन**

कंपनी की उपदान योजना वित्त-पोषित योजना है। इस योजना की योजित परिसंपत्तियों का 98.70% (98.65%) बीमाकर्ता द्वारा व्यवस्थित परिसंपत्तियाँ होती हैं और योजित परिसंपत्तियों का 1.29% (1.34%) निवेश केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में किया जाता है। इस निधि का वार्षिक अंशदान आम तौर पर अनुलाभ देयताओं के पूर्ववर्ती बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रकट किए गए अनुसार, कमी के समतुल्य तय किया जाता है।

सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना [बीईआरईसीएचएस] गैर-वित्त पोषित योजना है।

टिप्पणी 22
अन्य देयताएँ

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
गैर चालू		
आस्थगित राजस्व - ग्राहक अनुदान	-	112
उप कुल (क)	**-**	**112**
चालू		
आस्थगित राजस्व - ग्राहक अनुदान	112	363
संविदा की देयता		
- आस्थगित राजस्व	3,522	3,615
- ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	11,78,727	8,81,121
सांविधिक देयताएँ	31,964	31,288
अन्य	2,172	3,788
उप कुल (ख)	**12,16,497**	**9,20,175**
कुल(क+ख)	**12,16,497**	**9,20,287**

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

i. **संबंधित पक्षकार प्रकटण**

संबंधित पक्षकार प्रकटण के लिए टिप्पणी 31 देखें।

ii. अवधि के दौरान निर्धारित राजस्व रु. 1,29,761 (रु. 1,65,474) है जिसे अवधि के प्रारंभ में संविदा देयता शेष में शामिल किया गया।

टिप्पणी 23
प्रचालनों से राजस्व

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
उत्पादों की बिक्री	12,40,956		11,27,264	
सेवाओं से आय	1,40,860		1,33,512	
		13,81,816		12,60,776
अन्य प्रचालनीय राजस्व				
रद्दी की बिक्री		402		542
परिवहन प्राप्तियां		276		390
किराए की प्राप्तियां		675		707
कैन्टीन से प्राप्ति		887		1,233
एकत्रित बिजली प्रभार		208		203
एकत्रित जल प्रभार		50		54
वापस लिए गए प्रावधान				
-दुर्वह संविदाएँ (निवल)	-		4,114	
-संदिग्ध ऋण, परिनिर्धारित हर्जाना	7,736		4,302	
-वस्तुसूची	4,712		6,620	
-ऋण व अग्रिम	138		304	
-निष्पादन वारंटी	-		5,407	
-अन्य*	4		93	
		12,590		20,840
शुल्क वापसी सहित सरकारी अनुदान		1,019		787
ग्राहक अनुदान		1,041		389
विविध		7,419		6,190
		14,06,383		12,92,111

* इसमें कर्मचारी से लेनदारी में से वसूली के लिए कुछ नहीं (रु. 33) शामिल है। कृपया टिप्पणी 30(21) देखें।

i. **ग्राहकों की संविदाओं के समक्ष निर्धारित राजस्व का विसमुच्चयन (2020-2021)**

विवरण	देशीय			निर्यात	कुल
	भारत सरकार		अन्य		
	रक्षा	रक्षा इतर			
उत्पादों की बिक्री	963,225	168,909	71,130	37,692	1,240,956
सेवाओं से आय	110,453	28,841	1,427	139	140,860
कुल	1,073,678	197,750	72,557	37,831	1,381,816

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

ग्राहकों की संविदाओं के समक्ष निर्धारित राजस्व का विसमुच्चयन (2019–2020)

विवरण	देशीय			निर्यात	कुल
	भारत सरकार		अन्य		
	रक्षा	रक्षा इतर			
उत्पादों की बिक्री	9,20,430	1,01,806	72,553	32,475	11,27,264
सेवाओं से आय	99,730	29,488	1,682	2,612	1,33,512
कुल	**10,20,160**	**1,31,294**	**74,235**	**35,087**	**12,60,776**

ii. **संविदा कीमत के साथ लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित राजस्व का समाधान**

विवरण	2020–21		2019–20	
लाभ व हानि के विवरण के अनुसार राजस्व				
उत्पादों की बिक्री	12,40,956		11,27,264	
सेवाओं से आय	1,40,860		1,33,512	
कुल (क)		13,81,816		12,60,776
जोड़ें / (घटाएं) संविदा कीमत का समायोजन				
विदेशी मुद्रा विनियम के उतार–चढ़ाव का दावा	(21,802)		(16,830)	
कीमत पुनरीक्षण	–		–	
दिया गया बट्टा और रिबेट	357		71	
अन्य	(4,528)		(10,769)	
कुल समायोजन (ख)		(25,973)		(27,528)
संविदा कीमत (क + ख)		13,55,843		12,33,248

निष्पादन देयता पूरा करना

क. अधिकांश संविदाओं में, कार्य–निष्पादन की देयता ऐसे "समय–बिंदु" में पूरी की जाती है जो प्राथमिक रूप से ग्राहक द्वारा परिसंपत्ति पर नियंत्रण प्राप्त करने से निर्धारित होती है। इसके लिए विचार किया गया एक प्रमुख संसूचक उल्लेखनीय जोखिम का अंतरण और ग्राहकों का पारितोषिक है जो इन्को की शर्तों पर आधारित होता है। जहाँ संविदा में एक से अधिक कार्य–निष्पादन देयताएँ होती हैं तो कार्य–निष्पादन देयता पूरी करने का समय–बिंदु तय करने के लिए भारतीय ए.एस. 115 में निर्दिष्ट मानदंड लागू किया जाता

ख. "बिल एंड होल्ड व्यवस्था" में, कार्य–निष्पादन देयता संविदा में माल के निस्शर्त विनियोजन पर पूरी की जाती है। सामान्य रूप से, अभिरक्षा सेवा के लिए कोई देयता नहीं होती।

ग. ग्राहक के साथ की गई संविदा में आम तौर पर महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं होता और ग्राहक द्वारा प्राप्त अग्रिम भुगतान तथा / या प्रतिधारित राशि संविदा के दोनों पक्षकारों की रक्षा करने के आशय से रखी जाती है।

घ. परिवर्ती प्रतिफल में प्राथमिक रूप से विदेशी मुद्रा के उतार–चढ़ाव खंड के समक्ष प्राप्य / प्रतिपूर्ति योग्य राशि शामिल होती है। इसके संबंध में निर्धारित राजस्व की राशि संविदा में निर्दिष्ट कार्यप्रणाली के आधार पर तय की जाती है। इस राशि को ग्राहक का दावा प्रोद्भूत होने / स्वीकार करने पर राजस्व के रूप में निर्धारित किया जाता है।

ङ. कंपनी के कुल कारोबार में मुख्य रूप से रक्षा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और प्रणालियों की आपूर्ति शामिल है।

च. ग्राहकों के साथ की गई संविदा में सामान्य रूप से वापसी / धन–वापसी का खंड नहीं होता है।

छ. प्रदान की गई वारंटियाँ मुख्य रूप से कार्य–निष्पादन वारंटी की प्रकृति की होती हैं।

ज. कंपनी ऐसी संविदाओं के संबंध में राजस्व निर्धारित करने के लिए सामान्य रूप से निविष्टि विधि का उपयोग करती है जिनमें कार्य–निष्पादन देयता एक समयावधि में पूरी की जाती है। राजस्व निर्धारित करने के लिए, समापन प्रतिशत विधि अपनाई जाती है जिसमें निर्धारित किए जाने वाले राजस्व की प्रमात्रा तय करने के लिए संविदा की कीमत में कुल प्राक्कलित लागत में उपगत वास्तविक लागत का प्रतिशत लागू किया जाता है।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

झ. ग्राहकों के साथ की गई संविदा (ए.एम.सी. को छोड़कर) जिसके संबंध में राजस्व एक समयावधि में निर्धारित की गई है, में सामान्य रूप से विभिन्न प्रकृति के अनेक कार्यकलाप शामिल होते हैं जैसे भवन निर्माण, उपकरणों की आपूर्ति और संस्थापना, उपकरण और सिस्टम की नेटवर्किंग आदि। इसके कारण, किए गए कार्य (यानी उत्पादन) की मात्रा को विश्वसनीय रूप से वास्तविक परिप्रेक्ष्य में निर्धारित करना संभव नहीं होता है। जबकि, निविष्टि विधि के अंतर्गत, इन विविध कार्यकलापों के संबंध में उपगत लागत प्राप्त की जा सकती है और समापन का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आने वाली लागत (जिसका प्राक्कलन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता है) के कुल प्राक्कलित लागत से इसकी तुलना की जा सकती है। ए.एम.सी. संविदाओं के मामले में, राजस्व निर्धारित करने के लिए उत्पादन विधि का उपयोग किया जाता है जहाँ कार्य-निष्पादन देयता पूरी करने के लिए समय अंतराल मानदंड होता है।.

ञ. "समय-बिंदु" पर पूरी की गई कार्य-निष्पादन देयता के संबंध में राजस्व निर्धारित करने के लिए, यह तय करने के लिए कि क्या ग्राहक ने "परिसंपत्ति पर नियंत्रण" प्राप्त किया है या नहीं, निम्नलिखित मानदंड का उपयोग किया जाता है -

- उल्लेखनीय जोखिम और परितोष का अंतरण
- ग्राहक का परिसंपत्ति पर कानूनी हक है
- संस्थान ने परिसंपत्ति का वास्तविक अधिकार अंतरित कर दिया है
- ग्राहक ने परिसंपत्ति को स्वीकार किया है
- संस्थान का परिसंपत्ति का भुगतान करने का वर्तमान अधिकार है

ट. लेनदेन की कीमत का निर्धारण सामान्य रूप से ग्राहक के साथ की गई संविदा पर आधारित होता है। अनेक देयताओं के संबंध में लेनदेन की कीमत का आबंटन सापेक्ष स्टैंडअलोन बिक्री कीमत पर आधारित होता है।

ठ. चालू / पिछले वर्ष के दौरान कोई नकद-रहित प्रतिफल प्राप्त नहीं किया गया / दिया गया।

पिछली अवधियों में पूरी की गई कार्य-निष्पादन देयता में से वर्ष के दौरान राजस्व के रूप में रु. 7,043 (रु. 7,725) (निवल) की राशि निर्धारित की गई।

iii. एक परियोजना में, दस में से एक स्थल ग्राहक द्वारा 2015 से सौंपी जानी लंबित है। अन्य 9 स्थलों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, इसलिए, प्रबंधन की राय के आधार पर, स्थल जो आज की तारीख तक सौंपी नहीं गई है, को अलग निष्पादन देयता माना गया है क्योंकि निकट भविष्य में उसके सौंपे जाने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इसके कारण वर्ष का राजस्व रु. 8,786 (कुछ नहीं) तक बढ़ा और लाभ रु. 8,540 (कुछ नहीं) तक बढ़ा।

टिप्पणी 24
अन्य आय

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टाफ/आयकर वापसी / अन्य से ब्याज की आय*	432	2,552
दीर्घकालीन निवेश (लाभांश) से आय**	351	426
मीयादी जमा से ब्याज की आय	5,649	6,496
पीपीई की बिक्री पर लाभ	121	21
किराए की आय - निवेश संपत्ति	193	186
विदेशी मुद्रा विनिमय लब्धि	5,634	-
विविध (व्ययों का निवल)	230	513
	12,610	**10,194**

* संबंधित पक्षकार के प्रकटणों के लिए, टिप्पणी 31 देखें

** सहायक कंपनियों और संबद्ध कंपनियों से आय को दर्शाता है जिसे लागत पर निर्धारित किया गया

i. विदेशी मुद्रा विनिमय की लब्धि / हानि ऐसे लेनदेन को दर्ज करने की तारीख और निपटान / रिपोर्टिंग की तारीख के बीच विदेशी मुद्रा के लेनदेनों से आने वाले दर उतार-चढ़ाव के कारण है।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

टिप्पणी 25
तैयार माल, चालू कार्य और रद्दी की वस्तुसूचियों में परिवर्तन

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
चालू कार्य –				
– अंतिम वस्तुसूची	1,36,061		1,26,787	
– प्रारंभिक वस्तुसूची	1,26,787		1,54,137	
		(9,274)		27,350
तैयार माल –				
– अंतिम वस्तुसूची	27,675		24,146	
– प्रारंभिक वस्तुसूची	24,146		22,626	
		(3,529)		(1,520)
रद्दी –				
– अंतिम वस्तुसूची	323		193	
– प्रारंभिक वस्तुसूची	193		306	
		(130)		113
		(12,933)		25,943

टिप्पणी 26
कर्मचारी अनुलाभ व्यय

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
वेतन, मजदूरी और बोनस / अनुग्रह		1,57,844		1,63,657
सेवानिवृत्ति अनुलाभ व्यय				
– उपदान	1,810		1,396	
– भविष्य निधि और पेंशन निधि में अंशदान	11,229		12,319	
– बीईएल अधिवार्षिता (पेंशन) योजना में प्रबंधन का अंशदान	5,749		5,536	
– बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना का प्रावधान	6,846		7,187	
		25,634		26,438
कल्याण व्यय*[वेतन रु. 1,114 (रु. 1,101), पी.एफ. अंशदान रु. 116 (रु. 100) शामिल है।]		10,590		15,654
		1,94,068		2,05,749

i. *टिप्पणी 21 (ए) (iii) देखें, तद्नुसार कुछ नहीं (रु. 3,690) का प्रावधान किया गया।

ii. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक के लिए टिप्पणी 31 देखें।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

टिप्पणी 27
वित्त लागत

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
ब्याज व्यय				
- सूक्ष्म व लघु उद्यमों को देयों पर ब्याज	4		5	
- पट्टे की देयता पर ब्याज व्यय	24		28	
- अन्य ब्याज व्यय	552		263	
		580		296
उधार की अन्य लागत				
ऋण प्रसंस्करण प्रभार		28		30
		608		326

टिप्पणी 28
मूल्यह्रास / परिशोधन लागत

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास / परिशोधन	35,597	34,416
निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास	1	1
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन	747	363
प्रयोगाधिकार परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	288	184
	36,633	34,964

टिप्पणी 29
अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
बिजली और ईंधन *		3,273		3,457
जल प्रभार		375		431
रॉयल्टी और तकनीकी सहायता		17,472		257
किराया		1,608		2,279
दर व कर		433		847
बीमा		2,407		1,133
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक				
लेखा परीक्ष शुल्क	24		18	
कर लेखा परीक्षा के शल्क	6		4	
अन्य सेवाएं (प्रमाणीकरण शुल्क)	10		6	
व्ययों की प्रतिपूर्ति	6		10	
		46		38
लागत लेखा परीक्षु शुल्क		4		4
मरम्मत और रख-रखाव				
भवन	1,983		2,174	
संयंत्र व मशीनरी	1,400		1,205	

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
अन्य	9,374		7,629	
		12,757		**11,008**
बैंक प्रभार		314		396
मुद्रण व लेखन सामग्री		227		443
विज्ञापन व प्रचार		404		740
यात्रा के व्यय		4,023		11,575
वैन/टैक्सी भाड़े पर लेने के व्यय		1,126		1,297
पैकिंग व फार्वर्डिंग		2,287		3,806
अशोध्य ऋण एवं अग्रिम राशि, जिन्हें बट्टा खाते में डाला गया	1,626		23,041	
घटाएँ –प्रावधानों को प्रभारित	(1,618)		(22,899)	
		8		**142**
अप्रचलित/व्यतिरिक्त सामग्रियों का प्रावधान		6,988		7,153
संदिग्ध ऋण, एलडी, ग्राहकों के दावों और अस्वीकृतियों का प्रावधान		21,161		36,185
संदिग्ध अग्रिम, दावों का प्रावधान		736		172
विदेशी मुद्रा विनिमय की हानि		–		1,674
निष्पादन वारंटी का प्रावधान (निवल)**		6,416		–
दुर्वह संविदाओं का प्रावधान		157		–
अप्रचलन और व्यतिरिक्तता के कारण कच्चे माल, भंडार और घटकों को बट्टे खाते में डालना	1,266		229	
घटाएँ – प्रावधानों को प्रभारित	(1,248)		(229)	
		18		**–**
अन्य प्रावधान ***		–		–
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों का प्रावधान		7,213		–
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डालना		75		–
प्रभारित संविदा लागतें		–		1,247
प्रभारित पूंजी चालू कार्य		1,468		–
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व		4,467		2,912
अन्य				
अन्य विविध प्रत्यक्ष खर्च	11,488		10,749	
बिक्री पश्चात सेवा	424		297	
टेलीफ़ोन	893		1,043	
संगोष्ठियों और पाठ्यक्रमों पर खर्च	839		867	
बिक्री संबंधी अन्य व्यय	378		1,288	
विविध	3,912		4,729	
		17,934		**18,973**
घटाएँ – पूंजीगत कार्यों के लिए आवंटित खर्च		(1,976)		(3,336)
		1,11,421		**1,02,833**

* सृजित पवन ऊर्जा निर्धारित की गई

** टिप्पणी 21 देखें

*** अन्य प्रावधानों में कुछ नहीं (रु. 936) शामिल है जो कर्मचारियों से वसूल किया जाना है और उक्त वसूली का प्रावधान कुछ नहीं (रु. 936) है। टिप्पणी 30(21) देखें।

i. विदेशी मुद्रा विनिमय की लब्धि / हानि ऐसे लेनदेन को दर्ज करने की तारीख और निपटान / रिपोर्टिंग की तारीख के बीच विदेशी मुद्रा के लेनदेनों से आने वाले दर उतार-चढ़ाव के कारण है।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

टिप्पणी 30
लेखों की सामान्य टिप्पणियाँ

1 **प्रति इक्विटी शेयर अर्जन**

	विवरण	2020–21	2019–20
क	**सतत् प्रचालनों से**		
	प्रति शेयर मूल अर्जन आईएनआर	8.48	7.36
	प्रति शेयर परिवर्तित अर्जन आईएनआर	8.48	7.36
ख	प्रति शेयर मूल व परिवर्तित अर्जन में न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त राशि	2,06,542	1,79,383
ग	प्रति शेयर मूल व परिवर्तित अर्जन का परिकलन करने में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	2,43,65,92,943	2,43,65,92,943

2 **अनुपालन का विवरण**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानकों (भारतीय ए.एस.) कंपनी अधिनियम ("एक्ट") की धारा 133 जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित, के साथ पढ़ा जाना है, में यथा अधिसूचित और अधिनियम के अन्य संगत प्रावधान के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

31 मार्च 2016 तक के और इस तारीख के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 और अधिनियम के अन्य संगत प्रावधानों के तहत अधिसूचित, कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के अनुसार तैयार किए गए थे।

3 **प्रचालनीय चक्र**

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की अपेक्षाओं के अनुसार, रणनीतिक कारोबारी यूनिट (एसबीयू) / यूनिट स्तर, जो लागू हो, में प्रचालनीय चक्र तय किया गया है।

4 **परिसंपत्तियों की अनर्जकता**

कंपनी ने नकद सृजक यूनिट (सीजीयू) मानी गई प्रत्येक भौगोलिक सम्मिश्रित निर्माणी यूनिट की परिसंपत्तियों की अनर्जकता के सूचकों का विश्लेषण किया है। आंतरिक और बाहरी कारकों के आंकलन के आधार पर, अनर्जकता के प्रावधान के रूप में रु. 7,337 (रु. 124) की राशि का प्रावधान किया गया है।

5 **अल्पकालीन उधार**

क कंपनी को संघीय बैंकों (एसबीई अग्रणी बैंक) द्वारा रु. 400,000 की कार्यशील पूँजी सीमा मंजूर की गई है। इस मंजूर सीमा में रु. 50,000 की निधि आधारित सीमा और रु. 3,50,000 की गैर निधि आधारित सीमा शामिल है।

ख निधि आधारित सीमा पर देय ब्याज दर एसबीआई की 1 वर्ष की एमसीएलआर दर से जुड़ी है। [31.03.2021 को देय ब्याज दर 7.00 % प्रति वर्ष (7.90%) है।]

ग प्रयुक्त राशि की चुकौती मांग पर की जाती है। यथा 31.03.2021 को यह उपयोगिता कुछ नहीं (कुछ नहीं) है।

घ उक्त मंजूरी सीमा कंपनी की चालू परिसंपत्तियों के दृष्टिबंधन द्वारा रक्षित है (टिप्पणी 35 देखें)

6 **संविदाजन्य प्रतिबद्धताएँ**

	विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
क.	संविदाओं की प्राक्कलित राशि जो पूँजी खाते में निष्पादित की जानी है और 31 मार्च को जिनका प्रावधान नहीं किया गया है		
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	46,722	50,403
	निवेश संपत्ति	–	–
	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	1,267	1,856
ख.	निवेश संपत्ति की मरम्मत और रख-रखाव तथा वर्धन के लिए संविदाजन्य प्रतिबद्धता	–	–
ग.	31 मार्च को अन्य प्रतिबद्धताएँ यानी निरस्त न करने योग्य संविदाजन्य प्रतिबद्धताएँ (यानी जिसे निरस्त करने से संबंधित अनुलाभ के लिए अनुपातरहित जुर्माना लगाया जाएगा)	–	–

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

7 **अनुसंधान व विकास पर किया गया खर्च –**

कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अनुसंधान व विकास पर किए गए खर्च को संबंधित प्राकृतिक वर्गीकरण में शामिल किया गया है, इस प्रकार है –

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
व्यय		
सामग्री	20,177	22,848
कर्मचारी पारिश्रमिक और अनुलाभ	48,699	53,715
मूल्यह्रास	8,751	8,712
अन्य	12,528	12,647
सकल खर्च	90,155	97,922

नोट – उक्त खर्च में रु. 1,577 (रु. 3,684) शामिल है जिसे प्रभारित नहीं किया गया है।

8 **आकस्मिक देयताएँ –**

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया	98,672	1,04,614
बकाया साख पत्र	72,543	89,238
अन्य	2,946	2,945
ग्राहक के अनिष्पादित आदेश जहाँ सुपुर्दगी की तारीख समाप्त हो चुकी है, में 31 मार्च तक का अनंतिम निर्णीत हर्जाना	26,305	24,846

9 **आकस्मिक परिसंपत्ति –**

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
कुछ नहीं	–	–

10 **शेषों का पुष्टीकरण**

व्यापार प्राप्यों, व्यापार देयों, अग्रिम और जमा राशियों के संबंध में शेषों के पुष्टीकरण के अनुरोध पत्र भेजे गए हैं। जिन मामलों में उत्तर प्राप्त हुए हैं, समाधान प्रगति में है और जहाँ आवश्यक समझा गया, प्रावधान / समायोजन किए गए हैं।

11 **श्रम विवाद**

श्रम मामलों के संबंध में, चूँकि ऐसे मामलों पर अधिनिर्णय अभी किया जाना है, देयता, यदि कोई हो, अभिनिश्चित नहीं की जा सकती। बहरहाल, ऐसी देयता का महत्वपूर्ण होना अपेक्षित नहीं है।

12 **पट्टा**

भारतीय ए.एस. 116 को अपनाना

1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी करते हुए कंपनी ने संशोधित पूर्वप्रभावी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए भारतीय ए.एस. 116 "पट्टे" को अपनाया है, इसलिए, तुलनात्मक सूचना दोबारा नहीं बताई जा रही है। इस मानक को अपनाने से कंपनी के वित्तीय परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

क) पट्टाकर्ता के रूप में –

i) भावी प्राप्त न्यूनतम पट्टा किराया

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
एक वर्ष से अधिक नहीं	322	399
एक वर्ष से अधिक परंतु पाँच वर्षों से अधिक नहीं	230	486
पाँच वर्षों से अधिक	2,847	2,910

ii) कंपनी ने 2016–17 से 2021–22 तक की अवधि के लिए हरियाणा सरकार को प्वाइंट ऑफ सेल्स मशीनों को पट्टे पर दिया है।

कंपनी ने रद्द न करने योग्य प्रचालनीय पट्टे के तहत विभिन्न संगठनों को भूमि का कुछ हिस्सा पट्टे पर दिया है। पट्टे की अवधि वर्ष 1967 से 2077 तक की है। पट्टों की विभिन्न शर्तें, वृद्धि खंड, पट्टा नवीकरण अधिकार आदि है। नवीकरण पर, पट्टे की शर्त दोबारा वार्ता कर तय की जाती हैं।

कंपनी ने आकस्मिक किराए के रूप में कोई आय निर्धारित नहीं की है।

ख) पट्टेदार के रूप में –

कंपनी में ऐसे पट्टे हैं जिन्हें भारतीय ए.एस. 17 लागू करते हुए वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, ऐसे पट्टों के लिए, भारतीय ए.एस. 116 के प्रारंभिक अनुप्रयोग की तारीख में उपयोग के अधिकार की राशि की वहनीय राशि, भारतीय ए.एस. 17 को लागू करते हुए मापे गए अनुसार संक्रमण की तारीख पर पट्टे की वहनीय राशि है। तदनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से रु. 1,275 की राशि परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार में वर्गीकृत की गई ।

संक्रमण पर, कंपनी पट्टे की समाप्त न हुई अवधि के लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग के अपने अधिकार को दर्शाते हुए परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार निर्धारित करती है।

उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति को इसमें निर्धारित किया जाता है –

क) पूर्वदत्त किराए की वहनीय राशि जब कोई भावी पट्टा भुगतान देय नहीं होता है; या

ख) वहनीय राशि तथा वृद्धिशील उधार दर पर भुनाया गया। तदनुसार, उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति रु. 365 है और पट्टे की संबंधित देयता रु. 365 निर्धारित की गई। इन परिसंपत्तियों के संबंध में भारतीय ए.एस. 116 को लागू करने पर, व्ययों की प्रकृति को पट्टे के किराए से उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति की मूल्यह्रास लागत में और पट्टे की देयता पर प्रोद्भूत ब्याज की वित्त लागत में पुन:वर्गीकृत किया गया ।

कंपनी द्वारा दर्ज उक्त पट्टे की संविदाएँ सौर परियोजना द्वारा बिजली पैदा करने और कारोबारी प्रयोजनों के लिए भवन निर्माण के लिए पट्टे पर ली गई भूमि से संबंधित हैं। इन परिसंपत्तियों का निपटान करना कंपनी के लिए प्रतिबंधित है।

देय भावी न्यूनतम पट्टा किराया

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
एक वर्ष से अधिक नहीं;	149	134
एक वर्ष से अधिक परंतु पाँच वर्षों से अधिक नहीं;	114	193
पाँच वर्षों से अधिक	6	–

कंपनी ने 22 मई 2021 से शुरु करते हुए 29 वर्षों के अवधि के लिए वेल्लूर जिला, तमिलनाडु में स्थित 67.25 एकड़ की भूमि के पट्टे, वहां निर्मित भवनों के साथ, के लिए मे. तमिलनाडु इंडस्ट्रियल एक्सप्लोज़िव लि. के साथ पट्टे का करार किया है। संविदाजन्य शर्तों के अनुसार पट्टे का न्यूनतम देय किराया रु. 13,601 है। पट्टे का करार करने के लिए अदा किया गया रु.137 की पंजीकरण शुल्क राशि पंजीगत चालू कार्य – टिप्पणी 2 में दर्ज की गई है।

पट्टे की देयताओं की संविदाजन्य नकदी प्राप्ति का परिपक्वता विश्लेषण टिप्पणी 34 में दिया गया है।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

13 **खंडवार रिपोर्टिंग**

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना सं. 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015, यथा संशोधित, द्वारा खंडवार रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता से रक्षा उत्पाद में लगी कंपनियों को छूट प्रदान की है।

14 **प्रतिधारण बिक्री**

वर्ष के कुल कारोबार में शामिल प्रतिधारण बिक्री (यानी, ग्राहकों के अनुरोध पर और उनके जोखिम पर कंपनी के पास रखा गया सामान) का मूल्य रु. 49,302 (रु. 1,78,315) है।

उक्त में से, कारखाना बाह्य बिक्री का मूल्य रु. 6,884 (रु. 29,959) है।

15 **विदेशी मुद्रा विनिमय के एक्सपोज़र**

"विदेशी मुद्रा विनिमय एक्सपोज़र" के प्रकटण की आवश्यकता बताते हुए आईसीएआई की घोषणा के अनुसार, 31 मार्च 2021 को प्रमुख मुद्रा-वार एक्सपोज़र नीचे दिए गए हैं। [विदेशी मुद्राएँ लाख में दर्शाई गई हैं]। (पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दिए गए हैं) ।

मुद्रा	देय		प्राप्य / संविदा परिसंपत्ति		आकस्मिक देयता *	
	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपए के समतुल्य	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपए के समतुल्य	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपए के समतुल्य
USD	615	45,741	275	19,943	260	19,325
	(1,609)	(1,22,848)	(267)	(19,891)	(980)	(74,812)
EURO	158	13,882	20	1,673	201	17,595
	(139)	(11,753)	(6)	(451)	(91)	(7,711)
GBP	22	2,294	-	-	14	1,433
	(14)	(1,300)	-	-	(12)	(1,142)
JYEN	117	79	-	-	-	-
	(136)	(96)	-	-	(17)	(12)
CHF	11	853	-	-	**	7
	(22)	(1,785)	-	-	-	-
अन्य	9	475	-	-	-	-
	(26)	(215)	-	-	-	-
कुल (रु.)		63,324		21,616		38,360
		(1,37,997)		**(20,342)**		**(83,677)**
उक्त में से ग्राहकों से विनिमय दर उतार-चढ़ाव खंड द्वारा शामिल राशि		29,154		-		17,449
		(83,644)		-		(4,298)

* इसमें बकाया साख पत्रों और पूँजीगत प्रतिबद्धताओं से संबंधित एक्सपोज़र शामिल हैं।

** CHF 9,000 शामिल हैं। [परम अंक को दर्शाता है]

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने दृढ़ प्रतिबद्धताओं के संबंध में विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव की रक्षा करने के लिए वायदा संविदा किया है। 31.03.2021 को कोई बकाया वायदा संविदा नहीं है।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

16 सीएसआर खर्च संबंधी प्रकटण

क वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली सकल राशि रु. 4,688 (रु. 4,310) है।

ख वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान खर्च की गई राशि –

क्र. सं.	विवरण	नकद में	नकद में अदा किया जाना बाकी	कुल	खर्च न की गई राशि का विनियोजन / प्रावधान*	सीएसआर का सकल योग
i)	किसी परिसंपत्ति पर निर्माण / अधिग्रहण					
		–	–	–	–	–
ii)	उक्त (i) के अलावा प्रयोजन	2,279	–	2,279	2,409	4,688
		(3,117)	–	(3,117)	(1,193)	(4,310)

* सीएसआर की खर्च न की गई राशि के लिए, कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 "(नियम)" के अनुसार रु. 2,409 का प्रावधान किया गया चूंकि यह चालू परियोजनाओं से संबंधित है।

उक्त खर्च में रु. 221 (रु. 205) का सीएसआर प्रशासनिक ऊपरीव्यय शामिल है जिसे कर्मचारी अनुलाभ व्यय के तहत समूहित किया गया है।

ग. सीएसआर प्रावधान का संचलन

क्र. सं.	विवरण	2020–21	2019–20
i	1 अप्रैल को	3,485	4,217
ii	वर्ष के दौरान निर्धारित अतिरिक्त प्रावधान / विनियोजन*	2,409	1,193
iii	घटाएँ – वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	1,390	1,925
iv	घटाएँ – वर्ष के दौरान व्युत्क्रमित राशि	–	–
v	31 मार्च को	4,504	3,485

* इसमें सीएसआर निधियों से अर्जित ब्याज का प्रावधान कुछ नहीं (कुछ नहीं) शामिल है

17 कोविड–19 का प्रभाव

कंपनी ने वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कोविड 19 महामारी के परिणामस्वरूप संभावित प्रभावों पर विचार किया है जिसमें वित्तीय एवं गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की वहनीय राशि वसूल करने की संभावना शामिल है। महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में संभावित भावी अनिश्चितता से संबंधित मान्यताएँ तय करने में, कंपनी ने सूचना के अपने उपलब्ध आंतरिक और बाहरी स्रोतों तथा आर्थिक पूर्वानुमान का प्रयोग किया है और कंपनी यह अपेक्षा करती है कि इन परिसंपत्तियों की वहनीय राशि वसूल की जाएगी। वित्तीय विवरणों पर कोविड–19 का प्रभाव इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख पर किए गए प्राक्कलन से अलग हो सकता है।

18 रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित न किया गया लाभांश

निदेशकों ने प्रति शेयर आईएनआर 1.20 (आईएनआर 1.40) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। [परम अंक दर्शाता है].

प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन की शर्त पर है और यदि अनुमोदन प्रदान किया जाता है तो इसके कारण लगभग रु. 29,239 का नकदी बहिर्वाह होगा।

19 रु. 25 (रु. 25) की राशि रक्षा उत्पादन के आई.टी. प्रभाग को प्रदान की गई है जिसे आयुध निर्माणी बोर्ड(ओएफबी) और रक्षा क्षेत्र की सरकारी यूनिटों सहित रक्षा उत्पादन विभाग में आई.टी. संबंधी पहल कार्यान्वित करने के लिए एचएएल के एक प्रभाग के रूप में सृजित किया गया है।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

20 **शेष कार्य–निष्पादन देयता का मूल्य (लंबित आदेश जिनका निष्पादन करना है)**

ग्राहकों की संविदाओं से अनिर्धारित राजस्व जिन्हें आंशिक रूप से पूरा किया गया है या पूरा नहीं किया गया है (लंबित आदेश जिनका निष्पादन करना है)

विवरण	कुल राशि	एक वर्ष के भीतर	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक
अनिष्पादित आदेश का मूल्य	53,43,359	18,50,501	12,26,218	8,64,754	14,01,886

विशेष रूप से प्रमुख आदेश रक्षा से प्राप्त होते हैं जिनकी उत्पादन–पूर्व अवधि लंबी होती है। कंपनी पूरी न की गई (या आंशिक रूप से पूरी न की गई) कार्य–निष्पादन देयता के संबंध में कंपनी 3 से 5 वर्षों की अवधि में राजस्व को अभिचिह्नित करने की आशा करती है।

21 वर्ष 2019–20 के दौरान, नेमी आंतरिक लेखा परीक्षा के दौरान कर्मचारियों द्वारा कंपनी के साथ रु. 1,000 की धोखाधड़ी की घटना का पता चला है। उक्त राशि में से, कुछ नहीं (रु.64) की वसूली की गई और शेष रु. 936 (रु. 936) की राशि को लेनदारी के रूप में निर्धारित किया गया, वसूली के लंबित होने के कारण, इसे लाभ व हानि के विवरण में संदिग्ध माना गया है। कंपनी ने इस संबंध में उचित कार्रवाई की है और जाँच प्रगति में है।

22 सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को लागू करने की तारीख अधिसूचित नहीं की गई है और कंपनी इसके लागू होने पर इसके प्रभाव का आकलन करेगी और ऐसे प्रभाव को संहिता के प्रभावी होने पर दर्ज करेगी।

23 कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

24 वित्तीय विवरणों के सभी आंकड़ों को निकटतम लाख में पूर्णांकित किया गया है जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो।

25 स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों को दिनांक 22 जून 2021 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

टिप्पणी 31
संबंधित पक्षकार के लेनदेन

क. सहायक कंपनियाँ और एसोसिएट

निकाय का नाम	कारोबार का स्थान	मूल कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व हित		नियंत्रण–रहित हितों द्वारा धारित स्वामित्व हित		प्रधान कार्यकलाप
		यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020	
बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लि. (बेलॉप) – सहायक कंपनी	भारत	100%	100%	–	–	इमेज इंटेन्सीफायर ट्यूबों का निर्माण व आपूर्ति
बीईएल – थालेस सिस्टम्स लि. – सहायक कंपनी	भारत	74%	74%	26%	26%	रक्षा व नागरी रेडारों का अभिकल्प, विकास, आपूर्ति और समर्थन
डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन – एसोसिएट	भारत	50%	50%	50%	50%	रक्षा संबंधी अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप करना
जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड – एसोसिएट	भारत	26%	26%	–	–	चिकित्सा उपकरणों का निर्माण

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

ख. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के विवरण

i. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के नाम

श्री एम वी गौतम, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
श्रीमती आनंदी रामलिंगम, निदेशक विपणन
श्री विनय कुमार कत्याल, निदेशक बेंगलूरु कॉम्प्लेक्स
श्री शिवकुमारन के एम, निदेशक एच.आर.
श्रीमती शिखा गुप्ता, निदेशक अन्य यूनिटें
श्री दिनेश कुमार बात्रा, निदेशक [वित्त] व सीएफओ 01.08.2020 से
श्री राजशेखरन एम वी, निदेशक [आर एंड डी] 01.09.2020 से
श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर, निदेशक [वित्त] व सीएफओ 31.07.2020 तक
श्री महेश वी, निदेशक [आर एंड डी] 31.08.2020 तक
श्री एस श्रीनिवास, कंपनी सचिव

ii. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रतिपूर्ति

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पकालिक कर्मचारी अनुलाभ	372	445
नियोजन के बाद के अनुलाभ	15	14
दीर्घकालिक कर्मचारी अनुलाभ	39	63
सेवा समाप्ति अनुलाभ	–	–
शेयर आधारित भुगतान	–	–
कुल	426	522

ग. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए लेनदेन इस प्रकार हैं (पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दर्शाए गए हैं) –

विवरण	सहायक कंपनी		एसोसिएट		कुल योग
	बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लि. (बेलॉप)	बीईएल–थालेस सिस्टम्स लि.	जीई बीई प्राइवेट लि.	डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन	
माल की खरीद	1,183	2,313	–	–	3,496
	(566)	(2,379)	–	–	(2,945)
माल की बिक्री	–	316	1,758	–	2,074
	–	(586)	(2,519)	–	(3,105)
प्राप्त सेवाएँ	–	576	–	–	576
	–	(522)	–	–	(522)
प्रदान की गई सेवाएँ	–	2	–	–	2
	–	(842)	–	–	(842)
प्राप्त किराया (पट्टा)	–	43	–	–	43
	–	(41)	–	–	(41)

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

विवरण	सहायक कंपनी		एसोसिएट		कुल योग
	बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लि. (बेलॉप)	बीईएल–थालेस सिस्टम्स लि.	जीई बीई प्राइवेट लि.	डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन	
ब्याज की आय	98	–	–	–	98
	(356)	–	–	–	(356)
निवेश पर लाभांश आय	91	–	260	–	351
	(426)	–	–	–	(426)
वितरित ऋण	267	–	–	–	267
	(320)	–	–	–	(320)
शेयरों की खरीद	157	–	–	–	157
	(2,833)	–	–	–	(2,833)
यथा 31.03.2021 * को बकाया ऋण (ब्याज सहित)	381	–	–	–	381
	(1,653)	–	–	–	(1,653)
31.03.2021 को बकाया व्यापार देय	47	353	–	–	400
	(238)	(400)	–	–	(638)
31.03.2021 को बकाया व्यापार प्राप्य	–	237	540	–	777
	–	(950)	(691)	–	(1,641)
31.03.2021 को इक्विटी में निवेश	16,990	4,264	260	1	21,515
	(16,819)	(4,264)	(260)	(1)	(21,344)
31.03.2021 को बकाया अंशदान	–	–	–	4,000	4,000
	–	–	–	(4,000)	(4,000)

निदेशकों का बैठक शुल्क –

गैर कार्यकारी निदेशकों को अदा किया गया बैठक शुल्क 31 मार्च 2021 को रु. 16 और 31 मार्च 2020 को रु. 20 है।

घ. संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए सभी लेनदेन स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर हैं। सहायक कंपनी (बेलॉप) को दिए गए ऋण के संबंध में नीचे दी गई टिप्पणी "छ" देखें।

ङ. सभी बकाया शेष अरक्षित हैं। सभी बकाया शेष (ऋण के अलावा) अगले 6 महीनों के भीतर नकद में चुकौती योग्य हैं। ऋणों के बकाया शेष के लिए नीचे दी गई टिप्पणी "छ" देखें।

च. कंपनी ने एक्सडी-4 II ट्यूबों के टीओटी के लिए भुगतान करने के लिए बेलॉप को [रु. 10,416 रु.26,040 में से रु.15,624] घटाकर की राशि का अस्थायी रूप से वित्त-पोषण करने के लिए अप्रैल, 2013 में बेलॉप के साथ एक करार किया था, जिसकी शेष राशि की रसीद रक्षा मंत्रालय से लंबित है। 31.03.2021 को, बेलॉप को रु. 9,851 (रु. 9,851) की राशि बेलॉप को अदा की गई जिसमें से रु. 9,851 (रु. 7,109) की राशि रक्षा मंत्रालय से प्राप्त हुई है। रु. कुछ नहीं (रु. 2,742) की शेष राशि अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ – गैर-चालू के तहत दिखाई गई है। (टिप्पणी 9 देखें)

इस करार के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान रु. 21 (रु. 181) की राशि निधि लागत के लिए बेलॉप से प्राप्त हुई है।

छ. **संबंधित पक्षकारों को ऋण**

1. कंपनी ने रु. 4,600 का मीयादी ऋण प्रदान करने के लिए अगस्त 2016 में बेलॉप के साथ एक करार किया था जिसमें से रु. 2,935 की राशि 31.03.2021 को वितरित कर दी गई और 31.03.2021 को रु. 381 (ब्याज सहित) की राशि बकाया है।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

i) मूलधन की राशि अगस्त 2019 से 36 किस्तों में चुकता की जाएगी।

ii) बीईएल की जमा राशि पर आय की बीईएल की दर पर, मासिक आधार पर बकाया ऋण राशि पर या भारत सरकार के बांड पर प्राप्त होने वाली ब्याज दर, इनमें से जो भी अधिक होगा, ब्याज प्रभारित किया जाएगा।

2. * बकाया ऋण में बाज़ार दर से नीचे पर सहायक कंपनी (बेलॉप) को दिए गए ऋण के उचित मूल्यांकन के कारण समायोजित रु. 1 (रु. 13) शामिल नहीं है।

ज. **कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति सहित प्रबंधन की संविदाएँ**

बीईएल के दो अधिकारियों को बेलॉप (सहायक कंपनी) में और आठ अधिकारियों को बीईएल-थालेस सिस्टम्स लिमिटेड (सहायक कंपनी) में तैनात किया गया और वर्ष के दौरान उनके वेतन तथा अन्य भत्ते नियोजन के निबंधन व शर्तों के अनुसार क्रमश: बेलॉप और बीईएल-थालेस सिस्टम्स लि. द्वारा अदा किए गए।

झ. **सरकार और सरकार संबंधी निकायों के साथ लेनदेन**

चूँकि बीईएल रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन एक सरकारी कंपनी है, कंपनी ने सरकार और सरकारी निकायों के साथ लेनदेन के संबंध में भारतीय ए.एस. 24 के तहत अपेक्षित विवरणों को प्रकटण करने से छूट प्राप्त की है।

बहरहाल, भारतीय ए.एस. 24 के तहत यथा अपेक्षित, निम्नलिखित लेनदेन वैयक्तिक रूप से उल्लेखनीय हैं -

रु.52,331 (रु. 40,612) की राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लाभांश के रूप में अदा की गई।

उपर्युक्त के अलावा, कंपनी के कुल कारोबार का लगभग 92% (91%), व्यापार प्राप्य का लगभग 95% (97%) और ग्राहकों के अग्रिम का लगभग 99% (99%) सरकार और सरकार संबंधी निकायों से संबंधित है।

ञ बेलॉप से संबंधित निवेश में ऋण का उचित मूल्यांकन शामिल है।

ट कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार, 10 अप्रैल 2017 को 'लाभ रहित कंपनी' के रूप में डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन (डीआईओ) की स्थापना रक्षा क्षेत्र में नवोन्मेषी कार्य का वित्त पोषण करने के उद्देश्य से रु. 100 बीईएल: 50%; एचएएल: 50%) की प्राधिकृत शेयर पूँजी के साथ की गई। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय बेंगलूरु में बीईएल के परिसर में स्थित है।

टिप्पणी 32
एसोसिएट में हित

क

निकाय का नाम		जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड
कारोबार का स्थान / निगमन का स्थान		भारत
स्वामित्व हित का %		26%
संबंध		एसोसिएट
वहनीय राशि	2020-21	18,995
	2019-20	(16,216)

एसोसिएट में निवेश का उचित मूल्य प्रकट नहीं किया गया है क्योंकि जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड की इक्विटी अनुद्धृत है।

जीई बीई प्राइवेट लि. चिकित्सा यंत्रों का निर्माण करती है और उसके उत्पाद बीईएल बेंगलूरु कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट एसबीयू और बीईएल पुणे यूनिट के कारोबारी खंड में मदद करते हैं।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

जीई बीई प्राइवेट लि. में कंपनी के हित की वहनीय राशि (लेखा परीक्षित)

संक्षिप्त तुलन–पत्र	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
गैर–चालू परिसंपत्तियाँ	23,303	22,736
चालू परिसंपत्तियाँ		
नकद और नकद समतुल्य	53	338
अन्य परिसंपत्तियाँ	76,552	63,655
कुल चालू परिसंपत्तियाँ	76,605	63,993
कुल परिसंपत्तियाँ	99,908	86,729
गैर–चालू देयताएँ		
व्यापार देय के अलावा वित्तीय देयताएँ	31	56
अन्य देयताएँ	688	1,010
कुल गैर–चालू देयताएँ	719	1,066
चालु देयताएँ		
व्यापार देय के अलावा वित्तीय देयताएँ	713	1,176
अन्य देयताएँ	25,419	22,117
कुल चालू देयताएँ	26,132	23,293
कुल देयताएँ	26,851	24,359
निवल परिसंपत्तियाँ	73,057	62,370
निवल परिसंपत्तियों में कंपनी का अंश	18,995	16,216

लाभ व हानि का संक्षिप्त विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
राजस्व	1,23,839	1,21,366
ब्याज की आय	1,403	1,541
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	3,481	3,112
ब्याज व्यय	32	41
आय कर संबंधी व्यय	3,890	4,011
वर्ष का लाभ	11,673	12,369
अन्य व्यापक आय	14	(91)
कुल व्यापक आय	11,687	12,278
कंपनी का लाभ में हिस्सा	3,035	3,216
ओसीआई में कंपनी का हिस्सा	4	(24)
कुल व्यापक आय में कंपनी का हिस्सा	3,039	3,192

कंपनी ने 260 (कुछ नहीं) का लाभांश प्राप्त किया है।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

वहनीय राशियों का समाधान

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक निवल परिसंपत्तियाँ	16,216	13,024
वर्ष का लाभ	3,035	3,216
अन्य व्यापक आय	4	(24)
अदा किया गया लाभांश	260	-
अंतिम निवल परिसंपत्तियाँ	18,995	16,216

एसोसिएट संबंधी प्रतिबद्धताएँ एवं आकस्मिक देयताएँ –

विवरण	जीई बीई प्राइवेट लि.	
	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
पूँजीगत प्रतिबद्धताएँ	174	268
अन्य प्रतिबद्धताएँ	–	–
अन्य आकस्मिक देयताएँ	831	831

ख

निकाय का नाम		डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन
कारोबार का स्थान / निगमन का स्थान		भारत
स्वामित्व हित का %		50%
संबंध		एसोसिएट
वहनीय राशि	2020–21	1
	2019–20	1

टिप्पणी 33
वित्तीय विलेख – उचित मूल्य मापन

1 **लेखा वर्गीकरण एवं उचित मूल्य**

निम्नलिखित टेबल वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वहनीय राशि और उचित मूल्य दर्शाता है –

	विवरण	यथा 31 मार्च 2021			यथा 31 मार्च 2020		
		FVPL	FVOCI	परिशोधित लागत	FVPL	FVOCI	परिशोधित लागत
	उचित मूल्य में मापित वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
ख	निवेश						
i	इक्विटी विलेख – मना एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्रा. लि.	–	12	–	–	11	–
ii	इक्विटी विलेख – डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन	–	1	–	–	1	–

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

	विवरण	यथा 31 मार्च 2021			यथा 31 मार्च 2020		
		FVPL	FVOCI	परिशोधित लागत	FVPL	FVOCI	परिशोधित लागत
iii	अन्य निवेश	–	–	–	–	–	–
क	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में निवेश (छुट्टी नकदीकरण और बीईआरईसीएचएस के लिए)	1,11,592		–	94,811	–	–
	उप कुल	1,11,592	13	–	94,811	12	–
	वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें उचित मूल्य में नहीं मापा गया						
II	**व्यापार प्राप्य**	–	–	6,55,154	–	–	6,73,291
III	**ऋण**	–	–		–	–	
क	प्रतिभूति जमा	–	–	4,002	–	–	4,068
ख	संबंधित पक्षकारों को ऋण	–	–	380	–	–	1,640
ग	कर्मचारियों को ऋण	–	–	888	–		863
घ	अन्य को ऋण	–	–	–		–	–
ङ	**नकद और नकद समतुल्य**	–	–	3,01,565	–	–	1,55,622
V	**अन्य बैंक शेष**	–	–	1,99,256	–	–	148
VI	**अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ**	–	–		–	–	
क	कर्मचारियों को अग्रिम	–	–	165	–	–	178
ख	अन्य को अग्रिम	–	–	5	–	–	2
ग	प्राप्य (व्यापार प्राप्यों के अलावा)	–	–	614	–		1,056
घ	12 महीनों से अधिक परिपक्व के साथ बैंक जमा	–	–	173	–	–	–
ङ	प्रोद्भूत ब्याज परंतु जो मीयादी जमा पर देय नहीं है	–	–	1,219	–	–	26
च	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	–	–	2,615	–	–	4,486
	अन्य निवेश						
क	को-ऑपरेटिव सोसाइटियों, हाउसिंग सोसाइटियों आदि में निवेश *	–	–	–	–	–	–
ख	सहायक कंपनियों में निवेश	–	–	21,254	–	–	21,084
ग	एसोसिएट में निवेश	–	–	260	–	–	260
	उप कुल			11,87,550			8,62,724
	कुल	1,11,592	13	11,87,550	94,811	12	8,62,724

* आईएनआर 4,750 (आईएनआर 4,750) परम अंक दर्शाता है जिसे पूर्णांकित किया गया।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

	विवरण	यथा 31 मार्च 2021			यथा 31 मार्च 2020		
		FVPL	FVOCI	परिशोधित लागत	FVPL	FVOCI	परिशोधित लागत
	उचित मूल्य में मापित वित्तीय देयताएँ						
	कुल	–	–	–	–	–	–
	वित्तीय देयताएँ जिन्हें उचित मूल्य पर मापा नहीं गया						
ख	उधार	–	–	–	–	–	–
II	व्यापार देय	–	–	3,29,683	–	–	2,42,495
III	**अन्य वित्तीय देयताएँ**	–	–		–	–	
क	प्रतिभूति जमा	–	–	27,225	–	–	22,349
ख	दीर्घकालीन उधार की चालू परिपक्वता	–	–	–	–	–	833
ग	मीयादी ऋण पर प्रोद्भूत और देय ब्याज	–	–	–	–	–	–
घ	व्यापार देय पर प्रोद्भूत और देय ब्याज	–	–	6	–	–	7
ङ	अन्य व्यापार देय	–	–	20,815	–	–	13,805
च	अदत्त परिपक्व जमा राशियाँ	–	–	37	–	–	37
छ	अदत्त लाभांश	–	–	211	–	–	148
ज	सूक्ष्म व लघु उद्यमों को बकाया गैर व्यापार देय	–	–	208	–	–	270
झ	बकाया व्यय	–	–	46,551	–	–	49,443
ञ	पट्टे की अन्य देयता			252			297
ट	अन्य देयताएँ	–	–	1,162	–	–	940
	कुल			**4,26,150**			**3,30,624**

2 **उचित मूल्य का पदानुक्रम**

जहाँ कहीं लागू हो, वित्तीय विवरणों के उचित मूल्य के मापन के लिए प्रयुक्त अनुक्रम स्तर नीचे दिए गए हैं –

	विवरण	टिप्पणी	यथा 31 मार्च 2021			यथा 31 मार्च 2020		
			स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
ख	**उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ – आवर्ती उचित मूल्य मापन**							
–	वित्तीय परिसंपत्तियाँ							
i	FVPL में वित्तीय निवेश	6	–	111592	–	–	94811	–
ii	FVOCI में वित्तीय निवेश – अनुद्धृत	6	–	–	13	–	–	12
II	**वित्तीय परिसंपत्तियाँ एवं देयताएं जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा गया**		किसी अलग उचित मूल्य का प्रकटण नहीं किया गया है क्योंकि इन परिसंपत्तियों और देयताओं का वहनीय मूल्य उनके उचित मूल्य को दर्शाता है।					

स्तर 1 – स्तर 1 के पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करते हुए मापित वित्तीय विलेख शामिल हैं।

स्तर 2 – ऐसे वित्तीय विलेख जिनका लेनदेन सक्रिय बज़ार में नहीं किया गया है, का उचित मूल्य ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग कर तय किया जाता है जो प्रेक्षणीय बाज़ार आंकड़ों का उपयोग अधिकतम करते हैं और निकाय के विशिष्ट प्राक्कलनों पर कम से कम निर्भर होते हैं।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

स्तर 3 – यदि एक या एक से अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियाँ प्रेक्षणीय बाज़ार आंकड़ों पर आधारित नहीं होती हैं तो विलेख को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के मामलों में ऐसा किया जाता है।

3 **उचित मूल्य तय करने में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक**

क. एलआईसी निवेश – (स्तर 2)

एलआईसी की योजना के मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित

ख. मना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लि. – (स्तर 3)

बीईएल ने मना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लि. जो कि गैर-सूचीबद्ध कंपनी है, की इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश किया है। मना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लि. में निवेश की कंपनी की लागत केवल रु. 5 (रु. 163 की जारी शेयर पूँजी में से) है। कंपनी ने उचित मूल्यांकन के लिए निवल परिसंपत्ति मूल्य विधि चुना है।

ग. डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन (डीआईओ) – (स्तर 3)

बीईएल ने डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन (डीआईओ) जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार एक मलाभरहित कंपनीफ है और जिसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में नवोन्मेष का वित्त-पोषण करना है, की इक्विटी पूँजी में अंशदान किया है। कंपनी ने उचित मूल्यांकन के लिए निवल परिसंपत्ति मूल्य विधि चुना है।

टिप्पणी 34
वित्तीय जोखिम प्रबंधन

i) **जोखिम प्रबंधन का ढांचा और नीतियाँ**

कंपनी में वित्तीय विलेखों के परिणामस्वरूप व्यापक रूप से क्रेडिट जोखिम, चलनिधि जोखिम और बाज़ार का जोखिम (विनिमय दरों, ब्याज की दरों और कीमत जोखिम में उतार-चढ़ाव) बना रहता है।

कंपनी की जोखिम प्रबंधन संरचना की संस्थापना, निगरानी और पर्यवेक्षण की समग्र जिम्मेदारी निदेशक मंडल की होगी। मंडल ने इस प्रयोजनार्थ एक जोखिम प्रबंधन समिति गठित की है जो जोखिम प्रबंधन नीतियों को तैयार करने और उनकी निगरानी करने के लिए जिम्मेदार होगी। कंपनी ने एक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है जिसमें जोखिम प्रबंधन की संरचना दी गई है और वित्त तथा प्रचालन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, वरीयता और उपचार की व्यापक संरचना दी गई है।

कंपनी में एक केंद्रीकृत निधि विभाग है जो मंडल द्वारा तैयार की गई नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार वित्तीय जोखिमों को कम करने के उचित उपाय करता है। बचाव संबंधी व्यवहार बाहरी विशेषज्ञ के सलाह से उपयुक्त कौशल और अनुभव रखने वाली टीम द्वारा किए जाते हैं। कंपनी सट्टा बाज़ार में व्यापार नहीं करती।

ii) **बाज़ार जोखिम**

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो विदेशी मुद्रा दरों के रूप में बाजार मूल्य में परिवर्तन करता है, ब्याज दरें कंपनी की आय या वित्तीय साधनों की इसकी होल्डिंग के मूल्य को प्रभावित करेगी। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य रिटर्न को अनुकूलित करते हुए स्वीकार्य मापदंडों के भीतर बाजार जोखिम जोखिमों का प्रबंधन और नियंत्रण करना है।

कंपनी की गतिविधियाँ मुख्य रूप से विदेशी विनिमय दरों और ब्याज दर आंदोलनों में बदलाव के वित्तीय जोखिमों को उजागर करती हैं (मुद्रा जोखिम और ब्याज जोखिम के नीचे के नोटों देखें)।

iii) **मुद्रा जोखिम**

बीईएल विदेशी मुद्रा संचालन से उत्पन्न होने वाले विदेशी विनिमय जोखिम खासकर अमेरिकी डॉलर, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और जापानीस येन जैसे विदेशी मुद्राओं में खरीदी और बिक्री से संबंधित होता है इसका खुलासा करता है। विदेशी मुद्रा जोखिम मौजूदा और भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न होता है और मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों और देनदारियों की मुद्रा मानी जाती है जो कि कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (आई.एन.आर.) नहीं है ।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

कम्पनी के पास जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा कार्यान्वित एक बोर्ड अनुमोदित मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति है जो इस जोखिम के लिए कंपनी के जोखिम को नियमित आधार पर समीक्षा करती है। जोखिम प्रबंधन नीति खुली विदेशी मुद्रा जोखिम के 50% तक बचाव व्यवस्था की सिफारिश करती है। हालांकि बचाव व्यवस्था में प्रवेश करने का निर्णय प्रासंगिक डेटा आदानों के आधार पर जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए बनाए गए बाहरी विशेषज्ञ सलाहकार की सलाह दी जाती है।

कंपनी का निर्यात आय ज्यादातर एक निर्यात अर्जक विदेशी मुद्रा खाते (ईईएफसी) में प्रेषण द्वारा महसूस होता है, जिसका उपयोग विदेशी मुद्रा में किए जाने वाले भुगतानों के लिए किया जाता है, जिससे निर्यात पर मुद्रा जोखिम को कम किया जा सकता है। लगभग 8% (7%) वार्षिक विदेशी मुद्रा के बाहर जाने का आयात संबंधित ग्राहक संविदा में विनिमय दर भिन्नता (ईआरवी) खंड द्वारा कवर नहीं किया गया है और इसलिए यह मुद्रा जोखिम के लिए खुला होता है। इन आयातों को मामले दर मामले के आधार पर नीति और जोखिम को कवर करने के लिए उचित निर्णय मामले के आधार पर मानदंड किया जाता है। जहां भी जरूरत हो, कंपनी की मुद्रा जोखिम नीति आगे की आवश्यकता के मुताबिक जोखिम को कम करने के लिए बचाव व्यवस्था संविदा का समर्थन करती है।

यथा 31 मार्च 2021 को, कोई बकाया वायदा संविदा नहीं है।

प्रमुख मुद्राओं के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम हेतु कंपनी एक्सपोज़र नीचे दिए गए है –

विवरण	यथा 31.03.2021					यथा 31.03.2020				
	USD	EURO	GBP	CHF	J Yen	USD	EURO	GBP	CHF	J Yen
व्यापार प्रदेय	615	158	22	11	117	1,609	139	14	22	136
व्यापार प्राप्य / संविदा संपत्ति	275	20	–	–	–	267	6	–	–	–
निवल एक्सपोज़र	340	138	22	11	117	1,342	133	14	22	136

iv) **विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता**

विनिमय दर में होने वाले लाभ या हानियों की संवेदनशीलता मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा में निहित वित्तीय साधनों से होती है । प्रमुख मुद्राओं के संबंध में संवेदनशीलता की विविधता नीचे दी गई है । यह विश्लेषण स्पष्ट करता है कि अन्य सभी परिवर्तनशील लगातार बने रहते हैं।

विवरण	लाभ पर प्रभाव	
	यथा 31.03.2021	यथा 31.03.2020
USD – 5% बढ़ोत्तरी	1,264	5,122
USD – 5% कमी	(1,264)	(5,122)
EURO – 5% बढ़ोत्तरी	604	564
EURO – 5% कमी	(604)	(564)
GBP – 5% बढ़ोत्तरी	113	65
GBP – 5% कमी	(113)	(65)
CHF – 5% बढ़ोत्तरी	44	89
CHF – 5% कमी	(44)	(89)
J Yen – 5% बढ़ोत्तरी	4	5
J Yen – 5% कमी	(4)	(5)

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

v) **ब्याज दर जोखिम**

ब्याज दर जोखिम या तो उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम या नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम हो सकता है। उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के कारण निश्चित ब्याज वाले निवेश के उचित मूल्यों में होने वाले बदलावों का जोखिम है। नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है ताकि बाजार में ब्याज दर में उतार-चढ़ाव की वजह से चलायमान ब्याज वाले उपकरणों के भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा।

vi) **परिवर्तनीय दर उधार**

कंपनी को 31.03.2017 को ₹10,000 का मीयादी ऋण स्वीकृत किया गया है [31 मार्च 2021 को बकाया राशि कुछ नहीं (₹833) है]। इस ऋण पर देय ब्याज एसबीआई की न्यूनतम वाणिज्यिक उधार दर पर आधारित है – एमसीएलआर [एसबीआई वार्षिक आधार पर वसूल किए गए ब्याज को वापस लेने के लिए पात्र है।]

इसके अलावा कंपनी को ₹4,00,000 की कार्यशील पूँजी की सीमा को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत सीमा में निधि आधारित सीमा ₹50,000 रुपये और गैर-आधारित आधार सीमा ₹3,50,000 शामिल हैं। वर्ष के दौरान ₹50,000 की निधि आधारित सीमा का उपयोग नहीं किया गया है 31 मार्च 2021 तक बकाया शून्य है (31 मार्च 2020 शून्य है)। गैर-निधि आधारित सीमा के संबंध में 31.03.2021 को बकाया राशि ₹2,80,322 (₹3,14,236) है। यह ब्याज एसबीआई की 1 वर्ष की एमसीएलआर दर के आधार पर देय है। चूंकि ऋण लेना शून्य है, इसलिए ब्याज दरों में संभावित बदलाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

vii) **इक्विटी मूल्य जोखिम**

इक्विटी मूल्य जोखिम के संबंध में कंपनी का निवेश नगण्य है क्योंकि इसके औचित्य निवेश (सहायक व सहयोगी के अलावा) नगण्य है।

viii) **चलनिधि जोखिम**

चलनिधि जोखिम वह जोखिम है कि कंपनी को वित्तीय देनदारियों से जुड़ी दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, नकदी और अन्य वित्तीय संपत्ति या जोखिम के जरिये कंपनी को अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने में कठिनाई का सामना करना होगा। लिक्विडिटी जोखिम के लिए कंपनी का अनावरण बहुत कम है क्योंकि इसमें एक विवेकपूर्ण चलनिधि जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से पर्याप्त दायित्वों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी और बिक्री योग्य प्रतिभूतियां बनाए रखता है। जब आवश्यक हो वित्तपोषण की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी को बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा, नकद ऋण सुविधा और अल्पकालिक उधार की प्रकृति में अपनी चालू कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं और विकास की जरूरतों के लिए उपयोग किया जाता है।

कंपनी अपनी चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करती है मुख्य रूप से आंतरिक रूप से उत्पन्न नकदी प्रवाहों के माध्यम से जो कि राजकोष द्वारा मुख्य बिन्दु पर निगरानी रखी जाती है। विभिन्न ऑपरेटिंग यूनिटों से नकद पूर्वानुमान के रोलिंग की एक स्थापित प्रक्रिया है जो देयताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित नकदी प्रवाह को अंकित करने का आधार बनाती है।

नीचे दी गई तालिका में कंपनी की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण किया गया है, जो उनके संविदा संबंधी परिपक्वता पर आधारित हैं। दर्शित राशि संविदात्मक और रियायती नकदी प्रवाह है।

यथा 31 मार्च 2021

विवरण	3 महीनों से कम	3 से 6 महीने	6 महीनों से 1 वर्ष	1 या 2 वर्षों के बीच	2 या 5 वर्षों के बीच	5 वर्षों से अधिक	कुल
उधार	–	–	–	–	–	–	–
व्यापार प्रदेय	3,13,490	13,106	3,058	29	–	–	3,29,683
दीर्घकालिक कर्ज की चालू परिपक्व राशियाँ	–	–		–	–	–	–
व्यापार प्रदेय पर दावे एवं प्रोद्भूत ब्याज	6	–	–	–	–	–	6
पट्टे की देयता	36	33	66	68	38	11	252
अन्य वित्तीय देयताएँ	74,187	5,246	16,105	501	170	–	96,209

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

यथा 31 मार्च 2020

विवरण	3 महीनों से कम	3 से 6 महीने	6 महीनों से 1 वर्ष	1 या 2 वर्षों के बीच	2 या 5 वर्षों के बीच	5 वर्षों से अधिक	कुल
उधार	-	-	-	-	-	-	-
व्यापार प्रदेय	2,27,244	11,553	3,678	20	-	-	2,42,495
दीर्घकालिक कर्ज की चालू परिपक्व राशियाँ	833	-	-	-	-	-	833
व्यापार प्रदेय पर दावे एवं प्रोद्भूत ब्याज	7	-	-	-	-	-	7
पट्टे की देयता	35	31	48	90	89	4	297
अन्य वित्तीय देयताएँ	71,546	1,782	8,913	4,707	44	-	86,992

31 मार्च 2021 को कंपनी में कोई बकाया व्युत्पन्नी नहीं है।

ix) **ऋण जोखिम**

ऋण जोखिम ऐसे जोखिम को दर्शाता है जिससे कारण प्रति-पक्षकार द्वारा अपने संविदा संबंधी दायित्वों पर चूक करने के परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है । ग्राहकों से ऋण जोखिम, बैंकों के साथ नकदी और नकद समकक्ष, सुरक्षा जमा और ऋण से ऋण जोखिम उत्पन्न होता है।

कंपनी के ऋण जोखिम को जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा एक कॉरपोरेट स्तर पर प्रबंधित किया जाता है जिसने अपने ग्राहकों और अन्य प्राप्तियों के लिए क्रेडिट नीति मानदंडों की स्थापना की है। व्यापार प्राप्तियों की महत्वपूर्ण मात्रा सरकारी / सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) की वजह से होती है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को ऐसी प्राप्तियों के साथ जुड़े क्रेडिट जोखिम नहीं मिलता है। गैर सरकारी व्यापार प्राप्तियों के मामले में, आम तौर पर बिक्री ग्राहक द्वारा स्थापित साख-पत्र के आधार पर किया जाता है जिससे क्रेडिट जोखिम कम हो जाता है।

कुछ मामलों में, ग्राहक की शोधन क्षमता का आकलन करने के बाद और ऋण योग्यता को निर्धारित करने के लिए आवश्यक कारणों से बाजार की स्थितियों के आधार पर ग्राहकों के ऋण को बढ़ाया जाता है। अग्रिम भुगतान बैंक गारंटी के प्रतिकूल किए जाते हैं जो इस तरह के भुगतान से जुड़े क्रेडिट जोखिम को सुरक्षित रखते हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों पर नुकसान हानि (जो मुख्य रूप से विलंबित सुपुर्दगियों तथा अन्य अस्वीकृतियों के लिए उगाही योग्य निर्णीत हर्जाने को दर्शाते हैं) संविदा के नियमों आदि कारकों और अन्य संकेतकों के बाद किया गया है।

बैंकों के साथ नकद और नकद समकक्ष 1 वर्ष तक की परिपक्वता अवधि के परिप्रेक्ष्य अवधि के साथ अल्पकालिक जमा के रूप में हैं। कंपनी की एक अच्छी तरह से संरचित जोखिम निवारण नीति है जिसके तहत प्रत्येक बैंक के लिए अपनी कुल मूल्य और कमाई क्षमता के आधार पर निर्धारित सीमाएं हैं, जो कि आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती हैं। कंपनी ने जमाओं पर बैंकों से चूक के कारण किसी भी प्रकार की हानि नहीं की है ।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में ऋण जोखिम नगण्य है क्योंकि वे ज्यादातर सरकारी विभाग / पक्षकारों के कारण होते हैं।

बेलॉप [100% सहयाक कंपनी] से [यथा 31.03.2021 को] रु.383 (रु. 1653) का ऋण बकाया है। सहायक कंपनी अपनी देय राशि (ब्याज और मूलधन) के पुनर्भुगतान में नियमित रूप से रही है और ऋण राशि की चुकाने के संदर्भ में कोई ऋण जोखिम नहीं है।

x) **पूंजी प्रबंधन**

कंपनी का पूंजी प्रबंधन का उद्देश्य शेयरधारकों को पर्याप्त रिटर्न प्रदान करने के लिए एक मजबूत पूंजी आधार बनाए रखना है और कंपनी की क्षमता बढ़ती चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता सुनिश्चित करना है। कंपनी के पास ऋण के माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण है, लेकिन यह उचित समय पर इस विकल्प का लाभ उठाने और इष्टतम पूंजी संरचना को बनाए रखने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

कंपनी के पास एक अच्छी तरह से निर्धारित लाभांश वितरण नीति है जो भविष्य के विकास और शेयर धारकों के धन को बढ़ाने के लिए अधिशेष के लाभांश और प्रतिधारण के भुगतान के लिए रूपरेखा तैयार करती है। कंपनी ने क्वार्टर के निर्माण के लिए बैंक से ₹10,000 की राशि उधार ली है। 31 मार्च 2021 तक बकाया राशि कुछ नहीं (₹ 833) टिप्पणी 18 और 20 देखें। कंपनी को बैंकों के साथ उधार की सीमा को ₹4,00,000 की मंजूरी दी गई है।

गियरिंग अनुपात –

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
निवल ऋण	–	833
कुल इक्विटी	10,80,789	9,85,294
निवल ऋण से इक्विटी का अनुपात	–	0.001:1

टिप्पणी 35
सुरक्षा हेतु गिरवी परिसंपत्तियाँ

मियादी ऋण एवं चालू पूँजी उधार राशियाँ के लिए सुरक्षा हेतु गिरवी परिसंपत्तियाँ का स्वीकृत राशि –

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
(i) वस्तुसूचियाँ	4,91,529	3,91,020
(ii) व्यापार प्राप्य	6,55,154	6,73,291
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	3,01,452	1,55,620
(iv) बैंक शेष [उपर्युक्त (iii) के अलावा]	1,98,000	–
(v) ऋण	1,946	3,262
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4,566	2,903
(vii) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	6,64,576	5,94,587
सुरक्षा हेतु गिरवी कुल चालू परिसंपत्तियाँ	**23,17,223**	**18,20,683**

उधार राशियाँ के विवरण हेतु टिप्पणी 18 एवं 20 देखें ।

टिप्पणी 36
महत्वपूर्ण प्राक्कलन और फैसले

वित्तीय विवरणों की तैयारी करते समय, प्रबंधन ने कुछ निर्णय, प्राक्कलन और धारणाएं बनाई हैं जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की रिपोर्ट की मात्रा को प्रभावित करती हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों के लिए संशोधनों को भविष्य में मान्यता प्राप्त है।

लेखा नीतियों को कार्यान्वित करते समय लिए गए फैसले वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशि पर महत्वपूर्ण प्रभाव है जिसके तहत सामग्री समायोजन में जिसके परिणामस्वरूप होने का एक महत्वपूर्ण जोखिम इस प्रकार है –

i. **अनुसंधान और विकास व्यय – लेखा नीति सं. 10 (टिप्पणी संख्या 5 एवं 12 देखें)**

नहीं लागत नहीं प्रतिबद्धता (एनसीएनसी) परियोजनाओं और संयुक्त विकास परियोजनाओं के संबंध में किए गए विकास संबंधी व्यय जो कि विकास साझेदार द्वारा पूरी तरह से क्षतिपूरण नहीं किए जाते हैं, परियोजना के पूरा होने तक आगे किए जा रहे हैं।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

ii. **निर्धारित लाभ दायित्व का अनुमान – मुख्य बीमांकिक मान्यताएं – (टिप्पणी संख्या 21 देखें)**

iii. **वारंटी दावों के प्रावधान का आकलन (टिप्पणी संख्या 21 देखें)**

वारंटी प्रावधान गणना में प्रवृत्ति आधारित विश्लेषण के आधार पर औसत वारंटी लागत का आकलन शामिल है। यदि विविध अनुमान लगाया जाए, तो यह उसी मान्य व्यय को प्रभावित करेगा।

iv. **राजस्व का अभिचिह्नन – (टिप्पणी संख्या 23 देखें)**

पूर्णता विधि का प्रतिशत संविदा पूरा करने के लिए अनुमानित कुल लागतों के वास्तविक लागत के आधार पर पूरा होने के चरण का अनुमान लगाता है। अगर विविध अनुमान लगाए जाए, तो यह उसी संबंधित राजस्व को प्रभावित करेगा।

v **अमूर्त परिसंपत्तियाँ – (टिप्पणी संख्या 4 और 5 देखें)**

अन्य अमूर्त संपत्ति और विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में आगे की गई राशि को भविष्य के आर्थिक लाभों की निश्चितता के संबंध में प्रतिवर्ष हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

vi **पट्टा (टिप्पणी 1 देखें)**

यदि भारतीय ए.एस. 116 की अपेक्षाओं के अनुसार कोई करार पट्टे के रूप में योग्य बनता है तो कंपनी इसका मूल्यांकन करती है। पट्टे की पहचान करना निर्णायक होता है। कंपनी पट्टे के निबंधन (प्रत्याशित नवीकरणों सहित) और लागू बट्टा दर का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है।

बट्टे की दर सामान्य रूप से मूल्यांकन किए जा रहे पट्टे की वृद्धिशील उधार दर पर आधारित होती है।

टिप्पणी 38
हाल में की गई लेखांकन घोषणाएँ

1. 24 मार्च, 2021 को कार्पोरेट कार्य मंत्रालय "(एमसीए)" ने एक अधिसूचना द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III को संशोधित किया है। इस संशोधन में अनुसूची III के प्रभाग I, II और III को पुनरीक्षित किया गया है जो 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगा। प्रभाग II जो ऐसी कंपनियों से संबंधित है जिनके वित्तीय विवरणों में कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 का पालन किया जाना है, से संबंधित प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं –

तुलन–पत्र –

- पट्टे की देयता को चालू और गैर–चालू के रूप स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए "वित्तीय देयता" शीर्ष के तहत अलग से प्रकट किया जाएगा।
- इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में अतिरिक्त प्रकटण जैसे पूर्वावधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन तथा चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में दोबारा बताए गए शेष।
- प्रवर्तकों का शेयरधारण प्रकट करने के लिए निर्दिष्ट प्रारूप।
- व्यापार की लेनदारी, व्यापार देय, पूंजीगत चालू कार्य और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति की पुरानी अनुसूची का निर्दिष्ट प्रारूप।
- यदि कंपनी ने किसी विशेष प्रयोजन के लिए निधियों का उपयोग नहीं किया है जिसके लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार लिया गया है, तो उनके उपयोग किए जाने के विवरण का प्रकटण।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

- 'अतिरिक्त विनियामक सूचना' के तहत विशिष्ट प्रकटण जैसे व्यवस्थाओं की अनुमोदित योजनाओं का अनुपालन, कंपनी के स्तरों की संख्या का अनुपालन, अचल संपत्ति के हक विलेख जो कंपनी के नाम पर नहीं हैं, प्रवर्तकों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (के.एम.पी.) और संबंधित पक्षकारों को ऋण व अग्रिम, धारित बेनामी संपत्ति के विवरण आदि।

लाभ व हानि का विवरण –

- कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर), प्रकट न की गई आय तथा क्रिप्टो या आभासी मुद्रा जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली टिप्पणियों में 'अतिरिक्त सूचना' के तहत निर्दिष्ट है, से संबंधित अतिरिक्त प्रकटण।

- ये संशोधन विस्तृत हैं और कंपनी विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार इन्हें लागू करने के लिए इनका आकलन करेगी।

2. 28 जून, 2021 को, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय "(एमसीए)" ने एक अधिसूचना द्वारा कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में संशोधन किया। इन नियमों को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2021 कहा गया है। ये संशोधन कंपनी पर लागू विभिन्न भारतीय लेखा मानकों को प्रभावित करते हैं और 1 अप्रैल 2021 के बाद से शुरु होने वाली लेखा अवधि के लिए लागू हैं। ये संशोधन विस्तृत हैं और कंपनी विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार इन्हें लागू करने के लिए इनका आकलन करेगी।

भारतीय लेखा मानक स्टैन्डअलोन वित्तीय विवरणों पर उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ

कार्पोरेट सूचना

साथ में दिए गए वित्तीय विवरणों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरण हैं। कंपनी भारत में स्थित एक सरकारी कंपनी है और भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर भारत में दो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय और इसके कारोबार का मुख्य स्थान बेंगलूरु, कर्नाटक, भारत में स्थित है ।

कंपनी रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रक्षा क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और प्रणालियों का निर्माण और आपूर्ति करती है। रक्षा क्षेत्र के अलावा, कंपनी असैनिक बाजार में भी सीमित स्तर तक मौजूद है।

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ

1. तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर मान्य लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार तैयार किए जाते हैं और प्रस्तुत किए जाते हैं जिनमें अनिवार्य भारतीय लेखा मानक (भारतीय एएस) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पढ़ा जाना है, के तहत यथा अधिसूचित, समय-समय पर यथा संशोधित, और जो जहाँ तक लागू हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान शामिल हैं और इन्हें निरंतरता के साथ लागू किया गया है।

2. प्राक्कलनों का प्रयोग

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए प्रबंधन के लिए यह आवश्यक होता है कि वह ऐसे अनुमान और पूर्वानुमान लगाए जो वित्तीय विवरणों की तारीख पर रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों, आकस्मिक देयता और आकस्मिक परिसंपत्तियों के प्रकटण को प्रभावित करते हैं। यद्यपि ऐसे अनुमान सभी उपलब्ध सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए औचित्यपूर्ण और दूरदर्शी आधार पर किए जाते हैं, तथापि वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और ऐसे अंतरों को उस अवधि में निर्धारित किया जाता है जिसमें परिणाम अभिनिश्चित किए जाते हैं।

3. मापन का आधार

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है सिवाय निम्नलिखित परिसंपत्तियों और दायित्वों के, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है–

- व्युत्पन्नी वित्तीय विलेख, यदि कोई हो
- वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएँ जो उचित मूल्य पर मापे जाने योग्य हैं
- निर्धारित अनुलाभ परिसंपत्ति / देयता को निर्धारित अनुलाभ देयता के वर्तमान मूल्य में से योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को घटाकर निर्धारित किया जाता है ।

4. कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा है ।

5. राजस्व का निर्धारण

क. ग्राहकों के साथ ठेका से राजस्व

i. राजस्व को तब निर्धारित किया जाता है जब (या जैसे) कंपनी ग्राहक को वचनबद्ध माल या सेवाओं (जैसे परिसंपत्ति) को अंतरित करते हुए कार्य-निष्पादन की देयता को पूरी करती है ।

ii. **समय के साथ कार्य-निष्पादन देयता को पूरा करना**

क. राजस्व को ऐसे समय के दौरान निर्धारित किया जाता है जहाँ उस कार्य-निष्पादन देयता की पूर्ति के लिए हुई प्रगति को मापते हुए समय के साथ माल या सेवाओं का नियंत्रण अंतरित किया जाता है यदि निम्न से कोई भी एक मानदंड पूरा किया जाता हो–

- कंपनी के कार्य-निष्पादन से ग्राहक को कंपनी के कार्य-निष्पादन करने के साथ-साथ अनुलाभ प्राप्त करने और उनका उपभोग करने का हक मिलता है।
- कंपनी के कार्य-निष्पादन से किसी परिसंपत्ति को तैयार किया जाता है या बढ़ाया जाता है जिसे ग्राहक परिसंपत्ति सृजित करने या बढ़ने के साथ-साथ नियंत्रित करता है।
- कंपनी के कार्य-निष्पादन से कंपनी के वैकल्पिक उपयोग के साथ परिसंपत्ति तैयार नहीं की जाती और कंपनी को यथातिथि पूर्ण किए गए कार्य-निष्पादन के लिए भुगतान का प्रवर्तनीय हक होता है।

ख. कार्य-निष्पादन देयता को पूर्ण करने के लिए की हुई प्रगति का आंकलन रिपोर्टिंग की तारीख तक संविदा पर उपगत वास्तविक लागत से संविदा को पूरा करने के लिए अपेक्षित कुल प्राक्कलित लागत के अनुपात के आधार पर किया जाता है। यदि कार्य-निष्पादन देयता के परिणाम का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और जहां यह संभव है कि लागत की वसूली हो जाएगी, राजस्व को उपगत लागत की सीमा तक निर्धारित किया जाता है ।

ग. एएमसी संविदाओं के मामले में जहाँ समय विस्तारण कार्य-निष्पादन देयताओं को पूर्ण करने का एक मापदंड होता है, राजस्व को निर्गत पद्धति के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

iii. **किसी निश्चित समय में कार्य-निष्पादन देयता को पूर्ण करना**

क. ऐसे मामलों में जहाँ नियंत्रण का अंतरण समय के साथ नहीं होता है, कंपनी उस समय बिंदु पर राजस्व को निर्धारित करती है जब कार्य-निष्पादन देयताएँ पूरी की जाती हैं।

ख. कार्य-निष्पादन देयता को तब पूरा माना जाता है जब ग्राहक परिसंपत्ति का नियंत्रण प्राप्त करता है। नियंत्रण को अंतरित करने के सूचकों में निम्नलिखित शामिल हैं –

- कंपनी ने परिसंपत्ति के भौतिक स्वामित्व का अंतरण किया है
- ग्राहक के पास परिसंपत्ति का न्यायिक अधिकार है
- ग्राहक ने परिसंपत्ति को स्वीकार किया है
- जब कंपनी को परिसंपत्ति पर भुगतान का वर्तमान अधिकार है
- ग्राहक के पास परिसंपत्ति के स्वामित्व का महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल है। महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल स्वामित्व के अंतरण का आंकलन संविदाओं के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक शर्तों इन्को-टर्म के आधार पर किया जाता है ।

कारखाना बाह्य संविदा- कारखाना बाह्य संविदाओं के मामले में, राजस्व तब निर्धारित किया जाता है, जब पूर्व निरीक्षण और स्वीकृति, यदि आवश्यक हो, के बाद निर्दिष्ट माल को किसी शर्त के बिना विनियोजित किया जाता है।

एफ.ओ.आर. संविदाएँ- एफ.ओ.आर. संविदाओं के मामले में, राजस्व को तब निर्धारित किया जाता है, जब माल पूर्व निरीक्षण और स्वीकृति यदि निर्दिष्ट हो, के बाद वाहक को खरीददार तक पारेषित करने के लिए सौंप दिया जाता है, और एफ.ओ.आर. गंतव्य संविदाओं के मामले में, यदि इस बात की उचित अपेक्षा हो कि माल लेखांकन अवधि के भीतर गंतव्य तक पहुंच जाएगा।

ग. बिल और होल्ड बिक्री

बिल और होल्ड बिक्री को तब निर्धारित किया जाता है जब निम्नलिखित मानदंडों को पूरा किया जाता है-

- बिल और होल्ड बिक्री का समुचित कारण है
- उत्पाद की अलग से पहचान की गई है कि वह ग्राहक का है
- उत्पाद वर्तमान में ग्राहक को भौतिक हस्तांतरण के लिए तैयार है
- कंपनी उत्पाद का उपयोग करने या किसी अन्य ग्राहक को निर्देशित करने में असमर्थ है।

iv. **मापन**

क. राजस्व को लेनदेन मूल्य की ऐसी राशि में निर्धारित किया जाता है जो कार्य-निष्पादन देयता के लिए आबंटित की गई है।

लेन-देन की कीमत उस प्रतिफल की राशि है, जिसके लिए कंपनी को उम्मीद है कि वह तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को छोड़कर, किसी ग्राहक को वचनबद्ध माल या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले में हकदार होगी।

मूल्य वृद्धि और ईआरवी के मामले में, राजस्व का निर्धारण संविदाजन्य शर्तों के अनुसार ग्राहक से वसूल की जाने वाली सर्वाधिक संभावित राशि पर किया जाता है ।

ख. जहां संविदाओं में कई कार्य-निष्पादन देयताएँ शामिल हैं, कंपनी संबंधित स्टैंड-अलोन बिक्री मूल्य के आधार पर प्रत्येक कार्य-निष्पादन दायित्व के लिए लेनदेन मूल्य आबंटित करती है।

संयुक्त संविदाएँ - संयुक्त संविदा के मामले में, जहां संस्थापना और कार्यारंभ या अलग से निर्धारित किए जाने वाले किसी अन्य घटक के लिए अलग शुल्क निर्धारित नहीं है, कंपनी लेनदेन के अलग से पहचाने जाने योग्य घटकों (माल की बिक्री, संस्थापना और कार्यारंभ आदि) का निर्धारण मानदंड लागू करती है और राजस्व को इन घटकों को स्टैंडअलोन बिक्री दर के आधार पर आबंटित करती है।

एकाधिक तत्व – ऐसे मामलों में जहाँ संस्थापना और कार्यारंभ अथवा कोई अलग से निर्धारित किए जाने वाला घटक निर्दिष्ट किया गया है जिसकी कीमत पर अलग से सहमति हुई है, तो कंपनी ऐसे लेनदेन के अलग से निर्धारित किए जाने योग्य घटक (माल की बिक्री तथा संस्थापना एवं कार्यारंभ आदि) पर निर्धाण मानदंड लागू करती है और ऐसे अलग घटकों की स्टैंडअलोन बिक्री कीमत के आधार पर उनके लिए राजस्व आबंटित करती है।

ग. अगर स्टैंड-अलोन बिक्री कीमत उपलब्ध नहीं है तो कंपनी स्टैंड-अलोन बिक्री कीमत का अनुमान लगाती है।

v. **जुर्माना**

संविदा में निर्दिष्ट जुर्माने (सुपुर्दगी में देरी के लिए निर्णीत हर्जाने सहित) को लेनदेन की कीमत दर का अंतर्निहित हिस्सा नहीं माना जाता यदि उसकी उगाही ग्राहक के समीक्षाधीन हो।

vi. **महत्वपूर्ण वित्तीय घटक**

रक्षा संबंधी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए प्राप्त अग्रिमों को महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक निर्धारित करने के लिए विचार में नहीं लिया जाता क्योंकि इसका उद्देश्य संविदा में शामिल पक्षकारों के हितों की रक्षा करना है।

अन्य संविदाओं के लिए, महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक की विद्यमानता की समीक्षा मामला-दर-मामला आधार पर की जाती है।

ख. अन्य आय

अन्य आय का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है –

i. **ब्याज आय**

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करते हुए निर्धारित किया जाता है ।

ii. **लाभांश आय**

कंपनी द्वारा भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर लाभांश आय को निर्धारित किया जाता है।

iii. **किराए की आय**

प्रचालनीय पट्टों से होने वाली किराए की आय का परिकलन पट्टे की अवधि पर सीधी रेखा आधार पर किया जाता है, जब तक किराए में वृद्धि अपेक्षित मुद्रास्फीति के अनुरूप नहीं होती है या अन्यथा उचित होती है।

iv. **शुल्क की कमियां**

निर्यात पर शुल्क की कमी के दावों का परिकलन प्रोद्भूत आधार पर किया जाता है।

v. **अन्य आय**

अन्य आय जिसे ऊपर विशिष्ट रूप से नहीं बताया गया है, को प्रोदभूत आधार निर्धारित किया जाता है।

6. **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, पूंजीगत चालू कार्य**

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को शुरू में लागत पर मापा जाता है और बाद में लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचयी अनर्जक हानि, यदि कोई हो, को घटाकर मापा जाता है । इस उद्देश्य के लिए लागत में परिसंपत्ति को उसके स्थान और स्थिति में लाने से संबंधित सभी लागत शामिल किए जाते हैं। यदि किसी प्रावधान के लिए निर्धारण मानदंडों को पूरा किया जाता है, तो परिसंपत्ति को इसके उपयोग के बाद समाप्त करने के लिए अपेक्षित लागत का वर्तमान मूल्य संबंधित परिसंपत्ति की लागत में शामिल किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत जो प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर उनके आशयित उपयोग के लिए तैयार नहीं है, को पूंजीगत चालू कार्य के रूप में प्रकट किया जाता है।

पूंजीगत चालू कार्य में आपूर्ति-सह-निर्माण संविदाएं, स्थल पर प्राप्त एवं स्वीकृत पूंजी और मार्गस्थ एवं निरीक्षणाधीन पूंजीगत माल शामिल होते हैं।

7. **अमूर्त परिसंपत्तियाँ, विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति**

आंतरिक उपयोग के लिए अर्जित साफ्टवेयर (जो संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है) और जिससे भविष्य में महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ अपेक्षित है, उपयोग के लिए तैयार होने पर उसकी लागत को लेखा बहियों में एक अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में निर्धारित किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियाँ जो रिपोर्ट करने की तारीख तक अपने आशयित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, को विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

पूरे किए गए विकास कार्य की लागत, जहाँ कहीं अर्ह हो, को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में निर्धारित किया जाता है।

विकासाधीन कार्य की लागत, जहाँ कहीं अर्ह हो, को विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति में विकास परियोजनाओं के लिए बाहरी एजसियों को कंपनी द्वारा वित्त पोषित राशि और कंपनी द्वारा सामग्री की लागत, कर्मचारी लागत तथा अन्य प्रत्यक्ष व्यय पर उपगत व्यय शामिल होते हैं।

अमूर्त परिसंपत्तियों को प्रारंभिक रूप से लागत पर और उसके बाद लागत में से संचित परिशोधन और संचित अनर्जक हानि, यदि कोई हो, को घटाकर मापा जाता है।

अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान पर या जब उसके उपयोग अथवा निपटान से कोई भावी आर्थिक अनुलाभ अपेक्षित नहीं होते हैं, निर्धारण से बाहर किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों को निर्धारण से बाहर किए जाने से होने वाली लब्धि या हानि, यदि कोई हो, को लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित किया जाता है।

8. मूल्यह्रास / परिशोधन

मूल्यह्रास का परिकलन परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा आधार पर किया जाता है। तकनीकी आकलन के आधार पर कंपनी भवन, संयंत्र और उपकरण की कुछेक मदों तथा परिसंपत्तियों के अन्य वर्गों का मूल्यह्रास प्राक्कलित उपयोगी जीवन पर करती है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची खख में वर्णित उपयोगी जीवनकाल से अलग होते हैं। प्रबंधन का मानना है कि ये प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल वास्तविक हैं और उस अवधि के निष्पक्ष अनुमान को प्रतिबिंबित करते हैं जिन पर संपत्ति का उपयोग होने की संभावना है।

जहाँ परिसंपत्ति के किसी भाग की लागत उस परिसंपत्ति की कुल लागत के लिए उल्लेखनीय होती है और उस भाग का प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल शेष परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल से अलग होता है तो ऐसे उल्लेखनीय भाग के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल का अलग से निर्धारण किया जाता है और उल्लेखनीय भाग को उसके प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी–रेखा पद्धति आधार पर मूल्यह्रास किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास की विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो, तो भविष्यलक्षी रूप से समायोजित किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियों को उनके उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तारीख से, उनके वैयक्तिक प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा पद्धति आधार पर परिशोधित किया जाता है। अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और परिशोधन के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और उपयुक्त होने पर भविष्यलक्षी रूप से समायोजित किया जाता है।

9. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का निपटान

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कोई मद तथा उसका कोई भाग जिसे प्रारंभ में निर्धारित किया जाता है, को उनके निपटान पर या जब उनके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक अनुलाभ अपेक्षित नहीं होता है, को निर्धारण से बाहर किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को निर्धारण से बाहर करने के कारण प्राप्त लब्धि या हानि (जिसका परिकलन निवल निपटान प्राप्ति, यदि कोई हो, और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहनीय राशि के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है) को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को निर्धारण से बाह करने पर लाभ व हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

10. अनुसंधान और विकास व्यय

(i) अनुसंधान गतिविधि पर व्यय को उसके खर्चे की अवधि के दौरान व्यय के रूप में निर्धारित किया जाता है ।

(ii) विकास व्यय (ग्राहक के अनुरोध पर शुरू किए गए विशिष्ट विकास–सह–बिक्री संविदा और विकास संबंधी परियोजनाओं के अलावा), को उपगत होने पर व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है। विकास–सह–बिक्री संविदाओं और विकास संबंधी परियोजनाएं जो, ग्राहक के अनुरोध पर शुरू किए जाते हैं, पर विकास संबंधी व्यय को अन्य बिक्री संविदाओं के समान माना जाता है।

संयुक्त विकास परियोजनाओं के संबंध में किए गए विकास व्यय, जो विकास साझेदार द्वारा पूरी तरह से प्रतिपूर्ति नहीं किए गए हैं, आगे ले जाया जाते हैं जहां कंपनी को उत्पादन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है और जिनसे भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद है।

विकास परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा की जाती है और अग्रेनीत राशि, यदि कोई हो, को ग्राहक द्वारा आदेश के लिए किसी प्रतिबद्धता के बिना परियोजना को बंद घोषित किए जाने पर शुल्क लिया जाता है।

(iii) अन्य विकास कार्यों से संबंधित व्यय (बाहरी एजेंसियों के सहयोग से किए जाने वाले संयुक्त विकास कार्य सहित) जहाँ अनुसंधान के परिणामों या अन्य ज्ञान का उपयोग नए या वर्धिक उत्पादों या प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए किया जाता है, को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में निर्धारित किया जाता है यदि भारतीय एएस 38 में दिए निर्धारण मानदंड पूरे किए जाते हों और जब विकसित उत्पाद या प्रक्रिया को तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से उपयोग करने की अपेक्षा हो, कंपनी के पास इसको पूर्ण रूप से विकसित कर इस अमूर्त परिसंपत्ति का उपयोग करने या बिक्री करने के लिए पर्याप्त संसाधन हों और वह उत्पाद या प्रक्रिया से भावी आर्थिक अनुलाभ प्राप्त होने की संभावना हो।

(iv) ग्राहक से प्राप्त कोटेशन के अनुरोध के आधार पर, लागत नहीं, प्रतिबद्धता नहीं (एनसीएनसी) परीक्षणों में भाग लेने के लिए विकास संबंधी परियोजनाओं पर किए गए खर्च को परीक्षण समाप्त होने तक आगे ले जाया जाता है और इन्हें आदेशों के प्राप्त होने पर परिशोधित किया जाता है।

यदि ग्राहक का आदेश तुरंत प्राप्त नहीं होने वाला है –

- राशि पूँजीकृत कर दी जाती है यदि उसके उपयोग से अतिरिक्त आर्थिक अनुलाभ अपेक्षित हो, या
- परियोजना को ग्राहक / अंतिम प्रयोक्ता द्वारा आदेश देने की किसी प्रतिबद्धता के बिना बंद किए जाने पर राशि प्रभारित कर दी जाती है।

11. तकनीकी जानकारी पर व्यय

तकनीकी जानकारी पर किए गए खर्च को ऐसे खर्च के उपगत होने पर लाभ व हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है जब तक कि वह पृथक रूप से स्वयं या अन्य परिसंपत्तियों / व्ययों के संयोजन से एक अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में निर्धारित करने के लिए अर्ह नहीं बन जाता है ।

12. निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में लेनदेन लागत सहित लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक निर्धारण के बाद निवेश संपत्तियों को लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित हानि के नुकसान, यदि कोई हो, पर मापा जाता है।

13. गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों का ह्रास

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह मूल्यांकन करती है कि क्या किसी परिसंपत्ति के ह्रास होने के कोई संकेत तो नहीं है। अगर कोई संकेत मौजूद है, या जब परिसंपत्ति के लिए वार्षिक हानि जांच की आवश्यकता होती है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उसे माना जाता है जो परिसंपत्ति या नकद–पैदा करने वाली यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य में से उसके निपटान लागत और उपयोग के दौरान उसके मूल्य को घटाकर जो राशि बचती है, उससे अधिक हो। किसी वैयक्तिक परिसंपत्ति की वसूल योग्य राशि निर्धारित की जाती है जब तक कि परिसंपत्ति द्वारा ऐसी नकदी प्राप्ति नहीं होती जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्ति के समूह से उत्पन्न नकदी प्रवाह से अधिकतर स्वतंत्र नहीं है। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहनीय राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है, तो परिसंपत्ति को ह्रासमान माना जाता है और उसे उसकी वसूली योग्य राशि से बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

उपयोग के दौरान मूल्य का आंकलन करने में प्राक्कलित भावी नकदी प्रवाह को उस समय प्रचलित बाज़ार मूल्यांकन को और उचित मूल्य में से निपटान की लागत को घटाकर उसे निर्धारित करने में परिसंपत्ति विशिष्ट जोखिम को प्रतिबिंबित करने वाले कर–पूर्व डिस्काउंट दर का उपयोग करते हुए उसके वर्तमान मूल्य पर बट्टा दिया जाता है।

ह्रास के प्रावधान को तब व्युत्क्रमित किया जाता है जब किसी परिसंपत्ति या नकद सृजित करने वाली यूनिट (सीजीयू) की प्राक्कलित सेवा संभाव्यता में, ऐसी परिसंपत्ति के ह्रास को अंतिम बार निर्धारित करने की तारीख के बाद, पुनर्मूल्यांकन पर, उपयोग या बिक्री से, बढ़ोत्तरी होती हो।

14. पट्टे

पट्टेदार के रूप में कंपनी–

तृतीय पक्षकारों की संविदाएँ जिनसे कंपनी को किसी परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार प्राप्त होता है, का परिकलन भारतीय ए.एस. 116 – पट्टे के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है, यदि लेखा मानक में निर्दिष्ट निर्धारण मानदंड पूरे होते हों।

अल्पकालिक पट्टों से और कम मूल्य की परिसंपत्तियों से संबंधित पट्टों के भुगतान को पट्टे की अवधि पर सीधी रेखा आधार पर या अन्य क्रमबद्ध आधार, जो लागू हो, पर व्ययों के रूप में प्रभारित किया जाता है।

प्रारंभ की तारीख पर, प्रयोग का अधिकार के मूल्य को पट्टे के बकाया मूल्य के वर्तमान मूल्य तथा अंतर्निहित परिसंपत्ति को अलग करने या हटाने तथा जिसे संयंत्र, संपत्ति और उपकरण के भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है, की किसी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत या प्राक्कलित लागत, यदि कोई हो, पर पूँजीकृत किया जाता है।

इसके बाद प्रयोग का अधिकार परिसंपत्ति का मापन लागत मॉडल द्वारा किया जाता है।

पट्टे की देयता उस राशि के लिए सृजित की जाती है जो पट्टे के बकाया भुगतान के वर्तमान मूल्य के समतुल्य हो और उसे उधार के रूप में दर्शाया जाता है।

पट्टे के प्रत्येक भुगतान को सृजित देयता और वित्त लागत के बीच आबंटित किया जाता है। वित्त लागत को पट्टे की अवधि पर लाभ व हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है ताकि इससे प्रत्येक अवधि के लिए देयता की शेष राशि पर ब्याज की स्थिर आवधिक दर प्राप्त हो सके।

प्रयोग के अधिकार की परिसंपत्ति का मूल्यह्रास परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल से कम अवधि पर और सीधी रेखा आधार पर पट्टे की अवधि पर किया जाता है ।

पट्टे के भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग कर भुनाया जाता है यदि इसकी दर निर्धारित की जा सकती हो या कंपनी की वृद्धिशील उधार दर पर भुनाया जाता है।

पट्टे के संशोधन, यदि कोई हो, का परिकलन अलग पट्टे के रूप में किया जाता है यदि मानक में निर्दिष्ट मानदंड पूरे किए जाते हों।

पट्टाकर्ता के रूप में कंपनी–

पट्टों को भारतीय ए.एस. – 116 पट्टे में निर्दिष्ट निर्धारण मानदंडों के आधार पर प्रचालन पट्टे या वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क) वित्तीय पट्टा –

प्रारंभ की तारीख में, "पट्टे में निवल निवेश" के समतुल्य राशि लेनदारी के रूप में दर्शाई जाती है। "पट्टे में निवल निवेश" के मूल्य का मापन करने के लिए अंतर्निहित ब्याज दर का उपयोग किया जाता है।

पट्टे के प्रत्येक भुगतान को सृजित लेनदारी और वित्त आय के बीच आबंटित किया जाता है। वित्त लागत को पट्टे की अवधि पर लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित किया जाता है ताकि पट्टे में निवल निवेश पर प्राप्ति की स्थिर आवधिक दर दर्शाई जा सके।

परिसंपत्ति की जाँच विनिर्धारण और भारतीय ए.एस. 109 – वित्तीय विलेख के अनुसार अनर्जकता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए की जाती है।

पट्टे के संशोधन, यदि कोई हों, का परिकलन अलग पट्टे के रूप में किया जाता है यदि उक्त मानक में निर्दिष्ट निर्धारण मानदंड पूरे किए जाते हों।

ख) प्रचालनीय पट्टा –

कंपनी प्रचालनीय पट्टों के पट्टे के भुगतान को सीधी-रेखा आधार या किसी दूसरे क्रमबद्ध आधार, यदि आवश्यक हो, पर आय के रूप में निर्धारित करती है।

पट्टे के संशोधन, यदि कोई हों, का परिकलन अलग पट्टे के रूप में किया जाता है यदि उक्त मानक में निर्दिष्ट निर्धारण मानदंड पूरे किए जाते हों।

15. उधार की लागत

उधार की लागतें प्रत्यक्ष रूप से ऐसी परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के कारण होती है जिसमें उसके आशयित उपयोग के लिए तैयार होने की सारभूत अवधि आवश्यक रूप से लगती है या बिक्री को परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूँजीकृत किया जाता है । उधार की सामान्य लागतों को उस परिसंपत्ति पर खर्च की पूँजीकरण दर का उपयोग करते हुए अर्हक परिसंपत्तियों में पूँजीकृत किया जाता है । पूँजीकरण की दर विशिष्ट उधार को छोड़कर, सामान्य उधार बकाया पर लागू उधार की लागतों का भारित औसत होती है । उधार की अन्य सभी लागतों के व्यय उस अवधि में किए जाते हैं जिसमें वे उपगत होते हैं । उधार की लागतों में ब्याज और ऐसी अन्य लागतें शामिल होती है जो एक निकाय निधियों के उधार के संबंध में उपगत करता है । उधार की लागत में विनिमय के ऐसे अंतर भी शामिल होते हैं जहाँ तक उन्हें उधार की लागतों का समायोजन माना जाता है ।

16. सरकारी अनुदान

सरकार से प्राप्त अनुदान उचित मूल्य पर मापे जाते हैं जिन्हें शुरू में आस्थगित आय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

अचल परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण आस्थगित आय में उपलब्ध राशि को संबंधित परिसंपत्ति का ह्रास मूल्य के अनुपात में अधिग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले सरकारी अनुदानों तक सीमित करते हुए लाभ और हानि विवरण में स्थानांतरित किया जाता है।

राजस्व व्यय के कारण आस्थगित आय में उपलब्ध राशि को कुल मंजूर लागत और वित्त-पोषण के अनुपात अनुमान के अनुसार व्यय और सरकारी अनुदान तक सीमित रखते हुए वहित लाभ और हानि विवरण में स्थानांतरित किया जाता है।

17. संयुक्त उद्यम और एसोसिएट में निवेश

कम्पनी अपने सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में अपने हितों को लागत के अनुसार अलग-अलग वित्तीय विवरण में दर्शाता है।

18. वस्तुसूचियां

प्रयोज्य रद्दी को छोड़कर कंपनी के सभी वस्तु सूचियां मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य में से कम पर मूल्यित किए जाते है। रद्दी अनुमानित निवल प्राप्य मूल्य पर मूल्यित किया जाता है। सामग्री की लागत का भारित औसत लागत सूत्र का उपयोग करते हुए पता लगाया जाता है।

कार्य प्रगति और तैयार माल की लागत में सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और उपयुक्त उपरी प्रभार शामिल हैं।

वस्तु सूचियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाता है जो पांच वर्ष से अधिक पुराना हो, जो आगे उपयोग के लिए आवश्यक नहीं हो सकता है।

19. आय कर

आयकर में मौजूदा और आस्थगित कर शामिल हैं।

(i) वर्तमान आय कर

वर्तमान कर परिसंपत्तियां और देनदारियां कराधान प्रधिकारियों से अपेक्षित वसूली की या भुगतान की राशि पर मापे जाते है। इस राशि की गणना करने के लिए प्रयुक्त कर की दरें और कर कानून उन रिपोर्टिंग तारीखों पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित होते हैं। ऐसी मदों से संबंधिक चालू कर जिसे प्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यापक आय में निर्धारित किया जाता है या इक्विटी को अन्य व्यापक आय में या इक्विटी में निर्धारित किया जाता है, लाभ और हानि के विवरण में नहीं।

(ii) आस्थगित कर

आस्थगित कर रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर और उनकी आगे लाई गई राशि के साथ तुलन-पत्र विधि का उपयोग करते हुए प्रदान किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतर, अप्रयुक्त कर क्रेडिट को आगे ले जाते हुए और अप्रयुक्त कर हानियों के लिए निर्धारित किया जाता है जहाँ तक कि इस बात की संभावना हो कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके समक्ष कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मात्रा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस हद तक कम हो जाती है कि यह अब संभव नहीं है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या हिस्से का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

20. वारंटियों के लिए प्रावधान

कार्य-निष्पादन की गारंटी और बेचे गए माल के प्रतिस्थापन / मरम्मत के कारण व्यय का प्रावधान प्रवृत्ति आधारित अनुमानों के आधार पर किया जाता है।

ऐसे मामले में जहां प्रवृत्ति का पता लगाने योग्य नहीं है, प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर वारंटी का प्रावधान किया जाता है।

21. विदेशी मुद्राएं के लेनदेन और रूपांतरण

विदेशी मुद्राओं में लेन-देन शुरू में कंपनी द्वारा उस तारीख की संबंधित मुद्रा विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है जिस तारीख में ऐसे लेनदेन निर्धारित करने के लिए पहले अर्ह होते हैं। विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं को रिपोर्टिंग की तारीख में अंतिम मुद्रा-विनिमय दर का प्रयोग करते हुए कार्यशील मुद्रा में रपांतरित किया जाता है। मौद्रिक मदों के निपटान या रूपांतरण से आने वाले अंतर को लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित किया जाता है। गैर-मौद्रिक मदें जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के परिप्रेक्ष्य में मापा जाता है, को प्रारंभिक लेनदेन की तारीखों की मुद्रा-विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रूपांतरित किया जाता है।

22. कर्मचारी हितलाभ

(i) संबंधित सेवाएँ प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूरी तरह देय सभी कर्मचारी हितलाभों को अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनमे मुख्य रूप से शामिल हैं (क) मजदूरी और वेतन; (ख) अल्पकालिक प्रतिपूरक अनुपस्थिति; (ग) लाभ-भाजन, प्रोत्साहन और बोनस और (घ) गैर-मौद्रिक लाभ जैसे चिकित्सा देखभाल, सहायता-प्राप्त परिवहन, कैंटीन सुविधाएं आदि, जिन्हें बट्टारहित आधार पर मूल्यांकित किया जाता है और संबंधित सेवाएं प्रदान करने की अवधि के दौरान निर्धारित किया जाता है।

(ii) दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियाँ जैसे वार्षिक छुट्टी, बीमारी छुट्टी और आधा वेतन छुट्टी को प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुए बीमांकिक आधार पर वार्षिक रूप से निर्धारित देयता के वर्तमान मूल्य तथा तुलन-पत्र में किए गए प्रावधान के वहनीय मूल्य के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और इसका प्रावधान किया जाता है।

(iii) कर्मचारियों को उपदान और कर्मचारी भविष्य निधि के भुगतान के लिए वृद्धिशील देयता का निर्धारण प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुए बीमांकिक आधार पर वार्षिक रूप से निर्धारित देयता के वर्तमान मूल्य और इस प्रयोजनार्थ स्थापित अनुमोदित ट्रस्ट जिसके लिए भविष्य निधि के मामले में मासिक अंशदान किए जाते हैं और उपदान के मामले में एकमुश्त अंशदान दिए जाते हैं, में वित्त-पोषित योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है।

(iv) बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना (बीईआरईसीएचएस) के तहत वृद्धिशील देयता का निर्धारण प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुए बीमांकिक आधार पर वार्षिक रूप से किया जाता है और इसका प्रावधान किया जाता है।

(v) वर्ष की बीमांकिक देयता का निर्धारण प्रत्येक वर्ष जनवरी के अंत में कर्मचारियों के संदर्भ में किया जाता है।

(vi) बीमांकिक लाभ और हानि और योजित परिसंपत्तियों (ब्याज को छोड़कर) पर प्राप्ति और परिसंपत्ति की ऊपरी सीमा का प्रभाव (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर) का निर्धारण अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में तुरंत किया जाता है। निवल निर्धारित देयता (परिसंपत्ति) पर निवल ब्याज व्यय (आय) का परिकलन बट्टे की दर लागू करते हुए किया जाता है जिसका प्रयोग वर्ष के दौरान अंशदान और अनुलाभ भुगतानों के परिणामस्वरूप, किसी परिवर्तन को ध्यान में रखने के बाद, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में निवल निर्धारित देयता (परिसंपत्ति) में निवल निर्धारित देयता (परिसंपत्ति) को मापने में किया जाता है। निर्धारित अनुलाभ योजनाओं से संबंधित निवल ब्याज व्यय तथा अन्य व्ययों को लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित किया जाता है।

जब किसी योजना का लाभ बदल जाता है या जब कोई योजना कम की जाती है, तो अनुलाभ में परिणामी परिवर्तन जो पिछली सेवा से या ऐसी कटौती पर लब्धि या हानि से संबंधित होता है, को लाभ व हानि के विवरण में तुरंत निर्धारित किया जाता है।

(vii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अनुलाभों का भुगतान होने पर उसे राजस्व को प्रभारित किया जाता है।

(viii) निर्धारित अंशदान योजना

कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना और अधिवार्षिता पेंशन योजना संचालित करती है जिन्हें निर्धारित

योगदान योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निर्धारित अंशदान योजनाओं के लिए, कंपनी कर्मचारियों के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत पर स्वतंत्र रूप से संचालित निधियों में अंशदान देती है। इन योगदानों को लाभ व हानि के विवरण में दर्ज किया गया है। कंपनी की देयता इन योजनाओं में दिए गए अंशदान की सीमा तक ही सीमित है।

23. प्रावधान

क. प्रावधान

प्रावधान तब निर्धारित किए जाते हैं जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी की वर्तमान देयता (कानूनी या प्रलक्षित) होती है, हो सकता है कि आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों का बहिर्वाह देयता के निपटान के लिए आवश्यक हो और ऐसी देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो। जब कंपनी कुछ या सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की अपेक्षा करती है, उदाहरण के लिए, बीमा संविदा के तहत, प्रतिपूर्ति एक अलग परिसंपत्ति के रूप में निर्धारित की जाती है, लेकिन केवल तभी, जब प्रतिपूर्ति लगभग निश्चित हो। ऐसे प्रावधान से संबंधित व्यय किसी भी प्रतिपूर्ति के निवल के रूप में लाभ व हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

दुर्वह संविदाओं का प्रावधान तब निर्धारित किया जाता है जब संविदा से कंपनी को प्राप्त होने वाले अपेक्षित अनुलाभ संविदा के तहत इसकी देयताओं को पूरा करने की अपरिहार्य लागत से कम होते हैं। ऐसे प्रावधान को संविदा समाप्त होने की अपेक्षित लागत से कम के वर्तमान मूल्य और संविदा जारी रखने की अपेक्षित निवल लागत से मापा जाता है। प्रावधान स्थापित करने से पहले, कंपनी ऐसी संविदा से जुड़ी परिसंपत्तियों पर किसी प्रकार की अनर्जक हानि को निर्धारित करती है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है तो चालू कर-पूर्व दर जो विनियोजित होने पर देयता के लिए विशिष्ट जोखिम दर्शाता है, का प्रयोग करते हुए ऐसे प्रावधानों को भुनाया जाता है। जब ऐसी भुनाई का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में बढ़ोत्तरी को वित्त लागत के रूप में निर्धारित किया जाता है।

ख. आकस्मिक देयताएं / परिसंपत्तियाँ

आकस्मिक देनदारियों / परिसंपत्तियों को प्रबंधन की जानकारी तक वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों के माध्यम से प्रकट किया जाता है।

24. नकद प्राप्ति विवरण

नकद प्राप्ति का विवरण भारतीय एएस 7 – नकदी प्राप्ति विवरण में वर्णित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाताहै।

25. उचित मूल्य का मापन

कंपनी कुछ वित्तीय विलेखों को अपने वित्तीय विवरणों में प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर उचित मूल्य पर मापती है जैसे व्युत्पन्नी तथा अन्य मदें।

सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां जिनके लिए उचित मूल्य को वित्तीय विवरणों में मापा या प्रकट किया गया है, को निम्नतम स्तर इनपुट जो संपूर्ण रूप से उचित मूल्य के मापन के लिए महत्वपूर्ण है, के आधार पर उचित मूल्य के पदानुक्रम में वर्गीकृत किया जाता है –

स्तर 1 – समरूप परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में कोट की गई कीमतें (असमायोजित)।

स्तर 2 – स्तर 1 में शामिल कोट की गई कीमतों के अलावा अन्य निविष्टियाँ जो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रेक्षणीय है (यानी कीमतों से व्युत्पन्न)।

स्तर 3 – ऐसी परिसंपत्तियों या देयताओं की निविष्टियाँ जो प्रेक्षणीय बाज़ार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (अप्रेक्षणीय निविष्टियां)।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के प्रयोजनार्थ, कंपनी ने प्रकृति, विशेषताओं और परिसंपत्तियों या देयताओं के जोखिमों और उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं के वर्गों का निर्धारण किया है।

26. वित्तीय परिसंपत्तियां

(i) प्रारंभिक निर्धारण और मापन

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां शुरू में उचित मूल्य पर निर्धारित की जाती हैं। यदि वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, तो लेनदेन की लागत वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है जिसे परिसंपत्ति की लागत में शामिल किया जाता है।

(ii) अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती माप के प्रयोजनार्थ, वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है–

- परिशोधित लागत पर मापे गए ऋण विलेख,
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ऋण विलेख,
- लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ऋण विलेख, व्युत्पन्नी और इक्विटी विलेख,
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी विलेख।

(iii) विनिर्धारण

किसी वित्तीय परिसंपत्ति या उसका हिस्से को तब विनिर्धारित किया जाता है जब परिसंपत्ति से नकदी प्राप्त करने के अधिकार की समय सीमा समाप्त हो जाती है।

(iv) व्यापार और अन्य लेनदारियां

लेनदारियों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है, जो ज्यादातर मामलों में मामूली मूल्य के लगभग होता है। यदि ऐसा कोई अनुवर्ती संकेत हो कि उन परिसंपत्तियों का ह्रास हो सकता है, तो हानि के लिए उनकी समीक्षा की जाती हैं।

27. वायदा संविदाएं

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों का बचाव करने के लिए वायदा मुद्रा संविदा जैसे व्युत्पन्नी वित्तीय विलेखों का उपयोग करती है। ऐसे व्युत्पन्न वित्तीय विलेखों को प्रारंभ में उस तारीख को उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है जिस पर व्युत्पन्नी संविदा की जाती है और बाद में उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है। व्युत्पन्नी को वित्तीय संपत्ति के रूप में लिया जाता है जब उचित मूल्य धनात्मक होता है और वित्तीय देयताओं के रूप में उचित मूल्य ऋणात्मक होता है ।

28. अंतर्निहित व्युत्पन्नी

आवश्यकता पड़ने पर अंतर्निहित व्युत्पन्नी को समूह संविदा से अलग किया जाता है और उचित मूल्य पर मापा जाता है।

29. नकद और नकद समतुल्य

नकद में हस्तस्थ नकद और मांग जमा शामिल हैं। नकद समतुल्य तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के अत्यधिक अल्पकालिक चलनिधि निवेश होते हैं जो नकदी की ज्ञात राशि में आसानी से परिवर्तनीय होते हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम के अधीन होता है।

बैंक ओवरड्राफ्ट, यदि कोई हो, को तुलन-पत्र में चालू देयताओं के तहत उधार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

30. वित्तीय परिसंपत्तियों का ह्रास

भारतीय ए.एस. 109 के अनुसार, कंपनी ऋण जोखिम वाली वित्तीय परिसंपत्तियों के ह्रास के मापन एवं निर्धारण के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) पद्धति का उपयोग करती है।

क. सरकार / सरकारी विभागों / सरकारी कंपनियों से कालातीत बकाया राशि को आम तौर पर ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों के क्रेडिट जोखिम में वृद्धि नहीं माना जाता है।

ख. यदि देय कानूनी कार्यवाही में विवादित होते हैं तो वहां प्रावधान किया जाता है अगर कोई निर्णय कंपनी के खिलाफ दिया जाता है, भले ही इसके लिए उच्चतर प्राधिकारियों / न्यायालयों में अपील की गई हो।

ग. समय की महत्वपूर्ण अवधि के बकाया देय की समीक्षा की जाती है और मामला-दर-मामला आधार पर प्रावधान किया जाता है।

हानि भत्ता (या व्युत्क्रमण) को लाभ व हानि के विवरण में व्यय / आय के रूप में निर्धारित किया जाता है ।

31. वित्तीय देयताएं

(i) प्रारंभिक निर्धारण और मापन

वित्तीय देयताओं को ऋण, उधार, प्रदेय या व्युत्पन्नी, के रूप में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य में, जैसा उपयुक्त हो, पर वर्गीकृत किया जाता है ।

ऋण, उधार और प्रदेय को लेनदेनों की ऐसी निवल लागत उन पर दर्शाया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से उनके कारण सृजित होते हैं।

(ii) अनुवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन नीचे बताए गए अनुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है-

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं-

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य में प्रारंभिक निर्धारण पर दी गई वित्तीय देयताएं शामिल हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा तैयार किए गए ऐसे व्युत्पन्नी वित्तीय विलेख भी शामिल हैं, जिन्हें भारतीय ए.एस. 109 में परिभाषित बचाव संबंधों में बचाव विलेख के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। विलगित अंतर्निहित व्युत्पन्नों को भी व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि उन्हें प्रभावी बचाव विलेख नहीं कहा जाता है। व्यापार के लिए धारित देयताओं पर लाभ या हानि को लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित किया जाता है ।

(iii) ऋण और उधार

प्रारंभिक निर्धारण के बाद, ब्याजयुक्त ऋणों और उधार को कबाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति (ईआईआर) का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि के रूप में तब निर्धारित किया जाता है जब देयताओं को ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के साथ-साथ विनिर्धारित किया जाता है ।

वित्तीय देयता को तब विनिर्धारित किया जाता है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन किया जाता है या उसे रद्द या समाप्त किया जाता है।

(iv) व्यापार और अन्य देय

देयताओं का निर्धारण प्राप्त माल या सेवाओं के लि भविष्य में अदा की गई राशि के लिए किया जाता है चाहे वे आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल किए गए हों या न हों।

32. वित्तीय विलेखों का पुन: वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक निर्धारण पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक निर्धारण के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वितरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण और वित्तीय देनदारियां हैं। वित्तीय साधनों के लिए जो ऋण के साधन हैं, एक पुनर्वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यापार मॉडल में बदलाव होता है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण करती है, ऐसा पुनर्वर्गीकरण भविष्यलक्षी रूप से किया जाता है।

33. वित्तीय विलेखों का समंजन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं का समंजन किया जाता है और निवल राशि की रिपोर्ट तुलन–पत्र में की जाती है यदि वर्तमान में निर्धारित राशियों को समंजित करने का कानूनी अधिकार प्रवर्तनीय हो और परिसंपत्तियों को वसूल करने और देयताओं को एक साथ निपटाने के लिए, निवल आधार पर निपटाने का आशय हो।

34. इक्विटी धारकों को नकद लाभांश और गैर–नकद वितरण

कंपनी इक्विटी धारकों को नकद या गैर नकद वितरण करने के लिए देयता निर्धारित करती है जब ऐसा वितरण अधिकृत हो और कंपनी के विवेकाधिकार में न हो।

35. त्रुटियां और अनुमान

यदि भारतीय ए.एस. में परिवर्तन के कारण या यदि परिवर्तन करने से वित्तीय विवरणओं के उपयोगकर्ताओं को अधिक संगत और विश्वसनीय सूचना मिलती है, तो कंपनी अपनी लेखांकन नीतियों का संशोधन करती है। लेखा नीतियों में परिवर्तन पूर्वव्यापी रूप से किए जाते हैं जब तक कि ऐसा करना अव्यवहार्य न हो ।

लेखा अनुमान में बदलाव, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित परिसंपत्तियों या देयताएं की मात्रा में परिवर्तन या लाभ और हानि का ब्यौरा परिवर्तन की अवधि (ओं) में भविष्यलक्षी रूप से लागू किया जाता है।

महत्वपूर्ण त्रुटियों की खोज पूर्वावधि, जिसमें ऐसी त्रुटि ज्ञात हुई की परिसंपत्तियो, देयताओं और इक्विटी की तुलनात्मक राशियों को दोबारा दर्शते हुए पूर्व प्रभावी रूप से पुनरीक्षण में परिणामित होती हैं । पूर्व की अवधि के प्रारंभिक शेषों को भी दोबारा बताया जाता है ।

36. प्रति शेयर अर्जन

कंपनी अपने साधारण शेयरों के लिए मूल एवं परिवर्तन प्रति शेयर अर्जन डेटा दर्शाती है। प्रति शेयर मूल आय की गणना कंपनी के साधारण इक्विटी धारकों के लिए लाभ या हानि को विभाजित कर सामान्य शेयरधारकों की भारित औसत संख्या द्वारा, उस समय के दौरान बकाया साधारण शेयरों से की जाती है, जो अपने शेयरों के लिए समायोजित होते हैं। परिवर्तित प्रति शेयर अर्जत कमाई सामान्य इक्विटी धारकों के लिए मुनाफे या हानि का समायोजन करते हुए और बकाया साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या, सभी शेयरों के लिए समायोजित, सभी परिवर्तित संभावित साधारण शेयरों के प्रभावों के लिए निर्धारित करते हुए निर्धारित की जाती है।

37. रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं

समायोजनीय घटनाएं ऐसी घटनाएं होती हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद परिस्थितियों का अतिरिक्त साक्ष्य प्रदान करती हैं । ऐसी घटनाओं के लिए वित्तीय विवरणों को जारी करने के प्राधिकरण से पहले समायोजित किया जाता है।

गैर–समायोजन घटनाएं ऐसी घटनाएं हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक उत्पन्न होने वाली स्थिति की संकेतक हैं। रिपोर्टिंग की तारीख के बाद गैर–समायोजन घटनाओं को हिसाब में नहीं लिया गया है, परंतु उन्हें प्रकट किया गया है।

हमारी संलग्न समान दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार।

कृते **सूरी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 004283S

एम वी गौतमा
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनेश कुमार बत्रा
निदेशक (वित्त) व सीएफओ

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

स्थान– बेंगलूरु
दिनांक– 22 जून, 2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए

हम यह संशोधित रिपोर्ट आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी रिपोर्ट के संबंध में भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए प्रेक्षणों के अनुपालन में जारी कर रहे हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ("धारक कंपनी") और उसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों को मिलकर समूह कहा गया है) और उसकी संबद्ध कंपनियों के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा–परीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2021 तक का समेकित तुलन पत्र, लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्राप्ति का समेकित विवरण और समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (जिन्हें यहाँ इसके बाद "समेकित वित्तीय विवरण" कहा गया है) का सारांश शामिल है ।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को ग्रूप और उसकी संबद्ध कंपनी के समेकित कामकाज और उसके समेकित लाभ और समेकित कुल व्यापक आय, इक्विटी में समेकित परिवर्तन और उस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए इसकी समेकित नकदी प्राप्ति की स्थिति के बारे में भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("एक्ट") द्वारा आवश्यक जानकारी अपेक्षित ढंग से प्रदान करते हैं तथा सच्ची और निष्पक्ष जानकारी प्रदान करते हैं ।

अभिमत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों (एस.ए.) के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के *समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों* खंड में आगे वर्णित किया गया है। हम नैतिक अपेक्षाएँ जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के साथ–साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार ग्रूप और संबद्ध कंपनी से स्वतंत्र हैं, अत: हमने इन अपेक्षाओं तथा आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे अभिमत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं ।

लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले

लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले वे हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे । समेकित वित्तीय विवरणों की हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में इन मामलों पर संपूर्ण रूप से विचार किया गया और उन पर हमारी राय निर्धारित करने में, हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले लेखा–परीक्षा के प्रमुख मामलों के रूप में नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण किया है–

क्र. सं.	लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले	लेखा परीक्षक के उत्तर
1	भारतीय लेखा मानक 115 - ग्राहकों की संविदा से राजस्व के प्रति राजस्व तथा संबंधित शेषों के अभिचिह्नन, मापन, प्रस्तुति और प्रकटण की सटीकता । इस मानक में सुस्पष्ट कार्य–निष्पादन देयताओं की पहचान, प्रत्येक अभिचिह्नित कार्य–निष्पादन देयता के लिए लेनदेन कीमत का निर्धारण, समय के दौरान या किसी निश्चित समय ऐसी कार्य–निष्पादन देयताओं को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त निर्णयों का आंकलन शामिल है।	**लेखा परीक्षा की प्रमुख प्रक्रियाएँ** हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में आंतरिक नियंत्रणों तथा इस मानक के अनुप्रयोग के संबंध में उनकी प्रचालनीय प्रभावशीलता की पहचान शामिल है। हमने ऐसे लेनदेनों की सारभूत जाँच भी की है। (i) चालू संविदाओं और नए संविदाओं के नमूने का चयन किया और कार्य–निष्पादन देयताओं की पहचान की और उसकी तुलना धारक कंपनी द्वारा अभिचिह्नित कार्य–निष्पादन देयता के साथ की ।

क्र. सं.	लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले	लेखा परीक्षक के उत्तर
	इसके अतिरिक्त, इस मानक में संविदा को प्राप्त करने या उसे पूरा करने में उपगत लागत की राशि को अभिचिह्नित करने में प्रयुक्त निर्णय और वे अवधियाँ भी शामिल होते हैं जिनमें रिपोर्टिंग की तारीख के बाद कार्य-निष्पादन की देयताएँ पूरी की जाती हैं। (समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 23 देखें और लेखा नीतियों का क्र.सं. 5 देखें)	(ii) संविदा में विशिष्ट रूप से उल्लेख न किए जाने पर अभिचिह्नित कार्य-निष्पादन देयता हेतु लेनदेन कीमत के आबंटन के आधार का सत्यापन किया। (iii) कार्य-निष्पादन देयता पूरी करना निर्धारित करने के आधार की पहचान की गई और उसकी तुलना धारक कंपनी द्वारा समय के दौरान या किसी निश्चित समय पर कार्य-निष्पादन देयता पूरी करना निर्धारित करने में प्रयुक्त निर्णयों के साथ की गई । (iv) वचनबद्ध माल या सेवाओं के लिए कार्य-निष्पादन देयता पूरी करना निर्धारित करने हेतु विचार किए गए उचित साक्ष्यों का सत्यापन किया गया। (v) ऐसी संविदाओं के संबंध में जहाँ कार्य-निष्पादन देयता पूरा करना समय पर निर्भर है, हमने राजस्व को अभिचिह्नित करने क लिए धारक कंपनी द्वारा अभिचिह्नित विधि का सत्यापन किया और यह सुनिश्चित किया कि ऐसी विधियाँ कार्य-निष्पादन देयता की प्रकृति पर विचार करते हुए उपयुक्त हैं। (vi) ऐसी लागतों की पहचान करने के लिए धारक कंपनी द्वारा प्रयुक्त निर्णयों का सत्यापन किया जो संविदा को प्राप्त करने या पूरा करने में उपगत हुईं और जिस अवधि में ऐसी लागतों को परिशोधित किया जाएगा। (vii) शेष कार्य-निष्पादन देयताओं को पूरा करने के लिए धारक कंपनी के पास उपलब्ध योजना की समीक्षा की जिन्हें ऐसी अवधियों से संबंधित प्रकटण तैयार करने हेतु ग्राहक के आदेश में निर्धारित सुपुर्दगी शर्तों के आधार पर अभिचिह्नित किया गया जिनमें शेष पूरी न की गई या आंशिक रूप से पूरी की गई कार्य-निष्पादन देयताएँ रिपोर्टिंग तिथि के बाद पूरी की जानी हैं।
2	दुर्वह संविदाओं के संबंध में महत्वपूर्ण अनुमान। ऐसी संविदाएँ जो दुर्वह बन गई हैं, के संबंध में कार्य-निष्पादन देयताएँ पूरी करने हेतु अपरिहार्य लागतों का प्राक्कलन करना महत्वपूर्ण है। इस प्राक्कलन में कार्य-निष्पादन देयताओं को पूरा करने में अपरिहार्य लागतों का अनुमान लगाने की अंतर्निहित सीमा है। (समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 21 और लेखा नीतियों का क्र.सं. 22 देखें)	**लेखा परीक्षा की प्रमुख प्रक्रियाएँ** हमने दुर्वह संविदाओं तथा ऐसी संविदाओं को पूरा करने की लागत की पहचान करने के लिए उपलब्ध आंतरिक नियंत्रणों के संबंध में धारक कंपनी के प्रबंधन से पूछताछ की है । (i) चालू और मौजूदा संविदा के नमूने चुने और ऐसी संविदा को पूरा करने में उपगत लागत और प्राक्कलित लागतों के लिए नियंत्रणों की प्रभावशीलता की जाँच की। (ii) आंतरिक नियंत्रणों और दुर्वह संविदाओं के लिए साथ ही, अपरिहार्य लागतों के प्राक्कलन निर्धारित करने की समुचित प्रक्रियाओं की जाँच की। (iii) दुर्वह संविदाओं के संबंध में कार्य-निष्पादन देयताओं को पूरा करने के लिए अपरिहार्य लागतें तय करने के आधार का प्राक्कलन करने के लिए उपलब्ध आंतरित नियंत्रणों का सत्यापन किया और उन्हें समझा।

क्र. सं.	लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले	लेखा परीक्षक के उत्तर
		(iv) कार्य–निष्पादन देयताओं को पूरा करने के लिए जारी क्रय आदेशों का सत्यापन किया और ऐसी शेष लागतों की पहचान की जिन्हें शेष कार्य–निष्पादन देयताओं को पूरा करने में उपगत किया जाना है। (v) संबंधित संविदाओं पर उपगत लागतों की पहचान करने के लिए आंतरिक नियंत्रणों का सत्यापन किया और यह सुनिश्चित किया गया कि संविदा की संबंधित लागत ही दर्ज की जाती है। (vi) जुर्माने के संबंध में शेष कार्य–निष्पादन देयताओं के प्रति संविदा में संभावित कटौतियों का सत्यापन किया। (vii) उपगत लागत तथा उपगत किए जाने वाले अनुमानित लागत के औचित्य की विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं और जाँच पूरी की।
3	समय के दौरान कार्य–निष्पादन देयता को पूरा करने की अनुमानित लागत के संबंध में महत्वपूर्ण प्राक्कलन किए गए । इस प्राक्कलन में कार्य–निष्पादन देयताओं को पूरा करने की लागत का अनुमान लगाने की निश्चितता की अंतर्निहित सीमा है। (समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 23 और लेखा नीतियों का क्र.सं. 5 देखें)	**लेखा परीक्षा की प्रमुख प्रक्रियाएँ** हमने ऐसी संविदाओं की पहचान करने के लिए उपलब्ध आंतरिक नियंत्रणों के संबंध में धारक कंपनी के प्रबंधन से पूछताछ की है जहाँ समय के दौरान कार्य–निष्पादन देयताएँ पूरी की गई हैं । (i) चालू और मौजूदा संविदाओं के नमूने चुने और उपगत लागत तथा प्राक्कलित लागतों के लिए नियंत्रणों की प्रभावशीलता की जाँच की। (ii) आंतरिक नियंत्रणों और साथ ही संविदा को पूरा करने के लिए किए गए प्राक्कलन निर्धारित करने की समुचित प्रक्रियाओं की जाँच की। (iii) कार्य–निष्पादन देयताओं को पूरा करने के लिए जारी क्रय आदेशों का सत्यापन किया और ऐसी शेष लागतों की पहचान की जिन्हें शेष कार्य–निष्पादन देयताओं को पूरा करने में उपगत किया जाना है। (iv) संबंधित संविदाओं पर उपगत लागतों की पहचान करने के लिए आंतरिक नियंत्रणों का सत्यापन किया और यह सुनिश्चित किया गया कि संविदा की संबंधित लागत ही दर्ज की जाती है। (v) धारक कंपनी के प्रबंधन के साथ चर्चा की और इस बात का विश्लेषण किया कि प्राक्कलित लागत ऐसे कार्यों के लिए है जो कार्य–निष्पादन देयताओं को पूरा करने के लिए लंबित हैं। (vi) उपगत लागत तथा उपगत किए जाने वाले अनुमानित लागत के औचित्य की विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं और जाँच पूरी की।

समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

धारक कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है । अन्य सूचना में बोर्ड की रिपोर्ट शामिल है जिसमें इसके अनुलग्नक, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सूचना और शेयरधारकों की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और उन पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारे लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना और ऐसा करते समय यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वास्तविक रूप से समेकित वित्तीय विवरणों के असंगत है या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा वास्तविक रूप से गलत बताया गया है या नहीं।

यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसी अन्य जानकारी में वास्तविक रूप से गलत कथन दिए गए हैं तो हमें ऐसे तथ्य की रिपोर्ट करनी होगी। इस संबंध में हम कोई रिपोर्ट नहीं करते हैं ।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और गवर्नेंस का कार्य सौंपे गए लोगों का उत्तरदायित्व

समेकित वित्तीय विवरण जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित, भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार ग्रूप और उसके संबद्ध की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन, समेकित कुल व्यापक आय, समेकित इक्विटी में परिवर्तन तथा समेकित नकदी प्राप्तियों की सच्ची और सही स्थिति प्रदान करते हैं, तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए धारक कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है । ग्रूप और उसकी संबद्ध कंपनियों में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल ग्रूप और उसकी संबद्ध कंपनियों की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं से रोकथाम करने और उनका पता लगाने; उचित लेखा नीतियों का चयन और लागू करने; उचित और दूरदर्शी निर्णय लेने और अनुमान लगाने; और समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करने, लागू करने और बनाए रखने जो समेकित वित्तीय विवरण, जो सच्ची और सही स्थिति दर्शाते हैं और महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों से मुक्त हैं, चाहे कपट या त्रुटि से क्यों न हों, जिसका उपयोग यथा उपरोक्त धारक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों के प्रयोजन के लिए किया गया, को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित, लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित हो रहे थे, के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा अभिलेख रखने के लिए उत्तरदायी हैं।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, ग्रूप और उसकी संबद्ध कंपनियों में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल एक कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने में ग्रूप और उसके संस्थान की क्षमता का मूल्यांकन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित मामलों, जो लागू हो, का प्रकटण करने और लेखांकन के कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है जब तक कि प्रबंधन का आशय ग्रूप को परिसमाप्त करना न हो या कामकाज बंद करना न हो या ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न हो ।

ग्रूप और उसकी संबद्ध कंपनियों में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल ग्रूप और उसके संबद्ध की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए भी उत्तरदायी है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस संबंध में औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या ये समेकित वित्तीय विवरण पूर्णतः महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे वे कपट या त्रुटि के कारण हों, और अपने विचार के समर्थन में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है । औचित्यपूर्ण आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है परंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा विद्यमान होने पर हमेशा किसी महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता लगाएगी। मिथ्याकथन कपट या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें वैयक्तिक रूप से या सकल रूप से महत्वपूर्ण माने जाने पर, वे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को पर्याप्त रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

एस.ए. के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हमने पेशेवर निर्णय लिया है और संपूर्ण लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संशयवाद बनाए रखा है । हमने -

- कपट या त्रुटि, डिज़ाइन के कारण इन समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों के जोखिमों की पहचान भी की है और उनका आंकलन भी किया है और ऐसे जोखिमों को कम करने वाली लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ पूरी की है और हमारे विचार का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है। कपट के परिणामस्वरूप किसी महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले मिथ्याकथन से अधिक होता है क्योंकि कपटपूर्ण कार्य में मिली-भगत, धोखाधड़ी, जानबूझकर विलोपन, गलत-बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल होता है।

- परिस्थितियों के लिए उचित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के संगत आंतरिक नियंत्रण को भी समझा है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या ग्रूप और उसके संबद्ध में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखा प्राक्कलनों तथा संबंधित प्रकटणों की औचित्यता का भी मूल्यांकन किया है।

- लेखांकन के कार्यशील संस्था आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्कतता का भी निष्कर्ष निकाला है और लेखा परीक्षा से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर, चाहे कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने की ग्रूप और उसके संबद्ध की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा करने वाली घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता हो या न हो । यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण निश्चितता है, तो हमें समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटणों के लिए अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकृष्ट करना होगा या यदि ऐसे प्रकटण समुचित नहीं हैं तो अपने विचार में संशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। बहरहाल, भावी घटनाएँ या परिस्थितियाँ ग्रूप और उसके संबद्ध को कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखना समाप्त कर सकती हैं।

- प्रकटण सहित समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना एवं सामग्री का मूल्यांकन भी किया है और इस बात का भी मूल्यांकन किया है कि क्या ये समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं को उस तरह से दर्शाते हैं कि उनका उचित प्रस्तुतीकरण किया जा सके।

समेकित वित्तीय विवरणों में मिथ्याकथनों की मात्रा की महत्ता होती है जो वैयक्तिक रूप से या सकल रूप से इसकी संभावना बनाते हैं कि इन वित्तीय विवरणों का उचित ज्ञान रखने वाले प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हमने (i) अपनी लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी अभिचिह्नित मिथ्याकथन के प्रभाव का आंकलन करने में प्रमात्रात्मक महत्ता और गुणात्मक कारकों पर विचार किया है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पाई गई आंतरिक नियंत्रण की किसी उल्लेखनीय कमी सहित, लेखा परीक्षा और उल्लेखनीय लेखा परीक्षा के उल्लेखनीय परिणामों के योजित कार्यक्षेत्र और समय के संबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ, धारक कंपनी, ऐसे अन्य संस्थान, जो इन समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल है और जिनके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, के ऐसे लोग जिन्हें गवर्नेंस का कार्य सौंपा गया है, से बातचीत की है ।

हमने गवर्नेंस का कार्य सौंपे गए लोगों को ऐसे विवरण भी प्रदान किए हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधी संगत नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है और उन्हें ऐसे सभी संबंधों तथा अन्य मामलों के बारे में बताया है जिन्हें हमारी स्वतंत्रता से उचित ढंग से संबद्ध माना जा सकता है और जहाँ लागू हो, संबंधित बचाव किए गए हैं।

गवर्नेंस का कार्य सौंपे गए लोगों को बताए गए मामलों में से, हमने ऐसे मामलों को लिया जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे, इसलिए लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले हैं। इन मामलों का वर्णन हमने अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में किया है जब तक कि ऐसे मामले का प्रकटण कानून या विनियम द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह तय करते हैं कि मामले की सूचना हमारी रिपोर्ट में दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसी सूचना के लोक हित अनुलाभ से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

अन्य मामले

हमने दो सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2021 को रु. 48,170 लाख की कुल परिसंपत्तियाँ और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए रु. 9,418 लाख के कुल राजस्व और रु. (3,716) की निवल नकदी प्राप्ति दर्शाते हैं जैसा कि इन समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है । समेकित वित्तीय विवरण में, वर्ष 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सहायक कंपनियों के शेयर का निवल लाभ (अन्य व्यापक आय सहित) रु. 759 लाख शामिल है, जिनके वित्तीय विवरणों का हमारे द्वारा लेखा परीक्षा नहीं किया गया है ।

समेकित वित्तीय विवरण में "संबद्ध में निवेश" के रूप में रु. 18,989 लाख के संबद्ध की परिसंपत्तियों को दर्शाया गया तथा इसमें संबद्ध संस्थान रु. 3,046 लाख का कुल लाभ (व्यापक आय सहित) शामिल है, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई ।

इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनके रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा विचार, जहाँ तक वे इन सहायक कंपनियों और संबद्ध कंपनी के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटणों से संबंधित हैं, और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) और (11) के अनुसार हमारी रिपोर्ट में, जहाँ तक उक्त सहायक कंपनी और संबद्ध कंपनी से संबंधित है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर एकमात्र रूप से आधारित हैं।

समेकित वित्तीय विवरण पर हमारा विचार और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, किए गए कार्य और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों के आधार पर उक्त मामले के संबंध में हमारा विचार संशोधित नहीं है ।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 (3) में बताई गई आवश्यकता अनुसार, जहाँ तक लागू है, हम रिपोर्ट करते हैं कि–

   क) हमने ऐसी सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरणों की मांग की और प्राप्त किया जो जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास है, उक्त समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

   ख) हमारे विचार से, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कानून द्वारा यथा आवश्यक, उचित लेखा बहियाँ रखी गई हैं जैसा कि अन्य लेखा परीक्षकों की खाता बहियों और रिपोर्ट के हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है ।

   ग) इस रिपोर्ट में व्यवहरित समेकित तुलन पत्र, लाभ व हानि की समेकित विवरणी (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन की समेकित विवरणी तथा नकदी प्राप्ति समेकित विवरणी समेकित वित्तीय विवरणी तैयार करने के प्रयोजनार्थ लेखा बहियों, से प्राप्त विवरणियों के अनुरूप हैं ।

   घ) हमारे विचार से, उक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाना है, में निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का पालन करते हैं।

   ङ) चूँकि ग्रूप और संबद्ध कंपनी सरकारी कंपनी है, निदेशकों की अनर्हता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

   च) ग्रूप और संबद्ध कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनीय प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक-क" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

   छ) कंपनी अधिनियम, 2013, यथा संशोधित, की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में – चूँकि ग्रूप और संबद्ध कंपनी सरकारी कंपनी है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 जिसे अनुसूची त के साथ पढ़ा जाना है, द्वारा अनिवार्य बनाए गए अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

   ज) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे विचार से तथा जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार –

      i. समेकित वित्तीय विवरणों में ग्रूप और उसके संबद्ध के समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया गया है – समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 30(10) देखें।

      ii. ग्रूप और उसकी संबद्ध कंपनी ने दीर्घकालीन संविदाओं पर महत्वपूर्ण पूर्वानुमान योग्य हानि, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या लेखा मानकों के तहत यथा अपेक्षित प्रावधान किए हैं – समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 21 देखें । ग्रूप और उसके संबद्ध में कोई व्युत्पन्नी संविदा नहीं है ।

      iii. ग्रूप और उसकी संबद्ध कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि को अंतरित की जाने वाली राशि के अंतरण में कोई विलंब नहीं किया गया।

कृते **सूरी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 004283S

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118
यू.डी.आई.एन.- 21223118AAAAEB7677

बेंगलूरु
17.08.2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–क

(हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("एक्ट") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के तहत समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में उक्त तारीख को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ("धारक कंपनी") और उसकी सहायक कंपनी तथा उसकी संबंद्ध कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

धारक कंपनी, उसकी सहायक कंपनी तथा उसके संबंद्ध कंपनी, जो कंपनियाँ भारत में स्थित है भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आई. सी.ए.आई.") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रणों के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए संबंधित कंपनी द्वारा स्थापित समेकित वित्तीय विवरणों के मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को संस्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में ऐसे समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो कंपनी के कारोबार को उचित और प्रभावी ढंग से करना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से किए जा रहे थे जिनमें कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों का निवारण और पता लगाना, लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित, विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना शामिल हैं ।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर धारक कंपनी और उसकी सहायक कंपनी तथा उसकी संबंद्ध कंपनियों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर विचार व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी और लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है जो जहाँ तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लागू होते हैं। इन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी में यह आवश्यक बनाया गया है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और इस बात का औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएँ और निष्पादित करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संस्थापित किए गए हैं और रखे गए हैं और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग से प्रचालित हैं या नहीं।

हमारी लेखा परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादित की जाने वाली प्रक्रियाएँ और उनकी प्रचालनीय दक्षता शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समय प्राप्त करना, इस बात के जोखिम का आंकलन करना कि महत्वपूर्ण कमी थी और आंकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिज़ाइन और प्रचालनीय प्रभावशीलता का जांच और मूल्यांकन करना शामिल है। लेखा परीक्षक के निर्णय के अनुसार चयनित प्रक्रियाएं जिनमें वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की जोखिम का आंकलन, चाहे धोखाधड़ी से हो या त्रुटि से हो, शामिल हैं।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा के साक्ष्य तथा नीचे दिए गए अन्य मामलों के संदर्भ में उनकी रिपोर्ट के अनुसार अन्य लेखा परीक्षक द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा के साक्ष्य, मूल कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों तथा उसकी संबद्ध कंपनियों की समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में अपनी लेखा परीक्षा का विचार प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए अभिकल्पित है । वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो –

(1) ऐसे अभिलेखों के रख-रखाव से संबंधित है जो औचित्यपूर्ण विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और न्यायोचित ढंग से प्रतिबिंबित करते हैं-

(2) इस बात का उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेनदेन सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करना अनुमत करने हेतु यथा आवश्यक दर्ज किए जाते हैं और यह कि कंपनी की प्राप्तियाँ और खर्च कंपनी के प्रबंधन और निदेशों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं; तथा

(3) कंपनी की परिसंतियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते थे ।

समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन की अवहेलना की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हो सकते हैं जिनका पता नहीं चल सकता है। इसके अलावा, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के विकसित होने का पूर्वानुमान ऐसे जोखिम के अधीन होता है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर क्षीण हो सकता है।

विचार

हमारे विचार में, तथा जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, धारक कंपनी, उसकी सहायक कंपनी तथा उसके संबंद्ध कंपनी, जो भारत में स्थित हैं, में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं से, समेकित वित्तीय विवरणों पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए संबंधित कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2021 को प्रभावी रूप से प्रचालित थे ।

अन्य मामले

समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालनीय दक्षता के बारे में अधिनियम की धारा 143(3) (i) के तहत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहाँ तक वे दो सहायक कंपनियाँ तथा एक संबंद्ध कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, से संबंधित हैं, भारत में निगमित उक्त कंपनियों की लेखा परीक्षक की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित हैं।

कृते सूरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 004283S

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118
यू.डी.आई.एन.- 21223118AAAAEB7677

बेंगलूरु
17.08.2021

स्पीड पोस्ट द्वारा नि./BEL Accs 20-21/2021 सं./ 127

गोपनीय

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, बेंगलूर – 560 001.
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT and ex-Officio MEMBER, AUDIT BOARD, BENGALURU - 560 001.

दिनांक/ DATE. 19 August 2021

सेवा मे,
श्री गौतम, अध्यक्ष,
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,
बेंगलुरु – 560 045.

महोदय,

विषयः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

मै 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु के लेखाओ पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरिक्षंक का "शून्य टिपण्णी प्रमाण पत्र " अग्रेषित करता हूँ|

कृपया सुनिश्चित करे कि टिप्पणिया:

1. बिना कोई संशोधन किये पूर्ण रूप से छापी जाये|
2. सूचि में उचित संकेत के साथ कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आगे रखा जाये|
3. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत आवश्यकतानुसार वार्षिक आम बैठक में रखा जाये |

कृपया पत्र की पावती भेजें|

भवदीय,

(अरुण कुमार वी.एम.)
उप निदेशक (प्रशासन)

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
प्रथम तल, बसव भवन, श्री बसवेश्वर रोड, बेंगलूर – 560 001.
1st Floor, Basava Bhavan, Sri Basavesware Road, Bengaluru - 560 001.

दू.भा./Phone : 2226 7646 / 2226 1168
Email : mabbangalore@cag.gov.in

फैक्स /Fax : 080-2226 2491

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) READ WITH SECTION 129(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF BHARAT ELECTRONICS LIMTED, BENGALURU FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021

The preparation of consolidated financial statements of **Bharat Electronics Limted, Bengaluru** for the year ended 31 March 2021 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) read with section 129(4) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129(4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Revised Audit Report dated 17 August 2021 which supersedes their earlier Audit Report dated 22 June 2021.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statements of **Bharat Electronics Limted, Bengaluru** for the year ended 31 March 2021 under section 143(6) (a) read with section 129(4) of the Act. We conducted a supplementary audit of the financial statements of **Bharat Electronics Limted, Bengaluru, BEL Thales Systems Limted, Begaluru and BEL Optronic Devices Limited, Pune** for the year ended on that date. **Further, section 139(5) and 143(6)(a) of the Act are not applicable to GE BE Private Limited, Bengaluru being private entity for appointment of their Statutory Auditor and for conduct of supplementary audit. Accordingly, Comptroller and Auditor General of India has neither appointed the Statutory Auditor nor conducted the supplementary audit of this company.** This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

In view of the revision made in the Statutory auditor's report, to give effect to some of my audit observations raised during supplementary audit, I have no further comments to offer upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6) (b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

19/08/2021
(Santosh Kumar)
Principal Director of Commercial Audit

Place: Bengaluru
Date: 19 August 2021

समेकित तुलन–पत्र

(रु. लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
परिसंपत्तियाँ			
(1) गैर–चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	1	2,48,550	2,56,777
(ख) पूँजीगत चालू कार्य	2	39,747	24,671
(ग) निवेश संपत्ति	3	8	9
(घ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4	16,656	14,473
(ङ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	5	48,521	58,127
(च) संबंद्ध कंपनी में निवेश		18,989	16,209
(छ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	6	1,11,605	94,823
(ii) व्यापार प्राप्य	7	–	–
(iii) ऋण	8	3,360	3,233
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	247	2,920
(ज) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	10	46,346	49,870
(झ) वस्तुसूचियाँ	11	3,938	5,255
(ञ) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ	12	39,669	34,655
		5,77,636	5,61,022
(2) चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) वस्तुसूचियाँ	11	4,96,798	3,95,830
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) व्यापार प्राप्य	7	6,56,199	6,72,402
(ii) नकद और नकद समतुल्य	13	3,04,290	1,62,063
(iii) बैंक शेष उपर्युक्त (ii) के अलावा	14	2,03,086	3,987
(iv) ऋण	8	1,566	1,734
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	4,652	3,180
(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	15	13,588	28,495
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	12	6,91,378	6,06,118
		23,71,557	18,73,809
कुल परिसंपत्तियाँ		29,49,193	24,34,831
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूँजी	16	24,366	24,366
(ख) अन्य इक्विटी		10,81,592	9,82,787
कंपनी के स्वामियों के कारण सृजित कुल इक्विटी		11,05,958	10,07,153
नियंत्रणेतर ब्याज		1,499	1,417
कुल इक्विटी		11,07,457	10,08,570

समेकित तुलन–पत्र

(रु. लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
देयताएं			
(1) गैर–चालू देयताएँ			
(क) आस्थगित आय	17	16,499	18,196
(ख) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	18	–	–
(ii) व्यापार प्रदेय	19		
– सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के कुल बकाया देय; और		–	–
– सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों को कुल बकाया देय		29	20
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	788	4,934
(ग) प्रावधान	21	1,41,203	1,16,427
(घ) अस्थगित कर देयताएँ (निवल)	10	36	–
(ङ) अन्य गैर–चालू देयताएँ	22	–	112
		1,58,555	1,39,689
(2) चालू देयताएँ			
(क) आस्थगित आय	17	1,711	1,750
(ख) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	19		
(ii) व्यापार प्रदेय		15,343	6,503
– सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के कुल बकाया देय; और		3,14,479	2,38,510
– सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों को कुल बकाया देय	20	96,322	83,880
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	22	12,20,298	9,22,478
(ग) अन्य चालू देयताएँ	21	35,028	33,451
(घ) प्रावधान	15	–	–
(ङ) चालू कर देयताएँ (निवल)		16,83,181	12,86,572
कुल इक्विटी और देयताएं		29,49,193	24,34,831

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ एवं साथ में दी गई टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न समान दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार।

कृते **सूरी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 004283S

एम वी गौतमा
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनेश कुमार बत्रा
निदेशक (वित्त) व सीएफओ

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

स्थान– बेंगलूरु
दिनांक– 22 जून, 2021

लाभ व हानि का समेकित विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
I	प्रचालनों से राजस्व	23	14,10,869	12,96,767
II	अन्य आय	24	12,496	9,940
III	कुल आय (I + II)		14,23,365	13,06,707
IV	व्यय			
	क खपत सामग्री की लागत		6,67,816	5,86,926
	ख भंडार और खपत पुर्जों की लागत		3,936	2,774
	ग व्यापारगत स्टॉक की खपत		1,23,321	95,097
	घ तैयार माल, चालू कार्य और रद्दी की वस्तुसूचियाँ में परिवर्तन	25	(12,469)	24,931
	ङ कर्मचारी अनुलाभ व्यय	26	1,95,589	2,07,474
	च वित्त लागत	27	637	360
	छ मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	28	38,732	37,186
	ज अन्य व्यय	29	1,11,625	1,04,119
	कुल व्यय (क से ज)		11,29,187	10,58,867
V	असाधारण मदों, इक्विटी विधि के तहत परिकलित एसोसिएट के निवल लाभ के हिस्से और कर से पहले लाभ (III - IV)		2,94,178	2,47,840
VI	असाधारण मदें		-	-
VII	इक्विटी विधि के तहत परिकलित एसोसिएट के निवल लाभ के हिस्से और कर से पहले लाभ (V - VI)		2,94,178	2,47,840
VIII	कर व्यय	10		
	– चालू कर		82,654	75,767
	– पूर्व के वर्षों का कर		(2,492)	(4,047)
	– आस्थगित कर		7,082	(3,143)
	कराधान का कुल प्रावधान		87,244	68,577
IX	इक्विटी विधि के तहत परिकलित एसोसिएट के निवल लाभ के हिस्से और कर से पहले लाभ (VII - VIII)		2,06,934	1,79,263
X	इक्विटी विधि के तहत परिकलित एसोसिएट के निवल लाभ का हिस्से		3,042	3,209
XI	वर्ष का लाभ (IX+X)		2,09,976	1,82,472
XII	अन्य व्यापक आय/(हानि)			
	ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के बाद पुन:वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	– निवल निर्धारित अनुलाभ देयता / परिसंपत्ति का पुनर्मापन		(11,703)	(6,128)
	– अन्य व्यापक आय द्वारा इक्विटी विलेख		1	2
	– इक्विटी विधि के तहत परिकलित एसोसिएट की कुल व्यापक आय का हिस्सा (निवल कर)		4	(24)
	– इन मदों से संबंधित आय कर		2,947	2,048
	कुल अन्य व्यापक आय /(हानि) (निवल कर)		(8,751)	(4,102)
XIII	वर्ष की कुल व्यापक आय (XI+XII) [वर्ष के लाभ तथा अन्य व्यापक आय सहित]		2,01,225	1,78,370

लाभ व हानि का समेकित विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
XIV	**निम्नलिखित से संबंधित निवल लाभ/ (हानि)**			
	क) कंपनी के स्वामी		2,09,894	1,82,385
	ख) नियंत्रण रहित हित		82	87
	निम्नलिखित से संबंधित अन्य व्यापक आय			
	क) कंपनी के स्वामी		(8,751)	(4,102)
	ख) नियंत्रण रहित हित		-	-
	निम्नलिखित से संबंधित कुल व्यापक आय			
	क) कंपनी के स्वामी		2,01,143	1,78,283
	ख) नियंत्रण रहित हित		82	87
XV	**प्रति इक्विटी शेयर आर्जन (रु. 1/– प्रत्येक का अंकित मूल्य) –**	30(1)		
	(1) मूल [आईएनआर में]		8.62	7.49
	(2) परिवर्तित [आईएनआर में]		8.62	7.49

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ एवं साथ में दी गई टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न समान दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार।

कृते सूरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 004283S

एम वी गौतमा
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनेश कुमार बत्रा
निदेशक (वित्त) व सीएफओ

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

स्थान– बेंगलूरु
दिनांक– 22 जून, 2021

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

(रु. लाख में)

क. इक्विटी शेयर पूँजी

विवरण	टिप्पणी सं.	राशि
यथा 1 अप्रैल 2019 को शेष		24,366
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन		
– शेयर जारी करना	16	–
– शेयरों की पुनर्खरीद		–
31 मार्च 2020 को शेष		**24,366**

विवरण	टिप्पणी सं.	राशि
1 अप्रैल 2020 को शेष		24,366
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन		
– शेयर जारी करना	16	–
– शेयरों की पुनर्खरीद		–
31 मार्च 2021 को शेष		**24,366**

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	टिप्पणी सं.	प्रारक्षण व अधिशेष					अन्य प्रारक्षण		नियंत्रण रहित हित	कुल अन्य इक्विटी
		पूँजीगत प्रारक्षण *	सहायक कंपनी के समेकन पर पूँजीगत प्रारक्षण *	पूँजी मोचन प्रारक्षण *	सामान्य प्रारक्षण	प्रतिधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी विलेख *	अन्य व्यापक आय *		
1 अप्रैल 2019 को शेष		4,669	362	1,868	3,19,546	5,85,794	5	(15,460)	1,330	8,98,114
वर्ष का लाभ		–	–	–	–	182,472	–	–	87	182,559
समेकन समायोजन		–	–	–	–	(174)	–	–	–	(174)
वर्ष के दौरान परिवर्धन		–	–	–	–	–	2	(4,104)	–	(4,102)
कुल		4,669	362	1,868	3,19,546	7,68,092	7	(19,564)	1,417	10,76,397
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)		–	–	–	–	(1,220)	–	–	–	(1,220)
सामान्य प्रारक्षण को अंतरित राशि		–	–	–	40,000	(40,000)	–	–	–	–
पूँजीगत प्रारक्षण को अंतरित राशि		–	–	–	–	–	–	–	–	–
स्वामी के ओहदे में स्वामियों के साथ लेनदेन										
लाभांश	16	–	–	–	–	(75,534)	–	–	–	(75,534)
लाभांश वितरण कर	16	–	–	–	–	(15,439)	–	–	–	(15,439)
शेयर जारी करना	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–
शेयरों की पुनर्खरीद	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–
यथा 31 मार्च 2020 को शेष		4,669	362	1,868	3,59,546	6,35,899	7	(19,564)	1,417	9,84,204

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

(रु. लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	प्रारक्षण व अधिशेष					अन्य प्रारक्षण		नियंत्रण रहित हित	कुल अन्य इक्विटी
		पूँजीगत प्रारक्षण *	सहायक कंपनी के समेकन पर पूँजीगत प्रारक्षण *	पूँजी मोचन प्रारक्षण *	सामान्य प्रारक्षण	प्रतिधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी विलेख *	अन्य व्यापक आय *		
1 अप्रैल 2020 को शेष		4,669	362	1,868	3,59,546	6,35,899	7	(19,564)	1,417	9,84,204
वर्ष का लाभ		-	-	-	-	209,976	-	-	82	210,058
समेकन समायोजन		-	-	-	-	(82)	-	-	-	(82)
वर्ष के दौरान परिवर्धन		-	-	-	-	-	1	(8,752)	-	(8,751)
कुल		4,669	362	1,868	3,59,546	8,45,793	8	(28,316)	1,499	11,85,429
सामान्य प्रारक्षण को अंतरित राशि		-	-	-	40,000	(40,000)	-	-	-	-
पूँजीगत प्रारक्षण को अंतरित राशि		-	-	-	-	-	-	-	-	-
स्वामी के ओहदे में स्वामियों के साथ लेनदेन										
लाभांश	16	-	-	-	-	(1,02,338)	-	-	-	(102,338)
शेयर जारी करना	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
शेयरों की पुनर्खरीद	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
यथा 31 मार्च 2021 को शेष		4,669	362	1,868	3,99,546	7,03,455	8	(28,316)	1,499	10,83,091

* टिप्पणी 16 (बी) देखें

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ एवं साथ में दी गई टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।
हमारी संलग्न समान दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार।

कृते सूरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 004283S

एम वी गौतमा
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनेश कुमार बत्रा
निदेशक (वित्त) व सीएफओ

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

स्थान- बेंगलूरु
दिनांक- 22 जून, 2021

समेकित नकदी प्राप्ति विवरण

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालनीय कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति :		
संबंद्ध संस्थान के शेयर के बाद परंतु असाधारण मदों और कर से पहले लाभ	2,97,220	2,51,049
इनके लिए समायोजन		
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	38,732	37,186
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों का प्रावधान	7,213	–
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ, जिन्हें प्रभारित किया गया	75	–
प्रभारित डबल्यूआईपी पूँजी	1,468	–
प्रभारित संविदा लागत	–	1,247
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व	4,711	3,117
सरकारी अनुदान से अंतरण	(1,736)	(1,998)
ब्याज की आय	(6,050)	(7,058)
पट्टे की देयता पर ब्याज	24	28
वित्त लागत	613	332
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	(121)	(21)
कार्यशील पूँजी में परिवर्तन से पहले प्रचालनीय लाभ	**3,42,149**	**2,83,882**
निम्नलिखित के कारण वृद्धि / (कमी)		
व्यापार प्राप्य	16,203	(1,35,035)
ऋण	41	(597)
अन्य वित्तीय लागत	1,325	421
अन्य परिसंपत्तियाँ	(90,274)	(1,36,528)
वस्तुसूचियाँ	(99,651)	47,364
व्यापार देय	84,818	1,01,602
अन्य वित्तीय देयताएँ	8,183	(9,925)
प्रावधान	14,650	3,304
अन्य देयताएँ	2,97,708	1,75,880
चालू कर परिसंपत्तियाँ	(12,523)	(15,903)
प्रचालनों से जनित नकद	**5,62,629**	**3,14,465**
अदा किया गया आय कर (निवल)	(53,307)	(57,424)
असाधारण मदों से पहले नकदी प्राप्ति	**5,09,322**	**2,57,041**
असाधारण मदें	–	–
प्रचालनीय कार्यकलापों से / (में प्रयुक्त) निवल नकद	**5,09,322**	**2,57,041**
ख. निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति–		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद	(46,925)	(76,220)
घटाएँ– अनुदान की प्राप्ति	–	1,562
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद (निवल)	(46,925)	(74,658)
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की बिक्री से प्राप्ति	133	86
मियादी जमा तथा अन्य बैंक शेष से वृद्धि / (कमी)	(1,99,223)	17,230
अन्य निवेश	(19,557)	(14,612)
प्राप्त ब्याज	6,050	7,058
निवेश संबंधी कार्यकलापों से / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(2,59,522)**	**(64,896)**

समेकित नकदी प्राप्ति विवरण

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
ग. वित्त संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति–		
उधार से प्राप्ति / चुकौती (निवल)	(833)	(2,501)
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) खर्च	(3,670)	(5,042)
अदा किया गया लाभांश (लाभांश कर सहित)	(1,02,274)	(98,017)
पट्टे की देयता पर ब्याज	(159)	(132)
पट्टे की देयता पर ब्याज	(24)	(28)
वित्त लागत	(613)	(332)
वित्त संबंधी कार्यकलापों से / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	(1,07,573)	**(1,06,052)**
नकद और नकद समतुल्यों में निवल वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग)	1,42,227	86,093
वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य	1,62,063	75,970
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	3,04,290	**1,62,063**

1. वित्त संबंधी कार्यकलापों के कारण देयताओं के संबंध में निर्धारित नकद–इतर परिवर्तन

   (i) मूल कंपनी – कुछ नहीं (कुछ नहीं)

   (ii) सहायक कंपनी बेलोप – कुछ नहीं (कुछ नहीं)

   (iii) सहायक कंपनी बीईएल–थेलेस – कुछ नहीं (कुछ नहीं)

2. उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ एवं साथ में दी गई टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा है ।

हमारी संलग्न समान दिनांक की रिपोर्ट का अनुसार

कृते **सूरी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 004283S

एम वी गौतमा
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनेश कुमार बत्रा
निदेशक (वित्त) व सीएफओ

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

स्थान– बेंगलूरु
दिनांक– 22 जून, 2021

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

टिप्पणी 1
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

विवरण	सकल वहनीय राशि				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल वहनीय राशि	
	यथा 1 अप्रैल 2020	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 1 अप्रैल 2020 को संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष का मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
स्वामित्व की परिसंपत्ति										
पूर्णस्वामित्व की भूमि	13,711	–	–	13,711	–	–	–	–	13,711	13,711
सड़क और पुलिया	2,191	25	–	2,216	281	115	–	396	1,820	1,910
इमारतें	76,614	6,212	–	82,826	8,995	3,163	–	12,158	70,668	67,619
संस्थापनाएँ	4,365	532	50	4,847	2,053	429	50	2,432	2,415	2,312
संयंत्र और मशीनरी	1,48,160	13,264	150	1,61,274	55,391	15,195	144	70,442	90,832	92,769
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	58,210	1,982	45	60,147	30,075	7,771	44	37,802	22,345	28,135
अनु. व वि. लैब के उपकरण	43,197	3,775	14	46,958	23,230	7,044	14	30,260	16,698	19,967
वाहन	713	173	11	875	421	125	6	540	335	292
कार्यालयीन उपकरण	10,624	1,668	32	12,260	6,210	1,656	29	7,837	4,423	4,414
फर्नीचर, फिक्सर तथा अन्य उपस्कर	8,807	664	32	9,439	4,098	948	32	5,014	4,425	4,709
प्रायोजित अनुसंधान के लिए अर्जित परिसंपत्तियाँ	65	–	–	65	65	–	–	65	–	–
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार										
पट्टाधारित भूमि	20,721	118	–	20,839	62	141	–	203	20,636	20,659
इमारतों का पट्टा	400	109	69	440	120	147	69	198	242	280
कुल	**3,87,778**	**28,522**	**403**	**4,15,897**	**1,31,001**	**36,734**	**388**	**1,67,347**	**2,48,550**	**2,56,777**

विवरण	सकल वहनीय राशि				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल वहनीय राशि	
	यथा 1 अप्रैल 2019	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 1 अप्रैल 2020 को संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष का मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
स्वामित्व की परिसंपत्ति										
पूर्णस्वामित्व की भूमि	12,908	803	–	13,711	–	–	–	–	13,711	12,908
सड़क और पुलिया	1,750	441	–	2,191	174	107	–	281	1,910	1,576
इमारतें	56,989	19,632	7	76,614	6,331	2,668	4	8,995	67,619	50,658
संस्थापनाएँ	3,792	574	1	4,365	1,634	420	1	2,053	2,312	2,158
संयंत्र और मशीनरी	1,25,049	23,090	(21)	1,48,160	40,647	14,723	(21)	55,391	92,769	84,402
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	50,667	7,811	268	58,210	22,387	7,912	224	30,075	28,135	28,280
अनु. व वि. लैब के उपकरण	38,746	4,460	9	43,197	16,353	6,886	9	23,230	19,967	22,393
वाहन	671	97	55	713	341	124	44	421	292	330
कार्यालयीन उपकरण	9,700	960	36	10,624	4,657	1,584	31	6,210	4,414	5,043
फर्नीचर, फिक्सर तथा अन्य उपस्कर	8,004	813	10	8,807	3,146	959	7	4,098	4,709	4,858
प्रायोजित अनुसंधान के लिए अर्जित परिसंपत्तियाँ	65	–	–	65	56	9	–	65	–	9
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार										
पट्टाधारित भूमि	1,293	20,204	776	20,721	30	39	7	62	20,659	1,263
इमारतों का पट्टा*	–	447	47	400	–	145	25	120	280	–
कुल	**3,09,634**	**79,332**	**1,188**	**3,87,778**	**95,756**	**35,576**	**331**	**1,31,001**	**2,56,777**	**2,13,878**

* मूल कंपनी के संबंध में, भवनों के पट्टे के परिवर्धन में दिनांक 01.04.2019 को भारतीय एएस 116 को अपनाने के कारण रु. 365 शामिल है ।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

i. पूर्ण स्वामित्व की भूमि में 2,072.87 एकड़ (2072.87 एकड़) और पट्टाधारित भूमि में 951.58 एकड़ (951.58 एकड़) शामिल हैं।

ii. पूर्ण स्वामित्व की भूमि में 7.21 एकड़ (7.21 एकड़) व्यावसायिक / धार्मिक संगठनों को पट्टाधारित एवं उनके कब्ज़े में शामिल है ।

iii. पट्टाधारित भूमि में 9.62 एकड़ (शून्य) सरकारी संगठन को पट्टाधारित एवं उनके कब्ज़े में शामिल है ।

iv. पूर्ण स्वामित्व भूमि में 2.2 एकड़ (2.2 एकड़) भूमि के अलावा, रक्षा उपकरणों का सुदूर संप्रेषण परीक्षण सुविधा के लिए गुडिबंदे ताल्लुक, चिकबल्लापुर जिला, कर्नाटक में खरीदी गई भूमि शामिल है ।

v. जोधपुर में क्षेत्रीय उत्पाद समर्थन केंद्र का निर्माण के लिए 5.94 एकड़ (5.94 एकड़) की पट्टाधारित भूमि अधिग्रहित किया गया ।

सहायक कंपनी बेलोप ने नए नियमों और शर्तों पर 95 वर्ष के नवीकरणीय विकल्प के साथ दिनांक 25.11.1991 को रु. 21 (रु. 21) की लागत पर एमआईडीसी से 95 वर्ष के लिए 3.38 एकड़ (3.38 एकड़) जमीन पट्टे पर ली है ।

vi. मूल कंपनी की आर एंड डी परिसंपत्तियों के परिवर्धन में केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं / उत्पाद विकास एवं नवोन्मेष केंद्र और पुणे यूनिट की परिसंपत्तियों से संबंधित रु. 2,074 (रु 1,019), और रु. 17 (रु. 14) शामिल हैं जिन्हें प्राकृतिक कूट शीर्षों के तहत परिकलित किया गया है।

vii. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मूल्य में रु. 1,026 (रु. 1,026) मूल्य की पीओएस मशीनें शामिल हैं जो हरियाणा सरकार (प्रचालित पट्टा) के नियंत्रण में हैं।

viii. **स्थल पुन:स्थापन बाध्यता**

पवन चक्की और सौर शक्ति संयंत्रों के संबंध में स्थल पुन:स्थापन बाध्यता के लिए टिप्पणी 21 देखें ।

संयंत्र और मशीनरी के सकल ब्लॉक मूल्य में पवन चक्की और सौर शक्ति संयंत्रों से संबंधित रु. 2,105 (रु. 2,062) की स्थल पुन:स्थापन बाध्यता शामिल है ।

ix. **संविदाजन्य प्रतिबद्धताएं**

बकाया संविदाजन्य प्रतिबद्धताओं के लिए टिप्पणी 30(9) देखें।

x. **मानी गई लागत**

भारतीय ए.एस. (01.04.2015) अपनाने से, कंपनी ने यथा 1 अप्रैल 2015 को अपनी सभी संपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों के वहनीय मूल्य को जारी रखने का विकल्प लिया जिन्हें पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया और इसमें वहनीय मूल्य को संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की मानी गई लागत के रूप में प्रयोग किया जाता है ।

xi. **परिसंपत्तियाँ के उपयोगी जीवनकाल का प्राक्कलन**

प्रबंधन ने परिसंपत्तियों की अपेक्षित उपयोगिता, तकनीकी और वाणिज्यिक अप्रचलन के जोखिम आदि जैसे कारकों पर विचार करते हुए मूर्त परिसंपत्तियों (जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में दर्शित उपयोगी जीवनकाल से अलग हैं) के विभिन्न वर्गों के उपयोगी जीवनकाल का प्राक्कलन किया है ।

मूल कंपनी के मूर्त परिसंपत्तियों के विभिन्न वर्गों के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल इस प्रकार हैं –

परिसंपत्तियों का वर्ग	वर्ष
भवन	20 - 40
सड़क और पुलिया	20 - 40
संस्थापना	10
संयंत्र एवं मशीनरी	2 - 25
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	5 - 7
वाहन	4 - 5
कार्यालयीन उपकरण	5 - 7
फर्नीचर, जुड़नार और उपकरण	6 - 10
अनु. व वि. लैब के उपकरण	5

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

सहायक, सहयोगी के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार केवल निम्न मामलों को छोड़कर अनुमानित उपयोगी जीवनकाल को अभिस्वीकृत किया गया है –

परिसंपत्तियों का वर्ग	वर्ष
बेलॉप	
संयंत्र एवं मशीनरी – निरंतर प्रक्रिया संयंत्र	15
बीईएल थैलेस	
संयंत्र एवं मशीनरी	5 - 15
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	5
कंप्यूटर प्रणाली	5

xii. **मूल्यहृास / परिशोधन**

मूल्यहृास की गणना परिसंपत्तियों के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा के आधार पर की जाती है।

पट्टे की परिसंपत्तियों को उनके प्राक्कलित जीवकाल या उनकी संबंधित पट्टा अवधि, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

xiii. **मूल्यहृास के लेखांकन की विधि**

मूल्यहृास/परिशोधन की गणना कंपनी की लेखा नीति संख्या 8 के अनुसार की गई है और इसे लाभ और हानि के विवरण में खर्च के रूप में अभिचिह्नित किया गया है। अन्य परिसंपत्तियों के लागत के भाग के रूप में अभिचिह्नित मूल्यहृास राशि रु. 3 (रु. 3) है ।

xiv. **परिसंपत्तियों की अनर्जकता**

टिप्पणी 30 (7) देखें।

xv. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए भुगतान किए गए असमायोजित पूँजी अग्रिम के संबंध में टिप्पणी 12 देखें।

xvi. कुछ यूनिटों में सरकार से निशुल्क अधिग्रहित भूमि का परिकलन भारतीय एएस 101 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है।

xvii. **पंजीकरण, लंबित मुकदमेबाजी आदि का विवरण [मूल कंपनी]**

क. मल्लापुर, हैदराबाद में 5.60 एकड़ भूमि (5.60 एकड़) के अधिकार/ बिक्री विलेख का निष्पादन तथा इस संबंध में आंध्र प्रदेश औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन (एपीआईआईसी) द्वारा बीईएल की हैदराबाद यूनिट को आवंटित भूमि के वास्तविक अधिकार को सौंपे जाने का कार्य लंबित होने के कारण तथा यह मामला मुकदमेबाज़ी के तहत होने के कारण, लेखा पुस्तकों में पंजीकरण और अन्य लागत के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है । एपीआईआईसी को अदा की गई रु. 65 (रु. 65) की राशि का भुगतान पूँजीगत अग्रिमों में शामिल किया गया है ।

ख. रक्षा प्राधिकारियों के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के आधार पर, ऐसी परिसंपत्तियां जो बीईएल को आवंटित भूमि पर निर्मित की गई हैं और जो बीईएल के अधिकार में हैं, को हैदराबाद यूनिट स्थापित करने के लिए संबंधित शीर्षों के तहत पूंजीकृत किया गया है। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निबंधन व शर्तों को अंतिम रूप दिया लंबित होने पर, 25.11 एकड़ (25.11 एकड़) की भूमि की लागत को लेखा बहियों में हिसाब में नहीं लिया गया है।

ग. इब्राहिपटनम में एपीआईआईआईसी / टीएसआईआईसी द्वारा आवंटित 122.82 एकड़ (122.82 एकड़) भूमि जिसका कब्जा दिया गया है जिसका बिक्री विलेख लंबित है ।

घ. 22.375 एकड़ (22.375 एकड़) की भूमि जो ऊपर उल्लिखित पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि का भाग है, के लिए दिनांक 31.01.2015 को टीएसआईआईसी से अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के लिए नगर सिविल न्यायालय, हैदराबाद द्वारा की गई डिक्री की क्षतिपूर्ति राशि का 50% के रूप में रु. 256 (रु. 256) की डिमांड प्राप्त हुई है। यह डिमांड विवाद के अधीन है, इसलिए, लेखा बहियों में इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ङ. 1.22 एकड़ (1.22 एकड़) की पूर्ण स्वामित्व की भूमि जो 1.24 एकड़ (1.24 एकड़) भूमि सौंपने के एवज में सरकारी प्राधिकारियों द्वारा आबंटित की गई थी, मुकदमेबाज़ी के अधीन है ।

च. कंपनी ने तीन स्थलों में पवन चक्की जनरेटर स्थापित किए हैं । पवन चक्की जनरेटर–I को वर्ष 2006-07 में पट्टे की भूमि में पूँजीकृत किया गया। इस पट्टे का अग्रिम किराया कुछ नहीं है और भूमि के पट्टे के करार को अंतिम रूप दिया जाना लंबित है । पवन चक्की जनरेटर – II को

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

रु. 36 के पट्टे का अग्रिम किराया अदा करते हुए पट्टाधारित भूमि पर वर्ष 2007–08 में पूँजीकृत किया गया । भूमि के पट्टे के करार को अंतिम रूप दिया जाना लंबित है।

छ. 0.30 एकड़ (0.30 एकड़) की भूमि से संबंधित अधिकार विलेख मुकदमेबाज़ी के अधीन है। इस संबंध में दो मामले लंबित हैं ।

ज. पठानकोठ में अधिग्रहित 8.93 एकड़ (8.93 एकड़) पट्टाधारित भूमि पंजीकरण के लिए लंबित है । लंबित पंजीकरण के लिए खाता बही में पंजीकरण और अन्य लागत के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

झ. वर्ष के दौरान बठिंडा में 6.20 एकड़ (6.20 एकड़) की भूमि पूर्ण स्वामित्व भूमि में परिवर्तित कर दिया गया । लंबित पंजीकरण के लिए खाता बही में पंजीकरण और अन्य लागत के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

ञ. अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में 913.99 एकड़ (913.99 एकड़) की भूमि की बिक्री विलेख को अंतिम रूप देना लंबित है ।

ट. बूटिबोरी, नागपुर में अधिग्रहित 197.68 एकड़ (197.68 एकड़) की पट्टाधारित भूमि पंजीकरण के लिए लंबित है । लंबित पंजीकरण के लिए खाता बही में पंजीकरण और अन्य लागत के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

xviii. मूल कंपनी ने ओ.एफ.बी. मेडक, इटारसी, बोलांगीर और एच.वी.एफ. आवड़ी, जीसीएफ जबलपुर, वीएफजे जबलपुर, हजरतपुर, मुरादनगर, नालंदा में प्रत्येक संयंत्र के लिए वार्षिक पट्टा किराया के रूप में आई.ए.आर. 1 का नाममात्र मूल्य अदा करते हुए पट्टे की भूमि पर सौर शक्ति संयंत्र स्थापित किया है ।

xix. मूल कंपनी ने 3 मेगावॉट हासन और 8.4 मेगावॉट दावणगेरे के लिए पूर्वदत्त किराए का भुगतान किया है जिसे भारतीय लेखा मानक 116 अपनाने के कारण प्रयोग के अधिकार के रूप में पूंजीकृत किया गया है।

xx. मूल कंपनी के पास देवनहल्ली, बेंगलूरु में स्थित 31.15 एकड़ (31.15 एकड़) की भूमि है जिसे कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) से प्राप्त किया गया है और रु. 7,974 (रु. 7,856) की भूमि के पंजीकरण की लागत के साथ भूमि की लागत को पट्टाधारित भूमि के तहत पूंजीकृत किया गया है। पट्टा करार के निबंधनों के अनुसार, परियोजना के सफल कार्यारंभ पर, इसे पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि में रूपांतरित किया जाएगा।

xxi. कर्मचारियों के क्वार्टर के प्रति रु. 729 (रु. 484) (समायोजित ब्याज की आय) की उधार लागत पूंजीकृत किया है । पूंजीकरण दर प्रति वर्ष 6.47% (प्रति वर्ष 6.47%) है ।

xxii. **तृतीय पक्षकारों से मुआवजा –**

कंपनी को आग में संपत्ति के नुकसान के लिए बीमा दावा के माध्यम से शून्य (रु. 109) की राशि प्राप्त हुई है, जिसका निवल पुस्तक मूल्य शून्य (रु. 43) है ।

xxiii. **प्रतिभूति, दृष्टिबंधन आदि**

टिप्पणी 35 देखें।

टिप्पणी 2
पूँजीगत चालू कार्य

विवरण	यथा 31 मार्च 2021		यथा 31 मार्च 2020	
सिविल निर्माण कार्य	12,193		9,532	
संयंत्र एवं मशीनरी	21,365		8,897	
अन्य	4,489		3,550	
मार्गस्थ पूँजीगत मदें	1,824		2,816	
		39,871		24,795
घटाएँ – ह्रास का प्रावधान		(124)		(124)
		39,747		24,671

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

i. सिविल निर्माण में मुख्यत: उत्पादन संबंधी इमारत, अनु. व वि. इमारत और कर्मचारियों के क्वार्टर शामिल हैं।

ii. निर्माणाधीन कर्मचारियों के क्वार्टर के संबंध में उधार की लागत रु. 245 (रु. 490) ब्याज की निवल आय को पूँजीगत चालू कार्य में शामिल किया गया है। पूँजीकरण की दर 6.74% प्रतिवर्ष (6.74% प्रतिवर्ष) है।

iii. संविदाजन्य प्रतिबद्धताओं के संबंध में टिप्पणी 30 (9) देखें।

iv. संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के लिए अदा किए गए असमायोजित पूँजी अग्रिम के लिए टिप्पणी 12 देखें।

v. **परिसंपत्तियों की अनर्जकता**

मूल कंपनी के संबंध में निर्माणीधीन भवन, वहनीय मूल्य रु. 124 (रु. 124) का काम रोक दिया गया है क्योंकि जिस ठेकेदार को यह काम सौंपा गया था, उसने यह काम बंद कर दिया है और उसके बाद से इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। कंपनी ने ठेकेदार को अदा की गई राशि वसूल करने के लिए कानूनी दावा दाखिल किया है। इसलिए, रु. 124 (रु.124) की राशि ह्रासमान दर्शाई गई है। टिप्पणी 30 (7) देखें।

टिप्पणी 3
निवेश संपत्ति

विवरण	सकल वहनीय राशि				मूल्यह्रास				निवल वहनीय राशि	
	1 अप्रैल, 2020 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2021	1 अप्रैल, 2020 को	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
पूर्ण स्वामित्व की भूमि *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
इमारतें	14	–	–	14	5	1	–	6	8	9
कुल	14	–	–	14	5	1	–	6	8	9

* पूर्ण स्वामित्व की भूमि में आईएनआर 3,830 (आईएनआर 3,830) समग्र अंक शामिल है जिसे पूर्णांकित किया गया है ।

विवरण	सकल वहनीय राशि				मूल्यह्रास				निवल वहनीय राशि	
	1 अप्रैल, 2019 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2020	1 अप्रैल, 2020 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
पूर्ण स्वामित्व की भूमि *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
इमारतें		–	–	14	4	1	–	5	9	10
कुल		–	–	14	4	1	–	5	9	10

* पूर्ण स्वामित्व की भूमि में आईएनआर 3,830 (आईएनआर 3,925) समग्र अंक शामिल है जिसे पूर्णांकित किया गया है ।

i. **लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित राशि**

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
क. किराए की आय	150	145
ख. किराए की आय प्रदान करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालनीय व्यय (आर एंड एम सहित)	–	–
ग. उपर्युक्त को छोड़कर प्रत्यक्ष प्रचालनीय व्यय (आर एंड एम सहित)	–	–
घ. मूल्यह्रास	1	1
ङ. निवेश संपत्ति से लाभ	149	144

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

ii. संविदाजन्य प्रतिबद्धताओं के लिए टिप्पणी 30 (9) देखें।

iii. **निवेश संपत्तियों का अंकित मूल्य**

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
भूमि	2,255	2,256
इमारत	903	895

iv. भूमि जिसमें मूल कंपनी की 1.48 एकड़ (1.48 एकड़) की पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि शामिल है।

v. **अंकित मूल्य का प्राक्कलन**

मूल कंपनी ने निवेश संपत्ति के स्थान में समान संपत्तियों के सरकारी मार्गदर्शन मूल्य (नगरपालिका मूल्य) के आधार पर निवेश संपत्ति के अंकित मूल्य का प्राक्कलन किया है । निवेश संपत्तियों के सभी परिणामी अंकित मूल्य प्राक्कलन स्तर 2 में शामिल किए गए हैं ।

vi. **मानी गई लागत**

भारतीय ए.एस. (01.04.2015) अपनाने से, मूल कंपनी ने यथा 1 अप्रैल 2015 को अपनी सभी संपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों के वहनीय मूल्य को जारी रखने का विकल्प लिया जिन्हें पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया और इसमें वहनीय मूल्य को संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की मानी गई लागत के रूप में प्रयोग किया जाता है।

vii. **परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल का प्राक्कलन**

मूल कंपनी ने परिसंपत्तियों की अपेक्षित उपयोगिता, तकनीकी और वाणिज्यिक अप्रचलन के जोखिम आदि जैसे कारकों पर विचार करते हुए मूर्त परिसंपत्तियों (जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में दर्शित उपयोगी जीवनकाल से अलग हैं) के विभिन्न वर्गों के उपयोगी जीवनकाल का प्राक्कलन किया है।

मूर्त परिसंपत्तियों के विभिन्न वर्गों के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल इस प्रकार हैं –

परिसंपत्तियों का वर्ग	वर्ष
इमारत	40

viii. **मूल्यह्रास**

मूल्यह्रास की गणना परिसंपत्तियों के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा के आधार पर की जाती है।

मूल्यह्रास की राशि को लाभ व हानि के विवरण में व्यय के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है।

ix. **मूल्यह्रास के लेखांकन की विधि**

मूल्यह्रास/परिशोधन की गणना कंपनी की लेखा नीति संख्या 8 के अनुसार की गई है और इसे लाभ और हानि के विवरण में खर्च के रूप में अभिचिह्नित किया गया है।

x. **परिसंपत्तियों की अनर्जकता**

चूँकि निवेश संपत्ति का अंकित मूल्य उसके वहनीय मूल्य से अधिक है, ह्रास का कोई संकेत नहीं है।

xi. **निवेश की गई संपत्ति पर प्रतिबंध**

भूमि भारत सरकार द्वारा आबंटित की गई है।

xii. **पंजीकरण, लंबित मुकदमों आदि के विवरण**

शून्य (शून्य)

xiii मूल कंपनी होने के नाते, निवेश संपत्ति से आईएनआर कुछ नहीं (आईएनआर 95) (वास्तविक अंक दर्शाएं) को पूर्णस्वामित्व भूमि पर स्थ्नंतरित किया जाता है।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

टिप्पणी 4
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ

विवरण	सकल वहनीय राशि				परिशोधन				निवल वहनीय राशि	
	यथा 1 अप्रैल 2020 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2021	संचित परिशोधन यथा 1 अप्रैल 2020	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2021	यथा 31 मार्च, 2020
अमूर्त परिसंपत्तियाँ – अन्य										
कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम*	2	–	–	2	1	–	–	1	1	1
लाइसेंस शुल्क	18,424	–	–	18,424	6,250	1,250	–	7,500	10,924	12,174
साफ्टवेयर लाइसेंस / इंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) का कार्यान्वयन	285	6	–	291	255	31	–	286	5	30
अन्य (विकास लागत)**	2,745	4,174	–	6,919	477	716	–	1,193	5,726	2,268
कुल	**21,456**	**4,180**	**–**	**25,636**	**6,983**	**1,997**	**–**	**8,980**	**16,656**	**14,473**

* वर्ष के परिशोधन में आईएनआर 18,863 (आईएनआर 18,863) समग्र अंक शामिल है जिसे पूर्णांकित किया गया है।

** इसमें अन्य विकास एजेंसियों को वित्तपोषण शामिल है ।

विवरण	सकल वहनीय राशि				परिशोधन				निवल वहनीय राशि	
	यथा 1 अप्रैल 2019 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2020	संचित परिशोधन यथा 1 अप्रैल 2019	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
अमूर्त परिसंपत्तियाँ – अन्य										
कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम*	2	–	–	2	1	–	–	1	1	1
लाइसेंस शुल्क	18,424	–	–	18,424	5,000	1,250	–	6,250	12,174	13,424
साफ्टवेयर लाइसेंस / इंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) का कार्यान्वयन	285	–	–	285	210	45	–	255	30	75
अन्य (विकास लागत)	2,531	214	–	2,745	159	318	–	477	2,268	2,372
कुल	**21,242**	**214**	**–**	**21,456**	**5,370**	**1,613**	**–**	**6,983**	**14,473**	**15,872**

* वर्ष के परिशोधन में आईएनआर 18,863 (आईएनआर 18,863) समग्र अंक शामिल है जिसे पूर्णांकित किया गया है।

i. **मानी गई लागत**

भा.ले.मा. एएस (01.04.2015) में संक्रमण पर, समूह ने पिछले सभी जीएएपी के अनुसार मापा गया 1 अप्रैल 2015 को अपनी सभी अमूर्त संपत्तियों के वाहक मूल्य को जारी रखने के लिए चुना है और अन्य अमूर्त संपत्तियों की समेकित लागत के रूप में मूल्य का उपयोग किया है ।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

ii. **प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल**

अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों (मूल कंपनी) का प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल इस प्रकार है –

परिसंपत्तियों का वर्ग	वर्ष
साफ्टवेयर लाइसेंस / इंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ई.आर.पी.) का कार्यान्वयन	3
अन्य (विकास लागत)	3 - 15

iii. **परिशोधन**

परिशोधन की गणना परिसंपत्तियों के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा के आधार पर की जाती है।

परिशोधन की राशि को लाभ व हानि के विवरण में व्यय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

iv. **परिशोधन के लेखांकन की विधि**

परिशोधन की गणना कंपनी की लेखा नीति संख्या 8 के अनुसार की गई है और इसे लाभ और हानि के विवरण में खर्च के रूप में निर्धारित किया गया है।

v. संविदाजन्य प्रतिबद्धताओं के लिए टिप्पणी 30 (9) देखें।

vi. **परिसंपत्तियों की अनर्जकता**

टिप्पणी 30 (7) देखें।

vii. परिसंपत्तियों के अधिकार पर प्रतिबंध करार की शर्तें द्वारा नियंत्रित होता है।

टिप्पणी 5
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
आंतरिक रूप से विकसित *	55,734	58,127
घटाएँ – ह्रास का प्रावधान	(7,213)	–
	48,521	58,127

* अन्य विकास एजेंसियों को वित्त पोषण शामिल है।

i. संविदाजन्य प्रतिबद्धताओं के लिए टिप्पणी 30 (9) देखें।

ii. **परिसंपत्तियों का ह्रास [मूल कंपनी] –**

रु. 7,213 (कुछ नहीं) की राशि का प्रावधान ह्रास के रूप में किया गया है क्योंकि विकास कार्य वर्तमान में जारी नहीं है और साथ ही, आर्थिक अनुलाभ सृजित करने के लिए कंपनी का आंकलन निश्चित नहीं है (टिप्पणी 30(7) देखें)।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

टिप्पणी 6
निवेश

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
(I) इक्विटी विलेखों में निवेश (अनुद्धृत)		
(क) अन्य (एफवीओसीआई पर) (नीचे दी गई टिप्पणी v देखें)		
मना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लि., हैदराबाद		
प्रत्येक रु. 1000 पूर्ण चुकता के 500 (500) इक्विटी शेयर	12	11
डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन, बेंगलूरु		
प्रत्येक रु. 1000 पूर्ण चुकता के 50 (50) इक्विटी शेयर	1	1
(II) अन्य निवेश (अनुद्धृत)		
क) कोऑपरेटिव सोसाइटियों में निवेश (लागत पर) *		
कफ़ परेड पर्सोपोलिस प्रिमाइसेस कोऑपरेटिव सोसाइटी, मुंबई	-	-
आई.एन.आर. 50 प्रत्येक पूर्ण चुकता के 40 (40) इक्विटी शेयर		
सुखसागर प्रिमाइसेस कोऑपरेटिव, सोसाइटी, मुंबई		
आईएनआर 50 प्रत्येक पूर्ण चुकता के 10 (10) इक्विटी शेयर		
श्री सप्तरत्न कोऑप. सोसाइटी लि., मुंबई	-	-
आई.एन.आर.50 प्रत्येक पूर्ण चुकता के 10 (10) इक्विटी शेयर		
दालामल पार्क कोऑप. सोसाइटी लि., मुंबई		
आई.एन.आर. 50 प्रत्येक पूर्ण चुकता के 5 (5) इक्विटी शेयर		
चंद्रलोक कोऑप. हाउसिंग सोसाइटी लि., पुणे	-	-
आई.एन.आर. 50 प्रत्येक पूर्ण चुकता के 30 (30) इक्विटी शेयर		
ख) अन्य (एफवीटीपीएल पर)		
भारतीय जीवन बीमा निगम (टिप्पणी ii देखें)	1,11,592	94,811
	1,11,605	**94,823**

* आईएनआर 4,750 (आईएनआर 4,750) समग्र अंक जिसे पूर्णांकित किया गया। यह हाउसिंग सोसाइटियों में उनके उप-नियमों के अनुसार अर्जित शेयर का मूल्य दर्शाते हैं।

i

विवरण	2020-21	2019-20
उद्धृत निवेशों का कुल मूल्य और उनका बाज़ार मूल्य	-	-
अनुद्धृत निवेशों का कुल मूल्य	1,11,605	94,823
निवेश के मूल्य में ह्रास की कुल राशि	-	-

ii. कंपनी ने अपने छुट्टी नकदीकरण और "बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना" (बीईआरईसीएचएस) देयताओं को क्रमश: एलआईसी की न्यू ग्रूप लीव एनकैशमेंट प्लान और न्यू ग्रूप सुपरएन्युएशन कैश एक्यूमिलेशन प्लान में निवेश किया है [टिप्पणी 21 देखें] ।

iii. वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

iv. मे. डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन (डी.आई.ओ.) में इक्विटी पूँजी के लिए आईएनआर 50,000 समग्र अंक की राशि का अंशदान दिया गया है। डी.आई.ओ. को रक्षा क्षेत्र में नवोन्मेष का वित्त-पोषण करने के उद्देश्य से रु. 100 (बीईएल : 50%; एचएएल : 50%) की प्राधिकृत शेयर पूँजी के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अनुसार 'लाभरहित' कंपनी के रूप में 10 अगस्त, 2017 को निगमित किया गया । इस कंपनी का पंजीकृत कार्यालय बेंगलूरु में बीईएल के परिसर में स्थित है ।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

प्रारंभिक कॉर्पस निधि के लिए रु. 5,000 की राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें से रु. 4,000 (रु. 4,000) की राशि भुगतान के लिए लंबित है ।

v. क. कंपनी ने एफवीओसीआई में मना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लि. तथा डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन, बेंगलूरु के इक्विटी शेयरों में निवेश किया है क्योंकि ये इक्विटी शेयर ऐसे निवेश को दर्शाते हैं जो रणनीतिक प्रयोजन से लंबे समय तक धारित करने के लिए आशयित हैं। निवल परिसंपत्ति मूल्य विधि के आधार पर निवेश का अंकित मूल्य इस प्रकार है –

विवरण	31 मार्च 2021 को अंकित मूल्य	2020-2021 के दौरान निर्धारित लाभांश आय	31 मार्च 2020 को अंकित मूल्य	2019-2020 के दौरान निर्धारित लाभांश आय
मना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लि.में निवेश	12	-	11	-
डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन, बेंगलूरु में निवेश	1	-	1	-

ख. कंपनी ने इन निवेशों पर अब तक कोई लाभांश प्राप्त नहीं किया है।

ग. 2020-21 के दौरान कोई रणनीतिक निवेश को निपटाया नहीं गया और इन निवेशों के संबंध में इक्विटी में कोई संचित लब्धि या हानि अंतरित नहीं की गई।

टिप्पणी 7
व्यापार प्राप्य

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
गैर चालू		
अरक्षित, जिन्हें संदिग्ध माना गया		
व्यापार प्राप्य	1,43,607	1,34,875
घटाएँ – प्रावधान *	(1,43,607)	(1,34,875)
उप कुल (क)	-	-
चालू		
रक्षित, जिन्हें खरा माना गया	901	498
अरक्षित, जिन्हें खरा माना गया	6,55,298	6,71,904
उप कुल (ख)	6,56,199	6,72,402
कुल (क+ख)	6,56,199	6,72,402

* इसमें प्राप्य जो क्रेडिट ह्रासमान हैं, से संबंधित रु. 359 (रु. 359) [रु. 339 मूल कंपनी और रु. 20 बेलोप] शामिल है ।

i. **भुगतान के निबंधन**

क. अधिकांश संविदाओं में, मदों की सुपुर्दगी पर भुगतान (प्राप्त अग्रिम, यदि कोई हो, का निवल) देय है। बहरहाल, कुछ संविदाओं में देयों का एक हिस्सा (सामान्यत: 5% से 10%) अतिरिक्त कार्य-निष्पादन देयता की संतुष्टि से जुड़ा है जैसे संस्थापना एवं कार्यारंभ संबंधी कार्यों को पूरा करना आदि। टर्नकी संविदाओं के संबंध में, भुगतान (निवल अग्रिम, यदि कोई हो) निर्दिष्ट उपलब्धियों को प्राप्त करने से जुड़ा होता है।

ख. ग्राहक से प्राप्त प्रगामी भुगतानों सहित अग्रिम को संविदा की देयता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और संबंधित कार्य-निष्पादन देयता के समापन पर समायोजित किया जाता है।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

ग. संविदा में अन्य कार्य-निष्पादन देयताओं को पूरा करने के साथ भुगतान को जोड़ने के कारण पूरी की गई कार्य-निष्पादन देयता के संबंध में ग्राहकों द्वारा रोक रखी गई राशि को संविदा परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ii. **वित्तीय विलेख**

वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

iii. **वित्तीय परिसंपत्तियों की ह्रास**

ह्रास का प्रावधान ग्रूप की लेखा नीति सं. 29 के अनुरुप किया गया है।

iv. **संबंधित पक्षकारों के प्रकटण**

संबंधित पक्षकारों के प्रकटण के लिए टिप्पणी 31 देखें।

v. **सुरक्षा, दृष्टिबंधन आदि**

टिप्पणी 35 देखें।

टिप्पणी 8

ऋण

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
गैर चालू		
अरक्षित, जिन्हें खरा माना गया		
सुरक्षा जमा	2,624	2,537
कर्मचारियों को ऋण	736	696
	3,360	3,233
अरक्षित, जिन्हें संदिग्ध माना गया		
सुरक्षा जमा	104	81
घटाएँ - प्रावधान	(104)	(81)
	-	-
अन्य		
कर्मचारियों को ऋण	1	1
घटाएँ - प्रावधान	(1)	(1)
	-	-
अन्य को ऋण	132	132
घटाएँ -प्रावधान*	(132)	(132)
	-	-
उप कुल (क)	3,360	3,233
चालू		
अरक्षित, जिन्हें खरा माना गया		
सुरक्षा जमा	1,414	1,567
अन्य		
कर्मचारियों को ऋण	152	167
उप कुल (ख)	1,566	1,734
कुल (क+ख)	4,926	4,967

* इसमें ऐसे ऋणों से संबंधित रु.132 (रु.132) शामिल है जो क्रेडिट ह्रासमान हैं।

i. **वित्तीय विलेख**

वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

ii. **वित्तीय परिसंपत्तियों का ह्रास**

ह्रास का प्रावधान ग्रूप की लेखा नीति सं. 29 के अनुरुप किया गया है।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

टिप्पणी 9
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
गैर चालू		
अरक्षित, जिन्हें खरा माना गया		
व्यापार प्राप्यों के अलावा प्राप्य	26	77
मीयादी जमा पर अर्जित ब्याज	-	4
12 महीनों की परिपक्वता से अधिक बैंक जमा राशियां	195	71
अन्य परिसंपत्तियाँ	26	2,768
	247	2,920
असुरक्षित, संदिग्ध माना गया		
अन्य को दिए गए अग्रिम	12	12
घटाएँ - प्रावधान	(12)	(12)
	-	-
व्यापार प्राप्यों के अलावा प्राप्य	966	966
घटाएँ - प्रावधान*	(966)	(966)
	-	-
अन्य परिसंपत्तियाँ	74	74
घटाएँ - प्रावधान	(74)	(74)
	-	-
उप कुल (क)	247	2,920
चालू		
अरक्षित, जिन्हें खरा माना गया		
कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम	165	178
अन्य को दिए गए अग्रिम	5	2
प्रोद्भूत ब्याज परंतु मीयादी जमा पर देय नहीं	1,300	299
व्यापार प्राप्यों के अलावा प्राप्य	588	979
अन्य परिसंपत्तियाँ	2,594	1,722
उप कुल (ख)	4,652	3,180
कुल (क+ख)	4,899	6,100

* टिप्पणी 30(18) देखें

i. **वित्तीय विलेख**

वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

ii. **वित्तीय परिसंपत्तियों की ह्रास**

ह्रास का प्रावधान ग्रूप की लेखा नीति सं. 29 के अनुरुप किया गया है।

iii. कुछ नहीं (कुछ नहीं) की निवल वहनीय राशि को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण जो सक्रिय प्रयोग में नहीं हैं और निपटान के लिए लंबित हैं, के संबंध में अन्य परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

टिप्पणी 10
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	69,271	85,634
आस्थगित कर देयताएँ	(22,925)	(35,764)
	46,346	49,870
आस्थगित कर देयताएँ (निवल)		
आस्थगित कर देयताएँ	837	–
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	(801)	–
	36	–

i. **लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित आय**

क्र. सं.	विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
1	**आय कर के व्यय –**		
	– चालू अवधि	82,654	75,767
	– पूर्व के वर्षों से संबंधित प्राक्कलनों में परिवर्तन	(2,492)	(4,047)
2	**आस्थगित कर –**		
	– अस्थायी अंतरों का उद्गम और व्युत्क्रमण	7,082	(3,143)
3	**आस्थगित कर के कुल व्यय (अनुलाभ)**	7,082	(3,143)
4	**आय कर के व्यय**	87,244	68,577

ii. **अन्य व्यापक आय में निर्धारित आय कर**

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2021			यथा 31.03.2020		
		कर पूर्व	कर (व्यय)/ अनुलाभ	निवल कर	कर पूर्व	कर (व्यय)/ अनुलाभ	निवल कर
1	निवल निर्धारित अनुलाभ देयता/ (परिसंपत्ति) का पुन:मापन	(11,703)	2,948	(8,755)	(6,128)	(2,049)	(4,079)
2	अन्य द्वारा इक्विटी विलेख व्यापक आय	1	(1)	–	2	1	1
	कुल	(11,702)	2,947	(8,755)	(6,126)	(2,048)	(4,078)

iii. **इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित आय कर**

इक्विटी 31 मार्च 2021 को और 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से अभिचिह्नत कोई आय कर नहीं है।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

iv. **प्रभावी कर दरों का समाधान**

विवरण	यथा 31.03.2021		यथा 31.03.2020	
	दर	राशि	दर	राशि
कर पूर्व लाभ		2,94,178		2,47,840
कंपनी की घरेलू कर दर का इस्तेमाल करते हुए कर	25.17%	74,039	34.94%	86,605
प्रभाव				
अनुसंधान एवं विकास व्ययों पर अतिरिक्त कटौती का प्रभाव	-	-	-5.72%	(14,181)
छूट प्राप्त आय	-	-	-0.06%	(149)
कर प्रोत्साहन	-	-	-0.37%	(914)
पिछले वर्षों से संबंधित प्राक्कलनों में परिवर्तन	-0.64%	(1,888)	-1.63%	(4,047)
गैर-कटौती योग्य व्यय	0.40%	1,190	0.47%	1,159
कर उद्देश्यों के लिए त्वरित मूल्यह्रास	0.00%	(11)	0.00%	(1)
कर दर में परिवर्तन का प्रभाव	4.76%	13,993	-	-
अन्य	-0.03%	(79)	0.04%	105
प्रभावी कर दर	29.66%	87,244	27.67%	68,577

v. **आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ) और देयताएँ निम्नलिखित के कारण हैं –**

क्र. सं.	विवरण	आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ)		आस्थगित कर देयताएँ यथा		निवल आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ)/ देयताएँ यथा	
		यथा 31.03.2021	यथा 31.03.2020	यथा 31.03.2021	यथा 31.03.2020	यथा 31.03.2021	यथा 31.03.2020
1	व्यापार प्राप्य	(10,198)	(14,570)	-	-	(10,198)	(14,570)
2	वस्तुसूची	(11,039)	(14,954)	-	-	(11,039)	(14,954)
3	प्रावधान अन्य	(14,830)	(18,168)	-	-	(14,830)	(18,168)
4	कर्मचारी अनुलाभ	(30,561)	(35,018)	-	699	(30,561)	(34,319)
5	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	-	1,002	704	1,002	704
6	आस्थगित राजस्व	(268)	(373)	-	-	(268)	(373)
7	अन्य परिसंपत्तियाँ	-	-	1	1	1	1
8	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(7)	-	18,287	27,071	18,280	27,071
9	आईसीडीएस समायोजन	-	-	-	-	-	-
10	इक्विटी निवेश	-	-	3	2	3	2
11	अन्य वित्तीय देयताएँ	-	-	7	10	7	10
12	ह्रास का प्रावधान	(2,687)	(2,006)	-	-	(2,687)	(2,006)
13	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	-	4,463	7,277	4,463	7,277
14	व्यापार देयताएँ	(6)	(6)	-	-	(6)	(6)
15	कर हानि	-	(54)	-	-	-	(54)
16	बोनस	(1)	-	-	-	(1)	-
17	अधिवर्षता	(17)	(12)	-	-	(17)	(12)
18	एमएटी क्रेडिट	(458)	(473)	-	-	(458)	(473)
19	कुल	(70,073)	**(85,634)**	23,763	**35,764**	(46,310)	**(49,870)**
20	(परिसंपत्ति)/ देयता का पृथक्करण	23,727	35,764	(23,727)	(35,764)	0	-
	निवल आस्थगित कर (परिसंपत्ति)/ देयता	(46,346)	**(49,870)**	36	**-**	(46,310)	**(49,870)**

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

vi. **आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ) एवं देयताओं का संचलन**

क्र. सं.	विवरण	यथा 01.04.2020 को शेष	2020–21 के दौरान लाभ व हानि में निर्धारित	2020–21 के दौरान ओसीआई में निर्धारित	यथा 31.03.2021 को शेष
1	व्यापार प्राप्य	(14,570)	4,372	–	(10,198)
2	वस्तुसूची	(14,954)	3,915	–	(11,039)
3	अन्य प्रावधान	(18,168)	3,338	–	(14,830)
4	कर्मचारी अनुलाभ	(34,319)	7,295	(3,537)	(30,561)
5	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	704	298	–	1,002
6	आस्थगित राजस्व	(373)	105	–	(268)
7	अन्य परिसंपत्तियाँ	1	–	–	1
8	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	27,071	(8,791)	–	18,280
9	आईसीडीएस समायोजन	–	–	–	–
10	इक्विटी निवेश	2	–	1	3
11	अन्य वित्तीय देयताएँ	10	(3)	–	7
12	ह्रास का प्रावधान	(2,006)	(681)	–	(2,687)
13	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	7,277	(2,814)	–	4,463
14	व्यापार देयताएँ	(6)	–	–	(6)
15	कर हानि	(54)	54	–	–
16	अधिवर्षता	–	(1)	–	(1)
17	अधिवर्षता	(12)	(5)	–	(17)
18	एमएटी क्रेडिट	(473)	–	–	(458)
	कुल	**(49,870)**	**7,082**	**(3,536)**	**(46,310)**

नोट– वर्ष के दौरान सहायक कंपनी –बेलॉप, एमएटी क्रेडिट के संबंध में पिछले वर्ष के (रु. 15) रु. 14 शामिल है ।

vii. **आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ) एवं देयताओं का संचलन**

क्र. सं.	विवरण	यथा 01.04.2019 को शेष	2019–20 के दौरान लाभ व हानि में निर्धारित	2019–20 के दौरान ओसीआई में निर्धारित	यथा 31.03.2020 को शेष
1	व्यापार प्राप्य	(13,674)	(896)	–	(14,570)
2	वस्तुसूची	(14,860)	(94)	–	(14,954)
3	अन्य प्रावधान	(21,854)	3,686	–	(18,168)
4	कर्मचारी अनुलाभ	(28,251)	(6,556)	488	(34,319)
5	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	729	(25)	–	704
6	आस्थगित राजस्व	(373)	–	–	(373)
7	अन्य परिसंपत्तियाँ	1	–	–	1
8	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	26,997	75	–	27,071
9	आईसीडीएस समायोजन	–	–	–	–

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	यथा 01.04.2019 को शेष	2019-20 के दौरान लाभ व हानि में निर्धारित	2019-20 के दौरान ओसीआई में निर्धारित	यथा 31.03.2020 को शेष
10	इक्विटी निवेश	1	-	1	2
11	अन्य वित्तीय देयताएँ	10	-	-	10
12	ह्रास का प्रावधान	(2,012)	6	-	(2,006)
13	देय व्यापार	(6)	-	-	(6)
14	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	6,558	719	-	7,277
15	बोनस	(1)	1	-	-
16	कर हानि	-	(54)	-	(54)
17	अधिवर्षिता	(7)	(5)	-	(12)
18	एमएटी क्रेडिट	(459)	-	-	(473)
	कुल	(47,201)	(3,143)	489	(49,870)

viii. **अनिर्धारित आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ) / देयताएँ –**

निम्नलिखित मदों के संबंध में स्थगित कर संपत्ति को मान्यता नहीं दी गई है, क्योंकि यह संभव नहीं है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके समक्ष कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है।

विवरण	संस्था	यथा 31.03.2021	यथा 31.03.2020
कर घाटे	धारक कंपनी	कोई अस्थायी अंतर नहीं है जिस पर स्थगित कर (संपत्ति) / देयता को पहचाना नहीं गया है	
	बेलोप		
	बीईएल-थालेस सिस्टम	548	652

ix. **कर घाटा आगे बढ़ाया**

विवरण	संस्था	यथा 31.03.2021		यथा 31.03.2020	
		राशि	समाप्त तिथि	राशि	समाप्त तिथि
समय सीमा समाप्त	धारक कंपनी	कोई कर हानि नहीं है जिस पर स्थगित कर संपत्ति को पहचाना गया है			
कभी समाप्त नहीं हो					
समय सीमा समाप्त	बेलोप	-	-	-	-
कभी समाप्त नहीं हो		-	-	209	-
समय सीमा समाप्त	बीईएल-थालेस सिस्टम	469	2023-27	572	2023-27
कभी समाप्त नहीं हो		80	-	80	-

x. समाधान के लिए प्रयुक्त कर दर आय कर अधिनियम, 1961 के तहत कर योग्य लाभों पर कार्पोरेट संस्थाओं द्वारा देय 25.168% (34.944%) की कार्पोरेट कर दर है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए जिसे कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा जोड़ा गया, के तहत निम्नतर कर दर का विकल्प लिया है।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

टिप्पणी 11
वस्तुसूची

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
गैर चालू		
कच्चा माल और घटक	47,121	47,562
जोड़ें – मार्गस्थ कच्चा माल और घटक	91	108
घटाएँ – प्रावधान	(43,364)	(42,521)
	3,848	5,149
व्यापारगत स्टॉक	188	54
घटाएँ – प्रावधान	(188)	(54)
	–	–
भंडार व पुर्जे	257	264
घटाएँ – प्रावधान	(236)	(198)
	21	66
खुले औजार	147	119
घटाएँ – प्रावधान	(78)	(79)
	69	40
उप कुल (क)	3,938	5,255
चालू		
कच्चा माल और घटक	2,90,099	2,13,313
जोड़ें – मार्गस्थ कच्चा माल और घटक	29,168	22,781
	3,19,267	2,36,094
चालू कार्य	1,38,550	1,29,731
तैयार माल	17,874	21,632
जोड़ें – मार्गस्थ तैयार माल	9,801	2,514
	27,675	24,146
व्यापारगत स्टॉक	6,053	971
जोड़ें – मार्गस्थ व्यापारगत स्टॉक	–	38
	6,053	1,009
भंडार व पुर्जे	4,407	3,928
जोड़ें – मार्गस्थ भंडार व पुर्जे	6	69
	4,413	3,997
खुले औजार	747	880
जोड़ें – मार्गस्थ खुले औजार	–	1
	747	881
निपटान की रद्दी	323	193
	4,97,028	3,96,051
बेची न गई वस्तुसूची में अप्राप्य लाभ	(230)	(221)
उप कुल (ख)	4,96,798	3,95,830
कुल (क+ख)	5,00,736	4,01,085

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

i. कच्चे माल और घटकों में रु. 8440 (रु. 9,644) शामिल हैं जो उप-ठेकेदारों के पास धारित माल है जिसमें रु.694 (रु. 367) का माल पुष्टिकरण और समाधान के अधीन है । रु. 694 (रु.367) के समक्ष, रु. 694 (रु. 366) की राशि का प्रावधान किया गया है ।

ii. **वर्ष की स्टॉक सत्यापन विसंगतियाँ इस प्रकार हैं –**

रु. 473 (रु. 1,294) की कमी और रु. 405 (रु. 412) का अधिशेष । समाधान के लंबित होने पर, रु. 68 (रु. 887) की राशि का प्रावधान किया गया है।

iii. वस्तुसूचियों का मूल्यांकन ग्रूप की लेखा नीति सं. 17 के अनुसार किया गया है ।

iv. क. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय ने 05.11.2007 से 31.03.2012 की सत्यापन अवधि के लिए 2.5 मे.वॉ. बीईएल ग्रिड कनेक्टेड पवन शक्ति परियोजना, दावणगेरे जिला, कर्नाटक के लिए, पूर्व के वर्षों के दौरान 15,856 (15,856) टन CO2EQ कार्बन क्रेडिट मंजूर किया है। इन कार्बन क्रेडिट को रु.2 (रु. 2) के मूल्य पर तैयार माल के तहत शामिल किया जाता है। सी.ई.आर. को आईसीएआई द्वारा जारी सीईआर संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी द्वारा यथा अपेक्षित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है ।

ख. प्रमाणीकरण के तहत सीईआर – कुछ नहीं (कुछ नहीं)

ग. वर्ष के दौरान उत्सर्जन कम करने वाले उपकरणों का मूल्यह्रास और प्रचालन –

क्र. सं.	विवरण	2020-21	2019-20
i.	मूल्यह्रास	287	273
ii.	उत्सर्जन कम करने वाले उपकरणों की प्रचालनीय लागत	154	203
कुल		441	476

v. **सुरक्षा, दृष्टिबंधन आदि**

टिप्पणी 35 देखें।

vi. **लाभ व हानि का विवरण में दर्शित राशि**

वस्तुसूचियों को निवल वसूली योग्य मूल्य में बट्टे खाते में डालने की राशि रु. 1,599 (रु. 5,067) है, को लाभ व हानि के विवरण में दर्शाया गया ।

vii. वर्ष के दौरान वस्तुसूचियों को बट्टे खाते में डालने का रु. 1,985 (रु. 3,389) का व्युत्क्रमण किया गया जिन्हें पिछले वर्ष में व्यय के रूप में दर्शाया गया ।

viii. **परिसंपत्तियों की ह्रास**

वस्तुसूची का प्रावधान ग्रूप की लेखा नीति सं. 17 के अनुरूप किया गया है।

ix. रु. 4,370 (रु. 3,319) राशि की सामग्री को ग्राहक के परिसर में वास्तविक रूप से देखा गया ।

x. कंपनी ने ठेकों की शर्तों के अनुसार ग्राहक की परिसंपत्तियाँ प्राप्त / प्रतिधारित की है और वे वस्तुसूची में नहीं है ।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

टिप्पणी 12
अन्य परिसंपत्तियाँ

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
गैर चालू		
पूँजीगत अग्रिम	1,805	1,059
क्रय के लिए अग्रिम	2,765	2,783
घटाएँ – प्रावधान	(2,765)	(2,783)
	–	–
संविदा परिसंपत्ति	13,363	10,226
घटाएँ – प्रावधान	(13,363)	(10,226)
	–	–
अन्य		
सीमा शुल्क, पत्तन न्यास तथा अन्य सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष	527	407
घटाएँ – प्रावधान	(397)	(277)
	130	130
पूर्वदत्त व्यय	76	82
प्राप्त दावे – क्रय	973	569
घटाएँ – प्रावधान	(973)	(569)
	–	–
संविदा की लागत	37,578	33,304
अन्य – परिसंपत्तियाँ	109	109
घटाएँ – प्रावधान	(29)	(29)
	80	80
उप कुल (क)	39,669	34,655
चालू		
पूँजीगत अग्रिमों के अलावा अग्रिम		
कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम	638	710
क्रय के लिए दिए गए अग्रिम	1,66,407	1,37,067
संविदा परिसंपत्ति	4,66,695	4,27,168
अन्य		
सीमा शुल्क, पत्तन न्यास तथा अन्य सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष *	29,077	27,225
पूर्वदत्त व्यय	5,658	3,891
पूर्वदत्त कर	6,037	6,761
प्राप्त दावे – क्रय	1,431	2,072
संविदा की लागत	14,392	-
अन्य – परिसंपत्तियाँ	1,043	1,224
उप कुल (ख)	6,91,378	6,06,118
कुल (क+ख)	7,31,047	6,40,773

* माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास में निर्णय लंबित होने के कारण, रु. 1,497 (रु. 1,497) का जीएसटी संक्रमणकालीन क्रेडिट का उपयोग किया जाना लंबित है।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

i. **परिसंपत्तियों की अनर्जकता**

गैर वित्तीय परिसंपत्तियों के ह्रास का प्रावधान कंपनी की लेखा नीति सं. 13 के अनुरूप किया गया है।

ii. **संविदा परिसंपत्तियों की अनर्जकता**

संविदा परिसंपत्तियों की ह्रास रु. 3,210 (रु. 1,073).

iii. **संविदा के परिशोधन और अनर्जकता की लागत**

संविदा के परिशोधन और ह्रास की लागत- संविदा के परिशोधन की लागत संविदा की लागत रु. 7,527 (रु. 6,163) से अपेक्षित अनुलाभ की अवधि के आधार पर निर्धारित की जाती है। निर्धारित संविदा परिशोधन और ह्रास की लागत कुछ नहीं (कुछ नहीं) हैं।

iv. **उचित मूल्य का मापन**

विवरण	यथा 31 मार्च 2021			यथा 31 मार्च 2020		
	एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत
संविदा परिसंपत्ति	-	-	4,66,695	-	-	4,27,168

v. संविदा की लागत का अंतिम शेष ग्राहकों से रु. 6,329 (रु. 4,659) की संविदा प्राप्त करने की लागत दर्शाता है तथा संविदा पूरा करने की लागत रु. 45,641 (रु. 28,645) है ।

टिप्पणी 13
नकद और नकद समतुल्य

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
बैंकों के पास शेष	51,511	36,253
हस्तस्थ नकद	1	3
मीयादी जमा	2,52,778	1,25,807
	3,04,290	**1,62,063**

i. नकद व नकद समतुल्य में तीन महीनों तक की मूल परिपक्वता अवधि की मीयादी जमा शामिल हैं। तीन महीनों से लेकर बारह महीनों तक की मूल परिपक्वता अवधि की मीयादी जमा को बैंक शेष में शामिल किया गया है (टिप्पणी 14 देखें) और बारह महीनों से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि की मीयादी जमाओं को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में शामिल किया जाता है (टिप्पणी 9 देखें)।

ii. वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

iii. **बैंकों के शेष में [मूल कंपनी] शामिल है**

क. कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त स्थगल आदेश के अनुपालन में, बैंक प्राधिकारियों ने वसूली अधिकारी - ईएसआई निगम द्वारा जारी गारनिशी आदेश के आधार पर रु. 46 (कुछ नहीं) रोक रखा है।

ख. बैंक प्राधिकारियों ने मध्य प्रदेश वैट प्राधिकरण (जबलपुर) से प्राप्त आदेश के अनुपालन में रु. 66 (कुछ नहीं) रोक रखा है।

iv. नकद व नकद समतुल्य के संबंध में कोई प्रत्यावर्ती प्रतिबंध नहीं है।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

टिप्पणी 14
बैंक शेष उपर्युक्त (ii) के अलावा

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
मीयादी जमा		3,839
अदत्त लाभांश खाता*		148
	2,03,086	3,987

* इसमें लाभांश के वितरण पर रोका गया रु. 1,045 का कार शामिल है [मूल कंपनी] ।

i. वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

ii. नकद व नकद समतुल्य के संबंध में कोई प्रत्यावर्ती प्रतिबंध नहीं है।

टिप्पणी 15
चालू कर परिसंपत्तियां/देयताएं

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)		
आय कर का अग्रिम भुगतान	13,588	28,495
	13,588	28,495
चालू कर देयता (निवल)		
कराधान का प्रावधान	–	–
	–	–

टिप्पणी 16
क. इक्विटी शेयर पूँजी

	विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
i.	**अधिकृत पूँजी**		
	आईएनआर 1 (आईएनआर 1) प्रत्येक के 250,00,00,000 (250,00,00,000) इक्विटी शेयर	25,000	25,000
ii.	**जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण चुकता पूँजी**		
	आईएनआर 1 (आईएनआर 1) प्रत्येक के 243,65,92,943 (243,65,92,943) इक्विटी शेयर	24,366	24,366

iii. **अवधि के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का समाधान**

विवरण	यथा 31 मार्च 2021		यथा 31 मार्च 2020	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में बकाया शेयर	243,65,92,943	24,366	243,65,92,943	24,366
जोड़ें – वर्ष के दौरान जारी शेयर	–	–	–	–
घटाएँ – वर्ष के दौरान पुन:खरीद किए गए शेयर	–	–	–	–
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयर	243,65,92,943	24,366	243,65,92,943	24,366

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

iv. **कंपनी में 5% से अधिक शेयर धारित करने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयर**

विवरण	यथा 31 मार्च 2021		यथा 31 मार्च 2020	
	शेयरों की सं.	शेयरधारण का %	शेयरों की सं.	शेयरधारण का %
भारत सरकार	124,59,73,978	51.14%	124,59,73,978	51.14%
सीपीएसई विनिमय व्यापार योजना (सीपीएसई ईटीएफ)	13,75,69,765	5.65%	-	-
एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लि. - ए/सी एचडीएफसी एमआईडी सीएपी ओपरच्युनिटी फंड	13,63,88,678	5.60%	-	-

v. **पिछले 5 वर्षों के दौरान बोनस शेयरों द्वारा पूर्ण चुकता के रूप में आबंटित शेयरों की कुल संख्या और वर्ग।**

बोनस शेयरों द्वारा पूर्ण चुकता के रूप में आबंटित इक्विटी शेयर –

वर्ष	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
शेयरों की संख्या	16,00,00,000	–	22,33,62,793	–	–

vi. **पिछले 5 वर्षों के दौरान पुन:खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या और वर्ग।**

पुन:खरीदे गए इक्विटी शेयर –

वर्ष	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
शेयरों की संख्या	–	1,66,37,207	2,03,97,780	–	–

vii. पिछले पांच वर्षों के दौरान मूल कंपनी ने संविदा के अनुसार नकद भुगतान प्राप्त किए बिना पूर्ण चुकता शेयर आबंटित नहीं किया है।

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
viii. विकल्प के तहत जारी करने के लिए आरक्षित शेयर तथा शेयर / विनिवेश की बिक्री की संविदाएँ/प्रतिबद्धताएँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
ix. अदत्त कॉल का कुल मूल्य (कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों सहित)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
x. जब्त शेयर	कुछ नहीं	कुछ नहीं

xi. **प्रत्येक वर्ग के शेयर से संबद्ध निबंधन, अधिकार, अधिमानता और प्रतिबंध**

क मूल कंपनी में केवल एक वर्ग के शेयर नामत: इक्विटी शेयर हैं।

ख इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक हाथ दिखाकर एक मत के हकदार होंगे और धारित शेयरों की संख्या के अनुपात में मतदान कर सकेंगे।

ग प्रत्येक शेयरधारक को कंपनी द्वारा घोषित लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है।

घ कंपनी के समापन पर, इक्विटी शेयरधारक नियमों के अनुसार सभी अधिमान राशियों के वितरण के बाद, कंपनी की शेष परिसंपत्तियाँ, यदि कोई हो, के वसूल किए जाने वाले मूल्य के हकदार होंगे।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

xii. क) अंतरिम लाभांश और अंतिम लाभांश

	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय वर्ष 2019-2020 और वित्तीय वर्ष 2018-2019 के क्रमश: अंतिम लाभांश	34,112	41,422
वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2019-20 के क्रमश: अंतरिम लाभांश	68,225	34,112
लाभांश वितरण कर	-	15,439

ख. प्रारक्षणों की प्रकृति और उद्देश्य

i. पूँजीगत प्रारक्षण

पूँजी प्रारक्षण प्रतिधारित अर्जन से अंतरण करते हुए बनाया जाता है जो कंपनी द्वारा अर्जित पूँजीगत लाभ के समतुल्य राशि होती है । इस प्रारक्षण का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है ।

ii. पूँजी मोचन प्रारक्षण

पूँजी मोचन प्रारक्षण सामान्य प्रारक्षण से अंतरण करते हुए बनाया जाता है जो पुन:खरीद किए गए शेयरों के अंकित मूल्य के समतुल्य राशि होती है। इस प्रारक्षण का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

iii. अन्य व्यापक आय (ओसीआई) द्वारा इक्विटी निवेश

कंपनी ने अन्य व्यापक आय में कुछेक इक्विटी निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को दर्शाने का विकल्प लिया है। उचित मूल्य में परिवर्तन इस प्रारक्षण में संचित होता है। जब कभी निवेश को न दर्शाने का विकल्प लिया जाता है, संचित राशि को प्रतिधारित अर्जन को अंतरित कर दिया जाता है।

iv. अन्य व्यापक आय (ओसीआई)

अन्य व्यापक आय ऐसी लब्धियाँ और हानियाँ होती हैं जिनकी वसूली अभी नहीं हुई है और जिन्हें लाभ व हानि के विवरण में शामिल नहीं किया गया है। इसमें मुख्य रूप से निवल निर्धारित अनुलाभ देयता / परिसंपत्ति (निवल कर) का पुनर्मापन शामिल किया जाता है।

टिप्पणी 17
आस्थगित आय

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
गैर चालू		
सरकारी अनुदान - आस्थगित	16,499	18,196
उप कुल(क)	16,499	18,196
चालू		
सरकारी अनुदान - आस्थगित	1,711	1,750
उप कुल(ख)	1,711	1,750
कुल(क+ख)	18,210	19,946

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

i. प्रस्तुतीकरण की विधि के लिए लेखा नीति 16 देखें		
ii. सरकारी अनुदान की उपयोगिता की प्रकृति		
क) राजस्व खर्च	–	–
ख) पूँजीगत खर्च		
– संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	18,210	19,946
iii. अन्य प्रकार की सरकारी सहायता जिससे कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिला है	–	–
iv. सरकारी अनुदान से संबद्ध पूरी न की गई शर्तों के विवरण	–	–
v. सरकारी अनुदान से संबद्ध आकस्मिकताएँ	–	–

vi. प्राप्त उक्त अनुदान सौर शक्ति संयंत्रो के लिए व्यवहार्यता कमी के वित्त-पोषण, रूफ़ टॉप सौर प्रणालियों तथा ज़ेडएनएस परियोजना के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-शिप) संशोधित सहायता को दर्शाते हैं।

vii. **सहायक कंपनी के मामले में [बेलॉप]**

क. सहायक कंपनी ने बेलोप में उच्च विशिष्टता II ट्यूब के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए मैसर्स फोटोनिस, फ्रांस के साथ एक समझौता किया है जो अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित है। टीओटी लागत को अनुदान का प्रतिशत वर्ष 2020-21 में खर्चों का 74.30% लाभ और हानि के विवरण में आय में अंतरित कर दिया गया है।

टिप्पणी 18
उधार

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
गैर चालू		
रक्षित		
बैंकों से मीयादी ऋण	–	–
	–	–

i. **बैंकों से मीयादी ऋण**

विवरण	2020-21	2019-20
तुलन-पत्र की तारीख में कुल देयता	–	833
घटाएँ – दीर्घकालीन कर्ज की चालू परिपक्वता *	–	833
घटाएँ – मीयादी ऋण पर प्रोद्भूत और देय ब्याज	–	–
गैर चालू उधार	–	–

* टिप्पणी 20 में दर्शित

ii. **सुरक्षा की प्रकृति–**

टिप्पणी 35 देखें ।

iii. **चुकौती के निबंधन –**

जून 2017 से प्रारंभ होने वाली तिमाही और मार्च 2020 को समाप्त तिमाही तक 12 तिमाही किस्तों में चुकौती योग्य।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

iv. **ब्याज दर –**

मूल कंपनी के मामले में 7.75 % प्रति वर्ष आरबीआई / एसबीआई दिशानिर्देश और समूह की जोखिम रेटिंग के आधार पर संशोधन के अधीन।

v. **तुलन–पत्र की तारीख में चूक की अवधि और राशि –**

कुछ नहीं

टिप्पणी 19
व्यापार देय

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
गैर चालू		
– अन्य	29	20
उप कुल(क)	29	20
चालू		
– सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय	15,343	6,503
– अन्य	3,14,479	2,38,510
उप कुल(ख)	3,29,822	2,45,013
कुल(क+ख)	3,29,851	2,45,033

i. 31 मार्च, 2021 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के तहत यथा अपेक्षित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय संबंधी सूचना नीचे दी गई है –

विवरण	2020–21	2019–20
क. उस पर देय मूलधन और ब्याज जो 31 मार्च को अदत्त थे –		
मूलधन *	15,551	6,773
ब्याज	6	7
ख. एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के परिप्रेक्ष्य में कंपनी द्वारा अदा किया गया ब्याज और 31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान निर्धारित दिन के बाद किए गए भुगतान की राशि –		
मूलधन	–	4
ब्याज	5	1
ग. 31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्युत्क्रमित ब्याज	–	–
घ. विलंब की अवधि के लिए देय और प्रदेय ब्याज (जिसका भुगतान तो किया गया लेकिन वर्ष के दौरान निर्धारित दिन के बाद) परंतु अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।**	–	–
ङ. 31 मार्च को समाप्त वर्ष के अंत में प्रोद्भूत एवं अदत्त ब्याज	6	7
च. ब्याज जो बाद के वर्षों में भी देय और प्रदेय तब तक बना रहा जब तक उपरोक्तानुसार ब्याज की देय राशियाँ एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती करने योग्य खर्च के रूप में अस्वीकृत करने के प्रयोजनार्थ लघु उद्यम को वास्तविक रूप से अदा नहीं कर दी गई।	4	5

* इसमें टिप्पणी 20 में दर्शित राशि शामिल है

** आईएनआर 3,499 [परम अंक दर्शाता है] शामिल है, जो पूर्णांकित किया गया है । (मूल कंपनी)

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

साथ ही चालू वर्ष के संबंध में पहले से अदा किए गए आईएनआर कुछ नहीं (आईएनआर 336) के मूलधन के लिए प्रदेय और देय ब्याज परम अंक दर्शाता है को पूर्णांकित किया गया और 31.03.2021 को आईएनआर 22,111 [परम अंक दर्शाता है] पूर्णांकित किया गया [बेलोप]।

ii. यह सूचना ऐसे पूर्तिकर्ताओं, जहाँ तक उन्हें कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में निर्धारित किया जा सका, के संबंध में दी गई है और इस बारे में लेखा परीक्षकों द्वारा उत्तर दिया गया है।

iii. **वित्तीय विलेख**

वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

iv. व्यापार देय के संबंध में मुद्रा तथा चलनिधि के जोखिम के प्रति कंपनी का एक्सपोज़र टिप्पणी 34 में प्रकट किया गया है।

टिप्पणी 20
अन्य वित्तीय देयताएँ

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
गैर चालू		
सुरक्षा जमा	671	4,751
पट्टेदारी देयताएँ	117	183
उप कुल(क)	788	**4,934**
चालू		
सुरक्षा जमा	26,607	17,648
दीर्घकालीन उधार की चालू परिपक्व राशियाँ [1]	-	833
व्यापार देय पर प्रोद्भूत एवं देय ब्याज [2]	6	7
अन्य व्यापार देय	20,948	14,060
अदत्त परिपक्व जमा राशियाँ	37	37
अदत्त लाभांश	211	148
सूक्ष्म व लघु उद्यम को देय गैर-व्यापार देय [2]	208	270
बकाया व्यय	46,709	49,580
अन्य पट्टाधारित देयताएँ	135	114
अन्य देयताएँ	1,461	1,183
उप कुल(ख)	96,322	**83,880**
कुल (क+ख)	97,110	**88,814**
तुलन-पत्र की तारीख को निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि को अंतरित की जाने वाली राशि.	कुछ नहीं	कुछ नहीं

[1] टिप्पणी (18) देखें

[2] टिप्पणी (19) देखें

i. **वित्तीय विलेख**

वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

टिप्पणी 21
प्रावधान

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
गैर चालू		
कर्मचारी अनुलाभ		
दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियाँ	36,560	32,954
बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना (बीईआरईसीएचएस)	75,567	56,604
भविष्य निधि पर ब्याज की देयता	-	603
अन्य		
दुर्वह संविदाओं का प्रावधान	573	109
कार्य-निष्पादन वारंटी का प्रावधान	26,345	24,043
स्थल पुनःस्थापन देयता का प्रावधान	2,158	2,114
उप कुल (क)	1,41,203	1,16,427
चालू		
कर्मचारी अनुलाभ		
उपदान *	(1,376)	1,902
दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियाँ	3,728	3,138
बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना (बीईआरईसीएचएस)	6,940	4,301
भविष्य निधि पर ब्याज की देयता	-	1,231
कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण का प्रावधान	-	493
वार्षिक प्रोत्साहन राशि	123	98
अन्य		
दुर्वह संविदाओं का प्रावधान	1,248	1,555
कार्य-निष्पादन वारंटी का प्रावधान	24,365	20,733
उप कुल (ख)	35,028	33,451
कुल (क+ख)	1,76,231	1,49,878

* मूल कंपनी के संबंध में (रु.1501)(कुछ नहीं) बाध्यता पर योजित परिसंपत्ति का अधिशेष दर्शाता है।

i. **2020-21 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधानों का संचलन**

विवरण	कार्य-निष्पादन वारंटी	दुर्वह संविदा	स्थल पुनःस्थापन देयता
1 अप्रैल को	**44,776**	**1,664**	**2,114**
वर्ष के दौरान अभिचिह्नित अतिरिक्त प्रावधान	27,161	1,294	44
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि (नीचे की टिप्पणी vi देखें)	9	-	-
वर्ष के दौरान व्युत्क्रमित अप्रयुक्त राशि	21,218	1,137	-
31 मार्च को	50,710	1,821	2,158

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

2019-20 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधानों का संचलन

विवरण	कार्य-निष्पादन वारंटी	दुर्वह संविदा	स्थल पुन:स्थापन देयता
1 अप्रैल को	50,643	5,779	1,285
वर्ष के दौरान निर्धारित अतिरिक्त प्रावधान	23,612	4,176	829
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि (नीचे की टिप्पणी vi देखें)	41	-	-
वर्ष के दौरान व्युत्क्रमित अप्रयुक्त राशि	29,438	8,291	-
31 मार्च को	**44,776**	**1,664**	**2,114**

ii. **वारंटियों का प्रावधान – ग्रूप की लेखा नीति 19 के अनुसार**

ऐसे उत्पादों के संबंध में वारंटियों का प्रावधान किया जाता है जिनकी सामान्य वारंटी अवधि बकाया होती है। चूँकि वारंटी प्रावधान की अवधि उत्पाद-दर-उत्पाद अलग भिन्न होती है, वारंटी अवधि की औसत अवधि के आधार पर रणनीतिक कारोबारी यूनिट (एसबीयू) स्तर पर प्रावधान किया जाता है। संभावित व्ययों की प्रवृत्ति आधारित प्राक्कलन के आधार पर प्रावधान किया जाता है। इस प्रावधान का मापन वारंटी की प्राक्कलित लागत के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है।

iii. **स्थल पुन:स्थापन का प्रावधान – ग्रूप की लेखा नीति 22 के अनुसार**

पट्टादाता के साथ किए गए पट्टा करार के निबंधनों व शर्तों के अनुसार, मूल कंपनी को भूमि उसकी मूल स्थिति में वापस करना है। तदनुसार, स्थल पुन:स्थापन देयता का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान की समीक्षा की जाती है और प्रत्येक वर्षांत में आवश्यक समायोजन किए जाते हैं।

इस प्रावधान का मापन पुन:स्थापन की लागत के सर्वोत्तम प्राक्कलन के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है।

iv. **दुर्वह संविदाओं का प्रावधान – ग्रूप की लेखा नीति 22 के अनुसार**

मूल कंपनी द्वारा की गई कुछेक संविदाओं के संबंध में, यह अपेक्षा की जाती है कि संविदा को पूरी करने की संभावित लागत संविदा के समक्ष प्राप्त / प्राप्य राजस्व से अधिक होगी। ऐसे मामलों में, संभावित हानियों का प्रावधान किया गया। इस प्रावधान की समीक्षा की जाती है और प्रत्येक वर्षांत में आवश्यक समायोजन किए जाते हैं। इस प्रावधान का मापन संभावित हानि की प्राक्कलित लागत के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है।

v. बिक्री के संबंध में कार्य-निष्पादन वारंटी की देयता जहाँ पूर्तिकर्ता की दोतरफा वारंटी उपलब्ध है, पूर्तिकर्ता द्वारा चूक किए जाने की स्थिति में संभावित देयता, यदि कोई हो, निर्धारित नहीं की जाती और इसका उल्लेखनीय होना अपेक्षित नहीं है।

vi. प्रारंभिक प्रावधान को नामे की गई राशि

vii. वारंटी की लागत के संबंध में नैसर्गिक कोड शीर्ष के समक्ष रु.7,873 (रु.14,156) की राशि नामें की गई ।

स्थल पुन:स्थापन की देयता के संबंध में नैसर्गिक कोड शीर्षक के समक्ष कुछ नहीं राशि (कुछ नहीं) नामे की गई ।

viii. वेंटिलेटर परियोजना से संबंधित कार्य-निष्पादन वारंटी मूल कंपनी के सर्वोत्तम प्राक्कलनों के आधार पर किए गए थे क्योंकि सामान्य क्रम में प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की गई थी।

(क). नियोजन पश्चात् कर्मचारी अनुलाभ देयता

(i). उपदान – (मूल कंपनी के संबंध में)

कंपनी भारत में उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अनुसार कर्मचारियों को उपदान प्रदान करती है। कंपनी में अपने कर्मचारियों के लिए एक उपदान योजना है जो वित्त-पोषित योजना है। प्रत्येक वर्ष कंपनी निधि देयताओं पर परिसंपत्तियों की कमी की सीमा तक इस उपदान ट्रस्ट में निधि

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

विप्रेषित करती है जो बीमांकक मूल्यांकन द्वारा तय की जाती है। इस उपदान योजना के अनुसार, कंपनी में कम से कम पाँच वर्षों की सतत् सेवा प्रदान करने के बाद सेवा समाप्ति पर कर्मचारी को देय होता है। सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या छः महीनों की अवधि से अधिक भाग के लिए, कंपनी अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर पंद्रह दिन के वेतन की दर से कर्मचारी को उपदान का भुगतान करती है।

निम्नलिखित टेबल में लाभ व हानि की विवरणी में निर्धारित निवल अनुलाभ व्यय के घटक और तुलन-पत्र में निर्धारित राशियों का सार और बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार वर्षों के दौरान निवल निर्धारित अनुलाभ देयता का संचलन दिया गया है –

	विवरण	2020–21	2019–20
i)	देयताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन –		
	वर्ष के प्रारंभ में देयताओं का वर्तमान मूल्य	71,304	63,187
	चालू सेवा लागत	1,783	1,713
	ब्याज की लागत	4,559	4,654
	विगत सेवा लागत	–	-
	अदा किए गए अनुलाभ	(5,490)	(4,870)
	अन्य व्यापक आय में निर्धारित बीमांकिक (लब्धि) / हानि		
	योजित देयता में वित्तीय मान्यताओं का परिवर्तन – हानि / (लब्धि)	(1,938)	5,957
	योजित देयता में अनुभव समायोजन – हानि / (लब्धि)	(16)	663
	अवधि के अंत में देयताओं का वर्तमान मूल्य	**70,202**	**71,304**
ii)	योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन –		
	वर्ष के प्रारंभ में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	69,702	64,322
	योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति	4532	4970
	अंशदान	2,400	6,000
	अदा किए गए अनुलाभ	(5,490)	(4,870)
	अन्य व्यापक आय में निर्धारित योजित परिसंपत्तियों पर बीमांकक लब्धि / (हानि)	559	(720)
	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**71,703**	**69,702**
	निर्धारित अनुलाभ (परिसंपत्ति) / देयता	**(1,501)**	**1,602**
	परिसंपत्ति की ऊपरी सीमा के प्रभाव – वर्ष के प्रारंभ में	**–**	**–**
	परिसंपत्ति की ऊपरी सीमा के प्रभाव – वर्ष के अंत में	**–**	**–**
	निवल निर्धारित अनुलाभ (परिसंपत्ति) / देयता	**(1,501)**	**1,602**
iii)	लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित व्यय –		
	चालू सेवा लागत	1,783	1,713
	निवल निर्धारित अनुलाभ देयता पर निवल ब्याज	27	(317)
	विगत सेवा लागत	–	-
	लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित व्यय	1,810	1,396
iv)	अन्य व्यापक आय के विवरण में निर्धारित राशियाँ (पुन:मापन) –		
	योजित देयताओं पर बीमांकिक (लब्धि) / हानि	(1,954)	6,621
	योजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्राप्ति और ब्याज की आय के बीच का अंतर – (लब्धि) / हानि	(559)	721

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

	विवरण	2020–21	2019–20
	तुलन–पत्र की परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	–	(81)
	अन्य व्यापक आय के विवरण में निर्धारित राशियाँ	(2,513)	7,261
v)	तुलन–पत्र में निर्धारित राशियाँ –		
	अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	70,202	71,304
	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	71,703	69,702
	वित्त पोषण की स्थिति [(अधिशेष) / कमी]	**(1,501)**	**1,602**
	परिसंपत्ति की सीमा के प्रभाव – वर्ष के प्रारंभ में	**–**	**–**
	परिसंपत्ति की सीमा के प्रभाव – वर्ष के अंत में	**–**	**–**
	तुलन–पत्र के अनुसार 31 मार्च को वर्ष की देयता / (परिसंपत्ति)	**(1,501)**	**1,602**
vi)	योजित परिसंपत्तियाँ		
	योजित परिसंपत्तियों के वर्ग इस प्रकार हैं –		
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	0.11%	0.12%
	भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	1.18%	1.22%
	उच्च गुणता के कार्पोरेट बांड	–	–
	बीमाकर्ता के पास निवेश	98.70%	98.65%
	अन्य (बैंक शेष)	0.01%	0.01%
vii)	बीमांकक मान्यताएँ –		
	बट्टे की दर	6.96%	6.65%
	प्रतिपूरक स्तर में वृद्धि की दर	7.00%	7.00%
	योजित परिसंपत्तियों पर प्राप्ति की अपेक्षित दर	6.96%	6.65%
	अनुमानित औसत भावी कार्यशील जीवन	15.30	15.90
viii)	अदा किए जाने वाले अंशदान का सर्वोत्तम प्राक्कलन –		
	तुलन–पत्र के बाद शुरु होने वाली वार्षिक अवधि के दौरान उपदान के लिए अदा किए जाने वाले अंशदान का सर्वोत्तम प्राक्कलन रु. कुछ नहीं (रु.1,602) है।		
ix)	संवेदनशीलता विश्लेषण –		
	बट्टे की दर (0.50% संचलन) में वृद्धि	7.46%	7.15%
	अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता में वृद्धि / (कमी)	(2,931)	(3,069)
	बट्टे की दर (0.50% संचलन) में कमी	6.46%	6.15%
	अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता में वृद्धि / (कमी)	3,176	3,329
	वेतन वृद्धि दर (0.50% संचलन) में वृद्धि	7.50%	7.50%
	अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता में वृद्धि / (कमी)	904	1,049
	वेतन वृद्धि दर (0.50% संचलन) में कमी	6.50%	6.50%
	अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता में वृद्धि / (कमी)	(960)	(1,133)

अतिरिक्त प्रकटण –

i. संवेदनशीलता विश्लेषण में अन्य मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए एक समय में एक प्रमुख बीमांकिक मान्यता का परिवर्तन शामिल है। संवेदनशील विश्लेषण 50 मूल अंकों तक जोड़ते या घटाते हुए परिवर्तित मान्यताओं के संपूर्ण मूल्यांकन मॉडल को दोबारा चलाते हुए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए किया गया है।

ii. पिछले वर्ष की तुलना में संवेदनशीलता विश्लेषण करने में प्रयुक्त विधियों और मान्यताओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

iii. उपदान निर्धारित अनुलाभ देयता का परिपक्वता प्रोफाइल नीचे दिए गया है –

वर्ष	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
वर्ष 1	3,774	3,091
वर्ष 2	9,324	9,288
वर्ष 3	7,180	6,450
वर्ष 4	8,270	7,031
वर्ष 5	7,967	8,038
अगले 5 वर्ष	30,750	33,363

(i). **उपदान (सहायक कंपनी – बेलॉप के संबंध में)–**

भारतीय लेखा मानक 19 कर्मचारी लाभ द्वारा आवश्यक कर्मचारी लाभों का विवरण निम्नानुसार हैं–

निर्धारित लाभ योजना

i) लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त निर्धारित लाभ योजनाओं के संबंध में बीमांकिक लाभ और हानि रु. 61 (पिछले वर्ष रु. 36) है।

ii) अन्य लाभकारी आय विवरण में मान्यता प्राप्त लाभ योजनाओं के संबंध में बीमांकिक लाभ और हानि रु. 64 (पिछले वर्ष रु. 264) ।

iii) उपदान एक कर्मचारी की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों अंतिम आहरित वेतन के आधार पर कर्मचारी को दिए जाने वाला लाभ है।

iv) उपदान योजना वित्त पोषित है।

	विवरण	2020-21	2019-20
क	परिभाषित दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन, उसके शुरुवाती और अंतिम समय के शेष का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार हैं–		
1	अवधि की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	844	515
2	ब्याज लागत	57	40
3	चालू सेवा लागत	40	24
4	पूर्व सेवा लागत	-	-
5	परिसंपत्तियों का हस्तांतरित इन / अभिग्रहण	-	-
6	(परिसंपत्तियां हस्तांतरित आउट / विनिवेश)	-	-
7	काट छांट पर हानि/(लाभ)	-	-
8	परिशोधन पर शामक देयताएँ	-	-
9	(नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया गया लाभ)	-	-
10	(निधि से भुगतान किया गया लाभ)	(12)	(4)
11	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
12	बीमांकिक (लाभ) / दायित्वों पर नुकसान - जनसांख्यिकी मान्यताओं में बदलाव के कारण	-	-
13	बीमांकिक (लाभ) / दायित्वों पर नुकसान - वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण	(2)	210

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

	विवरण	2020–21	2019–20
14	बीमांकिक दायित्वों पर (लाभ) / नुकसान – अनुभव के कारण	77	59
15	यथा तुलन पत्र की दिनांक के अनुसार निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,004	844
ख	**परिभाषित दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन, उसके शुरुवाती और अंतिम समय के शेष का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार हैं–**		
1	अवधि की शुरुआत में योजना की संपत्ति का उचित मूल्य	544	369
2	ब्याज आय	36	29
3	नियोक्ताओं द्वारा वास्तविक योगदान	300	145
4	कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित योगदान	-	-
5	परिसंपत्तियों का हस्तांतरित इन / अधिग्रहण	-	-
6	(परिसंपत्तियां हस्तांतरित आउट / विनिवेश)	-	-
7	(फंड से भुगतान की गई लाभ)	(12)	(4)
8	(परिशोधन पर वितरित परिसंपत्तियां)	-	-
9	परिसंपत्ति की उच्चतम सीनी पर प्रभाव	-	-
10	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
11	योजनाबद्ध परिसंपत्तियों पर रिटर्न, ब्याज आय को छोड़कर	11	5
12	अवधि के अंत में योजना की संपत्ति का उचित मूल्य	879	544
ग	**तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि–**		
1	अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य	(1,004)	(844)
2	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	879	544
3	वित्त पोषित स्थिति अधिशेष / (घाटा)	(125)	(300)
4	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल परिसंपत्ति / (देयता)	(125)	(300)
घ	**तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि दिखाने वाली योजना परिसंपत्तियों के परिभाषित लाभ दायित्व और उचित मूल्य के वर्तमान मूल्य का सामंजस्य–**		
1	अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(1,004)	(844)
2	अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	879	544
3	वित्त पोषित स्थिति अधिशेष / (कमी)	(125)	(300)
4	गैर–मान्यता प्राप्त विगत सेवा लागत	-	-
5	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध संपत्ति / (देयता)	(125)	(300)
ङ	**वर्तमान अवधि के लिए लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय**		
1	वर्तमान सेवा की लागत	41	25
2	ब्याज लागत	20	11
3	पिछली सेवा लागत	-	-
4	कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान	-	-
5	काट छांट व परिशोधन पर हानि / (लाभ)	-	-
6	विदेशी मुद्रा दरों में बदलाव का शुद्ध प्रभाव	-	-

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

	विवरण	2020–21	2019–20
7	उपदान फंड में योगदान के तहत लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	61	36
च	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त व्यय**		
1	अवधि के लिए दायित्व में बीमांकिक (लाभ) / हानि	75	269
2	योजनाबद्ध परिसंपत्तियों पर प्राप्ति, ब्याज आय को छोड़कर	(11)	(5)
3	परिसंपत्ति की उच्चतम सीमा में बदलाव	-	-
4	ओसीआई में मान्यता प्राप्त अवधि के लिए शुद्ध (आय) / व्यय	64	264
छ	**उपदान और सेवानिवृत्ति के संबंध में वित्त–पोषित अनुलाभों के संबंध में, योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि के माध्यम से निवेश की गई राशियों को दर्शाता है।**		
ज	**प्रधान बीमांकिक अनुमान–**		
1	छूट की दर (%)	6.86%	6.83%
2	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ (%)	6.86%	6.83%
3	वेतन वृद्धि (%)	10.50%	10.50%
4	कर्मचारी आवर्त की दर	2.00%	2.00%
क)	छूट की दर दायित्वों की अनुमानित शर्तों के लिए तुलन पत्र की तारीख के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार लब्धियों पर आधारित है।		
ख)	योजित परिसंपत्तियों की प्राप्ति की अपेक्षित दर– यह दायित्वों की अनुमानित अवधि के दौरान निधि के निवेश पर अपेक्षित लंबी अवधि की औसत प्राप्ति की अपेक्षा पर आधारित है।		
ग)	वेतन वृद्धि दर– भविष्य के वेतन वृद्धि के अनुमानों पर मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है।		
झ	**संवेदनशीलता विश्लेषण**		
	वर्तमान अनुमानों पर अनुमानित लाभ दायित्व	1,004	844
1	डेल्टा प्रभाव + 1% छूट की दर में परिवर्तन	(78)	(70)
2	डेल्टा प्रभाव -1% छूट की दर में परिवर्तन	88	80
3	डेल्टा प्रभाव +1% वेतन वृद्धि की दर में बदलाव	84	76
4	डेल्टा प्रभाव -1% वेतन वृद्धि की दर में बदलाव	(76)	(69)
5	डेल्टा प्रभाव +1% कर्मचारी विक्रयावर्त की दर में परिवर्तन	(16)	(15)
6	डेल्टा प्रभाव -1% कर्मचारी विक्रयावर्त की दर में परिवर्तन	17	17
(ञ)	**उपदान फंड का निवेश बीमा कंपनी के पास है।**		

(ii). बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना (बीईआरईसीएचएस) – (मूल कंपनी के संबंध में)

कंपनी में अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक अंशदायी स्वास्थ्य योजना "बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना" (बीईआरईसीएचएस) है जो गैर–वित्त पोषित योजना है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों या वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करना है। इस योजना के तहत अनुलाभ ऐसे कर्मचारियों को उपलब्ध होते हैं जो स्वयं और जिनकी पत्नी/पति मात्र इसके सदस्य बनते हैं। कंपनी ने सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए दिनांक 01.04.2021 से प्रभावी होते हुए अंत:रोगी और बाह्यरोगी उपचार के लिए बीमा रक्षा लेती है।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

निम्नलिखित टेबल में लाभ व हानि की विवरणी में निर्धारित निवल अनुलाभ व्यय के घटक और तुलन-पत्र में निर्धारित राशियों का सार और बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार वर्षों के दौरान निवल निर्धारित अनुलाभ देयता का संचलन दिया गया है –

	विवरण	2020–21	2019–20
i)	देयताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन –		
	वर्ष के प्रारंभ में देयताओं का वर्तमान मूल्य (पीवीओ)	60,905	55,625
	चालू सेवा लागत	3,185	2,909
	ब्याज की लागत	4,050	4,278
	अदा किए गए अनुलाभ	(18)	447
	अन्य व्यापक आय में निर्धारित बीमांकिक (लब्धि) / हानि	–	–
	गैर-योजित देयता पर वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन – हानि / (लब्धि)	(1,104)	7,333
	गैर-योजित देयता पर अनुभव समायोजन – हानि / (लब्धि)	14,482	(9,687)
	योजित देयता पर जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन का प्रभाव – हानि / (लब्धि)	1,007	-
	अवधि के अंत में देयताओं का वर्तमान मूल्य	–	–
ii)	गैर-योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन (प्रतिपूर्ति के अधिकार) –		
	वर्ष के प्रारंभ में गैर-योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	59,839	55,908
	गैर-योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति	4,262	4,283
	अंशदान	4,280	3,836
	अदा किए गए अनुलाभ	(4,280)	(3,836)
	अन्य व्यापक आय में निर्धारित गैर-योजित परिसंपत्तियों पर बीमांकक लब्धि / (हानि)	(371)	(352)
	गैर-योजित परिसंपत्तियों में अंशदान	8,500	-
	अवधि के अंत में गैर-योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	72,230	**59,839**
iii)	लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित व्यय –		
	प्रारंभिक निवल देयता	-	-
	चालू सेवा लागत	3,185	2,909
	निर्धारित अनुलाभ देयता पर ब्याज	4,050	4,278
	लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित निवल व्यय	7,235	**7,187**
	[व्यय– रु. 389 (शून्य), प्रावधान – रु. 6,846 (रु. 7,187)]		
iv)	अन्य व्यापक आय के विवरण में निर्धारित राशियाँ (पुन:मापन) –		
	गैर-योजित देयताओं पर बीमांकिक (लब्धि) / हानि	14,385	(2,353)
	गैर-योजित परिसंपत्तियों पर बीमांकिक (लब्धि) / हानि	371	352
	अन्य व्यापक आय के विवरण में निर्धारित राशियाँ	14,756	**(2,001)**
v)	तुलन-पत्र में निर्धारित राशियाँ –		
	अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	82,507	60,905
	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
	वित्त-पोषण की स्थिति	(82,507)	(60,905)

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

	विवरण	2020-21	2019-20
	तुलन-पत्र में निर्धारित देयता (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार)	82,507	60,905
	अगले बारह महीनों में प्रदेय के लिए अपेक्षित	6,940	4,301
	अगले बारह महीनों के बाद प्रदेय के लिए अपेक्षित	75,567	56,604
vi)	**बीमांकक मान्यताएँ –**		
	बट्टे की दर	6.96%	6.65%
	चिकित्सा स्फीति दर	6.25%	6.00%
	पलायन दर	1.00%	1.00%
vii)	**सेवा लागत और ब्याज की लागत तथा निर्धारित अनुलाभ देयता के योग पर मानी गई स्वास्थ्य सेवा लागत की प्रवृत्ति दरों में एक प्रतिशत बिंदु वृद्धि का प्रभाव –**		
	सेवा लागत और ब्याज की लागत के योग पर प्रभाव	1,442	1,098
	निर्धारित अनुलाभ देयता पर प्रभाव	11,798	9,313
	सेवा लागत और ब्याज की लागत तथा निर्धारित अनुलाभ देयता के योग पर मानी गई स्वास्थ्य सेवा लागत की प्रवृत्ति दरों में एक प्रतिशत बिंदु कमी –		
	सेवा लागत और ब्याज की लागत के योग पर प्रभाव	(1,174)	(884)
	निर्धारित अनुलाभ देयता पर प्रभाव	(9,600)	(7,423)
viii)	**संवेदनशीलता विश्लेषण –**		
	बट्टे की दर में (0.50% संचलन) वृद्धि	7.46%	7.15%
	अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता में वृद्धि / (कमी)	(4,948)	(3,836)
	बट्टे की दर में (0.50% संचलन) कमी	6.46%	6.15%
	अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता में वृद्धि / (कमी)	5,524	4,304
	चिकित्सा स्फीति दर में (0.50% संचलन) वृद्धि	6.75%	6.50%
	अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता में वृद्धि / (कमी)	5,586	4,350
	चिकित्सा स्फीति दर में (0.50% संचलन) कमी	5.75%	5.50%
	अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता में वृद्धि / (कमी)	(5,039)	(4,579)

अतिरिक्त प्रकटण –

i. संवेदनशीलता विश्लेषण में अन्य मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए एक समय में एक प्रमुख बीमांकक मान्यता का परिवर्तन शामिल है। संवेदनशील विश्लेषण 50 मूल अंकों तक जोड़ते या घटाते हुए परिवर्तित मान्यताओं के संपूर्ण मूल्यांकन मॉडल को दोबारा चलाते हुए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए किया गया है।

ii. पिछले वर्ष की तुलना में संवेदनशीलता विश्लेषण करने में प्रयुक्त विधियों और मान्यताओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

iii. बीईआरईसीएचएस का परिपक्वता प्रोफाइल नीचे दिए गया है –

वर्ष	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
वर्ष 1	4,507	2,985
वर्ष 2	4,818	3,149
वर्ष 3	5,147	3,320
वर्ष 4	5,514	3,501
वर्ष 5	5,903	3,678
अगले 5 वर्ष	34,182	20,906

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

(iii) **कर्मचारी भविष्य निधि [ब्याज में कमी]– (मूल कंपनी के संबंध में)**

कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंध कंपनी के भविष्य निधि ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। कंपनी इस ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि के प्रति देय प्रबंधन का अंशदान देती है।

कंपनी ने 31 मार्च 2021 को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित किया है कि मूल्यांकन की तारीख पर ब्याज की कमी से कोई देयता नहीं है (जो योजना के निबंधनों से संबंधित है कि ट्रस्ट को भविष्य निधि के शेषों पर अतिरिक्त ब्याज होने पर या इसके माध्यम से अधिशेष के किसी भाग का वितरण करने की कोई अनिवार्यता नहीं होती है)।

विवरण	2020-21	2019-20
i) अनुलाभ देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन –		
वर्ष के प्रारंभ में देयता का वर्तमान मूल्य	3,00,068	2,66,296
चालू सेवा लागत	18,912	11,500
ब्याज की लागत	20,115	20,793
विगत सेवा लागत (अनिहित अनुलाभ)	-	-
विगत सेवा लागत (निहित अनुलाभ)	-	-
बीमांकिक (लब्धि) / हानि	9,171	1,335
अदा किए गए अनुलाभ	(58,897)	(29,210)
अंशदान	44,981	29,354
अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	**3,34,350**	**3,00,068**
ii) योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन –		
वर्ष के प्रारंभ में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2,99,644	2,69,156
योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति	20,087	21,012
अंशदान*	63,722	40,746
अदा किए गए अनुलाभ	(58,897)	(29,210)
योजित परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लब्धि / (हानि)	16,053	(2,060)
अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**3,40,609**	**2,99,644**
iii) लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित व्यय –		
प्रारंभिक निवल देयता	-	-
चालू सेवा लागत	18,912	11,500
ब्याज की लागत	20,115	20,793
योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति	(20,087)	(21,012)
अवधि में निर्धारित निवल बीमांकिक (लब्धि) / हानि	-	-
विगत सेवा लागत (अनिहित अनुलाभ)	-	-
विगत सेवा लागत (निहित अनुलाभ)	-	-
लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित व्यय	**18,940**	**11,281**
iv) तुलन-पत्र में निर्धारित राशियाँ –		
अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	3,34,350	3,00,068
अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3,40,609	2,99,644
तुलन-पत्र की परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	6,259	179
अंतर	**-**	**603**
अनिर्धारित बीमांकिक (लब्धि) / हानि	-	-
तुलन-पत्र में निर्धारित देयता	**-**	**603**

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

विवरण	2020–21	2019–20
v) चालू अवधि की राशि –		
देयता का वर्तमान मूल्य	3,34,350	3,00,068
योजित परिसंपत्तियाँ	3,40,609	2,99,644
तुलन-पत्र की परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	6,259	179
अधिशेष / (कमी)	–	(603)
योजित परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन – (हानि) / लब्धि	(9,266)	(1,259)
योजित परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन – (हानि) / लब्धि	16,053	(2,060)
vi) अन्य व्यापक आय के विवरण में निर्धारित राशियाँ (पुन: मापन) –		
योजित देयताओं पर बीमांकिक (लब्धि)/ हानि	9,171	1,335
योजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्राप्ति और ब्याज की आय के बीच का अंतर – (लब्धि) / हानि	16,053	2,060
तुलन-पत्र की परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	6,279	(2,792)
अन्य व्यापक आय के विवरण में निर्धारित राशियाँ	(603)	603
vii) यथा 31 मार्च को परिसंपत्तियों का वर्ग –		
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ और राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	53.72%/58.96%	44.68%/61.00%
उच्च गुणता के कार्पोरेट बांड	33.93%/24.34%	36.72%/21.10%
म्युच्युअल फंड	2.14%/1.47%	4.36%/1.50%
अन्य	9.87%/11.39%	13.27%/12.00%
अरक्षित, उद्यम से वसूल किए गए अनुसार**	0.34%/3.84%	0.38%/4.30%
2019-20 के दौरान ट्रस्ट द्वारा उपगत निवल हानि समाप्त करने के लिए कार्पोरेट से वसूली योग्य राशि	–	0.59%/0.10%
कुल	100%/100%	**100%/100%**
vii) बीमांकिक मान्यताएँ –		
बट्टे की दर	6.96%	6.65%
वेतन वृद्धि दर	7.00%	7.00%
योजित परिसंपत्तियों पर प्राप्ति की अपेक्षित दर	8.27%/8.52%	8.80%/8.90%

* नोट – भविष्य निधि ट्रस्ट की ब्याज की कमी की ओर रु. कुछ नहीं (रु. 1,231) शामिल है जिसका प्रावधान किया गया।

** नोट – निवेश का अरक्षित (मूलधन) हिस्सा जो रु. 5,740 (रु. 5,740) बनता है, को ट्रस्ट ने गैर-निष्पादनीय निवेश माना है और इस राशि को चूक की स्थिति में उद्यम से वसूल की जाने वाली राशि के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तदनुसार इसका प्रावधान किया गया है।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

ख. दीर्घकालीन क्षतिपूरक अनुपस्थिति – (मूल कंपनी के संबंध में)

कंपनी में अपने कर्मचारियों के लिए दीर्घकालीन क्षतिपूरक अनुपस्थिति योजना है जो गैर वित्त–पोषित योजना है। कंपनी के कर्मचारी दो प्रकार की दीर्घकालीन क्षतिपूरक अनुपस्थितियाँ लेने के हकदार होते हैं – कार्यपालकों के लिए वार्षिक छुट्टी (ए.एल.) और आधे वेतन की छुट्टी (एच.एल.) और गैर–कार्यपालकों के लिए वार्षिक छुट्टी (ए.एल.) और बीमारी छुट्टी (एस.एल.)। इस योजना में अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने पर वीआरएस या मृत्यु के मामले में प्राप्त न की गई छुट्टी (कार्यपालकों के लिए ए.एल. और एच.एल. और गैर–कार्यपालकों के लिए ए.एल. और एस.एल.) के समक्ष कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान होता है। सेवा के दौरान और इस्तीफा के समय भी ए.एल. का नकदीकरण किया जा सकता है।

निम्नलिखित टेबल में लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित निवल अनुलाभ व्यय के घटक और बीमांकक द्वारा दी गई प्रकटण रिपोर्ट में दिए गए अनुसार, योजना के लिए तुलन–पत्र में निर्धारित राशि के विवरण दिए गए हैं –

	विवरण	2020–21	2019–20
i)	लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित व्यय –		
	लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित निवल व्यय	5,552	9,625
	2020–21 नकदीकृत छुट्टी – रु. 1,437, प्रावधान – रु. 4,115		
	2019–20 नकदीकृत छुट्टी – रु. 1,073, प्रावधान – रु. 8,552		
ii)	तुलन–पत्र में निर्धारित की जाने वाली राशियाँ –		
	तुलन–पत्र में निर्धारित देयता बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार)	39,814	35,699
iii)	बीमांकिक मान्यताएँ –		
	बट्टे की दर	6.96%	6.65%
	क्षतिपूरण स्तर में वृद्धि की दर	7.00%	7.00%
iv)	विगत अनुभव के आधार पर, कंपनी यह अपेक्षा नहीं करती है कि अगले 12 महीनों में सभी कर्मचारी प्रोद्भूत छुट्टी की पूर्ण राशि लेंगे या इसका भुगतान करने की आवश्यकता होगी। निम्नलिखित राशियाँ ऐसी छुट्टी को दर्शाते हैं जिसे अगले 12 महीनों के भीतर / 12 महीनों के बाद लिया जाएगा या भुगतान किया जाएगा।		
	चालू छुट्टी की देयता अगले 12 महीनों में निपटाना अपेक्षित है	3,713	3,115
	12 महीनों के बाद निपटाने के लिए अपेक्षि छुट्टी की देयता	36,101	32,584
	कुल	39,814	35,699

लंबी अवधि के मुआवजे की अनुपस्थिति (सहायक कंपनी – बेलॉप के संबंध में)

नकदीकरण अवकाश

कंपनी में छुट्टी नकदीकरण की योजना है जो गैर वित्त–पोषित योजना है।

योजना के अनुसार, कंपनी के सभी कर्मचारी अपने संचित वार्षिक अवकाश के अधीन प्रत्येक ग्रेड के लिए निर्धारित न्यूनतम अवकाश के प्रतिधारण को प्राप्त करने के हकदार हैं। नकदीकृत अवकाश प्रति दिन (बेसिक + डीए) / 30 की दर से देय है।

लंबी अवधि के मुआवजे के अभाव के लिए देयता जैसे कि बीमांकिक आधार पर वार्षिक छुट्टी का मूल्य 31.03.2021 के अनुसार रु. 474 है। पीयूसी पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
सेवानिवृत्ति आयु	58 years	58 years
आर्कषक मुल्य	2%	2%
भावी वेतन वृद्धि	10.50%	10.50%
छूट की दर	6.86%	6.83%
मृत्यु दर तालिका	भारतीय आश्वासित मृत्यु दर (2006-08)	भारतीय आश्वासित मृत्यु दर (2006-08)

लंबी अवधि के मुआवजे के अभावों पर देयता की राशि को बीमांकक की रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान और गैर-वर्तमान के बीच द्विभाजित किया गया है।

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
चालू देयताएँ	15	23
गैर चालू देयताएँ	459	370
कुल	474	393

ग. पेंशन योजना- [मूल कंपनी के संबंध में]

कंपनी में अपने कर्मचारियों के लिए एक निर्धारित अंशदान पेंशन अनुलाभ योजना है जिसमें इस प्रयोजनार्थ स्थापित ट्रस्ट में वार्षिक आधार पर अंशदान दिया जाता है।

इस योजना के तहत अनुलाभ इस संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

i) निर्धारित अनुलाभ योजना (यानी उपदान और बीईआरईसीएचएस) के कारण पैदा होने वाले विशिष्ट या असाधारण जोखिमों का व्याख्यात्मक वर्णन

निर्धारित अनुलाभ योजनाओं से संबंधित विशिष्ट जोखिम इस प्रकार हैं -

दो रिपोर्टिंग अवधियों के बीच दीर्घकालीन सरकारी बांड दर में संचलन बट्टे की दर को प्रभावित करेगा और इसके परिणामस्वरूप देयताओं का वर्तमान मूल्य प्रभावित होगा।

वित्तीय वर्ष में वास्तविक अनुभव के समक्ष मूल्यांकन के लिए विचार किए गए उच्चतर / निम्नतर वेतन वृद्धि / अनुलाभ का जोखिम।

बहरहाल, दोनों प्रकार की जोखिमों को नियमित आधार यानी वार्षिक रूप से कम किया जाता है क्योंकि अद्यतन मान्यताओं के आधार पर ये मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष के बाद किए जाते हैं।

ii) किसी परिसंपत्ति - देयता की मेल करने वाली रणनीति का व्याख्यात्मक वर्णन

कंपनी की उपदान योजना वित्त-पोषित योजना है। इस योजना की समर्थक परिसंपत्तियाँ मुख्यत: बीमाकर्ता द्वारा व्यवस्थित निधियाँ होती हैं। इसलिए, इस योजना के लिए परिसंपत्ति-देयता का मेल करने वाली रणनीतियों को कार्यान्वित करने के परिप्रेक्ष्य में, कंपनी की सीमित लोचता होती है।

कंपनी की सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना गैर-वित्त पोषित योजना है। इसलिए, परिसंपत्ति-देयता का मेल करने वाली रणनीतियाँ इस योजना के लिए संगत नहीं हैं।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

iii) वित्त–पोषण की व्यवस्थाओं और वित्त–पोषण की नीति का वर्णन

कंपनी की उपदान योजना वित्त–पोषित योजना है। इस योजना की योजित परिसंपत्तियों का 98.70% (95.65%) बीमाकर्ता द्वारा व्यवस्थित परिसंपत्तियाँ होती हैं और योजित परिसंपत्तियों का 1.29% (1.34%) निवेश केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में किया जाता है। इस निधि का वार्षिक अंशदान आम तौर पर अनुलाभ देयताओं के पूर्ववर्ती बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रकट किए गए अनुसार, कमी के समतुल्य तय किया जाता है।

सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना [बीईआरईसीएचएस] गैर–वित्त पोषित योजना है।

टिप्पणी 22
अन्य देयताएं

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
गैर चालू		
आस्थगित राजस्व – ग्राहक अनुदान	–	112
उप कुल (क)	–	**112**
चालू		
आस्थगित राजस्व – ग्राहक अनुदान	112	363
संविदा देयता		
– ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	11,82,315	8,83,299
– आस्थगित राजस्व	3,522	3,615
सांविधिक देयताएं	32,177	31,413
अन्य	2,172	3,788
उप कुल (ख)	12,20,298	**9,22,478**
कुल (क+ख)	12,20,298	**9,22,590**

i. **संविदा देयता**

अवधि के दौरान निर्धारित राजस्व रु. 1,30,065 (रु. 1,65,516) है जिसे अवधि के प्रारंभ में संविदा देयता के शेष में शामिल किया गया था।

टिप्पणी 23
प्रचालनों से राजस्व

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
उत्पादों की बिक्री	12,43,893		11,29,980	
सेवाओं से आय	1,41,078		1,33,678	
		13,84,971		**12,63,658**
अन्य प्रचालनीय राजस्व				
रद्दी की बिक्री		402		548
परिवहन की रसीदें		276		390
किराए की रसीदें		675		709
कैन्टीन प्राप्ति		887		1,233
संग्रहित बिजली प्रभार		208		203

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
संग्रहित जल प्रभार		50		54
आहरित प्रावधान				
– कार्य-निष्पादन वारंटी	–		5,826	
– दुर्वह संविदाएँ	–		4,114	
– संदिग्ध ऋण, निर्णीत हर्जाना	7,736		4,302	
– वस्तुसूची	4,728		6,620	
– ऋण व अग्रिम	138		304	
– अन्य*	4		102	
		12,606		21,268
शुल्क वापसी सहित सरकारी अनुदान		2,334		2,125
ग्राहक के अनुदान		1,041		389
विविध		7,419		6,190
		14,10,869		12,96,767

* इसमें कर्मचारियों से प्राप्य राशि की वसूली के प्रति रु कुछ नहीं (रु. 33) शामिल है । टिप्पणी 30(18) देखें।

(i) **ग्राहकों की संविदाओं के समक्ष निर्धारित राजस्व के भिन्न-भिन्न आंकड़े (2020-21)**

विवरण	देशीय			निर्यात	कुल
	भारत सरकार		अन्य		
	रक्षा	रक्षा इतर			
उत्पादों की बिक्री	9,65,822	1,69,274	71,105	37,692	12,43,893
सेवाओं से आय	1,10,476	29,018	1,445	139	1,41,078
कुल	10,76,298	1,98,292	72,550	37,831	13,84,971

उपर्युक्त में से रु. 37,831 की ग्रूप की निर्यात बिक्री मूल कंपनी से संबंधित है । इसके अलावा, जीई-बीई प्रा. लि. का निर्यात रु. 1,11,238 (जिसका मूल्य ऊपर शामिल नहीं है) है ।

ग्राहकों की संविदाओं के समक्ष निर्धारित राजस्व के भिन्न-भिन्न आंकड़े (2019-2020)

विवरण	देशीय			निर्यात	कुल
	भारत सरकार		अन्य		
	रक्षा	रक्षा इतर			
उत्पादों की बिक्री	9,23,545	1,01,391	72,569	32,475	11,29,980
सेवाओं से आय	99,747	29,637	1,682	2,612	1,33,678
कुल	**10,23,292**	**1,31,028**	**74,251**	**35,087**	**12,63,658**

उपर्युक्त में से रु. 35,087 की ग्रूप की निर्यात बिक्री मूल कंपनी से संबंधित है । इसके अलावा, जीई-बीई प्रा. लि. का निर्यात रु. 105,840 (जिसका मूल्य ऊपर शामिल नहीं है) है ।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

(ii) **लाभ व हानि के विवरण में संविदा के मूल्य सहित निर्धारित राजस्व का समाधान**

विवरण	2020–21		2019–20	
लाभ व हानि के विवरण के अनुसार राजस्व				
उत्पादों की बिक्री	12,43,893		11,29,980	
सेवाओं से आय	1,41,078		1,33,678	
कुल (क)		13,84,971		12,63,658
संविदा के मूल्य में समायोजन जोड़ें / (घटाएँ)				
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के दावे	(21,802)		(16,830)	
मूल्य पुनरीक्षण	-		-	
दी गई छूट और रिबेट	357		71	
अन्य	(4,528)		(10,769)	
कुल समायोजन (ख)		(25,973)		(27,528)
संविदा मूल्य (क+ख)		13,58,998		12,36,130

कार्य–निष्पादन देयता पूरी करना

क. अधिकांश संविदाओं में, कार्य–निष्पादन की देयता ऐसे "समय–बिंदु" में पूरी की जाती है जो प्राथमिक रूप से ग्राहक द्वारा परिसंपत्ति पर नियंत्रण प्राप्त करने से निर्धारित होती है। इसके लिए विचार किया गया एक प्रमुख संसूचक उल्लेखनीय जोखिम का अंतरण और ग्राहकों का पारितोषिक है जो इन्को की शर्तों पर आधारित होता है। जहाँ संविदा में एक से अधिक कार्य–निष्पादन देयताएँ होती हैं तो कार्य–निष्पादन देयता पूरी करने का समय–बिंदु तय करने के लिए भारतीय ए.एस. 115 में निर्दिष्ट मानदंड लागू किया जाता है।

ख. "बिल एंड होल्ड" व्यवस्था में, कार्य–निष्पादन देयता संविदा में माल के निस्शर्त विनियोजन पर पूरी की जाती है। सामान्य रूप से, अभिरक्षा सेवा के लिए कोई देयता नहीं होती।

ग. ग्राहक के साथ की गई संविदा में आम तौर पर महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं होता और ग्राहक द्वारा प्राप्त अग्रिम भुगतान तथा / या प्रतिधारित राशि संविदा के दोनों पक्षकारों की रक्षा करने के आशय से रखी जाती है।

घ. परिवर्ती प्रतिफल में प्राथमिक रूप से विदेशी मुद्रा के उतार–चढ़ाव खंड के समक्ष प्राप्य / प्रतिपूर्ति योग्य राशि शामिल होती है। इसके संबंध में निर्धारित राजस्व की राशि संविदा में निर्दिष्ट कार्यप्रणाली के आधार पर तय की जाती है। इस राशि को ग्राहक का दावा प्रोद्भू होने / स्वीकार करने पर राजस्व के रूप में निर्धारित किया जाता है।

ङ. कंपनी के कुल कारोबार में मुख्य रूप से रक्षा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और प्रणालियों की आपूर्ति शामिल है।

च. ग्राहकों के साथ की गई संविदा में सामान्य रूप से वापसी / धन–वापसी का खंड नहीं होता है।

छ. प्रदान की गई वारंटियाँ मुख्य रूप से कार्य–निष्पादन वारंटी की प्रकृति की होती हैं।

ज. कंपनी ऐसी संविदाओं के संबंध में राजस्व निर्धारित करने के लिए सामान्य रूप से निविष्टि विधि का उपयोग करती है जिनमें कार्य–निष्पादन देयता एक समयावधि में पूरी की जाती है। राजस्व निर्धारित करने के लिए, समापन प्रतिशत विधि अपनाई जाती है जिसमें निर्धारित किए जाने वाले राजस्व की प्रमात्रा तय करने के लिए संविदा की कीमत में कुल प्राक्कलित लागत में उपगत वास्तविक लागत का प्रतिशत लागू किया जाता है।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

झ. ग्राहकों के साथ की गई संविदा (ए.एम.सी. को छोड़कर) जिसके संबंध में राजस्व एक समयावधि में निर्धारित की गई है, में सामान्य रूप से विभिन्न प्रकृति के अनेक कार्यकलाप शामिल होते हैं जैसे भवन निर्माण, उपकरणों की आपूर्ति और संस्थापना, उपकरण और सिस्टम की नेटवर्किंग आदि। इसके कारण, किए गए कार्य (यानी उत्पादन) की मात्रा को विश्वसनीय रूप से वास्तविक परिप्रेक्ष्य में निर्धारित करना संभव नहीं होता है। जबकि, निविष्टि विधि के अंतर्गत, इन विविध कार्यकलापों के संबंध में उपगत लागत प्राप्त की जा सकती है और समापन का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आने वाली लागत (जिसका प्राक्कलन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता है) के कुल प्राक्कलित लागत से इसकी तुलना की जा सकती है। ए.एम.सी. संविदाओं के मामले में, राजस्व निर्धारित करने के लिए उत्पादन विधि का उपयोग किया जाता है जहाँ कार्य-निष्पादन देयता पूरी करने के लिए समय अंतराल मानदंड होता है।

ञ. "समय-बिंदु" पर पूरी की गई कार्य-निष्पादन देयता के संबंध में राजस्व निर्धारित करने के लिए, यह तय करने के लिए कि क्या ग्राहक ने "परिसंपत्ति पर नियंत्रण" प्राप्त किया है या नहीं, निम्नलिखित मानदंड का उपयोग किया जाता है –

- उल्लेखनीय जोखिम और परितोष का अंतरण
- ग्राहक का परिसंपत्ति पर कानूनी हक है
- संस्थान ने परिसंपत्ति का वास्तविक अधिकार अंतरित कर दिया है
- ग्राहक ने परिसंपत्ति को स्वीकार किया है
- संस्थान का परिसंपत्ति का भुगतान करने का वर्तमान अधिकार है

ट. लेनदेन की कीमत का निर्धारण सामान्य रूप से ग्राहक के साथ की गई संविदा पर आधारित होता है। अनेक देयताओं के संबंध में लेनदेन की कीमत का आबंटन सापेक्ष स्टैंडअलोन बिक्री कीमत पर आधारित होता है।

ठ. चालू / पिछले वर्ष के दौरान कोई नकद-रहित प्रतिफल प्राप्त नहीं किया गया / दिया गया।

(iii) पिछली अवधियों में पूरी की गई कार्य-निष्पादन देयता में से वर्ष के दौरान राजस्व के रूप में रु. 7043(रु. 7,725) (निवल) की राशि निर्धारित की गई।

(iv) मूल कंपनी की परियोजना में, दस में से एक साइट ग्राहक द्वारा सौंपी जानी है जिसे 2015 से अब तक सौंपा नहीं गया है। अन्य 9 साइटों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, इसलिए, प्रबंधन से प्राप्त विचार के आधार पर, स्थल जिसे अब तक सौंपा नहीं गया है, को अलग कार्य-निष्पादन देयता माना गया है क्योंकि निकट भविष्य में इसे सौंपे जाने से संबंधित अनिश्चितता है। इसके कारण वर्ष के राजस्व में रु. 8,786 (कुछ नहीं) और लाभ में रु. 8,540 (कुछ नहीं) की वृद्धि हुई।

टिप्पणी 24
अन्य आय

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
मीयादी जमा पर ब्याज की आय	6,050	7,058
स्टाफ़/ आयकर वापसी / अन्य से ब्याज की आय	338	2,199
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री का लाभ	121	21
विदेशी मुद्रा विनिमय की विभेदक लब्धि	5,605	-
किराए की आय - निवेश संपत्ति	150	145
विविध (व्यय का निवल)	232	517
	12,496	9,940

विदेशी मुद्रा के लेनदेन को दर्ज करने की तारीख और उसके निपटान / रिपोर्टिंग की तारीख के बीच ऐसे लेनदेन से होने वाले उतार-चढ़ाव की दर के कारण विदेशी मुद्रा की लब्धि / हानि

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

टिप्पणी 25
तैयार माल, चालू कार्य और रद्दी की वस्तुसूचियाँ में परिवर्तन

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
चालू कार्य –				
अंतिम वस्तुसूची	1,38,550		1,29,731	
प्रारंभिक वस्तुसूची	1,29,731		1,55,848	
		(8,819)		26,117
तैयार माल –				
अंतिम वस्तुसूची	27,675		24,146	
प्रारंभिक वस्तुसूची	24,146		22,626	
		(3,529)		(1,520)
रद्दी –				
अंतिम वस्तुसूची	323		193	
प्रारंभिक वस्तुसूची	193		306	
		(130)		113
		(12,478)		24,710
घटाएं- स्टॉक पर अवास्तविक लाभ		(9)		(221)
		(12,469)		24,931

टिप्पणी 26
कर्मचारी अनुलाभ व्यय

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
वेतन, मजदूरी और बोनस / अनुग्रह राशि		1,59,172		1,65,226
सेवानिवृत्ति अनुलाभ व्यय				
उपदान	1,871		1,432	
भविष्य निधि और पेंशन निधियों में अंशदान	11,341		12,417	
बीईएल अधिवार्षिता (पेंशन) योजना में प्रबंधन का अंशदान	5,772		5,565	
बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना का प्रावधान	6,846		7,187	
		25,830		26,601
कल्याण संबंधी व्यय * [वेतन सहित रु. 1,114 (रु. 1,101) पी.एफ. अंशदान रु. 116 (रु. 100)]		10,614		15,682
		1,95,616		2,07,509
घटाएं–पूँजीगत कार्यों के लिए आबंटित खर्च		(27)		(35)
		1,95,589		2,07,474

मुख्य प्रबंधन कार्मिक के पारिश्रमिक के लिए टिप्पणी 31 देखें

* टिप्पणी 21 (ए)(iii) देखें, तद्नुसार रु. कुछ नहीं (रु. 3,690) का प्रावधान किया गया।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

टिप्पणी 27
वित्त लागत

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
ब्याज व्यय				
सूक्ष्म व लघु उद्यमों को देय राशि पर ब्याज	4		5	
बैंकों से मीयादी ऋण पर ब्याज	24		28	
अन्य ब्याज व्यय	553		263	
		581		296
अन्य उधार की लागत				
ऋण प्रसंस्करण प्रभार		56		64
		637		360

टिप्पणी 28
मूल्यह्रास / परिशोधन

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास / परिशोधन	36,446	35,388
निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास	1	1
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	1,997	1,613
परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास	288	184
	38,732	37,186

टिप्पणी 29
अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
बिजली और ईंधन*		3,435		3,726
जल प्रभार		377		434
रॉयल्टी और तकनीकी सहायता		17,472		526
किराया		1,609		2,288
दर व कर		453		868
बीमा		2,441		1,149
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक				
लेखा परीक्षा शुल्क	27		21	
कर लेखा परीक्षा शुल्क	7		4	

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
अन्य सेवाएँ (प्रमाणीकरण शुल्क)	10		6	
व्ययों की प्रतिपूर्ति	6		10	
		50		**41**
लागत लेखा परीक्षा शुल्क		4		4
मरम्मत और रख-रखाव				
इमारतें	1,983		2,187	
संयंत्र और मशीनरी	1,408		1,212	
अन्य	9,551		7,844	
		12,942		**11,243**
बैंक प्रभार		324		406
मुद्रण व लेखन-सामग्री		232		451
विज्ञापन व प्रचार		404		740
यात्रा व्यय		4,050		11,633
वैन / टैक्सी का भाड़ा प्रभार		1,126		1,297
पैकिंग और अग्रेषण		2,287		3,806
अशोध्य ऋण व अग्रिम जिन्हें बट्टे खाते में डाला गया	1,627		23,041	
घटाएँ - प्रावधान को प्रभारित	(1,618)		(22,899)	
		9		**142**
अप्रचलन / अप्रयुक्त सामग्री का प्रावधान		6,990		7,153
संदिग्ध ऋण, एलडी, ग्राहक के दावों और अस्वीकृतियों का प्रावधान		21,161		36,185
संदिग्ध अग्रिमों, दावों का प्रावधान		736		172
कार्य-निष्पादन वारंटी का प्रावधान (निवल) **		5,944		-
प्रावधान - दुर्वह संविदा (निवल)		157		-
अप्रचलन और अप्रयुक्तता के कारण कच्चे माल, भंडार और घटकों को बट्टा खाते में डालना	1,266		229	
घटाएँ - प्रावधान को प्रभारित	(1,248)		(229)	
		18		**-**
अन्य प्रावधान ***		-		-
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों का प्रावधान		7,213		-
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति जिसे प्रभारित किया गया		75		-
प्रभारित संविदा लागत		-		1,247
प्रभारित पूँजी डबल्यूआईपी		1,468		-
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व		4,490		2,912

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
अन्य				
अन्य विविध प्रत्यक्ष खर्च	11,736		10,992	
विदेशी मुद्रा के अंतर की हानि	-		1,827	
बिक्री पश्चात सेवा	424		297	
टेलीफ़ोन	900		1,053	
संगोष्ठियों और पाठ्यक्रमों पर खर्च	839		867	
अन्य बिक्री व्यय	378		1,288	
विविध	3,956		4,784	
		18,233		21,108
		1,13,700		1,07,531
घटाएँ - पूँजीगत कार्यों के लिए आबंटित खर्च		(2,075)		(3,412)
		1,11,625		1,04,119

* पैदा की गई पवन ऊर्जा जिसे समायोजित किया गया

** टिप्पणी 21 देखें

*** अन्य प्रावधानों में कुछ नहीं (रु. 936) शामिल है जो कर्मचारी से वसूली योग्य है और इस वसूली के लिए कुछ नहीं (रु. 936) का प्रावधान किया गया। टिप्पणी 30(18) देखें।

विदेशी मुद्रा के लेनदेन को दर्ज करने की तारीख और उसके निपटान / रिपोर्टिंग की तारीख के बीच ऐसे लेनदेन से होने वाले उतार-चढ़ाव की दर के कारण विदेशी मुद्रा की लब्धि / हानि ।

टिप्पणी 30
लेखों की सामान्य टिप्पणियाँ

1 **अर्जित प्रति इक्विटी शेयर**

	विवरण	2020-21	2019-20
क	**जारी प्रचालनों से**		
	मूल अर्जित प्रति शेयर (आईएनआर)	8.62	7.49
	परिवर्तित अर्जित प्रति शेयर (आईएनआर)	8.62	7.49
ख	प्रति शेयर अर्जन मूल और परिवर्तन आय की गणना में संख्याओं के रूप में उपयोग की जाने वाली राशि	2,09,976	1,82,472
ग	प्रति शेयर अर्जन का परिकलन करने में प्रयुक्त शेयरों की सं.	2,43,65,92,943	2,43,65,92,943

2 **समेकन की प्रक्रिया**

समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) मूल कंपनी नामत: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), उसकी सहायक कंपनियों नामत: बीईएल ऑप्ट्रानिक डिवाइसेस लिमिटेड, पुणे (शेयरधारण 100%) और बीईएल-थालेस सिस्टम्स लिमिटेड, बेंगलूरु (शेयरधारण 74%) और एसोसिएट कंपनी नामत: जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूरु (शेयरधारण 26%) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किए गए हैं। मूल कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण अंतर-ग्रूप के लेनदेनों और अप्राप्त लाभ / हानि को हटाने के बाद, परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों को एक साथ जोड़ते हुए लाइन-दर-लाइन आधार पर संयोजित किए गए हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आस्थगित कर देयता को समायोजित किया गया है जहां कहीं ग्रूप को चालू कर देयता के समक्ष चालू कर परिसंपत्तियों को समंजित करने का अनुमान करने योग्य विधिक अधिकार है और जहां आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आस्थगति कर देयताएं उन्हीं कर प्राधिकारियों द्वारा उगाही गए आय करों से संबंधित हैं।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

सहयोगी कंपनी जीई बीई प्रा. लि. के संबंध में, समेकन इक्विटी विधि के आधार पर किया गया है। सहायक और सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक के लिए बनाए गए हैं जो मूल कंपनी की रिपोर्टिंग तारीख है।

दूसरी सहयोगी कंपनी, डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन (डीआईओ) जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत लाभ-रहित कंपनी है, को समेकन के लिए विचार में नहीं लिया गया है क्योंकि मूल कंपनी का इक्विटी निवेश के अलावा, परिवर्ती प्राप्तियों पर कोई नियंत्रण नहीं है और कोई अधिकार भी नहीं है।

3 नियंत्रण हित के अधिग्रहण की तारीख के संदर्भ में सहायक कंपनियों में इसके निवेश पर मूल कंपनी की लागत और सहायक कंपनी में इक्विटी के मूल कंपनी के भाग के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में सुनाम / पूँजीगत प्रारक्षण के रूप में निर्धारित किया गया है। मूल कंपनी का सहायक कंपनियों के लाभ / हानि अधिग्रहति करने के बाद का हिस्सा राजस्व प्रारक्षणों में समायोजित किया गया है।

4 प्रचालनों के निवल परिणामों और सहायक कंपनियों की निवल परिसंपत्तियों में नियंत्रणेतर हित यह दर्शाते हैं कि लाभ / हानि और निवल परिसंपत्तियों का हिस्सा मूल कंपनी के कारण नहीं हैं।

5 मूल तथा सहायक कंपनियों / सहयोगी कंपनियों के वैयक्तिक वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अतिरिक्त सूचना जिनका समेकित वित्तीय विवरणों की सच्ची और सही स्थिति से कोई संबंध नहीं है और ऐसी मदों से संबंधित सूचना जो महत्वपूर्ण नहीं है, समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं किए गए हैं।

6 **अनुपालन का विवरण**

समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक (भारतीय ए.एस.) जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("एक्ट") की धारा 133 जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित, के नियम 3 के साथ पढ़ा जाना है, के तहत यथा अधिसूचित तथा उक्त अधिनियम के अन्य संगत प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष तक और उस तारीख तक के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 तथा अधिनियम के अन्य संगत प्रावधानों के तहत अधिसूचित, कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के अनुसार तैयार किए गए हैं।

7 **परिसंपत्तियों की अनर्जकता**

मूल कंपनी ने प्रत्येक भौगोलिक सम्मिश्रित निर्माणी यूनिट जिसे नकद सृजित करने वाली यूनिट (सी.जी.यू.) माना गया है, की परिसंपत्तियों की अनर्जकता की संसूचना का विश्लेषण किया है। आंतरिक और बाहरी कारकों का आंकलन करने के आधार पर, अनर्जकता के प्रावधान के लिए रु. 7,337 (रु. 124) की राशि का प्रावधान किया गया है। सहायक कंपनियों (बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड और बीईएल-थालेस सिस्टम्स लिमिटेड) तथा सहयोगी कंपनी (जीई बीई प्राइवेट लि.) ने भी परिसंपत्तियों की अनर्जकता की संसूचना का विश्लेषण किया है और परिसंपत्तियों की अनर्जकता की कोई सूचना नहीं पाई गई है, इसलिए, इसका प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया।

8 **अल्पकालीन उधार**

a मूल कंपनी को संघीय बैंकों (एसबीई अग्रणी बैंक) द्वारा रु. 400,000 की कार्यशील पूँजी सीमा मंजूर की गई है। इस मंजूर सीमा में रु. 50,000 की निधि आधारित सीमा और रु. 3,50,000 की गैर निधि आधारित सीमा शामिल है।

b निधि आधारित सीमा पर देय ब्याज दर एसबीआई की 1 वर्ष की एमसीएलआर दर से जुड़ी है। 31.03.2021 को देय ब्याज दर 7.00 % (7.90 %) प्रति वर्ष है.

c प्रयुक्त राशि की चुकौती मांग पर की जाती है। यथा 31.03.2021 को यह उपयोगिता कुछ नहीं (कुछ नहीं) है।

d उक्त मंजूरी सीमा मूल कंपनी की चालू परिसंपत्तियों के दृष्टिबंधन द्वारा रक्षित है

सहायक कंपनी [बेलॉप] को एसबीआई के संघीय बैंकों (अग्रणी बैंक) और एक्सिस बैंक द्वारा रु. 4,600/- की कार्यशील पूँजी सीमा मंजूर की गई है। इसकी ब्याज दर 8.30% (8.80%) प्रतिवर्ष एक्सिस बैंक और 7.10% (8.70%) प्रतिवर्ष [एसबीआई] है।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

9 **संविदाजन्य प्रतिबद्धताएँ**

	विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
क.	संविदाओं की प्राक्कलित राशि जो पूँजी खाते में निष्पादित की जानी है और 31 मार्च को जिनका प्रावधान नहीं किया गया है		
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	46,723	50,406
	निवेश संपत्ति	-	-
	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	1,267	1,856
ख.	निवेश संपत्ति की मरम्मत और रख-रखाव तथा वर्धन के लिए संविदाजन्य प्रतिबद्धता	-	-
ग.	31 मार्च को अन्य प्रतिबद्धताएँ यानी निरस्त न करने योग्य संविदाजन्य प्रतिबद्धताएँ (यानी जिसे निरस्त करने से संबंधित अनुलाभ के लिए अनुपातरहित जुर्माना लगाया जाएगा)	-	-

10 **आकस्मिक देयताएँ –**

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया	98,932	1,04,875
बकाया साख पत्र	72,543	89,273
अन्य	2,946	2,945
ग्राहक के अनिष्पादित आदेश जहाँ सुपुर्दगी की तारीख समाप्त हो चुकी है, में 31 मर्च तक का अनंतिम निर्णीत हर्जाना	26,305	24,846

11 **आकस्मिक परिसंपत्तियाँ –**

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
कुछ नहीं	-	-

12 **पट्टा**

भारतीय ए.एस. 116 को अपनाना

1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी करते हुए कंपनी ने संशोधित पूर्वप्रभावी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए भारतीय ए.एस. 116 पट्टे को अपनाया है, इसलिए, तुलनात्मक सूचना दोबारा नहीं बताई जा रही है। इस मानक को अपनाने से कंपनी के वित्तीय परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।

क) पट्टाकर्ता के रूप में [मूल कंपनी] –

i) भावी प्राप्त न्यूनतम पट्टा किराया

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
एक वर्ष से अधिक नहीं	322	399
एक वर्ष से अधिक परंतु पाँच वर्षों से अधिक नहीं	230	486
पाँच वर्षों से अधिक	2,847	2,910

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

कंपनी ने 2016-17 से 2021-22 तक की अवधि के लिए हरियाणा सरकार को प्वाइंट ऑफ सेल्स मशीनों को पट्टे पर दिया है।

कंपनी ने रद्द न करने योग्य प्रचालनीय पट्टे के तहत विभिन्न संगठनों को भूमि का कुछ हिस्सा पट्टे पर दिया है। पट्टे की अवधि वर्ष 1967 से 2077 तक की है। पट्टों की विभिन्न शर्तें, वृद्धि खंड, पट्टा नवीकरण अधिकार आदि है। नवीकरण पर, पट्टे की शर्त दोबारा वार्ता कर तय की जाती हैं।

कंपनी ने आकस्मिक किराए के रूप में कोई आय निर्धारित नहीं की है।

ख) पट्टेदार के रूप में –

ग्रूप में ऐसे पट्टे हैं जिन्हें भारतीय ए.एस. 17 लागू करते हुए वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, ऐसे पट्टों के लिए, भारतीय ए.एस. 116 के प्रारंभिक अनुप्रयोग की तारीख में उपयोग के अधिकार की राशि की वहनीय राशि, भारतीय ए.एस. 17 को लागू करते हुए मापे गए अनुसार संक्रमण की तारीख पर पट्टे की वहनीय राशि है। तदनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से रु. 1,293 [मूल कंपनी रु. 1,275 और बेलोप रु.18] की राशि परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार में वर्गीकृत की गई ।

संक्रमण पर, कंपनी पट्टे की समाप्त न हुई अवधि के लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग के अपने अधिकार को दर्शाते हुए परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार निर्धारित करती है।

उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति को इसमें निर्धारित किया जाता है –

क) पूर्वदत्त किराए की वहनीय राशि जब कोई भावी पट्टा भुगतान देय नहीं होता है; या

ख) वहनीय राशि तथा वृद्धिशील उधार दर पर भुनाया गया। तदनुसार, उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति रु. 365 है और पट्टे की संबंधित देयता रु. 365 निर्धारित की गई। इन परिसंपत्तियों के संबंध में भारतीय ए.एस. 116 को लागू करने पर, व्ययों की प्रकृति को पट्टे के किराए से उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति की मूल्यह्रास लागत में और पट्टे की देयता पर प्रोद्भूत ब्याज की वित्त लागत में पुन:वर्गीकृत किया गया ।

कंपनी द्वारा दर्ज उक्त पट्टे की संविदाएँ सौर परियोजना द्वारा बिजली पैदा करने और कारोबारी प्रयोजनों के लिए भवन निर्माण के लिए पट्टे पर ली गई भूमि से संबंधित हैं। इन परिसंपत्तियों का निपटान करना कंपनी के लिए प्रतिबंधित है।

कंपनी ने आकस्मिक किराए के रूप में कोई व्यय निर्धारित नहीं किया है।

पट्टे की देयताओं की संविदाजन्य नकदी प्राप्ति का परिपक्वता विश्लेषण टिप्पणी सं. 34 में उल्लिखित है।

देय भावी न्यूनतम पट्टा किराया

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
एक वर्ष से अधिक नहीं;	149	134
एक वर्ष से अधिक परंतु पाँच वर्षों से अधिक नहीं;	114	193
पाँच वर्षों से अधिक	6	–

मूल कंपनी ने 22 मई 2021 से शुरु करते हुए 29 वर्षों की अवधि के लिए मे. तमिल नाडु इंडस्ट्रियल एक्सप्लोज़िव लि. के साथ वेल्लूर जिला, तमिल नाडु में 67.25 एकड़ की भूमि के पट्टे और वहां स्थित और निर्मित इमारतों के लिए एक पट्टा करार किया है। संविदाजन्य शर्तों के अनुसार देय न्यूनतम पट्टा किराया ₹ 13,601 है। पट्टा करार करने के लिए अदा की गई ₹ 137 पंजीकरण प्रभार को पूंजीगत चालू कार्य- टिप्पणी 2 के तहत दर्ज किया गया है।.

13 शेषों का पुष्टिकरण

व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, अग्रिम और जमा राशियों के संबंध में शेषों के पुष्टिकरण का अनुरोध करते हुए पत्र भेजे गए। जहाँ कहीं उत्तर प्राप्त हुए हैं, उनका समाधान किया जा रहा है और आवश्यक समझे जाने पर प्रावधान / समायोजन किए गए।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

14 खंडवार रिपोर्टिंग

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना सं. 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015, यथा संशोधित द्वारा रक्षा उत्पादनों में लगी हुई कंपनियों को खंडवार रिपोर्टिंग की आवश्यकता से छूट प्रदान की है।

15 कोविड–19 का प्रभाव

ग्रूप ने वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कोविड 19 महामारी के परिणामस्वरूप संभावित प्रभावों पर विचार किया है जिसमें वित्तीय एवं गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की वहनीय राशि वसूल करने की संभावना शामिल है। महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में संभावित भावी अनिश्चितता से संबंधित मान्यताएँ तय करने में, कंपनी ने सूचना के अपने उपलब्ध आंतरिक और बाहरी स्रोतों तथा आर्थिक पूर्वानुमान का प्रयोग किया है और कंपनी यह अपेक्षा करती है कि इन परिसंपत्तियों की वहनीय राशि वसूल की जाएगी। वित्तीय विवरणों पर कोविड–19 का प्रभाव इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख पर किए गए प्राक्कलन से अलग हो सकता है।

16 रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित न किया गया लाभांश [मूल कंपनी]

निदेशकों ने प्रति शेयर आईएनआर 1.20 (आईएनआर 1.40) [परम अंक दर्शाता है] के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है।

प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन की शर्त पर है और यदि अनुमोदन प्रदान किया जाता है तो इसके कारण लगभग रु. 29,239 का नकदी बहिर्वाह होगा।

17 शेष कार्य–निष्पादन देयता का मूल्य (लंबित आदेश जिनका निष्पादन करना है)

ग्राहकों की संविदाओं से अनिर्धारित राजस्व जिन्हें आंशिक रूप से पूरा किया गया है या पूरा नहीं किया गया है (लंबित आदेश जिनका निष्पादन करना है)

विवरण	कुल राशि	एक वर्ष के भीतर	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक
अनिष्पादित आदेश का मूल्य	53,51,197	18,56,535	12,28,022	8,64,754	14,01,886

विशेष रूप से प्रमुख आदेश रक्षा से प्राप्त होते हैं जिनकी उत्पादन–पूर्व अवधि लंबी होती है। कंपनी पूरी न की गई (या आंशिक रूप से पूरी न की गई) कार्य–निष्पादन देयता के संबंध में कंपनी 3 से 5 वर्षों की अवधि में राजस्व को अभिचिह्नित करने की आशा करती है।

18 वर्ष 2019–20 के दौरान, नेमी आंतरिक लेखा परीक्षा के दौरान कर्मचारियों द्वारा कंपनी के साथ रु. 1,000 की धोखाधड़ी की घटना का पता चला है। उक्त राशि में से, कुछ नहीं (रु. 64) की वसूली की गई और शेष रु. 936 (रु. 936) की राशि को लेनदारी के रूप में निर्धारित किया गया, वसूली के लंबित होने के कारण, इसे लाभ व हानि के विवरण में संदिग्ध माना गया है। कंपनी ने इस संबंध में उचित कार्रवाई की है और जाँच प्रगति में है।

19 मूल कंपनी द्वारा रु. 25 (रु. 25) की राशि रक्षा उत्पादन के आई.टी. प्रभाग को अंशदान में दी गई है जिसे आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) और रक्षा सरकारी क्षेत्र की यूनिटों सहित रक्षा उत्पादन विभाग में आई.टी. संबंधी पहल को कार्यान्वित करने के लिए एचएएल के एक प्रभाग के रूप में तैयार किया गया है।

20 सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को लागू करने की तारीख अधिसूचित नहीं की गई है और ग्रूप इसके लागू होने पर इसके प्रभाव का आकलन करेगी और ऐसे प्रभाव को संहिता के प्रभावी होने पर दर्ज करेगी।

21 प्रतिधारण बिक्री [मूल कंपनी]

वर्ष के दौरान सकल विक्रयावर्त में शामिल प्रतिधारण बिक्री का मूल्य (यानी ग्राहक के अनुरोध पर और उनकी जोखिम पर कंपनी में रखे गए माल) रु. 49,302 (रु. 1,78,315) है।

उक्त में से, कारखाना बाह्य बिक्री का मूल्य रु. 6,884 (रु. 29,959) है।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

22 कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

23 समेकित वित्तीय विवरणों के सभी आंकड़ों को निकटतम लाख में पूर्णांकित किया गया है जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो।

24 समेकित भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों को दिनांक 22 जून 2021 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

टिप्पणी 31
संबंधित पक्षकारों के लेनदेन

स्वत्व का नाम	कारोबार का स्थान	मूल कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व हित		नियंत्रणरहित हितों द्वारा धारित स्वामित्व हित		प्रधान कार्यकलाप
		यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020	
जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड	भारत	26%	26%	–	–	चिकित्सा उपकरणों का निर्माण
डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन	भारत	50%	50%	50%	50%	रक्षा संबंधी अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप

ख. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के विवरण

i. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के नाम

श्री एम वी गौतमा, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
श्रीमती आनंदी रामलिंगम, निदेशक [विपणन]
श्री विनय कुमार कत्याल,निदेशक [बेंगलूरु कॉम्प्लेक्स]
श्री शिवकुमारन के एम, निदेशक [एचआर]
श्रीमती शिखा गुप्ता, निदेशक [अन्य यूनिटें]
श्री दिनेश कुमार बत्रा, निदेशक [वित्त] एवं सीएफओ 01.08.2020 से
श्री राजशेखर एम वी, निदेशक [आर एंड डी] 01.09.2020 से
श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर, निदेशक [वित्त] एवं सीएफओ 31.07.2020 तक
श्री वी महेश वी, निदेशक [आर एंड डी] 31.08.2020 तक
श्री एस श्रीनिवास, कंपनी सचिव
श्री डी सी एन श्रीनिवास राव, सीईओ–बेलोप
श्री पी सरकार, सीएफओ 26.06.2020 से–बेलोप
श्रीमती प्रिया एस अय्यर, कंपनी सचिव और सीएफओ–बेलोप 25.06.2020 तक
श्री इमैनुअल डे रॉकफील, निदेशक – बीईएल थालेस सिस्टम्स
श्री नरसिंह प्रसाद के, सीईओ–बीईएल थालेस सिस्टम 10.03.2021 से
श्री अभिषेक कुमार, सीएफओ–बीईएल थालेस सिस्टम्स
श्री संजोग मोहपात्रा, कंपनी सचिव–बीईएल थालेस सिस्टम्स
श्री राजीव कुमार सिक्का, सीईओ – बीईएल थालेस सिस्टम 28.02.2021 तक

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

ii. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के प्रतिपूर्ति

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पकालीन कर्मचारी हितलाभ	525	582
नियोजन के बाद के हितलाभ	40	32
दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ	39	63
सेवानिवृत्ति के लाभ	-	-
शेयर आधारित भुगतान	-	-
कुल	604	677

ग. **मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए लेनदेन इस प्रकार हैं (पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दर्शाए गए हैं) –**

विवरण	संबद्ध कंपनी	
	जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड	डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन
माल की खरीद	1,690	-
	(2,519)	-
यथा 31.03.2021 को बकाया व्यापार प्राप्य	540	-
	(691)	-
यथा 31.03.2021 को इक्विटी में निवेश	260	1
	(260)	(1)
यथा 31.03.2021 को बकाया अंशदान		4,000
		(4,000)

घ. संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए सभी लेनदेन स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर हैं।

ङ सभी बकाया शेष अरक्षित हैं और अगले 6 महीनों के भीतर नकद में चुकौती/प्राप्य योग्य हैं।

च मूल कंपनी द्वारा सरकार और सरकार संबंधी निकायों के साथ लेनदेन-

चूँकि बीईएल रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के नियंत्रण के अधीन एक सरकारी कंपनी है, कंपनी ने सरकार और सरकारी निकायों के साथ लेनदेन के संबंध में भारतीय ए.एस. 24 के तहत अपेक्षित विवरणों को प्रकट करने से छूट प्राप्त की है।

बहरहाल, भारतीय ए.एस. 24 के तहत यथा अपेक्षित, निम्नलिखित लेनदेन वैयक्तिक रूप से उल्लेखनीय हैं –

रु. 52,331 (रु. 40,612) की राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लाभांश के रूप में अदा की गई।

उपर्युक्त के अलावा, कंपनी के कुल कारोबार का लगभग 92% (91%), व्यापार प्राप्य का लगभग 95% (97%) और ग्राहकों के अग्रिम का लगभग 99% (99%) सरकार और सरकार संबंधी निकायों से संबंधित है।

छ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार, 10 अप्रैल 2017 को लाभ रहित कंपनी के रूप में डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन (डीआईओ) की स्थापना रक्षा क्षेत्र में नवोन्मेषी कार्य का वित्त पोषण करने के उद्देश्य से रु. 100 बीईएल: 50%; एचएएल: 50%) की प्राधिकृत शेयर पूँजी के साथ की गई। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय बेंगलूरु में बीईएल के परिसर में स्थित है।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

टिप्पणी 32
अन्य स्वत्वों में हित

क) सहायक कंपनियां

स्वत्व का नाम	कारोबार का स्थान	मूल कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व हित		नियंत्रणरहित हितों द्वारा धारित स्वामित्व हित		प्रधान कार्यकलाप
		यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020	
जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड	भारत	100%	100%	–	–	चिकित्सा उपकरणों का निर्माण
डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन	भारत	74%	74%	26%	26%	रक्षा संबंधी अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप

इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक अपने हाथ दिखाकर एक वोट देने और धारित शेयरों की संख्या के अनुपात में मतदान करने के हकदार हैं।

ख. नियंत्रणेतर हित (एनसीआई)

i. कंपनी की प्रत्येक सहायक कंपनी जिसका किसी अंतर्समूह विलोपन से पहले महत्वपूर्ण नियंत्रणेतर हित है, से संबंधित संक्षिप्त वित्तीय सूचना

संक्षिप्त तुलन–पत्र	बीईएल– थालेस सिस्टम लि.	
	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
एनसीआई का प्रतिशत	26%	26%
गैर – चालू परिसंपत्तियाँ	1,859	1,859
चालू परिसंपत्तियाँ	8,289	9,842
कुल परिसंपत्तियाँ	10,148	11,701
गैर – चालू देयताएँ	89	123
चालू देयताएँ	4,293	6,128
कुल देयताएँ	4,382	6,251
निवल परिसंपत्तियाँ	5,766	5,450
एनसीआई के कारण निवल परिसंपत्ति	1,499	1,417

संक्षिप्त लाभ व हानि का विवरण	बीईएल– थालेस सिस्टम लि.	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
राजस्व	3872	4430
लाभ	315	334
अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	–	–
कुल व्यापक आय	315	334
एनसीआई को आबंटित लाभ	82	87
एनसीआई को आबंटित ओसीआई	–	–
एनसीआई को आबंटित कुल व्यापक आय	82	87

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

संक्षिप्त नकदी प्राप्ति का सार	बीईएल– थालेस सिस्टम लि. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालनात्मक गतिविधियों से नकदी प्राप्ति	(2,850)	4,166
निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्राप्ति	279	(1,217)
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्राप्ति	(12)	(41)
नकद और नकद समतुल्य में निवल बढ़ोत्तरी / (कमी)	(2,583)	2,908

ii. नियंत्रणेतर हितों का लेन–देन – कुछ नहीं

ग. एसोसिएट में हित

स्वत्व का नाम	कारोबार का स्थान / निगम का स्थान	स्वामित्व हित का प्रतिशत %	संबंध	लेखा विधि	वहनीय राशि यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 2020
जीई वीई प्राइवेट लिमिटेड	भारत	26%	संबंद्ध कंपनी	इक्विटी विधि	18,989	16,209
रक्षा नवोन्मेष संगठन	भारत	50%	संबंद्ध कंपनी	#	1	1

वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत लाभ रहित कंपनी, डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गनाइज़ेशन में किए गए निवेश को दर्शाता है। आई.एन.आर. 50,000 [परम अंक को दर्शाता है] के इक्विटी निवेश को छोड़कर, मूल कंपनी का सहयोगी कंपनियों की परिवर्ती प्राप्तियों पर कोई नियंत्रण और कोई अधिकार नहीं होता है।

एसोसिएट में निवेश का उचित मूल्य प्रकट नहीं किया गया है क्योंकि जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड की इक्विटी अनुद्धृत है।

जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड चिकित्सा यंत्रों का निर्माण करती है और इसके उत्पाद बीईएल बेंगलूरु के कंपोनेंट एसबीयू और बीईएल की पुणे यूनिट के कारोबार को सहायता प्रदान करते हैं।

जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी के हित की वहनीय राशि (लेखा परीक्षित)

संक्षिप्त तुलन–पत्र	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
गैर – चालू परिसंपत्तियाँ	23,303	22,736
चालू परिसंपत्तियाँ –		
नकद व नकद समतुल्य	53	338
अन्य परिसंपत्तियाँ	76,552	63,655
कुल चालू परिसंपत्तियाँ	76,605	63,993
कुल परिसंपत्तियाँ	99,908	86,729
गैर – चालू देयताएँ –		
व्यापार देय के अलावा वित्तीय देयताएँ	31	56
अन्य देयताएँ	688	1,010
कुल गैर – चालू देयताएँ	719	1,066
चालू देयताएँ –		
व्यापार देय के अलावा वित्तीय देयताएँ	713	1,176
अन्य देयताएँ	25,419	22,117
कुल चालू देयताएँ	26,132	23,293
कुल देयताएँ	26,851	24,359
निवल परिसंपत्तियाँ	73,057	62,370
स्टॉक पर अप्राप्त लाभ हटाएं	(6)	(7)
निवल परिसंपत्तियों में कंपनी का हिस्सा	18,989	16,209

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

संक्षिप्त लाभ व हानि का विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
राजस्व	1,23,839	1,21,366
ब्याज की आय	1,403	1,546
मूल्यह्रास और ह्रास	3,481	3,112
ब्याज का व्यय	32	41
आय कर व्यय	3,890	4,011
वर्ष का लाभ	11,673	12,369
अन्य व्यापक आय	14	(91)
कुल व्यापक आय	11,687	12,278
लाभ में कंपनी का हिस्सा	3,035	3,216
स्टॉक पर प्राप्त नहीं किया गया लाभ	7	(7)
लाभ में कंपनी का निवल हिस्सा	3,042	3,209
कंपनी का ओसीआई हिस्सा	4	(24)
कुल व्यापक आय में कंपनी का हिस्सा	3,046	3,185

मूल कंपनी ने उसकी संबंद्ध कंपनी (जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड) से प्राप्त लाभांश रु. 260 (कुछ नहीं) है ।

वहनीय राशियों का समाधान

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक निवल परिसंपत्तियाँ	16,209	13,024
वर्ष का लाभ	3,042	3,209
अन्य व्यापक आय	4	(24)
स्टॉक पर अप्राप्त लाभ	(6)	-
अदा किया गया लाभांश	260	-
अंतिम निवल परिसंपत्तियाँ	**18,989**	**16,209**

एसोसिएट से संबंधित प्रतिबद्धताएँ और आकस्मिक देयताएँ–

विवरण	जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड	
	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
पूँजीगत प्रतिबद्धताएँ	174	268
अन्य प्रतिबद्धताएँ	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएँ	831	831

स्वत्व का नाम		डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन
कारोबार / निगमन का स्थान		भारत
स्वामित्व हित का %		50%
संबंध		एसोसिएट
वहनीय राशि	2020-21	1
	2019-20	1

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

घ. अनुसूची III के तहत अपेक्षित अतिरिक्त सूचना

स्वत्व का नाम	वर्ष	निवल परिसंपत्तियां जैसे कुल परिसंपत्तियों में से कुल देयताएँ घटाकर		लाभ व हानि में हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा	
		समेकित निवल परिसंपत्तियाँ के % में	राशि	समेकित लाभ व हानि के % में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % में	राशि	समेकित कुल व्यापक आय के % में	राशि
मूल कंपनी –									
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि.	2020-21	95.59%	10,58,651	98.17%	2,06,129	99.52%	(8,709)	98.11%	1,97,420
	2019-20	95.52%	9,63,383	97.89%	1,78,628	92.97%	(3,814)	98.00%	1,74,814
सहायक कंपनियां –									
भारतीय									
बीईएल ऑप्ट्रानिक डिवाइसेस लि. (बेलॉप)	2020-21	2.17%	24,052	0.23%	490	0.53%	(46)	0.22%	444
	2019-20	2.33%	23,528	0.16%	301	6.44%	(264)	0.02%	37
बीईएल – थालेस सिस्टम्स लि.	2020-21	0.39%	4,266	0.11%	233	-	-	0.12%	233
	2019-20	0.40%	4,033	0.14%	247	-	-	0.14%	247
सहायक कंपनी में नियंत्रणेतर हित–									
भारतीय									
बीईएल – थालेस सिस्टम्स लि.	2020-21	0.14%	1,499	0.04%	82	-	-	0.04%	82
	2019-20	0.14%	1,417	0.05%	87	-	-	0.05%	87
एसोसिएट (इक्विटी विधि के अनुसार निवेश) –									
भारतीय									
जीई बीई प्रा. लि.	2020-21	1.71%	18,989	1.45%	3,042	-0.05%	4	1.51%	3,046
	2019-20	1.61%	16,209	1.76%	3,209	0.59%	(24)	1.79%	3,185
कुल	2020-21	100%	11,07,457	100%	2,09,976	100%	(8,751)	100%	2,01,225
	2019-20	100%	10,08,570	100%	1,82,472	100%	(4,102)	100%	1,78,370

टिप्पणी 33
वित्तीय विलेख – उचित मूल्य मापन

1 लेखा वर्गीकरण एवं उचित मूल्य

निम्नलिखित टेबल वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वहनीय राशि और उचित मूल्य दर्शाता है –

	विवरण	यथा 31 मार्च 2021			यथा 31 मार्च 2020		
		FVPL	FVOCI	परिशोधित लागत	FVPL	FVOCI	परिशोधित लागत
	उचित मूल्य में मापित वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
ख	निवेश						
i	इक्विटी विलेख – मना एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्रा. लि.	-	12	-	-	11	-
ii	इक्विटी विलेख – डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन	-	1	-	-	1	-
iii	अन्य निवेश						
क.	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में निवेश (छुट्टी नकदीकरण और बीईआरईसीएचएस के लिए)	1,11,592	-	-	94,811	-	-
	उप कुल	1,11,592	13	-	94,811	12	-

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

	विवरण	यथा 31 मार्च 2021			यथा 31 मार्च 2020		
		FVPL	FVOCI	परिशोधित लागत	FVPL	FVOCI	परिशोधित लागत
	वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें उचित मूल्य में नहीं मापा गया						
II	**व्यापार प्राप्य**	–	–	6,56,199	–	–	6,72,402
III	**ऋण**						
क	प्रतिभूति जमा	–	–	4,038	–	–	4,104
ख	कर्मचारियों को ऋण	–	–	888	–	–	863
IV	**नकद और नकद समतुल्य**	–	–	3,04,290	–	–	1,62,063
V	**अन्य बैंक शेष**	–	–	2,03,086	–	–	3,987
VI	**अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ**						
क	कर्मचारियों को अग्रिम	–	–	165	–	–	178
ख	अन्य को अग्रिम	–	–	5	–	–	2
ग	प्राप्य (व्यापार-इतर प्राप्य)	–	–	614	–	–	1,056
घ	मीयादी जमा पर प्रोद्भुत ब्याज	–	–	–	–	–	4
ङ	12 महीनों से अधिक परिपक्वता के बैंक जमा	–	–	195	–	–	71
च	प्रोद्भूत ब्याज जो मीयादी जमा पर देय नहीं हुई	–	–	1,300	–	–	299
छ	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	–	–	2,620	–	–	4,490
	अन्य निवेश						
क	को-ऑपरेटिव सोसाइटियों, हाउसिंग सोसाइटियों आदि में निवेश*		–	–	–	–	–
	उप कुल	–	–	11,73,400	–	–	8,49,519
	कुल	1,11,592	13	11,73,400	94,811	12	8,49,519

* आईएनआर 4,750 (आईएनआर 4,750) परम अंक दर्शाता है जिसे पूर्णांकित किया गया।

	विवरण	यथा 31 मार्च 2021			यथा 31 मार्च 2020		
		FVPL	FVOCI	परिशोधित लागत	FVPL	FVOCI	परिशोधित लागत
	उचित मूल्य में मापित वित्तीय परिसंपत्तियाँ	–	–	–	–	–	–
	कुल	–	–	–	–	–	–
	उचित मूल्य में मापित वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
ख	उधार	–	–	–	–	–	–
II	व्यापार प्राप्य	–	–	3,29,851	–	–	2,45,033
III	**अन्य वित्तीय देयताएँ**						
क	व्यापार देय पर प्रोद्भूत और देय ब्याज	–	–	6	–	–	7
ख	दीर्घकालीन उधार की चालू परिपक्वता			–			833
ग	प्रतिभूति जमा	–	–	27,278	–	–	22,399
घ	अदत्त परिपक्व जमा राशियाँ	–	–	37	–	–	37
ङ	अदत्त लाभांश	–	–	211	–	–	148
च	एमएसएमई को बकाया व्यापार इतर देय	–	–	208	–	–	270
छ	बकाया व्यय	–	–	46,709	–	–	49,580
ज	अन्य व्यापार देयता	–	–	20,948	–	–	14,060
झ	प्रोद्भूत ब्याज और मीयादी जमा पर देय	–	–	–	–	–	–
ञ	पट्टे की अन्य देयता	–	–	252	–	–	297
ट	अन्य देयताएँ	–	–	1,461	–	–	1,183
	कुल	–	–	4,26,961	–	–	3,33,847

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

2 **उचित मूल्य का पदानुक्रम**

वित्तीय विलेखों के उचित मूल्य मापन, जहाँ लागू हो, के लिए प्रयुक्त पदानुक्रम स्तर नीचे दिए गए हैं –

	विवरण	टिप्पणी	यथा 31 मार्च 2021			यथा 31 मार्च 2020		
			स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
I	**उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ – आवर्ती उचित मूल्य मापन**							
क	वित्तीय परिसंपत्तियाँ							
i	FVPL में वित्तीय निवेश	6	–	111592	–	–	94811	–
ii	FVOCI में वित्तीय निवेश – अनुद्धृत	6	–	–	13	–	–	12
II	**वित्तीय परिसंपत्तियाँ एवं देयताएं जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा गया**		किसी अलग उचित मूल्य का प्रकटण नहीं किया गया है क्योंकि इन परिसंपत्तियों और देयताओं का वहनीय मूल्य उनके उचित मूल्य को दर्शाता है।					

स्तर 1– स्तर 1 के पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करते हुए मापित वित्तीय विलेख शामिल हैं।

स्तर 2– ऐसे वित्तीय विलेख जिनका लेनदेन सक्रिय बज़ार में नहीं किया गया है, का उचित मूल्य ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग कर तय किया जाता है जो प्रेक्षणीय बाज़ार आंकड़ों का उपयोग अधिकतम करते हैं और निकाय के विशिष्ट प्राक्कलनों पर कम से कम निर्भर होते हैं।

स्तर 3– यदि एक या एक से अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियाँ प्रेक्षणीय बाज़ार आंकड़ों पर आधारित नहीं होती हैं तो विलेख को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के मामलों में ऐसा किया जाता है।

3 **उचित मूल्य तय करने में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक मूल कंपनी :–**

क. एलआईसी निवेश – (स्तर 2)

एलआईसी की योजना के मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित

ख. मना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लि. – (स्तर 3)

बीईएल ने मना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लि. जो कि गैर-सूचीबद्ध कंपनी है, की इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश किया है। मना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लि. में निवेश की कंपनी की लागत केवल रु. 5 (रु. 163 की जारी शेयर पूँजी में से) है। कंपनी ने उचित मूल्यांकन के लिए निवल परिसंपत्ति मूल्य विधि चुना है।

ग. डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन (डीआईओ) – (स्तर 3)

बीईएल ने डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन (डीआईओ) जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार एक 'लाभरहित कंपनी' है और जिसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में नवोन्मेष का वित्त-पोषण करना है, की इक्विटी पूँजी में अंशदान किया है। कंपनी ने उचित मूल्यांकन के लिए निवल परिसंपत्ति मूल्य विधि चुना है।

टिप्पणी 34
वित्तीय जोखिम प्रबंधन

i. **जोखिम प्रबंधन का ढांचा और नीतियाँ**

ग्रूप में वित्तीय विलेखों के परिणामस्वरूप व्यापक रूप से क्रेडिट जोखिम, चलनिधि जोखिम और बाज़ार का जोखिम (विनिमय दरों, ब्याज की दरों और कीमत जोखिम में उतार-चढ़ाव) बना रहता है।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

कंपनी की जोखिम प्रबंधन संरचना की संस्थापना, निगरानी और पर्यवेक्षण की समग्र जिम्मेदारी निदेशक मंडल की होगी। मंडल ने इस प्रयोजनार्थ एक जोखिम प्रबंधन समिति गठित की है जो जोखिम प्रबंधन नीतियों को तैयार करने और उनकी निगरानी करने के लिए जिम्मेदार होगी। कंपनी ने एक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है जिसमें जोखिम प्रबंधन की संरचना दी गई है और वित्त तथा प्रचालन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, वरीयता और उपचार की व्यापक संरचना दी गई है।

मूल कंपनी में एक केंद्रीकृत निधि विभाग है जो मंडल द्वारा तैयार की गई नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार वित्तीय जोखिमों को कम करने के उचित उपाय करता है। बचाव संबंधी व्यवहार बाहरी विशेषज्ञ के सलाह से उपयुक्त कौशल और अनुभव रखने वाली टीम द्वारा किए जाते हैं। कंपनी सट्टा बाज़ार में व्यापार नहीं करती।

ii. **बाज़ार जोखिम**

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो विदेशी मुद्रा दरों के रूप में बाजार मूल्य में परिवर्तन करता है, ब्याज दरें कंपनी की आय या वित्तीय साधनों की इसकी होल्डिंग के मूल्य को प्रभावित करेगी। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य रिटर्न को अनुकूलित करते हुए स्वीकार्य मापदंडों के भीतर बाजार जोखिम जोखिमों का प्रबंधन और नियंत्रण करना है।

ग्रूप की गतिविधियाँ मुख्य रूप से विदेशी विनिमय दरों और ब्याज दर आंदोलनों में बदलाव के वित्तीय जोखिमों को उजागर करती हैं (मुद्रा जोखिम और ब्याज जोखिम के नीचे के नोट देखें)।

iii. **मुद्रा जोखिम**

ग्रूप विदेशी मुद्रा संचालन से उत्पन्न होने वाले विदेशी विनिमय जोखिम खासकर अमेरिकी डॉलर, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और जापानीस येन जैसे विदेशी मुद्राओं में खरीदी और बिक्री से संबंधित होता है इसका खुलासा करता है। विदेशी मुद्रा जोखिम मौजूदा और भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न होता है और मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों और देनदारियों की मुद्रा मानी जाती है जो कि कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (आई.एन.आर.) नहीं है ।

ग्रूप के पास जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा कार्यान्वित एक बोर्ड अनुमोदित मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति है जो इस जोखिम के लिए कंपनी के जोखिम को नियमित आधार पर समीक्षा करती है। जोखिम प्रबंधन नीति खुली विदेशी मुद्रा जोखिम के 50% तक बचाव व्यवस्था की सिफारिश करती है। हालांकि बचाव व्यवस्था में प्रवेश करने का निर्णय प्रासंगिक डेटा आदानों के आधार पर जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए बनाए गए बाहरी विशेषज्ञ सलाहकार की सलाह दी जाती है।

मूल कंपनी का निर्यात आय ज्यादातर एक निर्यात अर्जक विदेशी मुद्रा खाते (ईईएफसी) में प्रेषण द्वारा महसूस होता है, जिसका उपयोग विदेशी मुद्रा में किए जाने वाले भुगतानों के लिए किया जाता है, जिससे निर्यात पर मुद्रा जोखिम को कम किया जा सकता है। लगभग 7% (10%) वार्षिक विदेशी मुद्रा के बाहर जाने का आयात संबंधित ग्राहक संविदा में विनिमय दर भिन्नता (ईआरवी) खंड द्वारा कवर नहीं किया गया है और इसलिए यह मुद्रा जोखिम के लिए खुला होता है। इन आयातों को मामले दर मामले के आधार पर नीति और जोखिम को कवर करने के लिए उचित निर्णय मामले के आधार पर मानदंड किया जाता है। जहां भी जरूरत हो, कंपनी की मुद्रा जोखिम नीति आगे की आवश्यकता के मुताबिक जोखिम को कम करने के लिए बचाव व्यवस्था संविदा का समर्थन करती है।

यथा 31 मार्च 2021 को, कोई बकाया वायदा संविदा नहीं है।

प्रमुख मुद्राओं के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम हेतु ग्रूप एक्सपोज़र नीचे दिए गए है –

विवरण	यथा 31.03.2021					यथा 31.03.2020				
	USD	EURO	GBP	CHF	J Yen	USD	EURO	GBP	CHF	J Yen
व्यापार प्रदेय	615	163	22	11	117	1609	175	14	22	136
व्यापार प्राप्य	275	23	–	–	–	267	6	–	–	
निवल एक्सपोज़र	340	140	22	11	117	1342	169	14	22	136

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

iv. **विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता**

विनिमय दर में होने वाले लाभ या हानियों की संवेदनशीलता मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा में निहित वित्तीय साधनों से होती है । प्रमुख मुद्राओं के संबंध में संवेदनशीलता की विविधता नीचे दी गई है । यह विश्लेषण स्पष्ट करता है कि अन्य सभी परिवर्तनशील लगातार बने रहते हैं।

विवरण	लाभ पर प्रभाव	
	यथा 31.03.2021	यथा 31.03.2020
USD - 5% बढ़ोत्तरी	1,264	5,122
USD - 5% कमी	(1,264)	(5,122)
EURO - 5% बढ़ोत्तरी	613	718
EURO - 5% कमी	(613)	(718)
GBP - 5% बढ़ोत्तरी	113	65
GBP - 5% कमी	(113)	(65)
CHF - 5% बढ़ोत्तरी	44	89
CHF - 5% कमी	(44)	(89)
J Yen - 5% बढ़ोत्तरी	4	5
J Yen - 5% कमी	(4)	(5)

v **ब्याज दर जोखिम**

ब्याज दर जोखिम या तो उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम या नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम हो सकता है। उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के कारण निश्चित ब्याज वाले निवेश के उचित मूल्यों में होने वाले बदलावों का जोखिम है। नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है ताकि बाजार में ब्याज दर में उतार-चढ़ाव की वजह से चलायमान ब्याज वाले उपकरणों के भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा।

vi. **परिवर्तनीय दर उधार-**

मूल कंपनी को 31.03.2017 को रु. 10,000 का मीयादी ऋण स्वीकृत किया गया है 31 मार्च 2021 को बकाया राशि कुछ नहीं (रु. 833) है। इस ऋण पर देय ब्याज एसबीआई की न्यूनतम वाणिज्यिक उधार दर पर आधारित है - एमसीएलआर एसबीआई वार्षिक आधार पर वसूल किए गए ब्याज को वापस लेने के लिए पात्र है।

इसके अलावा मूल कंपनी को 4,00,000 की कार्यशील पूँजी की सीमा को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत सीमा में निधि आधारित सीमा 50,000 रुपये और गैर-आधारित आधार सीमा रु. 3,50,000 शामिल हैं। वर्ष के दौरान रु. 50,000 की निधि आधारित सीमा का उपयोग नहीं किया गया है 31 मार्च 2020 तक बकाया शून्य है (31 मार्च 2019 शून्य है)। नॉनफंड आधारित सीमा के संबंध में 31.03.2020 को बकाया राशि रु. 2,80,322 (रु. 3,14,236) है। यह ब्याज एसबीआई की 1 वर्ष की एमसीएलआर दर के आधार पर देय है। चूंकि ऋण लेना शून्य है, इसलिए ब्याज दरों में संभावित बदलाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

सहायक कंपनी बेलॉप के मामले में भी एसबीआई के संघीय बैंकों (अग्रणी बैंक) और एक्सिस बैंक द्वारा रु. 4,600/- की वित्त आधारित और गैर-वित्त आधारित कार्यशील पूँजी सीमा मंजूर की गई है। इसकी ब्याज दर 8.30% प्रतिवर्ष(एक्सिस बैंक) और 7.10% प्रतिवर्ष (एसबीआई) है। एसबीआई और एक्सिस बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज दर उनके आधार दर से जुड़े होते हैं जिनमें उतार-चढ़ाव हो सकता है। 31 मार्च 2021 को बकाया कुछ नहीं है जिसके संबंध में देय ब्याज एसबीआई और एक्सिस बैंक की आधार पर पर आधारित है (निबंधन व शर्तों के अनुसार, एसबीआई और एक्सिस दोनों बैंक आवधिक आधार पर प्रभारित ब्याज को पुन: निर्धारित करने के पात्र हैं।)

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

vii **इक्विटी मूल्य जोखिम**

इक्विटी मूल्य जोखिम के संबंध में ग्रूप का निवेश नगण्य है क्योंकि इसके औचित्य निवेश (सहायक व सहयोगी के अलावा) नगण्य है।

viii. **चलनिधि जोखिम**

चलनिधि जोखिम वह जोखिम है कि ग्रूप को वित्तीय देनदारियों से जुड़ी दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, नकदी और अन्य वित्तीय संपत्ति या जोखिम के जरिये कंपनी को अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने में कठिनाई का सामना करना होगा। लिक्विडिटी जोखिम के लिए ग्रूप का अनावरण बहुत कम है क्योंकि इसमें एक विवेकपूर्ण चलनिधि जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से पर्याप्त दायित्वों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी और बिक्री योग्य प्रतिभूतियां बनाए रखता है। जब आवश्यक हो वित्तपोषण की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी को बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा, नकद ऋण सुविधा और अल्पकालिक उधार की प्रकृति में अपनी चालू कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं और विकास की जरूरतों के लिए उपयोग किया जाता है।

ग्रूप अपनी चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करती है मुख्य रूप से आंतरिक रूप से उत्पन्न नकदी प्रवाहों के माध्यम से जो कि राजकोष द्वारा मुख्य बिन्दु पर निगरानी रखी जाती है। विभिन्न ऑपरेटिंग यूनिटों से नकद पूर्वानुमान के रोलिंग की एक स्थापित प्रक्रिया है जो देयताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित नकदी प्रवाह को अंकित करने का आधार बनाती है।

नीचे दी गई तालिका में ग्रूप की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण किया गया है, जो उनके संविदा संबंधी परिपक्वता पर आधारित हैं। दर्शित राशि संविदात्मक और रियायती नकदी प्रवाह है।

यथा 31 मार्च 2021

विवरण	3 महीनों से कम	3 से 6 महीने	6 महीनों से 1 वर्ष	1 या 2 वर्षों के बीच	2 या 5 वर्षों के बीच	5 वर्षों से अधिक	कुल
उधार	–	–	–	–	–	–	–
व्यापार प्रदेय	3,13,478	13,106	3,238	29	–	–	3,29,851
दीर्घकालिक कर्ज की चालू परिपक्व राशियाँ	–	–	–	–	–	–	–
व्यापार प्रदेय पर दावे एवं प्रोद्भूत ब्याज	6	–	–	–	–	–	6
पट्टे की देयता	36	33	66	68	38	11	252
अन्य वित्तीय देयताएँ	74,599	5,246	16,336	501	170	–	96,852

यथा 31 मार्च 2020

विवरण	3 महीनों से कम	3 से 6 महीने	6 महीनों से 1 वर्ष	1 या 2 वर्षों के बीच	2 या 5 वर्षों के बीच	5 वर्षों से अधिक	कुल
उधार	–	–	–	–	–	–	–
व्यापार प्रदेय	2,29,781	11,553	3,679	20	–	–	2,45,033
दीर्घकालिक कर्ज की चालू परिपक्व राशियाँ	833	–	–	–	–	–	833
व्यापार प्रदेय पर दावे एवं प्रोद्भूत ब्याज	7	–	–	–	–	–	7
पट्टे की देयता	35	31	48	90	89	4	297
अन्य वित्तीय देयताएँ	72,231	1,782	8,913	4,707	44	–	87,677

31 मार्च 2021 को ग्रूप में कोई बकाया व्युत्पन्नी नहीं है।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

ix. **ऋण जोखिम**

ऋण जोखिम ऐसे जोखिम को दर्शाता है जिससे कारण प्रति–पक्षकार द्वारा अपने संविदा संबंधी दायित्वों पर चूक करने के परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है । ग्राहकों से ऋण जोखिम, बैंकों के साथ नकदी और नकद समकक्ष, सुरक्षा जमा और ऋण से ऋण जोखिम उत्पन्न होता है।

कंपनी के ऋण जोखिम को जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा एक कॉरपोरेट स्तर पर प्रबंधित किया जाता है जिसने अपने ग्राहकों और अन्य प्राप्तियों के लिए क्रेडिट नीति के मानदंडों की स्थापना की है। व्यापार प्राप्तियों की महत्वपूर्ण मात्रा सरकारी / सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) की वजह से होती है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को ऐसी प्राप्तियों के साथ जुड़े क्रेडिट जोखिम नहीं मिलता है। गैर सरकारी व्यापार प्राप्तियों के मामले में, आम तौर पर बिक्री ग्राहक द्वारा स्थापित साख–पत्र के आधार पर किया जाता है जिससे क्रेडिट जोखिम कम हो जाता है।

कुछ मामलों में, ग्राहक की शोधन क्षमता का आकलन करने के बाद और ऋण योग्यता को निर्धारित करने के लिए आवश्यक कारणों से बाजार की स्थितियों के आधार पर ग्राहकों के ऋण को बढ़ाया जाता है। अग्रिम भुगतान बैंक गारंटी के प्रतिकूल किए जाते हैं जो इस तरह के भुगतान से जुड़े क्रेडिट जोखिम को सुरक्षित रखते हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों पर नुकसान हानि (जो मुख्य रूप से विलंबित सुपुर्दगियों तथा अन्य अस्वीकृतियों के लिए उगाही योग्य निर्णीत हर्जाने को दर्शाते हैं) संविदा के नियमों आदि कारकों और अन्य संकेतकों के बाद किया गया है।

बैंकों के साथ नकद और नकद समकक्ष 1 वर्ष तक की परिपक्वता अवधि के परिप्रेक्ष्य अवधि के साथ अल्पकालिक जमा के रूप में हैं। कंपनी की एक अच्छी तरह से संरचित जोखिम निवारण नीति है जिसके तहत प्रत्येक बैंक के लिए अपनी कुल मूल्य और कमाई क्षमता के आधार पर निर्धारित सीमाएं हैं, जो कि आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती हैं। कंपनी ने जमाओं पर बैंकों से चूक के कारण किसी भी प्रकार की हानि नहीं की है ।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में ऋण जोखिम नगण्य है क्योंकि वे ज्यादातर सरकारी विभाग / पक्षकारों के कारण होते हैं।

x. **पूंजी प्रबंधन**

ग्रूप का पूंजी प्रबंधन का उद्देश्य शेयरधारकों को पर्याप्त रिटर्न प्रदान करने के लिए एक मजबूत पूंजी आधार बनाए रखना है और कंपनी की क्षमता बढ़ती चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता सुनिश्चित करना है। कंपनी के पास ऋण के माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण है, लेकिन यह उचित समय पर इस विकल्प का लाभ उठाने और इष्टतम पूंजी संरचना को बनाए रखने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

मूल कंपनी के पास एक अच्छी तरह से निर्धारित लाभांश वितरण नीति है जो भविष्य के विकास और शेयर धारकों के धन को बढ़ाने के लिए अधिशेष के लाभांश और प्रतिधारण के भुगतान के लिए रूपरेखा तैयार करती है। कंपनी ने क्वार्टर के निर्माण के लिए बैंक से रु. 10,000 की राशि उधार ली है। 31 मार्च 2020 तक बकाया राशि रु. 833 (रु. 3,334) [टिप्पणी 18 और 20 देखें।] कंपनी को बैंकों के साथ उधार की सीमा को रु. 4,00,000 की मंजूरी दी गई है।

गियरिंग अनुपात –

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
निवल ऋण	–	833
कुल इक्विटी	11,05,958	10,07,153
निवल ऋण से इक्विटी का अनुपात	–	0.001:1

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

टिप्पणी 35
सुरक्षा हेतु गिरवी परिसंपत्तियाँ

मियादी ऋण एवं चालू पूँजी उधार राशियाँ के लिए सुरक्षा हेतु गिरवी परिसंपत्तियाँ का स्वीकृत राशि –

विवरण	यथा 31 मार्च 2021	यथा 31 मार्च 2020
(i) वस्तुसूचियाँ	4,96,798	3,95,830
(ii) व्यापार प्राप्य	6,56,199	6,72,402
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	3,04,177	1,62,060
(iv) बैंक शेष [उपर्युक्त (iii) के अलावा]	2,01,830	3,839
(v) ऋण	1,566	1,734
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4,652	3,180
(vii) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	6,65,291	5,95,466
सुरक्षा हेतु गिरवी कुल चालू परिसंपत्तियाँ	23,30,513	18,34,511

उधार राशियाँ के विवरण हेतु टिप्पणी 18 एवं 20 देखें । सहायक कंपनी बेलोप के मामले में, कार्यशील पूँजी को भूमि और भवन पर साम्य गिरवी के माध्यम से सममात्रा प्रभार से भी रक्षित किया जाता है ।

टिप्पणी 36
महत्वपूर्ण प्राक्कलन और फैसले [मूल कंपनी]

वित्तीय विवरणों की तैयारी करते समय, प्रबंधन ने कुछ निर्णय, प्राक्कलन और धारणाएं बनाई हैं जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की रिपोर्ट की मात्रा को प्रभावित करती हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों के लिए संशोधनों को भविष्य में मान्यता प्राप्त है।

लेखा नीतियों को कार्यान्वित करते समय लिए गए फैसले वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशि पर महत्वपूर्ण प्रभाव है जिसके तहत सामग्री समायोजन में जिसके परिणामस्वरूप होने का एक महत्वपूर्ण जोखिम इस प्रकार है –

i. **अनुसंधान और विकास व्यय – लेखा नीति सं. 10 (टिप्पणी संख्या 5 एवं 12 देखें)**

   नहीं लागत नहीं प्रतिबद्धता (एनसीएनसी) परियोजनाओं और संयुक्त विकास परियोजनाओं के संबंध में किए गए विकास संबंधी व्यय जो कि विकास साझेदार द्वारा पूरी तरह से क्षतिपूरण नहीं किए जाते हैं, परियोजना के पूरा होने तक आगे किए जा रहे हैं।

ii. **निर्धारित लाभ दायित्व का अनुमान – मुख्य बीमांकिक मान्यताएं – (टिप्पणी संख्या 21 देखें)**

iii. **वारंटी दावों के प्रावधान का आकलन (टिप्पणी संख्या 21 देखें)**

   वारंटी प्रावधान गणना में प्रवृत्ति आधारित विश्लेषण के आधार पर औसत वारंटी लागत का आकलन शामिल है। यदि विविध अनुमान लगाया जाए, तो यह उसी मान्य व्यय को प्रभावित करेगा।

iv. **राजस्व का निर्धारण अभिचिह्नन – (टिप्पणी संख्या 23 देखें)**

   पूर्णता विधि का प्रतिशत संविदा पूरा करने के लिए अनुमानित कुल लागतों के वास्तविक लागत के आधार पर पूरा होने के चरण का अनुमान लगाता है। अगर विविध अनुमान लगाए जाए, तो यह उसी संबंधित राजस्व को प्रभावित करेगा।

लेखों की टिप्पणियां

(रु. लाख में)

v **अमूर्त परिसंपत्तियाँ – (टिप्पणी संख्या 4 और 5 देखें)**

अन्य अमूर्त संपत्ति और विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में आगे की गई राशि को भविष्य के आर्थिक लाभों की निश्चितता के संबंध में प्रतिवर्ष हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

vi **पट्टा (टिप्पणी 1 देखें)**

यदि भारतीय ए.एस. 116 की अपेक्षाओं के अनुसार कोई करार पट्टे के रूप में योग्य बनता है तो कंपनी इसका मूल्यांकन करती है। पट्टे की पहचान करना निर्णायक होता है। कंपनी पट्टे के निबंधन (प्रत्याशित नवीकरणों सहित) और लागू बट्टा दर का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है।

बट्टे की दर सामान्य रूप से मूल्यांकन किए जा रहे पट्टे की वृद्धिशील उधार दर पर आधारित होती है।

टिप्पणी 37
आयकर के उपचार की अनिश्चितता मूल कंपनी

1. 24 मार्च, 2021 को, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने एक अधिसूचना द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में संशोधन किया। इन संशोधनों द्वारा अनुसूची III के प्रभाग I, II और III में को पुनरीक्षित किया गया जो 1 अप्रैल, 2021 से लागू हैं। प्रभाग II से संबंधित प्रमुख संशोधन जो ऐसी कंपनियों से संबंधित हैं जिनके वित्तीय विवरणों में कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 का पालन करना आवश्यक होता है।), इस प्रकार हैं –

तुलन–पत्र –

- पट्टे की देयता को चालू व गैर–चालू के रूप में विधिवत् अंतर करते हुए वित्तीय देयता शीर्ष के तहत अलग से प्रकट किया जाना चाहिए।
- इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में अतिरिक्त प्रकटण जैसे पूर्वावधि त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन तथा चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में दोबारा बताए गए शेष।
- प्रवर्तकों के शेयरधारण के प्रकटण का निर्दिष्ट प्रारूप।
- व्यापार की लेनदारी, व्यापार देय, पूंजीगत चालू कार्य और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति की प्रौढ़ अनुसूची का निर्दिष्ट प्रारूप।
- यदि किसी कंपनी ने ऐसे निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए निधियों का उपयोग नहीं किया है जिसके लिए ऐसी निधि को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार लिया गया था, तो जहां उनका उपयोग किया गया है, उनके विवरणों का प्रकटण।
- 'अतिरिक्त विनियामक सूचना' के तहत विशेष प्रकटण जैसे व्यवस्थाओं की अनुमोदित योजनाएं, कंपनियों के स्तरों की संख्याओं का अनुपालन, अचल संपत्ति जो कंपनी के नाम पर नहीं है, के हक विलेख, प्रवर्तकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) तथा संबंधित पक्षकारों को ऋण व अग्रिम, धारित बेनामी संपत्ति के विवरण आदि।

लाभ व हानि का विवरण –

- कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) संबंधी अतिरिक्त प्रकटण, समेकित वित्तीय विवरणों के तहत दी गई टिप्पणियों में मफ्अतिरिक्त सूचनाफ शीर्ष के तहत निर्दिष्ट प्रकट न की गई आय या क्रिप्टो अथवा आभासी मुद्रा।

  ये संशोधन व्यापक हैं और उन्हें कानून द्वारा यथा आवश्यक लागू करने के लिए ग्रूप उनका मूल्यांकन करेगा।

2. 18 जून, 2021 को, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने एक अधिसूचना द्वारा कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में संशोधन किया। इन नियमों को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2021 कहा गया है। ये संशोधन कंपनी पर लागू विभिन्न भारतीय लेखा मानकों को प्रभावित करते हैं और 1 अप्रैल 2021 के बाद से शुरु होने वाली लेखा अवधि के लिए लागू हैं। ये संशोधन विस्तृत हैं और कंपनी विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार इन्हें लागू करने के लिए इनका आकलन करेगी।

भारतीय लेखा मानक समेकित वित्तीय विवरणों पर उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ

कार्पोरेट सूचना

साथ में दिए गए वित्तीय विवरणों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (धारक कंपनी) के वित्तीय विवरण हैं। कंपनी भारत में स्थित एक सरकारी कंपनी है और भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर भारत में दो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय और इसके कारोबार का मुख्य स्थान बेंगलूरु, कर्नाटक, भारत में स्थित है ।

कंपनी रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रक्षा क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और प्रणालियों का निर्माण और आपूर्ति करती है। रक्षा क्षेत्र के अलावा, कंपनी असैनिक बाजार में भी सीमित स्तर तक मौजूद है।

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ

1. **तैयार करने का आधार**

   वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर मान्य लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार तैयार किए जाते हैं और प्रस्तुत किए जाते हैं जिनमें अनिवार्य भारतीय लेखा मानक (भारतीय एएस) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पढ़ा जाना है, के तहत यथा अधिसूचित, समय-समय पर यथा संशोधित, और जो जहाँ तक लागू हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान शामिल हैं और इन्हें निरंतरता के साथ लागू किया गया है।

2. **प्राक्कलनों का प्रयोग**

   जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए प्रबंधन के लिए यह आवश्यक होता है कि वह ऐसे अनुमान और पूर्वानुमान लगाए जो वित्तीय विवरणों की तारीख पर रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों, आकस्मिक देयता और आकस्मिक परिसंपत्तियों के प्रकटण को प्रभावित करते हैं। यद्यपि ऐसे अनुमान सभी उपलब्ध सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए औचित्यपूर्ण और दूरदर्शी आधार पर किए जाते हैं, तथापि वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और ऐसे अंतरों को उस अवधि में निर्धारित किया जाता है जिसमें परिणाम अभिनिश्चित किए जाते हैं।

3. **मापन का आधार**

   वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है सिवाय निम्नलिखित परिसंपत्तियों और दायित्वों के, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है-

   - व्युत्पन्नी वित्तीय विलेख, यदि कोई हो
   - वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएँ जो उचित मूल्य पर मापे जाने योग्य हैं
   - निर्धारित अनुलाभ परिसंपत्ति / देयता को निर्धारित अनुलाभ देयता के वर्तमान मूल्य में से योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को घटाकर निर्धारित किया जाता है ।

4. **कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा**

   वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा है ।

5. **राजस्व का निर्धारण**

क. ग्राहकों के साथ ठेका से राजस्व

i. राजस्व को तब निर्धारित किया जाता है जब (या जैसे) कंपनी ग्राहक को वचनबद्ध माल या सेवाओं (जैसे परिसंपत्ति) को अंतरित करते हुए कार्य-निष्पादन की देयता को पूरी करती है ।

ii. **समय के साथ कार्य-निष्पादन देयता को पूरा करना**

क. राजस्व को ऐसे समय के दौरान निर्धारित किया जाता है जहाँ उस कार्य-निष्पादन देयता की पूर्ति के लिए हुई प्रगति को मापते हुए समय के साथ माल या सेवाओं का नियंत्रण अंतरित किया जाता है यदि निम्न से कोई भी एक मानदंड पूरा किया जाता हो-

- कंपनी के कार्य-निष्पादन से ग्राहक को कंपनी के कार्य-निष्पादन करने के साथ-साथ अनुलाभ प्राप्त करने और उनका उपभोग करने का हक मिलता है।
- कंपनी के कार्य-निष्पादन से किसी परिसंपत्ति को तैयार किया जाता है या बढ़ाया जाता है जिसे ग्राहक परिसंपत्ति सृजित करने या बढ़ने के साथ-साथ नियंत्रित करता है।
- कंपनी के कार्य-निष्पादन से कंपनी के वैकल्पिक उपयोग के साथ परिसंपत्ति तैयार नहीं की जाती और कंपनी को यथातिथि पूर्ण किए गए कार्य-निष्पादन के लिए भुगतान का प्रवर्तनीय हक होता है।

ख. कार्य–निष्पादन देयता को पूर्ण करने के लिए की हुई प्रगति का आंकलन रिपोर्टिंग की तारीख तक संविदा पर उपगत वास्तविक लागत से संविदा को पूरा करने के लिए अपेक्षित कुल प्राक्कलित लागत के अनुपात के आधार पर किया जाता है। यदि कार्य–निष्पादन देयता के परिणाम का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और जहां यह संभव है कि लागत की वसूली हो जाएगी, राजस्व को उपगत लागत की सीमा तक निर्धारित किया जाता है ।

ग. एएमसी संविदाओं के मामले में जहाँ समय विस्तारण कार्य–निष्पादन देयताओं को पूर्ण करने का एक मापदंड होता है, राजस्व को निर्गत पद्धति के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

iii. **किसी निश्चित समय में कार्य–निष्पादन देयता को पूर्ण करना**

क. ऐसे मामलों में जहाँ नियंत्रण का अंतरण समय के साथ नहीं होता है, कंपनी उस समय बिंदु पर राजस्व को निर्धारित करती है जब कार्य–निष्पादन देयताएँ पूरी की जाती हैं।

ख. कार्य–निष्पादन देयता को तब पूरा माना जाता है जब ग्राहक परिसंपत्ति का नियंत्रण प्राप्त करता है। नियंत्रण को अंतरित करने के सूचकों में निम्नलिखित शामिल हैं –

- कंपनी ने परिसंपत्ति के भौतिक स्वामित्व का अंतरण किया है
- ग्राहक के पास परिसंपत्ति का न्यायिक अधिकार है
- ग्राहक ने परिसंपत्ति को स्वीकार किया है
- जब कंपनी को परिसंपत्ति पर भुगतान का वर्तमान अधिकार है
- ग्राहक के पास परिसंपत्ति के स्वामित्व का महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल है। महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल स्वामित्व के अंतरण का आंकलन संविदाओं के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक शर्तों (इन्को–टर्म) के आधार पर किया जाता है ।

कारखाना बाह्य संविदा– कारखाना बाह्य संविदाओं के मामले में, राजस्व तब निर्धारित किया जाता है, जब पूर्व निरीक्षण और स्वीकृति, यदि आवश्यक हो, के बाद निर्दिष्ट माल को किसी शर्त के बिना विनियोजित किया जाता है।

एफ.ओ.आर. संविदाएँ– एफ.ओ.आर. संविदाओं के मामले में, राजस्व को तब निर्धारित किया जाता है, जब माल पूर्व निरीक्षण और स्वीकृति यदि निर्दिष्ट हो, के बाद वाहक को खरीददार तक परेषित करने के लिए सौंप दिया जाता है, और एफ.ओ.आर. गंतव्य संविदाओं के मामले में, यदि इस बात की उचित अपेक्षा हो कि माल लेखांकन अवधि के भीतर गंतव्य तक पहुंच जाएगा।

ग. बिल और होल्ड बिक्री

बिल और होल्ड बिक्री को तब निर्धारित किया जाता है जब निम्नलिखित मानदंडों को पूरा किया जाता है–

- बिल और होल्ड बिक्री का समुचित कारण है
- उत्पाद की अलग से पहचान की गई है कि वह ग्राहक का है
- उत्पाद वर्तमान में ग्राहक को भौतिक हस्तांतरण के लिए तैयार है
- कंपनी उत्पाद का उपयोग करने या किसी अन्य ग्राहक को निर्देशित करने में असमर्थ है।

iv. **मापन**

क. राजस्व को लेनदेन मूल्य की ऐसी राशि में निर्धारित किया जाता है जो कार्य–निष्पादन देयता के लिए आबंटित की गई है।

लेन–देन की कीमत उस प्रतिफल की राशि है, जिसके लिए कंपनी को उम्मीद है कि वह तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को छोड़कर, किसी ग्राहक को वचनबद्ध माल या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले में हकदार होगी।

मूल्य वृद्धि और ईआरवी के मामले में, राजस्व का निर्धारण संविदाजन्य शर्तों के अनुसार ग्राहक से वसूल की जाने वाली सर्वाधिक संभावित राशि पर किया जाता है ।

ख. जहां संविदाओं में कई कार्य–निष्पादन देयताएँ शामिल हैं, कंपनी संबंधित स्टैंड–अलोन बिक्री मूल्य के आधार पर प्रत्येक कार्य–निष्पादन दायित्व के लिए लेनदेन मूल्य आबंटित करती है।

संयुक्त संविदाएँ – संयुक्त संविदा के मामले में, जहां संस्थापना और कार्यारंभ या अलग से निर्धारित किए जाने वाले किसी अन्य घटक के लिए अलग शुल्क निर्धारित नहीं है, कंपनी लेनदेन के अलग से पहचाने जाने योग्य घटकों (माल की बिक्री, संस्थापना और कार्यारंभ आदि) का निर्धारण मानदंड लागू करती है और राजस्व को इन घटकों को स्टैंडअलोन बिक्री दर के आधार पर आबंटित करती है।

एकाधिक तत्व – ऐसे मामलों में जहाँ संस्थापना और कार्यारंभ अथवा कोई अलग से निर्धारित किए जाने वाला घटक निर्दिष्ट किया गया है जिसकी कीमत पर अलग से सहमति हुई है, तो कंपनी ऐसे लेनदेन के अलग से निर्धारित किए जाने योग्य घटक (माल की बिक्री तथा संस्थापना एवं कार्यारंभ आदि) पर निर्धाण मानदंड लागू करती है और ऐसे अलग घटकों की स्टैंडअलोन बिक्री कीमत के आधार पर उनके लिए राजस्व आबंटित करती है।

ग. अगर स्टैंड-अलोन बिक्री कीमत उपलब्ध नहीं है तो कंपनी स्टैंड-अलोन बिक्री कीमत का अनुमान लगाती है।

v. **जुर्माना**

संविदा में निर्दिष्ट जुर्माने (सुपुर्दगी में देरी के लिए निर्णीत हर्जाने सहित) को लेनदेन की कीमत दर का अंतर्निहित हिस्सा नहीं माना जाता यदि उसकी उगाही ग्राहक के समीक्षाधीन हो।

vi. **महत्वपूर्ण वित्तीय घटक**

रक्षा संबंधी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए प्राप्त अग्रिमों को महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक निर्धारित करने के लिए विचार में नहीं लिया जाता क्योंकि इसका उद्देश्य संविदा में शामिल पक्षकारों के हितों की रक्षा करना है।

अन्य संविदाओं के लिए, महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक की विद्यमानता की समीक्षा मामला-दर-मामला आधार पर की जाती है।

ख. अन्य आय

अन्य आय का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है –

i. **ब्याज आय**

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करते हुए निर्धारित किया जाता है ।

ii. **लाभांश आय**

कंपनी द्वारा भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर लाभांश आय को निर्धारित किया जाता है।

iii. **किराए की आय**

प्रचालनीय पट्टों से होने वाली किराए की आय का परिकलन पट्टे की अवधि पर सीधी रेखा आधार पर किया जाता है, जब तक किराए में वृद्धि अपेक्षित मुद्रास्फीति के अनुरूप नहीं होती है या अन्यथा उचित होती है।

iv. **शुल्क की कमियां**

निर्यात पर शुल्क की कमी के दावों का परिकलन प्रोद्भूत आधार पर किया जाता है।

v. **अन्य आय**

अन्य आय जिसे ऊपर विशिष्ट रूप से नहीं बताया गया है, को प्रोदभूत आधार निर्धारित किया जाता है।

6. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, पूंजीगत चालू कार्य

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को शुरू में लागत पर मापा जाता है और बाद में लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचयी अनर्जक हानि, यदि कोई हो, को घटाकर मापा जाता है । इस उद्देश्य के लिए लागत में परिसंपत्ति को उसके स्थान और स्थिति में लाने से संबंधित सभी लागत शामिल किए जाते हैं। यदि किसी प्रावधान के लिए निर्धारण मानदंडों को पूरा किया जाता है, तो परिसंपत्ति को इसके उपयोग के बाद समाप्त करने के लिए अपेक्षित लागत का वर्तमान मूल्य संबंधित परिसंपत्ति की लागत में शामिल किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत जो प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर उनके आशयित उपयोग के लिए तैयार नहीं है, को पूंजीगत चालू कार्य के रूप में प्रकट किया जाता है।

पूंजीगत चालू कार्य में आपूर्ति-सह-निर्माण संविदाएं, स्थल पर प्राप्त एवं स्वीकृत पूंजी और मार्गस्थ एवं निरीक्षणाधीन पूंजीगत माल शामिल होते हैं।

7. अमूर्त परिसंपत्तियाँ, विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति

आंतरिक उपयोग के लिए अर्जित साफ्टवेयर (जो संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है) और जिससे भविष्य में महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ अपेक्षित है, उपयोग के लिए तैयार होने पर उसकी लागत को लेखा बहियों में एक अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में निर्धारित किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियाँ जो रिपोर्ट करने की तारीख तक अपने आशयित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, को ''विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति'' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

पूरे किए गए विकास कार्य की लागत, जहाँ कहीं अर्ह हो, को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में निर्धारित किया जाता है।

विकासाधीन कार्य की लागत, जहाँ कहीं अर्ह हो, को "विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति में विकास परियोजनाओं के लिए बाहरी एजसियों को कंपनी द्वारा वित्त पोषित राशि और कंपनी द्वारा सामग्री की लागत, कर्मचारी लागत तथा अन्य प्रत्यक्ष व्यय पर उपगत व्यय शामिल होते हैं।

अमूर्त परिसंपत्तियों को प्रारंभिक रूप से लागत पर और उसके बाद लागत में से संचित परिशोधन और संचित अनर्जक हानि, यदि कोई हो, को घटाकर मापा जाता है।

अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान पर या जब उसके उपयोग अथवा निपटान से कोई भावी आर्थिक अनुलाभ अपेक्षित नहीं होते हैं, निर्धारण से बाहर किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों को निर्धारण से बाहर किए जाने से होने वाली लब्धि या हानि, यदि कोई हो, को लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित किया जाता है।

8. मूल्यह्रास / परिशोधन

मूल्यह्रास का परिकलन परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा आधार पर किया जाता है। तकनीकी आकलन के आधार पर कंपनी भवन, संयंत्र और उपकरण की कुछेक मदों तथा परिसंपत्तियों के अन्य वर्गों का मूल्यह्रास प्राक्कलित उपयोगी जीवन पर करती है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची खख में वर्णित उपयोगी जीवनकाल से अलग होते हैं। प्रबंधन का मानना है कि ये प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल वास्तविक हैं और उस अवधि के निष्पक्ष अनुमान को प्रतिबिंबित करते हैं जिन पर संपत्ति का उपयोग होने की संभावना है।

जहाँ परिसंपत्ति के किसी भाग की लागत उस परिसंपत्ति की कुल लागत के लिए उल्लेखनीय होती है और उस भाग का प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल शेष परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल से अलग होता है तो ऐसे उल्लेखनीय भाग के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल का अलग से निर्धारण किया जाता है और उल्लेखनीय भाग को उसके प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी–रेखा पद्धति आधार पर मूल्यह्रास किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास की विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो, तो भविष्यलक्षी रूप से समायोजित किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियों को उनके उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तारीख से, उनके वैयक्तिक प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा पद्धति आधार पर परिशोधित किया जाता है। अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और परिशोधन के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और उपयुक्त होने पर भविष्यलक्षी रूप से समायोजित किया जाता है।

9. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का निपटान

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कोई मद तथा उसका कोई भाग जिसे प्रारंभ में निर्धारित किया जाता है, को उनके निपटान पर या जब उनके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक अनुलाभ अपेक्षित नहीं होता है, को निर्धारण से बाहर किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को निर्धारण से बाहर करने के कारण प्राप्त लब्धि या हानि (जिसका परिकलन निवल निपटान प्राप्ति, यदि कोई हो, और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहनीय राशि के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है) को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को निर्धारण से बाह करने पर लाभ व हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

10. अनुसंधान और विकास व्यय

(i) अनुसंधान गतिविधि पर व्यय को उसके खर्चे की अवधि के दौरान व्यय के रूप में निर्धारित किया जाता है ।

(ii) विकास व्यय (ग्राहक के अनुरोध पर शुरू किए गए विशिष्ट विकास–सह–बिक्री संविदा और विकास संबंधी परियोजनाओं के अलावा), को उपगत होने पर व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है। विकास–सह–बिक्री संविदाओं और विकास संबंधी परियोजनाएं जो, ग्राहक के अनुरोध पर शुरू किए जाते हैं, पर विकास संबंधी व्यय को अन्य बिक्री संविदाओं के समान माना जाता है।

संयुक्त विकास परियोजनाओं के संबंध में किए गए विकास व्यय, जो विकास साझेदार द्वारा पूरी तरह से प्रतिपूर्ति नहीं किए गए हैं, आगे ले जाया जाते हैं जहां कंपनी को उत्पादन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है और जिनसे भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद है।

विकास परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा की जाती है और अग्रेनीत राशि, यदि कोई हो, को ग्राहक द्वारा आदेश के लिए किसी प्रतिबद्धता के बिना परियोजना को बंद घोषित किए जाने पर शुल्क लिया जाता है।

(iii) अन्य विकास कार्यों से संबंधित व्यय (बाहरी एजेंसियों के सहयोग से किए जाने वाले संयुक्त विकास कार्य सहित) जहाँ अनुसंधान के परिणामों या अन्य ज्ञान का उपयोग नए या वर्धिक उत्पादों या प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए किया जाता है, को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में निर्धारित किया जाता है यदि भारतीय एएस 38 में दिए निर्धारण मानदंड पूरे किए जाते हों और जब विकसित उत्पाद या प्रक्रिया को तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से उपयोग करने की अपेक्षा हो, कंपनी के पास इसको पूर्ण रूप से विकसित कर इस अमूर्त परिसंपत्ति का उपयोग करने या बिक्री करने के लिए पर्याप्त संसाधन हों और वह उत्पाद या प्रक्रिया से भावी आर्थिक अनुलाभ प्राप्त होने की संभावना हो।

(iv) ग्राहक से प्राप्त कोटेशन के अनुरोध के आधार पर, लागत नहीं, प्रतिबद्धता नहीं (एनसीएनसी) परीक्षणों में भाग लेने के लिए विकास संबंधी परियोजनाओं पर किए गए खर्च को परीक्षण समाप्त होने तक आगे ले जाया जाता है और इन्हें आदेशों के प्राप्त होने पर परिशोधित किया जाता है।

यदि ग्राहक का आदेश तुरंत प्राप्त नहीं होने वाला है –

- राशि पूँजीकृत कर दी जाती है यदि उसके उपयोग से अतिरिक्त आर्थिक अनुलाभ अपेक्षित हो, या
- परियोजना को ग्राहक / अंतिम प्रयोक्ता द्वारा आदेश देने की किसी प्रतिबद्धता के बिना बंद किए जाने पर राशि प्रभारित कर दी जाती है।

11. तकनीकी जानकारी पर व्यय

तकनीकी जानकारी पर किए गए खर्च को ऐसे खर्च के उपगत होने पर लाभ व हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है जब तक कि वह पृथक रूप से स्वयं या अन्य परिसंपत्तियों / व्ययों के संयोजन से एक अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में निर्धारित करने के लिए अर्ह नहीं बन जाता है ।

12. निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में लेनदेन लागत सहित लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक निर्धारण के बाद निवेश संपत्तियों को लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित हानि के नुकसान, यदि कोई हो, पर मापा जाता है।

13. गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों का ह्रास

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह मूल्यांकन करती है कि क्या किसी परिसंपत्ति के ह्रास होने के कोई संकेत तो नहीं है। अगर कोई संकेत मौजूद है, या जब परिसंपत्ति के लिए वार्षिक हानि जांच की आवश्यकता होती है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उसे माना जाता है जो परिसंपत्ति या नकद–पैदा करने वाली यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य में से उसके निपटान लागत और उपयोग के दौरान उसके मूल्य को घटाकर जो राशि बचती है, उससे अधिक हो। किसी वैयक्तिक परिसंपत्ति की वसूल योग्य राशि निर्धारित की जाती है जब तक कि परिसंपत्ति द्वारा ऐसी नकदी प्राप्ति नहीं होती जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्ति के समूह से उत्पन्न नकदी प्रवाह से अधिकतर स्वतंत्र नहीं है। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहनीय राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है, तो परिसंपत्ति को ह्रासमान माना जाता है और उसे उसकी वसूली योग्य राशि से बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

उपयोग के दौरान मूल्य का आंकलन करने में प्राक्कलित भावी नकदी प्रवाह को उस समय प्रचलित बाज़ार मूल्यांकन को और उचित मूल्य में से निपटान की लागत को घटाकर उसे निर्धारित करने में परिसंपत्ति विशिष्ट जोखिम को प्रतिबिंबित करने वाले कर–पूर्व डिस्काउंट दर का उपयोग करते हुए उसके वर्तमान मूल्य पर बट्टा दिया जाता है।

ह्रास के प्रावधान को तब व्युत्क्रमित किया जाता है जब किसी परिसंपत्ति या नकद सृजित करने वाली यूनिट (सीजीयू) की प्राक्कलित सेवा संभाव्यता में, ऐसी परिसंपत्ति के ह्रास को अंतिम बार निर्धारित करने की तारीख के बाद, पुनर्मूल्यांकन पर, उपयोग या बिक्री से, बढ़ोत्तरी होती हो।

14. पट्टे

पट्टेदार के रूप में कंपनी–

तृतीय पक्षकारों की संविदाएँ जिनसे कंपनी को किसी परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार प्राप्त होता है, का परिकलन भारतीय ए.एस. 116 – पट्टे के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है, यदि लेखा मानक में निर्दिष्ट निर्धारण मानदंड पूरे होते हों।

अल्पकालिक पट्टों से और कम मूल्य की परिसंपत्तियों से संबंधित पट्टों के भुगतान को पट्टे की अवधि पर सीधी रेखा आधार पर या अन्य क्रमबद्ध आधार, जो लागू हो, पर व्ययों के रूप में प्रभारित किया जाता है।

प्रारंभ की तारीख पर, ''प्रयोग का अधिकार'' के मूल्य को पट्टे के बकाया मूल्य के वर्तमान मूल्य तथा अंतर्निहित परिसंपत्ति को अलग करने या हटाने तथा जिसे संयंत्र, संपत्ति और उपकरण के भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है, की किसी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत या प्राक्कलित लागत, यदि कोई हो, पर पूँजीकृत किया जाता है।

इसके बाद प्रयोग का अधिकार परिसंपत्ति का मापन लागत मॉडल द्वारा किया जाता है।

पट्टे की देयता उस राशि के लिए सृजित की जाती है जो पट्टे के बकाया भुगतान के वर्तमान मूल्य के समतुल्य हो और उसे उधार के रूप में दर्शाया जाता है।

पट्टे के प्रत्येक भुगतान को सृजित देयता और वित्त लागत के बीच आबंटित किया जाता है। वित्त लागत को पट्टे की अवधि पर लाभ व हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है ताकि इससे प्रत्येक अवधि के लिए देयता की शेष राशि पर ब्याज की स्थिर आवधिक दर प्राप्त हो सके।

प्रयोग के अधिकार की परिसंपत्ति का मूल्यह्रास परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल से कम अवधि पर और सीधी रेखा आधार पर पट्टे की अवधि पर किया जाता है ।

पट्टे के भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग कर भुनाया जाता है यदि इसकी दर निर्धारित की जा सकती हो या कंपनी की वृद्धिशील उधार दर पर भुनाया जाता है।

पट्टे के संशोधन, यदि कोई हो, का परिकलन अलग पट्टे के रूप में किया जाता है यदि मानक में निर्दिष्ट मानदंड पूरे किए जाते हों।

पट्टाकर्ता के रूप में कंपनी–

पट्टों को भारतीय ए.एस. 116– पट्टे में निर्दिष्ट निर्धारण मानदंडों के आधार पर प्रचालन पट्टे या वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क) वित्तीय पट्टा –

प्रारंभ की तारीख में, ''पट्टे में निवल निवेश'' के समतुल्य राशि लेनदारी के रूप में दर्शाई जाती है। ''पट्टे में निवल निवेश'' के मूल्य का मापन करने के लिए अंतर्निहित ब्याज दर का उपयोग किया जाता है।

पट्टे के प्रत्येक भुगतान को सृजित लेनदारी और वित्त आय के बीच आबंटित किया जाता है। वित्त लागत को पट्टे की अवधि पर लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित किया जाता है ताकि पट्टे में निवल निवेश पर प्राप्ति की स्थिर आवधिक दर दर्शाई जा सके।

परिसंपत्ति की जाँच विनिर्धारण और भारतीय ए.एस. 109 – वित्तीय विलेख के अनुसार अनर्जकता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए की जाती है।

पट्टे के संशोधन, यदि कोई हों, का परिकलन अलग पट्टे के रूप में किया जाता है यदि उक्त मानक में निर्दिष्ट निर्धारण मानदंड पूरे किए जाते हों।

ख) प्रचालनीय पट्टा –

कंपनी प्रचालनीय पट्टों के पट्टे के भुगतान को सीधी-रेखा आधार या किसी दूसरे क्रमबद्ध आधार, यदि आवश्यक हो, पर आय के रूप में निर्धारित करती है।

पट्टे के संशोधन, यदि कोई हों, का परिकलन अलग पट्टे के रूप में किया जाता है यदि उक्त मानक में निर्दिष्ट निर्धारण मानदंड पूरे किए जाते हों।

15. उधार की लागत

उधार की लागतें प्रत्यक्ष रूप से ऐसी परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के कारण होती है जिसमें उसके आशयित उपयोग के लिए तैयार होने की सारभूत अवधि आवश्यक रूप से लगती है या बिक्री को परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूँजीकृत किया जाता है । उधार की सामान्य लागतों को उस परिसंपत्ति पर खर्च की पूँजीकरण दर का उपयोग करते हुए अर्हक परिसंपत्तियों में पूँजीकृत किया जाता है । पूँजीकरण की दर विशिष्ट उधार को छोड़कर, सामान्य उधार बकाया पर लागू उधार की लागतों का भारित औसत होती है । उधार की अन्य सभी लागतों के व्यय उस अवधि में किए जाते हैं जिसमें वे उपगत होते हैं । उधार की लागतों में ब्याज और ऐसी अन्य लागतें शामिल होती है जो एक निकाय निधियों के उधार के संबंध में उपगत करता है । उधार की लागत में विनिमय के ऐसे अंतर भी शामिल होते हैं जहाँ तक उन्हें उधार की लागतों का समायोजन माना जाता है ।

16. सरकारी अनुदान

सरकार से प्राप्त अनुदान उचित मूल्य पर मापे जाते हैं जिन्हें शुरू में आस्थगित आय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

अचल परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण आस्थगित आय में उपलब्ध राशि को संबंधित परिसंपत्ति का ह्रास मूल्य के अनुपात में अधिग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले सरकारी अनुदानों तक सीमित करते हुए लाभ और हानि विवरण में स्थानांतरित किया जाता है।

राजस्व व्यय के कारण आस्थगित आय में उपलब्ध राशि को कुल मंजूर लागत और वित्त-पोषण के अनुपात अनुमान के अनुसार व्यय और सरकारी अनुदान तक सीमित रखते हुए वहित लाभ और हानि विवरण में स्थानांतरित किया जाता है।

17. वस्तुसूचियां

प्रयोज्य रद्दी को छोड़कर कंपनी के सभी वस्तु सूचियां मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य में से कम पर मूल्यित किए जाते है। रद्दी अनुमानित निवल प्राप्य मूल्य पर मूल्यित किया जाता है। सामग्री की लागत का भारित औसत लागत सूत्र का उपयोग करते हुए पता लगाया जाता है।

कार्य प्रगति और तैयार माल की लागत में सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और उपयुक्त उपरी प्रभार शामिल हैं।

वस्तु सूचियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाता है जो पांच वर्ष से अधिक पुराना हो, जो आगे उपयोग के लिए आवश्यक नहीं हो सकता है।

18. आय कर

आयकर में मौजूदा और आस्थगित कर शामिल हैं।

(i) वर्तमान आय कर

वर्तमान कर परिसंपत्तियां और देनदारियां कराधान प्रधिकारियों से अपेक्षित वसूली की या भुगतान की राशि पर मापे जाते है। इस राशि की गणना करने के लिए प्रयुक्त कर की दरें और कर कानून उन रिपोर्टिंग तारीखों पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित होते हैं। ऐसी मदों से संबंधिक चालू कर जिसे प्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यापक आय में निर्धारित किया जाता है या इक्विटी को अन्य व्यापक आय में या इक्विटी में निर्धारित किया जाता है, लाभ और हानि के विवरण में नहीं।

(ii) आस्थगित कर

आस्थगित कर रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर और उनकी आगे लाई गई राशि के साथ तुलन-पत्र विधि का उपयोग करते हुए प्रदान किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतर, अप्रयुक्त कर क्रेडिट को आगे ले जाते हुए और अप्रयुक्त कर हानियों के लिए निर्धारित किया जाता है जहाँ तक कि इस बात की संभावना हो कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके समक्ष कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मात्रा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस हद तक कम हो जाती है कि यह अब संभव नहीं है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या हिस्से का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

19. वारंटियों के लिए प्रावधान

कार्य-निष्पादन की गारंटी और बेचे गए माल के प्रतिस्थापन / मरम्मत के कारण व्यय का प्रावधान प्रवृत्ति आधारित अनुमानों के आधार पर किया जाता है।

ऐसे मामलों में जहाँ ऐसी प्रवृत्ति अभिनिश्चित नहीं की जा सकती, प्रबंधन के सर्वोत्तम प्राक्कलनों के आधार पर वारंटी का प्रावधान किया जाता है।

20. विदेशी मुद्राओं के लेनदेन और रूपांतरण

विदेशी मुद्राओं में लेन-देन शुरू में कंपनी द्वारा उस तारीख की संबंधित मुद्रा विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है जिस तारीख में ऐसे लेनदेन निर्धारित करने के लिए पहले अर्ह होते हैं। विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं को रिपोर्टिंग की तारीख में अंतिम मुद्रा-विनिमय दर का प्रयोग करते हुए कार्यशील मुद्रा में रूपांतरित किया जाता है। मौद्रिक मदों के निपटान या रूपांतरण से आने वाले अंतर को लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित किया जाता है। गैर-मौद्रिक मदें जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के परिप्रेक्ष्य में मापा जाता है, को प्रारंभिक लेनदेन की तारीखों की मुद्रा-विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रूपांतरित किया जाता है।

21. कर्मचारी हितलाभ

(i) संबंधित सेवाएँ प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूरी तरह देय सभी कर्मचारी हितलाभों को अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनमे मुख्य रूप से शामिल हैं (क) मजदूरी और वेतन; (ख) अल्पकालिक प्रतिपूरक अनुपस्थिति; (ग) लाभ-भाजन, प्रोत्साहन और बोनस और (घ) गैर-मौद्रिक लाभ जैसे चिकित्सा देखभाल, सहायता-प्राप्त परिवहन, कैंटीन सुविधाएं आदि, जिन्हें बट्टारहित आधार पर मूल्यांकित किया जाता है और संबंधित सेवाएं प्रदान करने की अवधि के दौरान निर्धारित किया जाता है।

(ii) दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियाँ जैसे वार्षिक छुट्टी, बीमारी छुट्टी और आधा वेतन छुट्टी को प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुए बीमांकिक आधार पर वार्षिक रूप से निर्धारित देयता के वर्तमान मूल्य तथा तुलन-पत्र में किए गए प्रावधान के वहनीय मूल्य के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और इसका प्रावधान किया जाता है।

(iii) कर्मचारियों को उपदान और कर्मचारी भविष्य निधि के भुगतान के लिए वृद्धिशील देयता का निर्धारण प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुए बीमांकिक आधार पर वार्षिक रूप से निर्धारित देयता के वर्तमान मूल्य और इस प्रयोजनार्थ स्थापित अनुमोदित ट्रस्ट जिसके लिए भविष्य निधि के मामले में मासिक अंशदान किए जाते हैं और उपदान के मामले में एकमुश्त अंशदान दिए जाते हैं, में वित्त-पोषित योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है।

(iv) बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना (बीईआरईसीएचएस) के तहत वृद्धिशील देयता का निर्धारण प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुए बीमांकिक आधार पर वार्षिक रूप से किया जाता है और इसका प्रावधान किया जाता है।

(v) वर्ष की बीमांकिक देयता का निर्धारण प्रत्येक वर्ष जनवरी के अंत में कर्मचारियों के संदर्भ में किया जाता है।

(vi) बीमांकिक लाभ और हानि और योजित परिसंपत्तियों (ब्याज को छोड़कर) पर प्राप्ति और परिसंपत्ति की ऊपरी सीमा का प्रभाव (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर) का निर्धारण अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में तुरंत किया जाता है। निवल निर्धारित देयता (परिसंपत्ति) पर निवल ब्याज व्यय (आय) का परिकलन बट्टे की दर लागू करते हुए किया जाता है जिसका प्रयोग वर्ष के दौरान अंशदान और अनुलाभ भुगतानों के परिणामस्वरूप, किसी परिवर्तन को ध्यान में रखने के बाद, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में निवल निर्धारित देयता (परिसंपत्ति) में निवल निर्धारित देयता (परिसंपत्ति) को मापने में किया जाता है। निर्धारित अनुलाभ योजनाओं से संबंधित निवल ब्याज व्यय तथा अन्य व्ययों को लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित किया जाता है।

जब किसी योजना का लाभ बदल जाता है या जब कोई योजना कम की जाती है, तो अनुलाभ में परिणामी परिवर्तन जो पिछली सेवा से या ऐसी कटौती पर लब्धि या हानि से संबंधित होता है, को लाभ व हानि के विवरण में तुरंत निर्धारित किया जाता है।

(vii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अनुलाभों का भुगतान होने पर उसे राजस्व को प्रभारित किया जाता है।

(viii) निर्धारित अंशदान योजना

कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना और अधिवार्षिता पेंशन योजना संचालित करती है जिन्हें निर्धारित योगदान योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निर्धारित अंशदान योजनाओं के लिए, कंपनी कर्मचारियों के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत पर स्वतंत्र रूप से संचालित निधियों में अंशदान देती है। इन योगदानों को लाभ व हानि के विवरण में दर्ज किया गया है। कंपनी की देयता इन योजनाओं में दिए गए अंशदान की सीमा तक ही सीमित है।

22. प्रावधान

क. प्रावधान

प्रावधान तब निर्धारित किए जाते हैं जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी की वर्तमान देयता (कानूनी या प्रलक्षित) होती है, हो सकता है कि आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों का बहिर्वाह देयता के निपटान के लिए आवश्यक हो और ऐसी देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो। जब कंपनी कुछ या सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की अपेक्षा करती है, उदाहरण के लिए, बीमा संविदा के तहत, प्रतिपूर्ति एक अलग परिसंपत्ति के रूप में निर्धारित की जाती है, लेकिन केवल तभी, जब प्रतिपूर्ति लगभग निश्चित हो। ऐसे प्रावधान से संबंधित व्यय किसी भी प्रतिपूर्ति के निवल के रूप में लाभ व हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

दुर्वह संविदाओं का प्रावधान तब निर्धारित किया जाता है जब संविदा से कंपनी को प्राप्त होने वाले अपेक्षित अनुलाभ संविदा के तहत इसकी देयताओं को पूरा करने की अपरिहार्य लागत से कम होते हैं। ऐसे प्रावधान को संविदा समाप्त होने की अपेक्षित लागत से कम के वर्तमान मूल्य और संविदा जारी रखने की अपेक्षित निवल लागत से मापा जाता है। प्रावधान स्थापित करने से पहले, कंपनी ऐसी संविदा से जुड़ी परिसंपत्तियों पर किसी प्रकार की अनर्जक हानि को निर्धारित करती है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है तो चालू कर-पूर्व दर जो विनियोजित होने पर देयता के लिए विशिष्ट जोखिम दर्शाता है, का प्रयोग करते हुए ऐसे प्रावधानों को भुनाया जाता है। जब ऐसी भुनाई का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में बढ़ोत्तरी को वित्त लागत के रूप में निर्धारित किया जाता है।

ख. आकस्मिक देयताएं / परिसंपत्तियाँ

आकस्मिक देनदारियों / परिसंपत्तियों को प्रबंधन की जानकारी तक वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों के माध्यम से प्रकट किया जाता है।

23. नकद प्राप्ति विवरण

नकद प्राप्ति का विवरण भारतीय एएस 7 – नकदी प्राप्ति विवरण में वर्णित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाताहै।

24. उचित मूल्य का मापन

कंपनी कुछ वित्तीय विलेखों को अपने वित्तीय विवरणों में प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर उचित मूल्य पर मापती है जैसे व्युत्पन्नी तथा अन्य मदें।

सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां जिनके लिए उचित मूल्य को वित्तीय विवरणों में मापा या प्रकट किया गया है, को निम्नतम स्तर इनपुट जो संपूर्ण रूप से उचित मूल्य के मापन के लिए महत्वपूर्ण है, के आधार पर उचित मूल्य के पदानुक्रम में वर्गीकृत किया जाता है –

स्तर 1 – समरूप परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में कोट की गई कीमतें (असमायोजित)।

स्तर 2 – स्तर 1 में शामिल कोट की गई कीमतों के अलावा अन्य निविष्टियाँ जो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रेक्षणीय है (यानी कीमतों से व्युत्पन्न)।

स्तर 3 – ऐसी परिसंपत्तियों या देयताओं की निविष्टियाँ जो प्रेक्षणीय बाज़ार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (अप्रेक्षणीय निविष्टियां)।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के प्रयोजनार्थ, कंपनी ने प्रकृति, विशेषताओं और परिसंपत्तियों या देयताओं के जोखिमों और उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं के वर्गों का निर्धारण किया है।

25. वित्तीय परिसंपत्तियां

(i) प्रारंभिक निर्धारण और मापन

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां शुरू में उचित मूल्य पर निर्धारित की जाती हैं। यदि वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, तो लेनदेन की लागत वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है जिसे परिसंपत्ति की लागत में शामिल किया जाता है।

(ii) अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती माप के प्रयोजनार्थ, वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है–

- परिशोधित लागत पर मापे गए ऋण विलेख,
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ऋण विलेख,

- लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ऋण विलेख, व्युत्पन्नी और इक्विटी विलेख,
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी विलेख।

(iii) विनिर्धारण

किसी वित्तीय परिसंपत्ति या उसका हिस्से को तब विनिर्धारित किया जाता है जब परिसंपत्ति से नकदी प्राप्त करने के अधिकार की समय सीमा समाप्त हो जाती है।

(iv) व्यापार और अन्य लेनदारियां

लेनदारियों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है, जो ज्यादातर मामलों में मामूली मूल्य के लगभग होता है। यदि ऐसा कोई अनुवर्ती संकेत हो कि उन परिसंपत्तियों का ह्रास हो सकता है, तो हानि के लिए उनकी समीक्षा की जाती हैं।

26. वायदा संविदाएं

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों का बचाव करने के लिए वायदा मुद्रा संविदा जैसे व्युत्पन्नी वित्तीय विलेखों का उपयोग करती है। ऐसे व्युत्पन्न वित्तीय विलेखों को प्रारंभ में उस तारीख को उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है जिस पर व्युत्पन्नी संविदा की जाती है और बाद में उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है। व्युत्पन्नी को वित्तीय संपत्ति के रूप में लिया जाता है जब उचित मूल्य धनात्मक होता है और वित्तीय देयताओं के रूप में उचित मूल्य ऋणात्मक होता है ।

27. अंतर्निहित व्युत्पन्नी

आवश्यकता पड़ने पर अंतर्निहित व्युत्पन्नी को समूह संविदा से अलग किया जाता है और उचित मूल्य पर मापा जाता है।

28. नकद और नकद समतुल्य

नकद में हस्तस्थ नकद और मांग जमा शामिल हैं। नकद समतुल्य तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के अत्यधिक अल्पकालिक चलनिधि निवेश होते हैं जो नकदी की ज्ञात राशि में आसानी से परिवर्तनीय होते हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम के अधीन होता है।

बैंक ओवरड्राफ्ट, यदि कोई हो, को तुलन-पत्र में चालू देयताओं के तहत उधार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

29. वित्तीय परिसंपत्तियों का ह्रास

भारतीय ए.एस. 109 के अनुसार, कंपनी ऋण जोखिम वाली वित्तीय परिसंपत्तियों के ह्रास के मापन एवं निर्धारण के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) पद्धति का उपयोग करती है।

क. सरकार / सरकारी विभागों / सरकारी कंपनियों से कालातीत बकाया राशि को आम तौर पर ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों के क्रेडिट जोखिम में वृद्धि नहीं माना जाता है।

ख. यदि देय कानूनी कार्यवाही में विवादित होते हैं तो वहां प्रावधान किया जाता है अगर कोई निर्णय कंपनी के खिलाफ दिया जाता है, भले ही इसके लिए उच्चतर प्राधिकारियों / न्यायालयों में अपील की गई हो।

ग. समय की महत्वपूर्ण अवधि के बकाया देय की समीक्षा की जाती है और मामला-दर-मामला आधार पर प्रावधान किया जाता है।

हानि भत्ता (या व्युत्क्रमण) को लाभ व हानि के विवरण में व्यय / आय के रूप में निर्धारित किया जाता है ।

30. वित्तीय देयताएं

(i) प्रारंभिक निर्धारण और मापन

वित्तीय देयताओं को ऋण, उधार, प्रदेय या व्युत्पन्नी, के रूप में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य में, जैसा उपयुक्त हो, पर वर्गीकृत किया जाता है ।

ऋण, उधार और प्रदेय को लेनदेनों की ऐसी निवल लागत उन पर दर्शाया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से उनके कारण सृजित होते हैं।

(ii) अनुवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन नीचे बताए गए अनुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है-

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं-

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य में प्रारंभिक निर्धारण पर दी गई वित्तीय देयताएं शामिल हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा तैयार किए गए ऐसे व्युत्पन्नी वित्तीय विलेख भी शामिल हैं, जिन्हें भारतीय ए.एस. 109 में परिभाषित बचाव संबंधों में बचाव विलेख के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। विलगित अंतर्निहित व्युत्पन्नों को भी व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि उन्हें प्रभावी बचाव विलेख नहीं कहा जाता है। व्यापार के लिए धारित देयताओं पर लाभ या हानि को लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित किया जाता है ।

(iii) ऋण और उधार

प्रारंभिक निर्धारण के बाद, ब्याजयुक्त ऋणों और उधार को कबाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति (ईआईआर) का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि के रूप में तब निर्धारित किया जाता है जब देयताओं को ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के साथ-साथ विनिर्धारित किया जाता है ।

वित्तीय देयता को तब विनिर्धारित किया जाता है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन किया जाता है या उसे रद्द या समाप्त किया जाता है।

(iv) व्यापार और अन्य देय

देयताओं का निर्धारण प्राप्त माल या सेवाओं के लि भविष्य में अदा की गई राशि के लिए किया जाता है चाहे वे आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल किए गए हों या न हों।

31. वित्तीय विलेखों का पुन: वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक निर्धारण पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक निर्धारण के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वितरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण और वित्तीय देनदारियां हैं। वित्तीय साधनों के लिए जो ऋण के साधन हैं, एक पुनर्वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यापार मॉडल में बदलाव होता है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण करती है, ऐसा पुनर्वर्गीकरण भविष्यलक्षी रूप से किया जाता है।

32. वित्तीय विलेखों का समंजन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं का समंजन किया जाता है और निवल राशि की रिपोर्ट तुलन-पत्र में की जाती है यदि वर्तमान में निर्धारित राशियों को समंजित करने का कानूनी अधिकार प्रवर्तनीय हो और परिसंपत्तियों को वसूल करने और देयताओं को एक साथ निपटाने के लिए, निवल आधार पर निपटाने का आशय हो।

33. इक्विटी धारकों को नकद लाभांश और गैर-नकद वितरण

कंपनी इक्विटी धारकों को नकद या गैर नकद वितरण करने के लिए देयता निर्धारित करती है जब ऐसा वितरण अधिकृत हो और कंपनी के विवेकाधिकार में न हो।

34. त्रुटियां और अनुमान

यदि भारतीय ए.एस. में परिवर्तन के कारण या यदि परिवर्तन करने से वित्तीय विवरणओं के उपयोगकर्ताओं को अधिक संगत और विश्वसनीय सूचना मिलती है, तो कंपनी अपनी लेखांकन नीतियों का संशोधन करती है। लेखा नीतियों में परिवर्तन पूर्वव्यापी रूप से किए जाते हैं जब तक कि ऐसा करना अव्यवहार्य न हो ।

लेखा अनुमान में बदलाव, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित परिसंपत्तियों या देयताएं की मात्रा में परिवर्तन या लाभ और हानि का ब्यौरा परिवर्तन की अवधि (ओं) में भविष्यलक्षी रूप से लागू किया जाता है।

महत्वपूर्ण त्रुटियों की खोज पूर्वावधि, जिसमें ऐसी त्रुटि ज्ञात हुई की परिसंपत्तियो, देयताओं और इक्विटी की तुलनात्मक राशियों को दोबारा दर्शते हुए पूर्व प्रभावी रूप से पुनरीक्षण में परिणामित होती हैं । पूर्व की अवधि के प्रारंभिक शेषों को भी दोबारा बताया जाता है ।

35. प्रति शेयर अर्जन

कंपनी अपने साधारण शेयरों के लिए मूल एवं परिवर्तन प्रति शेयर अर्जन डेटा दर्शाती है। प्रति शेयर मूल आय की गणना कंपनी के साधारण इक्विटी धारकों के लिए लाभ या हानि को विभाजित कर सामान्य शेयरधारकों की भारित औसत संख्या द्वारा, उस समय के दौरान बकाया साधारण शेयरों से की जाती है, जो अपने शेयरों के लिए समायोजित होते हैं। परिवर्तित प्रति शेयर अर्जत कमाई सामान्य इक्विटी धारकों के लिए मुनाफे या हानि का समायोजन करते हुए और बकाया साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या, सभी शेयरों के लिए समायोजित, सभी परिवर्तित संभावित साधारण शेयरों के प्रभावों के लिए निर्धारित करते हुए निर्धारित की जाती है।

36. रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं

समायोजनीय घटनाएं ऐसी घटनाएं होती हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद परिस्थितियों का अतिरिक्त साक्ष्य प्रदान करती हैं । ऐसी घटनाओं के लिए वित्तीय विवरणों को जारी करने के प्राधिकरण से पहले समायोजित किया जाता है।

गैर-समायोजन घटनाएं ऐसी घटनाएं हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक उत्पन्न होने वाली स्थिति की संकेतक हैं। रिपोर्टिंग की तारीख के बाद गैर-समायोजन घटनाओं को हिसाब में नहीं लिया गया है, परंतु उन्हें प्रकट किया गया है।

37. समेकन के सिद्धांत

धारक कंपनी के वित्तीय विवरण, उसकी सहायक कंपनियों और उप-अनुषंगी संस्थाओं के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ, अंतर समूह के सभी शेषों और लेनदेनों को हटाने के बाद परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय की सभी मदों को एक साथ जोड़ते हुए लाइन-दर-लाइन आधार पर संयोजित किया गया है। एसोसिएट के ब्याज का परिकलन इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए किया जाता है। इन्हें प्रारंभिक रूप से लागत पर निर्धारित किया जाता है जिसमें लेनदेन

की लागत शामिल है। प्रारंभिक निर्धारण के बाद, समेकित वित्तीय विवरणों में ग्रूप के लाभ व हानि का हिस्सा तथा इक्विटी परिकलित निवेश-स्वीकर्ता की अन्य व्यापक आय उस तारीख तक शामिल की जाती है जिसमें महत्वपूर्ण प्रभाव समाप्त होते हैं।

प्रारक्षण के संबंध में दर्शित राशि में धारक कंपनी के तुलन-पत्र के अनुसार संबंधित प्रारक्षण की राशि और सहायक कंपनियों तथा उप-अनुषंगी कंपनी की संबंधित बढ़ोत्तरी में अधिग्रहण के बाद की बढ़ोत्तरी में इसका हिस्सा शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरणों को समान परिस्थितियों में सदृश्य लेनदेनों एवं अन्य घटनाओं की एक समान लेखांकन नीतियों का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया है जिन्हें जहाँ तक संभव हो, धारक कंपनी के वित्तीय विवरणों की भांति प्रस्तुत किया गया है।

जिस तारीख को निवेश किए गए हैं, उस तारीख में सहायक कंपनियों तथा उप-अनुषंगी कंपनी की इक्विटी के इसके शेयर में सहायक कंपनियों तथा उप-अनुषंगी कंपनी में अपने निवेश हेतु कंपनी की लागत के अतिरेख को ''समेकन पर सुनाम'' रूप में निर्धारित किया गया है जो समेकित वित्तीय विवरणों में परिसंपत्ति मानी जाती है। वैकल्पिक रूप से, जहाँ निवेश की तारीख में सहायक कंपनियों तथा उप-अनुषंगी कंपनी में इक्विटी का हिस्सा धारक कंपनी के निवेश की लागत से अधिक हो, इसे ''पूँजीगत प्रारक्षण'' के रूप में निर्धारित किया जाता है और समेकित वित्तीय विवरणों में ''प्रारक्षण एवं अधिशेष'' शीर्ष के तहत दर्शाया जाता है।

हमारी इसी दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **सूरी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 004283S

एम वी गौतमा
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनेश कुमार बत्रा
निदेशक (वित्त) व सीएफओ

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

स्थान- बेंगलूरु
दिनांक- 22 जून, 2021

फार्म एओसी–I

(रु. लाख में)

भाग "क"– सहायक कंपनियां

क्र. सं.	विवरण		
1	सहायक कंपनी का नाम	बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड	बीईएल थालेस सिस्टम्स लिमिटेड
2	संबंधित सहायक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि, यदि मूल कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से अलग हो	लागू नहीं	लागू नहीं
3	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और मुद्रा विनिमय दर	लागू नहीं	लागू नहीं
4	शेयर पूंजी	8,451	5,762
5	प्रारक्षण व अधिशेष	15,601	4
6	कुल परिसंपत्तियां	38,022	10,148
7	कुल देयताएं	13,970	4,382
8	निवेश	–	–
9	कुल कारोबार	4,075	3,538
10	कराधान से पूर्व लाभ	712	398
11	कराधान का प्रावधान	222	83
12	कराधान के बाद लाभ	490	315
13	प्रस्तावित लाभांश	147	–
14	शेयरधारण का %	100%	74%

1	सहायक कंपनियां जिन्होंने अब तक कामकाज शुरु नहीं किया है, के नाम	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	सहायक कंपनियां जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त या बेच दिया गया है, के नाम	कुछ नहीं	कुछ नहीं

भाग "ख"– सहयोगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम

(रु. लाख में)

क्र. सं.	सहायक कंपनियों के नाम	जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड	डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन
1	नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन-पत्र की तारीख	31 मार्च 2021	31 मार्च 2021
2	कंपनी द्वारा वर्षांत में धारित सहयोगी कंपनी के शेयर		
	सं.	2600000	50
	सहयोगी कंपनी में निवेश की राशि	260	1
	धारण का %	26%	50%
3	उल्लेखनीय प्रभाव दर्शाने संबंधी विवरण	मतदान के अधिकार	मतदान के अधिकार
4	सहयोगी कंपनी का समेकन न करने का कारण	लागू नहीं	*
5	नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार शेयरधारण के कारण निवल मालियत	18,995	–
6	वर्ष का लाभ / की हानि		
i.	समेकन में विचार किया गया	3,035	–
ii.	समेकन में विचार नहीं किया गया	–	–

* कोई नियंत्रण नहीं किया और साथ ही, इक्विटी निवेश के अलावा परिवर्ती प्राप्तियों पर कोई अधिकार नहीं

1	सहायक कंपनियों के नाम जिन्होंने अभी कामकाज शुरु नहीं किया है	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	सहायक कंपनियों के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त किया गया	कुछ नहीं	कुछ नहीं

कृते **सूरी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 004283S

एम वी गौतमा
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनेश कुमार बत्रा
निदेशक (वित्त) व सीएफओ

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

स्थान– बेंगलूरु
दिनांक– 22 जून, 2021

टिप्पणियां

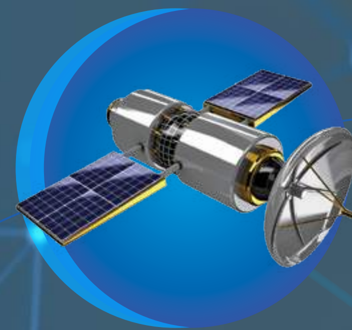

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
(रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का उद्यम)
(सीआईएन - L32309KA1954GOI000787)

पंजीकृत व कार्पोरेट कार्यालय
आउटर रिंग रोड, नागवारा
बेंगलूरु - 560 045, भारत

फोन : +91-80-2503 9300
: +91-80-6700 9300
फैक्स : +91-80-2503 9266
ई-मेल : secretary@bel.co.in
वेबसाइट : www.bel-india.in
टॉल फ्री : 1800 425 0433